त्रयोदश माला, खंड 11, अंक 10

शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 2000
10 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 51
Date 11/10/01

(खण्ड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ॰ राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)

अंक 10, शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 2000/10 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	181 से 183, 185 और 186	1-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	184 और 187 से 200	27-41
अतारांकित प्रश्न संख्या	1996 से 2225	41-295
सभा पटल पर रखे गए पत्र		295-317
लोक लेखा समिति		317
ग्यारहवां प्रतिवेदन		
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति		317
दूसरा प्रतिवेदन		
सभा का कार्य		318-320
असम में आतंकवादियों द्वारा कुछ लोगों की कथित हत्या के बारे में		321-343
रजिस्ट्रीकरण और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक		343-344
केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक		344-375
विचार करने के लिए प्रस्ताव		344
श्री खारबेल स्वाइं		344-348
श्री वरकला राधाकृष्णन		348-351
श्री के. येरननायडू		351-353
श्री रामजीलाल सुमन		354-355
श्री त्रिलोचन कानूनगो		356-357
श्री सन्तोष मोहन देव		357-360

*** किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।**

विषय	कॉलम
श्री प्रभुनाथ सिंह	360-362
श्री राजो सिंह	362-364
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	364-366
श्री पी.एस. गढ़वी	366-368
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी	368-373
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	373-374
खण्ड 2 से 15	374
पारित करने के लिए प्रस्ताव	375
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	375
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	375-414
(एक) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण	375-401
श्री ई. अहमद	376-377, 381-385, 397-400
डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह	385-386
श्री बाल कृष्ण चौहान	386-388
श्री अनादि साहू	388-392
श्री गिरधारी लाल भार्गव	392-394
श्रीमती मेनका गांधी	394-397
(दो) गन्ना उत्पादकों की समस्याएं	401-414
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	401-405
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	406-408
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	408-412
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	412-414

लोक सभा

शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 2000/10 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

मारुति उद्योग लि॰ में विनिवेश

181. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री इन्द्रजीत गुप्त:

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मारुति उद्योग लिमिटेड में सरकार के शेयरों को बेचने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी उद्योग विभाग ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) सरकार ने सभी सम्बन्धित मत्रालयों/विभागों के विचारों को समझने के बाद, मारुति उद्योग लिमिटेड में अपनी इक्विटी के विनिवेश करने की सम्भावनाओं और रूपात्मकताओं पर विचार करने का निर्णय लिया है। सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड में विनिवेश के ईष्टतम तौर-तरीकों की सिफारिश करने के लिए सचिवों के एक दल का गठन किया है।

श्री राम मोहन गाड्डे: अध्यक्ष महोदय, मारुति उद्योग लिमिटेड भारत का सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। मै नहीं जानता कि सरकार ऐसे लाभ कमाने वाले उद्योग को क्यों बेचना चाहती है। अत:, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस संबंध में इस उपक्रम में बराबर का भागीदार जापान की सुजुकी मोटर कारपोरेशन से परामर्श किया है। यदि किया है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या मारुति उद्योग लिमिटेड में विनिवेश के बारे में विभिन्न मंत्रालयों में मतभेद हैं। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्री अरुण शौरी: महोदय, तीन अलग-अलग प्रश्न पूछे गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप तीनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे सकते हैं।

श्री अरुण शौरी: सबसे पहले सुजुकी के साथ परामर्श के प्रश्न पर आते हैं, सुजुकी के साथ परामर्श किया गया है। सुजुकी के निदेशकों, जो जापान के हैं, और उसके भारत स्थित कार्यालय के स्थानीय प्रमुख ने कल विनिवेश सचिव से मुलाकात की थी। हमने उन्हें अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करने के लिए कहा है । आज वे सचिव के एक दल से मिल रहे है। कल उन्होंने सरकार के समक्ष विभिन्न प्रस्तावों और विकल्पों के बारे में सुना, उन्होंने कहा कि जापान में कंपनी के निदेशकों से परामर्श करेंगे और इन प्रस्तावों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएंगे।

कंपनी की लाभ अर्जित करने की स्थिति के बारे में मेरा कहना है कि तीन वर्ष पूर्व तक मारुति उद्योग लिमिटेड ने 650 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। पिछले वर्ष लाभ में कमी आई और यह 330 करोड़ रुपए रहा। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के पहले सात महीनों में मारुति उद्योग लिमिटेड को 128 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तीन वर्ष पूर्व तक कंपनी का 83 प्रतिशत बाजार हिस्सा था जो अब घटकर 55 और 60 प्रतिशत के बीच है।

मैं विभिन्न कारकों को गिना सकता हूँ किंतु शायद माननीय सदस्य द्वारा पूछे गऐ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यह पर्याप्त है।

श्री राम मोहन गाड्डे: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कंपनी में विनिवेश करते समय भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने की कोई योजना है। समाचारपत्रों में खबरें हैं कि बजाज कंपनी इसमे रूचि ले रही है और वह कंपनी के इन शेयरों के लिए 2800 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। हम भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन क्यों नहीं दे रहे हैं? मै यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या विनिवेश के बारे में कोई निर्णय लेने से पूर्व कर्मचारी संघ से भी परामर्श किया जाएगा क्योंकि उनका भविष्य भी दांव पर लगा है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री अरुण शौरी : महोदय, पुन: दो प्रश्न पूछे गए हैं एक बजाज या भारतीय कंपनियों के बारे में है और दूसरा कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के बारे में है।

इस संबंध में अभी किसी कंपनी की पहचान करना पूर्णत: जल्दबाजी होगी। हमारा भी राहुल बजाज या उनके किसी प्रतिनिधि या किसी भारतीय या विदेशी कंपनी से कोई संपर्क नहीं हुआ है।

दूसरी बात यह है कि सभी विनिवेश संव्यवहारों में एक सुस्थापित और खुली प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें हम वैयक्तिक पक्षों के साथ वार्ता करने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि वैसा करने से कई गंभीर समस्याएं पैदा होंगी और कई आरोप लगाए जाएंगे। पक्षों के चयन के पश्चात् अन्त में प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाई जाएगी। हमें आशा है कि सुजुकी इसके लिए सहमत होगी क्योंकि समझौते के अनुसार उसकी लिखित सहमति आवश्यक है। जैसा आप जानते हैं 1982 के समझौते में 1992 और 1996 में संशोधन किया गया था और अब समझौते में एक खंड है जिसमें प्रावधान हैं कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की लिखित सहमति के बिना अपने इक्विटी शेयर नहीं बेच सकता है। अत: यदि हम किसी भागीदारी की तलाश करते है चाहे वह बजाज आटो या कोई अन्य कंपनी हो, तो ऐसा सुजुकी की सहमति से ही किया जाएगा। हमें आशा है कि स्वयं सुजुकी भी केवल एक प्रस्ताव या केवल एक कंपनी का नाम लेकर नहीं आएगी क्योंकि ऐसी स्थिति में वे मूल्य पूर्व नियत कर सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि वे कुछ कंपनियों के नाम दें यथा दस कंपनियों के नाम दें जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से कम से कम सीमित प्रतिस्पर्धा हो। निश्चित तौर पर श्री बजाज या किसी अन्य का इस प्रतिस्पर्धात्मक बोली में स्वागत किया जाएगा।

माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न कर्मचारी संघ के बारे में है। इस संबंध में पुन: पूर्ण गहतफहमी व्याप्त है। क्योंकि हम नहीं मानते कि मारुति उद्योग लिमिटेड आज सरकारी कंपनी नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 617 के अंतर्गत कोई कंपनी सरकारी कंपनी है यदि उस कंपनी की इक्विटी का 51 प्रतिशत सरकार के पास है। मारुति उद्योग लिमिटेड के संबंध में सरकार के पास कंपनी की केवल 49.74 प्रतिशत इक्विटी है।

इस बात को आप याद करना नहीं चाहेंगे किंतु 1982 में सुजुकी के पास मारुति उद्योग लिमिटेड के केवल 26 प्रतिशत शेयर थे, 1987 में इन्हें बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया और 1992 में हुए एक सौदे में सुजुकी को अपना हिस्सा 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी गई थी जिसकी व्यापक निंदा हुई थी तथा 0.26 प्रतिशत शेयर कर्मचारियों को दिए गए थे। इस प्रकार कंपनी की इक्विटी में सरकार का हिस्सा 50 प्रतिशत से कम हुआ और उस समय 100 रुपए का शेयर 269 रुपए के मूल्य पर बेचा गया था जबकि उस समय हिन्दुस्तान मोटर का 100 रुपए का शेयर भी 770 रुपए में बेचा जा रहा था।

अत: इसका एक इतिहास है और आज मारुति सरकारी कंपनी नहीं है, जैसा कि सभी गैर-सरकारी कंपनियों के मामले में होता है, कामगारों के हित देश के सामान्य औद्योगिक कानूनों द्वारा शासित होते हैं और यदि सरकार इस संबंध में आगे कदम बढ़ाती है और अपनी शेष इक्विटी के विनिवेश के बारे में निर्णय करते हैं तो भी उनके हित इन्हीं कानूनों द्वारा शासित होंगे।

श्री शिवराज वि॰ पाटील: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज सभा में बहुत कम सदस्य उपस्थित हैं अत: इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए कुछ और समय देने के लिए आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूँ। महोदय, मारुति उद्योग लिमिटेड निजी क्षेत्र की कंपनी थी।

अध्यक्ष महोदय: अगले सप्ताह हम सभा में विनिवेश नीति पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री शिवराज वि॰ पाटील: ठीक है किंतु तब यह चर्चा किसी विशेष बिन्दु पर होगी।

आरंभ में मारुति उद्योग लिमिटेड निजी क्षेत्र में था, फिर इसे सरकारी क्षेत्र में लिया गया। मारुति उद्योग लि॰ के कारण देश के आटोमाबाइल उद्योग ने नई प्रौद्योगिकी प्राप्त की, इस देश के उपभोक्ताओं को नए प्रकार की कारें उपलब्ध हुईं। मारुति उद्योग लि॰ लाभ कमा रहा था और हमें बताया गया है कि अब मारुति उद्योग लि॰ लाभ नही कमा रहा है। यदि आप किसी लाभ कमाने वाली कंपनी को घाटा उठाने वाली कंपनी बनाना चाहते हैं तो यह जताने के लिए यह लाभ नहीं कमा रही है और यह घाटा उठाने वाला उद्योग है आप उसे बंद कर या हड़ताल करवाकर या कुप्रबंधन द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

सरकार कह रही है कि वह प्रशासन में पारदर्शिता लाना चाहती है और उसने सूचना का अधिकार विधेयक भी पुर:स्थापित किया है। जो प्रश्न पूछा गया वह यह है: क्या सरकार ने बेचने का निर्णय किया है या विनिवेश करने का निर्णय किया है और क्या उद्योग मंत्रालय इसका विरोध करेगा?

प्रश्न यह पूछा गया कि इसके विनिवेश का औचित्य क्या है। दिया गया उत्तर बहुत की अस्पष्ट है। इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें कुछ बताने के बजाय छिपाया गया है। उत्तर में कहा गया है:

> "सरकार ने सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचारों को समझने के बाद, मारुति उद्योग लिमिटेड में अपनी इक्विटी के विनिवेश करने की संभावनाओं और रूपात्मकताओं पर विचार करने का निर्णय लिया है।" इसका तात्पर्य है कि सरकार अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि इसका विनिवेश किया जाएगा। इससे अगले वाक्य में कहा गया है:

> "सरकार में मारुति उद्योग लिमिटेड में विनिवेश के ईष्टतम तौर-तरीकों की सिफारिश करने के लिए सचिवों के एक दल का गठन किया है।"

दूसरे वाक्य कहता है कि सरकार निष्कर्ष पर पंहुच गई है और दूसरा वाक्य कहता है वे संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। जानकारी नहीं दी गई है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसका क्या औचित्य है ?

लाभ कमाने वाले उद्योग में विनिवेश किया जा रहा है। जो उद्योग आटोमोबाइल उद्योग के लिए वास्तव में नई प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आटोमोबाइल उद्योग अच्छी प्रगति करे, उसका विनिवेश किया जा रहा है। हर कोई नए मॉडल लाने का प्रयास

कर रहा है और सभी नए मॉडल पेट्रोल पर निर्भर हैं। कोई भी ऐसे वाहनों का विकास करने पर विचार नहीं कर रहा है जो सौर ऊर्जा या बैटरी ऊर्जा स चल सकें। इस मामले में यही उद्योग हमारी सहायता कर सकता है। हम नहीं जानते कि आधारभूत तर्क क्या है और नीति क्या है। क्या यह कार्य किन्हीं व्यक्तियों की मनमानी से होगा? क्या ऐसा इसलिए किया जाए कि कोई ऐसा चाहता है अथवा इसलिए किया जाए कि सरकार ने कोई नीति बनाई है। क्या ऐसे मामले के संबंध में सरकार की कोई नीति है?

हमें प्रसन्नता होगी यदि माननीय मंत्री महोदय हमारी शंकाओं, हमारी गलतफहमी को दूर कर दें और थोड़ा और स्पष्ट कर सभा को थोड़ी और जानकारी दें।

श्री अरुण शौरी: महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। मैं निश्चित रूप से उनका उत्तर दूंगा।

महोदय, जैसाकि आपने अभी बताया है, आपने विनिवेश के प्रश्न पर वाद-विवाद के लिए 7 दिसम्बर निर्धारित किया है और इस तरह के अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं उनका उत्तर दूंगा ...*(व्यवधान)* मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं आपके द्वारा पूछे गए इस विशेष प्रश्न का उत्तर दूंगा।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से नीति का प्रतिपादन किया है। हमने इसे परिचालित किया है। मैंने पिछली बार यह बताया था। मैंने इस सभा में इसे शब्दश: पढ़ा है ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: ऐसी कोई नीति नहीं है। आप श्वेत पत्र भी नहीं देते हैं। क्या नीति है।? ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: मैं प्रश्न पर आऊंगा...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: आप अस्पष्ट रहे हैं। उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या आपके और श्री मनोहर जोशी के बीच कोई मतभेद है। आप ईमानदारी से बताइए। हमें इसका उत्तर बताएं ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: अब मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा।

पहला, सरकार का निर्णय शब्दश: इस प्रकार है :

"विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सुजुकी मोटर कम्पनी के साथ शब्दश: चर्चा शुरू करके मारुति उद्योग लि. में विनिवेश के सर्वोत्तम उपायों की सिफारिश हेतु सचिवों की एक समिति गठित की है।"

शब्दश: यह सरकार का निर्णय है। महोदय, इसमें इस तरह की शब्दावली के प्रयोग का बिल्कुल सही कारण यह है कि 1992 और 1996 के करार में खण्ड 6 (1), जिसकी आपको जानकारी है, में यह निर्धारित किया गया है कि सरकार "सुजुकी की लिखित सहमति के बिना अपनी इक्विटी बेच नहीं सकती है। आपको यह खण्ड अजीब लगेगा ..*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: सूचना का अधिकार विधेयक सभा में लंबित पड़ा है। आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, प्रश्न काल में इसे उठाने का यह उचित तरीका नहीं है। सर्वप्रथम, आप मंत्री महोदय की बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। यह क्या है? आप मंत्री महोदय को उत्तर नही देने दे रहे हैं।

श्री अरुण शौरी: उस खण्ड में कहा गया है कि सरकार अपनी इक्विटी का हिस्सा बेच नही सकती है...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं इसी का विरोध कर रहा हूं। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आप उसे सार्वजनीन नहीं कर सकते। क्यों?...*(व्यवधान)*

श्री अरुण गौरी: यह सार्वजनीन नहीं किया गया है, यह बेचा गया है।

सरकार सुजुकी मोटर कम्पनी की लिखित सहमति के बिना इक्विटी को अपना हिस्सा बेच नहीं सकती है। इस कारण से सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वे निश्चित रूप से यह घोषणा करें कि वे ऐसा करेंगे। इसी बात पर श्री मनोहर जोशी ने बल दिया था।

सचिव समिति सुजुकी को यह बताने के लिए उससे चर्चा करेगी—बल्कि उसने चर्चा शुरू कर दी है कि पांच-छह उपाय अथवा विकल्प हैं और उनसे पूछेगी कि उनकी मर्जी क्या है, कम्पनी की भावी संभावनाएं क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। यह एक बात है।

दूसरी बात जो आती रहती है वह भारी उद्योग मंत्रालय और विनिवेश विभाग के बीच मतभेद के बारे में है। मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता रहा हूं कि उन्हें मतभेद ढूंढ़ना अथवा पैदा नहीं करना चाहिए क्योंकि अंत में उन्हें घोर निराशा होगी। यह अच्छी बात है कि जब मंत्रिमण्डल की बैठक होती है तो उस पर जोर-शोर से बहस करनी चाहए और विभिन्न लोगों से सुविचारित राय आनी चाहिए। तभी मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से विचार-विमर्श कर सकता है और निर्णय ले सकता है। इस मामले में विभिन्न दृष्टिकोण और भिन्न-भिन्न तर्क विनिवेश संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति को प्रस्तुत किए गए और जैसाकि मैंने आपको याद दिलाया था कि यह उनका अक्षरश: निर्णय था। सचिवों द्वारा विकल्पों का पता लगाए जाने के बाद वे इस बारे में विनिवेश संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति को बताएंगे। आप श्री मनोहर जोशी से पूछें। विनिवेश संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति के वे वरिष्ठ सदस्य हैं। हम सब यह जानते हैं कि मंत्रिमण्डल महत्वपूर्ण मंत्रियों के पूर्ण समर्थन के बिना कुछ नहीं कर सकता है।

श्री शिवराज वि॰ पाटील: मैंने आपने प्रश्न में मतभेद के बारे में नहीं पूछा था। मैंने इसका औचित्य पूछा था।

श्री अरुण शौरी: मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं श्री मणिशंकर अय्यर के हस्तक्षेप का उत्तर दे रहा हूं। मैं आपके द्वारा पूछे गए औचित्य पर आऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप श्री शिवराज वी॰ पाटील को उत्तर दें न कि श्री मणिशंकर अय्यर को क्योंकि उन्होंने अनुपूरक प्रश्न पूछा है।

श्री अरुण शौरी: महोदय, ठीक है, मैं वही करूंगा। मुझे इसका खेद है: प्रश्न बहुत जोश के साथ पूछा गया था। पहले मुख्य प्रश्न में भी इस बारे में पूछा गया था, इसलिए मैं इसका उत्तर देना चाहता था।

इस बात के औचित्य के प्रश्न पर पहली बात यह है कि समस्याओं से घिरे हमारे जैसे देश में जहां हम गरीबी और ऐसी अनेक समस्याओं से घिरे हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना है श्री शिवराज वी॰ पाटील भली-भांति परिचित हैं क्या सरकार को अपने संसाधन और ध्यान 2 लाख से 8 लाख तक की लागत वाली कारों, निजी यात्री कारों के निर्माण पर लगाना चाहिए, जबकि सदस्य हर समय कह रहे हैं कि उनके कार्य का केन्द्र गरीबी उन्मूलन उपाय होने चाहिएं। यह एक बात है।

दूसरा, हम लाभ कमाने वाली कम्पनियों के बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन हमें उन कम्पनियों की सम्भावनाओं को भी देखना चाहिए जो निरंतर लाभ कमा रही हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रखिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया बैठ जाइए।

श्री अरुण शौरी: मारुति की संभावना के बारे में जैसाकि आपने आकलन किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। यह क्या है? अध्यक्ष की अनुमति के बिना आप मामले को कैसे उठा सकते हैं? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

यह क्या है?

श्री अरुण शौरी: औचित्य के संबंध में याद रखने वाली चार बातें ये हैं–पहला, यह कम प्राथमिकता वाला क्षेत्र है क्योंकि ये यात्री कारों के लिए है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राजीव प्रताप रूडी, आप अनावश्यक रूप से उन्हें क्यों उकसा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय यहां हैं। आप अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं।

श्री अरुण शौरी: दूसरी बात यह है कि मारुति जिसकी बाजार में बड़ी अच्छी स्थिति थी, के शेयर में तेजी से गिरावट आ रही है। पिछले दो वर्षों में यह 83 प्रतिशत से घटकर 55 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक रह गया है। इसका लाभ, जो 650 करोड़ रुपये था, उसमें प्रथम सात महीनों में 128 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। तीसरे, सुजुकी के साथ भागीदार के रूप में मारुति ने जो तीन नये मॉडल बाजार में उतारे हैं, उन्होंने पर्याप्त प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन नहीं किया है। जेन के बाद तीन नये मॉडल बाजार में उतारे हैं, उसके संबंध में मुझे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि इनके मामले में बाजार शेयर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, कुछ अन्य प्रश्न भी हैं। कृपया समझिए। यह पहला प्रश्न है और हम पहले ही इस प्रश्न पर 20 मिनट ले चुके हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सरकार से पूंजी लग गयी और जब लाभ होने वाला है तो डिसइनवैस्टमेंट की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: महोदय, यदि मुझे उत्तर देने की अनुमति दी गई तो मैं इन प्रश्नों के पूर्ण उत्तर दूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

मंत्री जी, कृपया अपना उत्तर पूरा करें ।

...(व्यवधान)

श्री अरुण शौरी: महोदय, जैसाकि मैंने आपको बताया है कि हमें न केवल लाभप्रदता और वर्तमान स्थिति का आंकलन करना है बल्कि आने वाले वर्षो मे उस कंपनी की संभावनाओं का भी अनुमान लगाना है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री खारबेल स्वांइ को बुलाया है।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, हम इस पर आधे घंटे की चर्चा चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर, हम अगले सप्ताह सभा में विनिवेश नीति पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वांइ: मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है...*(व्यवधान)* महोदय, सभा में व्यवस्था होनी चाहिये। मैं प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, हम अगले सप्ताह सभा में विनिवेश नीति पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, कृपया मारुति उद्योग लिमिटेड पर आधे घंटे की चर्चा करने की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर, मैंने श्री खारबेल स्वांइ को बुलाया है।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: दो दिन पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री खारबेल स्वांइ, आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इंडस्ट्री विभाग विरोध कर रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वांइ: मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि पिछले तीन वर्षो में मारुति उद्योग लि. का शेयर मूल्य कितना कम हुआ है और यदि सरकार ने तीन वर्ष पहले मारुति उद्योग लि. को बेच दिया होता, तो उसको कितना लाभ हुआ होता? ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: महोदय, वास्तव में मारुति के शेयरों की कोई खरीद फरोख्त नहीं होती है। अत:, ऐसा कहना संभव नहीं है कि उस समय इसका शेयर मूल्य इतना था और इस समय इतना है दूसरे हां, साढ़े चार या पांच वर्ष पहले ऐसा प्रतीत होता है कि मारुति में अपने शेयर का विनिवेश करने के लिए तत्कालीन सरकार ने बातचीत की थी। इस संबंध में मुझे जो आंकड़े दिए गए हैं, वे काफी चौंकाने वाले हैं। मैं अभी आंकड़े नहीं देना चाहता क्योंकि हम अन्य लोगों के साथ बातचीत करेंगे। मैं यह नहीं चाहता कि वह किसी भी तरह से आंकड़ा अधिकतम मूल्य या न्यूनतम मूल्य बने परन्तु जिन लोगों को वह आंकड़ा मिला है, उनके बताये अनुसार, वर्तमान की तुलना में वह बहुत अधिक था माननीय भारी उद्योग मंत्री को मालूम है। यह आंकड़ा उन्हें मालूम है...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: आप भारी उद्योग का सहारा क्यों ले रहे हैं?... *(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: यह उच्च आंकड़ा मारुति की बेहतर स्थिति के कारण था। उस समय बाजार में उसका शेयर 83 प्रतिशत था। आज, यह गिरकर 55 से 60 प्रतिशत रह गया है।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वांइ: महोदय, यदि हमने इसे तीन वर्ष पहले बेच दिया होता तो हमें 5,000 करोड़ रूपये से अधिक मिल गये होते ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप इस टकराव को टाल सकते हैं। आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री अरुण शौरी: महोदय, उदारीकरण की नीति के साथ अन्य प्रतिस्पर्धियों को बाजार में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है, श्री रूपचन्द पाल? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

कृपया उसे समझें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप उनकी बात का जवाब न दें आपको केवल श्री खारबेल स्वांइ के अनुपूरक प्रश्न का जवाब देना है।

श्री अरुण शौरी: महोदय, जैसाकि श्री स्वाइं ने कहा है कि भारत सरकार को एक अत्यधिक आर्कषक प्रस्ताव मिला था और सरकार ने बहुत सारे कारणों की वजह से जिनकी जानकारी मुझे नहीं है–उस प्रस्ताव को

स्वीकार नहीं किया। आज स्थिति यह है कि भारत सरकार उस आंकड़े के आसपास पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है।

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय:, हमें इनकी वजह नहीं मालूम कि सरकार मारुति उद्योग लि. में अपना शेयर बेचने की इतनी जल्दी में क्यों है। मेरा मंत्री महोदय से सीधा प्रश्न यह है कि क्या मारुति उद्योग लि. का बाजार शेयर चालू वर्ष में सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गया है, उसका परिणाम यह हुआ कि मारुति उद्योग लि. का मूल्य कम हो गया। यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है। प्रश्न का (ख) भाग यह है कि क्या यह सच है कि पिछले छह महीने के दौरान, वाहनों का उत्पादन पूर्व वर्ष की तुलना में 4.07 से घटकर 1.77 लाख हो गया है। यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? कृपया ब्यौरा दीजिये।

श्री अरुण शौरी: महोदय, पहली बात यह है कि मूल्य के लिए बातचीत करने के मामले में अथवा अंतर्राष्ट्रीय बोलियों को स्वीकार करने में और मारुति उद्योग लि. का मूल्य निर्धारित करने में, हम केवल मारुति के वर्तमान घाटे अथवा उसके गिरते हुए बाजार शेयर पर ही नहीं, अपितु उसकी बाजार संभाव्यता पर भी विचार करेंगे। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में इसकी सुदृढ़ सामरिक उपस्थिति है; मजबूत बोली लगाने वालों को इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। यह कोई मजबूरन बिक्री नहीं है, यह सरकार के लिए एक विकल्प है। दूसरे, सरकार को इसकी जल्दी नहीं है। यदि सरकार को जल्दी होती, तो इस उद्देश्य के अनेक विकल्प तलाश करने के लिए हमने सचिवों की समिति की नियुक्ति न की होती...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको अन्य सदस्यों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अरुण शौरी: महोदय, तीसरी बात यह है कि उत्पादन में गिरावट इतनी नहीं है, जितनी कि माननीय सदस्य ने बतायी है। मैं सही आकड़े दे सकता हू। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि जो पिछले कुछ महीनों में अनेक कर्मचारियों और बाहरी लोगों की गिरते हुए औद्योगिक संबंधों की वजह से से जुड़े हुए हैं, कंपनी पर स्वभावत: प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि इसमें अथवा अन्य किसी उद्यम में इस प्रकार औद्योगिक संबंध बाहर के लोगों द्वारा खराब किए जायेंगे, तो उसका सरकार की बेहतर मूल्य प्राप्त करने की क्षमता पर काफी प्रभाव पड़ेगा। यह बात स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि आधा घंटा समाप्त हो चुका है और अगले सप्ताह हम विनिवेश नीति पर चर्चा करेंगे इसलिए जब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है। क्या मैं माननीय मत्री महोदय से यह जान सकता हू कि क्या मोटरकार क्षेत्र में पूर्णत: अनिश्चितता है? भारत सरकार ने मोटरकार क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों के लिए खोल दिया है और इनमें से कुछ कम्पनियों ने छोटी कारों के क्षेत्र में उत्पादन और विपणन भी शुरू कर दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल, यह प्रश्न मारुति उद्योग लिमिटेड के विनिवेश के बारे में है।

श्री रूपचन्द पाल: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि क्या यह सच है कि निजी मोटरकार क्षेत्र के संबंध में क्षमता उपयोगिता में भी पूर्णत: अव्यवस्था और अनिश्चितता है तथा अभी भी बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति है।

क्या यह सच नहीं है कि प्रतिस्पर्धियों को फायदा पहुंचाने के लिए इसे ढाने का प्रस्ताव किया जा रहा है?

श्री अरुण शौरी: महोदय, अंतिम बात केवल अटकल है और एक आरोप है तथा मौजूदा औद्योगिक अव्यवस्था के बारे में अलग-अलग बातें कही जा रही हैं। माननीय भारी उद्योग मंत्री ने केवल दो दिन पहले इन मुद्दों पर ध्यान दिलाया था। मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से समूचे आटोवाहन क्षेत्र में आ रहे उतार-चढ़ाव का जिक्र किया। क्या आप ऐसे उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्र, जो कि बिल्कुल भी प्राथमिक क्षेत्र नहीं हैं, के संबंध में भारत सरकार का पर्दाफाश करना चाहते हैं? आपके तर्क से तो कुछ और ही अर्थ निकलता है? ...*(व्यवधान)*

दूसरा, मोटरकार क्षेत्र में समग्र विश्व में इस उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप मोटरकार कम्पनियां आपस में जुड़ रही हैं। मैं 'डेमलर' और 'क्रिसलर' के बीच हुए समेकन के बारे में आपको बता सकता हू; 'फोर्ड' माटिज जैसी विभिन्न कम्पनियों को खरीद रहा है तथा जनरल मोटर्स जापान में सुजुकी में 20 प्रतिशत शेयर सहित विभिन्न कम्पनियों को खरीद रहा है।

श्री रूपचन्द पाल: ये लाभप्रद कम्पनियां हैं। आप उन्हें ऋण बना रहे हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

*182.+ डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री राजैया मल्याला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनेक शाखाओं को अभी तक पूर्णत: कंप्यूटरीकृत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शाखा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं को कब तक पूर्णत: कंप्यूटरीकृत कर दिये जाने की संभावनाएं हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की सख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। नवम्बर, 1989 में प्रस्तुत डा० सी० रंगराजन समिति की सिफारिश के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पहले लक्ष्य केवल उन्हीं शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत करना था जिनका दैनिक कार्यभार 750 वाउचर से अधिक था। इसके बाद, मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा दिनांक 17.11.1998 के अपने पत्र के तहत दिए गए निदेश के अनुसरण में बैंकों के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने अपनी कर्मकार यूनियनों के साथ बैंकों के 78% कारोबार को कम्प्यूटरीकृत करने का एक समझौता दिनांक 27.3.2000 को किया था। भारतीय रिजर्व बैंक से 30 सितम्बर, 2000 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्त सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का 61.45% कारोबार पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत हो चुका है। 6982 शाखाएं पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत हैं तथा 9304 शाखाएं अंशत: कम्प्यूटरीकृत हैं। कम्प्यूटरीकरण की बैंक-वार स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ग) बैंकों का फिलहाल सभी शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य नहीं है क्योंकि कम कारोबार वाली शाखाओं को कम्प्यूटरीकरण वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है तथा कुछ क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण बिजली की कमी एवं आधारभूत गत्यावरोध के कारण संभव नहीं है। अत: सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नई सेवाएं जैसे सात दिन की बैंकिंग, कारोबार घंटे बढ़ाना, पारी व्यवस्था, राजकोष प्रबंधन एवं कम्प्यूटरीकरण लागू करना आदि शुरू करने के संबंध में अपनी मानवशक्ति का पुनर्निर्धारण एवं नियोजन करने की प्रक्रिया चल रही है जिससे ये बढ़ते हुए प्रतियोगी वातावरण में कार्यक्षत्र तथा आर्थिक वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकें। कम्प्यूटरीकरण के संबंध में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने अपनी कर्मकार यूनियनों के साथ एक करार किया है कि कोई छंटनी नहीं होगी तथा विद्यमान स्टाक का यथोचित अभिनियोजन किया जाएगा।

30 सितम्बर, 2000 को समाप्त अवधि के लिए भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण की बैंक-वार स्थिति

क्रम सं.	बैंक	शाखाओं की कुल संख्या	पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या	आंशिक रूप से कंप्यूटरीकृत शाखाओं का संख्या	कम्प्यूटरीकृत नहीं की गई शाखाएं
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय स्टेट बैंक	9007	2237	2758	4012
2.	स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जय.	798	126	24	646
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	876	94	157	625
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	404	58	45	301
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	597	33	72	492
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	714	144	28	542
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	406	60	58	288
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	671	135	120	416
9.	इलाहाबाद बैंक	2015	53	342	1620
10.	आन्ध्रा बैंक	1018	154	182	682
11.	बैंक आफ बड़ौदा	2619	255	808	1556
12.	बैंक आफ इण्डिया	2515	515	91	1909
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1203	126	185	892
14.	केनरा बैंक	2398	336	584	1498
15.	सेंट्रल बैंक	3105	526	103	2476
16.	कारपोरेशन बैंक	649	288	0	361
17.	देना बैंक	1171	248	276	649
18.	इंडियन बैंक	1477	249	37	1191
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1423	287	396	740
20.	ओरि. बैंक आफ कामर्स	918	158	271	489
21.	पंजाब नेशनल बैंक	3872	214	283	3375
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	873	37	347	489
23.	सिंडिकेट बैंक	1717	176	675	866
24.	यूको बैंक	1774*	33*	509*	1232*
25.	यूनियन बैंक	2139	108	676	1355
26.	यूनाइटेड बैंक	1325	95	271	959
27.	विजया बैंक	838	239	26	573
	कुल	46520	6982	9304	30234

*31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार आंकड़ा दर्शाता है।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने विवरण में रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर तथा बैंक कर्मचारियों के साथ जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार 70 प्रतिशत बैंकों में कम्प्यूटर्स लगाये जाने की बात कही गई है लेकिन अभी तक लगभग 30 हजार से ऊपर ऐसे बैंक या बैंक की शाखायें हैं जिनमें कम्प्यूटराइजेशन का कार्य नहीं हुआ है। हालांकि मंत्री महोदय के उत्तर में कहा गया है कि कुछ शाखायें ऐसी हैं जहां कम्प्यूटर लगाया जाना व्यवहार्य नहीं है। फिर ये आंकड़े तो 31 मार्च तक के हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने बैंक्स हो सकते हैं जहां कम्प्यूटर्स लगाये जाने से काम में गति आ सकती है, समय के घंटे बचाये जा सकते है और बैंकों के अंदर जो प्रतिस्पर्द्धा है, उस दृष्टि से सक्षम हो सकते है; यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, रंगराजन समिति ने कम्प्यूटराइजेशन की दृष्टि से 70 प्रतिशत बिजनेस तय किया है लेकिन अभी 750 बैंकों के लिए यह तय किया गया है।

[अनुवाद]

अब बैंक अपने कारोबार की आवश्यकताओं के अनुसार कम्प्यूटर लगा रहे हैं। हमने 5000 से अधिक शाखाओं में कम्प्यूटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैंने आपको आंकड़े दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल 46,000 शाखाएं हैं जिनमें से 6,000 शाखाओं का पूर्णत: कम्प्यूटरीकरण हो गया है तथा 9,300 शाखाओं का आंशिक कम्प्यूटरीकरण हुआ है। तथापि, बैंकों के लिए कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। बैंकों की मांग के अनुसार वे कम्प्यूटरीकरण कर रहे हैं। आज यह स्थिति है। हमने बैंकों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि क्या शेष 30 हजार बैंक शाखाओं में अब तक कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी बैंकों में नई सुविधायें देने के लिए रंगराजन समिति ने और बैंक कर्मचारियों की यूनियन के साथ बैठकर जो चर्चा हुई थी, उसके अनुसार बैंक के काम को सात दिन करना, कारोबार के घंटे घटाना तथा पारी व्यवस्था करना था। जहां पर ट्रेजेरीज हैं, वहां यह सुविधा देने की बात की गई थी। यहां तक कि वहां इंटरनैट की सुविधा दिये जाने की बात भी कही गई थी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ट्रेजेरीज काम वाले या अन्य बैंकों में इंटरनैट की सुविधा, बैंकों के लिए सात दिन काम किये जाने का प्रावधान और पारी व्यवस्था के लिए किन-किन बैंकों या उनकी शाखाओं में व्यवस्था की गई है ताकि बैंक सर्विसेज को अधिक व्यवहारिक और सक्षम बनाया जा सके तथा बैंकों के अंदर जो कम्पीटीशन आया है, उसमें वे टिक सकें?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: जहां तक सप्ताह में सात दिन कार्य करने का संबंध है, हमारे पास इसका ब्यौरा नहीं है कि कौन से बैंक सप्ताह में सात दिन खुले रहते हैं। जहां तक बैंक शाखाओं में ए०टी०एम० सुविधा का संबंध है, 400 से अधिक शाखाओं में यह सुविधा है।

[हिन्दी]

रंगराजन कमेटी के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक्स फंड्स ट्रांसफर हैं, इलैक्ट्रोनिक्स क्लीयरेंस सर्विसेज हैं।

जैसे उन्होंने कहा कि इंडियन फाइनेन्शियल नेटवर्क भी उन्होंने किया है और कई जगह 474 वी. सैट लगाये हैं जिसके कारण पूरा बैंकिंग नैटवर्क हो जाए और उसी माध्यम से पांच हजार वी. सैट लगने के बाद पूरा बैंकिंग नेटवर्क इसके अंदर आ जायेगा और धीरे-धीरे यह काम चलता रहेगा।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: सर, मैंने जानना चाहा था कि इंटरनेट सुविधाएं कितने बैंकों में दी गई हैं, कहां-कहां प्रारम्भ की गई हैं, क्या आप उनकी संख्या बतायेंगे ?

श्री बालासहिब विखे पाटील: संख्या तो मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन ए.टी.एम. लग रहा है, विशेषकर जहां कम्प्यूटराइजेशन हो रहा है, वी. सैट लग रहा है, वहां पूरी जगह इंटरनैट सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विज की फैसिलिटिज भी काफी हो सकती हैं। व्यक्तिगत अकाउंट्स हम मानीटर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन मानीटर कर सकते हैं और उसमें मेरे ख्याल में फैसिलिटीज की लिस्ट भी है, 5-10 फैसिजिटीज हमने लिस्ट की हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास कोई नम्बर है, जो वह पूछ रहे हैं।

श्री बालासहिब विखे पाटील: इंटरनेट बैंकिंग में जितना कम्प्यूटराइजेशन किया है, उससे पूरी इंटरनैट बैंकिंग होती नहीं है, खाली कम्प्यूटराइजेशन हो रहा है। इंटरनेट बैंकिंग के पूरे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इसे बाद में भेज सकते हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: जी हां, मैं उन्हें सभापटल पर रख दूंगा।

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान: माननीय अध्यक्ष महोदय, बैंकों की दक्षता बढ़ाने के लिए तथा इन्हें और अधिक प्रभावी करने के लिए कंप्यूटराइजेशन किया गया था। हम जानना चाहते हैं कि क्या इसके अलावा कोई और तरीका है, जिससे बैंक अधिक एफीशिऐन्ट, कम्पिटीटिव और इफैक्टिव हो सकें, यदि कोई और तरीका है तो वह क्या है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के बारे में है।

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान: सर, ऐसा नहीं है बैंकों के मर्जर की बात हो रही है।

अध्यक्ष महोदय: मर्जर की बात नहीं है, कंप्यूटराइजेशन के बारे में यदि आपका कोई सप्लीमैंटरी क्वश्चन हो तो पूछें।

डा. संजय पासवान: सर, हम जानना चाहते हैं कि क्या इसके अलावा कोई अन्य उपाय है। आज कंप्यूटराइजेशन का फीयर साइकोसिस खड़ा हो गया है, लेबर अनइम्पलॉयड हो रहे हैं, क्या इसे दूसरे किसी ढंग से करने का कोई उपाय है। बैंकों के मर्जर की बात हो रही थी चार बैंक बनाने की बात हो रही थी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वैस्ट के लिए क्या कोई प्रस्ताव है, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: कंप्यूटराइजेशन के कारण किसी कर्मचारी को कम नहीं किया गया है, बल्कि पिछले तीन सालों में 18 हजार से ज्यादा कर्मचारी रिक्रूट हुए हैं। इसमें कंप्यूटराइजेशन के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। दुनिया के अंदर इनफोर्मेशन टैक्नोलोजी में कंप्यूटराइजेशन ही एक नया आधुनिक तरीका है।

डा. संजय पासवान: मर्जर के बारे में बतायें।

श्री बालासाहेब विखे पाटील: नहीं, मर्जर किसी के साथ नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने निजी तथा सरकारी क्षेत्र में कम्प्यूटरीकरण शुरू किए जाने के बारे में परिपत्र जारी किए हैं। परिपत्र के अनुसार तीन शर्तें रखी गई हैं। पहली, कोई भी छंटनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी, कर्मचारियों के परामर्श से ऐसा किया जाना चाहिए। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि निजी प्रबंधन अथवा सरकारी प्रबंधन को हुआ लाभ कर्मचारियों और कामगारों को भी मिलेगा।

कम्प्यूटरीकरण के कारण बैंकों में कर्मचारियों की संख्या कम हुई है। इसलिए सरकार को उस वेतन के रूप में फायदा हुआ जिसका उसे भुगतान नहीं करना होता है। मैं जानना चाहता हूं जो कर्मचारी कम्प्यूटरीकरण के लिए सहमत हुए हैं उन्हें क्या फायदा दिया गया है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे श्रम मंत्रालय के इस परिपत्र की जानकारी नहीं है लेकिन बैंक यूनियनों के साथ हुए समझौते के अनुसार कोई छंटनी नहीं होगी। निश्चित रूप से बैंकों के कारोबार की लागत कम हो रही है। इसलिए, स्वाभाविक रूप से बैंकों की लाभप्रदता बढ़ेगी। जब बैंक की लाभप्रदता बढ़ती है तो बैंक यूनियन और बैंक प्रबंधन इस बारे में आगे और बातचीत के लिए स्वतंत्र होते हैं।

श्री के॰ फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि भारतीय बैंक संघ ने बैंक कर्मचारियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसमें यह कहा गया है कि कम्प्यूटरीकरण के कारण कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी। लेकिन सच यह है कि बैंकों के कम्प्यूटरीकरण शुरू किए जाने के बाद से नई भर्ती नहीं की जा रही है। इससे देश में बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ रही है। इसे साथ ही सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विनिवेश की योजना बना रही है।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न यह है। यदि कर्मचारी कम्प्यूटरीकरण से प्रभावित नहीं होंगे तो वे विनिवेश और निजीकरण से किसी और तरह से प्रभावित होंगे। आम धारणा यह है कि कम्प्यूटरीकरण से कार्यकुशलता बढ़ेगी। इस तर्क पर मुख्यत: विनिवेश किया जा रहा है कि ऋणों की बकाया राशि बढ़ती जा रही है। गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियां 1,00,000 करोड़ रुपये तक हो गई हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अनेक मुद्दों को जोड़ रहे हैं।

श्री के॰ फ्रांसिस जार्ज: मैं अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप बैंकों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करेंगे और इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी तो सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंक का विनिवेश करने की क्या आवश्यकता है। मैं इस संबंध में सरकार से उत्तर चाहता हूं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में मूलत: 'विनिवेश' का मुद्दा शामिल नहीं है। जहां तक इनके प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, मैं उत्तर दे चुका हूं कि केवल भर्ती होगी और छंटनी नहीं होगी। वर्ष 1996-97 में 4689 व्यक्ति, 1997-98 में 7,078 व्यक्ति और 1998-99 में 5345 व्यक्तियों की भर्ती की गई। इसलिए, छंटनी का कोई प्रश्न ही नहीं है।

फिल्म निर्माताओं को ऋण

***183.+श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं ने फिल्म निर्माताओं को ऋण देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में जारी किए गए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 2 (ग)(xvii) के अंतर्गत दिनांक 16 अक्तूबर, 2000 को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें "फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग" को "औद्योगिक संस्था" के रूप में घोषित किया गया है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई)को इस संबंध में सु-मान्य एवं स्वीकार्य मानक तैयार करने की सलाह दी है जिससे वित्तीय संस्थाएं ऐसे उद्यमों को निधियां दे सकें।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सभी वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समिति का गठन किया है जो फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग को वित्त पोषित करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखेगी तथा इस संबंध में संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली ऋण नीतियों एवं दिशानिर्देशों के लिए सुझाव देगी।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: महोदय, फिल्म उद्योग सहित मनोरंजन उद्योग को 'औद्योगिक संस्था' घोषित करने के लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि हमने ऐसे उद्योग को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है तो ऐसा किस आधार पर किया जाएगा और क्या किसी चीज को बंधक रखकर ऐसा किया जाएगा? वसूली के लिए क्या मानदंड लागू होंगे? मेरा प्रश्न यह है।

श्री बालासहिब विखे पाटील: माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने मनोरंजन उद्योग को यह औद्योगिक दर्जा दिया है। इसके अनुसार भा॰ औ॰ वि॰ बैं॰ ने एक समिति नियुक्त की है। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसे टिप्पणियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को पत्र लिखा है कि वे अपने हिसाब से ऋण वितरित कर सकते हैं। मैं सदस्य के इस मत से सहमत हूं कि बैंक ऋण के लिए सदैव संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता होती हैं पहले, भारतीय बैंकों ने समान प्रयोजन के लिए 145 करोड़ रुपये वितरित किए, गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियां 135 करोड़ रुपये की थीं । ऐसी भी स्थिति थी। लेकिन उद्योग यह महसूस करता रहा है कि यदि इसे औद्योगिक दर्जा दिया जाता है तो वे बैंकों से ऋण ले सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर वे बैंकों द्वारा रखी गई शर्तों का अनुपालन करेंगे।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: महोदय, मैं बैंकिंग उद्योग से जुड़ा रहा हूं और मेरा यह अनुभव है कि जब कभी उचित बंधक और प्रतिभूति के बिना ऋण दिया जाता है तो ऋण वसूल करना कठिन हो जाता है क्योंकि कुछ निर्माता अपनी फिल्म पूरी नहीं करते हैं और यदि वे पूरी कर भी लेते हैं। तो उनकी फिल्म नहीं चलती है। इसलिए उनके लिए ऋण चुकाना असंभव हो जाता है। इसलिए, क्या सरकार ऐसे ऋण का दायित्व लेगी और क्या सरकार ऐसे ऋण के लिए कोई गारंटी देगी?

श्री बालासहिब विखे पाटील: सरकार किसी को कोई गारंटी नहीं देगी। संबंधित बैंक अपना निर्णय लेगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फिल्मों और मनोरंजन उद्योग के क्षेत्र में अब तक उनको कितना लोन दिया गया। खास तौर से महाराष्ट्र में जो मराठी फिल्म और मनोरंजन उद्योग है उसके लिए लोन नहीं मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि उसको कितना लोन दिया गया?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: वृत्तचित्रों और अन्य बातों के लिए ऋण देने की प्रत्येक राज्य की अपनी व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय फिल्म संस्थान ऋण दे रही थी। पिछले पांच वर्षों से उन्होंने कोई ऋण नहीं दिया है। आरंभ में 14 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे और बाद में कुछ भी आबंटित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: अध्यक्ष महोदय, मनोरंजन में फिल्में तो आती है लेकिन नाटक और तमाशों का समावेश क्या उसमें है और क्या उनको ऋण दिया गया है?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: मैं सदस्य की बात से सहमत हूं। मुझे मामले की जानकारी है। वह कल्चरल ऐनवॉयरमेंट की बात कर रहे हैं। 'तमाशा' ग्रामीण मंच पर किया जाने वाला मराठी नाटक है। बैंक अपने नियमों के अनुसार ऋण दे रहे हैं। कई बार वे कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए परम्परागत ऋण देते हैं। स्वाभाविक तौर पर वे प्रत्येक मामले में इन बातों पर स्वयं निर्णय कर सकते हैं।

विदेशी कम्पनियों द्वारा 'फेरा' का उल्लंघन

***185. श्री किरीट सोमैया:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी टेली-प्रसारण कम्पनियों द्वारा 'फेरा' अधिनियम के उल्लंघन के विरुद्ध द्रुतगति से कानूनी कार्रवाई शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 'जी', 'स्टार', 'सोनी' सहित कई विदेशी टेली-प्रसारण कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा में मिले भुगतान के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की समुचित अनुमति नहीं ली है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई लम्बित है,

(घ) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और उनके विरुद्ध कार्रवाई में विलम्ब होने के क्या कारण है;

(ङ) क्या इन कम्पनियों द्वारा भारत में अर्जित अंशदान को भी विदेशों को भेजा गया है;

(च) यदि हाँ, तो क्या इन नियंत्रक कम्पनियों में से एक कम्पनी ने हाल ही में अपने मुख्यालय और पंजीकृत कार्यालय को मारीशस स्थानांतरित किया है; और

(छ) यदि हाँ, तो इन कम्पनियों तथा उनकी नियंत्रक कम्पनियों ने वर्तमान में किस-किस देश में अपने-अपने मुख्यालयों और पंजीकृत कार्यालयों का पंजीयन कराया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) विदेशी टेली-प्रसारण कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के कथित उल्लंघनों की जांच और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी प्रेषणों के संबंध में दी गई अनुमतियों की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू कर दी गई है। इन मामलों की दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में भी न्यायिक संवीक्षा की जा रही है और न्यायालय जांच को शीघ्र निपटाने के लिए समय-समय पर निदेश जारी करता रहा है।

जांच में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। निदेशालय ने एजेन्टों और उनकी मूल विदेशी टेली-प्रसारण कम्पनियों के विरुद्ध सात कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसी मामले से संबंधित दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं लम्बित हैं। जांच की प्रगति रिपोर्टें माननीय उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत की जा रही हैं तथा निदेशालय द्वारा उनके निदेशों का पालन किया जा रहा है।

इन विदेशी टेली-प्रसारण कम्पनियों के एजेन्टों द्वारा एकत्र किए गए एंव विदेशों में भेजे गए अंशदान की मात्रा और स्वरूप की भी जांच चल रही है।

(च) और (छ) मै॰ एशिया टूडे लिमिटेड, हांगकांग, नामत: मै॰ जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, मुम्बई के प्राधिकृत एजेन्ट ने 19 फरवरी, 2000 को नियंत्रक कम्पनी के पते को बदलकर पोर्ट लुई, मारीशस गणराज्य करने की सूचना दी है।

श्री किरीट सोमैया: महोदय, उत्तर में ही यह उल्लेख किया गया है कि सात कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि नोटिस कब जारी किए गए थे, यह इसकी राशि कितनी थी, प्रत्येक कंपनी पर क्या आरोप लगाए गये थे, कौन से कानून का उल्लंघन हुआ है, और इसकी अवधि क्या थी।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): इस प्रश्न का उत्तर देने के संबंध में मेरे सामने दो समस्याएँ हैं। पहली समस्या यह कि यह संपूर्ण मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। और दूसरा प्रवर्तन निदेशालय जिसके द्वारा इस मामले की स्वतंत्र जांच की जा रही है। एक स्वतंत्र सत्ता है। सरकार इस मामले की जांच में और प्रवर्तन निदेशालय के कार्य में कोई भूमिका नहीं निभाती है। फिर भी, मुझे मिली जानकारी के अनुसार मैं प्रश्न के तथ्यात्मक भाग का उत्तर देने का प्रत्यन करूंगा।

पहला नोटिस विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 68 के साथ धारा पठित धारा 9 (1) (ड.), 9 (2) (च), 229 (1) (क) और 49(1) (अ) के उल्लंघन में था। विशेष निदेशक द्वारा 8-10-1999 को 1,64,22,916 रु. राशि के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिन्हें ये नोटिस जारी किए गये वे हैं–मै॰ एमबीऐंस स्वेस सेल्र्स प्रा. लि., मुंबई और उनके निम्नलिखित निदेशक जिनके नाम हैं–श्री जवाहर गोयल, श्री अशोक कुरियन, श्री पुनीत गोयनका, श्रीमती मीनाक्षी माधवानी; मै॰ एशिया टुडे लिमिटेड, हाँगकाँग, सी/ओ जी टेलीफिल्मस् लिमिटेड, मुंबई, और श्री सुभाष चन्द्रा, निदेशक मै॰ एशिया टुडे लि॰, हाँगकाँग, सी/ओ मैं॰ जी टेलीफिल्मस लि॰, मुंबई। मेरे पास छ: अन्य कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने संबंधी सूचना भी है। यदि आप चाहें तो मैं सभा के समक्ष इसे पढ़ सकता हूँ।

श्री किरीट सोमैया: मैं जानना चाहता हूँ कि इस राशि को कितनी अवधि के लिए जमा किया गया था।

श्री यशवंत सिन्हा: मेरे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 1-1-1992 मै॰ एम्बीऐंस एडवर्डटास्मेंट प्रा॰ लि॰ को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मै॰ जी टेलीफिल्मस् लि. के लिए विज्ञापन जमाकर्ता ऐजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली थी। इसके अंतर्गत इसकी कार्यविधि 1992 के बाद से थी।

श्री किरीट सोमैया: माननीय मंत्री के अनुसार यह जांच कब तक पूरी होगी? उत्तर में यह उल्लेख है, "इन विदेशी टेली-प्रसारण कम्पनियों के एजेन्टों द्वारा एकत्र किए गए एवं विदेशों में भेजे गये अंशदान की मात्रा और स्वरूप की भी जांच चल रही है।" मैं यह जानना चाहता हूँ कि विदेशी टेली प्रसारण कंपनियाँ भारत में कितना अंशदान एकत्र कर रही हैं; और इस अंशदान की कितनी मात्रा भारत के बाहर भेजी गई। यह कार्य अधिकतर 1995-96 से जारी है। वह कितनी मात्रा एकत्र कर रहे थे। कौन सी कंपनी ने कितनी अवधि के लिए कितनी राशि एकत्रित की है और कितनी राशि भारत के बाहर भेजी गयी है।

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया, सात कारण बताओ नोटिस जारी किए गये हैं। मैंने नोटिस के मामले में शमिल राशि को यहाँ पढ़ा है। दूसरे नोटिस के मामले में सम्मिलित राशि 11,06,30,762 रुपये है।

तीसरे मामले में, शामिल राशि 13,93,74,445 रुपये है। चौथे मामले में, जो शामिल राशि 4,11,27,833 रुपये है। पांचवें मामले में जो राशि सम्मिलित है वह है 88,46,845 और 47,27,684 रुपये। और छठे मामले में, जिसमें राज्य व्यापार संघ शमिल है, इसमें सम्मिलित राशि 97,356 अमरीकी डालर है। और आखरी कारण बताओ नोटिस, जो कि सातवां मामला है, इसमें शामिल राशि है 55 लाख रुपये। यही सारे मामले हैं।

महोदय, जहाँ तक जांच किए जाने का प्रश्न है, मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले की प्रगति पर अपनी नजर रख रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को 18 दिसम्बर, 2000 तक जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, फेमा को फेरा कानून की जगह लाया गया। इसे देखते हुए, इन मामलों इसी तरह के लंबित मामलों की स्थिति क्या है? क्या इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री सभा को कुछ बताएंगे?

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय मैंने इस मुद्दे को उसी समय स्पष्ट कर दिया था जब इस सभा में फेमा कानून पर विचार किया जा रहा था। सभा को याद होगा कि हमने फेमा के 'संसेह' खंड, जिसके अनुसार जिन मामलों की जांच पुराने फेरा कानून के अंतर्गत चल रही थी, उसकी जांच 31 मई, 2002 तक पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि फेमा कानून 1 जून, 2000 से लागू हुआ और इस अवधि में फेरा कानून के किसी भी उल्लंघन पर, विचार किया जा सकता है। 'सनसेह' खंड का संपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उक्त अवधि में फेरा निरस्त न हो जाए।

श्री पी.एस. गढ़वी : महोदय, प्रश्न संख्या 185 (च) और (छ) के उत्तर में, माननीय मंत्री ने कहा है कि "मै॰ एशिया टुडे लिमिटेड, हांगकांग, मामत: मै॰ जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, मुम्बई के प्राधिकृत एजेन्ट ने 19 फरवरी, 2000 को धारक कम्पनी के पते को बदलकर पोर्ट लुई, मारीशस गणराज्य करने की सूचना दी है।"

महोदय, क्या सरकार इस मामले की जांच-पड़ताल करेगी कि यह पता क्यों बदला गया? इसके पीछे कर-अपवंचन की मंशा तो नहीं है? क्या माननीय वित्त मंत्री इसका उत्तर देंगे?

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, इस कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस वर्ष फरवरी में यह जानकारी दी थी कि उनकी कंपनी का पता बदल कर मारीशस का हो गया है। मुझे यह बताया गया कि इससे कर-प्राप्ति पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा।

औद्योगिक विकास

***186. डा. जसवन्त सिंह यादव:**
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान औद्योगिक विकास पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.3 प्रतिशत से घटकर 4.8 प्रतिशत ही रह गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए औद्योगिक विकास का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और क्षत्रवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ङ) आज तक प्रत्येक वर्ष कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है और यदि कोई अल्पकार्यनिष्पादन है तो उसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं; और

(च) सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) (आधार: 1993-94) के त्वरित अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष के प्रथम छ: महीनों की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की समग्र रूप में विकास दर, पिछले वर्ष की इसी अवधि की 6.4% की तुलना में 5.5% रही है। औद्योगिक विकास दर का क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक-विकास दर (प्रतिशत)

क्षेत्र	भारिता (%)	1999-2000 (अप्रैल-सितंबर)	2000-2001 (अप्रैल-सितंबर)
खनन तथा उत्खनन	10.47	0.5	6.6
विनिर्माण	79.36	6.8	5.6
विद्युत	10.17	7.7	3.4
समग्र	100.00	6.4	5.5

चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक उतपादन में मंदी का कारण "विनिर्माण" तथा "विद्युत" क्षेत्रों के खराब कार्य-निष्पादन को माना जा सकता है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के लिए तय किए गये क्षेत्र-वार लक्ष्यों (वार्षिक औसत) का तथा तत्संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

औद्योगिक विकास–नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि*
खनन तथा उत्खनन	7.2%	1.6%
विनिर्माण	8.2%	6.6%
विद्युत	9.3%	6.4%
समग्र	**8.2%**	**6.2%**

*नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों (19997-2000) का औसत

(ङ) नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की औसत समग्र विकास दर 8.2% के लक्ष्य की तुलना में 6.2% रही है। योजना आयोग के नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के मुख्य बिंदुओं के अनुसार औद्योगिक विकास दर में मंदी के कारणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- 1997-98 में कम कृषि उत्पादन के कारण ग्रामीण मांग में गिरावट आने के साथ-साथ समग्र मांग में कमी,
- सामान्य निवेश वातावरण में मंदी,
- दक्षिण-पूर्वी एशियाई मुद्राओं के तीव्र अवमूल्यन के कारण, निर्यात क्षेत्र में भारत को पहले प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का ह्रास,
- अवसंरचनात्मक अड़चनों का जारी रहना, और
- भारतीय उद्योग को आयातों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु तैयार करना पड़ेगा। जिन्होंने कि अर्थव्यवस्था को खोले जाने के फलस्वरूप पहले ही कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करना आरंभ कर दिया है।

(च) सरकार द्वारा औद्योगिक विकास दर को तीव्र करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति, निर्यात आयात नीति, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्रों सहित उद्योग में निरंतर सुधार करने के साथ-साथ अनेक नीतिगत पहलें की जाती रही हैं ताकि उद्योगों की अपनी दक्षता, उत्पादकता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किए जाने के संबंध में सहायता प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

डॉ. जसवन्त सिंह यादव : मान्यवर, देश के अंदर जो उत्पादन होता है, उसमें लगभग 40 प्रतिशत उत्पादन उद्योगों से होता है। आज उद्योगों से उत्पादन कम होता जा रहा है जिससे देश की विकास दर घटती जा रही

है। सरकार ने जवाब दिया है कि मैनुफेक्चरिंग पुअरनैस और इलैक्ट्रीसिटी के कारण ऐसा है जबकि यह गलत है। हकीकत में हमारे देश में जो उद्योग बंद हो रहे हैं, वह भूमंडलीकरण या उदारीकरण और गलत नीतियों के कारण हो रहे हैं। आज चाहे सीमेंट उद्योग हो, खाद्य पदार्थों में तेल का उद्योग हो, बिजली या सीमेंट बनाने का उद्योग हो, ज्यादातर वे देश के अंदर बंद होते जा रहे हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तथा किसानों को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि जितने भी डेयरी उद्योग हैं, वे भी बंद हो रहे हैं। सरकार ने खुद भी अपने जवाब में माना है कि उत्पादन की दर घटती जा रही है। जब उत्पादन की दर घट रही है तो विकास की दर भी घट रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सब उद्योगों को बचाने के लिए कोई इमीजिएट उपाय कर रही है?

डॉ. रमण: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विकास दर के संबंध में जो चिन्ता व्यक्त की है, उसमे मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के बीच में जो प्रश्न किया था उसमें 6.5 और 1.1 का डाउन फॉल दिखाया गया है। इसी तरह प्रश्न के दूसरे पार्ट में इन्होंने तीन वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में क्या टारगेट फिक्स किये गये थे और उन टारग्रेट केअगेस्ट एचीवमैंट क्या हुआ, यह पूछा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि माननिंग, मैनुफेक्चरिंग और इलेक्ट्रीसिटी आदि जो तीनों सैक्टरों में है, उनमें पिछले तीन साल का जो एवरेज है, वह 8.2 के अगेंस्ट 6.2 रहा है मगर जो कारण सामने आये हैं, वे ये है कि लगातार अकाल की स्थिति और अकाल के बाद ग्रामीण क्षेत्र में प्रोडेक्शन कम हुआ, खाद्यान्नों का उत्पादन कम हुआ और एक क्राइसेस पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि से हुआ जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के ऊपर एक बोझ अतिरिक्त पड़ा। उस बोझ की वजह से और अन्य सारे कारणों की वजह से कुछ डाउन फॉल दिख रहा है लेकिन यह कन्टीन्यूअस नहीं है। अभी जो स्थिति है और माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है कि इम्पोर्ट बढ़ रहा है तो मैं माननीय सदस्य की इस चिन्ता को दूर करना चाहता हूं। आप पिछले तीन साल का रेशियों देखें तो इम्पोर्ट में कमी आई है और खासकर छः महीने में जो एक्सपोर्ट हुआ है, वह काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हम क्या करने जा रहे हैं जिससे उद्योगों के संबंध में सुधार की स्थिति बनेगी, उद्योगों के इम्प्रूवमैंट के लिए क्या किया जा सकता है, नयी जो उद्योग नीति बनी है जिसमें डी लाइसेंस हमने सब सैक्टरों में जैसे कोयले से लेकर लिग्नाइट और पेट्रोलियम में और यदि क्रूड को छोड़ दिया जाये तो बाकी उस पर हमने डी लाइसेंस किया है। शुगर के सैक्टर में डी लाइसेंस किया है। साथ की साथ एक नैशनल टास्क फोर्स फॉर इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 1998 के एक्शन प्लान के लिए जो रिपोर्ट दी थी, उसको भी गवर्नमैंट ने स्वीकार किया है। आगे जो नीतिगत विषयों में जो सुधार आया है, यह मूल विषय जबकि इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमैंट के लिए सरकार ने चिन्ता व्यक्त की है। नार्थ ईस्ट, साउथ वैस्ट, कॉरीडोर और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये का जो फंड है, यह सब नीतिगत विषय लिये गये है। एफ.डी.आई. के लिए हमने पालिसी में काफी छूट रखी है डायरेक्ट रूट में हमने बहुत सारे सैक्टर्स को खोला है। एफ. डी. आई. के थ्रू बहुत सारे कम विषय हैं जो कि बचे हैं। सरकार लगातार नीतियों में परिवर्तन कर रही है और उस नीति में परिवर्तन का लम्बे समय में लाभ मिलने वाला है। इन्होंने इस वर्ष के छः महीने का रेशियो पूछा है तो उसका मूल कारण पेट्रोलियम की कीमतों में तेजी के साथ वृद्धि, ग्रामीण उपभोक्ता और शहरी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति मे कमी आना और क्रय शक्ति की वजह ग्रामीण सीमेंट और लोहे में कुछ असर पड़ा था मगर उसमें तेजी के साथ परिवर्तन आ रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए लगभग देश में 71 विकास केन्द्र स्थापित किये हैं और राजस्थान के भी कई जिलों के अंदर विकास केन्द्र स्थापित कर रखे हैं। मेरा कहना है कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा उद्योग केन्द्र अलवर जिला है जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। अलवर जिले के अंदर सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं जिनकी हालत बड़ी बुरी है। क्या वहां पर सरकार की उद्योग केन्द्र स्थापित करने की मंशा है? यदि नहीं है तो वहां कब तक केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं?

डॉ. रमण: माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय ग्रोथ सैंटर को लेकर है। जो 71 ग्रोथ सैंटर हमने आइडेंटिफाई किये हैं। इसमें राज्य सरकार ने जो रिकमेंडेशन भेजी है, उसके आधार पर ग्रोथ सैंटर तय किये जा चुके हैं। 71 ग्रोथ सैंटर के काम में कमी है। जो ग्रोथ सैंटर आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनकी फंडिंग हो चुकी है, उन पर काम होगा। नये ग्रोथ सैंटर अब आइडेंटिफाई करके उनमें ऐड करने की अभी आवश्यकता नहीं है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव: राजस्थान जिला सबसे बड़ा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा औद्योगिक केन्द्र हैं वह सबसे बड़ा उद्योग का क्षेत्र है। अगर राजस्थान सरकार पारशियलिटी करे तो हम क्या कर सकते है?

डॉ. रमण: माननीय सदस्य की चिन्ता सही है। यदि राजस्थान सरकार इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, नये ग्रोथ सैंटर के लिए तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैंट के लिए कोई योजना भेजती है तो हम उसका स्वागत करेंगे।

[अनुवाद]

मध्याहन् 12.00 बजे

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, यह मामला अत्यंत गंभीर है। औद्योगिक उत्पादन के समक्ष विकास में अत्यधिक कमी आई है। नौवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में इसके कुछ निश्चित कारण दिए गये हैं। यह बात पूर्णत: स्पष्ट है कि मंत्रालय की लापरवाही के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गलत नीतियों के कारण, औद्योगिक विकास में गिरावट आई है।

माननीय मंत्री, ने अपने उत्तर में कहा कि सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण नीतियां बनाने की पहल की है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन के विकास को बढ़ाने के लिए क्या नीतियाँ अपना रही है।

अध्यक्ष महोदय: अब 12.00 बजे गये हैं। माननीय मंत्री, जी आप संबंधित माननीय सदस्य को लिखित उत्तर भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. रमण: मैं आपको जानकारी भिजवा दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

वित्त बाजार में सट्टा

*184. **योगी आदित्यनाथ:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वित्त बाजार में सट्टेबाजी की गतिविधियों में वृद्धि को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि मुद्रा बाजार में इस समय कोई भी अनुचित सट्टेबाजी की गतिविधियों नहीं देखी गई हैं, अत: कोई कदम उठाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्रसार भारती बोर्ड

*187. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रसार भारती बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रसार भारती बोर्ड का गठन किस तारीख को किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य सदस्यों के चयन हेतु नियम बनाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो भर्ती के नियम बनाए जाने में विलंब होने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक बना लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1980 की धारा 3(5) के अनुसार प्रसार भारती बोर्ड का गठन निम्नानुसार है:

(क) एक अध्यक्ष

(ख) कार्यकारी सदस्य

(ग) एक सदस्य (वित्त)

(घ) एक सदस्य (कार्मिक)

(ङ) छह अंशकालिक सदस्य

(च) महानिदेशक (आकाशवाणी), पदेन सदस्य

(छ) महानिदेशक (दूरदर्शन), पदेन सदस्य

(ज) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नामित मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और

(झ) निगम के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि जिनमें से एक इंजीनियरिंग स्टॉफ में से उनके द्वारा और एक को अन्य कर्मचारियों में से उनके द्वारा चुना जाएगा।

(ख) प्रसार भारती बोर्ड का गठन 23 नवम्बर, 1997 को किया गया था।

(ग)से (ङ) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों तथा अंशकालिक सदस्यों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम पहले ही 10.11.2000 को भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचित कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

'प्लांटेशन कंपनियां'

*188. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में कार्य कर रही "प्लांटेशन कंपनियों" में जमा की गई पब्लिक इक्विटी संबंधी आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों सहित जो पिछले तीन वर्षों में भूमिगत हो गई है ऐसी प्लांटेशन कंपनियों द्वारा कितनी राशि एकत्र की गई;

(ग) क्या ये कंपनियां बिना किसी लाइसेंस के जनता से धन एकत्र कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन कंपनियों के पास जनता के पैसे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सामूहिक निवेश स्कीमों को विनियमित करता है जिसके माध्यम से कृषि-बांड, पौधारोपण बांड आदि जैसे विलेख जारी किए जाते हैं। सेबी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 645 सामूहिक निवेश कंपनियां हैं जिन्होंने बाजार से लगभग 2681 करोड़ रुपए जुटाये हैं।

(ग) और (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सामूहिक निवेश स्कीम) विनियम 15 अक्तूबर, 1999 को अधिसूचित किए गए थे। इन विनियमों को अधिसूचित करने से सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी के अलावा जिसने विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, कोई अन्य कंपनी सामूहिक निवेश स्कीम नहीं चला सकती या प्रायोजित नहीं कर सकती या आरम्भ नहीं कर सकती। यहां तक कि कोई भी विद्यमान सामूहिक निवेश स्कीम तब तक कोई नई स्कीम नहीं चला सकती या विद्यमान स्कीमों के अंतर्गत निवेशकों से भी धन नहीं जुटा सकती जब तक उक्त विनियमों के अन्तर्गत उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता। अभी तक 49 कंपनियों ने, जिनके द्वारा लगभग 492 करोड़ रुपए जुटाने की सूचना दी गई है, पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। फिर भी सेबी (सामूहिक निवेश स्कीम) विनियम, 1999 की अधिसूचना से सामूहिक निवेश स्कीमों के क्रिया-कलापों का विनियमन, जनता से धन जुटाने सहित इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा किया जाता है। वह विद्यमान सामूहिक निवेश स्कीमों जो पंजीकरण नहीं करा सकीं। पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करना चाहती थीं के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी विद्यमान स्कीमों को बंद करे और 28 मई, 2000 तक अपने निवेशकों को धन की अदायगी कर दें। ऐसी कंपनियों के मामले में जिन्होंने सेबी के कारण बताओ नोटिसों का जवाब नहीं दिया और/या अपनी स्कीमों को बंद नहीं किया और निवेशकों को धन की अदायगी नहीं की, सेबी का इरादा इन कंपनियों और उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध अभियोजन कार्रवाई शुरू करने और उनके विरुद्ध सिविल/आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए राज्य सरकारों/स्थानीय पुलिस को लिखने का है।

[अनुवाद]

शेयर बाजारों में 'इनसाइडर ट्रेडिंग'

***189. श्री शिवाजी माने : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के प्रमुख शेयर बाजार 'सेबी' के निर्देशानुसार 'इनसाइडर ट्रेडिंग' रोकने के लिए एक आधुनिक प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु लन्दन स्टाक एक्सचेंज से बातचीत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौता-ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि इन दो बड़े शेयर बाजारों अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) और मुम्बई शेयर बाजार (बीएसई) में से किसी की भी "इनसाइडर ट्रेडिंग" को रोकने की किसी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए लन्दन स्टाक एक्सचेंज से बात नहीं चल रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सेबी ने सूचित किया है कि शेयर बाजारों के सुरक्षित एवं व्यवस्थित विकास के लिए दो शेयर बाजारों के बीच सूचना, ज्ञान एवं अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए एलएसई के साथ एनएसई और बीएसई ने एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग ज्ञापन में (i) भावी व्यापारिक विकास के लिए लाभदायक एवं महत्वपूर्ण ज्ञान एवं अनुभव (ii) क्रास लिस्ट प्रतिभूतियों और (iii) उनके विनियामक क्षेत्राधिकार के अधीन बाजारों के बारे में सूचना के आदान-प्रदान का प्रावधान है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को चीनी का निर्यात

***190. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्तूबर, 2000 के हिंदी दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' में 'भारत से आयातित चीनी को निम्नस्तरीय बताया पाक व्यापारियों ने' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत से निर्यात की गई चीनी वास्तव में घटिया किस्म की थी;

(घ) यदि हां, तो निर्यातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिससे विदेशों में देश की साख को धक्का न पहुंचे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) जी, हाँ।

(ख) उल्लिखित समाचार के अनुसार, पाकिस्तान के व्यापारी भारत से आयातित चीनी का उठान करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यह 'निम्न स्तरीय' है। समाचार में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक दलों, किसान यूनियनों तथा बड़े किसानों ने भी भारत से चीनी का आयात करने का विरोध किया है।

(ग) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। भारत से पाकिस्तान को चीनी का निर्यात जारी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (23.11.2000 तक) के दौरान पाकिस्तान को लगभग 1.00 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड ऋण

*191. **श्री शंकर सिंह वाघेला:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2000 तक वर्ष-वार नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को कृषि क्षेत्र हेतु कितनी मात्रा में ऋण प्रदान किया गया;

(ख) उपर्युक्त राशि में से किसानों को कुल कितना ऋण दिया गया;

(ग) क्या नाबार्ड द्वारा कृषि क्षेत्र हेतु बहुत की कम ऋण राशि दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र को पर्याप्त वित्त प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) (1) मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को प्रदान किए गए अल्पावधिक पुनर्वित्त का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	मंजूर की गई अल्पावधिक (मौसमी कृषि परिचालन) ऋण सीमाएं	अधिकतम बकाया उधार राशियां	उपयोग का प्रतिशत
1997-98	5218.93	4446.76	85.3
1998-99	5998.99	4498.81	75.8
1999-2000	5894.51	4951.45	81.2

(2) 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान निवेश ऋण के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को प्रदान किए गए पुनर्वित्त की राशि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्रमशः 333.54 करोड़ रुपए, 340.84 करोड़ रु० और 468.10 करोड़ रूपए है।

(ख) बैंकों को नाबार्ड की सहायता पुनर्वित्त के रूप में होती है, जिसके द्वारा बैंक ऋण संवितरित करते है और तत्पश्चात् पुनर्वित्त का दावबा करते है। सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को उधार देने के लिए नाबार्ड द्वारा दिए गए पुनर्वित्त मे अपने संशाधनों को भी शमिल करते है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के लिए कृषि क्षेत्र को आधार स्तरीय ऋण के प्रवाह मे नाबार्ड के पुनर्वित्त का हिस्सा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कृषि क्षेत्र को कुल ऋण का प्रवाह	नाबार्ड का पुनर्वित्त	नाबार्ड में पुनर्वित्त का हिस्सा
1997-98	31956	9922	31%
1998-99	36897	10747	29%
1999-2000 अनन्तिम	41764 अनुमानित	1184त2	28%

(घ) हमारे देश में कृषि ऋण सवितरण के लिए वाणिजियक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से एक बहु-एजेंसी दृष्टिकोण प्रचलन में है। कृषि क्षेत्र को ऋण का आधार स्तरीय प्रवाह बढ़क 1997-98 में 31,956 करोड़ रू० से 1999-2000 में 41,764 करोड़ रू० हो गया है। चालू वर्ष के दौरान इसके 51,460 करोड़ रू० तक पंहुच जाने की आशा है। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने कृषकों को ऋण के प्रवाह की और सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है:

(1) अच्छे पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्ड वाले कृषकों को संमिश्र ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद ऋण सुविधा आरंभ करना।

(2) कृषि उधारकर्ताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करना।

(3) बैंकों का उच्च तकनीक वाली कृषि परियोजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था के लिए विशेषतया प्राप्त कृषि शाखाएं खोलने का परामर्श दिया गया है।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण आवेदनों के सरलीकरण, शाखा प्रबंधकों को शक्तियों के प्रत्योजन, कृषकों को संमिश्र नकद ऋण सीमाओं की शुरूआत, नए ऋण उत्पादों की शुरूआत, ऋणो के नकद संवितरठण, 10,000/- रू० से अधिक के ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति की अपेक्षाओं से संबंधित मामलों में बैंकों की विवेकाधिकार ओर अनवार्य अपेक्षा के रूप में अदेदता प्रमाण-पत्र" को समाप्त करने की व्यवस्था शुरू की है।

(5) कृषि को दिए जाने वाले उधार के लक्ष्य में किसी भी कमी के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आदआईडीएफ) में अंशदान करना होता है, जिसकी स्थापना ग्रामीण आधारभुत सुविधाओं से संबंधित चालू परियोजनाओ को शीघ्र पूरा करने में राज्य सरकारें और राज्य के स्वामित्व वाले नियमों की सहायता करने के लिए नाबार्ड मे की गई है।

[हिन्दी]

बीमा क्षेत्र में गैर-सरकारी कंपनियां

*192. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को बीमा व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कौन से क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियो द्वारा अपनी सेवाएं प्रारम्भ करने की संभावना है; और

(ग) कंपनियों के दिवालिया हो जाने की स्थिति में बीमाकर्ता व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। आईआरडीए ने सूचित किया है कि उन्होंने 5 बीमा कंपनियों जिनमें से 3 जीवन बीमा कारोबार से और 2 साधारण बीमा कारोबार से संबंधित है, को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, साधारण बीमा कारोबार के लिए एक कंपनी को अनन्तिम पंजीकरण प्रदान किया गया है।

(ग) आईआरडीए को आईआरडीए अधिनियम, 1999 द्वारा बीमा पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए अधिदेश दिया गया है। उन्होंने सभी बीमाकर्ताओं द्वारा पूरी की जाने वाली ऋण शोधन-क्षमता संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित विनियम बनाए हैं ताकि उनकी ऋण शोधन सतत् रूप से सुनिश्चित की जा सके।

[अनुवाद]

कॉफी का वार्षिक उत्पादन/निर्यात

*193. श्री अनन्त नायक:
श्री कोलूर बसवनागौड:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कॉफी का कुल कितना वार्षिक उत्पादन होता है;

(ख) इसमें से प्रतिवर्ष कॉफी की कितने प्रतिशत मात्रा का निर्यात होता है;

(ग) क्या सरकार को घटिया किस्म की कॉफी की आपूर्ति के संबंध में विदेशों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त स्थिति के सुधार हेतु और उत्तम गुणवत्ता वाली कॉफी के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) भारत में वर्ष 1999-2000 के दौरान उत्पादित कॉफी 2.92 लाख टन थी। देश में उत्पादित औसतन 80% से भी अधिक की कॉफी का निर्यात किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी हाँ। भारत सरकार को हाल ही में जेनेवा, इटली, स्विट्जरलैण्ड और जर्मनी के विदेशी क्रेताओं से चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें कुछेक भारतीय निर्यातकों से घटिया कॉफी की खेप किए जाने की शिकायत की गई है।

(ङ) उत्तम गुणवत्ता वाली भारतीय कॉफी का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए कॉफी बोर्ड ने कॉफी की देखभाल, निर्यात खेपों का अचानक निरीक्षण और गुणवत्ता वाली कॉफी इत्यादि के लिए लोगों के उपयोग को सुकर बनाने के लिए निर्यात पंजीकरण एवं निर्यात परमिट जारी करने की शर्तों में संशोधन किया है। कॉफी निर्यातक संघ और निर्यातकों को भी सलाह दी गई है कि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कॉफी की छवि बनाए रखें। इसके अतिरिक्त, बंगलौर स्थित दो फर्मों के पंजीकरण खेप की चूक और घटिया कॉफी के निर्यात में उनकी सॉलिप्तता के लिए रद्द किए गए हैं।

इसके अलावा, एस टी सी, जो कुछेक मामलों में मध्यस्थ था, को सलाह दी गई है कि वह संविदा की शर्तों के अनुसार विदेशी क्रेताओं के साथ गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान करें और निर्यात के अनुबंधित कॉफी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में अधिक सजग रहें।

आयात का उदारीकरण

*194. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय उद्योग पर आयात के उदारीकरण के संभावित प्रभाव का अध्ययन कराने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल के निदेश-पद क्या हैं;

(ग) क्या उक्त दल ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के सम्भावित प्रभाव का मूल्यांकन करने और उचित सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 28.7.2000 को एक अंत:मंत्रालयी समूह का गठन किया है।

इस समूह की 17.8.2000 और 8.9.2000 को पहले ही दो बैठकें हो चुकी है जिनमें कुछ अंतरिम सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों के आधार पर आयातों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित उपायों को दिनांक 24.11.2000 की अधिसूचना सं. 44 (आर.ई.2000)/97-2002 द्वारा पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है:

1. सभी पैकेज वाली वस्तुओं के आयात भार और मापतोल (पैकेज वाली वस्तु) मानक आदेश, 1977 की सभी शर्तों का अनुपालन करने के अधीन होगा, जैसा कि घरेलू उत्पादकों पर लागू होता है।

2. 131 उत्पादों का आयात अधिदेशात्मक भारतीय गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करने की सभी शर्तों के अधीन होगा जैसाकि घरेलू वस्तुओं पर लागू होता है। इस आवश्यकता के अनुपालन हेतु भारत में इन उत्पादों के सभी विनिर्माताओं/निर्यातकों को भारती मानक ब्यूरो (बीआईएस) में स्वयं को पंजीकृत कराने की आवश्यकता है। 131 उत्पादों की सूची में ये शामिल हैं: विभिन्न खाद्य परिरक्षक तथा योजना, दुग्ध पाउडर, शिशुओं का दुग्ध आहार, कुछेक प्रकार के सीमेंट, घरेलू तथा समान विद्युतीय उपकरण, गैस के सिलेंडर और बहुप्रयोजनीय ड्राई बैटरीज।

नई ऑटो नीति

*195. **श्री भीम दाहाल:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई ऑटो नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकारी एजेंसियां गत वर्षों में पुरानी विदेशी कारों का आयात करती रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी कारों के आयात को रोकने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मौजूदा आयात-निर्यात निति (एक्सिम पॉलिसी) के अंतर्गत पुरानी कारों का आयात करना अनुमेय नहीं है।

नई खाद्यान्न नीति

*196. **श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति:**
श्री रामदास आठवले:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई खाद्यान्न नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए खाद्यान्नों की आवाजाही पर किसी कर के लगाये जाने से छूट देने का भी समर्थन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार नई नीति की घोषणा करने से पूर्व राज्य सरकारों को विश्वास में लेने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) नई खाद्यान्न नीति जरूरतमन्द लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करने में किस हद तक बड़ी भूमिका अदा करेगी और देश में खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक प्रबंध करेगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (छ) दीर्घकालिक अनाज नीति तैयार करने के लिए हाल ही में प्रो॰ अभिजीत सेन, अध्यक्ष, कृषि लागत और मूल्य आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के विचारार्थ विषय की मदों मे न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य समर्थन प्रचालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण, बफर स्टॉक संबंधी नीति, खुले बाजार में हस्तक्षेप और निर्यात/आयात, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन और भारतीय खाद्य निगम से संबंधित मामले हैं जिसमें खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में कमी करने की संभावनाओं को भी शामिल किया गया है। इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा।

जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम हेतु निवेश के मानदंड

*197. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:**
श्री आर॰एस॰ पाटिल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ने जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के लिए निवेश के उदारीकृत मानकों को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उदारीकरण के पश्चात् इन कम्पनियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में कुल कितनी राशि निवेश की गई;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम ने वर्ष 2000-2001 के लिए निवेश की अपनी-अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त वर्ष के दौरान इन कम्पनियों द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) बीमा विनिगमक विकास प्राधिकरण ने 14 अगस्त, 2000 को निवेश विनियमों को अधिसूचित किया है। इन विनियमों में जीवन कारोबार, साधारण कारोबार और पुनर्बीमा कारोबार में लगे सभी बीमाकर्त्ताओं द्वारा किए जाने वाले निवेश को शामिल किया गया है।

(ख) जीवन कारोबार और साधारण बीमा कारोबार से सम्बद्ध निवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों को जिन्हें बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 में अधिसूचित किया गया है, संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सितम्बर और अक्तूबर, 2000 में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गयी राशि 2226 करोड़ रुपए और साधारण बीमा कम्पनी तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों की निवेश राशि 214.97 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) जी, हां। अन्तिम निवेश बजट के अनुसार वर्ष 2000-2001 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सम्भावित निवेश राशि 34.425 करोड़ रुपए और साधारण बीमा कम्पनी तथा उसकी अनुषंगी कम्पनियों की 3060 करोड़ रुपए है।

विवरण

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 में यथा अधिसूचित जीवन बीमा तथा साधारण बीमा कारोबार से सम्बद्ध निवेश संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त

क्र॰ सं॰	निवेश का प्रकार	प्रतिशतता
	जीवन बीमा कारोबार	
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां	25 प्रतिशत
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां (उक्त (1) को शामिल करते हुए)	50 प्रतिशत से कम नहीं
(iii)	अनुसूची I में यथा-निर्दिष्ट निवेश	
(क)	आधारभूत तथा सामाजिक क्षेत्र स्पष्टीकरण: इस अपेक्षा के प्रयोजनार्थ, आधारभूत तथा सामाजिक क्षेत्र से अभिप्रति बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियमन, 2000 के विनियम 2(ज) में किए गए उल्लेख से होगा और जिसे क्रमश: बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की बाध्यताएं) विनियम, 2000 में परिभाषित किया गया है।	15 प्रतिशत से कम नहीं
(ख)	अन्य जिन्हें विनियम 54 में प्रकटीकरण/विवेक सम्मत मानदंडों द्वारा शासित किया जाएगा।	20 प्रतिशत से अधिक नहीं
(iv)	विनियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रकटन/विवेकसम्मत मानदंडों द्वारा शासित किए जाने वाले अनुमोदित निवेशों को छोड़कर	15 प्रतिशत से अधिक नहीं
	पेंशन तथा सामान्य वार्षिकी कारोबार	
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां, जो कम न हों	20 प्रतिशत
(ii)	उक्त (1) को शामिल करते हुए सरकारी प्रतिभूतियां अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, जो कम न हों	40 प्रतिशत
(iii)	अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट शेष जिसे अनुमोदित निवेशों में निवेशित किया जाएगा और जिसे विनियम 5 में निर्दिष्ट प्रकटन/विवेकसम्मत मानदंडों से शासित किया जाएगा	60 प्रतिशत से अधिक नहीं
	साधारण बीमा कारोबार	
(i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां, जो कम न हों	20 प्रतिशत
(ii)	उक्त (1) को शामिल करते हुए राज्य सरकार की प्रतिभूतियां अथवा अन्य गारंटीशुदा प्रतिभूतियां, जो कम न हों	30 प्रतिशत
(iii)	आवास निर्माण तथा अग्निशमन उपस्कर से संबंद्ध राज्य सरकार को दिए जाने वाले आवास निर्माण तथा ऋण, जो कम न हों।	5 प्रतिशत
(iv)	अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट अनुमोदित निवेशों में निवेश	
(क)	आधारभूत तथा सामाजिक क्षेत्र स्पष्टीकरण: इस अपेक्षा की पूर्ति के प्रयोजनार्थ आधारभूत तथा सामाजिक क्षेत्र से अभिप्रेत बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 2(ज) में किए गए उल्लेख से होगा और जिसे क्रमश: बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र के बीमाकर्त्ताओं की बाध्यताएं) विनियम, 2000 से परिभाषित किया गया है	10 प्रतिशत से कम नहीं
(ख)	अन्य जिन्हें विनियम 5 में निर्दिष्ट प्रकटन/विवेकसम्मत मानदंडों द्वारा शसित किया जाएगा।	30 प्रतिशत से अधिक नहीं
(v)	विनियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रकटन/विवेकसम्मत मानदंडो द्वारा शास्ति किए जाने वाले अनुमोदित निवेशों को छोड़कर	25 प्रतिशत से अधिक नहीं

मूल्य नियंत्रण आदेश में संशोधन

*198. डा. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मूल्य नियंत्रण तंत्र प्रारम्भ करने और विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों की मांग और आपूर्ति के बीच लाभप्रद अनुपात बनाए रखने हेतु मूल्य नियंत्रण आदेश में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, क्या सरकार का बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने हेतु मूल्य नियंत्रण तंत्र तथा मांग और आपूर्ति के बीच अनुपात का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कागज, सीमेंट, नमक, आदि जैसी उपभोक्ता उत्पादों के लिए कोई मूल्य नियंत्रण आदेश शासित नहीं किया जाता है। अत: मूल्य नियंत्रण आदेश को संशोधित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ख) और (ग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आवश्यक वस्तुओं के लिए किसी मूल्य नियंत्रण प्रणाली को आरंभ करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने की दृष्टि से मूल्य नियंत्रण प्रणाली तथा मांग व आपूर्ति के अनुपात पर अध्ययन करने हेतु किसी विशेषज्ञ समिति को नियुक्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। कुछ आवश्यक वस्तुओं के शासित मूल्यों को छोड़कर, अन्य वस्तुओं की कीमतें बाजार की शक्तियों की परस्पर क्रियाओं से निर्धारित होती हैं।

भारत-अमरीकी आर्थिक संबंध

*199. श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत-अमरीकी आर्थिक संबंधों का विस्तार करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ अमरीका के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार आर्थिक और वित्तीय मामलों पर दोनों देशों के बीच एक व्यापक आर्थिक और वाणिज्यिक संवाद के एक घटक के रूप में "भारत-संयुक्त राज्य अमरीका वित्तीय और आर्थिक मंच" नामक एक संयुक्त मंच स्थापित करने पर सहमत हो गई है। इस संबंध में भारत के वित्त मंत्री और यू॰ एस॰ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी के बीच 17 अप्रैल, 2000 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस मंच का उद्देश्य दोनों देशों के आर्थिक नीति-निर्माताओं के बीच नियमित संपर्क के जरिए भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच वित्तीय और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना है। मंच की अधिकारी स्तर की पहली उप-मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक 23 जून, 2000 को वाशिंगटन डी॰ सी॰ में आयोजित की गई थी और मंच की मंत्रालयीन स्तर की पहली मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक 14 सितम्बर, 2000 को वाशिंगटन डी॰सी॰ में आयोजित की गई थी।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों का प्रसारण

*200. श्री ए. नरेन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष "दूरदर्शन" द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं की भाषा-वार कितनी फिल्मों का प्रसारण किया गया;

(ख) क्या कुछ भाषाओं को कम महत्व दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को वर्ष 1999-2000 के दौरान फिल्म निर्माताओं से क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाने के प्रस्ताव मिले हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार का विचार सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को एक समान समय आवंटित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित क्षेत्रीय भाषा फिल्मों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

भाषा	वर्ष		
	1998	1999	2000
1	2	3	4
असमी	2	1	1
बंगला	1	5	5
गुजराती	1	4	1
कन्नड	1	5	4
कश्मीरी	–	–	–

1	2	3	4
कोंकणी	-	-	1
मलयालम	-	5	4
मणिपुरी	1	-	1
मराठी	2	5	3
नेपाली	-	-	-
उडिया	1	5	3
पंजाबी	1	3	-
संस्कृत	-	-	-
सिन्धी	-	-	-
तमिल	1	4	4
तेलुगु	-	4	4
जोड़	11	41	31

(ख) जी, नहीं। प्रसार भारती द्वारा किसी क्षेत्रीय भाषा को अधिक या कम महत्व नहीं दिया जाता है। दूरदर्शन पर प्रसारित किसी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की संख्या में भिन्नता, क्षेत्रीय भाषा विशेष में निर्मित फिल्मों की संख्या में अन्तर के कारण होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि विभिन्न क्षेत्रीय भाषा फिल्मों के लिए जो संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में वर्णानुक्रम में प्रसारण हेतु तय होती है, समय के आबंटन में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हालांकि इस संबंध में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में भाषायी फिल्मों के निर्माण संबंधी संख्या प्रत्येक भाषा के मामले में भिन्न-भिन्न होती है, इन सब को समान समय आबंटित करना सदैव संभाव्य या व्यवहार्य नहीं होता है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम कम्पनियों के लिए बोली

1996. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सामरिक महत्व वाले साझेदार की बिक्री करने के लिए अपने 33.59 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त करने की दृष्टि से आई०बी०पी० के लिए बोली लगाने हेतु तेल कम्पनियों अर्थात् इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन तेल कम्पनियों ने इस संबंध में रुचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन तेल कम्पनियों ने इसके क्या कारण बताये हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने अक्तूबर, 2000 में अनुकूल बिक्री के माध्यम से आई० बी० पी० लि० में विनिवेश करने का निर्णय सिद्धान्त रूप में ले लिया है और इसकी प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणों में है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा आयकर विवरणी भरना

1997. श्री रामजी मांझी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड सन् 1993-94 से नियमित रूप से आयकर विवरणियां भर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अपनी विवरणियों में कुछ ऐसे लाभों का दावा कर रहा है जिनका वह पात्र नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का विचार है और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा दावा किए गए उन लाभों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जिनके लिए वह पात्र नहीं है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से आगे अपनी आयकर विवरणियों में अनुमत्य कटौती के रूप में दूरसंचार विभाग को दी गई लाइसेंस फीस के लिए दावा किया है। पहले, दूरसंचार विभाग द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को दिए गए

लाइसेंस के लिए कर निर्धारण एक वर्ष 1993-94 तक 101 रुपये की नाममात्र की लाइसेंस फीस प्रभारित की जा रही थी। दूरसंचार विभाग ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत इस शर्त पर लाइसेंस मंजूर किया था कि उसे दिल्ली तथा मुम्बई के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत टेलीफोन सेवाओं को स्थापित अनुरक्षित एवं संचालित करना ही होगा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा लाइसेंस फीस के लिए कटौती की अनुमति हेतु किए गए कारणों को आयकर विभाग ने स्वीकार नहीं किया है। कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1999-2000 तक के लिए कर निर्धारण कार्यवाहियां नीचे दी जा रही हैं:

(1) कर निर्धारण वर्ष 1994-95: महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने 124.85 करोड़ रु० की लाइसेंस फीस का कटौती के रूप में दावा किया था। लाइसेंस फीस पर कर लगाने के लिए पुन: कर-निर्धारण कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर निर्णय देते समय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुनर्कर-निर्धारण कार्यवाहियों को बरकरार रखा है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने उच्चतम न्यायलय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

(2) कर निर्धारण वर्ष 1995-96: महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा 147.95 करोड़ रु० की लाइसेंस फीस का कटौती के रूप में दावा किया गया था। आयकर आयुक्त ने इस दावे को स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया है और कर निर्धारण अधिकारी को लाइसेंस फीस की अनुमति न देने का निदेश दिया है। कर निर्धारण कार्यवाहियां जारी हैं।

(3) कर निर्धारण वर्ष 1996-97 और 1997-98: महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने कटौती के रूप में क्रमश: 198.68 करोड़ रु० और 234.70 करोड़ रु० की लाइसेंस फीस का दावा किया था। कर निर्धारण अधिकारी ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। आयकर आयुक्त (अपील) ने कर निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए निर्णय को बरकरार रखा है और कर निर्धारण वर्ष 1997-98 की अपील लम्बित है। कर निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि. की अपील आयकर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।

(4) कर निर्धारण वर्ष 1998-99 और 1999-2000 महानगर टेलीफोन निगम लि. ने कटौती के रूप में क्रमश: 271.10 करोड़ रु० और 306.60 करोड़ रु० की लाइसेंस फीस का दावा किया था। कर निर्धारण कार्यवाहियां जारी हैं।

केरल के लिए औद्योगिक विकास पैकेज

1998. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य के औद्योगिक विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार ने केरल के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त किए हैं :

(i) 3 औद्योगिक लाइसेंसों संबंधी आवेदन-पत्र (1998-2000 अक्तूबर तक की अवधि के लिए)

(ii) औद्योगिक उद्यानों की स्थापना करने के लिए दो प्रस्ताव।

(iii) एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्र की स्थापना करने के लिए 6 प्रस्ताव।

(ख) विवरण निम्नानुसार है:

(i) औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदन-पत्र:

फर्म का नाम और अवस्थिति	*विनिर्माण की मद*
1. मैसर्स कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड (एर्नाकुलम)	रबड़ीकृत बिटूमन
2. मैसर्स रबड़बुड (इंडिया) प्रा. लिमिटेड (कोट्टयम)	समतल काष्ठ, काष्ठ के तख्ते इत्यादि
3. मैसर्स कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड (एर्नाकुलम)	खनिज तारपीन का तेल

(ii) औद्योगिक उद्यानों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव:

फर्म का नाम	*अवस्थिति*
1. मैसर्स किनफ्रा एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क्स लिमिटेड	एर्नाकुलम
2. मैसर्स वैस्टर्न इंडिया किनफ्रा लि.	पालकाड

(iii) एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास (आई आई डी) केन्द्र की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव:

केरल में निम्नलिखित छ: जिलों में एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्रों की स्थापना करनें के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

1. मालापुम	2. कासरगोड	3. वायानाड
4. एर्नाकुलम	5. त्रिचुर	6. पथनमथीट्टा

(ग) (i) तीन औद्योगिक लाइसेंस आवेदन-पत्रों में से मैसर्स कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड को आशय-पत्र प्रदान किया गया है।

(ii) उपयुर्क्त औद्योगिक उद्यानों संबंधी दोनों आवेदन-पत्रों को अनुमोदित कर दिया गया है।

(iii) मालापुरम, कासरगोड, वायानाड और एर्नाकुलम स्थित एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्रों को अनुमोदित कर दिया गया है।

प्रस्तावों को प्राप्त करना और उन पर विचार करना एक सतत् प्रक्रिया है।

चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन

1999. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हा, तो उक्त अधिनियम में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संसद में विधेयक कब तक लाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां। चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2000 चालू सत्र में राज्य सभा में पेश किया गया है। विधेयक में किए गए संशोधनों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) इनामी अभिदाता द्वारा छोड़ी जाने वाली बट्टे की अधिकतम सीमा को तीस प्रतिशत से बढ़ा कर चालीस करना;

(2) किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के अन्य संघ अथवा किसी कंपनी अथवा सहकारी समिति के अलावा किसी अध्यक्ष (फोरमैन) द्वारा प्रारम्भ की गई अथवा संचालित चिटों की कुल राशि को पच्चीस हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रु॰ करना और फर्म अथवा अन्य संघ द्वारा जहां फर्म के भागीदारों अथवा व्यक्तियों की संख्या चार से कम नहीं है, संचालित चिटों की कुल राशि की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर छ: लाख रुपए करना और किसी अन्य मामले में, प्रत्येक भागीदार अथवा व्यक्ति के संबंध में परिकल्पित पच्चीस हजार रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपए करना।

(3) चिट के उचित संचालन हेतु अध्यक्ष (फोरमैन) द्वारा दी जाने वाली जमानत, किसी अनुमोदित बैंक में चिट राशि के पचास प्रतिशत के बराबर राशि रजिस्ट्रार के नाम में नकद जमा करना और चिट राशि के पचास प्रतिशत की राशि किसी अनुमोदित बैंक से बैंक गारंटी के रूप में देना।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 1998

2000. **श्री अशोक ना॰ मोहोल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 1998 के संबंध में आगे कार्रवाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या नशा पदार्थों की तस्करी करने के कार्य में जुटे लोगों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के संबंध में गठित वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को उक्त विधेयक में शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विधेयक को संसद के समक्ष कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशों को विधेयक में शामिल किया गया है।

(ग) स्वीकृत की गई सिफारिशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) उक्त विधेयक को 9 जुलाई, 1998 को राज्य सभा में पेश किया गया था और उक्त सदन द्वारा 27.11.2000 को चर्चा के बाद प्रस्तावित संशोधनों को पारित कर दिया गया है।

विवरण

1. स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 1996 के खण्ड 7 में उपखण्ड 20 (ख) (ii) (ग) में एक परंतुक शामिल करना ताकि मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के मामले में 2 लाख रुपए से अधिक अर्थदण्ड लगाने के लिए विशेष अदालतों को शक्ति प्रदान की जा सके जिससे कि इस उपबंध को भी संशोधनकारी विधेयक की धारा 15, 17 और 18 में विहित इसी प्रकार के मिलते-जुलते उपबन्धों के समान बनाया जा सके;

2. संशोधन विधेयक, 1998 में प्रस्तावित नई धारा 32 ख में उल्लिखित केवल पांच परिस्थितियों के स्थान पर स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय, 1988 के अनुच्छेद 3 के उपखण्ड 5 में यथाउल्लिखित उन सभी आठ परिस्थितियों को शामिल करना जिनकी उपस्थिति से कोई अपराध और अधिक गंभीर हो जाएगा।

3. संशोधनकारी विधेयक, 1998 के खण्ड 15 में नई उपधारा 36 क(4) के परंतुक में "सकता है" पद के स्थान पर "सकेगा" पद को प्रतिस्थापित कर संशोधन करना ताकि उक्त धारा में उल्लिखित अपेक्षाकृत अधिक गंभीर अपराधों के संबंध में विशेष अदालतों को 180 दिन के बाद और एक वर्ष के भी शिकायत दायर करने के किसी अनुरोध को स्वीकार करने अथवा रद्द करने का विवेकाधिकार प्राप्त हो सके।

4. संशोधन विधेयक, 1998 के खण्ड 19 के अंतर्गत नई उपधारा 42 (2) में "समुचित समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर "72 घंटों के भीतर" शब्दों को रखना ताकि तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी से संबंधित उपबन्धों को और कारगर बनाया जा सके।

5. ऊपर (4) में वर्णित कारणों से संशोधक विधेयक, 1998 के खण्ड 19 के अंतर्गत नई उपधारा 50 (6) में "समुचित समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर "72 घंटों के भीतर" शब्दों को रखना।

टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया एंड जेसप का जीर्णोद्धार

2001. श्री सुनील खां: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और जेसप कंपनी लिमिटेड का जीर्णोद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका कब तक जीर्णोद्धार किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) टीसीआईएल में पुनरुद्धार के मुद्दे पर भारत सरकार ने अपने विचारों से बीआईएफआर को अवगत करा दिया है। बीआईएफआर ने प्रबन्धन में परिवर्तन के लिए अब प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं।

बीआईएफआर ने अपने दिनांक 19.9.2000 के आदेश में जेसप की 6.5.98 को अनुमोदित पुनरुद्धार योजना को विफल घोषित कर दिया और प्रचालन एजेंसी अर्थात् एस॰बी॰आई॰ को ऑफर प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय देते हुए, प्रबन्धन में परिवर्तन हेतु एक विज्ञापन जारी करने का निदेश दिया। बीआईएफआर ने यह भी बताया कि भारत सरकार एक प्रमोटर के रूप में, विज्ञापन के प्रत्युत्तर में जेसप के पुनरुद्धार के लिए संयुक्त उद्यम वाली अथवा उसके बिना एक योजना प्रस्तुत कर सकती है। सरकार ने पहले ही 30.3.2000 को संयुक्त उद्यम का गठन करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके बाद बीआईएफआर के आदेश के विरुद्ध, 6.11.2000 को एएआईएफआर में एक अपील दायर की गई है, जो लम्बित है।

मदर बोर्डों और सर्किट बोर्डों का आयात

2002. श्री सुबोध मोहिते:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार को कई प्रमुख कम्प्यूटर कम्पनियों द्वारा पृथक् कम्प्यूटर संघटकों के रूप में मदर बोर्डों और सर्किट बोर्डों का आयात करने के परिणामस्वरूप राजस्व में 100 करोड़ रुपये का घाटा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए, शून्य।

(ग) ऊपर (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए, शून्य।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय का उत्पादन

2003. श्री एम॰के॰ सुब्बा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूसरे राज्यों की प्रमुख वाणिज्यिक फसल चाय है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99, 1999-2000 के दौरान प्रत्येक राज्य में चाय का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ और वर्ष 2000-2001 में देश के चाय का उत्पादन करने वाले दूसरे राज्यों की तुलना में वहां कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) देश में चाय के कुल उत्पादन में पूर्वोत्तर राज्यों के अंशदान की प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के चाय के कुल उत्पादन में से कितनी मात्रा निर्यात की गई और वर्ष 2000-2001 के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) चाय असम की एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। तथापि, चाय बागान लगाने का काम त्रिपुरा को छोड़कर अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में 6वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से आरंभ हुआ है। इन राज्यों में स्थित चाय उद्योग या तो वाणिज्यिक बागान के चरण में है या परीक्षण के चरण में है।

चाय के राज्य-वार उत्पादन के आंकड़े कैलेन्डर वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं। वर्ष 1998 और 1999 के दौरान चाय का राज्य-वार उत्पादन निम्नानुसार रहा है:

(मिलियन किग्रा. में)

राज्य	1998	1999
असम	460.78	414.13
त्रिपुरा	7.17	6.71
अरूणाचल प्रदेश	0.96	0.99
मणिपुर	0.07	0.07
नागालैंड	0.03	0.03
मेघालय	-	-
मिजोरम	-	-
सिक्किम	0.11	0.11
पं. बंगाल	197.70	180.21
बिहार	0.14	0.13
उत्तर प्रदेश	0.36	0.35
हिमाचल प्रदेश	1.63	1.50
उड़ीसा	0.08	0.07
तमिलनाडु	125.09	128.09
केरल	70.62	67.79
कर्नाटक	5.67	5.43
संपूर्ण भारत	870.41	805.61

(स्रोत: चाय बोर्ड)

वर्ष 2000 के दौरान असम राज्य में चाय का उत्पादन 1999 के दौरान हुए 414 मिलियन किग्रा. की तुलना में 455 मिलियन किग्रा. होने का अनुमान है। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2000 में उपज में 10% की वृद्धि होने की संभावना है।

वर्ष 1999 के दौरान चाय के कुल उत्पादन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों का योगदान 52.39% का रहा था।

चाय का निर्यात मुख्त रूप से ब्लेन्डिड स्वरूप में किया जाता है। इस प्रक्रिया में ब्लेंडिंग के समय चाय का उद्गम समाप्त हो जाता है। इसलिए उत्पादन के उद्गम द्वारा चाय के निर्यात को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2000-2001 के लिए चाय के निर्यात हेतु निर्धारित किया गया लक्ष्य 225 मिलियन किग्रा. का है।

मोटर वाहनों का बीमा

2004. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का तत्काल निरीक्षण करने के मामले में दिल्ली में ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा मोटर वाहन चालकों को परेशान किया जा रहा है और बीमा कम्पनी से अनुमति प्राप्त करने के बाद भी किए गए दावों का भुगतान करने में असाधारण विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कम्पनी, शाखा-वार कितनी शिकयतें प्राप्त की गईं और उस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ग) दुर्घटनाग्रस्त और चोरी हुए वाहनों के मामलों का समाधान करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) वाहनों के निरीक्षण और मामलों के समाधान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इन पर आगे से रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या मोटर वाहन की चोरी होने के मामले में वाहन मालिकों को वाहन की लागत, सड़क कर और अन्य सामान की पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) मोटर वाहन चालकों को पूर्ण राशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ग) ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि॰ (ओआईसी) ने सूचित किया है कि दुर्घटना दावे की सूचना प्राप्त होने पर वाहन का निरीक्षण करने और नुक्सान का मूल्यांकन करने के लिए तत्काल ही सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति की जाती है। सभी संगत दस्तावेजों की प्रस्तुति सहित सभी अपेक्षाओं के पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर दावों के निपटान की आशा की जाती है। सभी दस्तावेजों जिनमें सर्वेक्षण रिपोर्ट भी शामिल है, के प्राप्त होने पर मोटर दावों को सामान्यतया निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही निपटाया जा रहा है।

(ख) कम्पनी ने सूचित किया है कि उन्हें विलंबित भुगतान अथवा सर्वेक्षणकर्ता की विलंबित नियुक्ति से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) आमतौर पर दावों के निपटान में कोई विलम्ब नहीं होता। बीमित व्यक्ति द्वारा सभी अपेक्षाएं पूरी किए जाने के बाद दावों का शीघ्र निपटान किया जाता है। इस उद्योग ने दावों के शीघ्र निपटान के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में ये शामिल है–लोक अदालतों तथा

जल्द राहत योजना के जरिए निपटान, दावा-निपटान प्रक्रियाओं का सरलीकरण और मानकीकरण, क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थायी दावा समीक्षा समितियों की स्थापना, इत्यादि। तथापि, सुधार के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है और इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) से (छ) प्रतिपूर्ति बाजार मूल्य अथवा बीमित मूल्य पर, जो भी कम हो, की जाती है। सड़क कर का भुगतान नहीं किया जाता क्योंकि यह पॉलिसी में शामिल नहीं होता लेकिन फिटिंग्स की प्रतिपूर्ति की जाती है बशर्ते वे बीमित हों।

[हिन्दी]

पूंजी बाजार

2005. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री सलाहकार परिषद के अनुसार कड़े मानदंडों को अपनाने के कारण पूंजी बाजार में मंदी का दौर शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) शेयर बाजारों में मूल्य का उतार-चढ़ाव एक बाजार प्रतिक्रिया है तथा यह अनेक कारकों जिनमें अन्य बातों के साथ घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, आर्थिक आधारभूत ढांचे, बाजार भावनाएं कार्पोरेट क्षेत्र के कार्यनिष्पादन संबंधी निवेशकों की प्रत्याशाएं तथा सामान्यतः अर्थव्यवस्था, सरकार की आर्थिक नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में गतिविधियां शामिल हैं, पर निर्भर करता है। वैश्विक रूप से, बाजारों में गिरावट का रूझान है तथा इसने भारतीय बाजारों को भी प्रभावित किया है।

(ख) सरकार तथा बाजार विनियामक सेबी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूंजी बाजार व्यवस्थित, पारदर्शी, सुरक्षित तथा उचित तरीके से कार्य करे। इसे सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने पूंजी पर्याप्तता मानदंड, मार्जिन प्रणाली, एक्सपोजर नियंत्रण तथा मूल्य बैंड आदि जैसे कतिपय निगरानी एवं जोखिम नियंत्रक उपाय लागू किए हैं।

[अनुवाद]

"फूड-फॉर-ऑयल प्रोग्राम" के अंतर्गत चाय का निर्यात

2006. श्री मोहन रावले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईराक का विचार "फूड-फॉर-ऑयल प्रोग्राम" के अंतर्गत भारत से चार मिलियन किलोग्राम चाय का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) "फूड-फॉर-ऑयल प्रोग्राम" के अंतर्गत और अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार इराक तेल के लिए खाद्य (फूड-फार-ऑयल) कार्यक्रम के अंतर्गत चाय का आयात कर रहा है। तथापि, भारत से आयात करने के लिए कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि यह प्रक्रिया निविदाओं के जरिए चयन पर आधारित है। बगदाद स्थित हमारे भारतीय दूतावास से प्राप्त सूचना के अनुसार, तेल के लिए खाद्य कार्यक्रम के चरण 7 के अंतर्गत इराक को चाय की आपूर्ति करने के लिए भारतीय कंपनियों को 6700 टन की कुल मात्रा को ठेके दिए गए हैं।

(ग) इस कार्यक्रम के तहत भारतीय चाय निर्यातों के हिस्से को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए है। इनमें शामिल हैं–बगदाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अधिक भागीदारी, भारत इराक संयुक्त आयोग की बैठकों के तंत्र के जरिए भारतीय निर्यातों को बढ़ाना, भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों द्वारा इराक के दौरे के जरिए संपर्क स्थापित करना इत्यादि।

राज्य सरकारों का वित्तीय प्रबन्धन

2007. श्री जी. एम. बनातवाला: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के वित्तीय प्रबन्धन के बारे में उन्हें कोई सलाह दी है अथवा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की वित्तीय समस्याओं के बारे में उनके साथ कोई बातचीत की है अथवा करने का विचार है;

(घ) क्या राज्यों के वित्तीय प्रबन्धन के बारे में प्रस्तावित वार्ता अथवा सुझाव तैयार करने में विदेशी एजेंसियों को भी शमिल किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) राज्य सरकारें भारतीय संविधान के तहत स्वायत्तशासी हैं और राज्यों का वित्तीय प्रबंधन प्रमुखतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कुछ राज्यों ने राजस्व संचालन में अभिवृद्धि, गैर-योजनागत राजस्व व्यय में कमी, मूल्यों और लागत में सुधार तथा विनिवेश के जरिए राजस्व घाटे में कमी को परिलक्षित करते हुए अपने स्वयं के मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम अपनाया है। सन् 1999-2000 में भारत सरकार ने उन राज्यो को मध्यम आवधिक सहायता विस्तारित करने की सुविधा सृजित की जिन्होंने भारत सरकार के साथ प्रबोधन योग्य राजकोषीय सुधार कार्यक्रम अपनाने संबंधी समझौता किया है। कुछ राज्यों ने वित्तीय पुनर्गठन हेतु भारत सरकार की सहमति से विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक से भी सहायता ली है।

[हिन्दी]

राज्यों को सब्सिडी

2008. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य पदार्थों की खरीद करने के लिए राज्यों को सब्सिडी प्रदान करने के बारे में हाल ही में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि की सब्सिडी दिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में खाद्यान्नों की वसूली की विकेन्द्रीकृत योजना शुरू की गई है। इस योजना के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारें गेहूं/चावल की वसूली, भंडारण और वितरण करती हैं। गेहूं/चावल की आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के बीच के अन्तर की राज्य सरकारों को राजसहायता के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) विकेन्द्रीकृत वसूली के अधीन राज्य सरकारों को दी जाने वाली संभावित राजसहायता की राशि वितरित खाद्यान्नों की मात्रा पर निर्भर करती है। चावल के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को, गेहूं के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को तथा गेहूं और चावल दोनों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को पहले ही रिलीज की गयी राजसहायता की राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	राज्य	जिंस	रिलीज की गयी राजसहायता (करोड़ रुपये में)
1997-98	पश्चिम बंगाल	चावल	28.00
1998-99	पश्चिम बंगाल	चावल	53.83
1999-2000	पश्चिम बंगाल	चावल	56.64
	उत्तर प्रदेश	गेहूं	194.00
	मध्य प्रदेश	गेहूं	92.64
2000-2001	पश्चिम बंगाल	चावल	65.00
	उत्तर प्रदेश	चावल	55.69
	उत्तर प्रदेश	गेहूं	94.31
	मध्य प्रदेश	गेहूं	35.27

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में मिल मालिकों से चावल की खरीद

2009. श्री वाई॰एस॰ विवेकानन्द रेड्डी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल की आपूर्ति करने के लिए मिल मालिकों से इसकी खरीद करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चावल की खरीद करने के लिए निर्धारित दर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकार कितना चावल खरीद पाई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं। राज्य सरकार अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की कोई वसूली नहीं की गई है। चावल मिल मालिकों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम को चावल की सुपुर्दगी वसूली मूल्य पर की जाती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल केलिए लगभग 55 लाख टन चावल की वसूली की गयी है और इसमें से लगभग 23 लाख टन चावल केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दिया जाता है। भारतीय खाद्य निगम को चावल की सुपुर्दगी करने के लिए वसूली मूल्य निम्नानुसार है:

(रुपये प्रति क्विंटल)

फसल वर्ष 2000-2001	साधारण	ग्रेड "ए"
रॉ	899.80	949.60
सेला	949.60	950.00

22.11.2000 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम ने 7.23 लाख टन चावल की वसूली की है।

(ख)और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का आयात

2010. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्यान्नों का प्रचुर भंडार होने के बावजूद सन् 1997 से ऊंची दरों पर खाद्यान्नों का आयात करने से राष्ट्रीय राजकोष में बहुत अधिक वित्तीय घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में खाद्यान्नों का कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया, आयातित खाद्यान्नों के नाम क्या हैं और इनका आयात करने पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार इस वित्त घाटे के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार विहित न्यूनतम बफर मानदण्डों, देश में खाद्यान्नों के उत्पादन, वसूली प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याण योजनाओं के लिए आवययकता, खुले बाजार मूल्यों आदि की तुलना में केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्टॉक स्थिति की निरन्तर समीक्षा करती है और खाद्यान्नों के आयात करने का निर्णय समूची स्थिति पर निर्भर करते हुए लिया जाता है। 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान देश में गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निम्नलिखित मात्रा में गेहूं का आयात किया गया:

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	सीआईएफ लागत (करोड़ रुपयों में)
1997-98	14.19	962.05
1998-99	14.15	939.23
1999-2000	शून्य	शून्य

(ग) से (ङ) इस विषय पर संसद में दिनांक 9.6.98 को हुई चर्चा के दौरान सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसरण में सरकार ने 20.7.98 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान सरकारी खाते पर किए गए गेहूं के आयात की जांच करने के लिए कहा था। राज्य व्यापार निगम द्वारा दिनांक 26.2.98 को आस्ट्रेलियाई व्हीट बोर्ड के साथ किय गये गेहूं के आयात के ठेके की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिनांक 4.8.98 की पीई 14(ए)/98-दिल्ली दर्ज की थी। राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि विभाग, खाद्य विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित संगत रिकार्ड प्राप्त किए गए हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इनकी छानबीन की है।

सड़कों और पुलों के लिए नाबार्ड द्वारा ऋण

2011. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड राज्य सरकारों को सड़कों और पुलों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की गई;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नाबार्ड से ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सम्पर्क सड़कों का निर्माण करने के लिए ऋण मांगा था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) मध्य प्रदेश में नाबार्ड की सहायता से कितनी सड़कों/पुलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है/शुरू किया जाना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा मध्य प्रदेश को प्रदान की गई राशि निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	सड़कों के लिए	पुलों के लिए
1997-98	8919.55	3186.72
1998-99	8024.80	2080.38
1999-2000	9223.32	5861.97
कुल	26167.67	11049.07

(ग) और (घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने ब्लाक टाप्ड (बिटूमिन/अस्फाल्टिक) भूतल सड़कों के निर्माण के लिए ऋण की मांग की है। ग्रामीण आधारिक विकास निधि योजनाओं के अंतर्गत इस प्रकार की सड़क अनुज्ञेय है। (ख) और (ङ) भाग के उत्तर में उसका ब्यौरा दिया गया है।

(ङ) ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के साथ मंजूर सड़कों और पुलों की संख्या नीचे दी गई है जिन पर मध्य प्रदेश में कार्य शुरू हो चुका है/शुरू किया जाने वाला है:

वर्ष	सड़क (संख्या)	पुल (संख्या)
1997	128	55
1998-99	93	34
1999-2000	84	49
2000-2001	34	18
कुल	339	156

"फार्वर्ड ट्रेडिंग' के अंतर्गत वस्तुएं

2012. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'फार्वर्ड' ट्रेडिंग के अंतर्गत कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है; और

(ख) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) निम्नलिखित वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार की अनुमति दी जाती है:

काली मिर्च (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय)	कपास
हल्दी	कॉफी
एरंड बीज	सोयाबीन, इसका तेल और खली
एरंड तेल (अंतर्राष्ट्रीय)	रेपसीड/सरसों, इसका तेल और खली
गुड़	मूंगफली, इसका तेल और खली
आलू	सूरजमुखी, इसका तेल और खली
हैसियन टाट	आर बी डी पामोलीन

हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित अतिरिक्त वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया है, जिनमें संबंधित कमोडिटी एक्सचेंज व्यापार शुरू करने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने में लगे हैं:

चावल की भूसी, इसका तेल और खली

बिनौला, इसका तेल और खली

कोपडा/नारियल, इसका तेल और खली

तिल, इसका तेल और खली

कुसुम, इसका तेल और खली

(ख) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने तथा उन पर मुकदमे चलाने के लिए वायदा बाजार आयोग राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क साधे हुए है।

पाकिस्तान के साथ चीनी का आयात करने संबंधी करार

2013. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के साथ चीनी का आयात करने संबंधी करार समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद): (क) मार्च, 1994 से चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन किया जाता है। चीनी आयात की खुले सामान्य लाइसेंस की मद होने के कारण कोई भी वैयक्तिगत व्यापारी अथवा निगमित प्रतिष्ठान, चाहे वह निजी क्षेत्र का हो अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का हो, अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर पाकिस्तान सहित किसी भी देश से चीनी का आयात करने के लिए स्वतंत्र है। चीनी के आयात के लिए पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

2014. **श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी हाल ही में हड़ताल पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के कारण कुल कितना वित्तीय घाटा हुआ;

(ग) बैंक कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या थीं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) बैंकिंग उद्योग में हड़ताल से जनता को असुविधा होती है और व्यापार एवं उद्योग को वित्तीय घाटा होता है, क्योंकि व्यवसाय नहीं किया जा सकता और हड़ताल के दिन निकासी कार्य प्रभावित होते हैं। तथापि, इससे हुए घाटे की मात्रा बता पाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) वे मुद्दे जिन पर बैंक-कर्मचारी हड़ताल पर गए और उन मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया निम्नलिखित है :

मुद्दे	सरकार की प्रतिक्रिया
1. सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए	सरकारी क्षेत्र में बैंकों का निजीकरण करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की न्यूनतम शेयर-धारिता 51% से घटा कर 33% करने के लिए संसद के चालू सत्र में विधान लाने का प्रस्ताव है। तथापि, यह इसलिए किया जा रहा है ताकि

मुद्दे	सरकार की प्रतिक्रिया
	बैंक अपनी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बाजार से इक्विटी ले सकें। वह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा करते समय बैंकों के सरकारी स्वरूप को बनाए रखा जाएगा।
2. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	बैंकों के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय बैंक संघ ने बैंकों के लिए ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना परिचालित की है, ताकि उनके बोर्ड उस पर विचार कर सकें और उसे अपना सकें। यह इसलिए किया जा रहा है, ताकि बैंक अपने मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग कर सकें। जैसा कि योजना के नाम से सुस्पष्ट है, यह अपने-आप में ऐच्छिक प्रकृति की है। यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी पर एच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करने के लिए दबाब नहीं डाला जाएगा।
3. सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष करना	यह केवल मानव संसाधन प्रबंधन संबंधी समिति की सिफारिश है। इसकी अभी जांच की जानी है और इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विज्ञापनों पर राज्यकर लगाना

1015. **श्री जी॰एस॰ बसवराज:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से रेडियो और टेलीविजन पर दिए जाने वाले विज्ञापनों पर राज्य सरकार द्वारा कर लगाने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु संविधान में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन): (क) जी, हाँ।

(ख) रेडियो और दूरदर्शन में विज्ञापनों पर वर्तमान में कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि ऐसे विज्ञापनों से होने वाली आय पर पहले से ही आयकर का भुगतान किया जाता है और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं सेवा कर भी लगाए जाने योग्य हैं।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का द्विशाखन

2016. **श्री ए॰ ब्रह्मनैया:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को द्विशाखित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का मौजूदा कार्यस्थल समुद्री उत्पादों के निर्यात का मुख्य स्रोत है;

(ग) मौजूदा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में समुद्री उत्पाद के निर्यातकों को सलाह और सहायता देने के लिए किस हद तक विफल रहा है; और

(घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) यद्यपि एम्पीडा का प्रधान कार्यालय कोच्ची (केरल) में है तथापि, पूर्वी तट से समुद्री उत्पाद के निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके अनेक संगठन हैं, अर्थात् चेन्नई, कलकत्ता और विजाग स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर स्थित उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर एवं विजयवाड़ा में झींगा पालन क्षेत्रीय केन्द्र और कलकत्ता एवं भीमावरम में झींगा पालन उप-क्षेत्रीय केन्द्र।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), निर्यातों के विशेष संदर्भ में देश में समुद्री उत्पाद के उद्योग के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। एम्पीडा ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं: अपतटीय और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर नियंत्रण रखना और उसका विकास करना, प्रसंस्करण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए उद्योग को सहायता प्रदान करना, निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता के उन्नयन को आसान बनाना, श्रिम्प फार्मों को प्रभावित करने वाले रोगों की रोकथाम व उनके उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करना, एम्पीडा के क्षेत्रीय केन्द्रों पर जांच सुविधाए मुहैया करना इत्यादि। ये उपाय पूर्वी तट पर स्थित उद्योगों सहित विभिन्न समुद्र तटीय राज्यों में स्थित समुद्री उत्पाद निर्यात उद्योगों के लिए उपलब्ध हैं।

घाटे की पूर्ति

2017. **श्री विनोद खन्ना:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय पूल के लिए खरीदे गए गेहूं भंडार की जुलाई 1993 में अचानक आई बाढ़ से क्षति के कारण हुए घाटे की पूर्ति हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो घाटे को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हाँ।

(ख) चूंकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टाक अपने कब्जे में लेने से पूर्व वसूल किये गये स्टाक के भंडारण और इसके परिरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार/इसकी एजेंसियों की होती है, जिसके लिए उन्हें भंडारण

प्रभार अदा किए जाते हैं, इसलिए राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। राज्य सरकार को परामर्श दिया गया था कि वे प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत राहत के लिए अपने दावें को कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत करे अथवा उक्त एजेंसियों को मंडी प्रभार, क्रय कर आदि के माध्यम से एकत्रित की गई निधियों से भी प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

[हिन्दी]

टी.वी. चैनलों पर विज्ञापन

2018. श्री विजय गोयल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर दिखाए जाने वाले शराब और अन्य आपत्तिजनक सामग्री के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल ही में टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले आपत्तिजनक विज्ञापनों पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) 8 सितम्बर, 2000 को एक अधिसूचना के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन कर दिया गया है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शराब/तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों एवं ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगायी गई है जिससे धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती हो।

डी.टी.एच. के कारण प्रतिस्पर्धा

2019. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र द्वारा डी.टी.एच. सेवा आरंभ किए जाने के बाद निजी टी.वी. चैनलों के दर्शकों की संख्या बढ़ जाएगी;

(ख) यदि हां, तो निजी चैनलों की तुलना में दूरदर्शन के दर्शकों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) क्या प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए दर्शकों की रुचि के अनुसार दूरदर्शन में व्यापक सुधार की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) विश्व व्यापी अनुभव यह है कि डाइरेक्ट-टू-होम सामान्यतया विशेष श्रेणी के दर्शकों को लक्ष्य बनाता है। इसके अलावा, दूरदर्शन चैनल डीटीएच प्लेटफार्म के जरिए भी उपलब्ध होंगे।

(ग) दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों को और अधिक आकर्षक और लोकप्रिय बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में चीनी की कमी

2020. श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 2000 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'राजधानी में राशन की चीनी आपूर्ति व्यवस्था गड़बड़ाई' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सितम्बर, 2000 से दिल्ली में उचित दर दुकानों से उपभोक्ताओं को चीनी नहीं मिल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दिल्ली में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उपभोक्ताओं को समय पर चीनी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी हाँ।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आंबटित चीनी के वितरण की पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) की सरकार के अनुसार दिल्ली में सभी उचित दर दुकानों में चीनी का वितरण 23 अक्तूबर, 2000 तक अर्थात् दीवाली के तीन दिन पूर्व थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पूरा किया गया था। ठीक उसी प्रकार नवम्बर, 2000 माह के संबंध में वितरण 21 नवम्बर, 2000 तक पूरा किया गया था। तीन महीनों के दौरान उचित दर दुकानों में चीनी

का वितरण आरम्भ करने तथा वितरण पूरा करने की तिथि निम्नवत है:

माह	वितरण आरम्भ करने की तिथि	वितरण पूरा करने की तिथि
सितम्बर, 2000	25.08.2000	27.09.2000
अक्तूबर, 2000	26.09.2000	23.10.2000
नवम्बर, 2000	28.10.2000	21.11.2000

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली में उपभोक्ताओं को चीनी की आपूर्ति सही समय पर करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) किसी खास महीने के लिए लेवी चीनी का कोटा उस माह के पूर्व के महीने में नामित एजेंसियों को आबंटित किया जाता है। एजेंसियाँ विनिर्दिष्ट चीनी मिलों से निर्धारित मात्रा प्राप्त करती हैं ताकि वे महीने के पहले पखवाड़े में उचित दर दुकानों को समय पर वितरण के लिए उसका उठान कर सकें।

(2) सभी नामित एजेंसियों को एक महीने की आवश्यकता-भर की चीनी का स्टाक रखने की सलाह दी गई है।

(3) सभी जोनल सहायक आयुक्तों को यह निदेश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक उचित दर दुकान में पूरे माह तब तक चीनी उपलब्ध रहे जब तक प्रत्येक पात्र कार्डधारी अपने कोटे की चीनी प्राप्त न कर ले।

(4) चीनी की आपूर्ति न हो पाने के संबंध में जनसाधारण से शिकायतों के समाधान के लिए मुख्यालय में प्रवर्तन शाखा के अधीन एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जो प्रात: 8.00 बजे से रात 10.00 बजे तक कार्य करता है, जो छुट्टियों में भी कार्य करता है। यहाँ ऐसी शिकायतों पर गौर किया जाता है तथा उस पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(5) चीनी की यथा समय आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित दर दुकानदारों को निदेश दिये गये हैं कि वे पिछले माह ही अंतिम तिथि तक के ड्राफ्ट (अर्थात् चीनी की लागत) जमा कर दें जिससे नामांकित एजेंसियाँ चीनी को फुटकर केन्द्रों को माह की 10 तारीख तक वितरित कर सकें तथा जिससे कार्डधारी समय से चीनी का अपना कोटा ले सके।

[अनुवाद]

साधारण बीमा निगम को अलग-अलग कम्पनियों में विभाजित किया जाना

2021. **श्री सुरेश रामराव जाधव:**
श्री उत्तमराव ढिकले:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साधारण बीमा निगम को स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली अलग-अलग कम्पनियों में विभाजित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी कम्पनियों ने प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी की है; और

(घ) यदि हां, तो कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) साधारण बीमा निगम की पुनर्संरचना पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बीमा कम्पनियों को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, प्रशिक्षण के जरिए मानव संसाधनों का विकास लागत कम करना और उत्पादकता से सम्बद्ध प्रोत्साहन देना शामिल है।

संसद सदस्यों को क्रेडिट कार्ड

2022. **श्री साहिब सिंह:**
डा॰ एस. वेणुगोपाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आईसीआईसीआई संसद सदस्यों को उनके सांसद होने के कारण ही क्रेडिट कार्ड जारी करने से इन्कार करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में आया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) संसद सदस्यों को क्रेडिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) आईसीआईसीआई बैंक ने सूचित किया है कि वे संसद सदस्यों को उनके सांसद होने के आधार पर क्रेडिट कार्ड देने से इन्कार नहीं कर रहे हैं।

अपने वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर बैंक अपना मानदंड रखने के लिए स्वतंत्र है जिसे वे किसी भी आवेदक को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अपनाते हैं। और इस संबंध में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

घुटने की शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त सामग्री के आयात हेतु शुल्क माफ करना

2023. **श्री मोइनुल हसन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घुटने के जोड़ को बदलने की शल्य चिकित्सा के मामले में प्रयुक्त अलॉय कैप" और "अल्ट्रा-हाई मोलेक्यूलर वेट पोलिएथिलीन

प्लास्टिक" से बने कृत्रिम अंग का अमेरिका और अन्य देशों से आयात किया जाता है;

(ख) क्या ऐसे अंग और चिकित्सीय आदान शुल्क मुक्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मदों का आयात किन स्थितियों और दशाओं के अंतर्गत शुल्क मुक्त है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) से (घ) जी हां। गंभीर रूप से शारीरिक विकलांग रोगियों के लिए सभी उपकरण तथा इम्प्लांट और जोड़ प्रतिस्थापन तथा मेरूदंड उपकरणों एवे बोनसिमेंट सहित इम्पलांटों को दिनांक 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 6/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ पठित दिनांक 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 16/2000-सीमा शुल्क के अधीन बिना किसी शर्त के समस्त आयात शुल्कों से छूट प्राप्त है। घुटने के जोड़ की प्रतिस्थापना हेतु शल्य चिकित्सा के लिए प्रोसथेसिस को भी उपर्युक्त छूट प्राप्त है।

हवाला कारोबार

2024. **श्री अरुण कुमार:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के निरसन के बाद से हवाला कारोबार कई गुना बढ़ गया है;

(ख) यदि हा, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा व्यक्त विचार की ओर दिलाया गया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम हवाला कारोबार को रोकने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है और इसे और मजबूत बनाने के लिए सरकार को वर्तमान अधिनियम में परिवर्तन करने होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन): (क) हवाला धन का अवैध लेन देन है और ऐसे क्रियाकलाप का कोई सही-सही आंकलन नहीं किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार का क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ सतत् कार्य व्यवहार होता है और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) जैसे नए अधिनियम में प्रचालनात्मक कठिनाइयों की सतत् पुनरीक्षा अधिनियम के प्रभाव को श्रेष्ठ बनाने के लिए करनी होगी।

[हिन्दी]

अमेरिका से सोयाबीन का आयात

2025. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमेरिका से 10 लाख टन सोयाबीन का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह सोयाबीन मानव उपभोग के योग्य नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि यूरोप और जापान के निर्यातकों ने अमेरिका के इस जीन परिवर्तित सोयाबीन में पांच प्रकार के खरपतवार और सात प्रकार के विषाणुओं को पता लगाने के बाद 1998 में इसे लेने से इंकार किया था;

(घ) यदि हां, तो सोयाबीन का निर्यात किए जाने के क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सोयाबीन के इस सौदे को रद्द करने का है; और

(च) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (च) सोयाबीन टूटे हुए एवं विखंडित रूप में निर्यात एवं आयात मदों का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 1997-2002 के एक्जिम कोड सं. 12010000.20 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इस मद का आयात पौध संगरोध शर्तों के अधीन 15.10.1998 से मुक्त है। उन खेपों के खिलाफ माल उतारने के पत्तन पर प्रवेश और/अथवा पुनर्पोतलदान की मनाही जैसे उपायों के जरिए प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी जो पौध संगरोध शर्तों और अन्य मानव, पशु और पौध-सुरक्षा संबंधी मानदण्डों को पूरा नहीं करती हैं।

खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2026. **श्री पी.आर. खूंटे:**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी निवेश संबर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने खनन क्षेत्र में 3,467 करोड़ रु. के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 60 आवेदनों को अनुमोदित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) सरकार ने 01.08.91 से 30.09.2000 तक की अवधि के दौरान धातुकर्मी उद्योग क्षेत्र के लिए 14330 करोड़ रु. के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की परिकल्पना के 297 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है, जिनमें से 37 प्रस्ताव खनन सेवा के लिए है जिनमें 4148.26 करोड़ रु. की राशि का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्ग्रस्त है।

इनके ब्यौरे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक एसआईए न्यूज लैटर में दिए गए है जिसे संसद पुस्तकालय सहित व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है।

चीनी मिलें

2027. **श्रीमती जस कौर मीणा :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय मंत्रालय के अधीन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में काम कर रहीं/काम न कर रहीं चीनी मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार देश की इन बंद पड़ी चीनी मिलों के निजीकरण पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत/बन्द पड़ी चीनी मिलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कार्यरत/बन्द चीनी मिलों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण (30.9.2000 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	कार्यरत मिल	बन्द पड़ी मिल	कुल
पजाब	21	1	22
हरियाणा	13	-	13
राजस्थान	2	1	3
उत्तर प्रदेश	109	19	128
मध्य प्रदेश	7	2	9
गुजरात	18	4	22
महाराष्ट्र	124	10	134
बिहार	10	18	28
असम	1	2	3
उड़ीसा	7	1	8
पश्चिम बंगाल	2	-	2
नागालैंड	-	1	1
आंध्र प्रदेश	35	6	41
कर्नाटक	34	3	37
तमिलनाडु	37	-	37
पांडिचेरी	2	-	2
केरल	1	1	2
गोवा	1	-	1
अखिल भारत	424	69	493

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादकों में असन्तोष

2028. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री माधवराव सिंधिया:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में गन्ने की बकाया देय राशियों में वृद्धि पर गन्ना उत्पादकों के बीच फैल रहे भारी असन्तोष की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश मे पडरौना में किसानों ने इस वर्ष बकाया राशि की अदायगी की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) चीनी मौसम 1999-2000 के लिए 30.9.2000 की स्थिति के अनुसार गन्ने के मूल्य की 10,868.81 करोड़ रुपये की धनराशि देय थी और इसके प्रति 10,338.67 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि 530.14 करोड़ रुपये है जो कुल गन्ने के

देय मूल्य का 4.88% है। तथापि, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी चीनी फैक्ट्रियां हैं जिन पर पिछले चीनी मौसमों के गन्ने के मूल्य की धनराशि बकाया है। ये चीनी मिलें रुग्ण हैं तथा इनमें से कुछ चीनी मिलें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत हुई हैं। केन्द्रीय सरकार कुछ रुग्ण चीनी मिलों द्वारा गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का भुगतान न करने के कारण विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों में व्याप्त असन्तोष से अवगत है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर संबंधित राज्य सरकारों को गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का शीघ्र भुगतान करवाने के लिए लिखती रही है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय किए गए हैं ताकि चीनी मिलें गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान कर सकें :

(1) केन्द्रीय सरकार ने 01.01.2000 से घरेलू चीनी फैक्ट्रियों की लेवी देयता 40% से कम करके 30% कर दी गई है।

(2) देश में आयातित चीनी की आमद को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 09.02.2000 से आयातित चीनी पर 850 रुपये प्रति टन के मौजूदा प्रतिशुल्क के साथ सीमा शुल्क बढ़ाकर 60% कर दिया है। आयातित चीनी को भी लेवी देयता तथा मासिक निर्मुक्ति व्यवस्था के तहत लाया गया है।

(3) केन्द्रीय सरकार खुली बिक्री की चीनी के कोटे की विवेकपूर्ण ढंग से निर्मुक्तियां करके घरेलू बाजार में चीनी के मूल्यों को स्थिर रखने तथा उन्हें उचित स्तर पर बनाये रखने की नीति का भी अनुसरण कर रही है।

(4) जरूरतमंद चीनी फैक्ट्रियों को खुली बिक्री का चीनी की अग्रिम निर्मुक्तियां की जा रही हैं ताकि वे गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का भुगतान कर सकें।

(5) सरकार ने 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

मेवों का निर्यात

2029. श्री रघुनाथ झा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारे देश से किन-किन देशों को कौन-कौन से मेवों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में मेवों का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए मेवों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) भारत से निर्यातित मुख्य मेवों में किशमिश की छोटी मात्राओं के अलावा काजू गिरि, अखरोट शामिल हैं। इनका निर्यात मुख्यत: आस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, यूनान, इटली, स्पेन, हांगकांग, यू.ए.ई. और यू.के. को किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित उपरोक्त मेवों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	मात्रा (मिलियन टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1997-98	80610	1454.07
1998-99	82547	1699.80
1999-2000*	उपलब्ध नहीं	2488.68

* अनंतिम।

(ग) सरकार विभिन्न समर्थनकारी/सहायता योजनाओं के जरिए मेवों समेत बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे रही है। इन योजनाओं में ये शामिल हैं :-

(1) उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और शुष्क क्षेत्र के फलों के समेकित विकास के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करने, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(3) क्रेता-विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह-भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(4) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग परिवहन इत्यादि के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित व्यापार और उद्योग जगत को तकनीकी परामर्शी सेवा और दूसरी सहायता सेवाएं मुहैया कराना।

(5) प्रसंस्करण निर्यात एककों में आधुनिक आईएसओ 9000/एचएसीसीपी उपकरणों की स्थापना सहित उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

बागवानी उत्पादों का निर्यात

2030. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागवानी उत्पादों के निर्यात के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का हिस्सा नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित बागवानी उत्पादों का ब्यौरा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उक्त हिस्से का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बागवानी उत्पादों के निर्यात पर विशेष बल देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित बागवानी उत्पाद हैं: ताजे फल और सब्जियां, प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां और पुष्पोत्पादन। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मदों का निर्यात निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1997-98	1483.92
1998-99	1404.69
1999-2000	1454.96

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बागवानी उत्पादों के निर्यातों में भारत का हिस्सा लगभग एक प्रतिशत है।

(ग) और (घ) सरकार फलों, सब्जियों और फूलों जैसे बागवानी उत्पादों के उत्पादन और उनके निर्यातों पर विशेष जोर देती आ रही है। इस संबंध में उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

(1) उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और शुष्क क्षेत्र के फलों के समेकित विकास के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौध शालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करने, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) निर्यात एककों में आधुनिक आई एस ओ 9000/एचएसीसीपी उपकरणों की स्थापना सहित उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(3) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और ताजे फलों और पुष्पोत्पादन के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(4) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अधिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना। शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों की शैल्फ-आयु में वृद्धि करने के लिए परिवहन में प्रयोग होने वाली नियंत्रित/संशोधित वातावरण प्रौद्योगिकियों जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग हेतु अनुसंधान प्रयास जारी हैं।

(5) क्रेता विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(6) ताजे फलों, सब्जियों और पुष्पोत्पादन जैसे जल्दी खराब होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीत भंडारण की सुविधाओं की स्थापना करना;

(7) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग परिवहन इत्यादि के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित व्यापार और उद्योग जगत को तकनीकी परामर्शी सेवा और दूसरी सहायता सेवाएं मुहैया कराना।

[हिन्दी]

मैच फिक्सिंग

2031. श्री तूफानी सरोज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैच फिक्सिंग के बारे में चल रही जांच से सीधे सम्बद्ध अधिकारियों को जांच अवधि के दौरान ही स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों के परिसरों पर छापे मारने के आदेश देने वाले कतिपय आयकर अधिकारियों को उक्त जांच से दूर रखने के लिए जान बूझकर स्थानान्तरित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो आयकर विभाग के जिन अधिकारियों को प्रोन्नति देकर स्थानान्तरित किया गया है उनके नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वापक औषधियों को जब्त किया जाना

2032. श्री रामेश्वर डूडी:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में जब्त की गई स्वापक औषधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) जब्त की गई स्वापक औषधियों का राज्य-वार मूल्य क्या है; और

(ग) स्वापक औषधियों की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) देश में विभिन्न मादक-पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सूचित किए गए अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान किए गए अभिग्रहणों के मादक पदार्थवार और वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। राज्यवार किए गए अभिग्रहणों आदि के ब्यौरे संभव नहीं हैं क्योंकि सभी राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि जब्त की गई सभी स्वापक औषधियां नष्ट की जानी होती हैं और उनके अधिकृत बाजार-मूल्य का पता नहीं होता है। इसलिए कोई ठीक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तथापि, प्रत्येक के सामने निर्धारित मूल्यांकन दिया गया है:

(मात्रा कि॰ ग्रा॰ में और मूल्य लाख रुपयों में)

क्र॰ सं॰	मादक पदार्थ की किस्म	वर्ष 1997		वर्ष 1998		वर्ष 1999	
		मात्रा	निर्धारित मूल्य	मात्रा	निर्धारित मूल्य	मात्रा	निर्धारित मूल्य
1.	अफीम	3316	331.6	2031	223.4	1635	196.2
2.	मॉरफीन	128	140.8	19	22.8	36	46.8
3.	हेरोइन	1332	2664.0	655	1637.5	861	2583.0
4.	गांजा	80886	808.9	68221	750.4	40113	481.4
5.	हशीश	3281	492.2	10106	1617.0	3391	576.5
6.	कोकीन	24	480.0	0.73	16.1	1.086	26.1
7.	मैथाक्वलोन	1740	208.8	2257	316.0	474	75.8

(ग) सरकार द्वारा स्वापक औषधियों की तस्करी की रोकथाम करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में लगातार निगरानी रखना, प्रवर्तन-प्रयासों में तेजी लाना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, सीमा पर स्वापक औषधियों की रोकथाम करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक को शक्तियां प्रदान करना, सीमा के आर-पार समय-समय पर बैठकें आयोजित करना जिनमें भारत और पाकिस्तानी स्वापक एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम करने के लिए म्यांमा की सरकार के साथ एक व्यापक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करना और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के सिलसिले में गिरफ्तारी किए गए सभी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

[अनुवाद]

उर्वरक इकाइयों में विनिवेश

2033. श्री सुरेश कुरूप: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों में विनिवेश हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार को प्रमुख उद्योग के रूप में उर्वरक इकाइयों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें विनिवेश आरम्भ न करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) विनिवेश पर घोषित नीति के अनुसरण में सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मे 97.65 प्रतिशत में अपनी 51 प्रतिशत होल्डिंग का, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 58.74 प्रतिशत में से 32.74 प्रतिशत होल्डिंग का तथा पैरादीप फॉस्फेटस लिमिटेड में 100 प्रतिशत में से अपनी 74 प्रतिशत होल्डिंग का प्रबन्धन नियंत्रण के साथ अनुकूल क्रेताओं के पक्ष में विनिवेश करने का निर्णय लिया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰ व मद्रास फर्टिलाइजर्स लि॰ के मामले में सरकार की सहायता करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति कर ली गई है।

(ख) और (ग) सरकार को एन.एफ.एल./एफ.ए.सी.टी./पी.पी.एल/एम.एफ.एल. की मजदूर यूनियनों से विनिवेश आदि के सम्बन्ध में ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विनिवेश नीति सभी मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही निरूपित की गई है और इन मामलों में विनिवेश को विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अन्तिम रूप दिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न

2034. **डा॰ संजय पासवान:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अतिरिक्त खाद्यान्न भण्डार का उपयोग करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) जी, नहीं।

विदेशों से वित्तीय सहायता

2035. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता के लिए विदेशों के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए;

(ख) ये देश कौन-कौन से हैं और इनके द्वारा कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी;

(ग) क्या उक्त देशों से अब तक कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र॰ सं॰	देश का नाम	करारों की संख्या (1.4.1997-31.3.2000 के दौरान)	सहायता-राशि (करोड़ रु॰)
1	2	3	4
1.	डेनमार्क	4	154.67
2.	ई॰ सी॰	2	929.44
3.	जर्मनी	7	1012.53
4.	जापान	23	3772.71
5.	नीदरलैण्ड्स	10	459.79
6.	स्वीडन	2	15.16
7.	स्विट्जरलैण्ड	1	34.89
8.	यू॰ के॰	11	1874.79
9.	संयुक्त राज्य अमरीका	1	183.91
10.	रूसी परिसंघ	1	11251.01
11.	फ्रांस	23	607.49

[अनुवाद]

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

2036. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्वीकरण नीतियों के संदर्भ में और व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल बनाने हेतु पेटेन्ट, ट्रेड मार्क और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से सम्बद्ध कार्य करने वाले वर्तमान प्रशासनिक ढांचे और प्राधिकरणों के एकीकरण और पुनर्गठन हेतु पर्याप्त कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो व्यवसायिक समर्थन उपलब्ध कराने हेतु शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और इनका उन्नयन करने के लिए उठाए गए कदम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 2000-2001 के लिए कार्य योजना क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां। सरकार द्वारा की गयी पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं: पर्याप्त परिव्यय के साथ पेटेंट तथा व्यापार चिन्हों की व्यवस्था का आधुनिकीकरण व पुनर्गठन करने हेतु उठाये गये कदम, ताकि प्रणालियों का अद्यतन किया जा सके और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके।

(ख) और (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बौद्धिक सपंदा मामलों की शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता रहा है। गत दो वर्षों के दौरान, 'बौद्धिक संपदा अधिकारों के अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता स्कीम के तहत विभिन्न संस्थानों और संगठनों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के अध्ययन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। और उक्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों के अध्ययनों और विकास हेतु प्रयासों को दुगुना करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है।

इसके अलावा पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधनों की मांग को पूरा करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि पेटेंट सूचना प्रणाली नागुपर के कार्यालय को एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पुनर्गठित किया जाए, जिससे आशा है कि वह न केवल भारत में ही बौद्धिक संपदा कार्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि इस प्रणाली के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। ये पहले, उद्योग एसोसिएशनों द्वारा इस क्षेत्र में मानव संसाधनों को विकसित करने हेतु आरंभ की गयी पहलों के अतिरिक्त है।

खाद्यान्नों की खरीद

2037. **श्री के॰ येरननायडू:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय पूल के लिए पंजाब से खाद्यान्न की खरीद हेतु किन-किन रियायतों की घोषणा की गई है;

(ख) क्या किसानों की दशा को ध्यान में रखते हुए इन रियायतों को आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों को भी दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान पंजाब में धान की वसूली के लिए निम्नलिखित रियायतें दी गई है:

(1) एकल (उचित औसत किस्म) विनिर्दिष्टियों के अधीन मुहैया की गई 3 प्रतिशत की सीमा के स्थान पर अधिकतम 8 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त, बदरंग, उगे हुए और घुन लगे अनाज वाले धान की वसूली करने की अनुमति दी गई है।

(2) उपर्युक्त विनिर्दिष्टियों के अनुरूप धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वसूली की जाएगी।

(3) शिथिल की गई ऐसी धान की कस्टम मिलिंग के लिए धान से चावल प्राप्ति अनुपात (आउट टर्न) रॉ के लिए 64 प्रतिशत और सेला चावल के लिए 65 प्रतिशत होगा।

(4) धान की मिलिंग कराने और चालू खरीफ विपणन मौसम के अंदर की एकल विनिर्दिष्टियों के अनुरूप चावल की ही सुपुर्दगी करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी; और

(5) इस पर भी सहमति हुई है कि पंजाब के जिन किसानों की धान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर खरीदी गई थी, उनके लिए राज्य सरकार इस अंतर को पूरा करेगी। इस अंतर से उत्पन्न कुल खर्च को अधिकतम 1000 करोड़ रुपये तक सीमित रखा जाएगा। वित्त मंत्रालय इस खर्च के लिए पंजाब सरकार को 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिपूर्ति करेगा।

(ख) से (घ) पंजाब को धान की विनिर्दिष्टियों में रियायत इसलिए दी गई थी ताकि एजेंसियाँ उस धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वसूली कर सकें जो धान बेमौसमी वर्षा और ब्लिट बीमारी के कारण प्रभावित हो गई थी जिससे कि किसानों की दिक्कतों को कम किया जा सके। पंजाब की तरह आंध्र प्रदेश में धान की वसूली भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं की जाती है और चावल की वसूली केवल लेवी माध्यम से ही की जाती है। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार विकेन्द्रीकृत वसूली के अधीन चावल की वसूली करती है और बेमौसमी वर्षा अथवा धान की फसल को प्रभावित करने वाली किसी भयंकर बीमारी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

एयर इंडिया के लिए प्रतियोगी बोलियां

2038. **श्री पी॰ डी॰ एलानगोवन:** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में एयर इंडिया को चलाने के लिए विदेशी सहयोग से संयुक्त एयरलाइन्सों से प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न संयुक्त उद्यम कम्पनियों जैसे रिलायंस ब्रिटिश एयरवेज, टाटा-सिंगापुर एयरलाइन्स, पायलट्स गिल्ड से महत्वपूर्ण भागीदार बनने के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ङ) विनिवेश पर सरकार की कथित नीति के अनुसरण में सरकार ने मई, 2000 में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् तथा 40 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री किसी अनुकूल साझीदार को करने, 10 प्रतिशत इसके कर्मचारियों को देने तथा शेष वित्तीय संस्थानों और/अथवा बाजार में उपलब्ध कराने के द्वारा एयर इण्डिया में 60 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसरण मे सरकार ने 2.10.2000 को हितों की अभिव्यक्ति आमंत्रित करते हुए प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किए हैं। लेन-देन के लिए सरकार के सलाहकार जे. एम. मोरगन स्टेनले को कतिपय संभावित साझीदारों से हितों की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। तथापि, ऐसे चरण में जब लेन-देन आरंभिक चरणों मे हो, इच्छुक निवेशकों के नामों को सरकारी तौर पर प्रकट करना जल्दबाजी होगी और इसके अलावा यह प्रकटीकरण लेन-देन की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

वैगन विनिर्माण इकाईयों का कार्य निष्पादन

2039. श्री रामानन्द सिंह:
श्री ए॰ नरेन्द्र:
डा॰ जसवंत सिंह यादव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वैगन विनिर्माण इकाइयों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है एवं वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान उनका कार्य निष्पादन क्या रहा है;

(ख) क्या इनमें से कुछ इकाइयां घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन इकाइयों के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) देश में मुख्यत: 13 बड़ी वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जिनके नाम हैं :

1. भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना।
2. ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।
3. बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।
4. जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।
5. सदर्न स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, चेन्नई।
6. ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।
7. सिमको बिरला लिमिटेड, भरतपुर, राजस्थान।
8. टेक्समाको लिमिटेड, कलकत्ता।
9. माडर्न इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद, यू॰ पी॰।
10. हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कारपोरेशन, कलकत्ता।
11. बेस्को लिमिटेड, कलकत्ता।
12. टीटागढ़ स्टील लिमिटेड, कलकत्ता।
13. हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दिल्ली (स्थानान्तरणाधीन)।

इसके अलावा, कुछ कंपनियों को रेलवे ने विकासपरक क्रयादेश दिए हैं।

घाटों सहित सभी कंपनियो के संबंध में निष्पादन संबंधी सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है। वैगन उद्योग को 1991 में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। सभी वैगन निर्माता किसी एक निकाय अथवा संघ इत्यादि के सदस्य नहीं हैं। भौतिक उत्पादन से संबंधित आंकड़ा जो उपलब्ध है, नीचे दिया गया है:

पिछले 3 वर्षों के दौरान रेलवे बोर्ड के आदेशों के मुकाबले वैगनों का वास्तविक उत्पादन (अन्य रेलवे तथा पार्टियों के अलावा वैगन निर्माता फर्म द्वारा प्राप्त सीधे ही उत्पादन को छोड़कर)

चार पहियों वाले इकाइयों के आंकड़े।

क्र. सं.	वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना	2537.5	2125	1080
2.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	26.57	2587.5	2092.5
3.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी, कलकत्ता	3645	4030	3160
4.	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	157.5	407.5	187.5
5.	सदर्न स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, चेन्नई	380	475	370
6.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	शून्य	शून्य	52.5
7.	सिमको बिरला लिमिटेड, भरतपुर, राजस्थान	2535	1522.5	960
8.	टेक्समाको लिमिटेड, कलकत्ता	4130	3695	1585
9.	माडर्न इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद, यू॰ पी॰	1325	1032.5	1457.5
10.	हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कारपोरेशन, कलकत्ता	4315	3190	1012.5
11.	बेस्को लिमिटेड, कलकत्ता	540	1255	1247.5
12.	टीटागढ़ स्टील लिमिटेड, कलकत्ता	412.5	1032.5	737.5

1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान सरकारी क्षेत्र की प्रमुख वैगन निर्माणकारी कंपनियों का वित्तीय निष्पादन नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		उत्पादन*	लाभ (हानि) करोड़ रु. में	उत्पादन*	लाभ (हानि) करोड़ रु. में	उत्पादन*	लाभ (हानि) करोड़ रु. में
1.	भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना	2537.5	0.46	2125	0.22	1080	(10.78)
2.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	2697.5	2.14	2587.5	0.41	2092.5	(14.13)
3.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी, कलकत्ता	3645	(88.78)	4030	(26.95)	3160	(35.41)
4.	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	157.5	(39.54)	407.5	0.70	187.5	(43.93)
5.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	शून्य	2.85	शून्य	3.80	52.5	6.15

* चार पहियों वाली इकाइयों के आंकड़े।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के प्रमुख वैगन निर्माणकारी उपक्रमों में घाटे के कारणों में पुराना संयंत्र एवं मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, ज्यादा कामगार, उच्च ब्याजभार, कार्यशील पूंजी की कमी, अपर्याप्त क्रयादेश और निम्न एवं उचित मूल्य न मिलना रहा है। सरकार ने ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता, बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता तथा जेसप एंड कंपनी, कलकत्ता को निधियां और साथ ही साथ अन्य छूट एवं राहत मुहैया कराई गई है जैसाकि बीआईएफआर द्वारा उनके स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेजों में परिकल्पना की गई है। सरकार ने इन कंपनियों को आदेश दिलवाने में मदद की है।

चावल की खरीद

2040. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य से अधिक चावल खरीदने के लिए भारतीय खाद्य निगम को निर्देश देने और सेला चावल को केरल और पश्चिम बंगाल भेजने के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिए हैं कि वह आन्ध्र प्रदेश चावल के लिए स्थान खाली करने के लिए चावल, विशेष रूप से सेला चावल की अधिकतम मात्रा अन्य केन्द्रों को भेजने के लिए तत्काल व्यवस्था करे।

केरल राज्य को एशियाई विकास बैंक का ऋण

2041. **श्री के॰ मुरलीधरन:**
श्री टी॰ गोविन्दन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राज्य में एशियाई विकास बैंक से प्राप्त धनराशि से चलने वाली कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) इस समय केरल में एशियाई विकास बैंक से सहायता-प्राप्त कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

निर्यात प्रसंस्करण जोन का कार्य निष्पादन

2042. **श्री पी॰एस॰ गढ़वी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में निर्यात प्रसंस्करण जोनों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन निर्यात प्रसंस्करण जोनों के माध्यम से निर्यात किए गए उत्पादों और उनका मूल्य कितना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक निर्यात प्रसंस्करण जोन से किए गए कुल निर्यात और आयात और प्रत्येक राज्यों के कुल निर्यात और आयात में प्रत्येक निर्यात संवर्धन जोन का प्रतिशत हिस्सा कितना था; और

(घ) उक्त निर्यात प्रसंस्करण जोनों के बीच आयात और निर्यात का अंतर क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) दिनांक 1.4.2000 से प्रभावी निर्यात एवं आयात नीति में सरकार द्वारा घोषित की गई नई योजना के अनुसार, कांडला और सूरत (गुजरात) तथा सांताक्रुज, बम्बई (महाराष्ट्र) स्थित तीन निर्यात प्रसंस्करण जोनों को 1.11.2000 से विशेष आर्थिक जोनों में बदल दिया गया है।

(ख) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सांताक्रुज, कांडला और सूरत स्थित निर्यात प्रसंस्करण जोनों से हुए उत्पाद-वार निर्यात दिए गए हैं:

उत्पाद समूह	सांताक्रुज*			कांडला			सूरत (अनन्तिम)		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर	1061.58	1201.07	1720.10	-	-	-	-	-	-
रत्न एवं आभूषण	1456.10	2080.77	2426.47	-	-	-	-	-	-
भेषज एवं रसायन	-	-	-	263.17	219.72	339.06	-	-	-
वस्त्र एवं परिधान	-	-	-	97.51	84.88	81.85	-	-	-
इंजीनियरिंग वस्तुएं	-	-	-	66.29	30.19	35.77	-	-	-
प्लास्टिक एंव रबर उत्पाद	-	-	-	16.40	34.33	66.33	-	-	0.45
अन्य	-	-	-	20.68	22.69	20.65	-	-	-
कुल	2517.68	3281.84	4146.57	464.05	391.81	543.66	-	-	0.45

*सांताक्रुज इलैक्ट्रानिक ईपीजैड का कार्य केवल इलैक्ट्रानिक तथा रत्न एवं आभूषण से संबंधित है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान सांताक्रुज, कांडला और सूरत ईपीजैड के संबंध में निर्यात और आयात तथा उनमें अंतर निम्नानुसार रहा है।

ई पी सेड का नाम	वर्ष	निर्यात	आयात	अंतर
सांताकुज	1997-98	2517.68	1263.00	1254.68
	1998-99	3281.84	1262.61	2019.23
	1999-2000	4146.57	1925.21	2221.36
	1997-98	464.05	142.30	321.75
कांडला	1998-99	391.81	119.68	272.13
	1999-2000	543.66	133.45	410.21
	1997-98	-	-	-
सूरत	1998-99	-	-	-
	1999-2000**	0.45	0.24	0.21

राज्य वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

अनंतिम

फिल्मों का प्रसारण शुल्क

2043. **डा. ए. डी. के. जयशीलन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती ने हिन्दी फिल्मों के प्रसारण अधिकार का शुल्क 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है जबकि क्षेत्रीय फिल्मों का शुल्क एक लाख रुपए पर ही स्थिर है;

(ख) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं; और

(ग) क्षेत्रीय फिल्मों के प्रसारण अधिकार का शुल्क बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रसार भारती ने हाल ही में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की जाने वाली पुरस्कार विजेता क्षेत्रीय फीचर फिल्म के शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

इनका शुल्क ढांचा निम्न प्रकार से होगा:

(1)	पुरस्कार विजेता फिल्म	10 लाख रुपये
(2)	रजत कमल विजेता फिल्म	12 लाख रुपये
(3)	स्वर्ण कमल विजेता फिल्म	15 लाख रुपये

डॉलर की बिक्री

2044. **डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह:**
मोहम्मद अनवारूल हक:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल की में कोई नया विनियमन जारी किया है जो खुले बाजार में रुपए के गिरते मूल्य को रोकने के लिए निर्यातकों पर उनकी डॉलर संपत्ति को बेचने के लिए बाध्य करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की विदेशी मुद्रा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 अगस्त, 2000 और 10 अक्तूबर, 2000 को कुछ उपाय शुरू किए जो कि निम्नलिखित हैं:

(1) मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ई. ई. एफ. सी.) खातों की शेष राशि को 23 अगस्त, 2000 तक कम करके 11 अगस्त, 2000 को धारित राशि के 50 प्रतिशत तक किया जाना अपेक्षित था।

(2) ई. ई. एफ. सी. खातों में और अभिवृद्धि की पात्र सीमाओं के 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है और उन्हें चालू/बचत खातों के तौर पर नकदी रूप में रखा जाना अपेक्षित है।

(3) ई. ई. एफ. सी. खातों के एवज में उपलब्ध ऋण सुविधाओं को आगामी नोटिस तक स्थगित कर दिया गया है।

(4) पिछले अनुभव और प्रमुख निर्यात संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं (फीड बैक) के परिप्रेक्ष्य में ई. ई. एफ. सी. योजना का

पुनरीक्षण किया गया और संशोधनों की घोषणा वर्ष 2000-2001 की मौद्रिक एवं ऋण नीति की मध्यावधिक समीक्षा की 10 अक्तूबर, 2000 की विवरणी के एक भाग के रूप में की गई। तदनुसार, निर्यात संबंधी भुगतानों में तेजी लाने और लेन-देन की लागत कम करने के लिए ई.ई.एफ.सी. की अधिकारिताओं को पुनः उनके पूर्व स्तर पर लाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि ई.ई.एफ.सी. खाते अब से चालू खातों के रूप में धारित किए जाएंगे और बैंकों द्वारा ई. ई. एफ. सी. की शेष राशि के एवज् में ऋण की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

उपर्युक्त उपाय जिनसे बाजार में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हुई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय-दर के उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए किए गए अन्य उपायों के पूरक के रूप में हैं।

छोटे गैस सिलेंडरों का निर्माण

2045. **श्री अरुण कुमार:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान छोटे गैस सिलेंडरों के फटने से कई मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है जो आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना ऐसे छोटे गैस सिलेंडरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है;

(ग) छोटे गैस सिलेंडरों के निर्माण हेतु लाइसेंस प्राप्त कम्पनियों के नाम और स्थान क्या हैं;

(घ) क्या मेरठ (उत्तर प्रदेश) में बड़ी संख्या में अनधिकृत कारखाने छोटे गैस सिलेंडरों के निर्माण में लगे हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कानून के विरुद्ध छोटे गैस सिलेंडरों का निर्माण जारी रखने से रोकने के लिए ऐसे कारखानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ङ) सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान गैस सिलेंडरों के फटने से हुई किसी की मौत की जानकारी नहीं है। गैस सिलेंडरों का विनिर्माण स्थापना-स्थल संबंधी नीति के अध्यधीन एक लाइसेंस मुक्त कार्यकलाप है। उद्यमियों को सरकार के पास केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर करना पड़ता है। अगस्त, 1991 से अक्तूबर, 2000 तक की अवधि के दौरान, गैस सिलेंडरों के विनिर्माण के लिए 110 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सरकार को मेरठ (उत्तर प्रदेश में) छोटे गैस सिलेंडरों का विनिर्माण करने वाले किसी अनधिकृत कारखाने की जानकारी नहीं है.

विवरण

गैस सिलेंडरों (छोटे गैस सिलेंडरों सहित) के विनिर्माण के लिए 1.8.1991 से 31.10.2000 के दौरान दायर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आई ई एम) के राज्यवार ब्यौरे

राज्य का नाम	आई ई एम की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	10
असम	1
बिहार	1
गुजरात	10
हरियाणा	9
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	1
मध्य प्रदेश	7
महाराष्ट्र	17
मेघालय	1
उड़ीसा	2
पंजाब	7
राजस्थान	5
तमिलनाडु	3
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	29
पश्चिम बंगाल	4
दिल्ली	1
योग	110

उत्तर प्रदेश को धन

2046. **श्री पदमसेन चौधरी:**
श्री रामदास आठवले:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) किन योजनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विकास योजनाओं में केन्द्रीय धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु राज्यों पर कड़ी निगरानी रखने का निणय लिया है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार को धनराशि के दुरुपयोग या केन्द्रीय धनराशि का कम उपयोग के बारे में विभिन्न राज्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:

(छ) यदि हां, तो किन राज्यों ने केन्द्रीय धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया है और उनका दुरुपयोग किया है; और

(ज) सरकार ने केन्द्रीय धनराशि के कम उपयोग और दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता सकल अनुदान तथा सकल ऋण के रूप में जारी की जाती है, जो कि किसी स्कीम विशेष या परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को आबंटित निधियां निम्न हैं:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सकल अनुदान	सकल ऋण
1999-98	1037.15	2035.08
1998-99	1140.55	2050.57
1999-2000	1356.49	2451.78

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) से (ज) राज्यों की योजनाओं के तहत किए गए निर्गम के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार की गई राज्य लेखा रिपोर्ट के माध्यम से निधियों के समुचित उपयोग के लिए राज्य सरकारें अपने राज्य विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होती हैं। तथापि, अनुमोदित/संशोधित योजना प्रारूप के विपरीत योजना व्यय में खामी होती है तो, राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता में से एक आनुपातिक कटौती कर ली जाती है।

बीमा एजेंट

2047. **श्री रूपचन्द पाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामन विकास प्राधिकरण बीमा एजेंटों के प्रशिक्षण हेतु संस्थानों की स्थापना के लिए आवेदनों पर कार्रवाई कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या कोई ऐसे प्रशिक्षण संस्थान को पहले ही अनुमति दी जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि उन्हें दि॰ 22.11.2000 तक देश भर से 135 (एक सौ पैंतीस) आवेदन प्राप्त हुए हैं और 26 (छब्बीस) संस्थाओं को बीमा एजेंटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	संस्थानों से प्राप्त आवेदन	अनुमोदन-प्राप्त संस्थाए
उत्तरी	30	6
पूर्वी	20	5
पश्चिमी	42	8
दक्षिणी	43	7
जोड़	135	26

[हिन्दी]

निवेशक संघों को धनराशि

2048. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शेयर बाजारों द्वारा वर्ष 1998 के दौरान और आज तक देश के निवेशक संघों को शेयर बाजार-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, शेयर बाजारों द्वारा निवेशक संघों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज	मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज
1998-99	5.00	19.37*
1999	5.00	-
2000	5.00	7.00

* यह राशि वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा निवेशक जागरूकता एवं शिक्षा के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रमों हेतु बी.एस.ई. द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए व्यय को सूचित करती है।

पत्र सूचना ब्यूरो के कार्यालय

2049. डा. बलिराम: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार किन-किन स्थानों पर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के कार्यालय स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार-योजना की शेष अवधि के दौरान ऐसी इकाईयों को खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ओर स्थानवार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के मौजूदा क्षेत्रीय प्रचार एककों के राज्य-वार स्थान संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान दस नए क्षेत्रीय प्रचार एकक स्थापित किए जाने का विचार है। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य	एकक	
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	निजामाबाद
	वारंगल	कुड्डाणह
	काकिनाडा	कुर्नूल
	श्रीकाकुलम	नेल्लोर
	गुंटूर	नालगोन्डा
	मेडक	विशाखापत्तनम
अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	डफेरिजो
	पासीघाट	तेजू
	अलोंग	अनीनी
	खोन्सा	सीपा
	जीरो	बोमडिला
	नाम्पोंग	तवांग
	यिंगक्योंग	
असम	गुवाहाटी	जोरहाट
	नौगांव	बरपेटा
	सिल्चर	डिब्रुगढ़
	तेजपुर	हाफ्लोंग
	दीफू	धुबरी
	नलबाड़ी	उत्तरी लखीमपुर
	धीमाजी	
बिहार	पटना	मुंगेर
	सीतामढ़ी	किशनगंज
	भागलपुर	मुजफ्फरपुर
	छपरा	फोरबेसंगज
	मोतीहारी	दूरभंगा
	बेगुसराय	गया
झारखण्ड	रांची	हजारीबाग
	डाल्टनगंज	जमशेदपुर
	गुमला	दुमका
	धनबाद	चाइबासा
गुजरात	अहमदाबाद	जूनागढ़
	राजकोट	बडोदरा
	पालनपुर	आहवा
	हिम्मतनगर	भावनगर
	गोचरा	सूरत
	भुज	
गोवा	पणजी	
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	हमीरपुर
	रेकांग ण्यो	मण्डी
	नाहन	शिमला
	चम्बा	
हरियाणा	अम्बाला	हिसार
	नारनौल	रोहतक
जम्मू एंव कश्मीर	जम्मू	कंगन
	उधमपुर	श्रीनगर
	राजौरी	अनन्तनाग
	कुपवाड़ा	कथुआ
	कारगिल	बारामूला
	चदूरा	शोपियन
	डोडा	पुंछ
	लेह	
कर्नाटक	बंगलौर	बेल्लारी
	मंगलौर	बीजापुर

राज्य	एकक	
	मैसूर	चित्रदुर्ग
	बेलगाम	गुलबर्गा
	शिमोगा	धारवाड़
	हसन	
केरल	तिरूवनन्तपुरम	त्रिचूर
	क्वीलोन	मालीपुरम
	कोट्टायम	कननानोर
	कलपेट्टा (व्यानन्द)	कोचीन
	कोजीकोडे	पलघाट
	अल्लेपी	
छत्तीसगढ़	रायपुर	दुर्ग
	कंकेर	जगदलपुर
	बिलासपुर	अम्बिकापुर
मध्य प्रदेश	शहडोल	जबलपुर
	सीधी	बालाघाट
	इन्दौर	रीवा
	छतरपुर	माण्डला
	भोपाल	उज्जैन
	सागर	ग्वालियर
	होशंगाबाद	छिन्दवाड़ा
	झाबुआ	गुना
	मन्दसौर	
महाराष्ट्र	पुणे	सतारा
	नासिक	अमरावती
	वर्धा	रत्नागिरी
	अहमदनगर	नान्देड़
	चन्द्रपुर	मुम्बई
	सोलापुर	कोल्हापुर
	औरंगाबाद	जलगांव
	नागपुर	
मेघालय	शिलांग	जोबई
	तुरा	बिलियमनगर
	नांगस्टॉइन	
मिजोरम	ऐजवाल	लुंगलेई
	सेहा	

राज्य	एकक	
त्रिपुरा	उदयपुर	अगरतला
	कैलाशहर	
नागालैंड	कोहिमा	मोकोकचुंग
	मोन	तुइनसेंग
मणिपुर	इम्फाल	उखरूल
	चुराचांदपुर	चन्देल
	तमेन्लांग	सेनापति
पंजाब	अमृतसर	फिरोजपुर
	जालन्धर	लुधियाना
	पठानकोट	
उड़ीसा	भुवनेश्वर	भवानीपटना
	क्योझार	पुरी
	बालासोर	कटक
	फूलबनी	सम्भलपुर
	थेनकनाल	जैपोर
	बरहामपुर	बारीपाड़ा
राजस्थान	जयपुर	जोधपुर
	सीकर	उदयपुर
	बाड़मेर	बीकानेर
	जैसलमेर	श्रीगंगानगर
	अजमेर	अलवर
	डुंगरपुर	कोटा
	सवाई माधोपुर	सिरोही
तमिलनाडु	चेन्नै	तिरूनेलवेल
	सलेम	रामनाथपुरम
	बेललोर	चिरुचिरापल्ली
	तंजावुर	कोयम्बतूर
	मदुराई	धर्मपुरी
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	बांदा
	झांसी	मैलपुरी
	वाराणसी	गोण्डा
	कानपुर	रायबरेली
	इलाहाबाद	आजमगढ़

	एकक	
	गोरखपुर	लखीमपुर खीरी
	सुल्तानपुर	अलीगढ़
	मुरादाबाद	मुजफ्फरनगर
	आगरा	मेरठ
	बरेली	
उत्तरांचल	देहरादून	पौढ़ी
	उत्तरकाशी	गोपोश्वर
	पिथोरागढ़	नैनीताल
	रानीखेत	
पश्चिम बंगाल	सिलीगढ़ी	माल्दा
	कूच-बिहार	जलपाइगुड़ी
	रायगंज	कलिम्बोंग
	गंगटोक	जोरथांग
	कलकत्ता-I	कलकत्ता (एफ)
	बांकुरा बर्धवान	मिदनापुर
	चिन्सुराह	रानाघाट
	बरहामपोर	बैरकपुर
	संघ शासित क्षेत्र	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	कार निकोबार
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	
दिल्ली	दिल्ली-I	दिल्ली-II
लक्षद्वीप	कावारत्ती	
पांडिचेरी	पांडिचेरी	

विवरण II

क्र. सं.	राज्य	नए एककों का स्थान
1.	नागालैण्ड	बोखास
2.	अरूणाचल प्रदेश	रोइंग
3.	असम	कोकराझार
4.	उत्तरांचल	हरिद्वार
5.	उड़ीसा	बोलांगिर
6.	तमिलनाडु	नीलगिरी
7.	महाराष्ट्र	धुले
8.	हरियाणा	कुरुक्षेत्र
9.	मध्य प्रदेश	धड़गांव
10.	छत्तीसगढ़	रायगढ़

भारी इंजीनियरी निगम द्वारा कार्य करने में विलम्ब

2050. **श्री राम टहल चौधरी:**
प्रो॰ दुखा भगत:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची द्वारा कितने मूल्य का सामान बेचा गया;

(ख) उन विभागों के नाम क्या हैं जिनको ये सामान बेचे गए और उसकी मात्रा कितनी है;

(ग) क्या भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड ने विभिन्न विभागों से प्राप्त कार्यादेशों को समय पर पूरा नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कार्यादेशों को समय पर पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जवाबदेही तय की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) कृपया संलग्न विवरण देखें।

(ग) से (च) आदेशों का निष्पादन करने में विलम्ब होते रहे हैं। आदेशों के मूल्य के संदर्भ में विलम्ब की प्रतिशतता 1997-98 में 92%, 1998-99 में 60% और 1999-2000 में 24% थी। विलम्ब के मुख्य कारणों में ग्राहकों द्वारा तैयार उत्पादों को न उठाना, प्रौद्योगिकी की स्थापना में विलम्ब और कार्यशील पूंजी आदि की समस्याओं का होना रहा है। कुछ मामलें में कार्मिकों को भी दोषी पाया गया है।

एचईसी में समन्वित योजना निगरानी और नियंत्रण (आई.पी.एम.सी.) एक एकतंत्र सृजित किया है जिसके द्वारा विलम्ब के विश्लेषण के ब्यौरे तैयार किए जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान (1997-98, 1998-99 और 1999-2000) विलम्ब के लिए कार्मिकों को उत्तरदायी पाया गया है और उनके खिलाफ 105 मामलों में कार्रवाई की गई है।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों मे एचईसी द्वारा बिक्री की गई वस्तुओं का मूल्य नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

1997-98	19998-99	1999-2000
247.53	260.93	256.50

(ख) इकाईवार बिक्री की गई वस्तुओं का मूल्य नीचे दिया गया है;

(करोड़ रुपये में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
स्टील	74.63	43.24	43.83
माइनिंग	85.46	79.80	79.10
रक्षा	14.18	20.39	23.11
रेलवे	5.46	12.48	20.07
अन्य विविध	52.78	87.76	80.61
टर्नकी परियोजना	15.02	17.26	9.78
कुल	247.53	260.93	256.50

[अनुवाद]

फलों और सब्जियों का निर्यात

2051. श्रीमती निवेदिता माने: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व के फल और सब्जी उत्पादक/निर्यातक देशों में भारत का क्या स्थान है;

(ख) भारत से अन्य देशों को निर्यात किए जा रहे उत्पादित फलों और सब्जियों का प्रतिशत क्या है; और

(ग) ऐसे निर्यात का प्रतिशत बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) विश्व में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तथापि, विश्व व्यापारक में फलों और सब्जियों के निर्यातों में भारत का हिस्सा लगभग एक प्रतिशत है।

(ग) फलों और सब्जियों जैसे बागवानी उत्पादों के उत्पादन और इनके निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और शुष्क क्षेत्र के फलों के समेकित विकास के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का अधीन अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौध शालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करने, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) निर्यात एककों में आधुनिक आईएसओ 9000/एचएसीसीपी उपकरणों की स्थापना सहित उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(3) चुन्निदा ताजी सब्जियों और ताजे फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(4) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना। शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों की शैल्फ-आयु में वृद्धि करने के लिए परिवहन में प्रयोग होने वाली नियंत्रित/संशोधित वातावरण प्रौद्योगिकियों जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग हेतु अनुसंधान प्रयास जारी हैं।

(5) क्रेता विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(6) ताजे फलों और ताजी सब्जियों जैसे जल्दी खराब होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीत भंडारण की सुविधाओं की स्थापना करना;

(7) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग परिवहन इत्यादि के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित व्यापार और उद्योग जगत को तकनीकी परामर्शी सेवा और दूसरी सहायता सेवाएं मुहैया कराना।

[हिन्दी]

टी.वी. टावरों की स्थापना

2052. श्री राम सिंह कस्वां: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने टी.वी. टावरों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) अब तक राज्य-वार उनमें से कितने टी.वी. टावर स्थापित किए गए हैं;

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उक्त धनराशि पर्याप्त थी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरदर्शन द्वारा 80 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा 422 अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार था।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अब तक भिन्न-भिन्न श्रेणियों के 299 दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू कर दिए गए हैं। राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरदर्शन के लिए पूंजीगत परिव्यय में ट्रांसमीटर स्कीमों के लिए 808.00 करोड़ रुपये (पूंजी) की राशि शामिल है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) दूरदर्शन चल रही ट्रांसमीटर स्कीमों की आवधिक मॉनीटरिंग और प्रगति की समीक्षा के द्वारा ट्रांसमीटर परियोजनाओं को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किए गए ट्रांसमीटर (1.4.1997 से 27.11.2000) तक

क्र. सं.	राज्य	चालू किए गए ट्रांसमीटर				
		उ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.	अ.अ.श.ट्रां.	ट्रांसपोजर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2	17			20
2.	अरूणाचल प्रदेश	-		21		23
3.	असम	2	3			5
4.	बिहार		3			4
5.	छत्तीसगढ़			3		5
6.	गुजरात		18			20
7.	हरियाणा		6			6
8.	हिमाचल प्रदेश		3	10		14
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4	6	12		22
10.	झारखण्ड		3			5
11.	कर्नाटक	3	6	2		11
12.	केरल	2	2			4
13.	महाराष्ट्र		17	12		30
14.	मणिपुर			3		3
15.	मेघालय	1	-	-	1	2
16.	मिजोरम	-	1	-	1	2
17.	मध्य प्रदेश	2	9	1	-	12
18.	नागालैण्ड	-	1	2	-	3
19.	उड़ीसा	2	12	14	-	28
20.	पांडिचेरी	-	1	-	-	1
21.	पंजाब	1	1	-	-	2
22.	राजस्थान	3	10	5	-	18
23.	सिक्किम	-	-	2	-	2
24.	तमिलनाडु	1	7	2	-	10
25.	त्रिपुरा	1	3	-	-	4
26.	उत्तर प्रदेश	4	13	3	-	20
27.	उत्तरांचल	1	3	12	-	16
28.	पश्चिम बंगाल	2	4	1	-	7
	कुल	37	151	108	3	299

[अनुवाद]

काली मिर्च का निर्यात

2053. **श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान देश में काली मिर्च के उत्पादन और निर्यात की कोई समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-अलग वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) काली मिर्च सहित कृषि उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और तदनुसार निर्यात के लिए बेशी स्टाक की उपलब्धता और घरेलू कीमत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जब कभी आवश्यक समझा जाता है, नीति संबंधी हस्तक्षेप किऐ जाते हैं। काली मिर्च के उत्पादन और निर्यातों से संबंधित आंकड़ों के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	उत्पादन (टनों में)	निर्यात (मात्रा टनों में)	निर्यात (मूल्य करोड़ रू॰ में)
1998-99	65990	34864	638
1999-2000	69000*	42100	865
2000-01	79000*	9750*	196.45**

स्रोत: मसाला बोर्ड/कृषि मंत्रालय

* यह अनुमान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु स्थित सुपारी और मसाला विकास निदेशालय द्वारा किए गए त्वरित सर्वेक्षण पर आधारित है।

** अप्रैल-सितम्बर, 2000 के दौरान हुए निर्यात।

[हिन्दी]

निवेश हेतु अनिवासी भारतीयों के प्रस्ताव

2054. प्रो. दुखा भगत: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, इन प्रस्तावों में कितनी धनराशि शामिल है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके लिए ये प्रस्ताव किए गए थे;

(ख) कितने प्रस्ताव स्वीकार किए गए, इनमें कितनी धनराशि शामिल है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके लिए ये प्रस्ताव किए गए थे;

(ग) देश में निवेश का वास्तविक आगम कितना है;

(घ) क्या कई अनिवासी भारतीयों ने जटिल औपचारिकताओं और भ्रष्टाचार के कारण प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद भी निवेश नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अवरोधों का दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् जनवरी, 1998 से सितम्बर, 2000 तक के दौरान सरकार ने कुल 402 एन.आर.आई. प्रस्तावों का अनुमोदन किया है जिनमें 2049.86 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश अन्तर्ग्रस्त है। वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 (सितम्बर तक) के दौरान अनुमोदित एन आर आई प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 1991 से सितम्बर, 2000 तक एन आर आई निवेश का वास्तविक अन्त: प्रवाह 8540.25 करोड़ रुपये है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित एन आर आई योजनाओं पर होने वाली अन्त: प्रवाह की राशि भी सम्मिलित है।

(घ) और (ङ) अन्त: प्रवाह हेतु लिया गया समय सामान्यत: अनेक कारणों की वजह से अधिक है। यह है भूमि का अधिग्रहण, विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने, निधियों का प्रबंध करने आदि। इनके अलावा विश्व विपणन शर्तें तथा व्यवसाय मूल जैसे अन्तरराष्ट्रीय कारक भी प्रमुख निवेश निर्णयों को निर्धारित करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा निवेशक अनुकूल वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने वाली एक गतिशील नीति पहले ही शुरू है। तथापि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सभी एक सतत् एवं परामर्शी प्रक्रिया है जिसमें सरकार के अनेक विभाग तथा मंत्रालय शामिल हैं।

विवरण

1998 में अनुमोदित एन आर आई प्रस्ताव के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपये)

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			एफ डी आई की राशि	कुल का प्रतिशत
	कुल	तकनीकी	वित्तीय		
आंध्र प्रदेश	21	0	21	290.31	38.69
बिहार	01	0	01	0.20	0.03
गुजरात	08	0	08	70.84	9.44
हरियाणा	05	0	05	6.86	0.91
हिमाचल प्रदेश	01	0	01	0.33	0.04
कर्नाटक	14	1	13	114.38	15.24
केरल	01	0	01	0.67	0.09
मध्य प्रदेश	01	0	01	2.86	0.38
महाराष्ट्र	20	0	20	135.61	18.07
उड़ीसा	01	0	01	6.44	0.86
पंजाब	02	0	02	5.07	0.68
तमिलनाडु	09	0	09	60.18	8.02
उत्तर प्रदेश	06	0	06	13.58	1.81
पश्चिम बंगाल	03	0	03	17.35	2.31
दादर और नागर हवेली	01	0	01	0.86	0.11
दिल्ली	05	0	05	13.32	1.78
दमन और दीव	01	0	01	0.25	0.03
अन्यत्र नहीं दर्शाये गए राज्य	05	0	05	11.23	1.50
कुल	105	1	104	750.34	

1999 में अनुमोदित एन.आर.आई. प्रस्ताव के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपये)

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			एफ डी आई	कुल का
	कुल	तकनीकी	वित्तीय	की राशि	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	16	0	16	23.25	5.13
गुजरात	06	0	06	3.90	0.86
हरियाणा	06	0	06	103.45	22.75
हिमाचल प्रदेश	01	0	01	0.45	0.10
कर्नाटक	15	0	15	21.91	4.82
केरल	04	0	04	6.07	1.33
मध्य प्रदेश	01	0	01	0.14	0.03
महाराष्ट्र	29	0	29	108.87	23.94
उड़ीसा	01	0	01	0.50	0.11
पंजाब	02	0	02	2.10	0.46
राजस्थान	06	0	06	60.80	13.37
तमिलनाडु	19	1	18	14.91	3.28
उत्तर प्रदेश	09	0	09	7.32	1.61
पश्चिम बंगाल	02	0	02	1.00	0.22
चंडीगढ़	10	0	01	0.98	0.22
दिल्ली	17	0	17	56.19	12.36
पांडिचेरी	01	0	01	10.00	2.20
अन्यत्र नहीं दर्शाये गए राज्य	08	0	08	32.87	7.23
कुल	144	1	143	454.81	

जनवरी, 2000 से सितम्बर, 2000 तक अनुमोदित एन.आर.आई. प्रस्ताव के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपये)

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			एफ डी आई	कुल का
	कुल	तकनीकी	वित्तीय	की राशि	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	31	0	31	126.90	15.02
गुजरात	05	0	05	2.04	0.24
हरियाणा	01	0	01	11.11	1.32
कर्नाटक	22	0	22	31.56	3.74
केरल	02	0	02	2.74	0.32
महाराष्ट्र	34	0	34	314.08	37.18
पंजाब	01	0	01	1.62	0.19
राजस्थान	01	0	01	0.19	0.02
तमिलनाडु	18	0	18	30.70	3.11
उत्तर प्रदेश	04	0	04	26.30	5.76
पश्चिम बंगाल	03	0	03	48.65	0.12
चंडीगढ़	01	0	01	1.00	0.12
दिल्ली	25	0	25	183.36	21.71
पांडिचेरी	02	0	02	0.43	0.05
अन्यत्र नहीं दर्शाये गए राज्य	03	0	03	64.05	7.58
कुल	153	0	153	844.73	

सिडनी ओलम्पिक का प्रसारण

2055. **श्री जोरा सिंह मान:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने सिडनी ओलंपिक का सीधा प्रसारण उपलब्ध कराया था;

(ख) यदि हां, तो किन देशों में सीधा प्रसारण उपलब्ध कराया गया था;

(ग) क्या दूरदर्शन को इस सीधा प्रसारण के मार्फत विज्ञापन से कोई आय का अर्जन हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कुल धनराशि कितनी है; और

(ङ) प्रसारण अधिकार प्राप्ति से लेकर सीधा प्रसारण प्रदान करने तक की सभी गतिविधियों पर कुल कितना व्यय किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने खेल प्रेमियों के लाभार्थ डीडी स्पोर्ट्स पर 24 घन्टे के सीधे प्रसारण के अलावा, ओलम्पिक पखवाड़े के दौरान विनिर्दिष्ट समय पर डीडी-1 और डीडी-2 पर उद्घाटन समारोह, समापन समारोह और अन्य खेल/आयोजनों के उन अंशों का भी सीधा और रिकार्डिड प्रसारण किया जिनमें भारतीय प्रतियोगी शामिल थे।

(ख) प्रसार भारती ने भारत में प्रसारण हेतु खेलों के विशिष्ट उपग्रह एवं स्थलीय अधिकार प्राप्त किए थे।

(ग) और (घ) जी, हां। 1.08 करोड़ रुपये।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र के बैंक

2056. **श्री बी. के. पार्थसारथी:**
श्री उत्तमराव पाटील:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत बड़े निजी बैंकों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) इन बैंकों की बैंक-वार पूंजी कितनी है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास स्वीकृति हेतु नए निजी क्षेत्र के बैंक खोलने के कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उनके पास गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंक खोलने के लिए 11 आवेदन लंबित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक गैर-सरकारी बैंकों के लिए मानदंडों में संशोधन कर रहा है। लंबित आवेदनों पर कार्रवाई नए मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

विवरण

(करोड़ रु. में)

राज्य का नाम	बैंक का नाम	चुकता पूंजी
आन्ध्र प्रदेश	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि॰	121.36
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि॰	48.01
गोवा	सेंचुरिएन बैंक लि॰	152.47
गुजरात	आईसीआईसीआई बैंक लि॰	196.82
	यूटीआई बैंक लि॰	131.90
केरल	कैथोलिक सिरियन बैंक लि॰	10.52
	धनल्क्ष्मी बैंक लि॰	14.66
	फैडरल बैंक लि॰	21.71
	लार्ड कृष्णा बैंक लि॰	23.48
	नेडुंगडी बैंक लि॰	10.20
	साउथ इंडियन बैंक लि॰	35.53
कर्नाटक	कर्नाटक बैंक लि॰	13.50
	वैश्य बैंक लि॰	19.78
मध्य प्रदेश	आईडीबीआई बैंक लि॰	140.00
महाराष्ट्र	रत्नाकर बैंक लि॰	6.93
	सांगली बैंक लि॰	10.33
	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि॰	29.89
	गणेश बैंक आफ कुरूडवाड लि॰	0.81
	एसबीआई कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि॰	100.00
	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि॰	16.61
	इंडसइंड बैंक लि॰	159.01
	एचडीएफसी बैंक लि॰	243.28
पंजाब	बैंक आफ पंजाब लि॰	105.00
राजस्थान	बैंक आफ राजस्थान लि॰	62.76
तमिलनाडु	बैंक आफ मदुरा लि॰	11.77
	भारत ओवरसीज बैंक लि॰	15.75
	कुरूर वैश्य बैंक लि॰	6.00
	सिटी यूनियन बैंक लि॰	24.00
	लक्ष्मी विलास बैंक लि॰	11.51
	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि॰	0.28
उत्तर प्रदेश	बनारस स्टेट बैंक लि॰	62.11
	नैनीताल बैंक लि॰	2.50

सहकारिता बैंक

2057. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:**
श्री पी.आर. खूंटे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राज्य-वार कितने सहकारी बैंक कार्यरत हैं;

(ख) उनमें से कितने घाटे में चल रहे हैं और वे कहां स्थित है;

(ग) प्रत्येक सहकारी बैंक का संचित घाटा कितना है;

(घ) क्या नाबार्ड का विचार अधिक प्रभावी ग्रामीण सहकारी ऋण पद्धति के संवर्द्धन हेतु एक कोष की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीजी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार, घाटे में चल रहे सहकारी बैंकों की संख्या संलग्न विवरण II में दी गई है।

(ग) 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार, सहकारी बैंकों की संचित हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने सहकारी ऋण प्रणाली का अध्ययन करने और उसे मजबूत बनाने का उपाय सुझाने के लिए एक कृतिक बल का

गठन किया था। कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश में कृतिक बल ने सरकार के अंशदान द्वारा नाबार्ड में एक सहकारी पुनर्वास और विकास निधि तथा राज्य स्तर पर संबंधित राज्य की सहकारी संस्थाओं के अंशदान द्वारा एक अन्य पारस्परिक सहायता निधि की स्थापना करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

विवरण-I

राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एसीएआरडीबी) तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससीबी (29)	डीसीसीबी		एससीएआरडीबी (79)	पीसीएआरडीबी	
		शाखाएं	संख्या	शाखाएं	शाखाएं	संख्या	शाखाएं
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	30			-	-	-
2.	आन्ध्र प्रदेश	24	22	571	-	-	-
3.	अरूणाचल प्रदेश	31			-	-	-
4.	असम	68	1	19	19	21	-
5.	बिहार	14	34	481	169	-	-
6.	चंडीगढ़	10			-	-	-
7.	दिल्ली	26		-	-	-	
8.	गोवा	65				-	--
9.	गुजरात	-	18	1077	181	-	-
10.	हरियाणा	13	17	317	-	84	-
11.	हिमाचल प्रदेश	122	2	124	28	1	9
12.	जम्मू एवं कश्मीर	13	3	111	38	-	-
13.	कर्नाटक	28	19	608	25	177	-
14.	केरल	20	14	447	14*	43	57
15.	मध्य प्रदेश	22	45	1049	9	45	445
16.	महाराष्ट्र	44	30	3635	329@	-	-
17.	मणिपुर	11		1	-	-	-
18.	मेघालय	37			-	-	-
19.	मिजोरम	9			-	-	-
20.	नागालैंड	22		-	-	-	-
21.	उड़ीसा	5	17	302	3	57	-
22.	पांडिचेरी	19			2	-	-
23.	पंजाब	18	19	685	-	79	-
24.	राजस्थान	9	26	381	-	33	119
25.	सिक्किम	1	-	-	-	-	-
26.	तमिलनाडु	40	23	697	20	181	-
27.	त्रिपुरा	36			5	-	-
28.	उत्तर प्रदेश	29	60	1480	313	24	56
29.	पश्चिम बंगाल	41	17	233	2	-	-
	अखिल भारत	807	367	12217	1158	745	686

* जिला कार्यालय @300 उप कार्यालयों सहित

विवरण-II

31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार घाटे में चल रहे बैंकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	एससीबी	डीसीसीबी	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी
आन्ध्र प्रदेश		9		
अरूणाचल प्रदेश	1			
असम		1	1$	
बिहार	1	25	1	
गुजरात		3		
हरियाणा				73
हिमाचल प्रदेश			1	
जम्मू एवं कश्मीर		3	1	
कर्नाटक		2	1	144
केरल				32$
मध्य प्रदेश		23		38
महाराष्ट्र	1	8	1	
मणिपुर	1			
मिजोरम	1		1$	
नागालैंड	1			
उड़ीसा		7	1	55
पांडिचेरी			1	
पंजाब				9
राजस्थान		1		15
सिक्किम	1			
तमिलनाडु		7		99
त्रिपुरा			1	
उत्तर प्रदेश		25		
पश्चिम बंगाल	1		18	
अखिल भारत	7	118	10	483

$ 1997-98 से संबंधित आंकड़े

विवरण-III

31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंकों की संचित हानियों का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

(लाख रु०)

राज्य	एससीबी	डीसीसीबी	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी
आन्ध्र प्रदेश	–	30407	–	–
अरूणाचल प्रदेश	1467	–	–	–
असम	2790	1131	2106	–
बिहार	3558	29957	5296	–
गुजरात	–	22787	–	–
हरियाणा	–	227	–	3192
हिमाचल प्रदेश	–	48	308	–
जम्मू एवं कश्मीर	319	6206	185	–
कर्नाटक	–	7866	4582	23346
केरल	–	–	–	2485
मध्य प्रदेश	–	24166	1066	14569
महाराष्ट्र	37892	35626	39239	–
मणिपुर	2410	–	107	–
मेघालय	997	–	–	–
मिजोरम	2024	–	–	–
नागालैंड	931	–	–	–
उड़ीसा	–	7612	3502	6863
पांडिचेरी	–	–	46	–
पंजाब	–	3566	–	149
राजस्थान	–	10271	–	4231
सिक्किम	–	–	–	–
तमिलनाडु	–	6936	–	11102
त्रिपुरा	685	–	362	–
उत्तर प्रदेश	–	60861	–	–
पश्चिम बगांल	–	1502	–	2547
अखिल भारत	53073	249169	56799	68484

माचिस पर पाटनरोधी शुल्क

2058. श्री टी०एम० सेल्वागनपति: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में माचिस के सस्ते आयात के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क लगाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं। घरेलू उद्योग ने आज की तारीख तक पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के समक्ष कोई याचिका दायर नहीं की है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी माचिसों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ जांच शुरू कर सकें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज दर में समानता

2059. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मनमाने ढंग से ब्याज दरों का निर्धारण कर रही हैं और अपने कर्जदारों से मनमाना ब्याज वसूल कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या विभिन्न वित्तीय कंपनियों की ब्याज दरों में समरूपता लाने हेतु सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से उनके अग्रिमों पर वसूले जाने वाले ब्याज की कोई दर नहीं निर्धारित की है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से वसूली जाने वाली ब्याज दर प्रत्येक कंपनी के लिए अलग-अलग हो सकती है जो कि उनकी निधियों की लागत तथा उनके उधारकर्ताओं की जोखिम अवधारणा पर निर्भर करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वे जमाराशियों पर 16% वार्षिक से अधिक ब्याज नहीं दे सकते हैं।

विदेशी व्यापार में वृद्धि

2060. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वित्त वर्ष के दौरान किन-किन देशों के साथ विदेश व्यापार में वृद्धि दर्ज की गई;

(ख) इस संबंध में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) क्या सरकार ने विदेश व्यापार को बढ़ाने और अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि करने हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के लिए डी जी सी आई एंड एस के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार जिन मुख्य व्यापारिक देशों के साथ हमारे निर्यात में वर्ष 1998-99 की तुलना में वृद्धि हुई है वे हैं–बेल्जियम (7.23%), फ्रांस (10.83%), आयरलैंड (19.44%), इटली (10.32%), लक्समबर्ग (56.06%), नीदरलैंड (16.1%) पुर्तगाल (21.0), स्पेन (12.02%), यू. के. (21.09%), स्विट्जरलैंड (17.93%), शेष यूरोप (20.73%), (नेपाल) (25.14%), श्रीलंका (15.94%), आस्ट्रेलिया (4.19%), चीन (28.25%), हांगकांग (35.68%), इंडोनेशिया (76.19%), जापान (3.09%), कोरिया (39.27%), मलेशिया (35.22%), सिंगापुर (33.57%), थाइलैंड (42.28%), यू ए ई (15.03%), इजरायल (42.41%), नाइजीरिया (22.11%), कनाडा (25.77%), यू एस (18.53%) ब्राजील (3.07%) सी आई एस देश (31.97%)।

इसी प्रकार वर्ष 1999-2000 के दौरान जिन देशों के साथ आयातों में वृद्धि देखी गई है, वह हैं–बेल्जियम (20.79%), डेनमार्क (2313%), फ्रांस (2.43%), ग्रीस (160.55%), आयरलैंड (46.95%), लक्जमबर्ग (113.29%), पुर्तगाल (6.32%), यू. के. (4.06%), स्वीडन (50.92%), शेष यूरोप (1.99%), बंगलादेश (28.91%), श्री लंका (18.01%), चीन (17.81%), हांगकांग (81.57%), इंडोनेशिया (19.51%), मलेशिया (27.71%), सिंगापुर (8.86%), थाईलैंड (17.52%), सऊदी अरब (24.10%), यू ए ई (24.26%), इजराइल (59.94%), मिस्र (38.52%), नाइजीरिया (148.87%), दक्षिण अफ्रीका (37.90%), ब्राजील (66.08 %), सी आई एस देश (13.72%)

देशों की विस्तृत सूची और उनके साथ भारत के व्यापार इत्यादि के आंकड़े डी जी सी आई एंड एस के "भारत की विदेश व्यापार सांख्यिकी, मार्च, 2000" नामक प्रकाशन में उपलब्ध हैं इस प्रकाशन की एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) निर्यात वृद्धि को आगे और बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं–क्रियाविधियों के विकेन्द्रीकरण, सरलीकरण के माध्यम से सौदों की लागत को कम करना तथा एक्जिम नीति में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों, थ्रस्ट क्षेत्रों तथा फोकस क्षेत्रों की पहचान के माध्यम से भी निर्यात बढ़ाने के उपाय किए गए हैं।

अप्रैल-सितम्बर, 2000 में 22.04 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि दर्ज की गई है।

[अनुवाद]

एपीडा की योजनाएं

2061. **श्री राम मोहन गाड्डे:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की अब तक कार्यान्वित विभिन्न योजनाएं/गतिविधियां क्या हैं;

(ख) क्या ग्रामीण उद्यमियों/किसानों को प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात करने योग्य बनाने हेतु प्राशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) एपीडा द्वारा अब तक कार्यान्वित की गई योजनाओं/क्रियाकलापों में ये शामिल हैं–व्यवहार्यता अध्ययन सर्वेक्षण, परामर्श और डाटाबेश के उन्नयन संबंधी योजना, निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास संबंधी योजना, पैकेजिंग विकास योजना, अवस्थापना विकास योजना, गुणवत्ता संवर्धन तथा गुणवत्ता नियंत्रण योजना, मांस संयंत्रों के उन्नयन संबंधी योजना, संगठन निर्माण तथा मानव संसाधन विकास योजना, व्यापार और उद्योग के सामान्य हित के लिए अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से एपीडा द्वारा संगत अनुसंधान तथा विकास को सृजित करने की योजना, चुनिंदा ताजी सब्जियों और फलों तथा पुष्पोत्पादों पर वायु भाडा इमदाद योजना और फसल पूर्व तथा फसलोत्तर प्रबंधन हेतु बागवानी क्षेत्र में उत्पादकों के लिए समेकित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक मण्डल में रिक्त पद

2062. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में बहुत से पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में कितने पद रिक्त हैं;

(ग) निदेशकों के रिक्त पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) फिलहाल, राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशकों के 133 पद रिक्त हैं। बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में निदेशकों के रिक्त पदों को भरने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में रिक्त पदों की संख्या

क्र. सं.	बैंक का नाम	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कामगार निदेशक	गैर-कामगार निदेशक	गैर-सरकारी निदेशक
1.	इलाहाबाद बैंक	-	1	-	-	7
2.	आन्ध्रा बैंक	-	-	1	-	7
3.	बैंक आफ बड़ौदा	-	-	1	-	3
4.	बैंक आफ इंडिया	-	-	1	-	3
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	-	1	-	1	7
6.	केनरा बैंक	-	-	1	-	7
7.	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया	-	1	-	1	7
8.	कार्पोरेशन बैंक	-	-	-	-	3
9.	देना बैंक	-	1	1	1	7
10.	इंडियन बैंक	-	1	1	1	7
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	-	-	-	1	7
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	-	-	1	-	3
13.	पंजाब नेशनल बैंक	-	1	-	1	7
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1	-	-	-	7
15.	सिंडिकेट बैंक	-	-	-	-	7
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	-	-	1	-	7
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	-	-	-	1	7
18.	यूको बैंक	-	1	1	1	7
19.	विजया बैंक	-	-	-	-	7
	कुल	1	7	9	7	109

भारत में निवेश

2063. श्री के. पी. सिंह देव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में निवेश बढ़ाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की संभावना है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु किसी भारत-अमरीकी संयुक्त निवेश योजना को अंतिम रूप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को घरेलू निवेश की मदद करने के लिए एक साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, विभिन्न क्षेत्रों में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।

(ग) और (घ) सितम्बर, 1991 से नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद संयुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त विदेशी सहयोग अनुमोदनों तथा निवेश में भारी वृद्धि हुई है। जनवरी, 1991 से सितम्बर, 2000 तक सरकार ने 2,380.20 (66.27 अमरीकी डालर) बिलियन रुपए के संगत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वाले 18,463 विदेशी सहयोग (तकनीकी एवं वित्तीय) प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। इसमें से संयुक्त राज्य अमरीका के साथ किए गए अनुमोदनों की कुल संख्या 500.79 बिलियन रुपए (14.44 अमरीकी डालर) (कुल अनुमोदनों का 21.0 प्रतिशत) की इक्विटी भागीदारी सहित 3772 (कुल अनुमोदनों का 20.40 प्रतिशत) रही है। संयुक्त राज्य अमरीका की कंपनियां जनवरी, 1991 से सितम्बर, 2000 तक संचयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों में देशों की सूची में सबसे ऊपर रही हैं।

बैंकों में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के रिक्त पद

2064. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों में बैंकवार अनुसूचित जातियों/जन जातियों के कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) प्रत्येक बैंक में इन पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां

2065. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहुत सी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां छोटे निवेशकों को धोखा देकर उनकी गाढ़ी कमाई की बचत को हड़प रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जमाराशियों को लौटाने में असफल हुई हैं, के विरुद्ध जमाकर्ताओं को शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक, जमाराशियों की चुकौती में चूक के बारे में शिकायतें प्राप्त होने पर अथवा निरीक्षण के माध्यम से अन्य गम्भीर अनियमितताओं की जानकारी होने पर चूककर्ता एन बी एफ सी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करता है जैसे निषेधात्मक आदेश जारी करना, कंपनी को जमाराशियां स्वीकार करने से रोकना, उनकी परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से रोकना, समापन याचिका दायर करना और औपचारिक शिकायतें प्रारम्भ करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने कतिपय संदिग्ध कंपनियों में जमाराशियों की चुकौती को मानीटर करने के लिए विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय-III ख में जनवरी 1997 में संशोधन किया गया जिसमें जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए नए सुरक्षोपाय और एन बी एफ सी के प्रभावी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को बढ़ी हुई शक्तियां प्रदान की गई हैं। सरकार का संसद के चालू सत्र में नया विधेयक पेश करने का भी प्रस्ताव है जिससे वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध होने की आशा है।

स्कोप द्वारा अध्ययन

2066. **श्री मणि शंकर अय्यर:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सितम्बर, 2000 में स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज स्कोप द्वारा औद्योगिक और आर्थिक अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से "सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का तुलनात्मक कार्य-निष्पादन" शीर्ष से प्रकाशित अध्ययन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन में निम्नलिखित पांच सिफारिशें की गई हैं:-

(1) सरकारी क्षेत्र ने स्वयं के लिए एक नई दृष्टि प्राप्त करनी है। यह दृष्टि विश्व श्रेणी के विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी गतिशील संघटकों के साथ एक आत्मनिर्भर क्षेत्र की होगी।

(2) कार्य-निष्पादन करने के लिए सरकारी क्षेत्र को प्रशासनिक रुकावटों द्वारा विहनरहित सम्पूर्ण व्यावसायीकरण सहित विस्तृत सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों के ढांचे के भीतर कार्य की सम्पूर्ण व्यवसायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होगी।

(3) सरकारी क्षेत्र ने नैतिक कोड तथा मानक मूल्यों के अनुसार निर्देशित मूल्यों की सर्वोत्तम प्रक्रिया अपनानी है।

(4) सरकारी क्षेत्र को पूरे मूल्य क्रय में मूल्य अभिवृद्धि के माध्यम से सतत सुधार करने की आवश्यकता होगी।

(5) सरकारी क्षेत्र सभी हितधारकों, शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों तथा समाज के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा निजी उद्यमों तथा वित्तीय विशलेषकों के आज के मंत्र, केवल शेयरधारकों के मूल्य द्वारा अभिभूत नहीं होना चाहिए।

(ग) सरकार ने सिफारिशें नोट कर ली हैं।

[हिन्दी]

गोविन्दराव समिति

2067. **श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेवा कर जाल को बढ़ाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति (गोविंदराव समिति) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका कार्यकाल, निदेश पद, इसके सदस्य और इसकी शक्तियां इत्यादि क्या हैं; और

(ग) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को सौंप दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन): (क) जी हां। सरकार ने सेवा कर के बारे में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है ताकि सेवाओं के क्षेत्र में कर आधार का विस्तार करने सहित सेवाओं पर कर लगाने के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की जा सके और इस संबंध में सिफारिशें की जा सकें।

(ख) डा॰ एम॰ गोविन्द राव, निदेशक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है और इस दल में पांच अन्य सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल है।

विशेषज्ञ दल को सौंपे गए विचारणीय विषय इस प्रकार हैं:

(1) सेवा-कर के मौजूदा ढांचे की जांच करना और सेवाओं के क्षेत्र में कर आधार का विस्तार करने और उनके समय के बारे में सिफारिशें करना।

(2) सेवा कर की वसूली की मौजूदा पद्धति की जांच करना और ऐसी सिफारिशें करना जो इसे और कारगर बनाने के लिए जरूरी समझी जाएं ताकि स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ाया जा सके और अनुपालन लागत को कम किया जा सके।

(3) उपर्युक्त विषयों और उनसे संबंधित प्रासंगिक विषयों से जुड़े किसी अन्य मामले के बारे में सिफारिशें करना।

विशेषज्ञ दल का कार्यकाल उस तारीख तक होगा जिस तारीख तक वह अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा और इसे सौंपे गए विचारणीय विषयों के अनुसार सरकार को सिफारिशें करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

(ग) विशेषज्ञ दल ने हाल में 20 नवम्बर, 2000 को सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की है और उसे 31 दिसम्बर, 2000 तक अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।

भारत को जर्मनी की सहायता

2068. डा. अशोक पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी ने भारत द्वारा वर्ष 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद रोकी गई सहायता को बहाल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जर्मनी द्वारा भारत को कितनी सहायता राशि दिए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। जर्मनी के आर्थिक सहयोग एवं विकास संघीय मंत्रालय ने भारत के साथ विकास सहयोग पुन:स्थापित करने की इच्छा का संकेत दिया है, जो वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षणों के पश्चात् रोक दिया गया था।

(ख) और (ग) चूंकि विकास सहयोग के लिए वार्ताएं अभी की जानी हैं, अत: भारत के लिए प्रस्तावित जर्मन सहायता की राशि अभी ज्ञात नहीं है।

दूरदर्शन पर आरोपित क्रिकेट खिलाड़ी

2069. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैच फिक्सिंग के मामले में आरोपित क्रिकेट खिलाड़ियों को दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे विज्ञापनों में प्रदर्शित किया गया है;

(ख) क्या सरकार स्वयं अपने स्तर पर दूरदर्शन पर इन विज्ञापनों के प्रसारण को तत्काल रोकेगी;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन द्वारा उन विज्ञापनों का प्रसारण किया जा रहा था जिसमें ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्हें बाद में मैच फिक्सिंग के मामले में आरोपित किया गया था। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद विज्ञापन दाताओं ने स्वयं ही दूरदर्शन पर अपना विज्ञापन देना बन्द कर दिया है।

(ख) से (घ) प्रसार भारती को दूरदर्शन पर दिखाए गए विज्ञापनों सहित कार्यक्रम संबंधी मामलों में निर्णय लेने का पूरा कार्मिक अधिकार है तथा सरकार इन निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है।

[अनुवाद]

चाय और काफी की कीमतों में गिरावट

2070. श्री पी. सी. थामस: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय और काफी की कीमतों में भारी गिरावट आई है:

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या इसके कारण चाय और काफी उत्पादकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो चाय और काफी उत्पादकों को बचाने हेतु क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हाँ। वर्ष 2000 के दौरान जनवरी से अक्तूबर तक की अवधि के लिए चाय की औसत अखिल भारतीय नीलामी कीमतें वर्ष 1999 की इसी अवधि में रही 72.41 रु. प्रति किग्रा. की कीमतों की तुलना में कम होकर 62.44 रु. प्रति किग्रा. के स्तर पर पहुंच गईं।

जहां तक काफी का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट अधिक उत्पादन और उसके परिणामस्वरूप हुई बेशी आपूर्ति के कारण आई है। चूंकि भारत मे उत्पादित काफी के लगभग 80 प्रतिशत का निर्यात किया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप कीमतों की कम प्राप्ति हुई है। तथापि, काफी की दोनों किस्मों की घरेलू कीमतें इस समय अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक हैं।

(ग) और (घ) चाय की कीमतों में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से सरकार/चाय बोर्ड ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं–चाय बोर्ड के जरिए 1.5.2000 से एक योजना का कार्यान्वयन जिसमें चाय के लघु उत्पादकों (10.12 हैक्टेयर तक के चाय बागान रखने वाले) को नीलामी कीमत तथा 55 रु. किग्रा. के बीच की कमी के बराबर की राशि की इमदाद प्रदान की जाती है, जो अधिकतम 8 रु. किग्रा. तक होगी, लघु उत्पादकों द्वारा विनिर्मित चाय की गुणवत्ता में सुधार हेतु तमिलनाडु के नीलगिरि क्षेत्र में एक गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम की शुरूआत करना, चाय पर मूल सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ई ओ यू) तथा निर्यात संसाधन जोनों (ई पी जेड) की इकाइयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में चाय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना।

जहां तक कॉफी का संबंध है, भारत सरकार काफी बोर्ड के जरिए ऐसी अनेक योजना स्कीमें तथा विकासपरक गतिविधियां, जिनका उद्देश्य गहन खेती, पुनर्रोपण, गुणवत्ता सुधार तथा जल संवर्धन है, चलाने के अलावा, कृषि अनुसंधान, विस्तार, ऋण तथा वित्त का प्रबंध और अन्य आवश्यक समर्थनकारी सहायता जैसे रोपण उद्देश्यों के लिए बीज की आपूर्ति इत्यादि के रूप में आवश्यक सहायता भी उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, खासकर लघु उत्पादक क्षेत्र में कॉफी की उत्पादकता बढ़ाने तथा इस उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया जा रहा है। बोर्ड बड़े उपजकर्त्ताओं को विशिष्ट काफी का उत्पादन करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे अमरीका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में आकर्षक आय प्राप्त होती है।

यद्यपि 1996 में कॉफी व्यापार के उदारीकरण के परिणामस्वरूप, कॉफी बोर्ड विपणन क्रियाकलापों में अब प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है और कीमतें मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जा रही हैं तथापि, भारत सरकार कॉफी बोर्ड के माध्यम से बाजारगत कीमत संबंधी स्थिति पर कड़ी नजर रखती है और यदि परिस्थितिवश आवश्यक होगा तो वह उपयुक्त सुधारक उपाय करेगी ताकि कॉफी उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

दूरदर्शन के खेल चैनल को 'पे' चैनल बनाना

2071. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के खेल चैनल को 'पे' चैनल बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पूरे प्रसारण को अधिक समुन्नत और व्यवसायिक बनाए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हाँ, राजस्व के कारण इसे पे चैनल बना दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती दर्शकों को आकर्षित करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा कार्यक्रम निर्माण की अभिनव तकनीकों के प्रयोग द्वारा दूरदर्शन कवरेज की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

मॉडवेट योजना

2072. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मॉडवेट योजना का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये के उत्पाद शुल्क का अपवंचन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान विशेषकर फरीदाबाद से सरकार की जानकारी में कितने मामले आए हैं; और

(ग) इस योजना का दुरुपयोग रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। मॉडवेट योजना के दुरुपयोग के कई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। फरीदाबाद में, अक्तूबर, 2000 को समाप्त विगत एक वर्ष के दौरान विभिन्न निर्धारितियों द्वारा मॉडवेट क्रेडिट के दुरुपयोग के 71 मामले सरकार के अध्ययन में आए हैं।

(ग) मॉडवेट (जिसे अब सेनवैट के नाम से जाना जाता है) क्रेडिट सुविधा के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिनमें (क) औचक दौरा करके निविष्टियों की रसीदों की जांच (ख) शुल्क भुगतान वाले कागजात, जो क्रेडिट प्राप्त करने का आधार होते हैं, की प्रामाणिकता की जांच करना (ग) लेखा परीक्षा के दौरान सेनवैट क्रेडिट से संबंधित लेखा बहियों की सूक्ष्म जांच करना, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां क्रेडिट की बड़ी राशि अंतर्ग्रस्त होती है, शामिल है। जो निर्धारिती इस योजना का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कानून के कठोर प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। जो लोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के इरादे से माडवैट क्रेडिट का दुरुपयोग करते हैं उनके विरुद्ध राशि को वसूल करने के साथ-साथ, ब्याज वसूलने तथा अभियोजन की कार्रवाई शुरू करने पर भी विचार किया जाता है।

विद्यालयों को आयकर के नोटिस

2073. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कुछ शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों के विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 201 और धारा 271 ग के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) कितने शिक्षण संस्थान शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और अन्य परिलब्धियों के स्रोत पर ही कर में कटौती करने से संबंधित सूचना दे रहे हैं; और

(घ) कितने लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। कुलाची हंस राज स्कूल के मामले में आयकर अधिनियम की धारा 201 के अन्तर्गत कार्यवाहियां शुरू कर दी गई हैं।

(ग) दिल्ली में स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित सूचना देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या 274 है।

(घ) किसी भी मामले में कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। परन्तु उचित मामलों में शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा दायर की गई स्रोत पर कर की कटौती संबंधी विवरणी के सत्यापन के संबंध में पत्र जारी कर दिये गये हैं।

[हिन्दी]

सिक्किम बैंक लिमिटेड

2074. श्री उत्तमराव पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सिक्किम बैंक लिमिटेड" को दिवालिया घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोगों की जमाराशि वापस कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बैंक का विलय किसी अन्य बैंक के साथ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैंक के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सिक्किम बैंक लि॰ को उसकी निरन्तर बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति के कारण प्रारम्भ में 8 मार्च, 1999 से अधिस्थगन के अधीन रखा गया था और तत्पश्चात् 22 दिसम्बर, 1999 से उसका यूनियन बैंक आफ इंडिया में समामेलन कर दिया गया था। समामेलन की योजना के प्रावधान के अनुसार, भूतपूर्व सिक्किम बैंक लि॰ के जमाकर्ताओं के प्रति यूनियन बैंक आफ इंडिया की देयता पूर्णरूपेण तत्काल वसूली योग्य आस्तियों और बाह्य देयताओं के बीच अन्त तक सीमित है। यूनियन बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम (डी आई सी जी सी) द्वारा निपटाए गए दावे की राशि के साथ-साथ यथा अनुपात हिस्सा पात्र जमाकर्त्ताओं के खाते में पहले ही जमा कर दिया है।

नई अफीम नीति

2075. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई अफीम नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या अफीम की कीमत में वृद्धि करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन): (क) और (ख) पहली अक्तूबर, 2000 से आरम्भ होने वाले और 30.9.2001 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के लिए अफीम नीति 2.11.2000 को पहले ही अधिसूचित कर दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का नि:शुल्क वितरण

2076. श्री नरेश पुगलिया:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समाज के सबसे गरीब लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कोई घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को अब तक लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने योग्य गरीबों की पहचान हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ङ) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत बाढ़ और सूखा प्रभावित तथा पिछड़े क्षेत्रों को लक्ष्य बनाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय फलों और सब्जियों पर प्रतिबंध

2077. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने अपने देश में भारतीय फलों और सब्जियों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो चीन ने किस तारीख को यह प्रतिबंध लगाया था और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने चीन से इस प्रतिबंध को हटाने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में चीन की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ): चीन ने फलों, अंडा संयंत्रों, काली मिर्च टमाटर में भूमध्यसागरीय फल पर बैठने वाली मक्खी (सैराटाइटिस कैपिटाट) की कथित रूप से उपस्थिति के कारण 1992 में भारतीय फलों और सब्जियों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया था। विश्व व्यापार संगठन में चीन के शामिल होने से संबंधित मुद्दे पर चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की प्रक्रिया के दौरान इस मुद्दे को चीन के साथ उठाया गया था और इस प्रयोजन से 22 फरवरी, 2000 को चीन के साथ हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षीय करार में चीन ने भारत से चीन में आमों और अन्य ताजे फलों एवं सब्जियों के आयात पर लगे चालू पौध संगरोध प्रतिबंधों की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की। यह भी तय किया गया था कि फाइटो-सैनिटरी उपायों और दोनों देशों में लागू किए जाने वाले प्रमाणन प्रक्रियाओं के संबंध में जितना जल्दी संभव हो सकेगा एक द्विपक्षीय प्रोतोकोल बनाया जाएगा। कृषि मंत्रालय ने चीन के प्राधिकारियों को पहले ही एक विधिवत आवेदन भेज दिया है जिसमें "परजीवी से खतरा संबंधी विश्लेषण" (पी आर ए) मानदंड पर अंतर्राष्ट्रीय पौध संरक्षण सम्मेलन (आईपीपीसी) के अनुसार तकनीकी सामग्री के साथ पौध उत्पादों के उन नामों को दर्शाया गया है जिनका हम चीन को निर्यात करना चाहते हैं।

विनिवेश से प्राप्त आय का वितरण

2078. **प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त आय को विभिन्न राज्य सरकारों में बांटने हेतु कोई सूत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सूत्र पर राज्यों के विचार जानने हेतु उसे राज्य सरकारों के पास भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) विनिवेश से उत्पन्न श्रमिकों के पुनर्वास की समस्या पर सरकार द्वारा राज्यों से किस प्रकार से परामर्श किए जाने का विचार है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं। विनिवेश से हुई प्राप्तियों को सरकार की अन्य प्राप्तियों के समान हैं। भारत के संचित कोष में जमा कर दिया जाता है। भारत के संचित कोष से निकलने वाले धन में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता सम्मिलित होती हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जैसा कि वर्ष 2000-2001 के बजट भाषण में वित्त मन्त्री ने दोहराया है, सरकार की विनिवेश नीति के प्रमुख तत्वों में से एक तत्व कर्मचारियों के हितों की पूरी-पूरी रक्षा करना है। तदनुसार सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी मामलों में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के प्रति वचनबद्ध है।

गन्ने में शुक्रोज की मात्रा

2079. **श्री हरि भाई चौधरी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान उत्तर प्रदेश की तुलना में गुजरात में गन्ने में से कितने प्रतिशत शुक्रोज की प्राप्ति हुई;

(ख) गुजरात और उत्तर प्रदेश के गन्ने में शुक्रोज की कितनी मात्रा है;

(ग) कम चीनी प्राप्त होने के कारणों का गहराई से विश्लेषण करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस संबंध में गठित समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद): (क) 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में गन्ने से चीनी की रिकवरी का औसत प्रतिशत निम्नवत था:

	1998-99	1999-2000
गुजरात	10.39%	10.25%
उत्तर प्रदेश	9.03%	9.34%

(ख) सामान्यतया चीनी फैक्ट्रियां गन्ने में सुक्रोज की मात्रा का निर्धारण नहीं करती हैं। तथापि चीनी फैक्ट्रियां अनुमान के आधार पर पांच प्रतिशत गन्ना का निर्धारण करती हैं जो रिकवरी प्रतिशत गन्ना से 2% से अधिक है।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने यह सूचित किया है कि एक साधारण विश्लेषण तथा अध्ययन यह दर्शाता है कि भूमि संरचना, जलवायु परिवर्तन, जल का अत्यधिक उपयोग, भूमि में लवणता, अपर्याप्त कीट प्रबंधन, उर्वरकों का गलत मिश्रण तथा आवश्यक किस्म के विकास में कमी ही गुजरात में गन्ने में सुक्रोज की कमी के मुख्य कारण हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियों की चीनी रिकवरी कम होने के मुख्य कारण हैं–पुरानी मशीनरी, गन्ने को एक लम्बी दूरी से लाया जाना, कई चीनी फैक्ट्रियों के क्षेत्रों में गन्ने की शीघ्र पकने वाली किस्मों की अनुपलब्धता आदि।

केन्द्र सरकार ने सचिव (कृषि एवं सहकारिता) की अध्यक्षता में उपोष्ण क्षेत्रों अर्थात् उत्तर प्रदेश तथा बिहार के संबंध में एक समिति का गठन किया था जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं–

(1) किस्मों की विविधता तथा प्रभावी विस्तार के माध्यम से औसत चीनी रिकवरी को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देना।

(2) चीनी विकास निधि के प्रभावी प्रचालन के तरीकों के बारे में सुझाव देना।

(3) सहकारी ढांचे को मजबूत करने तथा किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता का आकलन करना।

समिति की सिफारिशें तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई संलग्न विवरण पर दी गई है।

गुजरात सरकार ने भी स्थिर आधार पर चीनी उद्योग के विकास के लिए चीनी नीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था जोकि गन्ने में सुक्रोज की मात्रा की वृद्धि से संबंधित मामलों को भी देखेगी।

विवरण

सिफारिश	की गई कार्रवाई
1. उत्तर प्रदेश में चीनी की उत्पादकता और वसूली न केवल उपोष्ण क्षेत्रों में बल्कि उत्तरी क्षेत्रों में अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है।	1. यह केवल एक विचार है।
2. हालांकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन संस्थान ने बेहतर यील्ड संभावना, उच्च सुक्रोज मात्रा वाली उन्नत रिकवरी सहित बहुत सी प्रजातियों को विकसित किया है और इनका फैलाव उत्तर प्रदेश राज्य में कम है। आंशिक रूप से यह राज्य सरकार के इस निर्णय के कारण हो सकता है कि "राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पैदावार से संबंधित प्रजातियों के लिए की जाने वाली सिफारिशें राज्य गन्ना अनुसंधान परिषद् की सिफारिशों पर आधारित होगी। सामान्यतया, यह शाहजहांपुर शुगर क्रेन रिसर्च स्टेशन की सलाह पर आधारित होता है।	2. उत्तर प्रदेश राज्य में उगायी जाने वाली गन्ने की किस्मों की स्वीकृति के लिए एक समिति गठित की गई है जिसमें किसानों के एक प्रतिनिधि तथा अनुसंधान वैज्ञानिक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, गन्ना अनुसंधान परिषद् शाहजहांपुर सिरोही, पंत नगर आदि के वैज्ञानिकों द्वारा चर्चा करने के बाद गन्ने की किस्मों को रिलीज करने का निर्णय लिया गया है।
3. यह बेहतर होगा कि गन्ने के मामले में प्रजातीय मूल्यांकन के संबंध में विविध ऑल इंडिया क्रॉप इम्प्रूवमैंट प्रोजेक्ट के तहत बेहतर प्रजातियों के परीक्षण के तहत इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। सभी प्रायोजित उन्नत प्रजातियों का परीक्षण कर लिया गया है और इस प्रक्रिया में अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। प्रजातियों को प्रायोजित करने वाले संस्थान की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी प्रजातियों को विकसित करना लाभप्रद होगा।	3. कृषि आयुक्त के सुझावों पर गन्ने पर एआईसीआरपी की होने वाली ग्रुप मीटिंग में चर्चा की जाएगी तथा निर्णय को क्रियान्वित किया जाएगा।
4 परीक्षणों के परिणामों के आकलन में चीनी फैक्ट्रियों को भी शामिल करना लाभप्रद होगा ताकि वे उन प्रजातियों की शिनाख्त कर सकें	4. देश की सभी पांच कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित चुनी हुई फैक्ट्रियां गन्ने की उन किस्मों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन कर रही हैं

सिफारिश	की गई कार्रवाई
जिन्हें उनके आवह क्षेत्र में, जहाँ से पेराई के लिए गन्ना लिया जाता है, पैदा किया जाना लाभप्रद हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार के अभी हाल ही के निर्णय की सिफारिश की गई है और इसका निरपवाद रूप से अनुसरण किया जाना चाहिए।	जिनका एआईसीआरपी द्वारा उच्च गन्ना किस्म के रूप में परीक्षण किया गया।
5. भारत में विभिन्न संस्थाओं द्वारा विकसित की जा रही सभी प्रजातियों का सुनियोजित मूल्यांकन किया जा रहा है जिससे किसान और चीनी मिलें बेहतर प्रजातियों का चयन कर सकें जिसे वे उच्च सुक्रोज मात्रा के साथ उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए पैदा कर सकें।	5. चीनी फैक्ट्रियों को सुझाव दिया गया है कि वे गन्ने की अच्छी संभावनाओं वाली किस्मों का परीक्षण करें जिन पर कार्य किया जा रहा हो तथा जिसे देश में विभिन्न गन्ना रिसर्च स्टेशनों द्वारा किसानों के खेती में प्रदर्शन के लिए विचार किया जा रहा हो।
6. प्रजातीय विपणन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की अनिवार्यता है। सिफारिश की गई शीघ्र प्रजातियों को 4 वर्षों की समय सीमा के भीतर लिये जा रहे न्यूनतम 25% गन्ना क्षेत्र को प्राप्त करने के मद्देनजर रेड रॉट के प्रति अधिक सहनशीलता, उच्च सुक्रोज मात्रा और अलग-अलग समय में पकने वाली बेहतर प्रजातियों को समयबद्ध तरीके से लगाया जाना चाहिए।	6. गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटुर तथा गन्ने पर ऑल-इंडिया कोओर्डनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा उन किस्मों को विकसित करने का अनुसंधान प्रयास किया जा रहा है जिसके पकने की अवधि अलग-अलग हो, सुक्रोज मात्रा अधिक हो तथा जो बड़ी बीमारियों/कीटों के प्रति अधिक सहनशील हो।
7. गन्ना रोपण सामग्री में सुनियोजित गुणात्मक वृद्धि की अनिवार्यता है। रोपण सामग्री के न्यूक्लियस सीड को संस्थान से लिया जा सकता है जहाँ पर प्रजाति विकसित की जाती है लेकिन प्रजनक के रूप में आगे और गुणात्मक वृद्धि, प्रायोजित प्रजनक संकल्पना के तहत अनुसंधान संस्थान द्वारा की जा सकती है। ऐसे संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय के रिसर्च स्टेशन अथवा रिसर्च फार्म हो सकते हैं जोकि चीनी मिलों द्वारा बशर्ते कि फार्म में कार्य कर रहे वैज्ञानिक, संयोजकों के द्वारा प्रायोजित प्रजनक के रूप में पहचाने जाते हों अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा चलाये जाते हों।	7. चीनी फैक्ट्रियों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियों को यह सुझाव दिया गया है कि वे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आई आई एस आर) लखनऊ, द्वारा विकसित 30 टीयर सीड मल्टीप्लीकेशन कार्यक्रम नाम: ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड तथा सर्टिफाइड सीड को अपनाते हुए सीड मल्टीप्लीकेशन प्रोग्राम अपनाएं।
8. चीनी मिलों तथा गन्ना समितियों के घनिष्ठ सहयोग से गांवों के समूह का दृष्टिकोण अपनाते हुए सर्विदा उत्पादन व्यवस्था के अधीन प्रगतिशील किसानों की भूमि पर ब्रीडर सीड को फाउंडेशन सीड के रूप में और अधिक मात्रा में लगाया जाना चाहिए। उत्पादकों द्वारा फाउंडेशन सीड मैटीरियल की सभी महत्वपूर्ण रोगमुक्त क्षेत्रों में आगे और गुणात्मक वृद्धि की जानी चाहिए।	8. उत्तर प्रदेश में ब्रीडर सीड केवल उन किसानों के खेतों में बोया जाता है जो गन्ना बीज निगम के सदस्या हों।
9. चीनी मिल अथवा गन्ना समिति के साथ मिलकर चीनी मिल रोपण सामग्री के ट्रीटमेंट के लिए अपेक्षित हॉट एअर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर सकती है ताकि रोपण सामग्री रेड रॉट रोग से मुक्त हो सके जो कि गन्ना के कम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है।	9. चीनी फैक्ट्रियों को उष्मा उपचार संयंत्रों की स्थापना करने के लिए चीनी विकास निधि से सहायता प्रदान की जा रही है। चीनी फैक्ट्रियों से उष्मा उपचार संयंत्रों की स्थापना करने के बारे में जानकारी भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।
10. उन्नत प्रजातियों की त्वरित गुणात्मक वृद्धि को टिशू कल्चर प्रक्रिया के माध्यम से तीव्र किया जा सकता है। कृषि एवं सहकारिता विभाग की वर्तमान योजनाओं मे टिशू कल्चर प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। यह कार्य गन्ने के सूक्ष्म प्रजनन (माइक्रो प्रापगेशन) के प्रोटोकॉल के मानकीकरण द्वारा किया जाएगा जो अनिवार्य रूप से गन्ना किसानों तथा संबंधित गन्ना सहकारी समितियों के सहयोग से फैक्ट्रियों द्वारा और अधिक	

सिफारिश	की गई कार्रवाई
मल्टीप्लीकेशन के लिए आवश्यक रोपण सामग्री मुहैया कराने के लिए अनुसंधान संस्थानों से ली गई न्यूक्लियस सामग्री के मल्टीप्लीकेशन पर फोकस करेगा।	10. त्वरित संवर्द्धन विधि से अच्छी किस्मों की तीव्र बढ़ोत्तरी के लिए चीनी विकास निधि सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तक संवर्द्धन प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए जानकारी यदि कोई हो, भेजने के लिए उनसे अनुरोध भी किया गया है।
11. गन्ना सहकारी समितियां, चीनी मिलों को फैक्ट्रियों के आवाह क्षेत्र कहलाये जाने वाले क्षेत्र से गन्ना की आपूर्ति किए जाने का दायित्व लेते हुए स्थापित की जाती हैं। यह ज्ञातव्य है कि केवल समितियां ही फैक्ट्रियों को गन्ने की आपूर्ति कर सकती हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि सहकारी चीनी फैक्ट्रियों के मामले में संबंधित गन्ना समितियों द्वारा गन्ने की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है और पेराई के लिए गन्ने को प्राप्त करने में फैक्ट्री प्रबंधन का कोई हाथ नहीं होता है। केवल नई सहकारी मिलों के संबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि गन्ना आपूर्ति की जिम्मेदारी केवल गन्ना समिति की ही है। गन्ना समितियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे गन्ना उत्पादकों द्वारा मिलों को गन्ने की सुपुर्दगी में सहायता तथा मिलों द्वारा किसानों को गन्ना आपूर्ति के लिए भुगतान करवाने के अतिरिक्त अन्य विभिन्न सेवायें भी उपलब्ध कराएं। समितियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे किसानों को क्रियाशील आदान जैसे प्लांटिंग मैटीरियल, पर्याप्त ऋण, उर्वरकों की सुनिश्चित उपलब्धता इत्यादि प्राप्त करने के लिए किसानों को सहयोग करें। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सी समितियां इस स्थिति में हैं कि वे इन कार्यों को कर सके क्योंकि प्राय: मिल की दशा तथा गन्ना समिति साथ-साथ चलती है।	11. यह समिति का एक निष्कर्ष है और किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
12. गन्ना समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं तथा इनका नियंत्रण अनिवार्य तौर पर गन्ना उत्पादन करने वाले किसान सदस्यों द्वारा होना चाहिए क्योंकि वे पूर्णरूपेण केवल किसानों के प्रति उत्तरदायी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमेशा ऐसी स्थिति नहीं होती है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गन्ना किसान यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं, तो इस समिति के सदस्य बनें।	12. उत्तर प्रदेश राज्य में केवल गन्ना सहकारी समितियों के सदस्य चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति कर रहे हैं।
13. गन्ना समितियों को चीनी मिलों के साथ मिलकर अपने सदस्यों द्वारा गन्ने की बुआई भिन्न-भिन्न समय में कराने की योजना अवश्य बनानी चाहिए ताकि इसके पकने पर मिलों की आपूर्ति के लिए गन्ने की कटाई सही समय पर की जा सके जिससे चीनी की वसूली में वृद्धि हो सके। समितियों को मिलों के साथ मिलकर यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गन्ने की खेती के संबंध में ऋण आवश्यकताओं को वित्तीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जो ऋणों की वसूली के साथ मिलों को गन्ने की आपूर्ति किए जाने से जुड़ा होगा। समितियां इस दौरान सदस्यों की गन्ना कटाई की जिम्मेदारी लेने तथा केन्द्रीय आधार पर मिलों की सुपुदर्गी जैसाकि सहकारी चीनी मिलों में चलन है पर भी विचार कर सकती हैं।	13. उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने का रोपण शरद और वसत ऋतु मे होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का रोपण थोड़ी देर से होता है, जबकि केन्द्रीय उत्तर प्रदेश में यथा समय पर होता है। उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर गन्ने की बुआई आदि पर जानकारी उपलब्ध कराती है।
14. राटून फसल का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है तथा यह आवश्यक है कि विकसित की जा रही प्रौद्योगिकियों का किसानों के बीच विस्तार किया जाए जोकि रोपी गई तथा राटून फसलों के बीच के अंतर को जहां तक संभव हो कम किया जा सके।	14. कृषि मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई राटून फसल के प्रबंधन के लिए अनुशंसित पद्धति सभी चीनी फैक्ट्रियों को सूचनार्थ तथा किसानों द्वारा अपने खेतों में अपनाए जाने के लिए भेज दी गई है।

सिफारिश	की गई कार्रवाई
15. चीनी विकास निधि का उपयोग गन्ने के अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा गन्ना विकास कार्य के लिए मिलों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। रोपण सामग्री, रोगमुक्त मैटिरियल उत्पन्न करने के लिए प्लांटिंग मैटिरियल ट्रीटमेंट के लिए विशेष कार्यक्रमों को चीनी विकास निधि से ऋण लेने के लिए परियोजनाओं का रूप दिया जा सकता है। इसमें मिल तथा संबंधित समितियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिएं।	15. चीनी विकास निधि का उपयोग गन्ने पर अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा चीनी फैक्ट्रियों को गन्ना विकास कार्य में मदद देने के लिए किया जा रहा है जिसमें रोगमुक्त पैदावार के लिए रोपण सामग्री का ट्रीटमेंट तथा विकास शामिल है।
16. कम क्षमता की वैक्यूम पैन फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति देने का भी सुझाव है अर्थात् विद्यमान खांडसारी चीनी मिल भी वैक्यूम पैन लगा सकती है। इसे अपनाए जाने से पहले इसकी अनुमति की व्यवहार्यता की जांच शर्करा एवं खाद्य तेल विभाग द्वारा की जानी चाहिए।	16. खांडसारी इकाइयों को अपने उत्पादन की प्रक्रिया को ओपेन पैन से वैक्यूम पैन प्रक्रिया में परिवर्तित करने की अनुमति दे दी गई है।
17. वर्तमान में किसानों को किए जाने वाला भुगतान गन्ने में चीनी की मात्रा के आधार पर नहीं वरन् गन्ने के भार के आधार पर किया जाता है। यह किसानों को अधिक चीनी की मात्रा वाली किस्मों को उगाने के लिए निरुत्साहित करता है। गन्ने में चीनी की मात्रा का आकलन करने के लिए एच.पी.सी.एल. के सहयोग से विकसित की गई तीव्र तकनीकियों को मानकीकृत करने तथा दक्ष बनाए जाने की आवश्यकता है।	17. किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान गन्ने के वजन के आधार पर किया जा रहा है। गुणवत्ता के आधार पर भुगतान करने की सिफारिश बार-बार की गई है। चूंकि फैक्ट्रियों को गन्ने की आपूर्ति करने वाले किसानों की संख्या बहुत अधिक है अत: प्रत्येक किसान द्वारा सुपुर्द किए गए गन्ने में चीनी का मात्रा का आकलन वर्तमान में उपलब्ध प्रौद्योगिकी से करना संभव नहीं है। एन आई आर तकनीकी के माध्यम से चीनी की मात्रा का निर्धारण करने के लिए एक फैक्ट्री में नेशनल फिजिकल लैबोरेट्री के सहयोग से चीनी प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। जब यह प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी, गन्ने का गुणवत्ता के आधार पर भुगतान करना सम्भव होगा।

भारतीय उद्योग की रूगणता

2080. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय उद्योग के समक्ष आ रही परेशानियों का पता लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों सहित भारतीय उद्योग में बढ़ रही रुग्णता के कारणों की पहचान के लिए भी कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या औद्योगिक रुग्णता के 43 प्रतिशत मामलों में कुप्रबंधन इसके लिए जिम्मेवार है;

(च) यदि हां, तो सरकार ने औद्योगिक प्रगति के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया है/कर रही है;

(छ) क्या सरकार ने औद्योगिक और आर्थिक प्रगति हेतु पहचान किये गये विभिन्न क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार कर ली है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) भारतीय उद्योग के सामने आ रही समस्याओं में अवस्थापनापरक बाधाएं, वित्त तथा निवेश की उच्च लागत, बिजली, भाड़ा, पत्तन प्रभार की अधिक लागत तथा पत्तनों की भीड़ भाड़, भारतीय निर्यात के विरुद्ध पाटन रोधी (एंटी डंपिंग) कार्रवाई, विकसित देशों द्वारा लगाई गई गैर प्रशुल्क अड़चनें इत्यादि सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) देश में बैंक से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा संकलित किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनेक कारण, आन्तरिक और बाह्य, जो अक्सर एक साथ संचालित है, औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी हैं। इन प्रमुख कारणों में योजना बनाने, प्रबन्धन, विपणन आदि में कमियां होना सम्मिलित है।

(ङ) और (च) जी, हाँ। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए अनेक कदम उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश, रुग्ण इकाइयों का स्वस्थ इकाइयों के साथ समामेलन, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशिष्ट उपबंध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना करना आदि सम्मिलित हैं।

(छ) और (ज) सरकार एक नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध कराती है जो उद्योग के विकास और संवर्धन को सुगम बनाती है और पोषित करती है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आधारभूत विकास हेतु विकास केन्द्र योजना
- परिवहन राजसहायता योजना
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति पैकेज

आई सी आर आई, डोनीगल का उन्नयन

2081. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वैज्ञानिक श्रमशक्ति जैसी और सुविधाएं प्रदान करके तथा हासन की महत्वपूर्ण मसाला फसलों के सम्बन्ध में जनमत सम्बंधी कार्य करके डोनीगल शकलेशपुरा तथा इसके पड़ौसी जिलों में स्थित इंडियन कार्डमम रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्षेत्रीय केन्द्र के उन्नयन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकार से भी इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कर्नाटक की राज्य सरकार द्वारा हासन डिस्ट्रिक प्लांटर्स एसोसिएशन को एक ज्ञापन अग्रेषित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा अनुसंधान केन्द्र के उन्नयन का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

चावल और चाय का निर्यात

2082. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान चाय और चावल की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या भारतीय निर्यातकों को निर्यात की गई वस्तुओं का पूरा भुगतान प्राप्त हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आयातकों ने कुछ खेपों को नहीं उठाया है और उन्हें भारतीय निर्यातकों को वापिस भेज दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(च) इस मामले के समाधान और चावल और चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित चावल (बासमती एवं गैर-बासमती) और चाय की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:

(चावल: मात्रा मी.टन में, मूल्य: करोड़ रु. में)
(चाय: मात्रा मिलियन किग्रा. में, मूल्य: करोड़ रु. में)

	1997-98		1998-99		1999-2000 अंनतिम		2000-2001 (अप्रैल-जुलाई 2000 अनंतिम)	
मद	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बासमती चावल	593323	1685.62	597793	1876.91	606468	1735.94	357642	869.16
गैर-बासमती चावल	1795743	1685.638	4365888	4403.85	1216681	1369.43	174424	226.95
चाय	211.26	2003.15	205.86	2191.84	192.31	1922.31	55.60	468.38

(स्रोत डी जी सी आई एंड एस/चाय बोर्ड, कलकत्ता)

(ख) और (ग) निर्यातकों द्वारा भुगतान की प्राप्ति संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते। तथापि, चावल और चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछेक कदमों में शामिल हैं:–प्रचार अभियान चलाना, विदेशों में शिष्टमंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी करना, संभावित क्रेताओं को आमंत्रित करना और गुणवत्ता उन्नयन, पैकेजिंग सुधार, उत्पादों के ब्रांड संवर्द्धन एवं बाजार सर्वेक्षण करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

[अनुवाद]

गुजरात की रुग्ण इकाइयां

2083. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात की कितनी रुग्ण इकाइयां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) के पास पंजीकृत हैं;

(ख) कौन-कौन सी रुग्ण इकाइयां बिक्री के लिए विचाराधीन हैं;

(ग) कौन-कौन सी रुग्ण इकाइयां बी आई एफ आर में विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं; और

(घ) बी आई एफ आर द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्याज का निर्यात

2084. **श्री एच.जी. रामुलू:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कर्नाटक के किसानों की सहायता करने के लिए प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सिडनी ओलम्पिक खेलों का प्रसारण

2085. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री रामजीवन सिंह:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
डा॰ मन्दा जगन्नाथ:
श्री मोहन रावले:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने सिडनी ओलम्पिक खेलों के प्रसारण का विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए 15 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी;

(ख) क्या दूरदर्शन ने इस सौदे से मात्र 15 करोड़ रुपये ही कमाए;

(ग) यदि हां, तो इस भारी नुकसान को उठाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारी नुकसान के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी. हां।

(ख) और (ग) मैसर्स प्रिवतीश नन्दी कम्युनिकेशन्स लिमिटेड को 15.01 करोड़ रु॰ की न्यूनतम गारंटी राशि पर सिडनी ओलम्पिक्स के विपणन का अनुबंध दिया गया था। तथापि, चूंकि वे अपनी प्रतिबद्धताओं से हट गए, इसलिए 7.505 करोड़ रु॰ की बैंक जमानत को भुना लिया गया। प्रसार भारती को समारोह के बीच में इसके विपणन के लिए स्वयं प्रयास करने पड़े थे। तदनुसार विज्ञापनदाताओं से सम्पर्क किया गया लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि खेलों का लगभग एक सप्ताह पहले ही पूरा हो गया है, बहुत कम विज्ञापनदाता विज्ञापन देने के इच्छुक थे। इन कारकों के फलस्वरूप दूरदर्शन ने केवल 1.08 करोड रु. का राजस्व अर्जित किया। कुल मिलाकर दूरदर्शन को राजस्व का घाटा हुआ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पद आधारित रोस्टर

2086. **श्री रमेश सी॰ जीगाजीनागी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आरक्षण प्रणाली लागू करने के लिए "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर 02.07.1997 से "पद आधारित रोस्टर" आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" आरम्भ करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 36012/2/96-ई.एस.टी.टी. (आर.ई.एस.), दिनांक 2.7.97 के पैरा (5) के अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सभी स्वायत्त/सांविधिक संगठन, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में यदि कोई आधिक्य/कमी हो तो उनका पता लगाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी;

(घ) यदि हां, तो 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार उक्त सभी श्रेणियों में पाए गए आधिक्य/कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार आधिक्य/कमी, यदि हां, तो उनकी पहचान करने की प्रक्रिया को पूरा किए बिना "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" आरम्भ करने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एस. बी. आई. और एच. डी. एफ. सी. का सूचना ब्यूरो

2087. **श्री ई॰ एम॰ सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसबीआई और एचडीएफसी को देश में पहले सूचना ब्यूरो की स्थापना की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने आवास विकास वित्त निगम लि॰ (एचडीएफसी), डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इन्फार्मेशन सर्विसेज (इंडिया) लि॰ तथा ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल इंक के सहयोग से क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेज आफ इंडिया लि॰ नामक ब्यूरो की स्थापना हेतु इक्विटी भागीदारी के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 के अन्तर्गत 10 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक को अनुमति प्रदान की है। ब्यूरो के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होंगे:

(1) ऋणदात्री संस्थाओं के उधारकर्ताओं के सम्बन्ध में आंकड़ा बैंक रखना;

(2) ऋणदात्री संस्थाओं के उधारकर्ताओं और संभावित उधारकर्ताओं के बारे में व्यापार, ऋण तथा वित्तीय सूचना एकत्र करना तथा उनका मिलान करना;

(3) इस प्रकार संगृहीत सूचना भंडारण करना; और

(4) अनुरोध पर ऋण सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराना।

(ग) दिसम्बर 2000 के अंत तक इस ब्यूरो को संचालित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यू.टी.आई. की परिसंपत्तियां

2088. **डा. सी. कृष्णन:**
श्री वैको:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 'द इकॉनामिक टाइम्स' में दिनांक 7 नवम्बर, 2000 को "आरआईएल एकाउंट्स फार 7.38 प्रतिशत यूटीआई टोटल एसैट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन दस शीर्ष कंपनियों के नाम क्या हैं जिनमें यू.टी.आई. की अधिकतम भागीदारी है;

(ग) इन कंपनियों में से प्रत्येक का ऋण-परिसंपत्ति अनुपात क्या है;

(घ) 30 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि में इन कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी का कर उपरान्त अनन्तिम निवल लाभ कितना था;

(ङ) क्या गत वर्ष की तुलना में इन कंपनियों में से प्रत्येक के निवल लाभ में वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या यू.टी.आई. ने इनमें से प्रत्येक कंपनी की परिसंपत्तियों और उपयुक्त समय के भीतर अपने ऋणों को चुकाने की क्षमता का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (च) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) यू.टी.आई. की 10 शीर्ष धारिताओं में से, इसका सभी 10 कंपनियों में इक्विटी एक्सपोजर तथा 6 कंपनियों में ऋण एक्सपोजर है। इन कंपनियों के ऋण पत्रों पर "एएए" या "एए" का ऋण दर निर्धारण है, जो उच्चतम/उच्च सुरक्षा की ओर संकेत करता है। यू.टी.आई. मूलधन तथा ब्याज के समयबद्ध प्रतिदेय में किसी कठिनाई का सामना नहीं करती है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	कंपनी का नाम	ऋण परिसंपत्ति अनुपात	कर पश्चात् निवल लाभ वित्तीय वर्ष 2000 (करोड़ रुपए)	विगत वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन
1.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	0.34	2403.25	41.06
2.	इनफोसिस टेक्नालाजिज लिमिटेड	उपलब्ध नहीं	285.95	115.13
3.	रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड[1]	0.56	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	आईटीसी लिमिटेड[2]	0.26	792.44	27.11
5.	आईसीआईसीआई लिमिटेड	0.84	1205.75	20.47
6.	आईडीबीआई लिमिटेड	0.79	1027.00	18.43
7.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड[3]	0.13	1069.93	27.76
8.	हिमाचल फ्युचेरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड	0.06	85.96	138.97
9.	सत्यम कम्प्यूटर्स लिमिटेड	0.67	42.09	118.19
10.	हिन्डालक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	0.28	612.37	8.04

1 ऋण/परिसंपत्ति अनुपात = ऋण/निवल अचल परिसंपत्ति

2 नई परियोजना ने वित्तीय वर्ष 2000-2001 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया। अत: कर पश्चात् लाभ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

3 31 दिसम्बर, 1998 और 1999 को समाप्त वर्ष।

सुरक्षित खाद्यान्न भण्डार

2089. श्री विजय हान्दिक: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुरक्षित खाद्यान्न भण्डार का आकलन किस आधार पर किया गया है;

(ख) क्या मौजूदा भंडार का आकलन वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) केन्द्रीय पूल में बनाए रखना जाने वाला खाद्यान्नों का बफर स्टाक किसी तिमाही विशेष के दौरान खाद्यान्नों की आवश्यकता पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाता है। इन मानदण्डों का निर्धारण करते समय वसूली मौसम, मंदी की अवधि, पूर्ववर्ती वर्षों में उठान और अन्य घटकों पर विचार करते हुए किया जाता है। बफर स्टाक नीति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा प्रत्येक तिमाही की पहली तारीख को केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का कुछ न्यूनतम स्टाक रखा जाता है।

1.10.2000 की स्थिति के अनुसार गेहूं और चावल का स्टाक 40.06 मिलियन टन था जबकि इस तारीख को निर्धारित बफर मानदण्ड 18.10 मिलियन टन है। 1.11.2000 की स्थिति के अनुसार गेहूं और चावल का स्टाक 44.49 मिलियन टन था।

सरकार द्वारा निर्धारित आकर्षक न्यूनतम समर्थन मूल्यों के कारण पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की वसूली में काफी वृद्धि हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में की गई वृद्धि के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उठान में कमी हुई है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक लागत के 100 प्रतिशत पर निर्धारित किए गए हैं। इन घटकों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय पूल में न्यूनतम बफर स्टाक मानदण्डो की तुलना में अधिशेष स्टाक जमा हुआ है।

राजलक्ष्मी यूनिट स्कीम-92

2090. श्री कोलूर बसवनागौड:
श्री किरीट सोमैया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट की राजलक्ष्मी यूनिट स्कीम-92 को समाप्त मान लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में उपरोक्त योजना में राज्य-वार कितने लोगों ने निवेश किया है;

(घ) क्या सरकार ने निवेशकों के धन को ब्याज सहित वापिस करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो कर्नाटक में अब तक कितने निवेशकों को भुगतान कर दिया गया है;

(च) क्या सरकार ने उपरोक्त योजना के सभी निवेशकों को भुगतान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(छ) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) के कारोबार घंटों की समाप्ति पर 30 सितम्बर, 2000 को राजलक्ष्मी यूनिट स्कीम, 1992 (आरयूएस-92) को बंद कर दिया गया माना गया है।

(ख) इस स्कीम को ऋण एवं इक्विटी में निवेश के उद्देश्य से शुरू किया गया था जब ऋण निवेश पर प्रति 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत वार्षिक और इक्विटी पर प्रतिफल 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की आशा की गई थी। यूटीआई का यह दृष्टिकोण था कि इस स्कीम पर 16.16 प्रतिशत से 16.75 प्रतिशत का प्रतिफल संभव होगा। तथापि, अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और वित्तीय क्षेत्रक को खोले जाने और इक्विटी पूंजी बाजार के उतार-चढ़ाव तथा ब्याज दर संरचना के विनियमन मुक्त होने के कारण नए दस्तावेजों द्वारा प्रदत्त प्रतिफल में गिरावट के बाद घरेलू ब्याज दरों में तेजी से गिरावट के परिणामस्वरूप 1992 में सोचे गये संभावित प्रतिफल को बनाए रखना असंभव हो गया था।

(ग) आरयूएस-92 के अधीन निवेशकों की कुल संख्या 12.18 लाख थी। यूटीआई के अनुसार राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) 20.8.2000 को यूटीआई के सभी निवेशकों को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें स्कीम को समाप्त करने के निर्णय की सूचना दी गई थी और उन्हें परिवर्तन के लिए पुनर्खरीद प्राप्ति चेकों/परिवर्तन विकल्प प्राप्त करने के लिए अन्य औपचारिकताओं की भी सूचना दी गई थी। विमोचन धनराशि को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प देने वाले निवेशकों को विमोचन की धनराशि का भुगतान करते हुए यूटीआई निवेशकों को 16.16 प्रतिशत से 16.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से भुगतान करता आ रहा है।

(ङ) यूटीआई द्वारा राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(च) और (छ) सभी निवेशकों को जिन्होंने उन्हें भेजे गए निर्धारित फार्म में निर्धारित तरीके से अपना विकल्प दिया है पुनर्खरीद धनराशि का भुगतान किया जा रहा है और विमोचन धनराशि को स्कीम के यूनिटों में निवेशकों के विकल्प के अनुसार परिवर्तित किया जा रहा है। अभी तक 7,45,315 निवेशकों में विमोचन/परिवर्तन के लिए अपना विकल्प दिया है। इनमें से 3,80,588 निवेशकों ने विमोचन के लिए विकल्प दिया है और 3,66,727 निवेशकों ने यूटीआई की अन्य स्कीमों में परिवर्तन का विकल्प दिया है।

यूटीआई ने संपूर्ण देश में विभिन्न निवेशकों को 507 करोड़ रुपए की धनराशि के 3,46,757 विमोचन चेक भेज दिए हैं। निवेशकों से पुनर्खरीद अनुरोध/परिवर्तन अनुरोध प्राप्त होने को देखते हुए इनके प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर विमोचन चेक भेजे जा रहे हैं।

सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन

2091. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिंगापुर के साथ मुक्त व्यापार सहयोग हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) (क) और (ख) दिनांक 9 से 13 नवम्बर, 2000 तक भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई सिंगापुर की यात्रा के दौरान आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में एक कार्यबल का गठन करने के लिए भारत सरकार और सिंगापुर की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 2 (ख) में यह उल्लेख है कि उक्त कार्यबल भारत और सिंगापुर के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने की संभावना का अध्ययन करेगा।

कीनियाई चाय की भरमार

2092. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में कीनियाई चाय की भरमार के कारण भारतीय चाय अपना न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने में भारी संकट का सामना कर रही है;

(ख) क्या भारतीय चाय बागान कार्यक्रम में घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने और दीर्घावधि योजना को ध्यान में रखते हुए निर्यात आधिक्य को उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर ध्यान देने के लिए इसका विस्तार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी नहीं। केन्या से चाय का आयात नगण्य है और इसका घरेलू चाय की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। केन्या से आयात की गई चाय की मात्रा वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमश: 0.10 मिलि. किग्रा., 0.44 मिलि. किग्रा. तथा 1.69 मिलि. किग्रा. की थी।

(ख) और (ग) जी, हाँ। 9वीं योजना के प्रस्तावों के तैयार करते समय उक्त योजना अवधि के लिए चाय की घरेलू मांग और निर्यात मांग

का भी मूल्यांकन किया गया था और तदनुसार 9वीं योजना अवधि के अन्तिम वर्ष के लिए 1000 मिलि. किग्रा. का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू मांग को पूरा करने और निर्यातों के लिए बेशी मात्रा उपलब्ध करने के लिए सरकार/चाय बोर्ड द्वारा चाय के उत्पादन को बढ़ाने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं–विस्तार रोपण, पुनर्रोपण, नवीकरण, कटाई-छटाई, रिक्त स्थानों की भराई, सिंचाई सुविधाओं के सृजन और जल निकासी इत्यादि की व्यवस्था के प्रोत्साहन हेतु चाय बोर्ड द्वारा अपनी विभिन्न विकास योजनाओं के जरिए चाय उद्योग का वित्तीय सहायता प्रदान करना।

[हिन्दी]

बिहार और झारखंड हेतु स्वीकृत राशि

2093. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान बिहार और झारखंड, प्रत्येक को कुल कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या स्वीकृत और जारी की गई राशि में अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहब विखे पाटील): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान बिहार को आबंटित साधारण केन्द्रीय सहायता 1457.55 करोड़ रुपए थी और यह राज्य को समान मासिक किस्तों में जारी की जा रही थी। दिनांक 15.11.2000 से राज्यों के बिहार और झारखंड में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप इसे निम्न प्रकार से दोनों राज्यों के बीच विभाजित कर दिया गया था:

बिहार	1113.31 करोड़ रुपए
झारखंड	344.24 करोड़ रुपए

तदनुसार परवर्ती राज्यों को आबंटित केन्द्रीय सहायता की शेष किस्तें जारी की जा रही हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकार का गैर-योजनागत खर्च

2094. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गैर-योजनागत खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) कौन-कौन से मंत्रालयों ने सरकार के उक्त आदेश का पालन किया है; और

(ग) सरकार के उक्त निर्णय के फलस्वरूप प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा कितनी बचत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सरकार का यह सतत प्रयास रहता है कि गैर-योजनागत, गैर-विकासात्मक व्यय को सीमित रखा जाए। इसी संदर्भ में अन्य उपायों के साथ-साथ समय-समय पर सरकारी खर्च में मितव्ययिता के अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं। इन मितव्ययिता उपायों में पदों के सृजन पर प्रतिबंध, स्वीकृत पदों की संख्या में कमी, रिक्त पड़ पदों को भरने में प्रतिबंध, कार्यालय व्यय में कमी, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध और मनोरंजन/स्वागत-सत्कार व्यय में कमी इत्यादि शामिल हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए अपेक्षित है कि वे बचत करने के लिए इन मितव्ययिता अनुदेशों का अनुपालन करें। चूंकि सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जानी है अत: मितव्ययिता अनुदेश जारी किए जाने के कारण हुई बचत का आकलन संभव नहीं है।

आयकर वापसी

2095. **श्री ब्रजमोहन राम:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयकर विभाग की संचित निधि से प्रति वर्ष करोड़ों रुपए का भुगतान उन करदाताओं को कर वापसी के रूप में किया जाता है जिन्होंने अधिक कर जमा कराने के फर्जी दावे किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान क्षेत्र-वार किन-किन व्यक्तियों को अधिक आयकर देने पर वापसी के रूप में भुगतान किया गया; और

(ङ) दोषी अधिकारियों और आयकर आधिक्य की अधिक वापसी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सरकार के ध्यान में लाए गए झूठे धनवापसी आदेशों के कुछ मामलों की समुचित कार्रवाई के लिए जांच की गई थी । 30 मामलों में उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जब कि तीन मामलों में जांच की जा रही है। जब भी ऐसे मामले सरकार को सूचित किए जाएंगे/ध्यान में लाए जाएंगे तो इसी तह की कार्रवाई की जाएगी।

मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं–

विवरण

1. श्री एम०एम० दुबे, आशुलिपिक

श्री दुबे को दिनांक 6.8.98 से सीनियर ए. आर. आई. टी. ए., इन्दौर पर निलम्बित कर दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आर सी सं० 11(ए)/98 के तहत मामला दर्ज किया गया है जिसमें उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

2. श्री एस. आर. नायडू, आयकर अधिकारी, दिनांक 30.3.99 से पांच वर्ष के लिए 5 स्तरों तक वेतन में कटौती का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

3. श्री एम. एम. इदवानी, आयकर अधिकारी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

4. श्री जी.जी.ए. नायडू, आयकर अधिकारी, ग्रेड "ए" (सेवानिवृत्त) इस मामले में फाइल संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत की जानी है।

5. श्री जी. वेंकटेस्वरली, आयकर अधिकारी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच की थी। निचले न्यायालय ने कैद की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निपटान तक सजा को स्थगित कर दिया गया था।

6. कर्नाटक में बोगस धनवापसी के मामले: जांच से पता चला था कि इसमें कोई अधिकारी लिप्त नहीं है।

7. ए. स्वामी नायडू, सहायक आयकर आयुक्त (सेवा निवृत्त) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

परम शिवम्, टीए केन्द्रीय जांच ब्यूरो अभियोजन प्रारम्भ शिवराज, आयकर अधिकारी करने के लिए मामले पर कार्यवाही कर जैकब, आयकर अधिकारी रही है।

8. श्री एन. राजगोपालन, आयकर अधिकारी:

उक्त अधिकारी के खिलाफ विभागीय दण्ड कायवाही शुरू की गई है।

9. श्री जी० सेल्वा कुमार, आयकर अधिकारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

10. श्रीमती एस० जी० बेल्लानी, आयकर अधिकारी एवं (यूएस) एवं श्री एस० एल० खन्ना, यूडीसी

श्रीमती एस जी. बेल्लानी, आयकर अधिकारी और श्री एस. एल. खन्ना, यूडीसी को गिरफ्तार किया गया था, और दोनों दिनांक 30.4.92 से निलम्बित हैं। पुलिस द्वारा दिनांक 24.2.92 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 ख/420/409/467 एवं 471 के अन्तर्गत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था और इस समय यह मामला न्यायालय में लम्बित है।

11. आयकर कार्यालय वार्ड 20 (3), कलकत्ता द्वारा जारी 12924 रु० की धनवापसी का झूठे तरीके से भुनाना।

संबंधित यूडीसी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

12. आयकर कार्यालय, वार्ड 6 (6) कलकत्ता में धन वापसी की जालसाजी वकील एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है।

13. बोगस कर निर्धारितियों के नाम से विवरणी दाखिल करके और जाली टी डी एस प्रमाण पत्र संलग्न करके बोगस धन वापसियों का दावा करने वाली धनवापसी की एक धोखाधड़ी का पता लगाया गया था। विभाग के चार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई थी । एक मामले में अधिकारियों की मृत्यु के कारण कार्यवाही समाप्त हो गइ थी। एक मामले में पेंशन में तीन वर्ष के लिए 25% कटौती का बड़ा दण्ड लगाया गया था।

एक मामले में "निन्दा" का दण्ड लगाया गया था। अन्य मामले म संघ लोक सेवा आयोग ने वेतन में कटौती के अर्थदण्ड की सलाह दी है।

14. श्री पी० के० चौधरी, आयकर अधिकारी

दिनांक 21.12.98 को "निन्दा" का हल्का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था।

15. श्री के० एन० हजारिका, आयकर अधिकारी

दिनांक 21.12.98 को "निन्दा" का हल्का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था।

16. श्री एम. एन. देव, आयकर अधिकारी, दिनांक 21.12.98 को "निन्दा" का हल्का दण्ड लगाया गया था।

17. श्री के. के. दास, आयकर अधिकारी, दिनांक 21.12.98 को "निन्दा" का हल्का दण्ड लगाया गया था।

18. श्री एस.आर. दास, आयकर अधिकारी, दिनांक 21.12.98 को "निन्दा" का हल्का दण्ड लगाया गया था।

19. श्री एस.के. मजुमदार, आयकर अधिकारी, दिनांक 10.3.99 को "निन्दा" का हल्का दण्ड लगाया गया था।

20. श्री एस.के. मजुमदार, आयकर अधिकारी, दिनांक 31.3.99 को "निन्दा" का हल्का दण्ड लगाया गया था।

21. श्री ए.के. पुरकावस्तु, आयकर अधिकारी, दिनांक 21.12.98 को "निन्दा" का हल्का दण्ड लगाया गया था।

22. श्री टी. सी. दास, आयकर निरीक्षक, दिनांक 21.12.98 को "निन्दा" का हल्का दण्ड लगाया गया था।

23. श्री इमादुल हक, आयकर निरीक्षक, दिनांक 21.2.98 को "निन्दा" का हल्का दण्ड लगाया गया था।

24. श्री सपाकुर-उली-आलम, यू.डी.सी., दिनांक 21.2.98 को वेतनमान के समय मान में निम्न स्तर तक कमी के रूप में बड़ा अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था।

25. श्री एस.के. मजुमदार, आयकर अधिकारी,

भारी अर्थदंड शुरू किया गया है।

26. श्री ए.के. पुरकायस्थ, आयकर निरीक्षक,

भारी अर्थदंड शुरू किया गया है।

27. श्री ए. के. देव, आयकर अधिकारी,

भारी अर्थदंड शुरू किया गया है।

28. श्री जे. चक्रवर्ती, टी.ए.,

भारी अर्थदंड शुरू किया गया है।

29. श्री बी.आर. पुरकायस्था, आयकर अधिकारी,

भारी अर्थदंड शुरू किया गया है।

30. श्री एन. लहंगढिम, आयकर उपायुक्त,

भारी अर्थदंड शुरू किया गया है।

31. सर्वश्री टी.एन. फिलोपोज, पी.के. जोहर, आयकर अधिकारी एवं अन्य

उनकी रिपोर्ट की जांच कर ली गई है और इस मामले को दिनांक 1.6.2000 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनकी प्रथम स्तरीय सलाह के लिए भेजा गया है।

32. आयकर विभाग, बैंकों और प्राइवेट प्रैक्टिशनरों के कर्मचारी।

इस मामले में यह आरोप है कि एक आयकर व्यवसायी मैसर्स इंडिया एंड कम्पनी ने आयकर अधिकारियों और भारतीय स्टेट बैंक के एक कर्मचारी से सांठ-गांठ करके वापसी का बोगस दावा किया है। इस मामले की जांच की जा रही है और मुख्य आयकर आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त मामले में जिम्मेदारी का निर्धारण किया जा रहा है।

33. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एन.डब्ल्यू.आर. क्षेत्र के 6 आय कर अधिकारियों से संबद्ध मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

हेरोइन को जब्त किया जाना

2096. श्री माधवराव सिंधिया:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक जब्त की गई हेरोइन और अन्य मन:प्रभावी दवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में भंडाफोड़ किए गए या पकड़े गए तस्कर गिरोहों, यदि कोई हों, और उनकी कार्यप्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े और अन्य ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नशीली दवाओं के तस्करों और आतंकवादियों के बीच संबंधों का पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) सरकार ने नशीली दवा व्यापार से आतंकवाद के लिए धन और संसाधनों की प्राप्ति पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) वर्ष 2000 के दौरान (अक्तूबर तक) 760 कि. ग्रा. हेरोइन, 1702 कि. ग्रा. अफीम, 43100 कि. ग्रा. गांजा, 3058 कि. ग्रा. हशीश, 16 कि. ग्रा. मार्फीन तथा 823 कि. ग्रा. मेथाक्वालोन को जब्त किया गया था।

(ख) वर्ष 2000 के दौरान निम्नलिखित गिरोहों का पर्दाफाश किया गया था :

(1) दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने 77 कि. ग्रा. हेरोइन की सबसे बड़ी जब्ती करने के साथ-साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह को निष्क्रिय कर दिया, जिसमें 7 व्यक्ति शामिल थे (2 अफगानी, 1 नाइजीरियाई, ब्रिटिश तथा 3 भारतीय)।

(2) वाराणसी क्षेत्रीय इकाई ने एक अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया जो कूरियर सर्विस के माध्यम से प्रचालन कर रहा था।

(3) मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया जिसका सरगना धनीराम कन्हैया लाल सोलंकी उर्फ अंकल था।

(4) दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कार्यरत एक गिरोह का पर्दाफाश किया जिसका सरगना दिनेश कुमार उर्फ बबलू था। मादक द्रव्यों के तस्करों/वाहकों के गिरोहों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य-पद्धति में नकली पेंदे वाली लकड़ी के

बक्सों, बोरों और पालिथीन की थैलियों में, सूखे मेवों के लिए लकड़ी के बक्सों में निर्मित छिद्रों में छुपाकर, स्लाइडिंग दरवाजों के पैनल अथवा किसी वाहन के तल में विशेष रूप में निर्मित चैम्बरों में, किसी आदमी की कमीज अथवा कपड़ों के नीचे शरीर पर लपेटकर, दो रकसैकों के बीच में नकली निचली लाइनों में छुपाकर तथा ऊंट की पीठ कर आदि तरीके अपनाकर हेरोइन की तस्करी करना है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में जब्त किए गए नशीले पदार्थों पंजीकृत मामलों की संख्या तथा नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) नशीले पदार्थों के तस्करों एवं आतंकवादियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई निश्चित जानकारी अथवा आसूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, नशीले पदार्थों से जुड़ी विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा नशीले पदार्थों के तस्करों द्वारा हथियार एवं गोला बारूद लाने की घटनाओं के बारे में सरकार को सूचित किया गया है।

(च) नशीले पदार्थ कानून प्रवर्तन संबंधी सभी एजेंसियों को स्वापक औषधियों की समस्त जब्तियों के मामले में वित्तीय जांच करके धन-शोधन कार्यकलापों पर अंकुश लगाने तथा अवैध रूप से प्राप्त की गई सम्पत्तियों को निरुद्ध करने/जब्त करने हेतु समुचित उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वापक औषधियों की तस्करी को रोकने तथा उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण उपायों में सतत् चौकसी करना, प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाना, आसूचना तंत्र को सतर्क करना, सीमा पर स्वापक औषधियों की रोकथाम के लिए सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत शक्ति प्रदान करना, सीमा के आर-पार आवधिक बैठकें करना जिसमें भारतीय तथा पाकिस्तानी नार्कोटिक्स एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहें और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के सिलसिले में गिरफ्तार सभी व्यक्तियों के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान देश में जब्त की गई स्वापक औषधियों का विवरण

1997	अफीम	हेरोइन	गांजा	हशीश	मार्फीन	मेथाक्वालोन
मात्रा (कि. ग्रा. में)	3316	1332	80886	3281	128	1740
मामले (संख्या)	1333	2900	7062	2223	75	207
गिरफ्तार किए गए (संख्या)	1539	3262	7400	2060	79	202
1998	अफीम	हेरोइन	गांजा	हशीश	मार्फीन	मेथाक्वालोन
मात्रा (कि. ग्रा. में)	2031	655	68221	10106	19	2257
मामले (संख्या)	954	3095	6018	2193	56	114
गिरफ्तार किए गए (संख्या)	1108	3381	6312	2189	68	135
1999	अफीम	हेरोइन	गांजा	हशीश	मार्फीन	मेथाक्वालोन
मात्रा (कि. ग्रा. में)	1635	861	40113	3391	36	474
मामले (संख्या)	927	2937	6518	2500	125	8
गिरफ्तार किए गए (संख्या)	1024	3143	6585	2582	121	17

[हिन्दी]

सीमा शुल्क विभाग द्वारा रिवाल्वरों/पिस्तौलों का जब्त किया जाना

2097. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कस्टम हाउस, दिल्ली ने 1996 से 2000 के बीच 32 बोर के रिवाल्वर/पिस्तौल जब्त किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये रिवाल्वर और पिस्तौलें किन-किन व्यक्तियों को बेची गई और ये किस समय बेची गई;

(घ) क्या इनके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया काफी जटिल है और इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए, शून्य।

(घ) जी, नहीं। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं।

(ङ) ऊपर (घ) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेबी को अधिक शक्तियां

2098. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने सरकार से ऐसी वन रोपण कंपनियों पर कड़ी नजर रखने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध किया है, जिनके विरुद्ध निवेशकों की बहुत सी शिकायतें लंबित पड़ी हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्लांटेनशन कंपनियों के संबंध में विशेष रूप से किसी अतिरिक्त शक्ति की मांग नहीं की है। तथापि, सरकार का प्रयास सेबी को अपने कार्यों को प्रभावी तथा कुशल रूप से करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से सेबी को मजबूत करने का है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात प्रसंस्करण जोन

2099. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को संयुक्त/निजी क्षेत्र में निर्यात प्रसंस्करण जोन स्वयं ही स्थापित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने संयुक्त/निजी क्षेत्र में किन्हीं निर्यात प्रसंस्करण जोनों की स्थापना की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हाँ। 1992 में भारत सरकार द्वारा किसी नए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई पी जेड) की स्थापना नहीं करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, निर्यात उत्पादन हेतु बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने निजी/संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकारों द्वारा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) निजी/संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाने के लिए अनुमोदित निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों के ब्यौरे एवं उनके स्थान निम्नानुसार हैं:-

प्रवर्तक का नाम	स्थान	निजी/संयुक्त क्षेत्र
मै. केफोम लि., मुंबई	कांडिवेली (पूर्व) मुंबई (महाराष्ट्र)	निजी क्षेत्र
मै. कोलोन्क इंटरनेशनल, चैन्नई	सिंगिडिवाकम गांव, कांचीपुरम तालुक, तमिलनाडु	निजी क्षेत्र
उत्तर प्रदेश सरकार	ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार

'सेबी' के कार्यकरण की समीक्षा

2100. **श्री किरीट सोमैया:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'सेबी' की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर की गई थी उन्हें हासिल कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने 'सेबी' के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(घ) क्या 'सेबी' में छोटे निवेशकों की शिकायतों के समाधान की प्रणाली कारगर है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो 'सेबी' की पुनर्संरचना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) सरकार का प्रयत्न सेबी को सुदृढ़ करने का है ताकि वह अपने कार्यों को प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक करने में समर्थ हो सके। इस उद्देश्य के लिए सेबी की कार्यप्रणाली की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है।

(ग) संबंधित कानून में उचित संशोधन कर दिया गया है और प्रतिभूति बाजार की सुरक्षा, विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए समय-समय पर सेबी के साथ परामर्श एवं समन्वय द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) सेबी ने एक निवेशक शिकायत निवारण एवं मार्गदर्शन प्रभाग स्थापित किया है जो कंपनियों के विरुद्ध सेबी को शिकायत करने वाले निवेशकों की मदद करता है। इसके अलावा सभी सेबी कार्यालयों एवं सेबी वैबसाइट पर एक मानकीकृत शिकायत प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक शिकायत की पावती दी जाती है, मामले को तुरन्त कंपनी के साथ उठाया जाता है तथा अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र को विश्व बैंक का ऋण

2101. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना॰ मोहोल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न ढांचागत और जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से 40,000 करोड़ रु. का ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक के साथ इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) महाराष्ट्र सरकार ने ढांचागत तथा जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से 10937 करोड़ रुपए (लगभग) की परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। ये अनुमान लागत केवल निर्देशात्मक हैं। परियोजनाओं के क्षेत्र, आकार और लागत के ब्यौरों का पता परियोजना का मूल्यांकन तथा बातचीत होने और बैंक बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही लगेगा।

(ख) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) भारत सरकार विश्व बैंक के समक्ष सहायतार्थ प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों की समय-समय पर समीक्षा तथा अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

विवरण

क्र. सं॰	परियोजना का नाम	स्थिति/प्रतिक्रिया
1.	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना (चरण II)	यह परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई है और इसका अभी मूल्यांकन किया जाना है। मौजूदा विश्व बैंक ने इस परियोजना को वित्तपोषित करने की कोई वचनबद्धता प्राप्त नहीं हुई है।
2.	महाराष्ट्र जलापूर्ति और मल-व्ययन परियोजना चरण-II	इस परियोजना का प्रस्ताव विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने एक संशोधित प्रस्ताव शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को भेजा है। इस प्रस्ताव पर योजना आयोग और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
3.	मिडल वेतरना परियोजना शहरी जलापूर्ति	यह परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। हालांकि विश्व बैंक ने सितम्बर, 2000 में इस परियोजना को वित्तपोषित करने की अनिच्छा व्यक्त की है। उसके बाद आर्थिक कार्य विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को संस्थागत सुधार तथा सुदृढ़ नकदी प्रवाहों के माध्यम से वहनीय वित्तपोषण पर अधिक जोर देते हुए परियोजना को पुन: तैयार करने के लिए लिखा है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति/प्रतिक्रिया
4.	ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना (20 जिले)	इसके संबंध में प्रस्ताव पेय जलापूर्ति विभाग में प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार को अतिरिक्त सूचना भेजने तथा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिए एक प्रतिनिधि भी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
5.	सड़कों पर कोलतार बिछाना	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि ग्राम सभाओं/ ग्राम पंचायतों की भूमिका तथा ग्रामीण समुदायों की भागीदारी को सुस्पष्ट करते हुए इस प्रस्ताव को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार राज्य सरकार से प्रस्ताव को संशोधित करने तथा योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।
6.	राज्य सड़क परियोजना II	यह परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। तथापि बैंक ने सरकार को यह सूचित किया है कि अन्य वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना को वित्तपोषित करना सम्भव नहीं होगा।
7.	बाध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना (चरण-II)	विश्व बैंक को बहु राज्यीय एक परियोजना प्रस्तुत की गई थी। सितम्बर, 2000 में बैंक ने भारत सरकार को सूचित किया कि बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्तपोषित किए जाने का निर्णय लिए जाने से पहले एक विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाना अपेक्षित है।

आयातित चीनी का प्रभाव

2102. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी उद्योग, विशेषत: आंध्र प्रदेश का चीनी उद्योग चीनी और शीरे की कम कीमतों के कारण बहुत की कठिन दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश राज्य के चीनी उद्योग पर राज्य के तटवर्ती प्रदेश होने के कारण इसमें प्रमुख पत्तनों पर चीनी के आयात के कारण अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि वह चीनी के लेवी मूल्य निर्धारित करने से पहले औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को चीनी उत्पादक राज्यों से परामर्श करने की हिदायत दे; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) चीनी के अधिक उत्पादन/स्टाक के कारण घरेलू चीनी उद्योग सामान्य तौर पर स्टाक के जमा हो जाने तथा इसके परिणामस्वरूप धनराशि का भुगतान करने पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित समस्या का सामना कर रहा है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात में वृद्धि करने के लिए किए गये कुछ उपायों के बावजूद, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य कम होने के कारण चीनी उद्योग पर्याप्त मात्रा में चीनी का निर्यात नहीं कर सका है।

(ग) और (घ) डी. जी. सी. आई. एंड एस., कलकत्ता के अनुसार वित्तीय वर्ष 2000-2001 (जुलाई, 2000 तक) के दौरान आंध्र प्रदेश के किसी पत्तन से चीनी का कोई आयात नहीं किया गया है, इसलिए इस वजह से राज्य के चीनी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ङ) और (च) किसी भी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चीनी के लेवी मूल्य को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में चीनी उत्पादक राज्यों के साथ सलाह करने के लिए औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी. पी.) को अनुदेश देने का अनुरोध नहीं किया है। तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों से अनुरोध किया है कि वे लेवी चीनी के मूल्यों को अंतिम रूप देने से पूर्व चीनी उद्योग के अतिरिक्त शर्करा निदेशालय तथा आंध्र प्रदेश सरकार से सलाह करें। चीनी उद्योग का लागत अध्ययन करने में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की असमर्थता के कारण 1999-2000 से 2001-2002 तक के चीनी मौसमों के लिए चीनी उद्योग अद्यतन लागत अध्ययन करने का कार्य वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा को सौंपा गया था। लागत लेखा शाखा चीनी मिलों से संगत सूचना प्राप्त करने के अतिरिक्त, अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पूर्व चीनी उद्योग के शीर्ष निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी आयोजित करती है।

औद्योगिक प्रगति को गति देने के लिए फिक्की के सुझाव

2103. श्री रामदास आठवले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने औद्योगिक प्रगति को गति देने के लिए एक छह सूत्री कार्य योजना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सुझावों पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इन सुझावों के कार्यान्वयन के बाद औद्योगिक प्रगति में कितना सुधार आने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने "बाजारों का विस्तार और वर्धन–औद्योगिक विकास को फिर से गति देने के लिए कार्यसूची" के संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में औद्योगिक विकास को फिर से गति देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ "सुझायी गयी कार्रवाई" योजना दी गयी है। फिक्की द्वारा दिये गये सुझावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) सरकार व्यापार और उद्योग से नियमित रूप से संपर्क करती है। इसे समय-समय पर विभिन्न वाणिज्य और उद्योग मंडलों/संघों से विभिन्न सुझाव प्राप्त होते हैं और यह उपयुक्त समय पर उचित कार्यवाही करती है।

(घ) इस प्रकार का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

विवरण

सुझायी गयी कार्यवाही योजना

प्राप्य पर ध्यान देना

- परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि इस अवस्था में क्या करने की जरूरत है। इस कार्य के लिए राजनीतिक गतिशीलताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो उसे सीमित करती हैं जिसे किया जा सकता है और यह संकेत भी देती हैं कि किसी कार्य को नहीं किया जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में करने योग्य बातों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।

- अर्थव्यवस्था उन्नत करने और औद्योगिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए नीतिगत निर्धारण निम्नलिखित का विवेकपूर्ण संयोजन होना चाहिए।

  – कीनशियन माग-पक्ष प्रोत्साहन।

  – आपूर्ति संबंधी हस्तेक्षप

  – अवसंरचनात्मक तथा संस्थागत सख्तियों को सरल करना।

- फिक्की एक ऐसे द्विपक्षीय तात्कालिक प्रयास का समर्थन करता है, जिसमें सार्वजनिक निवेश कीनशियन गुणकों को प्रेरित करे और नीतिगत परिवर्तन तथा उस नीति का मूल स्तर पर निष्पादन लागत में कमी लाने, आपूर्ति प्रवाह का सृजन करने में मदद करे और परिणामत: वस्तुओं व सेवाओं की अधिक मांग का सृजन करे।

सार्वजनिक निवेश में वृद्धि

- यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि यह वर्धक प्रभाव के जरिये प्रमुख क्षेत्रों तथा समूची अर्थव्यवस्था को प्रेरित कर सके। फिक्की का यह विश्वास है कि अवसंरचना क्षेत्र पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। कुछ बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश से प्रोत्साहन मिल सकता है और प्रमुख क्षेत्र को इसके वर्तमान निष्क्रियता के स्तर से बाहर लाया जा सकता है। विशेषत: पूंजी के सृजन तथा परियोजना निवेश पर व्यय करने के लिए ध्यान देने की जरूरत है।

अवसंरचना पर ध्यान

- फिक्की निवेदन करती है कि 3000 किलोमीटर की स्वर्ण चतुर्भुजीय राष्ट्रीय सड़क निर्माण परियोजना का ठेका तत्काल दे देना चाहिए। शेष 2000 कि. मी. के ठेकों को आगामी वर्ष में फरवरी तक अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। इन दो परियोजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने के कारण अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आ सकता है।

- सरकार द्वारा सभी लंबित बिजली परियोजनाओं को एक प्रात्साहन पैकेज प्रदान करके उन्हें तुरंत आरंभ किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें तैयार की गयी भुगतान गारंटी और त्वरित निपटन प्रक्रियाएं शामिल हैं। देश में विद्युत वितरण के निजीकरण हेतु तुरत कदम उठाये जाने चाहिएं। प्रयोग के तौर पर प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड एक अथवा दो सर्कलों में वितरण के अधिकार निजी क्षेत्र को देकर यह प्रक्रिया आरंभ कर सकता है। सरकार द्वारा आईपीपी परियोजनाओं को शीघ्र आरंभ करने हेतु निलंब लेख प्रणाली के विकल्प भी तैयार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि राज्यों के पास विभिन्न आईपीपी द्वारा उत्पन्न बिजली के लिए उन्हें भुगतान की गारंटी देने हेतु पर्याप्त निलंबलेखनीय क्षमता नहीं है।

- प्रमुख पत्तनों को निगमीकरण यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। ताकि इन्हें भीड़-भाड़ से मुक्त किया जा सके और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

ग्रामीण मांग में वृद्धि करना

- हमें कृषि में बढ़ाए गये पूंजी संचय तथा तीव्र ढांचागत सुधार के साथ कृषि क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना होगा। विगत के वर्षों म विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की समग्र मांग का प्रमुख घटक ग्रामीण मांग रही है। एनसीएईआर के अनुमान बताते हैं कि ग्रामीण मांग एफएमसीजी की कुल खपत के 55% से अधिक भाग के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार हिन्दुस्तान लिवर, कॉलगेट पामोलिव, मेरिको तथा डाबर जैसी कंपनियों की बिक्री का 40-50% भाग ग्रामीण बाजारों में खपता है। किंतु, कृषि उत्पादन में तीव्र उतार-चढ़ावों ने इस मांग में अस्थिरता पैदा कर दी

है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि में आयी हाल की मंदी ने एफएमसीजी तथा टिकाऊ उपभोक्ता सामग्री पैदा करने वाली कंपनियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ग्रामीण मांग को स्थिर करने और उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति को उल्टा करने की दृष्टि से फिक्की ने सिंचाई, मृदा संरक्षण, ग्रामीण सड़क निर्माण, जल संभर विकास, विस्तार सेवाएं, आदि जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने का आह्वान किया है।

इसके अलावा खाद्यान्नों के वर्तमान विशाल भंडारों का सदुपयोग, ग्रामीण गरीबी का मुकाबला करने, दरिद्रता को दूर करने तथा काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रमों तथा अन्य उपायों द्वारा अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लिए किया जा सकता है।

ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत स्वीकृत ऋण का काफी भाग अप्रयुक्त पड़ा है। (अनुबंध-I में तालिका II)। आरआईडीएफ निधि का संवितरण कम स्तर का है जिसका कारण इनसे जुड़ी कठिनाईयां हैं–कुछ राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने से संबद्ध कठिनाइयां, उन मामलों में बजटीय समर्थन की कमी जहां आरआईडीएफ से केवल आंशिक निधि पोषण की ही परिकल्पना थी, निविदा प्रक्रियाओं सहित औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने में विलंब। फिक्की दृढ़तापूर्वक सुझाव देता है कि आरआईडीएफ के तहत निर्धारित की गई निधियों के सदुपयोग और संवितरण में वृद्धि करने हेतु तात्कालिक कदम उठाये जाएं।

उपर्युक्त दोनों उपायों से ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण की गति तेजी होगी, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि होगी, बाजार का विस्तार होगा तथा समग्र वृद्धि प्रक्रिया में उछाल आयेगा।

की रणनीति को पुन: लक्षित करना:

भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि बाजारों के विस्तार व व्यापक न हो पाने के कारण बाधित रही है। अत: अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के माध्यम से बाजारों को व्यापक व विस्तृत करने हेतु वृद्धि की रणनीति को पुन: लक्षित किया जाना चाहिए।

* कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि आधारित उत्पादों में गहन वृद्धि, जहां प्रसंस्करण वस्तुओं के मूल स्थान के पास किया जाये, ताकि ग्रामीण श्रमिकों को लाभयुक्त रोजगार मिल सके।

* श्रम गहन विनिर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाए तथा उसे प्रोत्साहन दिया जाए।

क्षेत्र से संबंधित नीतिगत तात्कालिकताएं:

प्रशुल्क वृद्धि हेतु विकल्पों की पुन: जांच

अंतर्राष्ट्रीय वस्तु बाजार में जारी मूल्यों की अस्थिरता तथा अनेक वस्तुओं की भरमार के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि उन क्षेत्रों में अनुमत बंधन स्तरों के भीतर प्रशुल्क में वृद्धि हेतु विकल्पों की पुन: समीक्षा की जाए, जो मांग की मंदी तथा सस्ते आयातों से जूझ रहे हैं। अध्ययन करने, विश्लेषण करने तथा एक उपयुक्त प्रशुल्क ढांचे की सिफारिश करने हेतु तुरंत एक संस्थागत प्रणाली तैयार करनी होगी ताकि घरेलू उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों में उचित संतुलन कायम रखा जा सके।

(2) एक जीवंत प्रशुल्क निगरानी नीति अपनाना

– जिस बात की आवश्यकता है, वह है एक जीवंत निगरानी प्रणाली, जिसके पास आयात शुल्कों की बार-बार समीक्षा करने का अधिकार हो। फिक्की एक बार फिर घरेलू उद्योग को संरक्षण देने हेतु सभी संभव प्रणलियों और विकल्पों का लाभ उठाने की आवश्यकता को दोहराना चाहेगा ताकि आयातों से कृषि और लघु उद्योगों सहित घरेलू उत्पादकों को कोई नुकसान न हो।

(3) उपयुक्त गैर-प्रशुल्क बाधाओं की स्थापना

– प्रभावी गैर-प्रशुल्क बाधाओं की स्थापना प्रमुख रूप से सस्ते आयात की डंपिंग कम करने में सहायक होगा। विश्व व्यापार संगठन के आवेदन में जब भी जरूरी हो, एंटी डंपिंग कर, काउंटरवेलिंग कर तथा सुरक्षात्मक उपायों जैसे व्यवसाय संबंधी सुधारात्मक उपाय शुरू किये जाने हैं। प्रयोग किये हुए/खराब उत्पाद तथा द्वितीय श्रेणी के उत्पादों (उदाहरणार्थ इस्पात के मामले में) के आयात को रोकने तथा कम करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कठोर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

(4) गैर-प्रतिबंधित आयात पर नियन्त्रण

– हमें नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से बढ़ते हुए आयात से संबंधित मामले का पता लगाने के लिए द्विपक्षीय बातचीत को तेज करना है तथा विश्व व्यापार संगठन तन्त्र से निवेदन करना है।

(5) उत्तम निर्यात राजसहायता योजनाएं

– निर्यात को राज्य समर्थन एक अन्य मामला है जिस पर जल्दी की ध्यान देने की जरूरत है। हमारा विचार है कि आयकर अधिनियम के तहत निर्यात प्रोत्साहन 2003 तक जारी रहने चाहिएं। इसके अलावा अन्तर्निहित उच्च स्थानीय कीमतों और अवस्थापनापूरक हानियों को ध्यान में रखते हुए विश्व व्यापार संगठन समझौते के अन्तर्गत राज सहायताओं और काउंटरवेलिंग उपायों पर की जाने वाली राजसहायता के क्षेत्र की पुन: जांच करने के लिए बहुत अधिक बल दिया गया है। व्यापार और सरकार को एक साथ बैठकर विचारविमर्श करना होगा कि किस प्रकार से निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को बेहतर बनाया जाए उनकी नामावली को तैयार किया जाये ताकि उन्हें विश्व प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा सके।

करों का युक्तिकरण और वी ए टी की शुरूआत

- एकरूपता प्राप्त करने के नाम पर लगभग प्रत्येक विनिर्मित वस्तु पर बिक्री कर में वृद्धि हुई है। औसतन बिक्री कर में लगभग 7% तक वृद्धि हुई है और कुछ राज्यों में तो यह इससे भी अधिक हो गया है। बिक्री कर को एक समान स्तर पर लाने के बजाए बिक्री करों में वृद्धि उच्चतम सीमा तक कर दी गयी है।

- बिक्री कर में तीव्र वृद्धि तथा उत्पाद शुल्क की घटना ने जाली ब्रांड तथा असंगठित उद्योग में निर्गमन को बढ़ावा दिया है। चूंकि लघु असंगठित इकाइयों में निर्मित नकली उत्पादों से कर अदा करने से आसानी से बचा जा सकता है। अत: इनकी संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि करों को युक्तिसंगत बनाया जाये और कर प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाया जाये ताकि असंगठित क्षेत्र और नकली विनिर्माताओं को कर के तहत लाया जा सके। यह ग्रे मार्किट में नियंत्रक के रूप में काम करेगा और इससे सरकारी राजस्व एकत्र करने में भी काफी वृद्धि होगी।

- बिक्री कर के संबंध में राज्यों के इस प्रकार के गैर अनुशासनात्मक व्यवहार को देखते हुए वी ए टी की शुरूआत करना निश्चय ही अत्यावश्यक है, वास्तव में हमारी कुछ अबाधक निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं डब्ल्यू टी ओ के साथ इस तथ्य के साथ असंगत हैं कि भारत की बहु-कर दर संरचना इसे वास्तव में अदा किये गये कर तथा प्राप्त होने वाले लाभ/भुगतान के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने में असंभव कर देती है। इसके लिए केवल वी ए टी प्रणाली लागू करना ही शेष बचा है।

- भारतीय कर प्रणाली के भीतर जैसा कि वर्तमान में चीजें प्रतीत होती हैं ऐसी कोई पद्धति नहीं है जिससे स्थानीय लेवी अथवा राज्य स्तरीय करों की प्रतिशत विनिर्माताओं को जा सके यह एक गंभीर चूक है, क्योंकि ऐसे महसूल (इम्पोस्टस) अप्रत्यक्ष कर होने के कारण डब्ल्यू टी ओ ढांचे के अन्तर्गत वैचारिक रूप से प्रतिपूर्ति करने योग्य है। कर प्रणाली के एकीकरण में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए और वी ए टी की शुरूआत ऐसे राज्य/स्थानीय स्तर के करों को प्रवृत्त करने में सक्षम होगी। इससे निश्चित रूप से हमारी निर्यात योग्य वस्तुएं अधिक मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक बनेंगी और निर्यात वृद्धि में तेजी आयेगी। वी ए टी की शुरूआत किये जाने तक एक अन्तरिम उपाय के रूप में राज्य वित्त मंत्रियों की एक बैठक शीघ्र बुलायी जानी चाहिए ताकि बिक्री कर की वर्तमान समस्याओं पर विचार किया जा सके और उन्हें हल किया जा सके।

विनिवेश प्रक्रिया जारी रखना

- अब तक विनिवेश पर उपलब्धियां अधिक उत्साहजनक नहीं रही हैं और वे लक्ष्य से काफी कम रह गयी हैं। विनिवेश प्रक्रिया को और प्रबल करना है और इसमें तुरन्त तेजी लायी जानी है और वित्तीय कमी की अनिवार्यता की तुलना में दक्षता मानदण्ड द्वारा चलाई जानी चाहिए। इसमें सरकार के निश्चित प्रयास के साथ-साथ निष्कपट राजनीतिक इच्छा की जरूरत है।

संस्थागत कठोरताओं को सरल बनाना

- हमें पूरी ताकत से घूसखोरी पर सामने से प्रहार करना है। अभी भी इंस्पेक्टर राज के जीवित रहने और विभिन्न अवस्थाओं में अपेक्षित स्वीकृतियों (क्लेयरेन्स) की विविधता को हल करने का मामला भी है।

- यदि देश को उदारीकरण और वैश्वीकरण के पूरे फायदे प्राप्त करने हैं तो घरेलू श्रमिक कानूनों को और अधिक लचीले बनाना होगा और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक तन्त्र को शीघ्र ही समकालिक बनाये जाने की जरूरत है।

- आकार में कमी करने तथा पुन: संरचना को सरल बनाने के लिए प्राथमिक कार्य श्रम विपणन कठोरताओं को दूर करने की ओर निर्देशित नीतियां अपनाना है।

घरेलू अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करना

- अनेक अनुसंधान रिपोर्टों में दर्शाया गया है कि विदेशी प्रौद्योगिकी खरीद पर भारतीय कार्पोरेट क्षेत्र की निर्भरता में वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी निर्यात पर बढ़ती हुई निर्भरता स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास के ऊपर पूर्वोद्धाहरण बन रही है। घरेलू अनुसंधान तथा विकास की अवहेलना सतत औद्योगिक विकास तथा प्रतिस्पर्धा के लिए एक गंभीर मामला है। उद्यमी स्तर पर अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करके एक नीति पैकेज प्रदान करके इस प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है। उदाहरणार्थ प्रौद्योगिकीय भुगतान पर लगायी गयी लेवी के जरिये प्रौद्योगिकी आयात की तटागत लागत को बढ़ाया जा सकता है और इन लेवियों को आर एण्ड डी चलाने वाले घरेलू उद्यमियों को वापिस किया जा सकता है। इसके अलावा अनुमोदित आर एण्ड डी परियोजनाओं के लिए राज सहायताओं के रूप में और स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों के लिए वित्तीय रियायतों के रूप में प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

गीता कृष्णन समिति

2104. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गीता कृष्णन समिति ने फिल्म प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, गीत एवं नाटक प्रभाग तथा फोटो प्रभाग को पूरी तरह से बंद करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) श्री गीता कृष्णन की अध्यक्षता में गठित व्यय सुधार आयोग की दूसरी रिपोर्ट के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध हिस्से की प्रति प्राप्त हो गई है. आयोग ने फिल्म प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, गीत एवं नाटक प्रभाग और फोटो प्रभाग जैसे मीडिया एककों के कार्यकलापों, गतिविधियों तथा ढांचे को तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की है।

(ग) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सरकारी उपक्रमों को अनुदान देना

2105. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नवीकरण कोष से लाभ अर्जित करने वाले 12 केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को 191 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी,

(ख) यदि हां, तो उक्त सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या छः केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की 29.06 करोड़ रुपए की राशि को संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रचालनात्मक संबंधी आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो ये सरकारी उपक्रम कौन से हैं, और

(ङ) इन सरकारी उपक्रमों के प्रबंध वर्ग के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण): (क) और (ख) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट (संघ सरकार (सिविल)– कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, 1998 की सं॰ 3) में यह बताया गया है कि नियंत्रक मंत्रालयों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी. आर. एस.) के लिए लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उपक्रमों (नाम संलग्न विवरण 1 पर दिए गए हैं) को एन. आर. एफ. सहायता के रूप में 190.73 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि छः केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (नाम संलग्न विवरण 2 पर दिए गए हैं) ने वीआरएस के लिए उन्हें जारी की गयी निधियों में से 29.06 करोड़ रुपये दिशांतरित किए है और अपनी प्रचालनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया है। इन छः सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के प्रशासनिक मंत्रालयों को दिशांतरित राशि वसूल करन की सलाह दी गयी है।

विवरण-1

क्र.सं.	कंपनी/निगम का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग का नाम
1.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	भारी उद्योग
2.	एन्ड्यू यूल एंड कंपनी	भारी उद्योग
3.	भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड	भारी उद्योग
4.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि.	भारी उद्योग
5.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	भारी उद्योग
6.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	नागरिक उड्डयन
7.	मझगांव डॉक लि.	रक्षा
8.	भारत अर्थ मूवर्स लि.	रक्षा
9.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	खान
10.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.	खान
11.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	खान
12.	इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इंडिया	परमाणु ऊर्जा

विवरण-2

प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निधियों के विपथन में अन्तर्ग्रस्त सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के नाम दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र उपक्रम का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय का नाम
1.	आई डी पी एल	रसायन और पैट्रो रसायन
2.	एस एस पी एल	रसायन और पैट्रो रसायन
3.	बी आई एल	रसायन और पैट्रो रसायन
4.	जे सी आई	वस्त्र
5.	एन टी सी	वस्त्र
6.	एन जे एम सी	वस्त्र

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सुविधाएं

2106. **श्री राजैया मल्याला:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न संस्थानों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं कर्मचारीवृन्द को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पैकेजिंग, डायमंड प्रोसेसिंग एवं अन्य पाठयक्रमों के क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अनुसंधान सुविधाएं और उच्च शिक्षा पाठयक्रम उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान उक्त संस्थानों में प्रशिक्षित/पाठयक्रमों एवं उच्च शिक्षा में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों/कर्मचारीवृन्द की, वर्षवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर उक्त विद्यार्थियों/कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है और कुल संख्या की तुलना में उनका प्रतिशत क्या है; और

(घ) अनु.जा./अनु.जनजाति के विद्यार्थियों/कर्मचारियों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) यद्यपि वाणिज्य विभाग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है तथापि, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) और भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) इत्यादि जैसे विभिन्न संस्थान विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी/कर्मचारी वृन्द को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।

विवरण

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के संबंध में ब्यौरे

दीर्घावधि कार्यक्रमों के जरिए गत पांच वर्षों के दौरान आईआईएफटी के द्वारा प्रशिक्षित भागीदारों और कार्यपालकों की कुल संख्या

कार्यक्रम	1996	1997	1998	1999	2000	कुल
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मास्टर कार्यक्रम	97	82	78	91	92	440
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	40	43	29	-	-	112
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कार्यपालक मास्टर	36	40	38	45	33	192

प्रबंधन विकास कार्यक्रम के जरिए गत पांच वर्षों के दौरान आईआईएफटी द्वारा प्रशिक्षित कार्यपालकों की कुल संख्या

कार्यक्रम	1996	1997	1998	1999	2000	कुल
प्रायोजित कार्यक्रम	796	762	558	540	147	2803
गैर-प्रायोजित कार्यक्रम	489	408	548	353	247	2045

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यार्थियों की संख्या से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है, जिन्हें आईआईएफटी के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश दिया गया था:

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मास्टर कार्यक्रम

वर्ष	कुल	अ.जा/अ.ज.जा.	
		संख्या	प्रतिशत
1996	97	11	11.34
1997	82	13	15.85
1998	78	14	14.10
1999	91	11	15.38
2000	92	11	11.95

2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कार्यपालक मास्टर (ई एम आई टी)

सत्र	भागीदारों की सख्या	अ.जा./अ.ज.जा.
1996	36	
1997	40	1
1998	38	-
1999	45	-
2000	33	

3. स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

वर्ष	कुल	अ.जा/अ.ज.जा.	
		संख्या	प्रतिशत
1996	40	01	2.5
1997	43	02	4.65
1998	29	01	3.44
1999	बंद कर दिया गया		
2000	बद कर दिया गया		

आईआईएफटी के एमपीआईबी में दाखिला अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा जिसमें लिखित परीक्षा, सामूहिक वाद-विवाद और साक्षात्कार शामिल होते हैं, के आधार पर किया जाता है। आईआईएफटी के पीपी जिसे अब बंद कर दिया गया है, में दाखिला भी अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही होता था। ई एम आई टी कार्यक्रम दाखिला साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है।

आईआईएफटी के इन सभी तीनों स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में अनुसूचित ाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण निम्नलिखित ीमा तक रखा जाता है–

(1) अनुसूचित जाति 15 प्रतिशत

(2) अनुसूचित जनजाति 7.5 प्रतिशत

यह कमी इस तथ्य के कारण थी कि या तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित नजाति के विद्यार्थियों पर्याप्त संख्या में दाखिले के लिए आवेदन नहीं हया अथवा वे लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंकों में 10 प्रतिशत क की कमी करने के बावजूद भी उत्तीर्ण नहीं हो सके।

प्रायोजित कार्यक्रमों सहित प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के लिए कोई ारक्षण नहीं है। इन कार्यक्रमों में उन सभी को दाखिला दिया जाता है जो ावेदन करते हैं अथवा जिन्हें प्रायोजित किया जाता है।

भारतीय पैकेजिंग संस्थान के विषय में ब्यौरे

. *पैकजिग में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा*

ष	स्वीकृत सीटों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या	प्रतिशत
995-97	30	-	0
996-98	30	-	0
997-99	35	-	0
998-2000	35	-	0
999 2001	35	-	0
000-2002	35	2	6

. *गहन प्रशिक्षण पाठयक्रम (त्रैमासिक पाठयक्रम)*

994	87	-	0
995	81	-	0
996	81	8	6.48
997	110	3	3.30
998	86	6	5.16
999	80	6	4.80

. *दूरस्थ शिक्षा–पत्राचार पाठयक्रम*

996-98	80	-
997-98	61	-
998-99	71	-
999-2000	70	-
000-2001	63	-

4. ई डी पी कार्यक्रम (1-2 दिवसीय)

वर्ष	कार्यक्रमों की सं.	प्रतिनिधि/भागीदार	प्रतिशत
1995-96	81	2701	1-2 दिवसीय अल्पावधिक कार्यक्रमों के प्रतिनिधि सामान्यत: उद्योगों द्वारा प्रायोजित होते हैं।
1996-97	101	2323	
1997-98	110	2151	
1998-99	65	2366	
1999-2000	60	2148	

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान के संबंध में ब्यौरे

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान फुटवियर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करता है और अपनी प्रयोगशाला के जरिए फुटवियर उद्योग के लिए अनुसंधान सुविधाएं भी प्रदान करता है। यह संस्थान इन पाठ्यक्रमों अर्थात् फुटवियर प्रौद्योगिकी में प्रबंधन (एम एफ टी), फुटवियर प्रौद्योगिकी में उच्चतर डिप्लोमा (एच डी एफ टी) और फुटवियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा (डी एफ डी) का संचालन करता है। गत पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त पाठयक्रमों में वर्ष-वार प्रशिक्षित विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	प्रशिक्षित विद्यार्थियों की सख्या
1995-96	35
1996-97	52
1997-98	51
1998-99	40
1999-2000	70
कुल	248

परंपरागत रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग फुटवियर विनिर्माण समुदाय में आते हैं। अन्य समुदायों के लोग इस व्यवसाय में नहीं जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के चयन के समय आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया था।

[हिन्दी]

मैट्रो चैनल का प्रसारण

2107. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर दूरदर्शन केन्द्र ने अभी तक दूरदर्शन-2 के कार्यक्रमों का प्रसारण करना आरम्भ नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जबलपुर दूरदर्शन केन्द्र से मैट्रो चैनल का प्रसारण आरंभ करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) डी. डी. 2 उच्च शक्ति ट्रान्समीटर, जबलपुर परियोजना की संस्थापना का कार्य पूरा होने के करीब है और इस ट्रान्समीटर के कुछ महीनों में चालू करने के लिए तैयार हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन संवाददाता

2108. श्री ए॰ बह्मनैया: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दूरदर्शन संवाददाताओं के ग्रामीण नेटवर्क के विस्तार की कोई योजना है;

(ख) राज्य-वार तथा स्थान-वार उन नगरों की संख्या बतायें जहां देश में वर्तमान में दूरदर्शन संवाददाता कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या अंश-कालिक संवाददाताओं को भी इस कार्य में लगाया जाएगा;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नही।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

दूरदर्शन संवाददाताओं की राज्य-वार तथा स्थान-वार तैनाती का विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य	शहर (शहरों) की संख्या	शहर (शहरों के नाम)
1.	दिल्ली	01	नई दिल्ली
2.	कर्नाटक	01	बंगलौर
3.	उड़ीसा	01	भुवनेश्वर
4.	पश्चिम बंगाल	01	कलकत्ता
5.	तमिलनाडु	01	चेन्नै
6.	आन्ध्र प्रदेश	01	हैदराबाद
7.	राजस्थान	01	जयपुर
8.	पंजाब	01	जालन्धर
9.	उत्तर प्रदेश	01	लखनऊ
10.	बिहार	02	1. पटना 2. गची

केबल और दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

2109. श्री एम॰वी॰एस॰ मूर्ति: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "कौन बनेगा 'करोड़पति' जैकपोट जीतो, जी मालामाल उत्सव" के प्रसारण की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कार्यक्रमों से पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955 दिल्ली द्यूत अधिनियम जैसे केबल एवं दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। कलकत्ता और दिल्ली उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर की गई थीं जिनमें "कौन बनेगा करोड़पति" और "जैकपोट जीतो" टेलीविजन कार्यक्रमों पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालय का यह मानना है कि "कौन बनेगा करोड़पति" कार्यक्रम कुछ हद तक एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है और प्रथम दृष्टि में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन कोई आपत्ति इस पर लागू नहीं होती है। उक्त कार्यक्रमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में से एक याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग

2110. श्री सुबोध मोहिते:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर एवं औरंगाबाद में उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिए राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग की

एक पीठ की स्थापना नागपुर और औरंगाबाद में किए जाने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जोकि मामलों को तेजी से निपटाने के लिए राज्य आयोगों की पीठों के गठन सहित विभिन्न प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जा सके।

(ङ) चूंकि अधिनियम में संशोधन के लिए कई प्रक्रियाओं और चरणों से गुजरना होता है, इसलिए इसके लिए समय-सीमा का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

परिवहन भत्ता

2111. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, विशेषकर वर्ग-III और वर्ग-IV के कर्मचारियों को दिए जा रहे परिवहन भत्ते में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कर्मचारियों को कब तक बढ़ा हुआ यात्रा भत्ता मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) परिवहन भत्ते पर पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही स्वीकार और लागू किया जा चुका है। तदनन्तर कर्मचारी पक्ष ने एक मांग उठाई है कि कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के लिए इस भत्ते की दरों में वृद्धि की जाए। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् जे.सी.एम. राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति में इस मांग पर यथोचित निर्णय लिए जाएंगे। समिति कब तक निर्णय लेगी इसके लिए समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में तस्करी

2112. **श्री भीम दाहाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में तस्करी गतिविधियों में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम सहित पूरे देश में तस्करी के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सतर्क एवं चौकस हैं।

क्रय प्राथमिकता

2113. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जी. बसवराज:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 10% मूल्य आधारित क्रय प्राथमिकता की अवधि को और एक वर्ष के लिए बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवधि को बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) इस समय सरकार का 10% मूल्य आधारित क्रय प्राथमिकता को और 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त अनुरोधों तथा विभिन्न सम्बद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादों तथा सेवाओं के लिए क्रय प्राथमिकता नीति को

लोक उद्यम विभाग के 31-10-1997 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित योजना में निर्धारित 5 करोड़ की अपेक्षा 1 करोड़ के न्यूनतम क्रय मूल्य के मानदण्ड को छोड़कर मौजूदा मानदण्डों के भीतर अन्य 2 वर्षों की अवधि अर्थात् 31-3-2002 तक बढ़ा दिया गया है। क्रय प्राथमिकता से सम्बन्धित प्रावधानों का प्रत्येक मामले में निविदा आमंत्रण सूचना (अन० आई० टी०) में उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उपलब्ध नीति के लाभ अधिक लागत के लिए उपयुक्त दण्ड के अधीन होंगे। इस विभाग के दिनांक 14-9-2000 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं।

बजटीय आबंटन में कटौती

2114. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नियंत्रित सरकारी समितियों सहित सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों एवं स्वायत्तशासी संस्थानों के गैर-योजना, गैर-वेतन संबंधी व्यय हेतु बजटीय आबंटन में 10 प्रतिशत की कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कटौती 1992 में भी की गई थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त दोनों कटौतियों के प्रभावों का तुलनात्मक विवरण क्या है;

(घ) क्या पांचवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की संख्या में 30% कमी करने की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 1992 में लागू कटौती के परिणामस्वरूप 1991-92 के संशोधित अनुमान की तुलना में 1688 करोड़ रुपए की कमी (बचत) हुई थी। सितम्बर, 2000 में लागू 10 प्रतिशत कटौती के परिणाम 2000-01 के संशोधित अनुमान में परिलक्षित होंगे।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) कर्मचारी पक्ष के प्रतिरोध के कारण सरकार द्वारा इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया।

डायरेक्ट टू होम प्रसारण

2115. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:**
श्री पी० डी० एलानगोवन्न
श्री रामशकल:
डा० वी० सरोजा:
श्री थावर चन्द गेहलोत:
श्री पवन कुमार बंसल:
डा० जसवंत सिंह यादव:
श्री खारबेल स्वाइं:
श्री भीम दाहाल:
श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री अधीर चौधरी:
श्री रामचन्द्र बैंदा:
डा० अशोक पटेल:
श्री अनंत गंगाराम गीते:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डायरेक्ट टू होम प्रसारण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तिथि से शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) इस प्रसारण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कार्यक्रमों में आई अश्लीलता को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) केबल आपरेटरों के लिए कौन से सुरक्षात्मक उपाय सोचे गए हैं; और

(च) डायरेक्ट टू होम से सरकार के साथ-साथ दर्शकों को कहां तक लाभ होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हाँ।

(ख) डी.टी.एच. लाइसेंस हेतु अनुरोध करने संबंधी सरकारी मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी होने के बाद इच्छुक कम्पनियां डी.टी.एच. लाइसेंस हेतु अनुरोध करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगी। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कम्पनी के लिए डी.टी.एच. सेवाएं शुरू करने के लिए लगभग एक वर्ष का समय आवश्यक होगा।

(ग) मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) अश्लीलता से संबंधित चिन्ताओं के निवारण हेतु विभिन्न सुरक्षोपायों का प्रस्ताव किया गया है। इनमें देश में ही भू-केन्द्र स्थापित करने को अनिवार्य बनाना, लाइसेंसधारी द्वारा एक समुचित अवधि के लिए अपलिंक की गई सामग्री का रिकार्ड रखना और इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का पालन करना शामिल हैं।

(ङ) भारत में केबल आपरेटर पहले से ही सुस्थापित हैं। इसलिए केबल आपरेटरों के लिए सुरक्षा उपाय न तो आवश्यक हैं और न ही परिकल्पित हैं।

(च) डी.टी.एच. प्रणाली से भारतीय उपभोक्ताओं को अच्छी प्रसारण गुणवत्ता के साथ काफी संख्या में टेलीविजन चैनल उपलब्ध हो सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को डी.टी.एच. मंच के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तक पहुंच सहित टेलीविजन कार्यक्रमों में बहुविध चयन की सुविधा उपलब्ध होगी। कु-बैंड द्वारा प्रसारण से देश में टेलीविजन सारणी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

विवरण

डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) प्रसारण सेवा की स्थापना, अनुरक्षण और संचालन की मुख्य विशेषताएं

(1) आवेदक कम्पनी, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत भारतीय कम्पनी होगी।

(2) डी.टी.एच. प्रसारण क्षेत्र में सीधा विदेशी पूंजी निवेश/अनिवासी भारतीय/ओ. सी. बी./एफ. आई. आई. सहित कुल विदेशी निवेश x 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जिसमें एफ. डी. आई. का हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

बशर्ते कि विदेशी निवेशकों द्वारा एफ. डी. आई./एन. आर. आई./ओ. सी. बी. के माध्यम से नियंत्रित या धारित भारतीय प्रवर्तक कम्पनी की कुल इक्विटी पूंजी और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात द्वारा प्रस्तुत राशि उपरोक्त 20 प्रतिशत की एफ. डी. आर. सीमा का हिस्सा होगी।

किसी भी प्रसारक कंपनी और/या केबल नेटवर्क कम्पनी को लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय आवेदक कम्पनी की कुल इक्विटी का 20 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व रखने का अधिकार नहीं होगा।

और आगे, बशर्ते कि लाइसेंसधारक हर समय लाइसेंसदाता को इक्विटी के होल्डिंग पैटर्न में किसी भी परिवर्तन से सूचित करता रहेगा।

(3) आवेदक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय नागरिक होने के साथ-साथ इसके बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधियों के बहुमत के साथ ही इसका प्रबंध नियंत्रण भारतीय के पास होना चाहिए।

(4) लाइसेंसधारकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और सरकार द्वारा गैर-अपवर्जन आधार पर 10 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा।

विदेशी इक्विटी के अनुमोदन विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से भेजे जाएंगे।

(5) आवेदक कम्पनी शुरू में 10 करोड़ रु. के प्रविष्टि शुल्क का अनिवार्यतः भुगतान करेगी। इसके अलावा, प्लेटफार्म के स्वाकी को प्रतिवर्ष सरकार को अप्रैल से कुल एकत्र राजस्व का 10 प्रतिशत वार्षिक शुल्क के रूप में देना होगा। लाइसेंस धारक को लाइसेंस की अवधि के लिए वैध 40 करोड़ रु॰ की बैंक गारंटी निष्पादित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंस धारक को लाइसेंस शुल्क और प्रयोग किए गए स्पैक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग के अधीन बेतार योजना समन्वय प्राधिकरण (डब्ल्यूपीसी) द्वारा निधरित रॉयल्टी देना अनिवार्य होगा।

(6) लाइसेंस प्राधिकारी को लिखित में कारण देने के बाद जनहित में लाइसेंस रद्द करने/बर्खास्त करने का अधिकार होगा। तथापि, ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस धारक को अपना पक्ष रखने का एक अवसर देगा। लाइसेंस प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(7) लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिए किसी अन्य कार्रवाई जिसमें लाइसेंस को रद्द करना शामिल है के अलावा लाइसेंस दाता द्वारा लाइसेंस धारक पर 50 करोड रु. का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। तथापि ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस धारक को अपना पक्ष रखने का एक अवसर देगा। लाइसेंस प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(8) लाइसेंस धारक लाइसेंस जारी होने की तारीख से 12 माह के अन्दर भारत में अपलिंक भू-केन्द्र स्थापित करेगा। डी टी एच द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली विषयवस्तु हो वह किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई हो, को भारतीय भूमि पर स्थित भू-केन्द्र के अन्दर स्थापित सामान्य एनक्रिप्शन तथा अभिगमन प्रणाली के जरिए गुजरना होगा।

(9) लाइसेंस धारक सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम संहिता (ए सी) तथा विज्ञापन संहिता (ए सी) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। लाइसेंस धारक को प्लेटफार्म पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों को रिकार्ड प्रसारण के बाद 90 दिन तक रखना होगा और जब भी लाइसेंस दाता द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित होगा इसे उपलब्ध कराना होगा।

(10) लाइसेंस धारक बिना किसी भेदभाव के आधार पर विभिन्न विषयों के कार्यक्रमों/चैनल उपलब्ध कराएगा। (लाइसेंस धारक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निषिद्ध किसी भी चैनल का प्रसारण नहीं करेगा।

(11) लाइसेंस धारक लाइसेंस प्राधिकारी या इसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपकरणों, रिकार्ड, प्रणाली इत्यादि सहित अपनी सभी सुविधाओं तक पहुंच सुलभ कराएगा।

(12) लाइसेंस धारक यद्यपि डी टी एच सेवाओं के लिए भारतीय उपग्रह एवं विदेशी उपग्रह दोनों पर बैण्डविड्थ क्षमता का उपयोग कर सकता है लेकिन भारतीय उपग्रह के प्रयोग पर विचार के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी।

(13) लाइसेंस धारक सिंगल कंडीशनल एसेस टेक्नोलोजी, एकल उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली, ऑपन आर्किटेक्चर (गैर मालिकाना) सेट टाप बाक्स, कास्ट आयरन एनक्रेप्शन सिस्टम और दक्ष, जवाबदेही एवं सही बिलिंग और संग्रहण प्रणाली के जरिए उपभोक्ताओं के हितों को सुनिश्चित करेगा। लाइसेंस दाता किसी ऐसे उपकरण का प्रयोग नहीं करेगा जिसकी पहचान गैर-कानूनी उपकरण के रूप में की गई है।

(14) लाइसेंसदाता के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा आपातकाल/युद्ध की स्थिति में अथवा इसी प्रकार की स्थिति में कार्यक्रमों के प्रसारण अथवा प्राप्ति पर रोक लगाने का अधिकार सुरक्षित है। लाइसेंसधारक और कार्यक्रम उपलब्ध करवाने वाले के बीच किसी समझौते के होते हुए भी, लाइसेंसधारक टी.वी. चैनलों अथवा किसी कार्यक्रम के प्रसारण को तुरन्त निषिद्ध कर देगा जब भी लाइसेंसदाता अथवा किसी अन्य नामे निर्दिष्ट विधिसम्मत प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।

डायरेक्ट-टू-होम सुविधा का ध्वनि, फैक्स, आंकड़े, संचार इन्टरनेट आदि सहित अन्य संचार प्रणालियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक इन लागत से जुड़ी सेवाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी से विशेष लाइसेंस प्राप्त न कर लिया गया हो।

(16) लाइसेंस दाता को बेतार योजना समन्वयन स्कंध अथवा अंतरिक्ष विभाग से यथानिर्धारित अथवा अपेक्षित निकासी/अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(17) डायरेक्ट-टू-होम लाइसेंसदाता किसी अन्य चैनल को प्रस्तावित अत्यन्त अनुकूल वित्तीय शर्तों पर प्रसार भारती के चैनलों को संचालित करने के लिए बाध्य होगा।

(18) लाइसेंसदाता के पास लोकहित अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक होने पर किसी भी समय लाइसेंस की निबंधन और शर्तों में संशोधन अथवा नई शर्त समाविष्ट करने का अधिकार सुरक्षित है।

(19) लाइसेंसधारकों को भविष्य में प्रसारण संबंधी लाए जाने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

बंगला देश के साथ व्यापार

2116. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में आई भीषण बाढ़ ने भारत और बंगला देश के मध्य होने वाले व्यापार को प्रभावित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत को इससे कितनी हानि पहुँची; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) बाढ़ के कारण सितम्बर-अक्तूबर, 2000 में लगभग 21 दिनों के लिए पेट्रोपोल-बेनापोल भू-सीमाशुल्क केन्द्रों के जरिए निर्यात-आयात की जाने वाली वस्तुओं का आवागमन रोक दिया गया था। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे पेट्रोपोल सीमा पर स्थित मार्गस्थल (प्वांइट) पर बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए उचित कदम उठाए। बंगला देश के प्राधिकारियों से भी उनकी तरफ की दूरसंचार सेवाओं को बहाल किए जाने के लिए इसी प्रकार का अनुरोध किया गया था। इस चैक-पोस्ट के जरिए वस्तुओं का आवागमन अब पुन: शुरू हो गया है।

शोलापुर, महाराष्ट्र स्थित आकाशवाणी केन्द्र का उन्नयन

2117. **श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में स्थित शोलापुर आकाशवाणी केन्द्र की क्षमता को बढ़ाकर 10 किलोवाट क्षमता वाले केन्द्र के रूप में उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में यह मामला किस स्थिति में है;

(ग) इसके पूरे होने की संभावना कब तक है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) वर्तमान में शोलापुर स्थित आकाशवाणी केन्द्र की क्षमता का उन्नयन करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है क्योंकि इस ट्रान्समीटर की क्षमता को स्थानीय जनसंख्या की सेवा करने के लिए पर्याप्त माना गया है।

स्मार्ट कार्ड जारी करना

2118. **डा॰ जसवंत सिंह यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईडीबीआई और आईसीआईसीआई ने अपने ग्राहकों को स्मार्ट कार्ड जारी करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये स्मार्ट कार्ड प्रचलित मुद्रा के नोटों और सिक्कों का स्थान कहां तक ले सकेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के अनुसार, उसने अपने ग्राहकों को स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किए हैं लेकिन आईडीबीआई बैंक लि॰ जो कि आईडीबीआई का एक अनुषंगी बैंक है, ने ग्राहकों को स्मार्ट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। स्मार्ट कार्ड के लिए आईडीबीआई बैंक लि॰ द्वारा प्राप्त किए गए 944 आवेदनों में से 903 ग्राहकों को स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आईसीआईसीआई ने भी इन्फोसिस टैकनालाजिज लि॰, इलैक्ट्रानिक सिटी, बैंगलूर के कर्मचारियों को प्रायोगिक आधार पर स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं।

(ग) और (घ) बैंकों द्वारा स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड जारी करने के सम्बध में भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 नवम्बर, 1999 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सम्बोधित करते हुए एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) आशा की जाती है कि स्मार्ट कार्ड का उपयोग ई-भुगतान तंत्र (ई-पेमेंट मेकानिज्म) में प्रमुख भूमिका निभाएगा और स्मार्ट कार्ड के उपयोग से छोटे मूल्य के खरीद को सरल बनाया जा सकेगा और बड़ी मात्रा म फुटकर राशि रखने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकेगा।

विवरण

केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
केन्द्र-1, विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005

संदर्भ : बैंपविवि. सं. एफएससीबीसी 123/24.01.019/99-2000

12 नवम्बर, 1999
21 कार्तिक, 1921 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंकों द्वारा स्मार्ट कार्ड/ डेबिट कार्ड जारी करने के लिए दिशा-निर्देश

कुछ बैंक स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड लागू कर चुके हैं और कुछ अन्य बैंक इस तरह के कार्ड लागू करने के इच्छुक हैं। चूंकि स्मार्ट कार्ड/ डेबिट कार्ड भुगतान के नये लिखत हैं, अतः आवश्यक समझा गया है कि इस संबंध में पालन किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों सहित बैंकों को स्थूल दिशा-निर्देश जारी किए जायें। इस तरह के दिशा-निर्देश बैंकों द्वारा अनुपालन के लिए अनुबंध-1 में दिये गये हैं।

2. बैंक संलग्न दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्मार्ट/डेबिट कार्ड लागू करें। बैंकों को इसके लिए रिजर्व बैंक का पहले से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, परन्तु लागू किये जानेवाले स्मार्ट/डेबिट कार्डों के ब्यौरे हमें भेजे जाएं, जिनके साथ निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गयी कार्यसूची टिप्पणी तथा उस पर पारित संकल्प की एक-एक प्रति भेजी जाये। यह सूचित किया जाता है कि बैंकों को बैंकों से इस किसी अन्य संस्था के साथ स्मार्ट/डेबिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए।

3. बैंक स्मार्ट/डेबिट कार्डों के परिचालन संबंधी स्थिति की समीक्षा करें और समीक्षा नोट छमाही अंतराल पर अपने निदेशक मंडल को प्रस्तुत करें। यह समीक्षा नोट प्रतिवर्ष मार्च और सितम्बर के अंत की स्थिति का हो सकता है।

4. बैंकों द्वारा जारी किये गये स्मार्ट/डेबिट कार्डों के परिचालनों से संबंधित रिपोर्ट प्रभारी परामर्शदाता, भारतीय रिजर्व बैंक, मौद्रिक नीति विभाग, मुंबई - 400 001 को पाक्षिक आधार पर अर्थात रिपोर्टिंग शुक्रवार को भेजी जाये, जिसमे अनुबंध - II मे बतायी गयी जानकारी दी जाये।

5. कृपया प्राप्ति-सूचना भिजवायें।

भवदीय

(पी.वी. सुब्बा राव)
मुख्य महा प्रबंधक

अनुबंध-I

बैंकों द्वारा स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड जारी करने के लिए दिशा-निर्देश

1. व्याप्ति

ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित सभी अथवा इनमे से किन्हीं परिचालनों को समाहित करने वाले स्मार्ट/डेबिट कार्डों पर लागू होंगे–

* कार्ड का उपयोग करके इलेक्ट्रोनिक भुगतान, विशेष रूप से बिक्री रूप से बिक्री के स्थान तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जहां कार्ड के उपयोग/पहुंच के लिए टर्मिनल/ उपकरण लगाया गया है।

* बैंक नोटों का आहरण और बैंक नोट तथा चेक जमा करना और कैश वितरण मशीनों और स्वचलित टेलर मशीनों जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संबंधित परिचालन।

* कार्ड अथवा किसी भी कार्ड का ऐसा कार्य जिसमें इलेक्ट्रॉनिक धन के रूप में वास्तविक मूल्य निहित हो, जिसे किसी ने अग्रिम अदा किया हो, जिनमें से कुछ को आगे निधियों के लिए पुनः लोड किया जा सकता हो अथवा जो इस प्रकार के खाते के माध्यम से कार्यधारक के बैंक खाते को सम्बद्ध

(ऑनलाइन) करता हो और जिसका इस्तेमाल अनेक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

2. *नकदी का आहरण*

कोई नकदी लेनदेन नहीं हो, अर्थात् बिक्री के स्थान पर स्मार्ट/डेबिट कार्डों से किसी भी सुविधा के अंतर्गत बैंककारी विनियमन अधिनियम, 149 की धारा 23 के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण के बिना नकदी का हारण और राशि जमा नहीं करना।

3. *ग्राहकों की पात्रता*

बैंक अपने उन ग्राहकों को स्मार्ट/डेबिट कार्ड जारी करें जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो और जिन्होंने कम से कम छः महीने के लिए संतोषजनक ढंग से खाता परिचालित किया हो। फिर भी बैंक अच्छी वित्तीय स्थिति वाले चुनिंदा ग्राहकों को ऑनलाइन डेबिट कार्ड उस स्थिति में भी जारी कर सकते हैं जब उन ग्राहकों ने बैंक में छः महीने से कम समय तक रखा हो। बैंक स्मार्ट/डेबिट कार्ड की सुविधा बचत खाते/चालू खाते/उसी में निहित चलनिधि विशेषताओं वाले सावधि जमा खाते के धारक व्यक्तियों, कंपनी निकायों और फर्मों को जारी कर सकते हैं। स्मार्ट/डेबिट कार्ड सुविधा नकदी साख/ऋण खातेदारों को नहीं दी जानी चाहिए। परन्तु बैंक निजी ऋण खातों पर उस स्थिति में ऑनलाइन डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं जहां चैक के माध्यम से परिचालनों की अनुमति हो।

4. *चलनिधि संबंधी व्यवहार*

स्मार्ट/डेबिट कार्डों में स्टोर की गयी बकाया शेष राशियां/खर्च न की गयी शेष राशियां प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षायें रखने के लिए गणना हेतु ली जायेंगी। इस स्थिति की गणना रिपोर्टिंग की तारीख को बैंक की बहियों में दिखायी गयी शेष राशियों के आधार पर की जायेगी।

5. ब्याज का भुगतान

भंडार किये गये मूल्य वाले स्मार्ट कार्डों के मामलें में (जैसा कि स्मार्ट कार्ड के परिचालन के ऑफलाइन कार्ड के मामले में है) स्मार्ट कार्ड को अंतरित की गयी शेष राशियों पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाऐगा। डेबिट कार्डों की ऑनलाइन स्मार्ट कार्डों के मामले में ब्याज का भुगतान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 के अंतर्गत समय-समय पर बैंको को जारी किये गये ब्याज दर संबंधी निदेशों के अनुसार किया जाऐगा।

6. *सुरक्षा तथा अन्य पहलू*

(क) बैंक स्मार्ट कार्ड की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। स्मार्ट कार्ड की सुरक्षा बैंक की जिम्मेदारी होगी और सुरक्षा टूटने, सुरक्षात्मक तंत्र के असफलता के कारण किसी पार्टी को होने वाली हानि की भरपायी बैंक को करनी होगी।

(ख) कोई भी बैंक ग्राहक द्वारा धारित कार्ड के खो जाने पर उसके बदले कोर्ड भेजने के सिवाय, अन्यथा, जब तक मांगा न जाये, किसी भी ग्राहक को कोर्ड नहीं भेजेगा।

(ग) बैंक आंतरिक रिकॉर्ड काफी समय तक रखेंगे, ताकि परिचालनों का पता लगाया जा सके और त्रुटियों का निराकरण किया जा सके। (काल-वर्जित मामलों के लिए समय-सीमा को ध्यान में रखना होगा)।

(घ) लेनदेन पूरा हो जाने के बाद कार्डधारक को लेनदेन का लिखित रिकॉर्ड दिया जायेगा। यह रिकार्ड रसीद के रूप में या तो तुरंत या परंपरागत बैंक वितरण जैसे किसी अन्य रूप में एक उचित समय में दिया जायेगा।

(ङ) कार्ड के खो जाने, चोरी हो जाने अथवा उसकी प्रतिलिपि बन जाने पर उसकी अधिसूचना हो जाने के समय तक हुई हानि का कार्डधारक वहन करेगा। परन्तु केवल एक निश्चित सीमा तक ही (सीमा कार्ड धारक और बैंक के बीच पहले से हुई सहमति के अनुसार नियत राशि अथवा लेनदेन के एक निश्चित प्रतिशत तक होगी)। वह स्थिति अपवाद होगी जहां कार्डधारक ने छल-कपटपूर्ण कार्य किया हो, जान-बूझकर किया हो अथवा अत्यधिक अनदेखी की हो।

(च) प्रत्येक बैंक ऐसे साधन उपलब्ध करायेगा, जिनसे उसके ग्राहक भुगतान उपकरणों के खो जाने, चोरी हो जाने अथवा उनकी प्रतिलिपि बन जाने की सूचना दिन या रात किसी भी समय दे सकें।

(छ) कार्ड के खो जाने, चोरी हो जाने अथवा प्रतिलिपि बन जाने की सूचना मिलने पर बैंक ऐसे सभी कार्य करेगा, जिनसे कार्ड का और उपयोग रोका जा सके।

7. *जारी करने के लिए नियम और शर्तें*

बैंक और कार्डधारक के बीच संबंध संविदागत होगा। कार्डधारक और बैंक के बीच में संविदागत संबंध के मामले में:

(क) प्रत्येक बैंक कार्डधारक को इस प्रकार के कार्ड जारी करने और उसके उपयोग को शासित करने वाले संविदागत नियमों और शर्तों को लिखित सेट प्रदान करेगा। इन नियमों में संबंधित पार्टियों के हितों में उचित संतुलन रखा जायेगा।

(ख) ये नियम स्पष्ट रूप से बताये जायेंगे।

(ग) शर्तों में किन्हीं भी प्रभारों का आधार निर्दिष्ट किया जायेगा, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी समय लगाये जाने वाले प्रभारों की राशि बतायी जाये।

(घ) इन नियमों में वह अवधि निर्दिष्ट होगी जिसमें कार्डधारक के खाते से राशि सामान्यतः नामे की जायेगी।

(ङ) नियम बैंक द्वारा बदले जा सकते हैं, परन्तु कार्डधारक को इस परिवर्तन की काफी पहले सूचना देनी होगी, ताकि वह यदि चाहे तो इस सुविधा से अलग हो सके।

(च) ऐसी अवधि निर्दिष्ट की जायेगी जिसके पूरे होने के बाद यदि कार्डधारक निर्दिष्ट अवधि में अलग नहीं होगा तो यह माना जायेगा कि उसे ये नियम मंजूर हैं।

(छ) (1) इन नियमों के अनुसार कार्डधारक कार्ड और प्रयोग से संबंधित सूचनाओं (जैसे कि पीआईएन (PIN) अथवा कूट) को सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय करने को बाध्य होगा।

(2) इन नियमों के अनुसार कार्डधारक इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह ऐसा पीआईएन पीन अथवा कूट रिकार्ड न करें जो बोधगम्य हो अथवा किसी तीसरी पार्टी की उस तक पहुंच हो सके, यदि इस प्रकार के रिकार्ड तक ईमानदारी से बेईमानी से पंहुच की जाये।

(3) इन नियमों से कार्डधारक इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह निम्नलिखित की जानकारी मिलते ही बैंक को सूचना देगा:

- कार्ड अथवा उसके इस्तेमाल के साधनों के खो जाने अथवा चोरी होने अथवा उसकी प्रतिलिपि बन जाने की
- कार्डधारक के खाते में किसी भी अनधिकृत लेनदेन के रिकार्ड हो जाने की
- बैंक द्वारा उस खाते को रखने में किसी त्रुटि अथवा किसी अन्य अनियमितता का पता चलने की

(4) नियमों में ऐसे स्थान का उल्लेख किया जायेगा जहां इस तरह की सूचना दी जा सकेगी। इस तरह की सूचना दिन या रात में कभी भी दी जा सकती है।

(5) इन नियमों के अनुसार कार्डधारक इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह अपने कार्ड के माध्यम से दिये गये किसी भी आदेश को रद्द न करें।

(ज) इन नियमो में यह निर्दिष्ट किया जायेगा कि पीआईएन अथवा कूट जारी करने मे बैंक सावधानी रखेगा और कार्डधारक के पीआईएन अथवा कूट की संख्या कार्डधारक को छोड़कर किसी अन्य को न बतायी जाये।

(झ) इन नियमों में यह निर्दिष्ट किया जायेगा कि बैंक के नियंत्रण में होने वाली प्रणाली की खराबी के कारण कार्डधारक को यदि कोई हानि हो तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा। परन्तु भुगतान प्रणाली में किसी तकनीकी खराबी के कारण यदि हानि हो तो उसके लिए बैंक उस स्थिति में जिम्मेदार नहीं होगा जब उपकरण में खराबी का संदेश दिया गया हो अथवा कार्डधारक को अन्यथा ज्ञात हो। लेनदेन के निष्पादित न होने अथवा त्रुटिपूर्ण निष्पादित होने के लिए बैंक का उत्तरदायित्व मूल राशि तथा ब्याज की हानि तक की सीमित होगा जो नियमों को शासित करने वाले कानून के अंतर्गत होगा।

अनुबंध-II

स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड जारी करने और उनके परिचालन के लिए सूचना देने का फार्मेट

1. बैंक का नाम
2. सूचना की अवधि
3. हार्डवेयर घटकों-(आई.सी.चिप)

   उदाहरणार्थ मैग्नेटिक स्ट्राइप, सीपीयू, मेमोरी-सहित कार्ड का प्रकार
4. प्रयुक्त साफ्टवेयर का प्रकार
5. स्मार्ट कार्ड के माध्यम से प्रस्तावित उत्पादों के नाम :
6. राशि के संचयन की सीमा
7. पुनर्भरण संबंधी विशेषताएं
8. अपनाये गये सुरक्षा मानक
9. सेवा प्रदाता (स्वयं या अन्य)
10. उन आउटलेटों की कुल संख्या, जहां स्मार्ट कार्डों का प्रयोग किया जा सकता है

जिनमें से:

   क. पी ओ एस टर्मिनल

   ख. व्यापारिक प्रतिष्ठान

   ग. एटीएम

   घ. अन्य (कृपया उल्लेख करें)

11. जारी किय गये कार्डों की कुल संख्या

जिनमें से :

   क. बचत/बैंक खाते पर

   ख. चालू खाते पर

   ग. फ्लोट खाते पर

12. रिपोर्ट भेजने की तारीख को स्मार्ट कार्डों पर संचित (रू० की गयी) शेष की कुल राशि
13. रिपोर्ट भेजने की तारीख को स्मार्ट कार्डों पर खर्च (गयी कुल शेष राशि)

14. उक्त अवधि के दौरान कुल लेनदेनों की संख्या

15. कुल लेनदेनों की संख्या में समाहित राशि

16. लेनदेन-निपटान प्रक्रिया (पूरी क्रियाविधि)

क. क्या ऑनलाइल अथवा

ख. ऑफलाइन

17. उक्त अवधि के दौरान कोई धोखाधड़ी के मामले हो तो

क. धोखाधड़ी के मामलों की संख्या

ख. धोखाधड़ी की राशि

ग. बैंक को हुई की राशि

घ. कार्डधारक को हुई हानि की राशि

[हिन्दी]

साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

2119. **श्री वाई॰ जी॰ महाजन:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन देश में विनिर्माता कारखानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1999 में, कारखाना-वार विनिर्मित साइकिलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या कुछ कारखाने बंद हो चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया): (क) सीसीआईएल की दो निर्माणकारी इकाइयाँ हैं, एक इकाई आसनसोल में संपूर्ण साइकिल का निर्माण कर रही है तथा दूसरी कल्याणी में साइकिल के उपकरणों का निर्माण कर रही है।

(ख) वर्ष 1999-2000 में 407 साइकिलों का उत्पादन हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंक बचतों में ह्रास

2120. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्याज दरों में कमी किए जाने के कारण बैंकों में की जाने वाली बचतों में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। वास्तव में, वित्तीय वर्ष 2000-01 के 20 अक्तूबर, 2000 तक के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों मे पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान, 57,999 करोड़ रुपए (8.1 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में 78,108 करोड़ रुपए (9.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

(ग) बैंकों को स्वतंत्रता दी गई है कि वे विभिन्न परिपक्वताओं के लिए देशी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करें। उन्हें यह भी स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने विवेक से जमाराशियों के आकार के आधार पर उसी परिपक्वता के लिए 15 लाख रुपए और उससे अधिक की मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरों का प्रस्ताव करें।

[अनुवाद]

क्रिकेट खिलाड़ियों के विरुद्ध आयकर जांच

2121. **श्री शिवाजी माने:**
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री कीर्ति झा आजाद:
श्री अमर राय प्रधान:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री टी॰ गोविन्दन:
श्री जय प्रकाश:
श्री अशोक ना॰ मोहोल:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिकारी क्रिकेट खिलाड़ियों और भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अर्जित की गई चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के बारे में विशेषकर मैच फिक्सिंग के मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निष्कर्षों के आलोक में छानबीन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच का काम पूरा हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिनगी एन• रामचन्द्रन): (क) से (ग) आयकर अधिकारियों ने दिनांक 20.9.2000 और अनुवर्ती तारीखों को भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड के कतिपय अधिकारियों सहित क्रिकेट खिलाड़ियों, प्रशासकों और सट्टेबाजों के मामलों में तलाशी कार्रवाइयां की थीं।

आयकर विभाग द्वारा की गई जांच से अप्रकटित परिसम्पत्तियों के रूप में आय के संगोपन का पता लगा कर उस पर कर अधिरोपित करना है। जांच के निष्कर्षों की रिपोर्टें पूरा होने के स्तर पर हैं और उस माह जिसमें उक्त तलाशी पूरी की गई थी, को समाप्त होने वाले माह से दस वर्ष की अवधि के लिए कर निर्धारण कार्यवाहियों को कानून के प्रावधानों के अनुसार आरंभ किया जाना है।

[हिन्दी]

बैंकों की कर्मचारी यूनियनें

2122. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कितनी मान्यताप्राप्त और गैर-मान्यताप्राप्त यूनियनें हैं और गैर-मान्यताप्राप्त यूनियनों से सम्बद्ध कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इनको कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्तमान में उद्योग स्तर पर पांच मुख्य कामगार यूनियनें तथा चार अधिकारी संगठन/एसोसिएशनें हैं जिनमें क्रमश: 95.33% कामगार कर्मचारी तथा 96.27% अधिकारी हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उन यूनियनों/एसोसिएशनों, जिनमें सदस्यता की संख्या सर्वाधिक है तथा जो अपने संबंधित बैंक में मान्यताप्राप्त हैं, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कामगार यूनियनें

यूनियन का नाम	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या जहां ये बहुमत में हैं
आल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन	23
नैशनल कन्फेडरेशन आफ बैंक एम्प्लाइज	04

अधिकारी एसोसिएशन

आल इंडिया बैंक आफीसर्ज कन्फेडरेशन	22
आल इंडिया बैंक आफीसर्ज कन्फेडरेशन	03
इंडियन नैशनल बैंक आफीसर्ज कांग्रेस	01
नैशनल आरगेनाइजेशन आफ बैंक आफीसर्स	01

वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली में बैंक स्तर की अमान्यताप्राप्त यूनियनों से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती, अत: ऐसी यूनियनों की सदस्यता संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रत्येक बैंक अधिकांश सदस्यता वसूली यूनियनों/एसोसिएशनों को प्रतिनिधि यूनियन/एसोसिएयशन के रूप में सेवा शर्तों पर बैंक स्तर की बातचीत/विचार-विमर्श तथा अपने सदस्यों की शिकायतों का निपटान करने के लिए मान्यता देते हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंक सभी मान्यताप्राप्त मजदूर यूनियनों को चंदा कटौती की सुविधा देते हैं जिससे वे अपने प्रतिनिधिक स्वरूप का निर्धारण करने में सक्षम होते हैं।

भारतीय बैंक संघ द्वारा 1970 में बैंकों के विचारार्थ त्रिपक्षीय अनशासन संहिता एवं यूनियनों को मान्यता देने के लिए मानदंड परिचालित किए जा चुके हैं। इस संहिता के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त यूनियनों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:

1) मामले उठाना तथा नियोक्ता के साथ सामूहिक करार करना,

2) उपक्रम के परिसर के भीतर सदस्यता शुल्क/अभियान आदि एकत्र करना,

3) नियोक्ता की संस्था, जहां इसके सदस्य नियुक्त हैं, के परिसर में बैठकों, लेखा विवरणों एवं अन्य घोषणाओं के संबंध में अपना नोटिस बोर्ड लगाना,

4) सदस्यों के साथ कार्यालय परिसर के अन्दर शिकायतों का समाधान, विपादों की रोकथाम आदि के लिए विचार-विमर्श करना,

5) नियोक्ता के साथ बैठक करना तथा अपने सदस्यों की शिकायतों पर चर्चा करना,

6) शिकायत समिति, प्रोडक्शन समिति, कल्याण समिति, कैंटीन समिति आदि के लिए अपने प्रतिनिधि नामित करना।

इसके अतिरिक्त जिन कामगार यूनियनों/अधिकारी एसोसिएशनों को उद्योग स्तर पर बातचीत करने का दर्जा दिया गया है तथा जो द्विपक्षीय समझौते/करार करने के लिए पार्टी है, को नीचे दिए अनुसार विशेष छुट्टी देने की सुविधा प्राप्त है जिससे उनके पदधारी संगठन का कार्य देखने में सक्षम हो सकें।

अखिल भारतीय स्तर की यूनियनों के पदधारी	21 दिन (प्रति केलेंडर वर्ष)
अखिल भारतीय स्तर की यूनियनों की केन्द्रीय समिति के सदस्य	17 दिन (प्रति केलेंडर वर्ष)
अखिल भारतीय यूनियनों से संबद्ध राज्य स्तरीय यूनियनों के पदधारी	7 दिन (प्रति केलेंडर वर्ष)

एक से अधिक वर्ग के अन्तर्गत आने वाला एक कर्मचारी तीनों वर्गों में से अधिकतम छुट्टी के लिए पात्र होगा।

[अनुवाद]

रत्न एवं आभूषणों का निर्यात

2123. **श्री अनन्त नायक:**
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारत से रत्न एवं आभूषण आयात करने वाले देश कौन से हैं;

(ख) क्या रत्न एवं आभूषण के निर्यात में वृद्धि के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या वाणिज्यिक बातचीत की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान रत्न, आभूषण एवं हीरे का कितना निर्यात किया गया;

(ङ) क्या नौवीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन वस्तुओं के निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) भारत से रत्न एवं आभूषणों के प्रमुख आयातक देशों में शामिल हैं: (1) संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) (2) हांगकांग (3) बेल्जियम (4) जापान (5) इजरायल (6) थाइलैंड (7) स्विटजरलैंड (8) संयुक्त अरब अमीरात (9) कुवैत (10) जर्मनी और (11) सिंगापुर।

(ख) और (ग) जी, हाँ। अनेक निर्यातकोंनुकूल निर्यात संवर्धन योजनाओं के जरिए रत्न एवं आभूषणों के निर्यात को बढ़ाने के सतत आधार पर उपाय किए जा रहे हैं। व्यापार अपेक्षाओं और प्रचालित वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर निर्यात आयात नीतिगत उपायों का वार्षिक आधार पर घोषणा की जाती है। 1 अप्रैल, 2000 से घोषित कुछेक नीतिगत उपायों में शामिल हैं:

1. हीरों के आयात या निर्यात में कम से कम तीन वर्ष के एक श्रेष्ठ रिकार्ड वाली और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा का औसत वार्षिक कारोबार वाली अपरिष्कृत या तराशे एवं पालिस किए गए हीरों की खरीद/बिक्री में लगी फर्मों और कंपनियों को निर्दिष्ट डायमंड डालर एकाउंट (डी डी ए) के जरिए अपने व्यवसाय को चलाने की अनुमति देना,

2. भारत में दर्जा धारियों को स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम आभूषण के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम और साधारण अर्द्ध-विकसित स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम आभूषणों की भी सीधी आपूर्ति के लिए विदेशी क्रेताओं को अनुमति देना,

3. ई पी जेड एककों में हीरे की प्रत्येक निर्यात खेप को संगत आयात खेपों के साथ सह-संबद्ध करने की आवश्यकता को समाप्त करना,

4. रत्न एवं आभूषण के आयात पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से लाने/ले जाने की अनुमति देना,

5. जड़ाऊ आभूषणों में उपयोग में लाई गई आयातित स्वर्ण रजत/प्लेटिनम माऊटिंगस के मामले में 2.5% के अपशिष्ट की अनुमति दी गई है,

6. पिछले वर्ष में हुए निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य के 2.5% की सीमा तक पुन: पूर्ति लाइसेंस के तहत सामान्य/जड़ाऊ आभूषण मदों के शुल्क प्रदत्त आयात की अनुमति देना,

7. स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम आभूषण/वस्तुओं और मूल्य वर्द्धन की व्याख्या और पदक इत्यादि जैसी वस्तुओ के लिए अपशिष्ट मानकों को युक्तिसंगत बनाना, और

8 0.900 शुद्धता वाले प्लेटिनम का आयात करने एवं उसकी आपूर्ति करने की अनुमति देना।

उपरोक्त एग्जिम नीतिगत उपायों के अलावा, सरकार ने प्लेटिनम और तराशे हुए और पॉलिस किए गए हीरों पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक व्यापार प्रतिनिधि स्वायत्तशासी निकाय, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् (जी जे ई पी सी) ने अपरिष्कृत हीरों की प्रत्यक्ष प्राप्ति की संभावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से एक व्यापार शिष्ट मंडल को कनाडा भेजा था। जी जे ई पी सी का एक व्यापार शिष्टमंडल रूस का भी दौरा करने जा रहा है ताकि वहां से हीरे की प्रत्यक्ष आपूर्ति की ठोस व्यवस्था की जा सके। रत्न एवं आभूषणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए जी जे ई पी सी की दूसरी नियमित गतिविधि/विशेषता भारत में विभिन्न प्रदर्शनिया आयोजित करना और विभिन्न विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेना है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान रत्न एवं आभूषण तथा हीरों के क्षेत्र में निर्यात निष्पादन निम्नानुसार रहा है:

(मूल्य अमरीकी डालर में)

वर्ष	रत्न एवं आभूषणों के निर्यातों का मूल्य (हीरा समेत)	हीरों के निर्यात का मूल्य
1997-98	5345.34	4309.21
1998-99	5904.05	4748.56
1999-2000	8145.00	6648.00

स्रोत: वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता और वर्ष 1999-2000 के लिए जी जे ई पी सी, मुम्बई।

(ङ) और (च) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए केवल वार्षिक निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2000-2001 के लिए रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए निम्नलिखित निर्यात लक्ष्य तय किए गए हैं :-

(मूल्य अमरीकी डालर में)

मद	निर्यात लक्ष्य का मूल्य
तराशे गए एवं पालिस किए गए हीरे	7000
अपरिष्कृत हीरे	142
स्वर्ण आभूषण	1150
रंगीन रत्न पत्थर एवं अन्य	265
कुल	8557

चावल का निर्यात

2124. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत से किन-किन देशों को चावल का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न देशों द्वारा चावल की विभिन्न किस्मों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उनका मूल्य क्या था;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चावल के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने कौन सी योजनाएं बनाई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा निर्यात किए गए चावल (बासमती व गैर-बासमती) की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:

मात्रा : मी॰ टन में
मूल्य: करोड़ रूपए में

	1997-98		1998-99		1999-2000(अ)		2000-2001 (अप्रैल-जुलाई, 2000 अनंतिम)	
मद	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बासमती चावल	593323	1685.62	597793	1876.91	606468	1735.94	357642	869.16
गैर-बासमती चावल	1795743	1685.38	4365888	4403.85	1216681	1369.43	174424	226.95

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

निर्यातों के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एंव सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत की विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक अंकों में दिए जाते हैं, जिनकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

अन्य देशों द्वारा निर्यातित चावल की विभिन्न किस्मों के निर्यातों की मात्रा और मूल्य के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र को ऋण

2125. **श्री राम मोहन नाह्डे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण-जमा अनुपात क्या है; और

(ख) विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन बैंकों ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात क्रमश: 71.26, 66.47 और 64.71 था।

(ख) आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि के लिए उत्पादन ऋण और कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए निवेश ऋण उपलब्ध कराते जा रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश में कृषि के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए गए ऋण की मात्रा में 1997-98 के 700.00 करोड़ रुपए की तुलना में 1998-99 में 792.64 करोड़ रूपए और 1999-2000 में 913.02 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), स्व-सहायता समूह (एस एच जी) का वित्तपोषण और विशेष कार्य

योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उत्पादन ऋण के 1.5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं जिनमें कुल 118.00 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है।

वाहनों के लिए मानदण्ड

2126. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आटोमोबाइल और सम्बद्ध उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ट्रकों /व्यावसायिक वाहनों तथा अन्य मदों के मूल्यह्रास मानदण्डों को आसान बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है और वाहन उद्योग को पुन: अर्थसक्षम बनाने के लिए विचाराधीन/प्रस्तावित अन्य वित्तीय प्रोत्साहन क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में प्राप्त किए गए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया): (क) सरकार, कर प्रावधानों के विभिन्न पहलुओं पर वार्षिक बजट में विचार करती है। इस संबंध में, यदि सरकार का कोई उत्तर है तो वर्ष 2001-2002 के वार्षिक बजट प्रस्तावों में समाविष्ट किया जाएगा।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात संवर्धन परिषद्

2127. श्री पी. डी. एलानगोवन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदें कौन सी हैं तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालय कौन से हैं तथा निर्यात के संवर्धन में उनकी क्या भूमिका है;

(ख) क्या सरकार ने देश के विभिन्न निर्यात संबर्धन परिषदों में व्याप्त पक्षपात, भेदभाव, गैर-जिम्मेदारी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) देश में 20 मान्यताप्राप्त निर्यात संवर्धन परिषदें (ई पी सी) हैं। इनके क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ इन ई पी सी की सूची संलग्न वितरण में दी गई है। प्रत्येक ई पी सी देश के निर्यातों का संवर्धन और विकास करने के उद्देश्य से उत्पादों के विशिष्ट समूह, परियोजनाओं और सेवाओं के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। उनकी प्रमुख भूमिका विदेशों में भारत की छवि को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं के एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्त्ता के रूप में प्रस्तुत करने की है। खास तौर पर ई पी सी को निर्यातकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विनिर्देशनों के अनुपालन को प्रोत्साहित करने और उन पर निगरानी रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चल रहे रूझानों और विद्यमान अवसरों से उन्हें वाकिफ रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है ताकि उनके सदस्यों की ऐसे अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने में मदद की जा सके जिससे कि निर्यातों को व्यापक और विविध बनाया जा सके।

(ख) से (घ) हाल ही के वर्षों में खासकर उरूगवे दौर की समाप्ति तथा डब्ल्यू टी ओ की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वातावरण में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, इस बात की आवश्यकता महसूस की गई थी कि निर्यात संवर्धन परिषदों को पुनर्गठित किया जाए ताकि वे अपने सदस्यों की जरूरतों के प्रति और अधिक जवाबदेह सकें तथा उनके सदस्यों को प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और अधिक व्यवसायीकरण को लागू किया जाए। तदनुसार, सरकार ने ई पी सी द्वारा अनुपालन हेतु आदर्श उप-विधियों का एक सेट निर्धारित किया है। ई पी सी द्वारा इन आदर्श उप-विधियो का अनुपालन किए जाने से उनकी प्रशासनिक और चुनाव संबंधी क्रियाविधियाँ युक्तिसंगत बनेंगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वास्तविक निर्यातकों को ई पी सी के प्रबंधन में और अधिक कारगरता दिखाई दे और इस प्रकार उनके कार्यकलाप में और अधिक कुशलता तथा पारदर्शिता प्रदर्शित हो।

किसी मौजूदा उद्योग समूह के भीतर कुछ खास खंडों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने तथा किसी भी ई पी सी के अंतर्गत इस समय आने वाली वस्तुओं और क्षेत्रों को कवरेज प्रदान करने की दृष्टि से एक नया माध्यम अर्थात् निर्यात संवर्धन मचं. (ई पी एफ) का सृजन किया गया है। ई पी एफ के सृजन की अनुमति पर निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद विचार किया जा सकता है। तथापि, इस प्रकार की अनुमति निम्नलिखित के अधीन होगी:

(क) जब किसी कंपनी को पंजीकृत किया जाता है उस समय सदस्य एक करोड़ रुपये की संग्रह निधि की स्थापना के लिए सहमत हों जिसे चार वर्षों के भीतर बढ़ा कर तीन करोड़ रुपये किया जाएगा। संग्रह निधि के मूलधन को यथावत् रखा जाएगा और ई पी एफ द्वारा ब्याज आय, सदस्यता शुल्क इत्यादि से अपने खर्चों की व्यवस्था करनी होगी;

(ख) ई पी एफ के सदस्य संबंधित ई पी सी के सदस्य बने रहेंगे और उनके द्वारा उस समय तक संबंधित ई पी सी को सदस्यता शुल्क का भुगतान किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक कि उक्त ई पी एफ किसी ई पी सी में तब्दील नहीं हो जाता है (यह किसी ई पी सी के अंतर्गत न आने वाले उद्योग खंडों पर लागू नहीं होगा);

(ग) जहां तक संभव हो स्टाफिंग संरचना पूर्णत: व्यावसायिक होनी चाहिए, स्टाफ को संविदा आधार पर लगाया जाना चाहिए।

ई पी एफ द्वारा अपने प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति अपने खुद के संसाधनों से करनी होगी। इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा उन्हें कोई धन मुहैया नहीं किया जाएगा।

वाणिज्य विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के संतोषजनक निष्पादन के अधीन रहते हुए उक्त ई पी एफ किसी ई पी एफ के रूप में अपने पंजीकरण के चार वर्षों की अवधि के पूरा होने के बाद एक पूर्ण सुसज्जित ई पी सी में बदल जाएगी। तथापि, किसी मौजूदा ई पी सी के अंतर्गत न आने वाले उद्योग खंडों के लिए किसी ई पी सी के मामले में कोई अधिकतम प्रतीक्षा अवधि नहीं होगी।

विवरण

क्र. सं.	मुख्यालय सहित ई पी सी का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय
1.	इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	बंगलौर
2.	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता	कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई, नई दिल्ली विदेशी कार्यालय–शिकागो (यू एस ए), डयूस्सेलडॉफ (जर्मनी), सिंगापुर
3.	शैलेक निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता	इसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है।
4.	चर्म निर्यात परिषद्, चेन्नई	नई दिल्ली, मुंबई, कानपुर, कलकत्ता और चेन्नई
5.	मूल रसायन, भेषज एवं प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई	बंगलौर, कलकत्ता
6.	दि प्लास्टिक्स एंड लिनोयिम निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई	कलकत्ता, चेन्नई, नई दिल्ली
7.	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता	मुम्बई, चेन्नई, नई दिल्ली
8.	ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	इसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है।
9.	रत्न एव आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई	दिल्ली, जयपुर, सूरत, चेन्नई और कलकत्ता
10.	खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली	जालंधर
11.	काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन	इसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तथापि, इसकी गुणवत्ता उन्नयन प्रयोगशाला और तकनीकी प्रभाव क्वीलोन में स्थित है।
12.	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	इसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तथापि, बंगलौर, चेन्नई और कलकत्ता में एक सूचना केन्द्र संचालन में है।
13.	दि इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई	इसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है।
14.	पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई	ईरोड (तमिलनाडु)
15.	वुल एंड वुलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसित, नई दिल्ली	लुधियाना, मुम्बई, तिरूपुर
16.	दि हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसित, चेन्नई	नई दिल्ली, मुम्बई
17.	कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	भदोही
18.	दि सिंथेटिक एंड रिओन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई	सूरत, चेन्नई, नई दिल्ली, कलकत्ता
19.	दि कॉटन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई	नई दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, जयपुर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कोचीन, तूतीकोरिन, बंगलौर, पीतमपुर, नावा शिवा (जे एन पी टी)
20.		नई दिल्ली, जयपुर, लुधियाना, सूरत, मुम्बई, चेन्नई, तिरूपुर, बंगलौर, कोचीन, कलकत्ता

स्थानीय क्षेत्र के बैंक

2128. **श्री अरुण कुमार:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्थानीय क्षेत्र के बैंक खोलने के विभिन्न राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के बैंकों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संदर्भ में दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक को जून 2000 की समाप्त तिमाही तक विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र की स्थापना के लिए कुल 222 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र बैंक की स्थापना की योजना को जनता का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति

2129. **श्री पदमसेन चौधरी:**
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राशन प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति किये जा रहे नीले रंग के मिट्टी के तेल का राज्यवार आबंटन कितना है;

(ख) देश में राशन प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के वितरण की क्या प्रणाली है; और

(च) सरकार द्वारा राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) मिट्टी का तेल एक आबंटित उत्पाद है ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका वार्षिक और मासिक आबंटन किया जाता है। मिट्टी के तेल का आबंटन ऐतिहासिक आधार पर किया जाता है अर्थात पिछले वर्ष के आबंटन में प्रति व्यक्ति कम उपब्लधता वाले राज्यों को अधिक वृद्धि देने वाले सिद्धांत पर आधारित राष्ट्रीय स्तर पर दी गई वृद्धि में से अतिरिक्त आबंटन जोड़ कर किया जाता है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय विसंगति को कम किया जा सके।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रयोजनार्थ मिट्टी के तेल की कीमतें निम्नानुसार हैं:

निम्न तारीख को	रुपये प्रति लिटर
01.03.1994	2.00
23.03.2000	4.50
30.09.2000	7.00
22.11.2000	6.11

(ङ) और (च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अन्दर मिट्टी के तेल के वितरण पर नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा रखा जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों से समय-समय पर मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आबंटन करने के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। देश में मिट्टी का तेल एक घाटे का उत्पाद है और उत्पाद उपलब्धता की बाधाओं, विदेशी मुद्रा और भारी राजसहायता की दिक्कतों के कारण इसका वितरण विवेकसम्मत रूप से करना होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए वार्षिक आबंटन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

विवरण

1996-97 से 1999-2000 की अवधि के लिए मिट्टी के तेल का राज्यवार आबंटन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 टन	1997-98 टन	1998-99 टन	1999-2000 टन
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार	4676	4743	7155	6736
आन्ध्र प्रदेश	628138	650785	675056	679848
अरूणाचल प्रदेश	9675	9948	10240	10295

1	2	3	4	5
असम	256772	263760	271235	272623
बिहार	647512	679329	863745	870036
चंडीगढ़	21348	21562	21778	15408
दादर व नगर हवेली	3170	3202	3237	3238
दिल्ली	243334	245768	248325	204672
दीव/दमन	3003	3033	3064	2438
गोवा	27677	27954	28257	28075
गुजरात	814341	822339	831600	832432
हरियाणा	159099	164653	170563	171731
हिमाचल प्रदेश	57345	58984	60737	61067
जम्मू और कश्मीर	86392	88828	91433	91921
कर्नाटक	498797	513054	528301	531167
केरल	279701	289540	300006	302078
लक्षद्वीप	894	906	919	921
मध्य प्रदेश	508539	532741	661812	666632
महाराष्ट्र	1542924	1558397	1576298	1577953
मणिपुर	21498	22064	22670	22781
मेघालय	19682	20245	20847	20960
मिजोरम	7649	7868	8102	8146
नागालैण्ड	13414	13797	14207	14284
उड़ीसा	227701	239501	316597	318903
पांडिचेरी	15162	15329	15342	15363
पंजाब	332224	337118	342376	343127
राजस्थान	345753	361736	440060	443265
सिक्किम	7711	7794	7885	7895
तमिलनाडु	682026	698837	716830	720076
त्रिपुरा	30577	31451	32386	32562
उत्तर प्रदेश	1128847	1178862	1391123	1401255
पश्चिम बंगाल	763609	785065	808013	812309
जोड़	9389194	9659193	10490199	10490199

[अनुवाद]

विदेशी बीमा कम्पनियां

2130. श्री रूपचन्द पाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में संयुक्त उद्यम में भागीदार के रूप में निवेश कर रही विदेशी बीमा कम्पनियों के स्वचालित क्लियरेंस की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) चूंकि बीमा अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत किसी बीमा कम्पनी में विदेशी इक्विटी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत है, इसलिए सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन की अनुमति प्रदान कर दी है, बशर्ते कि इस सम्बन्ध में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त हो।

[हिन्दी]

बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती

2131. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय स्टैट बैंक और बैंक आफ बड़ौदा में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) क्या उक्त कर्मचारियों की भर्ती पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंक आफ बड़ौदा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अपनाए गए मानदण्ड निम्नलिखित है:

शैक्षणिक योग्यता

भारतीय स्टेट बैंक

संदेशवाहक - कक्षा 8 उत्तीर्ण पर मैट्रिक नहीं

गार्ड - कक्षा 5 उत्तीर्ण पर मैट्रिक नहीं

सफाई कर्मचारी - कोई न्यूनतम योग्यता नहीं पर उसे गैर मैट्रिक होना चाहिए।

बैंक आफ बड़ौदा:

सातवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए परन्तु नवीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए।

आयु सीमा (भारतीय स्टेट बैंक और बैंक आफ बड़ौदा दोनों के लिए)

18 वर्ष से 26 वर्ष/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व/भूतपूर्व सैनिकों को सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार छूट।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रुग्ण उद्योग

2132. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में घाटा उठाने वाले उद्योगों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों की संख्या क्या है और ये कब से घाटा उठा रहे हैं और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का इनमें से किसी उद्योग का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण): (क) और (ख) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त करने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़ों का संकलन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार उड़ीसा राज्य में मार्च, 1999 के अंत में गैर-लघु रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एककों की संख्या 68 थी।

(ग) से (ङ) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन हेतु कई कदम उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं–बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, रुग्ण एककों को स्वस्थ एककों के साथ मिलाना, रुग्ण औद्योगिक कंपनीज (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना करना इत्यादि।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

2133. डा॰ विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री राजो सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य क्या थे; और

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का विचार कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी नहीं। गत एक वर्ष के दौरान अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में सामान्य रुझान दिखाई दिया। 24.11.2000 और 24.11.1999 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलब्धता पर नियमित आधार पर निगरानी जारी रखेगी। देश में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले दीर्घकालिक कतिपय उपायों के अलावा दालों, खाद्य तेलों आदि जैसी वस्तुओं, जिनकी मांग और आपूर्ति में अंतर है, उनके आयात को उदार बना दिया गया है, ताकि मांग और पूर्ति के बीच की खाई को पाटा जा सके। प्याज के आयात को मात्रात्मक प्रतिबंधों तथा न्यूनतम निर्यात मूल्य के जरिए विनियमित किया जाएगा ताकि उसके घरेलू मूल्यों को नियंत्रण में रखा जा सके। चावल, गेहूं, पामोलीन, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुएं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों के जरिए बाजार मूल्यों से कम मूल्यों पर दी जा रही है। जमाखोरों, कालाबाजारियों तथा अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त अन्य लोगों के खिलाफ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

चालू वर्ष के दौरान तथा एक वर्ष पूर्व उसी अवधि में दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य

वस्तु	थोक मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)		(खुदरा मूल्य रु. प्रति कि. ग्रा.)	
	22.11.2000 को	24.11.1999 को	24.11.2000 को	24.11.1999 को
चावल	880	1050	12.00	13.00
गेहूं	625	710	7.00	8.00
चना	2100	1650	23.00	20.00
तुर	2200	2680	28.00	34.00
चीनी	1550	1590	17.00	17.00
मूंगफली का तेल*	5567	6073	76.00	73.00
सरसों का तेल	3533	4000	42.00	49.00
वनस्पति	3133	3400	33.00	38.00
चाय	10000	10000	115.00	115.00
आलू	410	375	8.00	8.00
प्याज	560	670	10.00	11.00
नमक (पैक)	-	-	6.00	6.00

* परिष्कृत तेल

दुग्ध-उत्पादों का आयात

2134. श्री आर.एस. पाटिल:
श्री गुनीपाटी रामैया:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दुग्ध और अन्य दुग्ध उत्पादों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कौन-कौन से देशों से इन उत्पादों का आयात किया जा रहा है;

(घ) क्या हमारे देश द्वारा श्वेत क्रांति हासिल कर लेने के बावजूद दुग्ध उत्पादों का आयात करना भारत की कोई मजबूरी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो दुग्ध उत्पादों का आयात करने के लिए बाध्य करने वाली इन स्थितियों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): क) से (ङ) भारत आयातों पर से प्रतिबंधों को हटाने के लिए वर्ष 1991 एक सुसंगत नीति का अनुसरण कर रहा है। टैरिफ लाइनवार आयात ति की घोषणा पहली बार 31.3.1996 को की गई थी। उस तारीख तक ल 10202 टैरिफ लाइनों में से 6161 टैरिफ लाइनों (10 अंत स्तरीय) आयात मुक्त था। 488 टैरिफ लाइनों पर से आयात प्रतिबंध 1.4.96 से 1.3.97 तक की अवधि के दौरान हटाए गए थे। इसके अलावा, 91 टैरिफ लाइनों (8 अंक स्तरीय) को 1.4.97 से 13.4.98 तक की वधि के दौरान मुक्त किया गया था और 894 टैरिफ लाइनों (8 अंक रीय) को 1.4.99 को मुक्त किया गया था। 31.3.2000 को 714 टैरिफ इनों पर से आयात प्रतिबंध हटाए गए थे। जिन मदों पर से आयात तिबंधों को हटाया गया है उनमें दुग्ध और उत्पाद शामिल हैं। वर्ष 1995 स्किमड दुग्ध पाऊडर का आयात मुक्त है।

वर्ष 1991 से अपनायी जा रही आर्थिक उदारीकरण की नीति के नुरूप और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति देश की वचनबद्धता के नुसार आयात प्रतिबंध हटाए गए हैं।

दुग्ध पाऊडर की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी और सीमा शुल्क की चलित % दर को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1999-2000 के दौरान मुख्यत: रोप और आस्ट्रेलिया से 96.89 करोड़ रुपए मूल्य के दुग्ध और मक्खन का आयात किया था इसके बाद, सरकार ने गैट के अनुच्छेद xxviii के हत 15% की रियायती शुल्क दर पर इन उत्पादों के 10,000 मी. टन की त्रा को अनुमति देने के प्रावधान के साथ स्किमड दुग्ध पाऊडर समेत ध पाऊडर (आयात और निर्यात मदों का आईटीसी, (एच एस) र्गीकरण, 1997-2002 के एकिजम कोड सं. 0402.10 और 0402.21 के हत वर्गीकृत) पर शुल्क की मौजूदा % बांधी गई दर को बढ़ाकर 60% करने के मुद्दे पर सफलतापूर्वक पुन: वार्ता की है। अप्रैल-जुलाई, 2000 की अवधि के दौरान दुग्ध और मक्खन के आयातों में पहले ही 4.47 करोड़ रुपए तक की कमी आ गई है। शुल्क में हुई इस वृद्धि से घरेलू दुग्ध उत्पादकों को आवश्यक संरक्षण मिलना चाहिए।

[हिन्दी]

निर्यात/आयात का लक्ष्य

2135. श्री राम टहल चौधरी:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश द्वारा किए गए कुल वार्षिक निर्यात/आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निर्यात/आयात के लिए वर्षवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य को वर्षवार किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है और इसके परिणामस्वरूप व्यापार में कितना घाटा हुआ;

(ङ) जहां तक निर्यात और आयात का संबंध है, नौवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या निर्यात की जा सकने वाली वस्तुओं की वर्तमान सूची के अतिरिक्त कोई नवीन सूची तैयार की गई है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), कलकत्ता द्वारा यथा प्रदत्त गत तीन वर्षों के दौरान भारत के कुल निर्यात एवं आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात
1997-98	35006	41484
1998-99	33219	42389
1999-2000*	37538	46154

*अनंतिम

(ख) से (घ) निर्यात लक्ष्य वर्ष-वार निर्धारित किए जाते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान निर्यात के लिए निर्धारित वर्ष वार लक्ष्य और व्यापार घाटे निम्नानुसार हैं-

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात लक्ष्य	लक्षित निर्यात (%)	निर्यात निष्पादन	निर्यात वृद्धि (%)	व्यापार घाटा
1997-98	39052	18.0	35006	4.6	6478
1998-99	38282	12.7	33219	-5.1	9170
1999-2000*	37400	11.3	37538	11.6*	8616

* अनंतिम

वर्ष 2000-2001 के लिए निर्यात लक्ष्य 18% है और अप्रैल-सितम्बर, 2000-2001 में निर्यात वृद्धि दर 22.04 % रहा है।

आयातों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। नौवीं योजना दस्तावेज में नौवीं योजनावधि में 1996-97 की कीमतों पर 8,00,900 करोड़ रुपए के कुल निर्यात का प्रावधान है।

(ङ) से (छ) निर्यात वृद्धि में और अधिक वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल है–प्रक्रियाओं के विकेन्द्रीकरण, सरलीकरण और समय-समय पर विभिन्न अन्य उपायों के द्वारा कारोबार लागत में कमी करना। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों, महत्वपूर्ण क्षेत्रों और ध्यान देने योग्य क्षेत्रों को अभिज्ञात करके भी निर्यात बढ़ाने हेतु कदम उठाए गए है। निर्यात के लिए नए क्षेत्रों, नई मदों और नए बाजारों को अभिज्ञात करना एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

रबड़ का आयात

2136. **श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक कुल कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार प्राकृतिक रबड़ के बाजार मूल्य के उतार-चढ़ाव को प्रभावित करने के लिए मूल्य स्थिरता निधि स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या अन्य कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) चालू वर्ष के दौरान जुलाई, 2000 तक आयातित प्राकृतिक रबड़ की मात्रा 4054 मी. टन होने का अनुमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रबड़ उत्पादकों को लाभकारी कीमत सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एस टी सी के जरिए सरकारी खाते से प्राकृतिक रबड़ की खरीद करने के लिए बाजार हस्तक्षेप किया है। एस टी सी ने आज की तारीख तक प्राकृतिक रबड़ की 49864 मी. टन की मात्रा की पहले ही खरीद कर ली है और यह खरीद अभी जारी है। स्वदेशी रबड़ की खपत को बढ़ाने के लिए सरकार ने 20.2.1999 से अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया है।

कर की वसूली

2137. **श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2000-2001 के लिए 30 सितम्बर, 2000 की तिथि के अनुसार राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की कर राजस्व निवल वसूली बजट अनुमानों का पचास प्रतिशत भी प्राप्त नहीं कर पायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्राक्कलनों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर कर-राजस्व शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 30 सितम्बर, 2000 तक की प्राप्तियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	रुपए करोड़ो में	बजट प्राक्कलन की प्रतिशतता
कर राजस्व (निवल)	54,082	37%
गैर कर-राजस्व	28,816	50%

इस अवधि के दौरान ऋणों की वसूली से 4392 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुई वर्ष 1999 में इसी अवधि के दौरान हुई वसूली जो कि 32% थी, की तुलना में कर राजस्व की स्थिति बेहतर है।

(ग) राजस्व प्राप्ति की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है और बजट के लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

एच.डी.एफ.सी. की शाखाएं

2138. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडिवार:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में आवासीय विकास वित्त (एच.डी.एफ.सी.) की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान एच॰डी॰एफ॰सी॰ ने कोई नयी शाखा स्थापित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2000-2001 के दौरान एच॰डी॰एफ॰सी॰ का नयी शाखाएं स्थापित करने के लिए राज्यवार क्या प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) आवास विकास वित्त निगम (एचडीएफसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में 77 शाखाएं/कार्यालय कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) एचडीएफसी ने वर्ष 2000-2001 के दौरान कर्नाटक मे दो नई शाखाएं स्थापित की हैं जिनमें से एक बंगलौर में और दूसरी मैसूर में है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान खोले जाने को प्रस्तावित कार्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

	राज्य का नाम	कार्यालय की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	01
2.	गुजरात	01
3.	केरल	04
4.	मध्य प्रदेश	02
5.	महाराष्ट्र	10
6.	पंजाब	02
7.	तमिलनाडु	03
8.	उत्तर प्रदेश	02
9.	पश्चिम बंगाल	02

[हिन्दी]

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान किया जाना

2139. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के वित्तीय वर्षों के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कितनी धनराशि का ऋण प्रदान किया गया;

(ख) विशेषकर कृषि क्षेत्र और लघु कुटीर उद्योगों को कितने प्रतिशत ऋण प्रदान किया गया;

(ग) क्या इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित धनराशि से यह ऋण राशि कितनी कम थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) मार्च 1998, 1999 और 2000 की सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र तथा कृषि, लघु उद्योग एवं कमजोर वर्गों के इसके उप क्षेत्रों को दी गई बकाया अग्रिम राशि नीचे दी गई है। प्राथमिकता क्षेत्र और इसके उप क्षेत्रों को, लक्ष्यों की तुलना में शुद्ध बैंक ऋण (एन बी सी) में उनके प्रतिशत की दृष्टि से ऋण की स्थिति भी निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:

(राशि करोड़ रुपए में)

	मार्च 1998	मार्च 1999	मार्च 2000
1. शुद्ध बैंक ऋण (एनबीसी)	218219	246203	292943
2. कुल प्राथमिकता क्षेत्र पी एस अग्रिम राशि	91319	107200	127807
एनबीसी में पी एस अग्रिम का प्रतिशत (लक्ष्य 40%)	41.85	43.54	43.63
3. कुल कृषि अग्रिम	34304	40074	46190
एनबीसी में कृषि अग्रिम राशि का प्रतिशत (लक्ष्य 18%)	15.72	16.28	15.77
4. लघु उद्योगों (एसएसआई) को अग्रिम राशि	38109	42674	45788
एनबीसी में लघु उद्योग अग्रिम राशि का प्रतिशत (लक्ष्य - कोई लक्ष्य नहीं)	17.46	17.33	15.63
5. कमजोर वर्गों को अग्रिम राशि	18134	18799	21145
एनबीसी में कमजोर वर्गों को अग्रिम राशि का प्रतिशत (लक्ष्य 10%)	8.31	7.64	7.22

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के लिए एनबीसी का 40 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तथापि, कृषि एवं कमजोर वर्गों को उनके ऋण का प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य से कम है, जैसाकि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

2140. श्री विजय गोयल: क्या वाणिज्य और उद्योग उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा किये जाने वाले निवेश को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1991-1996 की अवधि के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा किये जाने वाले निवेश में वृद्धि हुई है लेकिन 1996 से आगे के समय में इसमें भारी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों द्वारा किये जाने वाले निवेश में कमी आने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) अनिवासी भारतीय निवेशकों को सरकार क्या सहायता/प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) सरकार अनिवासी भारतीय निवेश सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को शासित करने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं को निरंतर आधार पर सरल/सहज बनाया जाता है ताकि अनिवासी भारतीयों के लिए अधिक अनुकूल निवेशोन्मुख वातवरण बनाया जा सके।

अनिवासी भारतीय निवेश का स्वरूप अनेक परिवर्तनशील कारकों द्वारा निर्देशित होता है जिनमें निवेशक बाजार की स्थिति के बारे में अवधारणा, निवेश के वैकल्पिक अवसर, निवेश के अधिमत क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज दरें, इत्यादि शामिल हैं। यद्यपि अनिवासी भारतीय निवेश के अंतर्वाह विशेषकर वर्ष 1998 के दौरान गिरावट रही थी फिर भी अनुवर्ती अवधि म सुधार हुआ है। प्रत्यक्ष निवेश योजनाओं में निवेशों में गिरावट, अनिवासी भारतीयों द्वारा वर्ष 1998 में रिसर्जेंट इंडिया बॉडों, जिसमें लगभग 4.2 बिलियन अमरीकी डालर का संग्रहण है, में अत्यधिक प्रतिक्रिया और हाल ही में शुरू किये गये भारतीय सहस्त्राब्दि जमा, जहां प्रतिक्रिया 5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हुई है, द्वारा पूर्ति से कम ही रही है।

(घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सामान्य नीति और विदेशी निवेशकों/कंपनी के लिए यथा उपलब्ध सुविधाएं अनिवासी भारतीयों पर भी पूरी तरह से लागू हैं। इस के अतिरिक्त सरकार ने विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों और विदेशी निगमित निकायों के लिए जिनमें अनिवासी भारतीय का 60% से भी अधिक का दावा है, कुछ रियायतें प्रदान की हैं। इन रियायतों में ये शामिल हैं:

(1) स्थावर संपदा और आवास क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगमित निकाय द्वारा 100% निवेश;

(2) घरेलू हवाई कंपनियों में 100% तक अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगमित निकायों द्वारा निवेश; और

(3) बैंकिंग क्षेत्र में 40% तक अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगमित निकायों द्वारा निवेश।

टी.वी. ट्रांसमीटर चालू किया जाना

2141. श्री ए. नरेन्द्र: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार और स्थानवार कितने टी.वी. ट्रांसमीटर चालू किये जाने के लिए तैयार हैं;

(ख) क्या कुछ उक्त ट्रांसमीटरों के परीक्षण के बावजूद इन प्रसारण केन्द्रों से प्रसारण नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन ट्रांसमीटरों को कब तक चालू कर दिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) 21 अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रान्समीटर चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार हैं। इन सभी ट्रान्समीटरों का परीक्षण किया जा चुका है। इनके राज्यवार स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन केन्द्रों पर स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण इन ट्रान्समीटरों को चालू करने में देरी हुई है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आवश्यक स्टाफ तैनात करने और इन ट्रान्समीटरों को यथा शीघ्र चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार ट्रांसमीटर

(28.11.2000 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	पेडापल्ली
		मचलीपट्टनम
		जहिराबाद
		पालमनेर
		सिरसिला
		सिरपुर
2.	झारखण्ड	चत्रा
3.	जम्मू एवं कश्मीर	बूसन (सचल अ. श. ट्रां.)
		बारामुल्ला (सचल अ. श. ट्रा.)
4.	केरल	कोट्टराक्कारा
5.	छत्तीसगढ़	चाम्पा
6.	मिजोरम	लवांगतलाई
7.	उड़ीसा	चिकिती
8.	राजस्थान	भीनमल
		विजयनगर
9.	तमिलनाडु	अम्बासमुद्रम
		अम्बुर
10.	त्रिपुरा	अमरपुर
		जोलियाबाड़ी
11.	उत्तर प्रदेश	कोसी
		बिधुना

[हिन्दी]

सिंथेटिक धागे और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी

2142. **श्री तूफानी सरोज:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान सिंथेटिक धागे और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में तस्करी के ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये; और

(ग) कितने मूल्य का सामान जब्त किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है, इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि गत एक वर्ष के दौरान सिंथेटिक धागे और इलेक्ट्रानिक सामान की तस्करी में वृद्धि हुई है अथवा नहीं। तथापि, प्राप्त रिपोर्टों से अवश्य ही यह पता चलता है कि पिछले कुछेक वर्षों के दौरान सिंथेटिक धागे और इलेक्ट्रॉनिक सामान के अभिग्रहणों में मामूली सी वृद्धि हुई है। वर्ष 1999 और वर्ष 2000 के दौरान (अक्तूबर, 2000 तक) पता लगाए गए तस्करी के मामलों की संख्या और पकड़े गए माल के मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है:

	1999		2000	
	मामलों की संख्या	पकड़े गए माल का मूल्य (करोड़ रु. में)	मामलों की संख्या	पकड़े गए माल का मूल्य (करोड़ रु. में)
(क) सिंथेटिक धागे	76	1.06	170	1.75
(ख) इलेक्ट्रॉनिक सामान	1826	82.90	1677	47.82

[अनुवाद]

इंण्डिया मिलेनियम डिपोजिट योजना

2143. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय स्टेट बैंक ने "इण्डिया मिलेनियम जमा योजना", "रिसर्जेन्ट इण्डिया बांड्स" और अन्य ऐसी योजनाओं से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की;

(ख) ये जमाराशियां कितने समय में परिपक्व हो जायेंगी और ऐसी जमाराशियों पर किस दर पर ब्याज का भुगतान किया जायेगा;

(ग) डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करने में ये जमाराशियां किस सीमा तक सहायक होंगी;

(घ) क्या यह उच्च लागत वाला विदेशी मुद्रा ऋण है; और

(ङ) यदि हां, तो पूर्णत: छद्म रूपी उच्च लागत वाले ऋण के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए ऐसे प्रयासों की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों के लिए विभिन्न विशेष जमा कार्यक्रमों के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा की राशि, अवधि और ब्याज की दरें निम्नानुसार हैं:

बांड/जमाराशि	राशि	परिपक्वता की अवधि	ब्याज की दर
अनिवासी भारतीय बांड (1998)	91 मिलियन अमरीकी डालर	7 वर्ष	11.5 प्रतिशत (अमरीकी डालर)
अनिवासी भारतीय बांड (1990)	261 मिलियन अमरीकी डालर	7 वर्ष	11.00 प्रतिशत (अमरीकी डालर)
भारत विकास बांड (1991)	1610 मिलियन अमरीकी डालर	5 वर्ष	9.50 प्रतिशत (अ. डालर) 13.50 प्रतिशत (जी.बी.पी.)
रिसर्जेंट इंडिया बांड (1998)	4231 मिलियन अमरीकी डालर	5 वर्ष	7.75 प्रतिशत (अ. डालर) 8.00 प्रतिशत (जी.बी.पी.) 6.25 प्रतिशत (डयूश मार्क)
इंडिया मिलेनियम जमाराशियाँ (2000)	5514 मिलियन अमरीकी डालर	5 वर्ष	8.50 प्रतिशत (अ. डालर) 7.85 प्रतिशत (जी.बी.पी) 6.85 प्रतिशत (यूरो)

(ग) से (ङ) प्रारम्भ करते समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विद्यमान ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए बांडों पर प्रस्तावित ब्याज की दरें उचित रही हैं। बांडों की विदेशी मुद्रा प्राप्तियों ने विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भंडार बढ़ाने में योगदान किया है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की दरों में घट बढ़ कम करने में सहायता की है।

विशेष आर्थिक प्रसंस्करण जोन

2144. **श्री के. पी. सिंह देव:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित किए गए विशेष आर्थिक प्रसंस्करण जोनों (एस ई पी जेड) की संख्या क्या है;

(ख) क्या ऐसा ही एक विशेष आर्थिक प्रसंस्करण जोन (एस ई पी जेड) को उड़ीसा के पारादीप पत्तन पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे ही एक विशेष आर्थिक प्रसंस्करण जोन ने काम करना आरंभ कर दिया है;

(घ) विशेष आर्थिक प्रसंस्करण जोन (एस ई पी जेड) की स्थापना में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ङ) क्या राज्य सरकारों को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) निर्यात और आयात नीति (1997-2002) जिसमें 31 मार्च, 2000 तक किए गए संशोधन शामिल हैं, में सरकार ने देश में विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड) की स्थापना के लिए एक नीति की घोषणा की है।

दिनांक 1.11.2000 को कांडला (गुजरात), सांताक्रुज, मुम्बई, (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल) और सूरत (गुजरात) स्थित चार मौजूदा निर्यात प्रसंस्करण जोनों को विशेष आर्थिक जोनों में परिवर्तित कर दिया गया है। सात और विशेष आर्थिक जोनों को सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया गया है और इन जोनों की यथा समय स्थापित होने की संभावना है।

(ख) से (च) उड़ीसा सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर पारादीप, उड़ीसा में एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्य सरकार से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होना है।

राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह संभावित जगह की पहचान करे, विकास प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विकास संबंधी कार्य योजना तैयार करे। राज्य करों इत्यादि के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करे और उसके बाद वाणिज्य विभाग को परियोजना संबंधी मुकम्मल प्रस्ताव प्रस्तुत करे। प्रस्ताव पर अंतर-मंत्रालयी समिति के द्वारा विचार कर उसे मंजूरी प्रदान की जाती है।

धन का अवैध अंतरण

2145. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जर्मनी में कुछ कालाबाजारी बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से भारत में धन के अवैध अंतरण से संबंधित सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्य करने वालों की वास्तविक कार्य प्रणाली क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिवगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इन्टरनेट बैंकिंग

2146. **डा. अशोक पटेल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के लिए तैयारी आरंभ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कृतिक बल गठित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह कृतिक बल कब तक अपना कार्य आरंभ कर देगा और कब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 'भारत में इन्टरनेट बैंकिंग' के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है जिसमें बैंकिंग, प्रौद्योगिकी तथा विधि के क्षेत्रों से सदस्य शामिल किए गए हैं। ये इन्टरनेट बैंकिंग के नियामक तथा पर्यवेक्षी परिप्रेक्ष्य के विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे तथा भारत में इन्हें अपनाने हेतु उचित मानकों की सिफारिश करेंगे। इन्होंने सभी वाणिज्यिक बैंकों से टिप्पणियां/सुझाव मंगवाए हैं जिसके आधार पर कार्यकारी दल की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आशा की जाती है कि दल अपनी सिफारिशें करने में छह माह का समय लेगा।

[अनुवाद]

पशु चारे का आयात

2147. श्री सुरेश कुरूप: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत यूनाइटेड किंगडम से पशु चारे का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के वर्षो में आयात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त पशु चारे से यूनाइटेड किंगडम में मैडकाऊ नाम की बीमारी उत्पन्न हुई थी और अब वह अन्य विकासशील देशों में फैल रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। भारत ब्रिटेन से संयोजित पशु चारे का आयात करता रहा है तथा वर्ष 1997-98, 1998-98 एवं 1999-2000 के वर्षो में आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	मात्रा (मी.टन.)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1997-98	88.43	1.72
1998-99	130.43	4.36
1999-2000	105.03	2.22

(स्रोत: डीसीजीआई एंड, कलकत्ता)

इस संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। भारत में हमारे पास पशुओं को मांस/अस्थि चूर्ण अथवा पशुओं का सड़ा-गला मांस खिलाने की प्रक्रिया नहीं है। भारत में मैड काऊ बीमारी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेन्डर्डस के पशु चारे संबंधी मानक, जो कि पोषण हेतु दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं, पशु चारे में हानिकारक रसायनों अथवा मृत पशुओं द्वारा प्राप्त उत्पादों के इस्तेमाल का विशेष रूप से निषेध करते हैं। इसके अलावा, एक निरोधक उपाय के रूप में सरकार ने पशु चारे में पशु मूल के किसी उत्पाद का इस्तेमाल करने पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम॰टी॰एन॰एल॰) में सरकार की इक्विटी

2148. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में अपनी इक्विटी 56 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यकरण और वित्तीय स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम॰टी॰एन॰एल॰) में किस प्रकार से विनिवेश किये जाने की संभावना है और इसे कब तक किये जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो में विनिवेश प्रस्तावों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। महानगर टेलिफोन निगम लि॰ में सरकार की इक्विटी को 56 प्रतिशत से 41 प्रतिशत तक घटाकर विनिवेश करने का निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) व (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.डी.बी.आई. अधिनिमयम के अंतर्गत मनोरंजन उद्योग

2149. श्री जी. एस. बसवराज: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग को औद्योगिक कनसर्न के अंतर्गत आई.डी.बी.आई. के अधीन एक स्वीकृत उद्योग की मान्यता प्रदान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से फिल्म उद्योग को किसी सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है;

(ग) क्या इस निर्णय के अंतर्गत फिल्म उद्योग को बैंक ऋण प्राप्त करने आदि की सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मई, 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्री ने घोषणा की थी कि फिल्म क्षेत्र को मुख्य रूप से फिल्म निर्माण एवं वितरण के क्षेत्रों में सांस्थानिक वित्तपोषण हेतु पात्र बनाने के उद्देश्य से फिल्म क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। फिल्म क्षेत्र सहित मनोरंजन क्षेत्र को आई.डी.बी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत एक औद्योगिक संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट करने के माध्यम से औपचारिक निर्णय लिया गया है और इस बारे में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे फिल्म क्षेत्र वित्तीय संस्थानों से उनके द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेगा।

अफ्रीका को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

2150. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "इंटरनेशनल सेन्टर फॉर एडवांसमेन्ट ऑफ मेन्यूफैक्चरिंग टैक्नोलोजी" ने भारत से अफ्रीका को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संवर्धन संबंधी कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारतीय उद्यमियों को निर्यात के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण): (क) से (ग) जी, हाँ।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर एडवांसमेंट आफ मेन्युफेक्चरिंग टेक्नोलॉजी ने कम लागत के मकान निर्माण की सामग्री के विनिर्माण के क्षेत्र में भारत से अफ्रीका को प्रौद्योगिकी के संवर्धन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया है।

उक्त केन्द्र ने भारतीय उद्यमियों को निर्यात तथा प्रौद्योगिकी हस्तातरण के अवसर प्रदान करने के लिए मार्च, 2000 में "एशिया अफ्रीका टेक्नोलॉजी पार्टनर्शिप फोरम" तथा जून, 2000 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में "इंटरप्राइज इंडिया" आयोजित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) के साथ सहयोग किया।

[हिन्दी]

भुगतान संतुलन की स्थिति

2151. श्री मोहन रावले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भुगतान संतुलन की स्थिति डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में आई हाल की गिरावट के कारण गंभीर हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) अमरीकी डालर के मुकबले रुपए के अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि करने और लागत प्रभावी आयात प्रतिस्थापन के हमारे प्रयासों को सदृढ़ करने में मदद मिलेगी। व्यापार सन्तुलन और परिणामत: भुगतान सन्तुलन की स्थिति सुधरने की आशा है। इस समय भारत के भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर्याप्त रूप से सन्तोषजनक है।

[अनुवाद]

वृत्तचित्रों की प्रदर्शनी

2152. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 15 जुलाई, 1999 के अपने फैसले में सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्रों को देश में सभी सिनेमाघरों में और डी. डी.-1 तथा डी. डी.-2 पर दिखाया जाना सुनिश्चित करे;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने सिनेमाघरों द्वारा फिल्म प्रभाग को कुल आय का 1% किराये के रूप में भुगतान करने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू किया है और क्या देश में सभी सिनेमाघर फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्रों को दिखाते रहे हैं और उसे 1 प्रतिशत किराये का भुगतान कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इसके कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) फिल्म प्रभाग की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 15 जुलाई, 1999 के निर्णय में (1) सम्पूर्ण देश के सभी थिएटरों द्वारा अनुमोदित फिल्मों के अनिवार्य प्रदर्शन और (2) इन फिल्मों की आपूर्ति के लिए फिल्म प्रभाग को किराए के रूप में सिनेमा थिएटरों के शुद्ध वसूली का 1% भुगतान करने के लिए सहमति दी थी।

(ग) से (ङ) चूंकि सिनेमा राज्य का विषय है इसलिए अनुमोदित फिल्मों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने सम्बन्धी कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। फिल्म प्रभाग ने अनुमोदित फिल्मों की नियमित आपूर्ति के लिए देश के सिनेमा प्रदर्शन घरों के साथ एक अनुबंध/समझौता किया है।

दिनांक 30.9.2000 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित फिल्मों को प्रदर्शित करने वाले सिनेमा घरों का ब्यौरा इस प्रकार है:

फिल्म प्रभाग की विभिन्न शाखाओं के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले थिएटरों की कुल संख्या	: 12,325
अनुमोदित फिल्मों को लेने वाले और 1% किराया प्रभार का भुगतान करने वाले कुल थिएटरों की संख्या	: 10,268
अनुमोदित फिल्मों को लेने वाले किन्तु किराया प्रभार का भुगतान न करने वाले थिएटरों की कुल संख्या	1,472
ऐसे थिएटरों की संख्या जिन्होंने न तो अनुमोदित फिल्मों को प्रदर्शनार्थ लिया और न ही किराया प्रभार का भुगतान किया	: 585

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पूरी तरह से लागू करने के लिए फिल्म प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सहायता और सहयोग भी लिया जा रहा है।

चालू वित्त वर्ष अर्थात् अप्रैल, 2000 से अक्तूबर, 2000 के दौरान फिल्म प्रभाग ने विभिन्न सिनेमा थिएटरों से किरायों के रूप में 6,56,50,743.00 रुपये प्राप्त किए।

तस्करी और स्वापक संबंधी गतिविधियां

2153. श्री भर्तृहरि महताब: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान उड़ीसा में तस्करी और स्वापक संबंधी गतिविधियां बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान डी॰आर॰आई॰ द्वारा कितनी जब्तियां की गईं और निषिद्ध माल पकड़ा गया; और

(ग) सरकार द्वारा उड़ीसा में तस्करी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता। आसूचना निदेशालय द्वारा उड़ीसा में वर्ष 1997-98 से आज तक कोई अभिग्रहण नहीं किया गया है।

(ग) सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालय उड़ीसा सहित पूरे देश में तस्करी के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सतर्क एवं चौकस हैं।

[हिन्दी]

वरिष्ठ अधिकारियों के विदेशी दौरे

2154. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:**
प्रो. दुखा भगत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निदेशक, संयुक्त सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी सरकारी उद्देश्यों हेतु विदेशी दौरे पर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दौरों हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं और इन दौरों के लिए अधिकारियों के चयन की क्या विधि है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन अधिकारियों के विदेशी दौरों पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) क्या सरकार ने कोई ऐसा तंत्र विकसित किया है, जिससे पता चल सके कि ये दौरे युक्ति-संगत हैं या नहीं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख), (घ) और (ङ) प्रतिनिधिमंडल के लिए आवश्यकता की जांच (संवीक्षा) समिति द्वारा ध्यानपूर्वक जांच की गई और जहां पर्याप्त औचित्य पाया गया सिर्फ उन्हीं मामलों में अधिकारियों को जाने दिया गया।

(ग) सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है, इसे सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्र किया जाना होगा। इसे सदन के पटल पर यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

[अनुवाद]

कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन

2155. **श्री के. येरननायडू:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अलभ्य घोषित की गई 14222 कंपनियों की सूची में से 24 ऐसी कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन प्रारम्भ किया है जिनका पता नहीं लगाया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो अन्य कंपनियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोषी कंपनियों के विरुद्ध शीघ्रता से कार्यवाही की जा सके और पीड़ित जमाकर्ताओं/शेयरधारकों को सहायता देने के उद्देश्य से क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत को विश्व बैंक से ऋण

2156. **श्री अशोक ना॰ मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने मई, 2000 के दौरान भारत को 50 करोड़ डालर मूल्य का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किन परियोजनाओं हेतु मंजूर किया गया है;

(ग) विश्व बैंक द्वारा इस ऋण हेतु क्या शर्तें रखी गई हैं;

(घ) सरकार को आज की तिथि तक उक्त मंजूर ऋण से वास्तव में कितना ऋण मिला है;

(ङ) बकाया धनराशि कब तक मिलने की संभावना है; और

(च) इस ऋण समेत विश्व बैंक का कुल कितना ऋण भारत पर बकाया है और इस पर कुल कितने ब्याज का भुगतान करना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) मई 2000 के दौरान विश्व बैंक के साथ 908.316 मिलियन अमरीकी डालर की कुल ऋण राशि के लिए सात परियोजनाओं हेतु करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) इन परियोजनाओं में ये शामिल हैं–उत्तर प्रदेश राजकोषीय सुधार, उत्तर प्रदेश विद्युत पुनर्संरचना, आर्थिक सुधारों के लिए तकनीकी सहायता, प्रतिरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाना, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली, आंध्र प्रदेश जिला निर्धनता उपाय और राजस्थान जिला निर्धनता उपाय परियोजना।

(ग) विश्व बैंक के ऐसे ऋणों पर लागू सामान्य निबन्धन और शर्तें ही इन परियोजनाओं पर लागू होंगी।

(घ) दिनांक 30.9.2000 तक 257.736 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि प्राप्त हो चुकी है।

(ङ) बकाया राशि परियोजनाओं की समापन तिथि जो 4 से 5 वर्ष के बीच होगी, से पूर्व प्राप्त होगी।

(च) दि॰ 30.9.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के प्रति विश्व बैंक की बकाया ऋण राशि 26.271 बिलियन अमरीकी डालर थी तथा आईबीसारडी को देय ब्याज भुगतान 330.14 मिलियन डालर थे।

विदेशी ऋण का पूर्व भुगतान

2157. **प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी ऋण के कुल पूर्व भुगतान को बढ़ाने का कोई प्रयास किया गया है;

(ख) विदेशी ऋण के पूर्व भुगतान के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के क्या विचार हैं;

(ग) क्या उच्च ब्याज वाले विदेशी मुद्रा के ऋण के पूर्व भुगतान हेतु वर्ष 2000-2001 के दौरान कोई विशिष्ट लक्ष्य रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्य पूर्ति हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) विदेशी ऋणों के पूर्व भुगतान से देश को आमतौर पर कुल कितना फायदा है;

(च) क्या निजी कम्पनियों को भी विदेशी ऋण के पूर्व भुगतान हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक मौजूदा विदेशी वाणिज्यिक उधार नीतियों के अनुसार उधारकर्ताओं के अनुरोध पर पूर्वादायगी प्रस्ताव को प्रक्रियान्वित करता है। विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति उधार परिपक्वताओं को अधिक समय तक रखने, लागतों को कम करने के लिए प्रयत्न करती है और आधारभूत तथा निर्यात क्षेत्र के वित्तपोषण को बढ़ावा देती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कोई भी पूर्वादायगी विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि करती है। अत:, पूर्व-अदायगियां विदेशी मुद्रा की मांग में योगदान करती हैं और उस सीमा तक विदेशी मुद्रा बाजार पर प्रभाव डाल सकती हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्यात प्रतिबद्धताएं

2158. **श्री हरिभाई चौधरी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने हेतु उन कंपनियों के निर्यात निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिन्होंने विदेशी सहयोग के लिए आवेदन किया था;

(ख) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जो गत तीन वर्षों के दौरान अपनी निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा करने में असफल रही हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रक्रिया के तहत निर्यातकों के लिए निर्धारित निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा करने के प्रयोजनार्थ स्वयं को बाध्य करते हुए कानूनी वचन-पत्र दायर करना अपेक्षित होता है।

(ख) शून्य।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विज्ञापनों की पूर्व समीक्षा हेतु बोर्ड

2159. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अश्लील विज्ञापनों पर रोग लगाने हेतु इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों की पूर्व समीक्षा हेतु फिल्म सेंसर बोर्ड की तर्ज पर एक बोर्ड के गठन का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अश्लील विज्ञापनों पर अभी रोक लगाने हेतु सरकार के पास कोई फोरम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार, केबल नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किए जाने पर विदेशी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना अनिवार्य होता है। किसी भी चैनल द्वारा इन संहिताओं का उल्लंघन करने के मामले में यह मंत्रालय केबल संचालकों द्वारा ऐसे चैनलों को इनके पुन: प्रसारण को निषिद्ध करने के लिए अधिसूचित करेगा। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों अर्थात जिलाधिकारियों, उप जिला अधिकारियों, पुलिस आयुक्त या केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा यथा अधिसूचित अन्य अधिकारियों की है। भारत से अपने कार्यक्रम अपलिंक करने वाले टी.वी. चैनल यथोचित लाइसेंसिंग शर्तों के जरिए, दूरदर्शन पर यथा लागू कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता के अनुपालन के लिए बाध्य हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्पाद और सीमा शुल्क हेतु समझौता आयोग

2160. श्री शंकर सिंह वाघेला: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समझौता आयोग का विचार विवादों और अनसुलझे केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क संबंधी मामलों को तेजी से सुलझाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय V तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय XIV क के अंतर्गत कर निर्धारितियों को उनके द्वारा शुल्क देयता की सत्य और पूर्ण घोषणा के आधार पर तथा समझौता आयोग द्वारा इस पर विचार करने के बाद मामलों के निपटान के लिए आवेदन करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराता है। हालांकि ऐसे निपटान के लिए कानून में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो भी एक मामले को निपटाने में औसतन 6 माह से 1 वर्ष का समय लग सकता है।

समझौता आयोग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति

2161. डा. बलिराम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को समझौता आयोग (आयकर और संपत्ति कर) के अध्यक्ष/सभापति, उपाध्यक्ष/उपसभापति और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के समय पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1 जनवरी, 1996 की तिथि के अनुसार समझौता आयोग (आयकर और संपत्ति कर) के अध्यक्ष/सभापति, उपाध्यक्ष/उपसभापति और सदस्य के पद पर कितने लोग नियुक्त हुए और उक्त पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग नियुक्त हुए और कुल पदों की संख्या में उनका प्रतिशत क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) महोदय, समझौता आयोग (आयकर/धनकर), आयकर अधिनियम/धनकर अधिनियम के अन्तर्गत गठित एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है। इसका उद्देश्य एक ऐसा निकाय उपलब्ध कराना है जिसमें मामलों के निपटान के लिए प्रत्यक्ष करों और व्यावसायिक खातों से संबंधित समस्याओं की विशेष जानकारी और अनुभव रखने वाले निष्ठावान और उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्ति हों। इन पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) दिनांक 1.1.96 की स्थिति के अनुसार समझौता आयोग की विभिन्न पीठों में आठ सदस्य, तीन उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष था। इनमें कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं था।

चाय का उत्पादन/मूल्य/निर्यात

2162. डा. सी. कृष्णन:
श्री वैको:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हमारे देश के विभिन्न बाजारों में चाय के विभिन्न प्रकारों (आर्थोडाक्स, सी.टी.सी. ग्रीन) का किस्म-वार और बाजार-वार औसत मूल्य क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान क्षेत्र, वर्ष और किस्म-वार विभिन्न क्षेत्रों में चाय का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) वर्ष और क्षेत्र-वार मूल्य और किस्म दर्शाते हुए उसमें से कितनी चाय का निर्यात किया गया;

(घ) इस अवधि के दौरान वर्ष-वार, क्षेत्र-वार और किस्म-वार कुल उत्पादन में से कितनी मात्रा की चाय देश में ही खपत हुई;

(ङ) सार्क समझौते के बारे में भारत में वर्ष-वार और देश-वार आयात की गई चाय की मात्रा क्या है;

(च) बाजार में चाय मूल्यों में तेजी से आई गिरावट के क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा देश के चाय उत्पादकों की सहायता के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख नीलामी केन्द्रों पर चाय की विभिन्न किस्मों के वर्ष-वार औसत कीमत निम्नानुसार रहे थे :

(कीमतें रु०/किग्रा. में

नीलामी केन्द्र	सीटीसी			परम्परागत			हरी चाय			सभी चाय		
	1999	1998	1997	1999	1998	1997	1999	1998	1997	1999	1998	1997
कलकत्ता	82.50	81.98	71.16	113.88	97.75	96.85	-	-	-	88.60	87.83	79.88
गुवाहाटी	80.55	78.84	67.58	72.10	69.43	78.33	-	-	-	80.53	78.76	67.67
सिलीगुडी	72.56	74.66	65.46	74.31	72.53	73.77	-	-	-	72.56	74.66	65.47
अमृतसर	-	-	-	-	-	-	46.66	51.96	41.89	46.66	51.96	41.89
कोचीन	60.58	71.62	58.55	65.99	78.01	68.75	-	-	-	62.04	73.31	61.57
कून्नूर	53.20	65.08	57.09	55.85	64.78	57.62	-	-	-	53.34	65.06	57.13
कोयम्बटूर	55.04	66.72	56.40	64.53	74.36	70.39	-	-	-	57.26	68.75	60.51

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में चाय की विभिन्न किस्मों के वर्ष-वार उत्पादन निम्नानुसार रहे थे:

(आंकड़े मिलियन किग्रा. में

श्रेणी	उत्तर भारत			दक्षिण भारत			संपूर्ण भारत		
	1999	1998	1997	1999	1998	1997	1999	1998	1997
सीटीसी	556.91	592.42	549.50	169.55	165.74	150.59	726.46	758.16	700.09
परम्परागत	41.06	69.84	47.22	29.90	33.79	54.24	70.96	103.63	101.46
अन्य	6.38	6.67	7.98	1.85	1.85	0.50	8.19	8.62	8.48
कुल	604.35	669.03	604.70	201.30	201.38	205.33	805.61	870.41	810.03

(ग) चाय का निर्यात मुख्य रूप से ब्लेन्डिड फार्म में किया जाता है। ब्लेन्डिंग की प्रक्रिया में चाय का मूल समाप्त हो जाता है। इसलिए उत्पादन के मूल के नाम से चाय के निर्यात को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख देशों को चाय का निर्यात निम्नानुसार रहा था:

(मात्रा मिलियन किग्रा. में)
(मूल्य करोड़ रुपए में)

देश	1999-2000	मूल्य	1998-99	मूल्य	1997-98	मूल्य
रूसी संघ	85.03	695.55	82.30	841.33	92.20	851.90
यूके	19.90	176.92	21.51	227.96	26.97	235.39
यूएई	14.81	172.18	19.78	207.15	23.65	216.66
इराक	6.32	60.58	10.25	97.35	2.41	18.18
पोलैण्ड	10.11	67.84	9.73	61.83	10.10	92.16
कजाकिस्तान	6.03	55.67	7.62	80.41	4.47	44.45
यूएसए	6.58	82.01	6.60	69.93	5.45	56.07
जर्मनी	5.34	106.21	5.52	116.47	5.55	89.18
मऊदी अरब	6.32	69.84	3.39	48.58	3.46	38.63
अन्य देश	28.47	309.56	38.49	440.37	37.00	311.29
कुल	188.91	1796.36	205.19	2119.30	211.26	1953.91

(घ) चाय के खपत का क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान चाय की अनुमानित खपत क्रमश: 597 मिलियन किग्रा., 615 मिलियन किग्रा. और 633 मिलियन किग्रा. थी।

(ङ) सार्क देशों से चाय के आयात को 1.8.1998 से मुक्त कर दिया गया था। गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख देशों से चाय का आयात निम्नानुसार रहा था:

(मात्रा मिलियन किग्रा. में)

उत्पादन के देश	1999-2000	1998-99	1997-98
इन्डोनेशिया	3.17	4.36	0.71
नेपाल	Nil	2.51	0.01
बंगला देश	0.49	0.54	0.28
श्रीलंका	2.91	0.39	0.25
नेपाल	0.16	0.03	0.19
अन्य	3.21	1.13	1.36
कुल	9.78	8.93	2.61

(च) और (छ) चाय की कीमतों में गिरावट के मुख्य कारण हैं: सीआईएस देशों द्वारा कम खरीद, परम्परागत चाय की तुलना में सीटीसी चाय की अधिक आपूर्ति, चाय की गुणवत्ता में गिरावट, घरेलू बाजार में कम मांग इत्यादि। चाय उपजकर्त्ताओं को मदद करने की दिशा में सरकार/चाय बोर्ड ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं : 1.5.2000 से मूल्य इमदाद योजना का कार्यान्वयन जिसके द्वारा चाय के लघु उपजकर्त्ताओं की नीलामी कीमत और 55 रुपए प्रति क्रिग्रा॰ के बीच की कमी के बराबर मात्रा में, अधिकतम 8 रुपए प्रति किग्रा. तक इमदाद मुहैया कराया गया है, लघु उपजकर्त्ताओं द्वारा विनिर्मित चाय की गुणवत्ता में सुधार के लिए तमिलनाडु के निलगिरि जिले में गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम शुरू करना, चाय पर आरम्भिक सीमा शुल्क को 15% से बढ़ाकर 35% करना, 100% निर्यातोन्मुख एककों (ईओयू) और निर्यात संसाधन जोनों (ईपीजैड) द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में चाय की बिक्री पर रोक इत्यादि।

पेंशन संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट

2163. **श्री विजय हान्दिक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के पेंशन क्षेत्र और बकाये, इसके वित्तीय प्रभाव संबंधी हाल की विश्व बैंक की रिपोर्ट और बढ़ती धनरहित देयताओं को दूर करने के बारे में विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो दीर्घावधि वित्तीय बोझ पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रिपोर्ट में सुझाये गये पेंशन क्षेत्र सुधार लागू करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सरकार को भारत के पेंशन क्षेत्र के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वी॰एस॰एन॰एल॰ में सरकारी सम्पत्ति

2164. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेश संचार निगम लिमिटेड में अपनी प्रमुख सम्पत्ति को छोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के लिए प्रस्तावों पर

विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। विदेश संचार निगम लिमिटेड में अल्पांश स्तर तक सरकार की होल्डिंग को कम करने का निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता

2165. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के समाचार और आधारभूत सुविधायें अपेक्षित स्तर की नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केबल आपरेटरों की मांग

2166. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री राजैया मल्याला:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केबल आपरेटरों ने सितम्बर, 2000 में हड़ताल की थी;

(ख) क्या केबल टी.वी. आपरेटर संयुक्त मोर्चा ने केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 2000 के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा है;

(ग) यदि हां, तो केबल आपरेटरों की मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) विदेशी उपग्रह चैनलों पर सरकार का क्या नियंत्रण है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) दिल्ली और आस-पास के इलाकों के केबल आपरेटरों ने सितम्बर, 2000 के महीने में हड़ताल की थी।

(ख) और (ग) जी, हां। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ उनके द्वारा प्रसारित सभी चैनलों के मामले में उनके द्वारा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का पालन करने की जिम्मेवारी के प्रति आशंका प्रकट की थी।

(घ) उन्हें स्पष्ट कर दिया गया कि प्रसारण संहिता का पालन करने के संबंध में उनका मुख्य रूप से दायित्व उनके स्वयं के चैनलों के बारे में है। उन्हें यह भी बताया गया कि उपग्रह चैनलों के संबंध में कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का पालन करने की मुख्य रूप से जिम्मेवारी इन्हीं चैनलों की होगी और उनके द्वारा इन संहिताओं के उल्लंघन के मामले में मंत्रालय ऐसे चैनलों को अधिसूचित करेगा ताकि केबल आपरेटरों द्वारा उनके पुन: प्रसारण को रोका जा सके।

(ङ) केबल नेटवर्क के माध्यम से पुन: प्रसारित होने वाले विदेशी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का पालन किया जाना अपेक्षित है। उनके द्वारा संहिताओं का लगातार उल्लंघन करने पर मंत्रालय केबल आपरेटरों द्वारा देश में ऐसे चैनलों के पुन: प्रसारण को रोकने के लिए इन चैनलों को अधिसूचित करेगा।

उच्च शिक्षा के लिए ऋण

2167. **श्री पी.आर. खुंटे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का लाभार्थी होने के लिए क्या मानदण्ड नियत किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने समय-समय पर जारी की गई अपनी मार्गदर्शी नीति के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक जरूरतमंद छात्रों को शैक्षणिक ऋण प्रदान करने के लिए अपनी स्वयं की योजनाएं तैयार की हैं।

ऐसी सभी छात्र, जो अच्छी नौकरी में नियुक्त नहीं हैं और किसी सामान्य, व्यावसायिक पाठयक्रम में दाखिला के लिए चुने गए हैं इस योजना के पात्र हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत किए गए ऋण बैंक द्वारा योजना के अंतर्गत निर्धारित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन हैं।

[अनुवाद]

निवेश पर एन.सी.ए.ई.आर. का सर्वेक्षण

2168. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् के सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसमें इस देश में कारोबार विश्वास के संबंध में धूमिल चित्र प्रस्तुत किया है और इसका कारण भारत में निवेश संबंधी माहौल की तुच्छ अवधारणा बताया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) एन.सी.ए.ई.आर. द्वारा सितम्बर-अक्तूबर, 2000 में प्राप्त 587 उत्तरों के नमूने के आधार पर संचालित कारोबारी सम्भावनाएं सर्वेक्षण के 34वें दौर के अनुसार, कारोबारी विश्वास सूचकांक (बी. सी. आई.) 33वें दौर मे 118.2 से गिरकर 103.6 हो गया। यह समूचे आर्थिक परिदृश्य, कम्पनियों की वित्तीय स्थिति, निवेश माहौल, और क्षमता उपयोग के सम्बन्ध में घटी हुई संभावनाओं को दर्शाता है। तथापि, उत्तरी क्षेत्र, जिसका नमूने में 28.3 प्रतिशत का हिस्सा था, मै॰ बी. सी. आई. 33वें दौर मे 95.4 से बढ़कर 34वें दौर में 98.5 प्रतिशत हो गया। यह क्षमता उपयोग और वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में सकारात्मक सम्भावनाओं को दर्शाता है जिसने समूची आर्थिक दशाओं के सम्बन्ध में सम्भावनाओं में गिरावट की प्रतिपूर्ति की। उत्तरी क्षेत्र के मामले में निवेश माहौल में संभावनाओं में गिरावट नगण्य थी।

2. सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि विनिर्माण सैक्टर में अधिकाश निवेशकर्ता फर्मों को आशा है कि उनके निवेश से विद्यमान क्षमता मे बढ़ोत्तरी होगी और 50 प्रतिशत निवेशक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाने के लिए निवेश करने की योजना बना रहे हैं। एक तिहाई निवेशकर्ता फर्मों की अपने स्वयं की तरह के कारोबार में निवेश करने की योजना है और निवेशकर्ताओं के पांचवें हिस्से का प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) सेक्टर में प्रवेश करने का है।

(ख) और (ग) सरकार स्थिति से अवगत है और अन्दरूनी और बाहरी दोनों कारकों पर नजदीकी निगाह रखती है। वित्त मंत्री ने हाल ही मे भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर, विशेषकर उद्योग और आधारभूत ढांचा क्षेत्रों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उद्योग और वाणिज्य जगत के चुनिन्दा संघो के साथ बैंक की। वित्त मत्री ने बैठक में प्रतिभागियों से ऐसे विशेष उपाय सुझाने का अनुरोध किया जिन्हें औद्योगिक उत्पादन और समूचे आर्थिक विकास में सुधार लाने के लिए अल्पावधि और मध्यमावधि में किए जाने की जरूरत है। संघों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें सरकार द्वारा निवेश के माहौल और व्यापारिक विश्वास में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए उपयुक्त नीतिगत उपायों को करते समय ध्यान में रखा जाता है।

रेगिस्तान त्रिकोण योजना

2169. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान के ओवरसीज इकोनामिक कोआपरेशन फंड से ऋण सहायता के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने गुजरात के कच्छ जिले हेतु अनुशंसित प्रस्ताव 'रेगिस्तान त्रिकोण' भेजा है;

(ख) क्या यह प्रस्ताव 1997-98 के ओईसीएफ ऋण पैकेज हेतु जापान सरकार को दी गई सूची में शामिल नहीं किया जा सका;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बाद में इसको शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना में अब तक कितना ऋण मंजूर हुआ है और कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) ओईसीएफ ऋण सहायता के लिए गुजरात के कच्छ जिला हेतु "रेगिस्तान त्रिकोण" योजना का परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, ओईसीएफ सहायता के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दो अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुए थे:-

(1) कच्छ, गुजरात में पर्यटन परियोजना – इस परियोजना प्रस्ताव के प्राप्त होने के समय तक, भारत सरकार ने 1997-98 ऋण पैकेज के अन्तर्गत सहायता के लिए जापान सरकार को परियोजना प्रस्तावों की एक सूची पहले की प्रस्तुत कर दी थी। इस प्रकार, पर्यटन मंत्रालय को ओईसीएफ के 1998-99 ऋण पैकेज के लिए आवश्यक प्रपत्रों के साथ, प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई थी।

(2) राजस्थान के "रेगिस्तान त्रिकोण" में पर्यटन आधारभूत ढांचे का विकास–यह प्रस्ताव 1995-96 ऋण पैकेज के लिए विचारार्थ जापान सरकार को भेजी गई हमारी सूची में शामिल किया गया था। तथापि, जापान सरकार ने निधि पोषण के लिए इस परियोजना को हाथ में लेने की अपनी अक्षमता व्यक्त की। इस प्रस्ताव पर 14-16 अक्तूबर, 1996 को आर्थिक कार्य विभाग में आयोजित अन्तर-मंत्रालयीन बैठक जिसे 1997-98 ओईसीएफ ऋण पैकेज के लिए परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था, में दुबारा चर्चा की गई थी। तथापि, पर्यटन मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार से प्रायोजन की कमी की वजह से, इसे जापानी सहायता के लिए पुन: नहीं भेजा जा सका।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों का पुनरुद्धार

2170. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जब से औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन हुआ है, तब से पुनरुद्धार और पुनर्गठन मामले हेतु, राज्य-वार कितनी चीनी मिलों का मामला इस बोर्ड को भेजा गया है; और

(ख) बंद हो चुकी और पुनरुद्धार और पुन: चालू करने के लिए ली गई मिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के अनुसार 30 सितम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अन्तर्गत रुग्ण चीनी मिलों के 43 मामले बोर्ड के पास दर्ज हैं। इन 43 मामलों का अलग-अलग ब्यौरा उनकी स्थिति के साथ नीचे दिया गया है:

स्थिति	मामलों की संख्या
रख-रखाव योग्य न मानकर समाप्त कर दिए गए मामले	13
धारा 20 (1) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को समापन के लिए अनुशंसित मामले	06
अब रुग्ण नहीं घोषित	7
मंजूर पुनर्वास योजना	5
बीआईएफआर के पास जांच के विभिन्न चरणों में लंबित	12
कुल मामले	43

इस स्थिति के साथ कम्पनियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है कि वे जांच के अधीन हैं, स्कीम मंजूरी प्राप्त है, अब रुग्ण नहीं घोषित कम्पनी है। परिसमापन के लिए अनुशंसित है या रख-रखाव योग्य न मानकर खारिज कर दिए गए सन्दर्भ है।

विवरण

क्रम सं॰	राज्यवार चीनी मिलों से सम्बन्धित मामलों की सूची
	आन्ध्र प्रदेश
1.	चल्लापल्ली चीनी मिल
2.	किर्लामपुडी चीनी मिल लि॰
3.	श्री कैलाश चीनी एण्ड केमिकल्स लि॰
	बिहार
1.	चम्पारण चीनी मिल
2.	कानपुर चीनी मिल
3.	एचएमपी चीनी मिल लि॰
	केरल
1.	दी त्रावणकोर सुगर्स केमिकल्स
	कर्नाटक
1.	दावणगिरी चीनी क.
2.	तुंगभद्रा चीनी वर्क्स
3.	सालारजंग चीनी मिल
4.	गंगावती चीनी मिल
5.	दी इंडिया सुगर्स एण्ड रिफाइनज लि॰
	मध्य प्रदेश
1.	शिवाजी राव चीनी मिल
2.	बीएसआई लि॰
3.	गिरधारी लाल सुगर एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज
4.	गिरधारी लाल सुगर एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज
	महाराष्ट्र
1.	गोदावरी सुगर मिल्स
2.	ब्रिका सुगर लि॰
3.	बेलापुर सुगर एण्ड एलाइड
	उड़ीसा
1.	वेस्टर्न उड़ीसा सुगर लि॰
	पंजाब
1.	भगानापुरा सुगर मिल्स
	राजस्थान
1.	मेवाड़ सुगर
	तमिलनाडु
1.	कावेरी सुगर्स एण्ड केमिकल्स
2.	कावेरी सुगर्स एण्ड केमिकल्स लि॰
3.	तमिलनाडु सुगर कारपोरेशन लि॰
4.	पर्दाम्बल्लूर सुगर कारपोरेशन लि॰
	उत्तर प्रदेश
1.	नवाबंग सुगर मिल्स
2.	श्री सीताराम सुगर क॰
3.	देवरिया सुगर मिल्स लि॰
4.	रत्ना सुगर मिल्स लि॰
5.	लक्ष्मी सुगर मिल्स
6.	कानपुर सुगर वर्क्स लि॰
7.	शेरवानी सुगर सिंडिकेट लि॰
8.	स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्यू क॰ लि॰
9.	नंदगंज सिबोरी सुगर क॰ लि॰
10.	छत्ता सुगर क॰ लि॰

क्रम सं॰	राज्यवार चीनी मिलों से सम्बन्धित मामलों की सूची
11.	छतरपुर सुगर कं॰ लि॰
12.	उत्तर प्रदेश स्टेट सुगर का॰ लि॰
13.	नंदगंज सिबोरी सुगर कं॰ लि॰
14.	सरैया सुगर मिल्स लि॰
15.	छाता सुगर कं॰ लि॰
16.	खालिलाबाद सुगर मिल प्रा॰ लि॰
	पश्चिम बंगाल
1.	रेन्नुगर केन-खितान एग्रो काम्पलेक्स

बीआईएफआर द्वारा नियंत्रित चीनी मिलों के मामलों की राज्यवार स्थिति

क्रम सं॰	कम्पनी का नाम
	धारा 18 (4) के अन्तर्गत मंजूर संशोधित योजना
1.	मेवाड़ सुगर
2.	लक्ष्मी सुगर मिल्स
3.	शेरवानी सुगर सिंडिकेट लि॰
	श्री कैलाश सुगर एण्ड केमिकल्स लि॰
4.	छाता सुगर कम्पनी लि॰
	रखरखाव योग्य न मानकर खारिज किए गए।
1.	कावेरी सुगर्स एण्ड केमिकल्स
2.	कानुपर सुगर वर्क्स
3.	नवाबगंज सुगर वर्क्स
4.	तुगभद्रा सुगर मिल्स
5.	श्री सीताराम सुगर कं॰
6.	देवरिया सुगर मिल्स लि॰
7.	गृह सुगर मिल्स लि॰
8.	बेलापुर सुगर एण्ड एलायड
9.	रत्ना सुगर मिल्स लि॰
10.	नंदगंज सिबारी सुगर कं॰ लि॰
11.	छाता सुगर कं॰ लि॰
12.	गिरधारी लाल सुगर एण्ड एलायड इन्डस्ट्रीज
	गिरधारी लाल सुगर एण्ड एलायड इन्डस्ट्रीज
	प्रारूप योजना परिचालित
1.	दी त्रावणकोर सुगर्स एण्ड केमिकल्स लि॰
2.	एचएमपी सुगर लि॰

क्रम सं॰	कम्पनी का नाम
	धारा 20(1) के अधीन परिसमापन के लिए अनुशंसित
1.	चम्पारण सुगर
2.	जिवाजी राव सुगर
3.	सालारजंग सुगर
4.	गंगावती सुगर
5.	स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्यू. कं॰ लि॰
6.	घाटपुर सुगर कं॰ लि॰
	परिसमापन नोटिस जारी
1.	नंदगंज सिरोही सुगर कम्पनी लि॰
2.	सरैया सुगर मिल्स लि॰
	जांच के अधीन
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सुगर कारपो. लि॰
2.	बीएसआई लि॰
3.	खलीलाबाद सुगर मिल्स प्रा॰ लि॰
4.	तमिलनाडु सुगर कारपो॰ लि॰
5.	पेराहबलूर सुगर मिल्स लि॰
6.	वेस्टर्न उड़ीसा सुगर लि॰
	असफल एवं पुन: खोले गए
1.	कानपुर सुगर वर्क्स लि॰
	एएआईएफआर द्वारा माँगे गए
1.	दी इंडिया सुगर्स एण्ड रिफाइनरीज लि॰
	अब रुग्ण नहीं घोषित
1.	चल्लापल्ली सुगर
2.	दावणगिरी सुगर का.
3.	गोदावरी सुगर लि॰
4.	किलीम्पुडी सुगर मिल्स
5.	भागनपुरा सुगर मिल्स
6.	रेन्नुगर केन खिहान एग्रो काम्पलेक्स
7.	चुने सुगर एण्ड केमिकल्स लि॰

न वसूले गये कर

2171. **श्री बी॰के॰ पार्थसारथी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान न वसूले गये करों की मात्रा तेजी से बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रवार न वसूले गये करों की राशि कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस धनराशि को वसूलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की नहीं वसूली गई राशि निम्न प्रकार है:

(रुपए करोड़ो में)

1997-98	47,888
1998-99	52,617
1999-2000	62,226

न वसूले गए कर के क्षेत्र-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ग) कर वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसमे सांविधिक प्रावधानों का प्रयोग होता है, जिसमें ब्याज लगाना, अर्थदण्ड लगाना तथा चल और अचल सम्पत्तियों की बिक्री तथा कुर्की करना शामिल है। उच्च मांग वाले मामलों की आवधिक समीक्षा तथा मानीटरिंग भी उच्च प्राधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर की जाती है और बकाया करों की वसूली करने के लिए समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2172. श्री सुनील खां: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड के दुर्गापुर, रायगंज और गफारबारी जैसे कारखानों के कमचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प अपनाने का नोटिस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी के कर्मचारियों को संशोधित वेतन भत्ते नहीं मिल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बी॰आई॰एफ॰आर॰ में शामिल और इसमें नहीं शामिल कंपनी के कर्मचारियों को लाभ देने में भेद-भाव बरता जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो भेद-भाव के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) कंपनी की स्वैछिक सेवानिवृत्ति स्कीम को अपनाने के लिए दुर्गापुर, गुलफारबारी और रानीगंज वर्क्स के इच्छुक कर्मचारियों को आमंत्रित करते हुए दिनांक 18 सितम्बर, 2000 को एक नोटिस जारी किया गया था। इस स्कीम में निम्नलिखित लाभों की पेशकश की गई है:

(1) सेवाकाल के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिनों का वेतन और अधिवार्षिता की आयु होने तक बची हुई सेवा का प्रत्येक शेष वर्ष के लिए 25 दिनों का वेतन क्षतिपूर्ति में शामिल है।

(2) पृथक्करण की तारीख तक अर्जित छुट्टी के अतिरिक्त न ली गई आकस्मिक छुट्टी का यथानुपन्त भुगतान।

(3) नोटिस वेतन।

(4) बन्दोबस्त (सेटलमेंट) भत्ता।

(5) यह स्कीम 1 अक्तूबर, 2000 से 30 दिनों के लिए लागू थी

(ग) और (घ) चूंकि, इकाइयां लगातार घाटा उठा रही थी और उनके पास भारी संचित घाटे थे, इसलिए कर्मचारियों की मजदूरी को संशोधित करना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त, बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार स्कीम इन इकाइयों के पुनरुद्धार का समर्थन नहीं करती

(ङ) और (च) लोक उद्यम विभाग के दिनांक 5.9.2000 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के विनिर्दिष्ट रूप से सुदृढ़ उपक्रमों, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को वित्त पोषित करने के साधन रखते हैं, के कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति उन केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जो सीमित रूप से लाभ कमा रहे हैं या घाटा उठा रहे हैं, के कर्मचारियों के मुकाबले अधिक दी जा सकेगी। रुग्ण और अजैव्य इकाइयों में वीएसएस लागू है जिसके तहत अन्य लाभों के अलावा सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिन के समान भुगतान देय है।

पंजीकृत उड़ीसा समाचारपत्र

2173. श्री भर्तृहरि महताब: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2000 की तिथि के अनुसार पंजीयक समाचारपत्र कार्यालय में कितने उड़िसा समाचारपत्र और पत्रिकायें पंजीकृत हैं;

(ख) उनमें से कितने पत्र, पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन मिलते हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उड़ीसा समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को कुल कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) उड़ीसा के समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) दिनांक 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत उड़ीसा समाचारपत्र एवं पत्रिकाओं की संख्या 716 है।

(ख) विज्ञापन केवल उन्हीं समाचारपत्रों को जारी किए जाते हैं जो विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में सूचीबद्ध हैं 1.4.2000 से 31.10.2000 की अवधि के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में सूचीबद्ध 33 उड़िया समाचारपत्र/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन जारी किए गए हैं।

(ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान, उड़ीसा समाचारपत्र/पत्रिकाओं को दी गई कुल राशि क्रमशः 76,56,770/- रुपये 96,26,830/- रुपये और 1,18,03,940 रुपये थी।

(घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय सरकार की प्रचार अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर निधियों की उपलब्धता और विज्ञापन नीति मार्गनिर्देश के अनुसार समाचारपत्र/पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करता है।

केरल में सहकारी बैंक

2174. **श्री टी॰ गोविन्दन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जिला/शहरी सहकारी बैंकों और अन्य सहकारी बैंकों में जमा धन को न्यूनतम सॉल्पता के उद्देश्य से आंतरिक ऋण स्रोत की गणना हेतु राज्य सहकारी बैंकों के साथ न जोड़ने के संबंध मे केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सीमेन्ट का अतिरिक्त भंडार

2175. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में सीमेंट के अतिरिक्त भंडार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेशों में सीमेंट के इस भंडार हेतु बाजार की तलाश के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) देश में सीमेंट उत्पादन की स्वीकृत कुल क्षमता कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण): (क) जी, हाँ।

(ख) सीमेंट निर्यातकों को, अदा किये गये उत्पाद शुल्क पर शुल्क वापसी, शुल्क पात्रता पासबुक स्कीम के तहत 8% की दर से सीमेंट और खंगर (क्लिंकर) के निर्यात हेतु शुल्क पात्रता तथा सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक कोयला, भट्टी तेल, पैकिंग की सामग्री आदि का शुल्क मुक्त आयात जैसे प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

(ग) देश में सीमेंट उत्पादन की कुल स्वीकृत क्षमता 113.55 मिलियन टन है।

आभूषणों की प्रदर्शनी

2176. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
डा. सी. कृष्णन:
श्री वैको:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार/खनिज एवं धातु व्यापार निगम/हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात परिषद ने दुबई में आभूषण प्रदर्शनियां आयोजित की हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां बिके गए आभूषणों और अर्जित विदेशी मुद्रा की गुणवत्ता/प्रमात्रा को दर्शाते हुए प्रत्येक प्रदर्शनी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी अवधि के दौरान आभूषणों के गैर-सरकारी निर्यातकों/निर्माताओं ने वहां कोई प्रदर्शनी आयोजित की है;

(घ) यदि हां, तो अर्जित राशि, बिके आभूषण और शिकायतें यदि कोई हैं तो, को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दुबई में गैर-सरकारी आभूषण प्रदर्शनी पर अब प्रतिबंध लगा दिया है;

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(छ) क्या सरकार ने विदेशों में आभूषणों की ऐसी प्रदर्शनियों के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरंभ की है;

(ज) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(झ) भारतीय आभूषणों को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) मुम्बई, भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि. (एचएचईसी),

नई दिल्ली और एमएमटीसी ने दुबई में गत तीन वर्षों के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार आभूषणों की प्रदर्शनियाँ आयोजित की हैं:

वर्ष	जीजेईपीसी		एचएचईसी		एमएमटीसी	
	मूल्य*	आभूषण का विवरण	मूल्य*	आभूषण का विवरण	मूल्य*	आभूषण का विवरण
1999-98	कोई विवरण नहीं	सादा एवं जड़ित आभूषण	335.04	सादा एवं जड़ित आभूषण	कोई विवरण नहीं	
1998-99	42.3	सादा एवं जड़ित आभूषण	भागीदारी नहीं की गई		158.50	सादा एवं जड़ित आभूषण
1990-00	35.0	सादा एवं जड़ित आभूषण	भागीदारी नहीं की गई		146.74	सादा एवं जड़ित आभूषण

*बेचे गए आभूषण की मात्रा के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

स्रोत: आंकड़े क्रमश: जीजेईपीसी, एसएचईसी और एमएमटीसी द्वारा मुहैया कराए गए हैं।

(ग) और (घ) एग्जिम नीति के पैरा 8.20 के अधीन वाणिज्य विभाग, भारत सरकार ने जीजेईपीसी को निजी निर्यातकों को विदेशों में प्रदर्शनियों के आयोजन/भागीदारी करने के लिए स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत किया है। गत तीन वर्षों के दौरान निजी निर्यातकों द्वारा दुबई में आभूषण प्रदर्शनियों में बिक्री के द्वारा निम्नलिखित राशि अर्जित की गई है:

(मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	मूल्य*	जीजेईपीसी द्वारा दी गई निजी स्वीकृतियों की संख्या
1999-98	185	16
1998-99	533	39
1999-2000	280	33

*मात्रावार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

स्रोत: जीजेईपीसी, मुम्बई

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) विदेशों में भारतीय आभूषण को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यापार की आवश्यकताओं के अनुसार सरकार सतत आधार पर नीतिगत पहल कर रही है। विदेशों में भारतीय आभूषण को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2000 को घोषित कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं:

1. सोना/चांदी/प्लैटिनम आभूषण के विनिर्माण और निर्यात के प्रयोजन से विदेशी क्रेताओं को भारत के दर्जाधारियों को सोना/चांदी/प्लैटिनम और सादे अर्द्ध परिस्कृत सोना/चांदी/प्लैटिनम आभूषण की भी आपूर्ति करने के लिए स्वीकृति देना,

2 रत्न एवं आभूषण के आयात/निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से लाने ले जाने की स्वीकृति देना,

3. जड़ाऊ आभूषणों में उपयोग में लाई गई आयातित स्वर्ण रजत/प्लैटिनम माऊंटिग्स के मामले में 2.5 प्रतिशत के अपशिष्ट की अनुमति दी गई है।

4. पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य के 2.5% तक पुन: पूर्ति लाइसेंस के अन्तर्गत सादे/जड़ित आभूषण मदों के शुल्क के भुगतान पर आयात की स्वीकृति देना, और

5. 0.900 शुद्धता वाले प्लैटिनम के आयात और उसकी आपूर्ति की अनुमति देना।

उपरोक्त एग्जिम नीति संबंधी पहलों के अलावा सरकार ने प्लैटिनम और कटे एवं तराशे हीरे पर 15% सीमाशुल्क घटा दिया है।

विदेशों में भारतीय आभूषण को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जीजेईपीसी विदेशी प्रदर्शनियों में भागीदारी कर रहा है और भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ भी आयोजित कर रहा है। इसके अलावा मै. एच. एचईसी और मै. एमएमटीसी ने भी भारतीय आभूषण को लोकप्रिय बनाने के लिए विदेशों में अनेक प्रदर्शनियाँ आयोजित की हैं। जीजेईपीसी भी निजी निर्यातकों को विदेशों में प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए और विदेशी प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए स्वीकृति दे रही है। भारतीय मानक ब्यूरो के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में कुछ चुनिन्दा एजेंसियों को मान्यता दी है और आभूषण की मात्रा निर्धारण और मानकीकरण के लिए प्राधिकृत किया है जो भविष्य में विदेशों में भारतीय आभूषण की उच्च गुणवत्ता वाली छवि कायम करके उसे लोकप्रिय बनाएगा।

आन्ध्र प्रदेश वानिकी परियोजना के लिए विश्व बैंक से कर्जा

2177. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार वर्ष 1994 से विश्व बैंक के माध्यम से वित्तपोषित आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना सितम्बर, 2000 में समाप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक से इस परियोजना के द्वितीय चरण को भी वित्तपोषित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से सितम्बर, 2000 से और आगे तक परियोजना की निरन्तरता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए अपने प्रभाव व अधिकारों का प्रयोग करने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासहिब विखे पाटील): (क) से (घ) जी, हां।

(ङ) सम्बद्ध परियोजना के चरण-II के लिए परियोजना प्रस्ताव दि॰ 19.08.99 को विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है । भारत सरकार ने बैंक से दि॰ 30.9.2000 जो कि इस परियोजना के चरण-I की समापन तिथि है, से परियोजना की गतिविधियों का पूर्वप्रभावी वित्तपोषण करने पर विचार करने के लिए कहा है।

निगमों में नामांकन सुविधा

2178. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में गैर-सेवारत व्यक्तियों के विशेष नामांकन का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो कितने निगमों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) इस संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों का नोडल विभाग होने से इस विषय पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की गई है:

- सरकारी क्षेत्र उपक्रम के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करना,
- गैर-सरकारी अधिकारी सार्वजनिक व्यक्तियों प्रविधिज्ञ तंत्रवादि, प्रबंधन विशेषज्ञों तथा परामर्शदाताओं, उद्योग तथा व्यापार जगत में व्यावसायिक प्रबंधकों से लिए जाएंगे जिनके पास उच्च डिग्री की प्रमाणित योग्यता होगी; और
- उपयुक्त व्यक्तियों का एक चैनल, जिन्हें सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्ड में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उचित माना जा सकता है, का रख-रखाव सरकारी उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय रूप से किया जाएगा। यह पैनल पीईएसबी और सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा।

इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 7 सरकारी क्षेत्र उपक्रम हैं। तथापि, एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम नामत: आईटीसीआई, कलकत्ता परिसमापन के अधीन है और यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है।

एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2179. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के लिए भारत को फटकार लगाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या एशियाई विकास बैंक ने भारत को अपनी लेखापरीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है;

(ग) क्या भारत ने एशियाई विकास बैंक से कुल 7.88 बिलियन डालर के 57 ऋण प्राप्त किए हैं;

(घ) यदि हां, इन ऋणों पर कितना ब्याज दिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इन ऋणों का उपयोग किया गया है; और

(च) इन परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क), (ख), (ग) और (ङ) परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बैंक द्वारा नियमित रूप से मॉनिटर किया जाता है और इनकी समीक्षा वित्त मंत्रालय, एशियाई विकास बैंक तथा कार्यान्वयनकारी अभिकरणों के बीच त्रिपक्षीय बैठक में संयुक्त रूप से की जाती है ताकि परियोजनाओं को यथासमय कार्यान्वित करने हेतु सुधारे जाने वाले क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जा सके।

पिछली समीक्षा के दौरान यह पता लगा है कि चल रही 26 परियोजनाओं में से 25 परियोजनाएं कार्यान्वयन की दृष्टि से सन्तोषजनक अथवा आंशिक रूप से सन्तोषजनक हैं लेकिन एक परियोजना सन्तोषजनक नहीं है। कार्यान्वयनकारी अभिकरणों द्वारा एशियाई विकास बैंक को परियोजना की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना ऋण करार के तहत एक शर्त है। दिनांक 31.7.2000 की स्थिति के अनुसार, भारत को एशियाई विकास बैंक के सरकारी क्षेत्र के माध्यम से 7.897 बिलियन अमरीकी डालर के 51 ऋण प्राप्त हो चुके हैं जिसमें से 5.91 बिलियन अमरीकी डालर का उपयोग किया जा चुका है।

(घ) एशियाई विकास बैंक के ऋणों पर लगा ब्याज एशियाई विकास बैंक द्वारा छमाही आधार पर नियत की गई परिवर्तनीय ब्याज दर पर आधारित होता है। वित्तीय वर्ष 2000-01 के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता-प्राप्त परियोजनाओं पर ब्याज के भुगतान हेतु बजट में 622.80 करोड़ रुपए (141.900 मिलियन अमरीकी डालर) का प्रावधान किया गया है।

(च) परियोजना को पूर्ण करने की अवधि प्रत्येक परियोजना में भिन्न होती है। आमतौर पर, यह अवधि पांच से सात वर्ष के बीच होती है।

सस्ते आयात को रोकने के उपाय

2180. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पड़ोसी देशों से सस्ते आयात को रोकने के लिए कोई उपाय करने और घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए इन आयातकर्त्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन के नियम इस आयात पर गुणात्मक प्रतिबंधों की अनुमति देंगे;

(घ) यदि हां, तो सरकार कब तक ऐसे सस्ते आयात पर नियंत्रण लगाने की कार्रवाई आरम्भ करेगी; और

(ङ) इस संबंध में कोई भी कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ङ) गैट के अनुच्छेद XI के अनुसार आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं है। तथापि, घरेलू उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार, यदि ऐसी स्थिति बनती है तो, निर्धारित दरों के भीतर लागू टैरिफ को बढ़ाने के तंत्र का उपयोग कर सकती है, यदि ऐसा अंतर बना रहता है और पाटनरोधी कार्रवाई, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने और सुरक्षोपाय कार्रवाई जैसे उपाय कर सकती है जो डब्ल्यूटीओ करारों के अधीन अनुमत्य हैं।

आयातों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सरकार उपरोक्त तंत्र के समुचित उपयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है कि आयातों से घरेलू उत्पादकों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। इस दिशा में हाल ही में किए गए कुछेक उपाय निम्नानुसार हैं:

1. अनेक मदों पर आयात शुल्कों में वृद्धि की गई है, उदाहरणार्थ: सुपारी पर यह शुल्क 35 प्रतिशत से 1000 प्रतिशत, कुकुट उत्पादों पर 35 प्रतिशत से 100 प्रतिशत, गेहूं पर 0 प्रतिशत से 50 प्रतिशत, स्किम्ड दुग्ध पाऊडर पर 0 प्रतिशत से 60 प्रतिशत, सेब पर 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत और चावल पर 0 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

2. चीन से होने वाले बैटरी के सैलों, बैटरी से चालित खिलौनों एवं खेलकूद के जूतों के आयात पर स्वत: पाटनरोधी जांच शुरू की गई है।

3. सभी डिब्बाबंद वस्तुओं के आयातों को घरेलू उत्पादकों पर यथा-प्रभावी मानक भार एवं माप (डिब्बाबंद वस्तु) आदेश 1977 के सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन रखा गया है।

4. 131 उत्पादों के आयात का घरेलू सामानों पर यथा-प्रभावी अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अधीन रखा गया है। इस अपेक्षा के अनुपालन के लिए भारत को इन उत्पादों के सभी विनिर्माताओं/निर्यातकों को भारतीय मानक ब्यौरो में स्वयं को पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इन 131 उत्पादों की सूची में शामिल हैं–विभिन्न खाद्य परिरक्षक एवं अभिवर्धक, दुग्ध पाऊडर, शिशु दुग्ध खाद्य, कतिपय मांस की किस्में, घरेलू एवं इसी प्रकार के बिजली के उपकरण जैसे सिलिण्डर और बहु-उद्देशीय शुल्क बैटरियां।

[हिन्दी]

अखबारी कागज के आबंटन के लिए मानदंड

2181. श्री वाई.जी. महाजन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचारपत्रों की बिक्री समाचारपत्रों को अखबारी कागज के आबंटन का मानदंड है;

(ख) यदि हां, तो उन समाचारपत्रों/समूहों के क्या नाम हैं जिन्हें वर्ष 1999 में अधिकतम अखबारी कागज की मात्रा आबंटित की गई है;

(ग) क्या समाचारपत्रों की बिक्री को अधिप्रमाणित करने के लिए कोई संगठन स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) 15.1996 से प्रभावी अखबारी कागज नीति के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आर.इन.आई.) अब समाचारपत्रों को अखबारी कागज आबंटित नहीं करता है। यह केवल देशी अखबारी कागज के लिए हकदारी प्रमाणपत्र और अखबारी कागज के आयात के लिए पात्रता प्रमाणपत्र जारी करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के तहत सन 1956 में भारत के समाचारपत्रों के कार्यालय (आर.एन.आई.) की स्थापना की गई थी। भारत के समाचारपत्रों के कार्यालय का, उक्त अधिनियम की धारा 19 एफ से उद्भूत एक व्युत्पन्न कार्य समाचारपत्रों की प्रसारण संख्या का सत्यापन/अधिप्रमाणन करना है।

[अनुवाद]

ए एफ डब्ल्यू डब्ल्यू ए द्वारा आयकर अधिनियम, 1962 का उल्लंघन

2182. **श्री शिवाजी माने:**
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयरफोर्स वाइस वेलफेयर एसोसिएशन ने 1985 से 1998 के बीच संतुष्टि कॉम्प्लेक्स से अर्जित अपनी आय पर टैकस रिटर्न नहीं भरकर आयकर अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, इस संबंध में आयकर विभाग द्वारा कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) एयर फोर्स वाईव वेलफेयर एसोसिएशन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23कक) के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से छूट दी गई माना गया है। उक्त एसोसिएशन ने कर निर्धारण वर्ष 1996-97 तक आय और कर निर्धारण वर्ष 1999-98 एवं 1998-99 के लिए लेखा परीक्षित खातों की विवरणियां दायर की हैं। इसने कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से कर निर्धारण वर्ष 1996-97 तक के लिए आय और कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से कर निर्धारण वर्ष 1996-99 में लेखा परीक्षित खाते की विवरणियों में संतुष्टि कॉम्प्लेक्स से आय को दर्शाया है।

खाद्यान्नों का निर्यात

2183. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों का निर्यात बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्द्धा के लिए क्या रणनीति अपनाई है; और

(ग) खाद्यान्नो के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या विभिन कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) भारतीय खाद्य निगम को उस मूल्य पर निर्यात के लिए गेहूं की पेशकश करने की अनुमति दी गई है जो मूल्य गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य अर्थात् 4150 रुपये प्रति टन से कम न हो।

जहाँ तक निजी पार्टियों द्वारा निर्यात का संबंध है:

1. गेहूं का निर्यात वाणिज्य विभाग (डी॰जी॰एफ॰टी॰) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मात्रात्मक सीमा और अपेडा द्वारा जारी पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाण-पत्र की शर्त के अध्यधीन मुक्त रूप से अनुमत है। वर्ष 2000-2001 के लिए 20 लाख टन की सीमा निर्धारित की गई है।

2 चावल (बासमती और गैर-बासमती) का निर्यात मुक्त है। निर्यात अपेडा के पास ठेकों को पंजीकृत कराने की शर्त के अध्यधीन अनुमत है।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों के निर्यात को बढ़ाने की रणनीति और किये गये उपायों में प्रचार अभियान चलाना, विदेशों में शिष्टमंडल भेजना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, संभावित खरीदारों को आमंत्रित करना और गुणवत्ता, पैकेजिंग, उत्पादक के ब्रांड संवर्धन में सुधार करने और बाजार सर्वेक्षण करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

2184. **श्री पी॰डी॰ एलानगोवन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से वित्तीय सहायता के लिए सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त देश में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार से विकास कार्यों के लिए और अधिक वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) परियोजनाएं जिनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता मांगी गई है, संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता दी गई चालू विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु में चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार है:

1. तमिलनाडु ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई-683.80 करोड़ रुपए

2. कावेरी डेल्टा आधुनिकीकरण परियोजना-460 करोड़ रुपए

3. तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली विकास-650 करोड़ रुपए

4. तमिलनाडु राज्य सड़क परियोजना।

विवरण-I

परियोजना जिनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता मांगी गई है

एडीबी

1. गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास
2. रेलवे क्षेत्र सुधार
3. कलकत्ता पर्यावरणात्मक सुधार

विश्व बैंक

1. केरल ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणात्मक सफाई
2. कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति-II
3. मध्य प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति
4. आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति
5. महाराष्ट्र जलापूर्ति और मलव्ययन परियोजना चरण-II
6. होगीनेकाल जलापूर्ति और सफाई
7. महाराष्ट्र वानिकी परियोजना II
8. पश्चिम बंगाल वानिकी परियोजना II
9. मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना II
10. अरूणाचल प्रदेश वानिकी
11. आन्ध्र प्रदेश वानिकी परियोजना II
12. असम वानिकी
13. आन्ध्र प्रदेश लघु सिंचाई
14. गुजरात डब्ल्यूआरसीपी
15. मध्य प्रदेश डब्ल्यूआरसीपी
16. सौराष्ट्र तटीय क्षेत्रों के लिए खारेपन की रोकथाम संबंधी परियोजना
17. राजस्थान डब्ल्यूआरसीपी
18. उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना
19. कर्नाटक टैंक सुधार
20. आन्ध्र प्रदेश विद्युत एपीएल-II
21. हरियाणा विद्युत एपीएल-II
22. पावर ग्रिड-II
23. राजस्थान विद्युत एपीएल-I
24. द्वितीय राष्ट्रीय कोड उन्मूलन
25. राजस्थान डीपीईपी-II
26. एकीकृत बीमारी पर निगरानी रखने संबंधी कार्यक्रम
27. केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के लिए राज्य-राजमार्ग परियोजना
28. कर्नाटक जलसंभर विकास
29. उड़ीसा ग्रामीण विकास
30. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम
31. राष्ट्रीय लघु-वित्त
32. उत्तर प्रदेश सूखाग्रस्त भूमि का विकास
33. आन्ध्र प्रदेश शहरी गरीबी में कमी
34. समुदाय आधारभूत अग्रगामी परियोजना
35. कलकत्ता जलापूर्ति और जलव्ययन/गंदी नालियां
36. कर्नाटक जलापूर्ति प्रबन्ध और नगरपालिका का सुदृढ़ीकरण
37. तृतीय चेन्नई पूर्ति
38. दिल्ली जनापूर्ति और सफाई
39. गुजरात नगर निगम सुदृढ़ीकरण और आधारभूत ढांचा

ओपेक

1. बदायूं जिला अस्पताल
2. ट्रस्ट क्षेत्रों में विकास के लिए सीआईपीईटी केन्द्रों की क्षमता निर्माण
3. असम राज्य में डेयरी उद्योग का विकास।

विवरण-II

(दाता करेंसी में आंकड़े-मिलियन)

क्र.सं.	ऋण/अनुदान का विवरण हस्ताक्षर/अनुमोदन की तारीख	ऋण/ अनुदान की राशि	उपयोग (30.9.2000 की स्थिति के अनुसार) संचयी निकासी
1	2	3	4
ए॰डी॰बी॰			
1.	रेलवे परियोजना 16/12/1987	181.4	175.572
2.	द्वितीय नार्थ मद्रास तापीय विद्युत 06/12/1990	170	149.753
3.	द्वितीय सड़क-28/05/1991	250	249.999
4.		285	215.015
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग-22.03.1995	245	138.675

1	2	3	4
6.	कर्नाटक शहरी आधारभूत ढांचे का विकास 10/05/1996	85	33.086
7.	गुजरात पब्लिक क्षेत्र संसाधन प्रबन्ध 20/12/1996	250	150
8.	राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचे का विकास 1/12/1999	250	0
9.	मध्य प्रदेश पब्लिक संसाधन प्रबन्ध 14/12/1999	250	100
10.	एन.टी.पी.सी. ऊंच्चाहार तापीय विद्युत विस्तार-1/12/88	135	121.948
11.	आई.डी.बी.आई. औद्योगिक उर्जादक्षता 30/3/1995	150	143.158
12.	पी.जी.सी.एल. विद्युत पारेषण क्षेत्र 18/7/1996	275	170.29
13.	आई.एफ.सी.आई. निजी क्षेत्र आधारभूत ढांचा 14/8/97	100	47.284
14.	आई.सी.आई.सी.आई. निजी क्षेत्र आधारभूत ढांचा 14/8/97	150	100.049
15.	मुम्बई पत्तन 30/9/1997	97.8	30.269
16.	चेन्नई पत्तन 30/09/1997	8.5	1.546
17.	एन.एच.बी. आवास वित्त-06/11/1997	100	100
18.	एच.यू.डी.सी.ओ. आवास वित्त-06/11/1997	100	100
19.	एच.डी.एफ.सी. आवास विकास वित्तत कं॰ 6/11/97	100	100
20.	एल.पी.जी. पाइपलाइन - 11/12/1998	121	69.425
आई.बी.आर.डी.			
1.	नथपा झाकरी विद्युत - 18/05/1989	485	404.503
2.	उत्तरी क्षेत्र संप्रेषण - 03/10/1990	450	344.565
3.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग - 18/06/1992	153	86.419
4.	वित्तीय क्षेत्र - 24/03/1995	300	250
5.	दूसरा मद्रास जलपूर्ति - 20/11/1995	86.5	54.818
6.	बम्बई मल निपटान 28/12/1995	167	64.986
7.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना - 10/07/1996	350	92.681
8.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण सफाई-22/07/1996	52.4	14.804
9.	सड़क आधारभूत विकास तकनीकी सहायता-15/1/96	51.5	34.26
9.	आपातिक आपदा उप-शमन-3/6/1997	50	0
10.	4166-इन.ए.पी. सिंचाई परियोजना-03/06/1997	175	0
11.	आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग - 30/7/1997	350	85.356
12.	हरियाणा विद्युत पुनर्संरचना-16/1/1998	60	33.649
13.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी - 22/06/1998	96.8	0
14.	उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि सहायता-30/07/1998	79.9	0
15.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना--04/02/1999	301.3	76.482
16.	आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र-05/03/1999	210	64.218
17.	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास-14/07/1999	105	17.788
18.	एकीकृत जलसम्भर विकास-14/07/1999	85	0.85
19.	उत्तर प्रदेश राजकोषीय सुधार और पब्लिक क्षेत्र-16/5/2000	126.27	126.27
20.	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना -19/5/2000	150	8.5
21.	पी. जी. सी. एल. विद्युत ग्रिड प्रणाली विकास-23/3/1993	275	237.545
22.	कॉनकोर कॉन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया-29/8/1993	82.421	23.974
23.	आई. डी. बी. आई. औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम-21/11/1994	93	16.823
24.	आई. सी. आई. सी. आई. औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम-21/11/94	50	3.531
25.	आई.डी.बी.आई. वित्तीय क्षेत्र विकास-24.3.1995	92.7	58.581
26.	3992-0 इन आई एल एण्ड एफ एस निजी आधारभूत ढांचा-10.07.96	200	25.134
27.	कोयला क्षेत्र पुन: सुधार परियोजना-19.03.1998	515	222.03
आई.डी.ए.			
1.	वन अनुसंधान शिक्षा विस्तार	47	34.55
2.	झींगा और मत्स्य पालन-29.01.1992	36.487	22.046
3.	महाराष्ट्र वानिकी - 29.01.1992	107.82	94.244
4.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग - 18.08.1992	163.631	160.34
5.	बिहार पठार विकास - 07.12.1992	117	81.441
6.	राजस्थान कृषि विकास - 17.12.1992	106	89.136
7.	नवीकरणीय संसाधन विकास - 05.03.1993	115	46.745
8.	आई. सी. डी. एस. II - 23.03.1993	194	93.162
9.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई - 04.06.1993	92	90.034
10.	उ. प्र. लवण युक्त भूमि पुन: सुधार - 24.06.1993	54.7	52.349
11.	उ. प्र. प्राथमिक शिक्षा - 07.07.1993	165	154.559
12.	रबड़ परियोजना - 12.08.1993	55.422	41.472
13.	परिवार कल्याण (शहरी गंदी बस्तियां)-04.02.1994	79	36.292
14.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग समापन - 04.02.1994	79.933	66.188
15.	आंध्र प्रदेश वानिकी - 09.03.1994	77.4	70.316
16.	जल संसाधन समेकन - 06.04.1994	258	156.082

1	2	3	4
17.	मोतिया बिन्द अन्धता नियंत्रण - 19.05.1994	117.8	47.252
18.	परिवार कल्याण - 24.06.1994	88.6	45.77
19.	औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम - 21.11.1994	.25	3.233
20.	जिला प्राथमिक शिक्षा - 22.12.1994	260.3	151.644
21.	आं. प्र. रेफरल स्वास्थ्य प्रणालियां - 22.12.1994	133	81.696
22.	कृषि व मानव संसाधन - 11.04.1995	59.5	36.816
23.	मध्य प्रदेश वानिकी - 11.04.1995	58	53.402
24.	असम ग्रामीण आधारभूत ढांचा - 06.06.1995	126	29.237
25.	त. ना जल संसाधन समेकन - 22.09.1995	282.9	104.63
26.	भारत में जल विज्ञान	142	49.214
27.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन - 05.01.1996	290.9	139.079
28.	द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास - 18.04.1996	350	124.79
29.	कोयला क्षेत्र पर्यावरण व सामाजिक उपशमन-इन-05.06.1996	63	22.213
30.	निजी आधारभूत ढांचा (आई एल ओ एफ एस)-10.07.1996	5	0.664
31.	द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा - 15.07.1996	425.2	193.738
32.	पारिस्थिकीय विकास - 30.09.1996	28	6.896
33.	पर्यावरणीय प्रबंध क्षमता निर्माण - 14.03.1997	50	6.688
34.	क्षयरोग नियंत्रण - 14.03.1997	142.4	18.414
35.	आं. प्र. सिंचाई - III - 03.06.1997	150	87.665
36.	आं. प्र. आपदा उपशमन और चक्रवाती आपातिक स्थिति-09.07.1997	100	51.277
37.	मलेरिया नियंत्रण - 30.07.1997	164.8	25.521
38.	प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - 30.07.1997	248.3	67.618
39.	उत्तर प्रदेश वानिकी - 30.12.1997	52.94	17.11
40.	डी पी ई पी - III - 23.02.1998	152	23.269
41.	उ. प्र. बुनियादी शिक्षा - 11 - 03.03.1998	59.4	45.813
42.	कोयला क्षेत्र पुनः सुधार - 19.03.1998	2	1.068
43.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी - 22.06.1998	100	9.967
44.	उ. प्र. विविधीकृत कृषि सहायता - 30.07.1998	50	14.307
45.	केरल वानिकी - 13.08.1998	39	10.863
46.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास - 13.08.1998	76.4	4.306
47.	ग्रामीण महिला विकास - 14.09.1998	19.5	1.726
48.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास - 14.01.199	134	3.522
49.	आं. प्र. आर्थिक पुनर्संरचना - 04.02.1999	241.9	56.635
50.	उ. प्र. लवण युक्त भूमि - II - 04.02.1999	194.1	13.774
51.	महिला एवं बाल विकास - 06.07.1999	300	10.127
52.	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा - 6.7.1998	81.9	3.536
53.	समेकित जलसंभर विकास पहाड़ियां-14.07.1999	50.184	12.922
54.	राष्ट्रीय एच आई वी/एड्स नियंत्रण -14.09.1999	194.754	17.657
55.	उ. प्र. III डी. पी. ई. पी. - 23.02.2000	177.66	7.759
56.	राजस्थान जिला गरीबी दूर करने के उपाय-11/5/2000	98.35	3.5
57.	आंध्र प्रदेश जिला गरीबी दूर करने के उपाय-12/5/2000	111	3.6
58.	उत्तर प्रदेश राजकोषीय सुधार और पब्लिक क्षेत्र-16/5/2000	122.966	122.966
59.	आर्थिक सुधार तकनीकी सहायता-19/5/2000	43.882	0
60.	उत्तर प्रदेश स्वायत्त प्रणालियों का विकास-19/5/2000	107.223	2.5
61.	आर्थिक सुधार तकनीकी सहायता-19/05/2000	43.882	0
	आई.एफ.ए.डी.		
1.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण -01/06/1993	29.442	13.768
2.	आंध्र प्रदेश सहभागिता जनजाति विकास - 13/05/1994	26.71	11.64
3.	मेवात क्षेत्र विकास - 29/05/1995	15.08	4.452
4.	ग्रामीण महिलाओं का विकास और अधिकार 27.3.97	18.437	0
5.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र समुदाय संसाधन-20.05.1997	27.123	1.2
	ओपेक		
1.	रेवा अस्पताल-08.02.1989	10	6.732
2.	बस्ती जिला अस्पताल-04.05.1990	6.5	6.41
3.	रायचुर जिला अस्पताल-06.06.1991	9	6.15
4.	केरल वर्षापोषित खेती का विकास-27.06.1991	10	2.971
5.	शिमला मल व्ययन-21.08.1997	10	2.965
	अनुदान		
	आई॰बी॰आर॰डी॰		
1.	सूचना विकास कार्यक्रम-18.8.99	0.35	0.275
2.	दूरसंचार क्षेत्र सुधार सहायता-11.08.2000	62	0
	आई॰बी॰आर॰डी॰ जापानी अनुदान		
1.	बम्बई पुनर्स्थापन और पुनर्वास-1.9.96	67.04	44.722
2.	पर्यावरण प्रबन्ध-04.09.1996	109.2	31.567

1	2	3	4
3.	बम्बई पुनर्स्थापना और पुनर्वास-4.9.96	16.76	0
	आई॰बी॰आर॰डी॰ जापानी अनुदान		
1.	आधारभूत वित्तपोषण-22.04.1997	1.5	1.205
2	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग-09.05.1997	2	0.821
3.	विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम-22.01.1998	0.5	0.104
4	पश्चिम बंगाल नगर निगम विकास-17.09.1998	0.927	0
5.	पश्चिम बंगाल नगर निगम विकास-17.09.1998	0.469	0
6.	राज्य विद्युत क्षेत्र में डी॰ एस॰ एम॰ योजना-18.9.1998	0.4	0.1
-	राज्य विद्युत क्षेत्र में डी॰ एस॰ एम॰ योजना-18.9.1998	0.4	0
	आई॰बी॰आर॰डी॰ नार्वेजियन अनुदान		
	एकीकृत कृषि मांग का प्रबन्ध-23.6.1999	4.3	0
	आई॰बी॰आर॰डी॰ स्विश अनुदान		
	आई॰बी॰आर॰डी॰ सम्बद्ध इलेक्ट्रोनिकी उद्योग विकास-07/03/191	16.825	0.693
	आई॰डी॰ए॰ नीदरलैण्डस अनुदान		
	नीदरलैण्ड अनुदान-21.8.97	25.8	10.375
2.	नवीकरण संसाधन-14.5.96	0.8	0.805
	आई॰डी॰ए॰ स्विश अनुदान		
	नवीकरण संसाधन-30.09.1993	6	4.024
	आई॰डी॰एफ॰अनुदान		
1.	पारिस्थितिकी विकास विश्व पर्यावरण सुविधा-30.9.96	20	7.269
2.	कमोडिटी फ्यूचर्स बाजार का विकास-19.05.1998	0.49	0.365
	विनिवेश तकनीकी सहायता-7.5.97	0.495	0.47
4.	ऋण प्रबन्ध क्षमता को सुदृढ़ बनाना	0.475	0.42
	आई॰एफ॰ए॰डी॰		
	आन्ध्र प्रदेश जनजाति विकास-15.05.1991	7	6.122

विनिवेश आयोग

2185. **श्री भीम दाहाल:**
श्री आर॰एस॰ पाटिल:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या सरकार** ने हाल ही में विनिवेश आयोग का पुनर्गठन किया है;

(ख) **यदि हां, तो इस आयोग की संरचना क्या है;**

(ग) **क्या सरकार** ने विनिवेश आयोग के लिए नए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में क्या प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं। इस पर अभी निर्णय लिया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के कमीशंड कार्यक्रम

2186. **श्री रामदास आठवले:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक दूरदर्शन के कमीशंड कार्यक्रमों के लिए प्राप्त प्रस्तावों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत और अस्वीकृत प्रस्तावों/अनुरोधों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा कमीशंड कार्यक्रम के लिए कुछ प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) प्रसार भारती द्वारा केन्द्रीय तौर पर ऐसी सूचना नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

राज्यों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता

2187. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्य किन उद्देश्यों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से कुल कितनी राशि की सहायता प्राप्त की है;

(ग) क्या इन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उड़ीसा को किसी धनराशि की सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) विद्यमान औद्योगिक उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के साथ-साथ नई औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। आईडीबीआई, परियोजना के आकार अथवा रूप अथवा अवस्थिति का ध्यान दिए बिना भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के औद्योगिक संस्थानों का वित्तपोषण कर सकता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, आईडीबीआई द्वारा मंजूर और संवितरित राज्य-वार सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा में औद्योगिक संस्थानों को मंजूर और संवितरित की गई समग्र वित्तीय सहायता का विवरण और प्रारम्भ से 30 सितमबर, 2000 तक संचयी मंजूरिया और संवितरण नीचे दी गई है:

(करोड़ रु.

वर्ष	मंजूरियां	संवितरण
1997-98	313.01	140.04
1998-99	142.40	236.41
1999-2000	46.33	*202.87
अप्रैल-सितम्बर 2000	356.80	107.20
सितम्बर, 2000 तक संचयी	3477.37	2745.84

* संवितरण मंजूरियों से अधिक है क्योंकि इसमें पिछले वर्षों के दौरान मंजूरि से सम्बन्धित संवितरण सम्मिलित है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर और संवितरित राज्य-वार आईडीबीआई द्वारा सहायता 1997-98 से 1999-2000

(करोड़ रु

क्रम सं.	राज्य	1997-98		1998-99		1999-00	
		मं.	सं.	मं.	स.	म.	स
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2802.82	1785.64	1865.12	1234.78	4394.82	1092.61
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	14.56	14.71	48.12	26.30	43.43	29.32
4.	बिहार	382.87	335.17	678.30	137.65	241.50	317.37
5.	दिल्ली	404.88	480.71	2251.53	452.88	1927.18	1330.66
6.	गोवा	86.10	41.93	187.09	113.78	71.47	103.41
7.	गुजरात	3635.42	3186.00	2091.37	2340.55	4538.93	2457.47
8.	हरियाणा	485.57	435.21	520.24	303.42	572.84	385.24
9.	हिमाचल प्रदेश	268.97	196.68	66.70	95.13	373.01	362.33
10.	जम्मू एवं कश्मीर	3.78	1.14	0.00	1.00	41.48	42.30
11.	कर्नाटक	1485.69	1177.11	2319.70	1292.46	1262.31	955.61
12.	केरल	164.01	102.60	367.38	174.93	222.30	117.96
13.	मध्य प्रदेश	2469.68	677.66	700.83	718.36	1122.72	658.93
14.	महाराष्ट्र	4446.56	2793.85	5539.41	2706.37	4878.45	3583.48
15.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	3	4	5	6	7	8
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	313.01	140.01	142.40	236.41	46.33	202.87
पंजाब	354.21	338.19	546.81	525.78	1526.15	559.88
राजस्थान	995.66	644.63	1020.50	864.58	778.22	680.13
सिक्किम	12.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	2839.56	1001.63	2532.01	1407.36	3287.34	1213.50
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	819.34	794.10	2048.73	881.05	810.94	814.61
पश्चिम बंगाल	948.96	808.78	509.37	669.58	925.21	627.74
केन्द्रशासित प्रदेश						
1. अंदमान एंव निको. द्वीप	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2. चंडीगढ़	2.90	8.17	22.70	17.60	42.36	27.86
3. दादर एवं नागर हवेली	27.70	94.03	105.00	102.75	66.43	32.41
4. दमन एवं दीव	42.75	35.73	58.78	51.31	56.00	18.05
5. लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. पांडिचेरी	12.93	12.27	28.70	21.14	5.00	16.95
कुल	23130.00	15111.00	23649.67	14375.13	27314.12	16211.48

कृषि वस्तुओं का व्यापार

2188. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और र्जनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि वस्तुओं के सभी प्रकार व्यापार पर नियंत्रण और प्रतिबंध को हटाने के लिए कानून बनाए जाने हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार किसानों से खाद्यान्न खरीदने हेतु तीय खाद्य निगम को बाजार में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, द्रीय सरकार की राष्ट्रीय नीति खाद्यान्नों के मुक्त संचालन के लिए पूरे को एकल खाद्य जोन मानने की है। कुछ राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, लनाडु तथा जम्मू और कश्मीर ने स्थानीय परिस्थितियों के कारण द्यान्नों के संचलन पर अभी भी प्रतिबंध लगा रखे हैं। सरकार ने हाल ही सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श भी दिया है कि वे गेहूं तथा गेहूं उत्पादों से संबद्ध व्यापार और उद्योग के संबंध में सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा दे और खाद्यान्नों के संचलन पर प्रतिबंध, यदि कोई हों, को भी हटा दें।

(घ) जब कभी स्टॉक स्थिति अच्छी होती है तो सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं और चावल की खुली बिक्री करती है और जब केन्द्रीय पूल में स्टॉक की कमी होती है तो इसे बंद कर देती है। गेहूं और चावल की खुली बिक्री क्रमश: 11.7.2000 और 4.9.2000 से शुरू की गई है।

(ङ) गेहूं के जोन-वार खुले बाजार मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:-

जोन	रुपये प्रति क्विंटल
उत्तर	650
दक्षिण	743
पश्चिम	724
पूर्व	736

भारतीय खाद्य निगम ने 4.9.2000 से गैर-वसूली राज्यों अथवा उन राज्यों में जहां धान की नगण्य वसूली होती है, वहां चावल की निविदा बिक्री का सहारा लिया है। इन राज्यों में भारतीय खाद्य निगम ने 950 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर राज्य सरकारों को चावल की पेशकश की है।

सीमेंन्ट संयंत्रों की स्थापना

2189. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश मे नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में इन नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना की जानी है और उनके स्थानों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयात-निर्यात बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

2190. **श्री ए॰ नरेन्द्र:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में आयात-निर्यात बैंक की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) इस बैंक में श्रेणीवार कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) इन वर्गों के उन बकाया रिक्त पदों जिन्हें अब तक इस बैंक द्वारा भरा नहीं गया है का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन रिक्तियों को भरने के लिए बैंक ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) एक्जिम बैंक के अनुसार उसकी कोई शाखा नहीं है। मुंबई में प्रधान कार्यालय के अलावा भारत में बैंक के सात प्रतिनिधि कार्यालय हैं तथा 5 कार्यालय विदेश में हैं।

(ख) बैंक के 20 कर्मचारी अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 12 कर्मचारी हैं।

(ग) आज की स्थिति के अनुसार एक्जिम बैंक में अनुसूचित जाति श्रेणी में न भरे गए चार पद हैं तथा अनुसूचित जनजाति का कोई पद रिक्त नहीं है।

(घ) एक्जिम बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में रिक्ति, इस श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा, बेहतर भविष्य के लिए बैंक की सेवा छोड़ने से है। न भरे गए पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तम्बाकू की खेती का क्षेत्र

2191. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा राज्य में कुल कितने क्षेत्र में तम्बाकू की खेती की जाती है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से तम्बाकू की खेती के लिए अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तम्बाकू की खेती किए जाने के लिए कितनी भूमि प्रस्तावित है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) वर्ष 1999-2000 के मौसम में उड़ीसा राज्य में तंबाकू की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र 345 हेक्टेयर का था।

(ख) जी, हां। वर्ष 2000-2001 के मौसम के लिए तम्बाकू उत्पादकों के पंजीकरण हेतु उड़ीसा सरकार ने अनुरोध किया है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिए प्राधिकृत तंबाकू की खेती के अतर्गत लाए जाने के प्रयोजनार्थ पंजीकृत किया गया क्षेत्र 121 हेक्टेयर का है।

सूचीबद्ध कंपनियों के लिए 'सेबी' के मार्गदर्शी सिद्धान्त

2192. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचीबद्ध कंपनियो को उनके बोर्डों में कुछ स्वतंत्र निदेशकों को सहयोजित करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निदेशों का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) इन निदेशों का कार्यान्वयन कितनी कंपनियों ने किया है;

(घ) क्या कुछ कंपनियों ने इस आदेश के विरुद्ध आपत्तियां उठाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कंपनियों की संख्या क्या है और किस तरह की आपत्तियां उठाई गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचीकरण करार में कंपनी प्रशासन पर एक नया अनुच्छेद शामिल करने के लिए एक्सचेंजों को निर्देश दिए था। इस अनुच्छेद में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का एक निश्चित प्रतिशत बनाए रखे ताकि अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय लेने में बोर्ड की अधिक स्वतंत्रता एवं निवेशकों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

(ख) सेबी ने श्री कुमार मंगलम बिड़ला की अध्यक्षता में कंपनी ...न पर एक समिति गठित की थी जिसका उद्देश्य सूचीबद्ध कंपनियो के ...नी प्रशासन को सुदृढ़ करना और उसके स्तर को ऊंचा उठाना है। ...ति की सिफारिश को दो श्रेणियों अर्थात् अधिदेशात्मक एवं गैर-...देशात्मक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। अधिदेशात्मक सिफारिशों ...कार्यान्वयन शेयर बाजारों के सूचीकरण करारों में संशोधनों के द्वारा ...ा जा रहा है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रशासकीय एवं गैर-...सकीय स्वतंत्र निदेशकों के अधिकतम तालमेल के साथ निदेशक बोर्ड ...गठन, बोर्ड प्रक्रिया, कंपनी प्रशासन पर अनुपालन रिपोर्ट आदि शामिल ...यह आशा की जाती है कि इन उपायों से निर्णय लेने में बोर्ड की ...क स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी, कंपनियों की कार्यप्रणाली कार्य स्तर ...न में मदद मिलेगी और निवेशकों के संरक्षण में वृद्धि होगी।

(ग) सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वह निर्देशों ...चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन करें। पहली बार सूचीकरण कराने वाली ...ी कंपनियों के लिए सूचीकरण के समय इनका कार्यान्वयन करना ...ार्य है, जबकि बी.एस.ई. की श्रेणी क या एस.एण्ड.पी.सी.एन.एक्स., ...टी वाली कंपनियों के लिए 31 मार्च, 2001 तक इनका क्रियान्वयन ...ा अनिवार्य है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

...री]

विश्व बैंक से ऋण

2193. **श्री रामचन्द्र बैंदा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा ...ी कि:

(क) विश्व बैंक के अध्यक्ष की हाल में भारत यात्रा के दौरान ...ार ने विश्व बैंक से किन क्षेत्रों के लिए ऋण देने का अनुरोध ...ा है;

(ख) विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा किन क्षेत्रों को और कितनी राशि ...ए किए जाने की सहमति दी गई है;

(ग) इस ऋण से लाभान्वित कौन-कौन से राज्य होंगे; और

(घ) कब तक विश्व बैंक द्वारा भारत को यह ऋण दिए जाने की ...ावना है और इस धनराशि पर कितनी ब्याज दर लगाए जाने की ...ावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): ...) सरकार ने विश्व बैंक के अध्यक्ष की हाल की भारत-यात्रा के दौरान ...सी क्षेत्र विशेष के लिए ऋण हेतु अनुरोध नहीं किया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जापान के व्यापार प्रतिनिधि मण्डल का दौरा

2194. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जापानी प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के परिणामस्वरूप जापान के उच्चस्तरीय व्यापार मण्डल ने भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो जापानी प्रतिनिधि-मंडल से मुख्य चर्चा क्या हुई;

(ग) क्या चर्चा की कार्य सूची में सूचना प्रौद्योगिकी भी एक मुख्य विषय था; और

(घ) यदि हां, तो भारत और जापान किस सीमा तक परस्पर व्यापार में सुधार के लिए राजी हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अगस्त, 2000 में जापान के प्रधान मंत्री द्वारा की गई भारत की यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किए गए थे। जापान के प्रधान मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने की दृष्टि से बंगलौर का दौरा भी किया था। उनकी यात्रा के दौरान इलैक्ट्रानिक एंड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईएससी) और जापान सिस्टम हाउस एशोसिएशन (जेएएसए) ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे ताकि इलैक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और आगे बढ़ाया जा सके।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पंचायत

2195. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस के लिए क्या प्रणाली तैयार की गई है; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सामाजिक लेखा-परीक्षा संकल्पना के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां। इस विश्वास के आधार पर कि राज्य अफसरशाही की तुलना में सच्ची प्रजातांत्रिक संस्थायें

खाद्य सुरक्षा का बेहतर रक्षोपाय होती हैं, सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रूप में विशेष रूप में उचित दर दुकान स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण और मानीटरिंग में ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण रूप से शामिल करें।

(ख) और (ग) सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) गरीबी रेखा से नीचे के लाभभोगियों की सूची उचित दर दुकान और ग्राम पंचायत के कार्यालयों पर प्रदर्शित की जाये।

(2) ग्राम पंचायतों को यह अधिकार सौंपा जाए कि वे उचित दर दुकान के रिकॉर्ड का निरीक्षण करें और उचित दर दुकानों के दैनिक कार्यों पर निकट निगरानी रखें।

(3) राशनकार्डों की उपयुक्तता और इसमें दर्ज यूनिटों की सही प्रविष्टियों के लिए राशनकार्डों की जांच हेतु ग्राम पंचायतें उत्तरदायी होंगी।

कच्छ टी.वी. टावर की मरम्मत

2196. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्छ टी.वी. टावर के कार्य न करने के कारण भारतीय दर्शक पाकिस्तानी टेलीविजन के कार्यक्रम देखने के लिए बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस टावर को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए राज्यों को निदेश

2197. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिक वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण): (क) और (ख) राज्य सरकारों को कोई औपचारिक निदेश जारी नहीं किये गये हैं। तथापि, केन्द्र सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजनाओं की निगरानी रखने और उनके शीघ्र क्रियान्वयन की सुविधा हेतु विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण (एफ. आई. आई. ए.) की स्थापना की है। राज्य सरकारों की भूमिका उपयुक्त अवसंरचना और मौलिक सुविधाएं प्रदान करके और अपेक्षित स्वीकृतियों और अनुमोदन देकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान करना है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण की अब तक सात स्थानीय बैठकें हो चुकी हैं जिनमें राज्य सरकारों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया है।

(ग) राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर, इन परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

राज्य-वार सार सूचना

क्र.सं.	राज्य	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कुल केस	जिन केसों की सूचना उपलब्ध है	उपलब्ध सूचना का %	छोड़े गए केस	छोड़े गये केसों का %	पूर्व कार्या-न्वित	क्रियान्वित किये गये का %	कियान्वयन किया जा रहा है	क्रियान्वयन के अंतर्गत %	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अतर्वाह (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	571	381	67	90	16	128	22	163	29	1686.84
2.	बिहार	47	42	89	1	2	29	62	12	26	61
3.	गुजरात	435	290	67	86	20	129	30	75	17	1311.13
4.	हरियाणा	418	285	68	63	15	191	46	31	7	894.43
5.	हिमाचल प्रदेश	35	21	60	11	31	4	11	6	17	0
6.	कर्नाटक	974	701	72	2	0	297	30	402	41	3536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	केरल	128	32	25	1	1	27	21	4	3	72
8.	मध्य प्रदेश	149	96	64	12	8	55	37	29	19	9247.53
9.	महाराष्ट्र	1873	605	32	245	13	321	17	39	2	4979.04
10.	उड़ीसा	81	50	62	13	16	14	17	23	28	427
11.	पंजाब	113	71	63	14	12	38	34	19	17	132.3
12.	राजस्थान	190	101	53	0	0	101	53	0	0	261
13.	तमिल नाडु	1147	182	16	17	1	102	9	63	5	0
14.	उत्तर प्रदेश	420	379	90	24	6	131	31	224	53	2757.16
15.	पश्चिम बंगाल	319	103	32	16	5	41	13	46	14	151
राज्यों द्वारा दी गई सूचना का योग		6900	3339	48	595	9	1608	23	1136	16	29516.6
राज्यों द्वारा नहीं दी गई सूचना का योग											
सूचना का योग		4108									
महायोग			11008								

विवरण

राज्य-वार सार सूचना

क्र.स.	सूचना न देने वाले राज्य	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कुल केस
1.	अंडमान और निकोबार	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	2
3.	असम	4
4.	चण्डीगढ़	26
5.	दादरा और नागर हवेली	23
6.	दमन और दीव	22
7.	दिल्ली	1088
8.	गोवा	87
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	लक्षद्वीप	1
11.	मणिपुर	1
12.	मेघालय	4
13.	नागालैंड	1
14.	पांडिचेरी	52
15.	त्रिपुरा	1
16.	अन्य	2786
	कुल (सूचना न देने वाले राज्य)	4108

भारतीय औषधि एवं भेषज लिमिटेड की बिक्री

2198. **श्री अशोक ना॰ मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सैद्धान्तिक तौर पर भारतीय औषधि एवं भेषज लिमिटेड को निजी पार्टी को बेचने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस निर्णय को लिए जाने से पूर्व इस एकक के पुनर्जीवन के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कामगारों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महानगर क्षेत्र नेटवर्क प्रणाली

2199. **प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पालिसीधारकों की सहायता करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने चयनित शहरों में महानगर क्षेत्र नेटवर्क प्रणाली को आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस संबंध में किन-किन शहरों को चुना है;

(ग) ऐसे शहरों को चुने जाने के मानदंड क्या हैं; और

(घ) पूरे देश में भारतीय जीवन बीमा निगम की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने पहले ही 8 शहरों अर्थात् मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और अहमदाबाद में मैट्रो एरिया नेटवर्किंग शुरू कर दी है। चालू वित्तीय वर्ष में जीवन बीमा निगम का 33 और शहरों अर्थात् नासिक, नागपुर, थाणे, अर्नाकुलम, कानपुर, आगरा, नेल्लोर, अमृतसर, जालंधर, पटना, इन्दौर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, गोआ, मदुराई, बरेली, लखनऊ, विजयवाड़ा, चण्डीगढ़, लुधियाना, कटक, जबलपुर, सूरत, वडोदरा, कोयम्बटूर, त्रिवेन्द्रम, इलाहाबाद, मैसूर, विशाखापत्तनम, जयपुर, जमशेदपुर, गुवाहाटी और भोपाल को इसमें शामिल करने का विचार है।

(ग) 5 अथवा अधिक शाखाओं वाले शहरों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए चुना गया है।

(घ) अपने कार्यकरण में और सुधार करने के लिए जीवन बीमा निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने, मौजूदा प्रणालियों और पद्धतियों में परिवर्तन करने तथा परिवर्तित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन संबंधी क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

चीनी मिलों में अतिरिक्त भण्डार

2200. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न चीनी मिलों के गोदामों में राज्यवार कितनी चीनी पड़ी हुई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी मिलों को इस भण्डार की उठाई न किए जाने से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि किसानों को चीनी मिलों से बकाया धनराशि का भुगतान न हो पाने के कारण वे बैंकों को ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) लगातार पिछले दो मौसमों – 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान चीनी के अधिक उत्पादन के कारण चीनी उद्योग के पास चीनी का स्टाक जमा हो गया है। 15.10.2000 की स्थिति के अनुसार चीनी मिलों के पास पड़े चीनी के स्टाक का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) चीनी मिलों द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान न करने के कारण किसानों द्वारा बैंक ऋणों की अदायगी में चूक करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए है:

(1) 01.01.2000 से चीनी फैक्ट्रियों की लेवी देयता 40% से कम करके 30% कर दी गई है।

(2) देश में आयातित चीनी की आमद को नियंत्रित करने के लिए आयातित चीनी पर 850 रुपये प्रति टन के मौजूदा प्रतिशुल्क के साथ सीमा शुल्क बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

(3) खुली बिक्री की चीनी के कोटों की विवेकपूर्ण ढंग से निर्मुक्तियां करके घरेलू बाजार में चीनी के मूल्यों को स्थिर रखने तथा उन्हें उचित स्तर पर बनाये रखने की नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

(4) जरूरतमंद चीनी फैक्ट्रियों को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्तियां की जा रही हैं ताकि वे गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का भुगतान कर सकें।

(5) 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

28.11.2000 की स्थिति के अनुसार, 1999-2000 मौसम के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित चीनी मिलों की ओर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि घटकर 7595.00 लाख रुपये हो गई है जो किसानों को देय कुल धनराशि का 1.86 प्रतिशत है।

विवरण

15 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार चीनी का राज्य/जोन-वार स्टाक

(अनन्तिम)

(आंकड़े टन में)

क्रम सं.	जोन/राज्य	स्टाक
1.	पंजाब	187256
2.	हरियाणा	216386

क्रम सं.	जोन/राज्य	स्टाक
3.	राजस्थान	17697
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	607836
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	977024
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	574478
7.	मध्य प्रदेश	43330
8.	दक्षिण गुजरात	438059
9.	सौराष्ट्र	45335
10.	दक्षिण महाराष्ट्र	1076988
11.	उत्तरी महाराष्ट्र	979343
12.	मध्य महाराष्ट्र	1369079
13.	उत्तर बिहार	173486
14.	दक्षिण बिहार	0
15.	असम	3291
16.	आंध्र प्रदेश	569502
17.	कर्नाटक	935499
18.	तमिलनाडु	1105921
19.	केरल	8458
20.	उड़ीसा	25812
21.	पश्चिम बंगाल	3552
22.	नागालैंड	0
23.	पांडिचेरी	22302
24.	गोवा	5751
	अखिल भारत जोड़	9386882

जाली करेंसी नोटों की तस्करी

2201. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या वित्त मंत्री 28 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 966 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मांगी गई सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा कब तक सूचना एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्यालयों को आय-कर नोटिस

2202. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने अनेक विद्यालयों को इस आशय के नोटिस भेजे हैं कि नि:शुल्क शिक्षा पर आने वाले व्यय को शिक्षकों के वेतन में जोड़ दिया जाये और इस राशि पर कर का भुगतान किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी प्रकार की सुविधाओं का उपयोग कर रहे सरकारी और निजी क्षेत्रों के सभी उच्चाधिकारियों पर भी यही नियम लागू हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को स्वीकृत अथवा नि:शुल्क अथवा रियायती दर पर प्रदान की गई किसी सुख-सुविधा अथवा लाभ की राशि सहित अनुलाभों की राशि पर आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अनुसार कर लगाया जाता है। यह सरकारी एवं निजी क्षेत्र में सभी कर्मचारियों, जो उक्त अनुलाभों को प्राप्त करते हैं, पर समानता से लागू है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्ताव

2203. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में, चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विदेशों से क्षेत्रवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा देश में ऐसे कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, विशेषत: राजस्थान के लिए कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए;

(ङ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा कितने प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया; और

(च) नामंजूरी के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण): (क) से (घ) जी, नहीं। 1.4.2000 से 30.9.2000 की अवधि में कुल 922 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.) के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 23,679.35 करोड़ रुपये की राशि का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल है तथा इन्हें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ. आई. पी. बी.) द्वारा अनुमोदित किया गया, जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान 881 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें 10,926.59 करोड़ रुपये की राशि का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल था। 1.4.2000 से 30.9.2000 की अवधि के दौरान तथा पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में अनुमोदित किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के क्षेत्रवार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण 2 में दिए गए हैं। 1.4.2000 से 30.9.2000 की अवधि के दौरान कुल 10,535.81 करोड़ रुपये की राशि का अन्तर्वाह रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह अन्तर्वाह 5212.07 करोड़ रूपये की राशि का था। इस अवधि के दौरान 8 प्रस्ताव, जिसमें 95.88 करोड़ रूपये की राशि का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल है, राजस्थान राज्य के लिए अनुमोदित किए गए हैं, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि में 11 प्रस्ताव, जिसमें 147.03 करोड़ रुपये की राशि का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल था, उक्त राज्य के लिए अनुमोदित किए गए थे।

(ङ) और (च) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया के रूप में है और यदि किसी कारण से नीमित के तहत किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता को प्रस्ताव में संशोधन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस संशोधित प्रस्ताव पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ. आई. पी. बी.) द्वारा विचार किया जाता है और यदि उक्त प्रस्ताव नीतिगत मानदण्डों को पूरा कर देता है तो उसे बोर्ड द्वारा अनुमोदन दे दिया जाता है।

विवरण-I

नीति के बाद की अवधि (1.4.99 से 30.9.99) के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा तकनीकी सहयोग का क्षेत्रवार ब्यौरा

राशि (करोड़ रु॰

क्र.सं.	उद्योग का नाम	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	कुल अनुमोदित राशि का प्रतिशत
		कुल	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7
1.	परिवहन उद्योग	115	39	76	3008.17	27.53
2.	ईंधन	78	28	50	2128.64	19.48
3.	विद्युत उपकरण	241	32	209	1617.87	14.81
4.	धातुकर्मी उद्योग	30	17	13	774.30	7.09
5.	होटल तथा पर्यटन	35	10	25	716.69	6.56
6.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	68	23	45	552.90	5.06
7.	सेवा क्षेत्र	65	6	59	324.82	2.97
8.	दूरसंचार	52	1	51	247.53	2.27
9.	(वस्त्र परिजित, छपे वस्त्र सहित)	41	5	36	227.81	2.08
10.	परामर्शदायी सेवायें	53	6	47	208.90	1.91
11.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग	67	25	42	190.32	1.74
12.	विविध उद्योग	84	15	69	189.85	1.74
13.	कांच	6	2	4	158.00	1.45
14.	औद्योगिक मशीनरी	50	19	31	95.18	0.87
15.	कागज उत्पाद सहित कागज तथा लुग्दी	6	1	5	93.82	0.86
16.	मशीन औजार	17	7	10	89.82	0.82

1	2	3	4	5	6	7
17.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	25	1	24	64.81	0.59
18.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	5	0	5	48.30	0.44
19.	औषध तथा भेषज	23	12	11	44.11	0.40
20.	व्यापार	30	1	29	36.21	0.33
21.	बॉयलर तथा भाँप जनित्रण संयंत्र	4	2	2	28.00	0.26
22.	सिरेमिक	11	4	7	26.07	0.24
23.	चर्म वस्तुएं तथा पिकर्स	4	0	4	18.20	0.17
24.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	3	2	1	13.50	0.12
25.	फोटोग्राफीक रॉ फिल्म तथा पेपर	3	0	3	6.86	0.06
26.	रजक सामग्री	1	0	1	4.50	0.04
27.	रबड़ की वस्तुएं	16	8	8	4.37	0.04
28.	चिकित्सा तथा चिकित्सा उपकरण	5	0	5	3.72	0.03
29.	गत्ता तथा जिलेटिन	2	0	2	1.20	0.01
30.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	3	2	1	1.00	0.01
31.	साबुन, श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन	2	1	1	0.50	0.00
32.	वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स	1	0	1	0.30	0.00
33.	कृषि मशीनरी	3	2	1	0.18	0.00
34.	औद्योगिक इंस्ट्रूमेंट्स	5	2	3	0.14	0.00
35.	अर्थमपीश मशीनरी	2	2	0	0.00	0.00
36.	गणितीय, सर्वेक्षण तथा ड्राइंग	1	1	0	0.00	0.00
37.	उर्वरक	3	3	0	0.00	0.00
38.	किण्वन उद्योग	2	2	0	0.00	0.00
	कुल	1162	281	881	10926.59	

विवरण-2

नीति के बाद की अवधि (01.04.99 से 30.09.99) के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा तकनीकी सहयोग का क्षेत्रवार ब्यौरा

राशि (करोड़ में)

क्र. सं.	उद्योग का नाम	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	कुल अनुमोदित राशि का प्रतिशत
		कुल	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7
1.	दूरसंचार	57	2	55	8251.78	34.85
2.	विद्युत उपकरण	322	30	292	6677.60	28.20
3.	ईंधन	66	19	47	3677.24	15.53
4.	धातुकर्मी उद्योग	27	11	16	1753.48	7.41
5.	औषध भेषज	40	12	28	648.86	2.74
6.	परिवहन उद्योग	89	24	65	599.29	2.53

1	2	3	4	5	6	7
7.	सेवा क्षेत्र	69	3	66	362.69	1.53
8.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	3	0	3	290.75	1.23
9.	होटल एवं पर्यटन	25	6	19	278.73	1.18
10.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	56	24	32	210.93	0.89
11.	विविध उद्योग	87	16	71	189.65	0.80
12.	व्यापार	37	0	37	171.60	0.72
13.	वस्त्र (रंजित, छपे वस्त्र सहित)	33	5	28	126.94	0.54
14.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	25	6	19	99.72	0.42
15.	परामर्शदायी सेवाएं	35	3	32	84.60	0.36
16.	चिकित्सा तथा चिकित्सा उपकरण	6	2	4	80.60	0.34
17.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग	61	25	36	78.47	0.33
18	कागज उत्पाद सहित कागज तथा लुग्दी	3	0	3	43.27	0.18
	चर्म, चर्म वस्तुएं तथा पिकर्स	4	0	4	24.03	0.10
20.	कृषि मशीनरी	4	0	4	18.00	0.08
21.	काष्ठ उत्पाद	3	0	3	15.90	0.07
22.	वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	4	0	4	8.76	0.04
23.	वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स	2	0	2	4.00	0.02
24.	किण्वन उद्योग	4	1	3	3.47	0.01
25.	मशीन औजार	7	1	6	2.13	0.01
26.	औद्योगिक इंस्ट्रूमेंट्स	5	2	3	2.01	0.01
27.	रिमिक	9	2	7	1.84	0.01
28.	कांच	5	1	4	0.82	0.00
29.	रबड़ की वस्तुएं	5	2	3	0.64	0.00
30.	ग्लू तथा जिलेटिन	2	1	1	0.23	0.00
31.	अर्थ मूविंग मशीनरी	5	4	1	0.10	0.00
32.	फोटोग्राफ रॉ फिल्म तथा पेपर	1	0	1	0.00	0.00
33.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	1	0	1	0.00	0.00
34.	साबुन श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन	3	2	1	0.00	0.00
35.	औद्योगिक मशीनरी	38	17	21	-28.24	-0.12
	कुल	1143	221	922	23679.35	

सी॰एन॰जी॰ वाहनों का विनिर्माण

2204. श्री माधवराव सिंधिया: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव पुराने वाहनों के प्रयोग पर प्रस्तावित प्रतिबंध लगाने के स्थान पर एक नीति के तहत सी॰एन॰जी॰ चालित वाहनों के विनिर्माण को बढ़ाने और प्रोत्साहन देने तथा इस समय चल रहे वाहनों को सी॰एन॰जी॰ चालित वाहनों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो यदि इस संबंध में कोई नीति बनाई गई है, तो वह क्या है; और

(ग) सी॰एन॰जी॰ चालित वाहनों को लोकप्रिय बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सरकार सी.एन.जी. किट्स के आयात पर रियायती दर पर सीमा शुल्क लगाकर सी.एन.जी. चालित वाहनों को प्रोत्साहन दे रही है। भारत के उच्चतम न्यायलय ने दिनांक 28 जुलाई, 1998 के अपने आदेश के तहत एम.सी. मेहता बनाम संघ सरकार तथा अन्य के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया है कि (i) सी.एन.जी. अथवा अन्य शुद्ध ईंधन को छोड़कर 8 वर्ष की पुरानी बसें नहीं चलेंगी (ii) समग्र नगर बस बेड़ा (फ्लीट) (डी. टी. सी. और निजी बसों को सी.एन.जी. की एकल ईंधन प्रणाली में धीरे-धीरे बदल दिया जाए। तदनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार ने प्रचलित बसों का सी.एन.जी. में बदलने के रिट्रोफिटमेंट की संभावनाओं का पता लगाने और ईंधन के रूप में प्रयोग में आने वाली सी.एन.जी. नई बसें चलाने के लिए दोनों कदम उठाए हैं। भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स सोसाइटी (एस.आई.ए.एम.) ने बताया है, कि 2 तपहिया निर्माता जी.एन.जी. तिपाहिया का निर्माण कर रहे हैं तथा दो वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं ने सी.एन.जी. बस चेसिस का निर्माण करना शुरू कर दिया है और वह दिल्ली परिवहन निगम को सप्लाई कर रहा है। कुछ कार निर्माता भी निजी/वाणिज्यिक प्रयोग के लिए सी.एन.जी. से चलने वाली कारों की आपूर्ति कर रहे हैं। कई कम्पनिया सी.एन.जी. परिवर्तन किट्स विकसित कर रही हैं।

वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाने के उपाय

2205. श्री राजैया मल्चाला: क्या वित्त मंत्री हय बताने की कृपा करेंगे कि:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की वितीय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हाल ही में क्या उपाय किए गए हैं और बाजारों का इस पर असल प्रभाव क्या होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र सुधार की प्रक्रिया में वित्तीय प्रणाली के विभिन्न खंडों के कार्य संचालन में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण खंड हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में जनवरी, 1997 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत अधिनियम के अध्याय iii-ख, iii-ग तथा में व्यापक परिवर्तन किए गये थे, जिसके द्वारा रिजर्व बैंक को सभी मौजूदा एवं नई शामिल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कार्य शुरू करने तथा वित्तीय कारोबार के लिए अनिवार्य पंजीकरण, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं उनके लेखा-परीक्षकों को निदेश देने, चूककर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध समापन संबंधी याचिकाएं दायर करने और सविधिक एवं अन्य उपबंधों आदि को अनुपालन नहीं करने पर उन पर सीधा अर्थदंड लगाने हेतु अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। अन्तर्निहित सुरक्षा के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जमा राशि दायित्वों के प्रतिशत के रूप में नकदी आस्तियां बनाए रखें और आरक्षित निधि बनाएं तथा अपने स्वाधिकृत निधि आधार को सुदृढ़ करने के लिए अपने शुद्ध लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत ऐसी आरक्षित निधि में अन्तरित करें।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन तथा विनियात्मक ढांचे पर नजर रखने के लिए एक सुदृढ़ पर्यवेक्षण ढांचा बनाया है। इसमें पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में प्रतिपादित मानदंडों के अनुसार पात्रता निर्धारित करने के लिए उनके आवेदन-पत्रों की जांच करना, जमा राशि प्राप्त करने संबंधी क्रियाकलापों, आस्ति-गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता आदि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों के लिए निरीक्षित कंपनियों द्वारा अनुपालन का स्तर एवं गुणवत्ता का पता लगाने के लिए स्थल पर निरीक्षण, स्थलेतर निगरानी एवं बाजार आसूना प्रणाली शामिल हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कार्य-संचालन में उनकी जानकारी में आई अनियमितताओं, यदि कोई हो के संबंध में बैंक को सीधे संचित करने की विशिष्ट भूमिका भी सौंपी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए चार भाग वाला व्यापक तंत्र विकसित किया है। इसमें (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का स्थल पर निरीक्षण (ख) अध्यतन सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए आवधिक नियंत्रण विवरणियों के जरिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्थलेतर निगरानी करना (ग) प्रभावी बाजार आसूचना नेटवर्क तथा (घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षकों द्वारा आक्षेप रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रणाली शामिल है।

जनवरी, 1997 में वित्तीय व्यवसाय में लगी अनिगमित कंपनियों पर निर्धारित रिश्तेदारों, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, निगमित निकायों अर्थात् कंपनियों, किसी कानून के तहत स्थापित निगमों या सहकारी समितियों को छोड़कर जनता से जमाराशि लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कड़े प्रवेश बिन्दु मानदंड निर्धारित करने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि बैंक कंपनियों की संख्या में बेतरतीब वृद्धि में रोक लगा पाए। पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त लगभग 38,000 आवेदन पत्रों में से बैंक

ने जनता से जमाराशि स्वीकार करने का प्राधिकार देते हुए केवल 700 कंपनियों को तथा जनता से जमाराशि स्वीकार करने का प्राधिकार नहीं देते हुए लगभग 9900 कंपनियों का पंजीकरण किया है। बैंक ने वित्तीय प्रणाली के कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु प्रणालीगत जोखिम को नियंत्रित करने का प्रयास किया है।

एम॰ए॰एम॰सी॰ में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2206. **श्री सुशील खां:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन छः सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियां कितने मूल्य की हैं जिन्हें सरकार द्वारा बन्द घोषित कर दिया गया है;

(ख) इन परिसंपत्तियों का निपटान किस प्रकार किया जाएगा; और

(ग) सरकार द्वारा "माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन" (एम॰ए॰एम॰सी॰) के उन कर्मचारियों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेने की इच्छा व्यक्त नहीं की है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया): (क) सरकारी क्षेत्र के छः उपक्रम जिन्हें बंद करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है, को 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का निवल खाता मूल्य निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं॰	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	अचल परिसंपत्तियों का निवल खाता मूल्य
1.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन (एमएएमसी)	12.98
2.	शनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनबीसीआईएल)	0.51
3.	रिहैब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (आरआईसी)	0.99
4.	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल)	0.05
5.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल)	0.17
6.	टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन (टेफको) (31.3.99 के अनुसार)	3.28

(ख) परिसंपत्तियों का निपटान नियम के तहत प्रासंगिक पद्धति/प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

(ग) बन्द होने पर कर्मचारियों को मुआवजे का भुगतान 1947 के आई.डी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

उड़ीसा में वित्तीय संकट

2207. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से, उसके वित्तीय संकट के समाधानार्थ वित्तीय सहायता देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) उड़ीसा सहित कुछ राज्य अपने रोजमर्रा के नकद प्रबंधन में आवधिक अर्थोपाय समस्याओं से प्रायः जूझते रहे थे। अतिरिक्त सहायता/वर्ष की हकदारियों को अग्रिम रूप से जारी करने/राज्यों द्वारा चुकाए जाने वाले ऋणों के पुनर्भुगतान के स्थगन के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे थे। नकद असंतुलन से उबारने के लिए केन्द्र सरकार ने समय-समय पर व्यावहारिक निर्गमों के संयोजन के माध्यम से राज्य को सहायता प्रदान की है।

एयर इंडिया यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति

2208. **श्री के॰ येरननायडू:** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने प्रस्तावित 26 प्रतिशत विदेशी हिस्सेदारी का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो एअर इंडिया के विनिवेश पर उनके क्या विचार हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) एयर इन्डिया की संयुक्त कार्रवाई समिति ने पारदर्शिता, परिसम्पतियों के मूल्य निर्धारण करने, निर्दिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय वायुयान-वाहक के रूप में दर्जा, नाम, लोगों और मैसकॉट को बनाए रखने, कर्मचारियों की हित सुरक्षाओं इत्यादि के सम्बन्ध में विनिवेश प्रक्रिया के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। इस मुद्दे के पहलुओं और शाखा-प्रशाखाओं को ध्यान में रखते हुए इन सुझावों को विचारार्थ नोट कर लिया गया है।

[हिन्दी]

विसंगति समिति के पास लंबित मामले

2209. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अमल किए जाने के बाद, उनके मंत्रालय में गठित विसंगति समिति के पास वेतमानों में विसंगति के मामले लम्बित हैं, उनका श्रेणीवार, मंत्रालयवार/विभागवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय की विभागीय विसंगति समिति का गठन दिनांक 16-2-2000 को किया गया था। समिति द्वारा इसके गठन की तारीख से छ: मास तक (अर्थात् 16-8-2000 तक) विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के नेता के माध्यम से विसंगतियों के मामले प्राप्त किए जाने थे। इस अवधि के अन्दर कर्मचारी पक्ष के नेता के माध्यम से विसंगति का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ। अत: विसंगति समिति के पास किसी भी मामले के लम्बित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रसार भारती के पदों की रिक्ति

2210. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती के शीर्ष पद, पिछले कुछ महीनों से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हा, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) प्रसार भारती में बोर्ड स्तर की रिक्तियों को मुख्यतया इन पदों की सेवा-शर्तों को अन्तिम रूप न दिये जाने और प्रसार भारती के कार्यकरण पर समीक्षा समिति की सिफारिशों पर निर्णय न लिए जाने के कारण नहीं भरा जा सका है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष तथा अंशकालिक सदस्यों के पदो को भरने के लिए चयन समिति के अध्यक्ष से नामों की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है। सदस्य (कार्मिक), और सदस्य (वित्त) के पदों को, उक्त पदों के बारे में समीक्षा समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेने के बाद भरा जाएगा। प्रसार भारती द्वारा भरे जाने वाले महानिदेशक (आकाशवाणी) और महानिदेशक (दूरदर्शन) के पदों को, इन पदों के लिए भरती नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद भरा जाएगा।

हैदराबाद में आई॰आर॰डी॰ए॰ का मुख्यालय

2211. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने, हैदराबाद को देश का एक महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्र बनाने के अपने प्रयासों को अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार से बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आई॰आर॰डी॰ए॰) के मुख्यालय को हैदराबाद में स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार के द्वारा क्या निर्णय किया गया है या किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सरकार को आंध्र प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों से उनके राज्यों में बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को स्थापित करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, फिलहाल नई दिल्ली में स्थापित मुख्यालय को वहीं पर जारी करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

मुक्त व्यापार जोन

2212. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मुक्त व्यापार जोन तैयार करने की ओर विशेष ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किन-किन क्षेत्रों को लिया गया है;

(ग) महाराष्ट्र में ऐसे कुल कितने जोन तैयार किये गये हैं;

(घ) क्या सरकार महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में मुक्त व्यापार-जोनों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) निर्यात एवम् आयात नीति के अनुसार "मुक्त व्यापार क्षेत्र" (एफटीजैड) तथा "निर्यात संसाधन क्षेत्र" (ईपीजैड) समानार्थी शब्द हैं। 31.03.2000 की स्थिति की अनुसार सरकार ने देश में कांडला (गुजरात),

सांताक्रुज, मुम्बई (महाराष्ट्र), नोएडा (उत्तर प्रदेश), चैन्नई (तमिलनाडु), कोचीन (केरल), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) तथा विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में सात निर्यात संसाधन क्षेत्रों की स्थापना की है।

(घ) से (ङ) 31.03.2000 तक हुए संशोधनों को शामिल करते हुए निर्यात एवम् आयात नीति (1997-2000) में सरकार ने देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजैड) की स्थापना करने हेतु एक नीति घोषित की है। केन्द्र सरकार द्वारा किसी नए ईपीजैड/एसईजैड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निजी, संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकारों द्वारा ईपीजैड/एसईजैड की स्थापना की जा सकती है। मौजूदा ईपीजैड को भी एसईजैड में परिवर्तित किया जा सकता है। नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार एसईजैड स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है:

एसईजैड

राज्य सरकार/संयुक्त/निजी क्षेत्र का नाम	एसईजैड का स्थान
महाराष्ट्र सरकार	द्रोणागिरि (महाराष्ट्र)
उड़ीसा सरकार	पारादीप (उड़ीसा)
पश्चिम बंगाल सरकार	कुलपी (पश्चिम बंगाल)
उत्तर प्रदेश सरकार	भदोई (उत्तर प्रदेश)
आंध्र प्रदेश सरकार	काकीनाडा (आंध्र प्रदेश)
तमिलनाडु सरकार	नानगुनेरी (तमिलनाडु)
गुजरात पोसिट्रा पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	पोसिट्रा (गुजरात)

सांताक्रुज, कांडला तथा कोचीन स्थित ईपीजैड को 1.11.2000 से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। सूरत स्थित एक निजी क्षेत्र के ईपीजेड को भी 1.11.2000 से एसईजैड में परिवर्तित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

नशीली दवाओं का अवैध व्यापार

2213. **श्री पी॰डी॰ एलानगोवन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, विश्व भर में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और स्वापक पदार्थों को लाने ले जाने के लिए व्यस्ततम सक्रिय क्षेत्रों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो देश के किन-किन हिस्सों की पहचान नशीली दवाओं को सर्वाधिक अवैध व्यापार करने वाले क्षेत्रों के रूप में की गई है;

(ग) सरकार द्वारा इन असुरक्षित स्थलों पर निगरानी रखने और नशीली दवाओं के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) नशीली दवाओं के व्यापार वाले इन क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और क्षेत्र-वार कितनी बरामदगी की गई तथा बरामद नशीली दवाओं की मात्रा और मूल्य कितना था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। किन्तु, भारत के प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों, अर्थात् पश्चिमी सीमाओं के पास का दक्षिणी-पश्चिमी एशियाई क्षेत्र और पूर्वी सीमाओं के पास का दक्षिणी-पूर्वी एशियाई क्षेत्र, के निकट होने के कारण भारत मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए आशंकाग्रस्त क्षेत्र बन गया है।

(ख) भारत-पाक सीमा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र बनी हुई है। किन्तु, भारत-म्यांमा सीमा, भारत-नेपाल सीमा और भारत-श्रीलंका सीमा जैसे अन्य क्षेत्रों को भी संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पता लगाया गया है।

(ग) सरकार द्वारा स्वापक औषधियों की तस्करी की रोकथाम करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में लगातार निगरानी रखना, प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, सीमा पर स्वापक औषधियों की रोकथाम करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक को शक्तियां प्रदान करना, सीमा के आर-पार समय-समय पर बैठकें आयोजित करना जिनमें भारत और पाकिस्तानी स्वापक एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहते है, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम करने के लिए म्यांमा की सरकार के साथ एक व्यापक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करना और एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

(घ) देश में विभिन्न मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सूचित किए गए अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान किए गए अभिग्रहणों के मादक पदार्थवार और वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। जोनवार किए गए अभिग्रहणों आदि के ब्यौरे देना संभव नहीं है क्योंकि आंकड़े पूरे देश के संबंध में रखे जाते हैं। चूंकि जब्त की गई सभी स्वापक औषधियां नष्ट की जानी होती हैं और उनके अधिकृत बाजार-मूल्य का पता नहीं होता है इसलिए कोई ठीक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है तथापि, प्रत्येक के सामने निर्धारित मूल्यांकन दिया गया है:

(मात्रा कि॰ ग्रा॰ में और मूल्य लाख रुपयों में)

क्र॰ सं॰	मादक पदार्थ की किस्म	वर्ष 1997		वर्ष 1998		वर्ष 1999	
		मात्रा	निर्धारित मूल्य	मात्रा	निर्धारित मूल्य	मात्रा	निर्धारित मूल्य
1.	अफीम	3316	331.6	2031	223.4	1635	196.22
2.	मॉरफीन	128	140.8	19	22.8	36	46.8
3.	हेरोइन	1332	2664.0	655	1637.5	861	2583.0
4.	गांजा	80886	808.9	68221	750.4	40113	481.4
5.	हशीश	3281	492.2	10106	1617.0	3391	576.5
6.	कोकीन	24	480.0	0.730	16.1	1.086	26.1
7.	मेथाक्वलोन	1740	208.8	2257	316.0	474	75.8

सिक्किम को ऋण

2214. **श्री भीम दाहाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए सिक्किम राज्य सरकार द्वारा कितना ऋण मांगा गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इस राज्य को वर्ष-वार कितनी ऋण राशि स्वीकृति की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण मुहैया कराने संबंधी सिक्किम सरकार का कोई विशेष अनुरोध वित्त मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि योजना आयोग द्वारा किए अनुमोदन के अनुसार वार्षिक योजनाओं के वित्त-पोषण के लिए सकल अनुदान और सकल ऋण के तौर पर वित्त मंत्रालय सिक्किम सरकार को समेकित तरीके से केन्द्रीय सहायता मुहैया कराता रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम सरकार को उपलब्ध कराई गई ऋण राशि इस प्रकार है।

वर्ष	करोड़ रुपए में
1997-98	20.96
1998-99	24.94
1999-2000	30.33

जमाकर्ता हित संरक्षण संबंधी अधिनियम

2215. **श्री रामदास आठवले:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने, तमिलनाडु जमाकर्त्ता हित-संरक्षण अधिनियम की तर्ज पर विधान बनाने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विधान बनाने के लिए राज्य कहां तक सहमत हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने जनवरी, 1998 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा है कि वे तमिलनाडु जमाकर्ता हित-संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों) में अधिनियम, 1977 की तर्ज पर निष्ठाहीन अनिगमित निकायों से जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु कानून बनाये।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अभी तक तमिलनाडु के अलावा तीन राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और असम ने जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम बनाया है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने ऐसे अधिनियम के अधिनियन के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की है और वह अन्तिम रूप देने की विभिन्न अवस्थाओं पर है।

राष्ट्रीय आवास बैंक

2216. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने, ऋण स्वीकृति के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एशियाई विकास बैंक द्वारा कितना ऋण मंजूर किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या हाल में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किसी और वित्तीय संस्था के साथ ऐसा ही समझौता या कोई अन्य समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख तक, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कितने ऋण की प्राप्ति तथा संवितरण किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आवास वित्त परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक को 40 मिलियन अमेरिकी डालर (180 करोड़ रुपए के बराबर) की वित्तीय सहायता अनुमोदित की है। इस ऋण के संबंध में अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं और इन्हें प्रभावी घोषित किया जाना है। एशियाई विकास बैंक के ऋण की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(1) ब्याज दर बाजार आधारित ऋणों का प्रावधान और साधारण पूंजी दर ऋण का प्रभाग 1 प्रतिशत ऋण संबंधी प्रारम्भिक शुल्क, प्रगामी प्रतिबद्धता शुल्क 0.75 प्रतिशत तथा 6 महीने से अधिक के एलआईबीओ आर पर 0.6 प्रतिशत का नियत विस्तार है।

(2) अवधि: यह ऋण 5 वर्ष की रियायत अवधि सहित 25 वर्ष की अवधि में चुकाया जाना है।

(3) गारंटी मूलधन और ब्याज दोनों की वापसी अदायगी के लिए एशियाई विकास बैंक के ऋण को भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रत्याभूत किया जाना होता है। प्रभारित किये जाने वाले गारंटी शुल्क की अभी पुष्टि की जानी है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त II परियोजना के अन्तर्गत 100 लिलियन अमेरिकी डॉलर (467 करोड़ रु० के बराबर)

की राशि के उधार के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है जिसे भारत सरकार ने पूर्ण गारंटी प्रदान की थी और वर्ष 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समस्त ऋण आगमों को आहरित किया गया और उसका उपयोग किया गया ।

सहकारी बैंकों को पुन: वित्त पोषित करना

2217. **श्री विनोद खन्ना:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों को निवेश ऋण देने या पुन: वित्तपोषित करने के मामलों में राज्य सरकार की गारंटी आवश्यक होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नाबार्ड द्वारा कमजोर सहकारी ऋण संस्थाओं के स्तर और उनकी वित्तीय हालत को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम, 1981 की धारा 28 के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र के बैंकों को निवेश ऋण के अन्तर्गत नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए सरकारी प्रतिभूति अनिवार्य है। तदनुसार, उन जगहों पर नाबार्ड सरकारी प्रतिभूति पर जोर देता है जहां नाबार्ड अधिनियम के संगत उपबंधों के अन्तर्गत इसकी अपेक्षा की जाती है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 (1) लाख रु. की न्यूनतम शेयर पूंजी की अपेक्षा का अनुपालन न करने वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार की गारंटी भी निर्धारित की गई है। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सहकारी बैंक राज्य के अधीन है और राज्य सरकारों का सहकारी बैंकों पर प्रशासनिक/प्रबंधकीय नियंत्रण रहता है।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि कमजोर सहकारी ऋण संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और स्तर में सुधार लाने के लिए उसने विभिन्न पहले की हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में ये शामिल हैं : सहकारी बैंकों द्वारा विकास कार्य योजना प्रणाली शुरू किया जाना, तिजोरी (सेफ), पटलों (काउंटरों) आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान हेतु सहकारी विकास निधि से वित्तीय सहायता मंजूर किया जाना तथा कारोबार विकास निधान की स्थापना किया जाना जो सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके, मौसमी कृषि परिचालनों, सहकारी बैंकों के आंकड़े को संकलित करने तथा प्रकाशनों को जारी करने के लिए सहकारी बैंकों को रियायती, पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर सके, ऋण प्रस्तावों आदि के गुणवत्तापूर्ण अनुमोदन के लिए वित्तीय विश्लेषक की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सके।

भारत-चीन व्यापार संबंध

2218. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को पुनरूज्जीवित करने में गहरी रुचि प्रदर्शित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन के साथ व्यापार-संबंधों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसी पहल पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या चीन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो चीन के साथ व्यापार-संबंध कहां तक बढ़ने का अनुमान है; और

(ङ) भारतीय व्यापारियों द्वारा पिछले वर्ष चीन की यात्रा करने के बाद चीन के साथ व्यापार में वस्तुत: कितनी वृद्धि हुई है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ङ) चीन और भारत, दोनों देशों की सरकारों ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुधारने में रुचि दिखाई है। आर्थिक संबंध तथा व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी, भारत-चीन संयुक्त आर्थिक समूह (जेईजी) छठे सत्र में भाग लेने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने फरवरी, 2000 में चीन का दौरा किया था। अपने सहयोगी के साथ हुई बैठकों के दौरान आर्थिक संबंध और व्यापार के क्षेत्र में घटनाक्रमों की समीक्षा भी की गई थी तथा धातु विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों पक्ष विद्युत, ऊर्जा परिवहन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक कामर्स, कृषि, औषधि एवं भेषज के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने पर भी सहमत हुए थे। चीन के साथ भारत के व्यापार के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

(मिलियन अमरीकी डालर में

वर्ष	निर्यात	आयात
1998-99	427.15	1096.71
1999-2000	547.82	1292.81
अप्रैल-अगस्त, 1999*	180.51	463.45
अप्रैल-अगस्त, 2000*	287.32	574.66

* अनंतिम

सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश

2219. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंक-वार कितनी रकम का निवेश किया गया है और यह निर्धारित सीमा से कितना अधिक है; और

(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में निर्धारित सीमा से अधिक रकम निवेश करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 20 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों सहित) पर सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों के निवेश का बैंक-वार विवरण, जिसमें बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित एसएलआर की राशि के सम्बन्ध में वृद्धि/कमी को दर्शाया गया है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन निवेशों में बैंकों को अपनी जमाराशियों को लाभ वाले संसाधनों में लगाने में सहायता मिलती है तथा यह वाणिज्यिक प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रतिभूतियां सुरक्षा, नकदी और ब्याज आय उपलब्ध कराती हैं।

विवरण

20 अक्तूबर, 2000 को समाप्त हुए पखवाड़े के लिए दैनिक औसत सांविधिक चलनिधि अनुपात का रख-रखाव अतिरेक

क्रम सं.	बैंक का नाम	रखरखाव के लिए अपेक्षित एसएलआर की राशि	वास्तव में रखरखाव की गई एसएलआर की राशि	अतिरेक कमी औसत	एनडीटीएलएस एसएलआर की राशि
सरकारी क्षेत्र के बैंक					
1.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	52093.35	79050.95	26957.60	12.94
2	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2650.61	4401.23	1750.62	16.51
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	3499.37	5985.09	2485.72	17.76
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1515.75	2599.95	1084.20	17.88
5.	स्टट बैंक आफ मैसूर	1970.08	2883.60	913.52	11.59
6.	स्टेट बेंक आफ पटियाला	2595.00	3858.64	1263.64	12.17
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1633.00	2341.86	708.86	10.85
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	2896.00	5001.43	2105.43	18.18
9.	इलाहाबाद बैंक	4566.29	5548.81	2082.52	11.40
10.	आन्ध्रा बैंक	3877.66	7741.19	3863.53	24.91
11.	बैंक आफ बड़ौदा	11715.90	13445.49	1729.59	3.69
12.	बैंक आफ इंडिया	10234.59	10884.68	650.09	1.59
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3582.64	8058.31	2475.67	17.28
14.	केनरा बैंक	10098.30	14636.09	4537.79	11.23
15.	सन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	9655.77	13350.43	3694.66	9.57
16.	कारपोरेशन बैंक	3684.72	4371.24	685.52	4.66
17.	देना बैंक	3920.01	4540.48	620.47	3.98
18.	इंडियन बैंक	4692.00	5204.07	512.07	2.73
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6304.82	8114.77	1809.95	7.18
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	6028.26	8014.87	1988.81	8.24
21.	पंजाब नैशनल बैंक	13342.86	20867.72	7524.78	14.10
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2721.17	3279.24	558.07	5.13
23.	सिंडिकेट बैंक	5565.71	6828.85	1263.14	5.87
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	8294.12	9639.53	1345.41	4.06
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	4454.57	7221.27	2766.70	15.53
26.	यूको बैंक	4689.18	5105.04	415.86	2.22
27.	विजया बैंक	2043.55	3167.61	324.06	2.85
28.	सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक	189125.38	265242.44	76117.06	10.06
		76117.06			

हांगकांग के साथ व्यापार-समझौता

2220. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हांगकांग ने, सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश के साथ पारस्परिक सहयोग और समर्थन बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या हांगकांग के किसी व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए, हांगकांग के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू द्वारा दिनांक 26-27 अक्तूबर, 2000 को किए गए दौरे के दौरान, हांगकांग के प्राधिकारियों ने भारत के साथ विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रम, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों की समुद्रपारीय क्षमताओं के इस्तेमाल इत्यादि सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु इच्छा जाहिर की थी। दिनांक 24 फरवरी, 2000 को भारत तथा हांगकांग ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) से (घ) आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू के दौरे के बाद हांगकांग के किसी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने आंध्र प्रदेश का दौरा नहीं किया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विनिवेश आयोग

2221. कुमारी भावना पुंडलिक राव गवली: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विनिवेश आयोग द्वारा अभी तक कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) प्रत्येक रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) शेष सिफारिशों को लागू करने में कितना समय लगेगा?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने 12 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें उसने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर लागू होने वाली कतिपय सामान्य सिफारिशें और सार्वजनिक क्षेत्र के 58 उपक्रमों में विनिवेश के सम्बंध में विशिष्ट सिफारिशें की हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के बारे में आयोग द्वारा की गई सिफारिशें और उनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लिए विनिवेश आयोग ने सिफारिशें की हैं।	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लिए सरकार ने निर्णय लिया है।
1. अनुकूल बिक्री	29	18
2. व्यापार बिक्री	8	7
3. शेयरों की पेशकश	5	3
4. बन्द करना	4	3
5. कोई विनिवेश नहीं/विलम्बन	12	14
	58	45

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के शेष 13 उपक्रमों में से सरकार ने 1 मामले में इक्विटी का हस्तान्तरण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे उपक्रम को करने, एक मामले में पुनरुद्धार/वित्तीय पुनर्संरचना करने, 2 मामलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश करने का निर्णय लिया है। 9 मामलों में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करना एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया परामर्शों की गहन प्रक्रिया, बाजार स्थितियों, कम्पनी के वित्तीय कार्य-निष्पादन, बिक्री के निबन्धन और शर्तों, निवेशकों द्वारा दिखाई गई अभिरुचि और परामर्शदाताओं द्वारा दिए गए परामर्श जैसे विभिन तथ्यों को ध्यान में रखने के माध्यम से की जाती है। अत: विनिवेश आयोग की सभी सिफारिशों के क्रियान्वयन में लगने वाले सम्भावित समय का ठीक-ठीक आंकलन नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंक

2222. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत/सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 'सबल' और 'दुर्बल' बैंकों के रूप में श्रेणीबद्ध करने के लिए सरकार द्वारा कतिपय मापदण्ड बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के किन-किन और कितने बैंकों को, पृथक्-पृथक् रूप से, 'सबल' और 'दुर्बल' श्रेणियों में रखा गया है; और

(ग) 'दुर्बल' बैंकों का पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्गठन संबंधी कार्यदल ने बैंकों की सुदृढ़ता/कमजोरी का मूल्यांकन करने के लिए सात मानदंड निर्धारित किए थे। सात मानंदडों के आधार पर कार्य दल ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को तीन श्रेणियों में बांट दिया:

श्रेणी-1 ऐसे बैंक जिनमें सात में से कोई भी मानदंड पूरा नहीं किया गया हो।

श्रेणी-2 ऐसे बैंक जिनमें सारे मानदंड पूरे किए गये हों।

श्रेणी-3 ऐसे बैंक जिनमें सात में से कुछ मानदंड पूरे नहीं किए गये हों।

दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया नामक सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों को श्रेणी-1 में रखा गया था, ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स और स्टैट बैंक आफ पटियाला नामक दो बैंक श्रेणी-2 में रखे गये थे और सरकारी क्षेत्र के शेष 22 बैंकों को श्रेणी-3 में रखा गया था।

(ग) सरकार के निर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के पहचान किए गये तीन कमजोर बैंकों ने 2000-01 से 2002-03 के लिए पुनर्गठन, योजनाएं भेजी हैं, जिनमें संगठनात्मक पुनर्गठन संचालन संबंधी पुनर्गठन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना सहित मानव संसाधन प्रबन्धन तथा वित्तीय पुनर्गठन शामिल है।

कॉफी बागान

2223. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन क्षेत्रों में कॉफी उत्पादन और कॉफी बागान रोपण करने का कोई प्रस्ताव है, जहां कॉफी की उपज अभी तक नहीं की गई है;

(ख) क्या कॉफी बागान लगाने के लिए उपयुक्त कुछ राज्यों में इसकी बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं;

(ग) क्या कॉफी बोर्ड ने उन कॉफी की किस्मों का पता लगाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है जो आंध्र प्रदेश की भूमि के लिए उपयुक्त हैं;

(घ) क्या वर्तमान कॉफी बागान मालिक, कॉफी बोर्ड को नए क्षेत्रों में कॉफी उत्पादन बढ़ाने से रोक रहे हैं; और

(ङ) नए क्षेत्रों में कॉफी उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। कॉफी बोर्ड ने अपने द्वारा किए गए सर्वेक्षण के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों तथा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाया है।

(ग) कॉफी बोर्ड ने राघवेन्द्र नगर, विशाखापत्तनम जिले में क्षेत्रीय कॉफी अनुसंधान केन्द्र तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में ही मिनिमुल्लुरु स्थित कॉफी प्रदर्शन फार्म में किए गए अनुसंधान अध्ययनों के जरिए कॉफी की उन किस्मों का पता लगा लिया है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) नए क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में कॉफी में उत्पादन को बढ़ाने के लिए बोर्ड नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कॉफी के विकास के लिए एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में कॉफी क्षेत्रों के विस्तार और प्रति एकड़ अधिकतम पौध संख्या कायम रखने के लिए रिक्त स्थानों को भरकर मौजूदा कॉफी जोतों की चकबन्दी तथा अन्य गहन खेती के उपायों के जरिए उत्पादन को बढ़ाने की परिकल्पना की गयी है। इस योजना का उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता का कॉफी के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय क्षेत्र में कॉफी प्रसंस्करण हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना भी है। बोर्ड पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा आध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के गैर-परम्परागत दोनों क्षेत्रों में काफी के विस्तार तथा चकबन्दी के लिए प्रति हैक्टेयर 15,000 रु. की इमदाद उपलब्ध करता है।

प्याज की बढ़ती हुई कीमतें

2224. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उपभेक्ताओं पर क्या असर हुआ है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। सरकार देश में प्याज के मूल्यों और उसकी उपलब्धता पर नजर रखे हुए है और उसके निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्यात के लिए अनुमति, प्रत्येक फसल की उत्पादन संभावनाओं का आकलन करने के बाद तथा किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए दी गई। गत एक वर्ष के दौरान देश में प्याज के मूल्य कुल मिलाकर उचित स्तर पर रहे हैं।

[हिन्दी]

मुख्य मंत्रियों की परिसम्पत्तियां

2225. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार देश में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों की कुल परिसम्पत्तियां कितनी हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): आयकर विभाग में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों की कुल परिसम्पत्तियों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। ऐसे आंकड़ों का संग्रहण करना एक श्रमसाध्य कार्य है तथा यह समय साध्य भी है। धनकर विवरणी के लिए छूट सीमा में 15 लाख रुपये तक की वृद्धि तथा आवासी गृह बैंक जमा आदि जैसी कई वर्ग की परिसम्पत्तियों के कराधेय न होने से धनकर विवरणी किसी व्यक्ति के कुल परिसम्पत्तियों की एक सच्ची तस्वीर नहीं होगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अन्तर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) चेयरमैन, पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य वेतन, भत्ता और अन्य सेवा-शर्तें, नियम 2000, जो 10 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 863 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 2477/2000]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2478/2000]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) नेशनल कोआपरेटिव कन्जूमर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव कन्जूमर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2479/2000]

(2) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1999-97, 1997-98 और 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2480/2000]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 2000 जो 29 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 765 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2481/2000]

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 25 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई०पी० 36(1)/2000 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 2482/2000]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): मैं डॉ. वल्लभभाई कथीरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1)

के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2483/2000]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2484/2000]

(ग) (एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2485/2000]

(घ) (एक) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2486/2000]

(ङ) (एक) नेशनल इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2487/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्टस लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2488/2000]

(2) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2489/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(1) का॰आ॰ 746 (अ) जो 10 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 266 (अ) में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) का॰आ॰ 1001 (अ) जो 8 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्का पेपर्स लिमिटेड, मुजफ्फरनगर को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2490/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101क (8) (ii) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 995 (अ) जो 8 नवम्बर, 21000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय साधारण बीमा निगम को भारत में पुनर्बीमा कार्य को पूरा करने के लिए "भारतीय पुनर्बीमाकर्ता" के रूप में अनुमोदित किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 2491/2000]

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 996(अ) जो 8 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 दिसम्बर, 1972 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 770 (अ) को निरस्त किया गया है कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 2492/2000]

(3) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और अन्य निबंधन एवं सेवा-शर्तें) नियम, 2000 जो 30 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 841 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा-शर्तें) विनियम, 2000 जो 29 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा॰ सं॰ आईआरडीए/रेग॰/8/2000 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2493/2000]

(4) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनिमयम, 2000 जो 16 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा॰ सं॰ आईआरडीए/रेग॰/8/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तैयार करना) विनिमय, 2000 जो 16 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा॰ सं॰ आईआरडीए/रेग॰/2000 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2494/2000]

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (दूसरा संशोधन) योजना, 2000 जो 17 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 934(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (दूसरा संशोधन) योजना, 2000 जो 17 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 935(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2495/2000]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा॰का॰नि॰ 872 (अ) जो 16 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उत्पादों की खुदरा कीमत के आधार पर उत्पाद शुल्क के निर्धारण की योजना को बढ़ाना तथा अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद शुल्क और अन्य करों के संबंध में खुदरा बिक्री मूल्य से कमी की व्यवस्था करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 873 (अ) जो 16 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हस्तशिल्पों या बर्तनों के विनिर्माण में प्रयोग में लाई जाने वाली तांबे के काटी-छांटी गई अथवा काटी-छांटी न गई शीटों अथवा छल्लों पर प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 3100 रुपये की रियायती दर पर उत्पाद शुल्क और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क की टैरिफ दर अदा करना है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2496/2000]

(7) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा०का०नि० 690(अ) जो 30 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 22 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 653(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) सा०का०नि० 691(अ) जो 30 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 22 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 555(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2497/2000]

(8) साधारण बीमा (कारबार) राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का०आ० 780 (अ) जो 30 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 22 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 587 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) का०आ० 781 (अ) जो 30 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 22 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 588 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(तीन) का०आ० 782 (अ) जो 30 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 22 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 589 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2498/2000]

(9) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया) संशोधन, नियम, 2000 जो 2 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 645 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया) संशोधन, नियम, 2000 जो 2 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 646 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2499/2000]

(10) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 और 8 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा०का०नि० 524 (अ) जो 16 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मुम्बई में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना करना है ताकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट के क्षेत्र भीतर अधिकारिता का प्रयोग किया जा सके।

(दो) सा०का०नि० 647 (अ) जो 21 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हैदराबाद में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना करना है ताकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अधिकारिता का प्रयोग किया जा सके।

(तीन) सा०का०नि० 257 (अ) जो 24 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कलकत्ता में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना करना है ताकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अधिकारिता का प्रयोग किया जा सके।

(चार) सा०का०नि० 258 (अ) जो 24 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चंडीगढ़ में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना करना है ताकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अधिकारिता का प्रयोग किया जा सके।

(पांच) सा०का०नि० 259 (अ) जो 24 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एर्नाकुलम में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना करना है ताकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अधिकारिता का प्रयोग किया जा सके।

(छह) सा०का०नि० 260 (अ) जा 24 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गुवाहाटी में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना करना है ताकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अधिकारिता का प्रयोग किया जा सके।

(सात) सा०का०नि० 397 जो 11 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एर्नाकुलम में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना करना है ताकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अधिकारिता का प्रयोग किया जा सके।

(आठ) सा०का०नि० 498 (अ) जो 26 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नई दिल्ली में ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण की स्थापना करना है ताकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अधिकारिता का प्रयोग किया जा सके।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2500/2000]

(11) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) आयातित माल (पोतांतरण की शर्तें) संशोधन विनियम, 2000, जो 10 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०कि०नि० 781 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 867 (अ) जो 14 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 27 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना संख्या 50/2000-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2501/2000]

(12) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा०का०नि० 802 (अ) जो 19 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष को अगले आदेश तक अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 869 (अ) जो 15 नवम्बर, 2000 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया आरपी और इन्डोनेशिया से उद्भूत अथवा वहां से निर्यात किए गए विशिष्ट प्रकार के पोलीस्टर फिल्मों पर नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अस्थायी रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2502/2000]

(13) 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:

(एक) इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2503/2000]

(दो) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2504/2000]

(तीन) भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2505/2000]

(चार) जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2506/2000]

(पांच) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2507/2000]

(छह) देवास शाहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2508/2000]

(सात) शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2509/2000]

(आठ) सूरत भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2510/2000]

(नौ) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2511/2000]

(दस) हिडन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2512/2000]

(ग्यारह) रीवा सीधी ग्रामीण बैंक, रीवा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2513/2000]

(बारह) पंचमहल बड़ोदरा ग्रामीण बैंक, गोधरा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2514/2000]

(तेरह) पांडियन ग्राम बैंक, विरूधूनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2515/2000]

(चौदह) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2516/2000]

(पन्द्रह) बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलनगीर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2517/2000]

(सोलह) चिकमगलूर कोडागू ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2518/2000]

(सत्रह) तुलसी ग्रामहण बैंक, बांदा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2519/2000]

(अठ्ठारह) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2520/2000]

(उन्नीस) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2521/2000]

(बीस) हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2522/2000]

(इक्कीस) सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2523/2000]

(बाईस) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2524/2000]

(तैईस) युवतमाल ग्रामीण बैंक, यवतमाल।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2525/2000]

(चौबीस) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2526/2000]

(पच्चीस) सौग मालाबार ग्रामीण बैंक, मलापुरम।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2527/2000]

(छब्बीस) पलामाऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पलामाऊ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2528/2000]

(सत्ताईस) रत्नागिरी सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरि।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2529/2000]

(अठ्ठाईस) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2530/2000]

(उन्नतीस) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरगुजा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2531/2000]

(तीस) भगीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2532/2000]

(इक्तीस) अंबाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक, अंबाला।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2533/2000]

(बत्तीस) शोलापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शोलापुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2534/2000]

(तैंतीस) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2535/2000]

(चौंतीस) बेगूसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगूसराय।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2536/2000]

(पैंतीस) छिन्दवाड़ा शिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिन्दवाड़ा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2537/2000]

(छत्तीस) लखीमी गांवलिया बैंक, गोलाघाट।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2538/2000]

(सैंतीस) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2539/2000]

(अड़तीस) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2540/2000]

(उन्तालीस) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2541/2000]

(चालीस) मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरू।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2542/2000]

(इकतालीस) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2543/2000]

(बयालीस) बालासौर ग्राम्या बैंक, बालासोर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2544/2000]

(तैंतालीस) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2545/2000]

(चवालीस) सथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2546/2000]

(पैंतालीस) चैतन्य ग्रामीण बैंक, गुंटूर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2547/2000]

(छियालीस) भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2548/2000]

(सैंतालीस) चन्द्रपुर गडचिरौली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2549/2000]

(अड़तालीस) विंध्यवासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2550/2000]

(उनचास) फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रूखाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2551/2000]

(पचास) शिवपुर गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2552/2000]

(इक्यावन) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2553/2000]

(बावन) बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2554/2000]

(तरेपन) बस्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बस्ती।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2555/2000]

(चौवन) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2556/2000]

(पचपन) बैतरणी ग्राम्या बैंक, बरीपाडा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2557/2000]

(छप्पन) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2558/2000]

(सत्तावन) बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2559/2000]

(अठावन) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2560/2000]

(उनसठ) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2561/2000]

(साठ) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2562/2000]

(इकसठ) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोंडा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2563/2000]

(बासठ) दमोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दमोह।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2564/2000]

(तरेसठ) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2565/2000]

(चौसठ) ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दतिया।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2566/2000]

(पैंसठ) गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गुरदासपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2567/2000]

(छियासठ) गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजामुन्दरी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2568/2000]

(सड़सठ) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2569/2000]

(अड़सठ) हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2570/2000]

(उनहत्तर) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2571/2000]

(सत्तर) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2572/2000]

(इकहत्तर) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हौशंगाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2573/2000]

(बहत्तर) कालाहांडी आंचलिक ग्राम्या बैंक, भवानीपाटन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2574/2000]

(तिहत्तर) कोरापुट पंचवटी ग्राम्या बैंक, जयपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2575/2000]

(चौहत्तर) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नान्देड़।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2576/2000]

(पचहत्तर) मल्लाभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2577/2000]

(छिहत्तर) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2578/2000]

(सतहत्तर) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्मम।

[ग्रंथालय में रख गए। देखिए संख्या एल. टी. 2579/2000]

(अटहत्तर) नेत्रावती ग्रामीण बैंक, मंगलौर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2580/2000]

(उनासी) नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2581/2000]

(अस्सी) नालंदा ग्रामीण बैंक, बिहारशरीफ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2582/2000]

(इक्यासी) पिथोरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथोरागढ़।

[ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2583/2000]

(बयासी) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2584/2000]

(तिरासी) पुरी ग्राम्या बैंक, पुरी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2585/2000]

(चौरासी) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2586/2000]

(पच्चासी) रूसीकुल्या ग्राम्या बैंक, बेहरामपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2587/2000]

(छियासी) श्रावस्थी ग्रामीण बैंक, बहराइच।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2588/2000]

(सतासी) साबरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक, हिम्मतनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2589/2000]

(अठासी) सागर ग्रामीण बैंक, कलकत्ता।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2590/2000]

(नवासी) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2591/2000]

(नब्बे) सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2592/2000]

(इक्यानवें) श्री अनंत ग्रामीण बैंक, अनंतपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2593/2000]

(बानवें) श्रीराम ग्रामीण बैंक, निजामाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2594/2000]

(तिरानवें) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2595/2000]

(चौरानवें) सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2596/2000]

(पचानवें) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2597/2000]

(छियानवें) सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक, सुरेन्द्रनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2598/2000]

(सतानवें) सुबनसीरी गांवलिया बैंक, नार्थ लखीमपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2599/2000]

(अठानवें) ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2600/2000]

(निन्यानवें) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुज्जफरपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2601/2000]

(सौ) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मांडया।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2602/2000]

(एक सौ एक) मिजोरम रूरल बैंक, आइजोल।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2603/2000]

(एक सौ दो) सरयू ग्रामीण बैंक, लखीमपुर खीरी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2604/2000]

(एक सौ तीन) श्री विशाखा ग्रामीण बैंक, श्रीकाकलम।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2605/2000]

(एक सौ चार) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चाईबासा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2606/2000]

(एक सौ पांच) प्रागज्योतिष गांवलिया बैंक, नलबाड़ी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2607/2000]

(एक सौ छह) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2608/2000]

(एक सौ सात) गमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूबनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2609/2000]

(एक सौ आठ) कोलार ग्रामीण बैंक, कोलार।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2610/2000]

(एक सौ नौ) फरीदकोट भटिण्डा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिण्डा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2611/2000]

(एक सौ दस) कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पुर्णिया।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2612/2000]

(एक सौ ग्यारह) पाटलिपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2613/2000]

(एक सौ बारह) गंगा-यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2614/2000]

(एक सौ तेरह) मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक, मुर्शिदाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2615/2000]

(एक सौ चौदह) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2616/2000]

(एक सौ पन्द्रह) धेनकनाल ग्राम्या बैंक, धेनकनाल।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2617/2000]

(एक सौ सोलह) मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2618/2000]

(एक सौ सत्रह) कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2619/2000]

(एक सौ अठ्ठारह) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2620/2000]

(एक सौ उन्नीस) मंजीरा ग्रामीण बैंक, संगारेड्डी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2621/2000]

(एक सौ बीस) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2622/2000]

(एक सौ इक्कीस) प्रथम बैंक, मुरादाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2623/2000]

(एक सौ बाईस) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, दुर्ग।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2624/2000]

(एक सौ तेईस) अलकनंदा ग्रामीण बैंक, पौड़ी (गढ़वाल)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2625/2000]

(एक सौ चौबीस) वलसाड डाग ग्रामीण बैंक, वलसाड।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2626/2000]

(एक सौ पच्चीस) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2627/2000]

(एक सौ छब्बीस) काकातिय ग्रामीण बैंक, वनामकोंडा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2628/2000]

(एक सौ सत्ताईस) नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2629/2000]

(एक सौ अट्ठाईस) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2630/2000]

(एक सौ उन्नतीस) कछार ग्रामीण बैंक, सिल्चर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2631/2000]

(एक सौ तीस) रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रतलाम।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2632/2000]

(एक सौ इक्तीस) शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशियारपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2633/2000]

(एक सौ बत्तीस) वर्धा ग्रामीण बैंक, कुम्टा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2634/2000]

(एक सौ तैंतीस) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2635/2000]

(एक सो चौंतीस) भोजपुर गंहतास ग्रामीण बैंक, आरा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2636/2000]

(एक सौ पैंतीस) विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2637/2000]

(एक सौ छत्तीस) बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2638/2000]

(एक सौ सैंतीस) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बल्लारी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2639/2000]

(एक सौ अड़तीस) बनासकांठा मेहसाणा ग्रामीण बैंक, पाटन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2640/2000]

(एक सौ उनतालीस) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2641/2000]

(एक सौ चालीस) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2642/2000]

(एक सौ इकतालीस) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2643/2000]

(एक सौ बयालीस) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2644/2000]

(एक सौ तैंतालीस) जमुना ग्रामीण बैंक, आमरा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2645/2000]

(एक सौ चवालीस) गोमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2646/2000]

(एक सौ पैंतालीस) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2647/2000]

(एक सौ छियालीस) नाडिया ग्रामीण बैंक, कृष्णानगर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2648/2000]

(एक सौ सैंतालीस) जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक, जामनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2649/2000]

(एक सौ अड़तालीस) अलवर भरतपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जूनागढ़।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2650/2000]

(एक सौ उनचास) जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ़।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2651/2000]

(एक सौ पचास) श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2652/2000]

(एक सौ इक्यावन) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2653/2000]

(एक सौ बावन) लांपी देहंगी ग्रामीण बैंक, कर्बी अगलोंग।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2654/2000]

(एक सौ तिरपन) बुलडाना ग्रामीण बैंक, बुलडाना।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2655/2000]

(एक सौ चौवन) भंडारा ग्रामीण बैंक, भंडारा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2656/2000]

(एक सौ पचपन) औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2657/2000]

(एक सौ छप्पन) कनक दुर्गा बैंक, गुड्डीवाडा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2658/2000]

(एक सौ सत्तावन) चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2659/2000]

(एक सौ अठावन) अवध ग्रामीण बैंक, लखनऊ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2660/2000]

(एक सौ उनसठ) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2661/2000]

(एक सौ साठ) मगध ग्रामीण बैंक, गया।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2662/2000]

(एक सौ इकसठ) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; मधुबनी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2663/2000]

(एक सौ बासठ) सहयाद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2664/2000]

(एक सौ तिरसठ) राजगढ़ सिहौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिहौर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2665/2000]

(एक सौ चौंसठ) का बैंक नोंगक्यांनडोंग री खासी नैन्तीया, शिलांग।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2666/2000]

(एक सौ पैंसठ) कटक ग्राम्य बैंक, कटक।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2667/2000]

(एक सौ छियासठ) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मिथिला।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2668/2000]

(एक सौ सड़सठ) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2669/2000]

(एक सौ अड़सठ) श्री सतवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2670/2000]

(एक सौ उनहत्तर) गौड ग्रामीण बैंक, मालदा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2671/2000]

(एक सौ सत्तर) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पासीघाट।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2672/2000]

(एक सौ इकहत्तर) गोलकोन्डा ग्रामीण बैंक, हैदराबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2673/2000]

(एक सौ बहत्तर) कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2674/2000]

(एक सौ तिहत्तर) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुडप्पा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2675/2000]

(एक सौ चौहत्तर) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लूर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2676/2000]

(एक सौ पिचत्तर) नागालैण्ड रूरल बैंक, कोहिमा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2677/2000]

(एक सौ छियत्तर) वर्धमान ग्रामीण बैंक, वर्धवान।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2678/2000]

(एक सौ सतत्तर) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2679/2000]

(एक सौ अठहत्तर) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, बीरभूम।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2680/2000]

(एक सौ उनासी) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2681/2000]

(एक सौ अस्सी) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2682/2000]

(14) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के तीसवें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2683/2000]

(15) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 का सांख्यिकीय विवरण (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2684/2000]

अपराह्न 12.03 बजे

लोक लेखा समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): महोदय, मैं संघ सरकार के वर्ष 1993-94 के विनियोग लेखाओं के बारे में एक सौ दसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.3½ बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

दूसरा प्रतिवदेन

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (तेरहवीं लोक सभा) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): यहां वित्त मंत्री है, प्रमोद महाजन जी है। हम एम. पी. लैड के पैसे को दो करोड़ रुपये से चार करोड़ रुपये करने के लिए कह रहे है लेकिन यह नहीं कर रहे है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पेपर्स लेड के बाद बात कीजिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

[हिन्दी]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 4 दिसम्बर, 2000 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :-

1 आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2 सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची को संशोधित करने की अधिसूचना का अनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा ताकि चर्म, खालों तथा चमड़ों, शोधित तथा अशोधित, सभी तरह के लेकिन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची के शीर्ष संख्या 14 के अन्तर्गत आने वाले चमड़ों के उत्पाद शामिल नहीं हैं, पर उदग्रहणीय निर्यात शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा सके।

3 निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों का प्रतिस्थापन चाहने वाले विधेयकों पर विचार और पारित करना :-

(क) भारतीय विश्व कार्य परिषद अध्यादेश, 2000 और

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2000

4 राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

(क) न्यायिक प्रशासन विधि (निरसन) विधेयक, 2000 और

(ख) भारतीय विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2000

5 राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

(क) चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2000

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी वेतन, भत्ता, छुट्टी और पेंशन विधेयक, 1994 और

(ग) उच्चतम न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी वेतन, भत्ता, छुट्टी और पेंशन विधेयक, 1994

6 निम्नलिखित विधेयको पर विचार और पारित करना:-

(क) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1999

(ख) आरोविल (आपत उपबंध) निरसन विधेयक, 2000

(ग) बीमा विधि (कार्य का अन्तरण और आपात उपबंध) निरसन विधेयक, 2000

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): कृपया निम्नलिखित मामलों के अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1 विश्वव्यापीकरण और इस देश के लघु उद्योगों पर इसका प्रभाव।

2 सिविल सेवा परीक्षा की भर्ती प्रणाली में परिवर्तन।

श्री पी॰ सी॰ थॉमस (मुवत्तुपुजा): निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1 मूल्यों में भारी गिरावट के कारण भारत के रबड़ उत्पादकों के सामने भारी मुसीबत आ गयी है। किसानों को बचाने हेतु सरकार को चाहिए कि वह 300 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करें। कृत्रिम रबड़ और पॉलीयूरेथीन का आयात पूर्णत: रोक दिया जाना चाहिए।

2 अनेक भारतीय नकली शराब पीने से मर रहे है। ऐसी शराब के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु नए विधान लाने सहित कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

डा॰ वी॰ सरोजा (रासीपुरम): निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1 सभी राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र अट्टूर और नामाकल जहां हाल ही में बड़ी दुर्घटना हुई है, पर सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को बचाने हेतु ऐसे दुर्घटना-व-आपातकाल वार्ड, जिसमें ब्लड बैंक की सारी सुविधाएं हो, स्थापित किए जाने की आवश्यकता है जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो।

2 रंगाई फैक्टरियों, तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लि॰, चर्मशोधन शाला तथा सलेम, इरोड, करूर और त्रिची जिलों के समीप स्थित अन्य औद्योगिक एककों से निकलने वाले अशोधित अपशिष्ट पदार्थों को नदी में बहा देने के कारण तमिलनाडु के उपरोक्त जिलों से गुजरने वाली कावेरी नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता।

प्रो॰ ए॰ के॰ प्रेमाजम (बडामरा): मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1 महिला आरक्षण विधेयक

2 पेट्रोलियम उत्पादों, चावल और गेहूं में की गई मूल्यवृद्धि को वापस लेना।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय मनमाड़ मालेगांव, नरडाना नई रेलवे लाइन को मंजूरी देनी चाहिए।

नासिक जिले में ध्यंबकेश्वरा, दावलेश्वर, सप्रश्रंगगड, सापुतारा हाटगढ़ करंजी को पुराने देवस्थान या पर्यटन क्षेत्र की मंजूरी देनी चाहिए।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय मैं सरकार से मांग करती हूं कि राजस्थान में प्रतिवर्ष वर्षा की कमजोर स्थिति से भूमिगत जलस्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। यह एक गम्भीर आपदा का संकेत है। राजस्थान में अनेकों नदियां और नाले है, जिस पर एनीकट तथा बांध बनाये जाने की आवयकता है।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): निम्नलिखित मदो को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1 आज विश्व एड्स दिवस है और इस बीमारी से लड़ने तथा इस नियंत्रित करने हेतु शिक्षा तथा व्यापक अभियान के माध्यम से एड्स तथा इसके निवारण के उपायों के बारे में जागरूकता लाने के लिए सभा को चर्चा करनी चाहिए।

2 उन लाखों इच्छुक स्वयंसेवकों जिन्हे रक्तदान के लिए मदद उत्प्रेरण अथवा सुविधा प्राप्त नहीं है, से रक्तदान का लाभ प्राप्त करने हेतु रक्तदान के प्रचार को बढ़ाने तथा देश को बहुमूल्य रक्त के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1 समेकित मूल्य नीति बनाना और उसे क्रियान्वित करना ताकि कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य और औद्योगिक उत्पादों में उनकी समकक्षता सुनिश्चित की जा सके।

2 झारखण्ड राज्य में दामोदर वेली कार्पोरेशन और सुबर्नरेखा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों को पुनर्वास और भर्ती।

अपराह्न् 12.10 बजे

असम में आतंकवादियों द्वारा कुछ लोगों की कथित हत्या के बारे में

[अनुवाद]

श्री ए॰ एफ॰ गुलाम उस्मानी (बारपेटा): महोदय, कल रात बोगईगांव, असम में जो घटना घटी वह पिछले तीन माह से हो रहे इस तरह के नरसंहार की श्रृंखला में नवीनतम है। अकेली उस घटना में 18 लोक मारे गए और 24 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए। यह नरसंहार केवल एक समूह पर नहीं हो रहा है अपितु इसमें बंगाली हिन्दू, मुस्लिम और बिहारी भी शामिल है। इन लोगों को लक्ष्य बनाया जाता है। पिछले तीन माह में इस तरह के लगभग 6 नरसंहार हुए। बार-बार राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया लेकिन इसका कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। इन नरसंहारों की पृष्ठभूमि में गृह मंत्री को सभा को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराना चाहिए जिससे समाज के एक बडे वर्ग की शांति का खतरा पैदा हो गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सभी उनके साथ हो सकते है।

...(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, मैं अपने साथी द्वारा कही गई बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ।

हमने इस तथ्य की ओर सभा का ध्यान पहले भी दिलाया था और अध्यक्ष महोदय, आप भी इस पर चर्चा हेतु सहमत हो गए थे। कुछ दिन पहले माननीय मंत्री महोदय ने हमें सभा में आश्वस्त किया था कि वे इस संबंध में कुछ करेंगे। आज हम सरकार से सकारात्मक उत्तर चाहते हैं क्योंकि ये घटनाएं रुकी नहीं है। दिल्ली में यह कहना रिवाज हो गया है कि असम कश्मीर के रास्ते पर चल रहा है। हमें इस समस्या के समाधान हेतु मिलजुल कर काम करना चाहिए। केवल एक बार ही सकारात्मक कार्यवाही की गई थी जब श्री चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री थे। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, गृह मंत्री को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि ये घटनाएं रोज हो रही हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ. प्र.): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल कई बार इस सदन में उठा है। रोज अखबारों में खबरें आती है कि असम में प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। ऐसा लगता है कि असम सरकार इस स्थिति को सम्भालने में पूरी तरह असमर्थ है। दुख की बात यह है कि बार-बार यह सवाल सदन में उठाने के बावजूद केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई ऐसी पहल नहीं की गई, जिससे वहां की स्थिति में सुधार हो सके। मैं मानता हूं कि यह सवाल राज्य सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार को सलाह देना, आवश्यकता पड़ने पर चेतावनी देना और उससे भी स्थिति न सम्भले तो उसके ऊपर कदम उठाना, यह जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की हो जाती है। क्योंकि लोगों की सुरक्षा का सवाल राज्य का पहला कर्त्तव्य है। यह कर्त्तव्य पालन करने में असम सरकार असमर्थ है और केन्द्रीय सरकार उस ओर निगाह नहीं ले जाती, तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार को आप इस बात के लिए तम्बी दें कि वह इस सम्बन्ध में उठाए गए कदम की सूचना इस सदन को दे। जिससे लोगों को विश्वास हो सके कि उनके जीवन की सुरक्षा के बारे में यह सदन चिंतित है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बंद्योपाध्याय, अपनी बात को आप भी उनके साथ हमें जोड़ सकते है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, मुझे कुछ और कहना है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कलकत्ता हिन्दी भाषी लोगों से भरा हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उग्रवादियों द्वारा विशेषरूप से हिन्दी भाषी लोग अंधाधुंध मारे जा रहे हैं। हम राज्य सरकार पर यह आरोप नहीं लगा रहे है कि वह भी इसमें शामिल है। कल जो घटना घटी उनमें 18 मारे गए लोगों में से एक बंगाली था। हो यह रहा है कि मारवाड़ी समुदाय जिसका किसी हद तक व्यापार और उद्योग पर दबदबा है, अंधाधुंध मारे जा रहे हैं। इसलिए, इस समय यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार इन उग्रवादियों को रोकने हेतु राज्य सरकार को सहयोग दे ताकि असम में हिन्दी भाषी लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करें।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय उत्तर दे रहे है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहेन (नौगांव): आसाम में जो हो रहा है, यह चिंता का विषय है लेकिन एक बात की तरफ हाउस को ध्यान देना चाहिए कि एक्सट्रीमिस्ट्स के साथ किस-किस पोलिटिकल पार्टी का संबध है, यह भी जांच करनी बहुत जरूरी है। इस विषय पर हाउस को ध्यान देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : आसाम में जो कुछ भी हो रहा है, अधिकतर राजस्थान के मारवाड़ियों के साथ हो रहा है, उनके सारे परिवार चिंतित है और वहां से वे अपना घरबार छोड़-छोड़कर भाग कर आ रहे हैं। उनको पकड़कर ले जा रहे हैं...*(व्यवधान)* उनसे फिरौतियां मांगी जा रही हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, पिछले सप्ताह भी आसाम में कुछ ऐसी घटनाओं के कारण यह विषय उठा था और मैंने सदन को कहा था कि मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा। मैंने माननीय गृह मंत्री जी से इस संबंध में बात भी की थी। दुर्भाग्यवश फिर उसी प्रकार की घटना हुई है और माननीय सदस्यों ने इस विषय को यहां उठाया है। संतोष मोहन देव जी, चन्द्रशेखर जी और सुदीप जी ने भी इस बारे में यहां कहा है। अगर आप चाहें कि इस विषय पर किसी प्रकार की चर्चा करनी हो तो उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और अगर आप चाहे तो माननीय गृह मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि वह सोमवार को सदन उठने से पहले सदन के सामने आकर एक वक्तव्य दें, जिसके आधार पर आगे विचार करना है या नहीं करना है, यह आप तय कर सकते हैं। चूंकि आज शुक्रवार है और माननीय गृह मंत्री जी से आज जानकारी लेकर सदन के सामने आज ही आना मुश्किल होगा, इसलिए अगर सदन की और आपकी अनुमति हो तो सोमवार को सदन उठने से पहले माननीय गृह मंत्री जी ने इस बारे में क्या कदम उठाया है या फिर क्या कदम उठा सकते है, यह स्पष्ट जानकारी वह सदन को देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान घुसपैठियों की बढ़ी हुई गतिविधियों तथा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम के उपबंधों के कथित दुरूपयोग के कारण मणिपुर में भी असंतोष और आंदोलन की ओर दिलाना चाहता हूं। महादेय, कुछ युवा महिलाएं भूख हड़ताल पर हैं जिससे लोगों की भावनाएं भड़क गई हैं। महोदय, बताया गया है कि बहुत से लोग विशेषकर महिलाएं भूख हड़ताल का समर्थन कर रही हैं। यह फैल रहा है और इससे लोगों में भारी असंतोष पैदा हो रहा है। इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि घुसपैठियों की अबाधित गतिविधियों के अलावा आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में गंभीर शिकायतें की जा रही हैं।

महोदय, यह युवा महिला गैर राजनैतिक हस्ती हैं जिन्होंने यह भूख हड़ताल शुरू की है और अन्य लोग बड़ी संख्या में उसका साथ दे रहे हैं। अत:, इस मामले में घुसपैठ का प्रश्न शामिल है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच करे और कम से कम उपयुक्त स्रोतों के माध्यम से इस युवती और उसके समर्थकों से अपील करे कि वे हड़ताल वापस ले क्योंकि यह कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्या में तब्दील हो सकती है। यह मेरा अनुरोध है।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं गृह मंत्री को इससे अवगत करा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): महोदय, आज विश्व एड्स दिवस है और मुझे लगता है कि पूरे सदन को इसकी चिन्ता होनी चाहिए। आज हम पूरे देश के सरकारी आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि एचआईवी का प्रकोप भारत मे अत्यधिक गंभीर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 37 लाख से ज्यादा वयस्क आज एड्स की बीमारी से ग्रसित हैं, मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा आंकड़े हो सकते हैं। 18 से 40 साल की उम्र के लोगों में एड्स ज्यादा है, ऐसा बताया जाता है लालकिले से स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सन् 2000 में इस बात पर चिन्ता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि "तेजी से बढ़ रहा एचआईवी, एड्स का रोग हमारे देश के लिए गंभीर चुनौती बन गया है मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि इस महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने में पूर्ण रूप से भाग लें। उन्हें अपने आचरण में आवश्यक बदलाव भी लाना चाहिए ताकि इस भयावह रोग को नियंत्रित किया जा सके।"

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आई एंड बी मिनिस्ट्री दूरदर्शन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित कर सकती है, परन्तु दुर्भाग्य यह है कि हम विभिन्न चैनलों और दूरदर्शन के माध्यम से इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जितना पोस्टल मेटिरियल है, पोस्ट-कार्ड, लिफाफे आदि है, उन पर हम संदेश दे सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा एनजीओज को प्रेरित करके एड्स की बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रुडी, आप श्री विजय गोयल के साथ अपनी बात भी जोड़ सकते हे क्योंकि आपकी सूचना भी इसी विषय से संबंधित है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, यह सही है। लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप किस बारे में कहना चाहते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: आज विश्व एड्स दिवस है और मेरे विचार से पूरी सभा इस मुद्दे में शामिल है क्योंकि यह मुद्दा पूरे विश्व की चिंता का विषय है। भारत में एड्स एक महामारी की तरह फैल रहा है। अधिकतर 18 और 40 वर्ष के आयु वर्ग के युवक इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। हमें और जागरूकता लानी चाहिए हमें सभा को विश्वास में लेना चाहिए और देश में आज यह संदेश फैलाना चाहिए। पूरी सभा इस मुद्दे पर एकमत है।

अध्यक्ष महोदय: पूरी सभा आपके विचारों का समर्थन कर रही है।

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्मम): हम इस मुद्दे पर वाद-विवाद करना चाहते हैं। इसके लिए कम से कम आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। पूरी सभा को एक संकल्प करना चाहिए और देश भर में इसे फैलाना चाहिए।

श्री वी॰ एस॰ शिवकुमार (तिरूअनन्तपुरम): मैं त्रिवेन्द्रम में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन में विकासीय क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में

वहा एक नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार नागर विमानन के माननीय मंत्री महोदय ने नए टर्मिनल के लिए मई, 2000 में आधारशिला रखी थी। लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

अपराह्न 12.23 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दूसरा, त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन में जम्बो जेट विमान उतारने की सुविधा भी प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन नागर विमानन मंत्रालय ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। शिलान्यास समारोह के अवसर पर माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि बहुत शीघ्र विमान उतारने की सुविधा शुरू की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अत:, मैं नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे नये टर्मिनल का निर्माण और जम्बोजेट उड़ान सेवाएं शुरू करने हेतु निदेश दें।

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर): इस मामले में हम भी श्री वी. एस. शिवकुमार के साथ शरीक होते है।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): दूसरे टर्मिनल और जम्बो जेट अवतरण की सुविधा से संबंधित मामले को हम सभी समर्थन देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप इस मामले में शरीक हो सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं, श्री वी. एस. शिवकुमार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में शरीक होता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको मामले में शरीक होने की अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर का ध्यान अपने क्षेत्र शाहबाद जिले के पांजपुर में रसोई गैस की काफी कमी की तरफ खींचना चाहता हूं। मैने पिछली बार भी सदन में इस सवाल को उठाया था, लेकिन यह सरकार इस तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देती है। यह सरकार कहती है कि इसे फ्री कर दो और सब को दे दो। मुसीबत यह है कि वहां एक ही वितरक है, जिसके पास 31000 उपभोक्ता है। उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी रसोई गैस नहीं मिलती है इस वजह से वहां ब्लैक मार्केटिंग होती है। सुनने में तो यह भी आता है कि वहां का दुकानदार कहता है कि मैंने तो विभागीय लोगों को अपनी तरफ कर लिया है।

आप लाख चिल्लाते रहें यहां कोई दूसरी एजेंसी नहीं खुलेगी। उपाध्यक्ष जी, यह गंभीर मामला है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सरकार कब दूसरी एजेंसियों को बहाल करेगी। वहां पर 26-27 लाख लोगों की आबादी है लेकिन जलाने के लिए कोई चीज नहीं है। जंगल नहीं है, लकड़ी नहीं है, जलावन की बहुत भयंकर समस्या है। वहां कैरोसीन तेल का कालाबाजारी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि पेट्रोलियम मिनिस्टर एक दो एजेंसी शीघ्र ही खोले जिससे लोगों को राहत मिले और कैरोसीन की कालाबाजारी रुक सके।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं, भारत के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरे समुदाय के संबंध में एक बहुत की महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं।

जैसाकि मैं समझता हूँ केरल सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग को मछुआरे समुदाय के विकास के संघ में एक परियोजना का प्रस्ताव भेजा है। सबसे पहले मछुआरों के लिए हजारों इमारतों का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा, वहां पीने के पानी की विकट समस्या है और इसका समाधान करना होगा। तीसरा, वहां संचार का अभाव है। वहां सड़कें नहीं हैं। इस परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखना होगा। यह परियोजना वित्त आयोग के पास लम्बे समय से लंबित है। इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई किंतु यह बताया गया है कि वे इस पर विचार कर रहे है। बार-बार भेजे गए हमारे अभ्यावेदनों के बावजूद मछुआरों की स्थिति में सुधार करने की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया जबकि मछुआरे देश को एक सेवा प्रदान करते हैं। वे न केवल विदेशी मुद्रा ही ला रहे हैं बल्कि देश में सर्वोत्तम खाद्य भी उपलब्ध कराते हैं। भारत के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरे ही इसकी आपूर्ति करते हैं।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुराध करता हूँ कि ग्यारहवें वित्त आयोग के साथ मामले को तुरन्त उठाया जाए और मछुआरों की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक संस्तुतियां की जाएं क्योंकि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी उनकी स्थिति खराब है।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): अध्यक्ष जी, पिछले सत्र में मैच-फिक्सिंग इश्यू को लेकर सदन मे काफी गहन चर्चा हुई थी और उस समय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जब सीबीआई की रिपोर्ट तैयार होगी तो उसे संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन उसे पेश करने से पहले मंत्री जी ने उसे सार्वजनिक किया और सार्वजनिक होने के दो हफ्ते पहले ही वह रिपोर्ट सारे अखबारों में दे दी गयी जिसके कारण मैं समझता हूं कि रिपोर्ट लीक हुई। आज भी जब हम अखबार उठाकर देखते हैं तो पता चलता है लगभग 5 मीटिंगे सीबीआई इंक्वायरी के बाद में बोर्ड की हो चुकी हैं लेकिन उसका कोई भी निर्णय सामने नहीं आया है। सीबीआई कहती है कि वह किसी भी खिलाड़ी को प्रौसीक्यूट नहीं कर सकती है। यह तो शुरू से मीडिया में ट्रायल की तरह चल रहा था और मीडिया में लोगों के नाम आ रहे थे तब भी उनको कोई प्रौसीक्यूट नहीं कर सकता था और आज भी यही स्थिति है। सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी है कि वे प्लेयर्स को प्रौसीक्यूट नहीं कर पा रहे है। माननीय वित्त मंत्री जी भी उस

समय यहां बैठे थे और मैंने कहा था कि इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को खिलाड़ियों के इन्कम के कागज निकलवाने चाहिए जिससे इस बात का पता चल सके कि अगर किसी खिलाड़ी के पास इन्कम से ज्यादा असेट्स हों तो उसके ऊपर जो आरोप लगा है वह सिद्ध हो सकता है। लेकिन अब तक इस मामले को जिस हल्के ढंग से लिया गया है वह बहुत गंभीर विषय है। हमारे देश में 40 वर्ष से नीचे की उम्र के लगभग 40 प्रतिशत लोग हैं और केवल यही एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे सारे लोग देखते है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि तुरंत इसके ऊपर जो भी निर्णय लेना हो वह लें जिससे आगे लोगों को इस बारे में पता चल सके।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): जो मैच फिक्सिंग में लिप्त हों, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको श्री कीर्ति झा आजाद के कथन के साथ शरीक होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): आदरणीय उपाध्ययक्ष महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र अंडमान और निकोबार की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस का लक्षद्वीप से भी सम्बन्ध जुड़ा है। दोनों द्वीपों में किसानों की मेन कमाई का स्रोत नारियल और सुपारी की पैदावार है। सरकार अंडमान निकोबार में खोपरा खरीदने के लिए सपोर्ट प्राइस तय करती है। अंडमान निकोबार में करीब चार हजार हैक्टेयर जमीन पर सुपारी की पैदावार होती है। इसका प्रोडक्शन 6100 मीट्रिक टन होता है। पिछले साल सुपारी की कीमत रिटेल में 70 से 1000 रुपए प्रति-किलोग्राम थी। इस साल सुपारी की कीमत घट कर 30 से 40 रुपए रह गई है मुझे लगता है कि यही हालत लक्षद्वीप में भी है। ऐसी हालत में किसानों की हालत बहुत गम्भीर और बुरी हो गई है। मेरा अनुरोध है कि सरकार ने जिस तरह खोपरा का समर्थन मूल्य तय किया है, वैसे ही वह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में सुपारी खरीदने के लिए सपोर्ट प्राइस फिक्स करे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, ये मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे है। मैं बहुत की महत्वपूर्ण और गंभीर मामला उठा रहा हूं... *(व्यवधान)* हजारों एकड़ भूमि में पानी भरा हुआ है। मैं, माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और जन जातियों को बजीफा देने में अरबों रुपए का जो घोटाला हुआ है, उसके बारे में मैंने एक नोटिस दिया है और मेरा नाम चौथे नम्बर पर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, मैं सूची के अनुसार चल रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, हम आपको गुस्सा नहीं होने देंगे। रामजीलाल सुमन बार-बार कह रहे हैं कि उनका नाम चौथे नम्बर पर था। आप इसे देख लें। यदि इनका चौथे नम्बर पर नाम है तो इन्हे मौका दें।

उपाध्यक्ष महोदय: मौका देंगे लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, मौका देने की बात और है और नोटिस देकर यहां नाम आने की बात और है दोनो बात करेंगे तो मुश्किल होगी।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप दफ्तर में दिखवा लीजिए। यदि नोटिस नहीं है तो हम जोर नहीं देंगे। अगर नोटिस है और कहीं कोई कमी है तो बताए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप मुझे समय दीजिए। जिनके नाम लिस्ट में हैं उन्हे चांस देने के बाद इनको बुला लूंगा। आप इतनी जल्दी करके प्रेशराइज क्यों कर रहे है? आपको कम से कम देखना चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: नोटिस दिया है और दफ्तर की कमी है तो दिखवा लीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर दिया है तो इधर होना चाहिए।

श्री विजय गोयल : देर से दिया होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव: वह समय से पहले दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके दो मैटर्स हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठने की कृपा करें। यदि एक-एक आदमी कहे कि मेरा नाम क्यों नहीं आया है और मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा जो जीरो आवर ऐसे ही चला जाएगा। मैं लिस्ट के हिसाब से नाम बुला रहा हूं। जब आपका नाम आएगा तो मैं आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: नाम है या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय: नाम है लेकिन लास्ट में है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोविन्दन, मैं बोल रहा हूं, क्या आप देख नहीं रहे?

...(व्यवधान)

डा. वी. सरोजा: माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा चुनाव क्षेत्र सेंघामंगलम् में हाल ही में आई बाढ़ के कारण कोल्ली पहाड़ियों को जिले के शेष भाग से जोड़ने वाला एक पुल बह गया *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: इनके नोटिस से ऐलिगेशन लगाए गए हैं जो पर्लिमेंबल नहीं है। ये सब होने के बाद भी हम एकॉमोडेट करते हैं। यदि इसमें मैम्बर्स का कोआपरेशन नहीं होगा तो मैं कैसे करूंगा?

श्री मुलायम सिंह यादव : आप चाहें तो समय दीजिए। यह बात नहीं है आप इसे प्राथमिकता के आधार पर देखिए। लाखों का घोटाला हुआ है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के छात्रों को वजीफा और सुविधाएं देने का सवाल है। उसमे अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। इसके महत्व को देखते हुए इन्हें समय दिया जाए।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सेंघामंगलम में, करावली में बना हुए एक पुल पूरी तरह बह गया, जो कोल्ली पहाड़ियों को शेष जिले से जोड़ता था। इस कारण कोल्ली पहाड़ियों के जनजातीय लोगों के जीवन में एक विराम आ गया है मागनीतोट्टम, रोमाकोट्टई और बेलुकुरूची में हजारों पशु मर गए और इस क्षेत्र और इसके आस-पास के इलाकों में कई झुग्गियाँ नष्ट हो गई हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रो. प्रेमाजम, क्या हो गया है आपको? आप ऐसा नहीं कर सकते।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक सभा को दो बातें बताना चाहूँगा। शून्य काल के दौरान तत्काल महत्व के मामले उठाने के लिए सचिवालय को दस बजे तक नोटिस दिए जाते है।

काल-क्रम की अनदेखी की जाती हैं कुछ सदस्य नौ बजे नोटिस देते है और कुछ सदस्य पूर्वाह्न 9.15 बजे, और इसी प्रकार नोटिस दिए जाते है। सभी नोटिस 10 बजे तक ही प्राप्त एवं स्वीकृत किए जाते है.*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): इन पर संख्या होनी चाहिए ... *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: आप ऐसी सूची नहीं बता सकते जिसमें सभी नाम एक साथ हों *...(व्यवधान)* कृपया मुझे सभा को बताने दीजिए। इसीलिए मैं विनम्रतापूर्वक सुझाव दे रहा हूँ और सभा को इस पर निर्णय लेना है। इस समस्या के समाधान के लिए कई दूसरे सदस्यों ने भी सुझाव दिए हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि सोमवार के 'शून्य-काल' के दौरान माननीय सदस्यों के एक से 100 तक के सूचनाओं को अनुमति दी जाए, मंगलवार को 101 से 200 सूचनाओं की अनुमति दी जाए, और इसी प्रकार आगे अनुमति दी जाती रहे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री टी. गोविन्दन, ये क्या है?

श्री प्रमोद महाजन: मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि सूची में सभी सूचनाओं को सम्मिलित कर एक सूची बनाई जाएगी। इस सूची में न तो सूचना दी गई संख्या और उठाये गए मुद्दे को प्राथमिकता दी जाती है। यह सूची केवल अध्यक्षपीठ की सहायता के लिए है ताकि वे जान सकें कि 'शून्य काल' के लिए किसने सूचना दी है और अध्यक्षपीठ अपने विवेकानुसार इसका निर्णय लेते हैं यह काल क्रमानुसार नहीं चलता। जिन्होंने कल बोला था वे आज मुद्दे पर बोल सकेंगे। मेरे विचार से 'शून्य काल' के दौरान अधिकाधिक सदस्यों को बोलने को अवसर प्रदान करने के लिए हमें अध्यक्षपीठ से सहयोग करना होगा। यह मेरा विनम्र निवेदन है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश कुरूप, ये क्या है?

श्री प्रमोद महाजन: नियमों के अनुसार भले ही सूचना 8 बजे दी गयी हो या 9.59 बजे दोनों समान होंगे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. ए. एम. प्रेमाजम, आप हमेशा खड़े हो जाते हो, यह क्या है? माननीय सदस्यों, क्या आप अपने स्थानों पर बैठेंगे। कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग कीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे ही आप सूचना देते है उसे संख्या दे दी जाती है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री टी. गोविन्दन, यह क्या है?

श्री सुरेश कुरूप: अध्यक्ष महोदय और संसदीय कार्य मंत्री दो भिन्न बाते कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जैसे ही सूचना दी जाती है उन्हें संख्या दे दी जाती है। पंजीकरण संख्या के अनुसार ही सूची बनाई जाती है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप अपने मैम्बर्स को बता दीजिये कि इस तरह बार-बार इंटरप्ट न करें।

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एम. पीज. ऐसा नहीं करते। यदि उकसा देंगे तो वे जरूर नाराज हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके पीछे जो मैम्बर बैठे हुये हैं, में उनके लिये कह रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस आप केरल विधानसभा के अध्यक्ष थे। क्या आप इसी तरह जो भी नाम मिलें, उन्हे रख लेते थे?

...(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर): आज राज्य विधान सभा में जो कुछ हो रहा है वह अलग है...(व्यवधान) यदि ऐसा नहीं है तो कृपया एक स्पष्टीकरण दीजिए...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप सूचनाओं को उनके प्राप्त होने के समयानुसार सूची में रखें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह स्थान इस पर बहस करने के लिए नहीं है। मैंने डा० वी० सरोजा को बुलाया है।

...(व्यवधान)

डा. वी. सरोजा: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि एक पुल का निर्माण करने तथा अन्य पुनर्वास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएं। अभी जल्दी ही आने वाली बाढ़ ने कोली की पहाड़ियों को जहां आदिवासी लोग रहते है, पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। वहां का जीवन ठप्प हो गया है। क्या सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से पुनर्वास कार्य तत्काल शुरू करने के लिए 50 लाख रुपये देने का विचार करेंगी....(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): उपाध्यक्ष महोदय, बंगलाभाषी बोलने वाले अनेक लोग कलकत्ता और आसनसोवल दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित किए जाने वाले दूरदर्शन कार्यक्रमों को नहीं दे पाते हैं। पुरूलिया जिले के बागमुंडी में एक अत्यन्त निम्न शक्ति का ट्रांसमीटर केन्द्र स्थापित किया गया है लेकिन यह लोगों की इच्छा को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि बागमुंडी मे स्थापित निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटर केन्द्र को उच्च्व शक्ति वाले ट्रांसमीटर केन्द्र में बदला जाए ताकि पुरूलिया जिले के लोग भी बंगाली भाषा के कार्यक्रमों को देख सकें।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त प्रसन्न हूं कि आज यहां वित्त मंत्री जी उपस्थित है। रबड़, नारियल, चाय काफी आदि जैसे अनेक कृषि उत्पादों पर कम आयात शुल्क का हमारे किसानों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है अत: इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। विश्व व्यापार संगठन ने नारियल जैसे कृषि उत्पादों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस पर सरकार आयात शुल्क 300 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। यदि उस समय सरकार इसे 300 प्रतिशत तक नहीं बढ़ायेगी तो बाद में भी इसे नही बढ़ाया जा सकता है क्योंकि 2005 के बाद इसे कम किया जाना है। अत: मैं सुझाव दूंगा कि सरकार को इन वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाना चाहिए।

महोदय, विश्व व्यापार संगठन करार में कमियां है लेकिन भारत सरकार उनका फायदा नहीं उठा पा रही है। जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी तो भारत के किसानों को अत्यन्त हानि ठठानी पड़ेगी। जहां तक रबड़ का संबंध है, पहले इसका मूल्य 70 रुपये था लेकिन अब यह 27 रूपये हो गया है क्योंकि उत्पादन लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस स्थिति में भारत में किसान किस प्रकार जीवित रह सकते हैं?

हमारे पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भडार है और ऐसा कृषि उत्पादों के कारण ही संभव हो सका है। जब तक हम रबड, नारियल, चाय काफी आदि का, जिनका इस समय उत्पादन व्यापक रूप से किया जा रहा है, उत्पादन नहीं करेंगे। हमें इनका दूसरे देशों से आयात करना होगा। लेकिन इस समय इन उत्पादों के आयात की आवश्यकता नहीं है। इन उत्पादों पर आयात शुल्क अत्यन्त कम है इसलिए श्रीलंका से नारियल का लगातार आयात किया जा रहा है।

महोदय, जब हमने सभा में कृषि उत्पादों के गिरते हुए मूल्य पर बहस की तो कृषि मंत्री ने उस बहस का उत्तर दिया। वह उत्पाद शुल्क के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वह केवल इतना कह सकते है कि वे वित्त मंत्री से बात करेंगे और जब हम वाणिज्य मंत्री के पास जाते हैं तो वह भी कहते हैं कि वे केवल वित्त मंत्री से बात कर सकते हैं। अत: मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय में कुछ कहें क्योंकि इस समय यदि कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क को बढ़ाया नहीं जाएगा तो हमारे रबड़ नारियल, चाय, काफी, धान, गन्ना आदि का उत्पादन करने वाले किसानों का बहुत अधिक हानि होगी। अत: मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर अपना जवाब दें।...(व्यवधान)

श्री अनिल वसु (आराबाग): उपाध्यक्ष: महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है लेकिन दुर्भाग्य से वित्त मंत्री इसका कोई उत्तर नहीं दे रहे है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब, वह उत्तर देना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते है कि वे उत्तर दें?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): उपाध्यक्ष महोदय इस सभा में जिन अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाती है उन पर अलग अलग मंत्रालयों द्वारा विचार किया जाता है। जब मेरे सहयोगी श्री नितीश कुमार जी कृषि उत्पादों के गिरते हुए मूल्य पर बहस का उत्तर दे रहे थे उस समय मैं इस सभा में ही उपस्थित था। वह शुल्क पर बातचीत करने के लिए पूर्णत: सक्षम और अधिकृत थे और वास्तव में उन्होंने ऐसा ही किया था। उन्होंने सभा को कृषि उत्पादों के शुल्क के संबंध में जानकारी दी।

अब, जहां तक वित्त मंत्रालय का सवाल है, मैं दो तीन बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। इस वर्ष के बजट में मैंने जानबूझकर सभी उपभोक्ता वस्तुओं तथा कृषि वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा दिया है।

उन पर अधिकतम शुल्क अर्थात् 35 प्रतिशत बढ़ाया गया है उस पर और अधिभार, 4 प्रतिशत एस. ए. डी., तथा जहां भी लागू होता हो क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया गया है बहस का उत्तर देते समय कृषि मंत्री ने विशेष आंकड़े नहीं है।

लेकिन मैं एक ऐसी सामान्य बात कह रहा हूं जिस की कि हमें जानकारी है। इसलिए इस देश में इन वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने के लिए हमने आयात शुल्क की दर बढ़ा दी। इससे पहले ऐसा नहीं था।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। जब कभी आवश्यक हो जाता है या आवश्यक प्रतीत होता है तो उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए, हम शुल्क की दर को विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियत की गई दर तक बढ़ा देते हैं।

मैं पूरे दावे के साथ इस सभा में कहता हूं कि किसी कृषि उत्पाद की कीमत पर आज ऐसी कोई स्थिति नहीं आने दी गई है जो कि शुल्क में वृद्धि या आयातों की अधिकता का परिणाम हो। *...(व्यवधान)* ऐसी स्थिति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: एक और प्रश्न है...*(व्यवधान)* मैं इसके बारे में भूल गया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह उत्तर देने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक श्रीलंका का संबंध है, इस संबंध में भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया है। जहां तक इस समझौते का संबंध है यह दोनों देशों पर समान रूप से बाध्यकारी है दोनों देश एक दूसरे से नियत शुल्क दर का आधा वसूल करेंगे। यह दो तरफ व्यवस्था है। श्रीलंका हमें यह सुविधा देता है हम श्रीलंका को यह छूट देते है। यही स्थिति है।...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की): लेकिन खोपरा के लिए उन्होंने इसे 300 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: किसान मुसीबत झेल रहे है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, शून्य काल के दौरान कोई स्पष्टीकरण न मांगे।

...(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस: वित्त मंत्री ने कहा है कि किसान आयात से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। यह गलत धारणा है। मैं नारियल से संबंधित आंकड़े दे सकता हूं। 300 प्रतिशत अधिकतम है। लेकिन मंत्री जी ने अभी-अभी कहा है कि आयात शुल्क की वृद्धि अधिकतम सीमा तक कर दी गई है ऐसा नहीं है। उन्होंने इसे बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया है। वह इसे 300 तक बढ़ा सकते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप इसे अभी बढ़ाकर 300 प्रतिशत नहीं करते तो कुछ समय बाद विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत आप ऐसा चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे...*(व्यवधान)*

यही प्रावधान है...*(व्यवधान)* जहां तक रबड़ का संबंध है यह एक कृषि उत्पाद है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, वह उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: अन्य सभी वस्तुओं को निम्न स्तर पर रखा जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस: रबड़ एक कृषि उत्पाद है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री थामस जी, यह क्या है? वह अभी उत्तर देंगे।

श्री सुरेश कुरूप: रबड़ को वाणिज्यिक वस्तु माना जाता है। यही समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सब कुछ अर्थात! रबड़ और नारियल को एक साथ मिला देते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वह नारियल और पालमोलिन के आयात के बारे में उत्तर देंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी कृषि मंत्री ने इस सभा को उस दिन सूचित किया था कि जहां तक खाद्य तेल क्षेत्र का संबंध है, हमने सभी शुल्कों को पुनरीक्षित करके बहुत अधिक कर दिया है... *(व्यवधान)*

श्री पी. सी. थामस: लेकिन इसे सबसे अधिक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि इसे बढ़ाकर सर्वाधिक कर दिया गया है....*(व्यवधान)* ऐसा नहीं हुआ है...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: बहुत अधिक मामलों में इसे बढ़ाकर सर्वाधिक कर दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. सी. थामस: आप पालमोलिन के मामले में इसे बढ़ाकर 300 कर सकते है...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: यह आवश्यक नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. सी. थामस: महोदय, यह आवश्यक है...*(व्यवधान)* महोदय, आय इसमें वृद्धि कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: जी नहीं, यह आवश्यक नहीं है। हमने 21 नवम्बर को कहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हम पहले उनकी बात सुने। श्री थामस, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप चाहते हैं कि माननीय मंत्री उत्तर दें और जब वे उत्तर दे रहे हैं, आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, जहाँ तक कर और आयात का प्रश्न है, मैं इस पर किसी भी चर्चा के लिए तैयार हूँ। मेरे पास सभी तथ्य और आंकड़े मौजूद है। मैं उसे सभा के समक्ष रख सकता हूं। वे किसी तथ्य के आधार पर बात नहीं कर रहे है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हम चर्चा के लिए कुछ समय देंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री थामस, यह क्या हो रहा है? मैं खड़ा हूं। सभा में मामला उठाने का यह तरीका नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मुझे बोलने दीजिए। यह 'शून्य काल' है। आपने मामला उठाया है। माननीय मंत्री उसका उत्तर दे रहे थे और आपने उन्हें अपना उत्तर पूरा नहीं करने दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप सभा में मुझे भी बोलने नहीं दे रहे है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मंत्री जी ने कहा है कि वे चर्चा के लिए तैयार हैं। अब, जबकि यह 'शून्य काल' है और इसके बावजूद भी वे उत्तर दे रहे हैं। वे भी यह कह रहे है कि इस मामले पर किसी भी समय चर्चा की जा सकती है। और वे इसके लिए तैयार हैं। हम इसके लिए कुछ समय निकाल सकते हैं और इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करने के बाद शुल्क इत्यादि पर कुछ चर्चा की जा सकती है।

श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिडनी ओलम्पिक में भाग लेने गये खिलाड़ियों को जेब खर्च के रूप में दी गई राशि और उनके पासपोर्ट में दर्ज राशि में तथाकथित असमानताओं के चलते इस मामले पर जांच करने से करोड़ो रुपये के ओलम्पिक घोटाले का पता चल सकता है, और इसके घेरे में आई. ओ. ए. और ए. ए. एफ. आई. के अधिकारी आ सकते है।

सिडनी के लिए 67-सदस्यों का भारतीय दल तीन टुकड़ो में गया था और एक खिलाड़ी के पासपोर्ट में दर्ज राशि के अनुसार उन्हें आ. ओ. ए. की ओर से 5000 अमरीकी डालर की राशि प्राधिकृत की गई थी। परन्तु वास्तव में, खिलाड़ी को केवल 1300 आस्ट्रेलियन डालर और सिटी बैंक की ओर से 500 अमरीकी डालर की एक और राशि की मामूली रकम दी गई थी। इस प्रकार, आई. आ. ए. और ए. ए. एफ. आई. के अधिकारियों ने मिल कर एक खिलाड़ी के 1,77,074 रुपये हथिया लिये। इस प्रकार की अनियमितताएँ अन्य मामले में भी हो सकती है यदि ऐसा है तो, घोटाले की कुल राशि 1,18,63,958 रुपये होगी। यह गंभीर अनियमितता का मामला है जिसके संबंध में तत्काल जांच की आवश्यकता है।

डा. एस. वेणुगोपाल (आदिलाबाद): धन्यवाद महोदय, मै माननीय श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के बीड़ी कर्मकारों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लगभग 40,000 बीड़ी-मजदूरो को जो, पी एफ के तहत पंजीकृत है, को अस्पताल इत्यादि जैसी न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं। उन्हें अपने दावे के समाधान के लिए अपने स्थान से लगभग 280 कि. मी. दूर जाना पड़ता है। माननीय मंत्री ने आदिलाबाद जिले के निरमल के तहत कार्य करने वाले बीड़ी कामगारों के लिए एक भविष्य निधि कार्यालय और 30 बिस्तरों वाले अस्पताल की मंजूरी का भी आश्वासन दिया था, परंतु अभी यह कार्य शुरू नहीं हुआ है।

महोदय, मैं आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के निर्मल के तहत काम करने वाले बीड़ी कामगारों के लिए अस्पताल और भविष्य निधि कार्यालय की तत्काल मंजूरी के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: सुकदेव पासवान जी, आपका मैटर हमने एमपीलैड कमेटी को भेज दिया है।

...(व्यवधान)

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): उपाध्यक्ष महोदय, एमपीलैड स्कीम के तहत सभी एम. पीज. को दो-दो करोड़ रुपये मिलते है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद कुछ ऐसी योजनाएं लो गई हैं जो किसी भी स्कीम से न होकर केवल एमपीलैड स्कीम के तहत होती है। बिहार में विधायकों को इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपये मिलते हैं। दिल्ली में एक करोड़ रुपये मिलते हैं तथा अन्य कई प्रदेशों के विधायकों को भी एक करोड़ रुपया मिलता है हमारे पास छ:-छ: असेम्बली कांस्टीट्एंसी है, तो उस हिसाब से हमें नौ करोड़ रुपये मिलने चाहिए। मेरा कहना है कि इसके लिए हमें कम से कम पांच करोड़ रुपये तो निश्चित रूप से दिये जायें। *...(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): उपाध्यक्ष महोदय, यह पैसा बढ़ाया जाये।*...(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): आप इस पैसे को बढ़ा दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री सुकदेव पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, यहा पर वित्त मंत्री जी बैठे हुए है।*...(व्यवधान)* संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हुए है।*...(व्यवधान)* यह एमपीलैड स्कीम बहुत की महत्वपूर्ण स्कीम है। हम चाहेंगे कि इसमें हमें पाच करोड़ रुपये दिये जायें।*...(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कहिये।*...(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह: रेल विभाग भी हम लोगों से पैसा मांगता है *...(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: हमें कहना है कि सारे इश्यूज पर हमसे ही पैसा लेना है।*...(व्यवधान)* हम भी इसके समर्थन में है।*...(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह: हम ये पैसा कहां से लायेंगे?*...(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: हमारा आपसे यही निवेदन है कि एमपीलैड का पैसा बढ़ाया जाये।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पासवान जी, आपने जो निवेदन किया है, उसकी एक कापी हमने कमेटी को भेज दी है। कमेटी उस को एग्जामिन करेगी। उसके बाद हम बतायेंगे।

...(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में तो कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन्स पहले ही दे दी है।*...(व्यवधान)* इसे कमेटी में भेजने से क्या होगा? कमेटी ने तो अपनी रिकमेंडेशन्स पहले ही दे दी है। अब यह डिसीजन आप लोगों को लेतना है।*...(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आपको भी पैसा लेना है तो आप भी खड़े होकर बोलिये।*...(व्यवधान)*

श्री सुकदेव पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दो करोड़ रुपये में से जो रुपया बाकी है, उसके बारे में हमने पटेल भवन से पता कराया है कि वह रुपया जिले में जा ही नहीं रहा है। वे कहते हैं कि वित्त मंत्रालय की ओर से रुपया गया ही नहीं है।*...(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पिछले बजट सत्र में अपने जवाब में कहा था कि इसकी बैठक बुलाई जाये और उन्होंने एमपीलैड स्कीम का पैसा बढ़ाने की बात भी स्वीकार की थी। हमारा कहना है कि यह सभी लोगों की मांग है और उपयोगी भी है। हम सब लोगों की समस्या को जानते हैं इसलिए अनुशंसा कर देते हैं। एम. एल. ए. का तो पैसा बढ़ाया गया है लेकिन एम. पीज. के लिए दो करोड़ रुपया ही रखा है। माननीय वित्त मंत्री जी बतायें कि उस पर क्या हुआ और बजट का क्या प्रोविजन है? इसे आप दो करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ायें, इसका हम समर्थन करते है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं मंत्री महोदय को हर बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कमेटी के रिकमंडेशन के बाद हमारे मुख्यमंत्री ने निवेदन किया है कि उसे अमल में लाया जाये। *...(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह: वे हमसे पैसा मांग रहे हैं।*...(व्यवधान)* हम वह पैसा दो करोड़ रुपये में से कहां से देंगे?*...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में अनुसूचित में जाति-अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड क्लास के गरीब छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, उसमें अरबों रुपये का घोटाला हैं। सबसे दुखद बात तो यह है कि भारत सरकार या विश्व की कोई संस्था जो राज्य सरकार की इमदाद करती है, मदद करती है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। राज्य सरकार इस पैसे का दुरुपयोग करती है। उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड बैंक स्पोंसर्ड प्रोग्राम इम्प्लीमैंट हो रहा है या नहीं, इसके लिए पूर्व मुख्य सचिव

श्री वी. के. सक्सेना की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने यह निष्कर्ष निकाला कि अकेले उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपये का घपला छात्रवृत्ति में हुआ है।

अपराह्न 1.00 बजे

शिक्षण संस्थाएं व्यवसायी हो गई है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्रों को जो वजीफा मिलता है कुछ शिक्षण संस्थाएं तो उसी को हड़प करने के लिए चल रही है। यह इतना गंभीर मामला है कि जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सूरज भान जी थे तो उन्होंने भी इस सवाल पर चिन्ता व्यक्त की थी और उसी की वजह से उनको हटाया गया। ...*(व्यवधान)* खुराना जी हंस क्यों रहे हैं। इस पाप में आप भी शामिल हैं...*(व्यवधान)* राज्यपाल को इसलिए हटाया गया क्योंकि वे दलितों के मामले में दिलचस्पी ले रहे थे। पूरे देश में छात्रवृत्ति के मामले में भयंकर घपला है। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति के 800 करोड़ रुपये बंटते है जिसमें से 200 करोड़ रुपये का घपला है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर वक्तव्य दे और राज्य सरकार को निर्देशित किया जए कि इसमें दोषी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही हो। मेरा आरोप नहीं है, यह तो श्री वी. के. सक्सैना की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में जो कमेटी बनी है, उसका निष्कर्ष है। मैं जरूर चाहूंगा कि इस गंभीर सवाल पर ध्यान दिया जाए।

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अहम मसले को जीरो आवर में उठाना चाहता हूं और आपसे अदब से कहना चाहता हूं कि जीरो आवर की यह रैपुटेशन है कि जब तक हंगामा न किया जाए तब तक इजाजत नहीं मिलती...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अपपने हंगामा करके इजाजत ली है?

श्री राशिद अल्वी: नहीं, लेकिन मैं तीन दिन से नोटिस दे रहा हूं, तब मुझे इजाजत मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सीनियर मैम्बर हैं, आपको ऐसे ऐसपर्शन्स नहीं करने चाहिए।

श्री राशिद अल्वी: अलीगढ़ यूनीवर्सिटी का मामला बहुत गंभीर मामला है। 3 सितम्बर को एक सूमो और एक मारुति कार में सिविल कपड़ों में लोग वहां पहुचे। एक लड़के को गिरफ्तार किया।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले हम इस सवाल को उठा चुके हैं।

श्री राशिद अल्वी: मुझे भी उठाने दीजिए। ऐसा तो नहीं होगा कि सब कुछ समाजवादी पार्टी को उठाने का हक है। आप हंगामा करेंगे और हमें बोलने नहीं देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप को मुझे संबोधित करना है, उन्हें नहीं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: हम कब मना कर रहे हैं। आप बिगड़ क्यों रहे हैं।

श्री राशिद अल्वी: आप इंटरफियर क्यों कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* लड़कों को पकड़ा गया और वाइस चांसलर ने यूनियन होम मिनिस्टर श्री आडवाणी को कौन्टैक्ट किया, अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर ने यू. पी. होम मिनिस्टर को कौन्टैक्ट किया। इन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि किसने पकड़ा है, क्या पकड़ा है? अगले दिन सुबह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वी. सी. को इन्फौर्म किया कि आगरा पुलिस पकड़ कर ले गई है। यह नहीं पता लगा कि क्यों पकड़ कर ले गई है, कैसे पकड़ कर ले गई है। 6 सितम्बर को राजन शर्मा नाम का एक आदमी, जो अपने आपने आपको इंटैलीजैंस ब्यूरो का आदमी बताता था, जबरदस्ती यूनीवर्सिटी में घुसा। लड़कों ने उसे पकड़ा। इसने अपनी आइडैंटिट नहीं बताई कि वह आई. बी. का आदमी है, कौन सा आदमी है, कहां से आया है। जब डी.एम., एस. एस.पी., सबको बुलाया गया कि एक आदमी यहां आ गया है, इसे गिरफ्तार किया जाए तो एस.एस.पी., डी.एम. की मौजूदगी में उसने प्रेस कौन्फ्रैंस में कहा कि इस लड़के का आई.एस.आई. से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज भी वह लड़का आई.एस.आई. का एजैंट बता कर अंदर बंद किया गया है। उसके ऊपर आधा किलो आर. डी. एक्स. रखने का आरोप लगाया गया है। यू.पी. गवर्नमैंट ने कहा है कि अलीगढ़ यूनीवर्सिटी...*(व्यवधान)* खुराना साहब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको मुझे संबोधित करना है, श्री मदन लाल खुरान को नहीं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अल्वी: यू.पी. गवर्नमैंट की स्टेटमैंट है कि अलीगढ़ यूनीवर्सिटी आई. एस. आई. का ट्रेनिंग सैन्टर बन गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या करें?

[हिन्दी]

श्री राशिद अल्वी: यू.पी. गवर्नमैंट अलीगढ़ यूनीवर्सिटी को बंद करना चाहती थी। सारे लड़कों से कहा गया कि वे घर चले जाएं लेकिन वी.सी ने उन्हें रोक लिया। बी.जे.पी. सरकार की अलीगढ़ यूनीवर्सिटी को तबाह, बर्बाद करने की एक साजिश है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्रीय सरकार से इस मामले में किस कार्य की उम्मीद करते हैं?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): वहां आर. डी. एक्स. पकड़ा गया है ओर ये उसे डिफैंड कर रहे है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप समस्या उत्पन्न कर रहे हैं मैने आप से पूछा था कि आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं आपने जवाब नहीं दिया और आपको उनकी प्रतिक्रिया मिल रही है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अल्वी : पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। वह इस बात को क्लैरीफाई करें कि अलीगढ़ यूनीवर्सिटी की क्या पोजीशन है और आई.बी. के आफिसर, जिसका नाम राजन शर्मा है, की क्या हैसियत है?...*(व्यवधान)* मेरी बात पूरी होने दीजिए।...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। नॉदर्न इंडिया में माइनौरिटीज का एक इन्सटीट्यूशन है, उसको यह सरकार तबाह करने पर लगी है। इस मामले पर सरकार की तरफ से सफाई आनी चाहिए और सरकार को यह गारण्टी देनी चाहिए कि आइन्दा इस तरह की कोई हरकत अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के अन्दर नहीं होगी।...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के महिला जागरण अभियान के अन्तर्गत महिलाओं में बहुत जागृति आई है, खासकर गुजरात की महिलाएं व्यवसाय में आगे निकलना चाहती हैं। वे अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए बैंकों की ओर से सरलता से लोन मिले, इसके लिए अनेक प्रयत्न करती हैं, लेकिन थोड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन महिलाओं के विकास में बैंकों को जो रोल अदा करना चाहिए, वह होता नहीं है, परिणामस्वरूप जो महिलाएं अपने व्यवसाय का विकास करना चाहती है या कोई छोटी-मोटी इंडस्ट्री की स्थापना करना चाहती हैं, नहीं कर पाती हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है ऐसी जो दलित, आदिवासी और जनरल कैटगरी की महिलाए हैं, उन्हें आर्थिक सहयोग देने की व्यवस्था की जाये।...(व्यवधान)

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से 29 नवम्बर को दिल्ली विधान सभा में दिल्ली नगर निगम को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया, बिना किसी कारण बताये जो अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक व नियमों के विरुद्ध हैं यह निगम नोमिनेटिड संस्था नहीं है, निर्वाचित संस्था है। जिस प्रकार से लोक सभा और विधान सभा के चुनाव होते हैं, उसी प्रकार दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए हैं, लेकिन बिना कोई कारण बताये उसको विधान सभा में भंग कर दिया गया है। शायद देश के इतिहास में यह पहली घटना होगी कि एक नगर निगम को भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ हो, जहां सारा विपक्ष बहिर्गमन कर गया। प्रस्ताव को राजनैतिक द्वेषभाव से लाया गया, मैं उसकी निन्दा करता हूं। हमारे पास सारे निर्वाचित प्रतिनिधि आये थे। देश की यह सबसे बड़ी संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्था है, इसलिए इस मामले में इसे पहल करनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव पास किया गया है, उस प्रस्ताव को निरस्त किया जाये। वह सरकार जो दिल्ली की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह विफल रही है और जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप खुद उसके विधायक लगा रहे हैं, उसको प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो मामला यहां उठा रहे हैं, यह नियमों, संविधान के विरुद्ध है। दिल्ली विधान सभा में पारित किसी प्रस्ताव की यहां चर्चा नहीं हो सकती। मेरा अनुरोध है कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी नियम के विरुद्ध होगा, वह सारा मैं एक्सपंज करूंगा।

श्री लाल बिहारी तिवारी: अभी उत्तर प्रदेश में नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव हुए हैं। एक तरफ हम छोटी संस्थाओं को अधिकार देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजनैतिक भावना से उन्हें दिल्ली सरकार भंग करने का प्रस्ताव पास कर रही है। इसलिए मै आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस प्रकार की भ्रष्ट दिल्ली की सरकार को क्यों न भंग कर दिया जाये। दिल्ली सरकार को भंग किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, मैंने आज अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर सूचना दी है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी नियम, संविधान, मानदण्ड या ऐसी किसी बात कि विरुद्ध होगा, उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, मैंने पहले ही आपको इस संबंध में बता दिया है।

...(व्यवधान)

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड): महोदय, मैं सरकार का ध्यान परंपरागत मछुआरों की मिट्टी के तेल की आवश्यकताओं के कारण आने वाली समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। केरल राज्य के तटीय जल में अब लगभग 15,000 ओ. बी. एम. उपकरण से सज्जित परंपरागत मछली पकड़ने की नौकाएं प्रयोग में लायी जा रही है। नौका पर लगे उपकरण मिट्टी के तेल से संचालित है। इसके लिए मिट्टी के तेल की आवश्यकता 14,000 किलो लिटर प्रतिमाह है, परंतु हकीकत में केवल 4,743 किलो लिटर तेल ही मिल पाता है। मात्स्यिकी की वास्तविक आवश्यकताओं के विपरीत 9257 किलो लिटर की कमी है।

वर्तमान में मिलने वाला मिट्टी का तेल महीने के केवल 10 दिनों के लिए ही पर्याप्त है। बाकी के दिनों में यह तो उन्हें घर पर खाली बैठे रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है यह काला बाजार से 12-14 रुपये लिटर की

दर से मिट्टी का तेल खरीदना पड़ता है। इससे यह स्थिति पैदा हो गई है कि परंपरागत मछुआरे की आय का स्तर काफी नीचे गिर गया है, जिससे अंततः केरल के तटीय क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। मछुआरों को पैसा उधार लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और वे साहूकारों के शोषण का शिकार होते है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोविन्दन आप 'शून्य काल' में भाषण पढ़ नहीं सकते।

श्री टी. गोविन्दन: इन परिस्थितियों में, मैं माननीय पैट्रोलियम मंत्री से निवेदन करूंगा मछली उद्योग में कार्यरत परंपरागत मछुआरों, जो मछली पकड़ने की यांत्रिक नौकाएं इस्तेमाल करते है, के लिए शीघ्र ही मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाएं।

अपराह्न 1.09 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.17 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.17 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम अब मद संख्या 12 पर विचार करेंगे विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1908 संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरूण जेटली: मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.19 बजे

केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक - *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। अब श्री एम. ए. खारबेल स्वाइं बोलेंगे।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदया, मेरा नाम 'स्वाइं' है 'स्वाइन' नहीं। 'रवाइन' का अर्थ सुअर होता है।

सभापति महोदय: मैने 'रवाइन' नहीं कहा है, मैंने 'स्वाई' ही कहा है।

श्री खारबेल स्वाइं: उड़ीसा भाषा में इसका उच्चारण होता है 'स्वाइं' महोदया, मैं कल बोल रहा था और एक मिनट बोलने के बाद, चूंकि शाम के 4 बज रहे थे, मुझे बैठना पड़ा। जैसा कि कल मैं केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक, 2000 के पक्ष में बोलते समय कह रहा था, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निर्माण कार्य के लिए पैसे की व्यवस्था करता है। जैसा कि मैं कल कह रहा था, आधारभूत संरचना जो देश के विकास में सहायक होती है मैं मूलतः तीन बातें आती है-बिजली उत्पादन सड़कों को निर्माण और दूरसंचार का विकास आधारभूत संरचना की मूर्च में हम हवाईअड्डे, समुद्र पत्तन और रेल को शामिल कर सकते है।

इस देश की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सड़कों की हालत खस्ता है। सड़कों की मरमत्त का अधिकतर कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है परंतु यह कार्य कोई एक ऐजेन्सी नहीं करती है। कई ऐजेन्सिया है जो सड़क निर्माण कार्य में लगी हैं।

कई बार, यह कार्य लोक निर्माण विभाग देखता है, कई बार यह ग्रामीण विकास की देख-रेख में किया जाता है, और कई बार, सिचाई विभाग तक राज्य के सड़क निर्माण के कार्य की देख-रेख करता है। परंतु अब केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना चाहता है जिसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है।

यही कारण है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाया। पिछले वर्ष, केन्द्रीय सरकार करीब 6,000 करोड़ रुपये जमा कर पाई थी।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 1.12.2000 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

महोदया, इस विधेयक पर बोलते हुए, मंत्री महोदय ने पहले ही कहा था कि कैसे इस निधि का उपयोग, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव, राज्य की सड़कें जिनमें अंतर-राज्यीय सड़कें और अन्य आर्थिक महत्व वाले मार्ग शामिल है के विकास और रखरखाव के लिए किया जाएगा। माननीय सदस्य, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने विपक्ष में होते हुए भी, इस विधेयक का समर्थन करते हुए इसी बात को दोहराया था। इसलिए, मैं इन मुद्दों को पुन: नहीं दोहराऊंगा। मैं केवल इसी बात का समर्थन करूंगा कि सड़कों का निर्माण होना चाहिए क्योंकि यह देश की जीवनरेखाएं है, और इसके निर्माण के लिए, हमे पैसों की व्यवस्था करनी है।

महोदय, नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में कहा गया है,

"नौवी योजना में केन्द्रीय परिव्यय 8,862.02 करोड़ रुपये था, जिसमें से, 75 प्रतिशत धन का उपयोग किया जा चुका है।"

जहाँ तक राज्यों के कार्य-निष्पादन का सवाल है, नौवीं योजना में इसकी स्थिति खराब है। राज्य की सड़कों पर 30,551 करोड़ रुपये व्यय किए जाने थे, परंतु नवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में केवल 9,513 करोड़ रुपये ही खर्च किए गये। इसके कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कार्य करने में विलम्ब, प्रक्रियात्मक बाधाएं और धनराशि जारी करने में आनाकानी करना है। केन्द्र के मामले, देरी होने के यही दो कारण हैं। यही कारण है कि, सभी क्षेत्रों में, सिवाय चार-लेन राजमार्गों के, उपलब्धि-निर्धारित लक्ष्य से कम हुई है। राज्य के मामले में देखें तो, संसाधन की कमी ही खराब कार्य-निष्पादन का मुख्य कारण है।

मै दूसरे मुद्दे पर आता हू जिसकी परिकल्पना नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में की गई थी। देरी होने का मुख्य कारण यह है कि परियोजनाओं के संबंध में पूरी तैयारी करने से पूर्व ही योजनाएं आरम्भ करने की यहां प्रवृत्ति रही है। महोदया, अधिकाश मामलों में आप यह पाऐंगे कि, भूमि का अधिग्रहण किये बिना परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। यही कारण है कि राज्य सरकारें धन मिलने के बाद भी, भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाई। इस भूमि पर कई लोगो ने अतिक्रमण कर रखा है और इस अतिक्रमण को आसानी से नही हटाया जा सकता क्योंकि इनमें से कई लोग न्यायालय गये और कई मामलों में, वे स्थगन आदेश भी ले आए। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के संबंध में, निर्धारित लक्ष्य से कम उपलब्धि होने का यह एक प्रमुख कारण है।

दूसरा मुद्दा परियोजनाओं के निगरानी से संबंधित है। इसमें अभी काफी कमिया हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। दो वर्ष पहले, जल भूतल परिवहन मंत्रालय से काफी जिद्दोजहद के बाद जलेश्वर से बालेश्वर जाने वाले उड़ीसा के राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग न. 60 के रूप में मंजूरी दी गई, और मुझे बताया गया कि इसके लिए 2.38 करोड़ रुपय मंजूर किए गये थे।

इस कार्य को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पिछले दो सालों से अपने हाथ में लिया है। मैं इस कार्य को पूरा करवाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ रहा हूं। जैसा कि मैने बताया, व्यवस्थित निगरानी न होने के कारण सड़क को उस समय जब इसकी सचमुच आवश्यकता थी नहीं बनाया जा सका।

अब मैं ग्रामीण सड़कों पर बात करूंगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना में 17,712 कि. मी. की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में जोड़ा गया है। यह नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान शामिल विद्यमान 60 प्रतिशत सड़क कार्य का केवल 3 प्रतिशत भाग ही है। इसलिए, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने के विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय और एकता की पूर्णत: कमी है। कोई नहीं जानता कि कौन सी सड़क कब और कहां बनने जा रही है। सड़कों के निर्माण में कदापि ही प्राथमिकताएं तय की जाती है। यदि एक सरकार एक किलोमीटर का निर्माण करवाती है, तो दूसरी सरकार सत्ता में आने के बाद इस कार्य को अधूरा छोड़कर पूर्णत: नवीन सड़क का निर्माण कार्य आरंभ कर देती है। मूलत:, सड़क निर्माण के कार्य में समन्वय का, विशेषकर ग्रामीण सड़कों के संबंध में इसका पूर्णत: अभाव है।

हम राष्ट्रीय राजमार्गों का उदाहरण ही लें तो। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग मूल रूप से गांव और शहरी सड़कों की संगम सड़के हैं। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग पर, न केवल तेज चलने वाली गाड़िया चलती हैं, अपितु बैलगाड़ी, साइकिल और सभी प्रकार के वाहन चलते हैं यदि हम यह चाहते है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर गाड़िया तेजी से चलें जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया है तो, राष्ट्रीय राजमार्गों को शहरी और ग्रामीण सड़कों से अलग करना होगा।

महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था, सड़कें हमारी आधारभूत संरचना का एक भाग है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था मंद हो गई है। माननीय प्रधान मंत्री ने कभी नहीं कहा कि प्रति व्यक्ति आय अगले दस वर्षों में दुगुनी होनी चाहिए। यदि हम चाहते है कि प्रति व्यक्ति आय आने वाले वर्षों में दुगुनी हो तो, हमें विकास दर में प्रतिवर्ष आठ से दस प्रतिशत की वृद्धि बनाए रखनी पड़ेगी।

सभापति महोदय: श्री स्वाइं, आपको अपना भाषण जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। संपूर्ण वाद-विवाद के लिए कार्यमंत्रणा समिति ने केवल एक घंटे का समय दिया है।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदया, इस वाद-विवाद के लिए एक घंटे का नहीं वरन्, दो घंटे का समय दिया गया है।

सभापति महोदय: केवल एक ही घंटा दिया गया है। मेरे समक्ष आंकड़े स्पष्ट हैं।

एक घंटे में से, 22 मिनट पहले ही बीत चुके हैं। इस विषय पर नौ या दस सदस्यों को अभी बोलना है। आप प्रधान मंत्री के वक्तव्य को छोड़ कर सड़क निर्माण के विषय पर आइए और अपना भाषण शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदया, मैं कुछ असंगत नहीं कह रहा हूं, मैं अभी पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: मेरा मुद्दा यह है कि हमारे पास इन सब के लिए समय नहीं है आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री खारवेल स्वाइं: महोदया, कृपया मुझे पांच मिनट का समय दीजिए।

सभापति महोदय: अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री खारवेल स्वांइ: महोदया, हम इस विवाद में अपना समय नष्ट कर रहे हैं।

महोदया, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि इस वर्ष विकास की दर केवल 6 प्रतिशत होगी। इसलिए, अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाने के लिए, सड़क निर्माण कार्य को हाथ में लिया जाना चाहिए। मकानों और सड़कों का निर्माण अर्थव्यवस्था विकास में सहायक होते है। सीमेंट और इसपत उद्योग अब मुश्किल स्थितियों से गुजर रहे हैं।

इसके उत्पादन में कमी आई है सड़क निर्माण संबंधी उदाहरण पर सोचें तो, यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे कितने श्रम दिनों का सृजन होगा। निर्माण कार्य में सीमेंट और स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। जिन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है, इसके वाणिज्यिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। गोल्ड्न क्वाड्रिलेटरल का निर्माण कार्य 2003 तक पूरा होने की आशा है और पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण कार्य 2009 तक पूरा हो जाएगा।

महोदया, मैं कुछ सुझावों के साथ अभी अपनी बात समाप्त करूंगा। विशेषकर उड़ीसा में, आप पाएंगे कि हर दो तीन किलोमीटर के बाद गतिरोधक बना दिए गये हैं। अब इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सटी हुई जमीन पर लोग अतिक्रमण कर लेते है और अनधिकृत रूप से कोई न कोई वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू कर देते है चलने की जगह न रहने के कारण या कभी-कभी किसी व्यक्ति या बच्चे के इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर चले आने के कारण, अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो वे लोग धरने पर बैठ जाते है, और प्रदर्शन करते है, और उसके बाद एक गतिरोधक बना दिया जाता है।

अंतत:, गाड़ियां केवल 20 कि.मी. से 30 कि.मी. प्रतिघंटे की रफ्तार से ही चल पाती है। ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का फायदा ही क्या है, यदि उस पर गाड़िया 20 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से चले? अब एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाला ट्रक एक दिन में 150 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पाता हैं परंतु यदि हम चार लेन वाले राजमार्ग का निर्माण करे और इसके लिए राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करें तो, स्थिति काफी हद तक सुधर सकती है। यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। यदि आप लोगों को प्रेरित करें तो ट्रक एक दिन में 600 कि.मी. से 700 कि.मी. की द्रुत गति से दौड़ सकता है। इससे न केवल वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी साथ ही पैट्रोल की खपत भी कम होगी। इससे देश की प्रति व्यक्ति आय में भी बढोतरी होगी।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी को अपने निर्वाचन क्षेत्र के राजमार्ग के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 से एक सड़क पश्चिम बंगाल की सीमा की ओर जाती है। यह जालेसोर से चांदनेसोर तक जाती है। पश्चिम बंगाल से उड़ीसा के लिए यहां से कई वाहन और चार-पहिया वाहन गुजरते है। इसकी स्थिति खराब है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के रूप में घोषित किया जाए।

इन शब्दों के साथ ही ये अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय: अब, श्री वरकला राधाकृष्णन। इस विधेयक पर बोलने के लिए आपके दल को पाँच मिनट का समय दिया गया है इसलिए कृपया अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदया, कृपया बीच में न टोकें, मैं तो अभी बोला ही नहीं हूँ।

सभापति महोदय: मैं आपके दल के समय के बारे में बोल रही थी।

श्री वरकला राधाकृष्णन: माननीय सभापति महोदया, मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दो पहलूओं पर बोलूँगा।

पहले में निरनुमोदन के संबध में दिए गए तर्क पर आता हूँ। एक अध्यादेश जारी किया गया था, मगर उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मात्र एक संसदीय संकल्प को सांविधिक हैसियत प्रदान करना था। 1988 के आरंभ में संसदीय संकल्प पारित किया गया था। 12 साल पहले संसदीय सकल्प के आधार पर एक सड़क निधि बनाई गई थी। वह निरन्तर चल रही थी।

किंतु 1988 से प्रशासकों को सामान्य विधेयक प्रस्तुत करने और उसे सभा में पारित करवाने का भी समय नहीं मिला। ऐसा नहीं किया गया। उन्होनें संविधान के आपातकाल उपबंधो का सहारा लिया किंतु यह उपबंध इस उद्देश्य के लिए नहीं बनाए गए। यह एक सामान्य चीज है। यह अप्रत्याशित घटना नहीं है। महोदया, सड़क विकास और ऐसी विकास गतिविधियों के लिए निधियां उपलब्ध कराना सामान्य बातें है; इसलिए इसके लिए अध्यादेश जारी करने का क्या औचित्य है।

हमें पता है कि हमारे यहां राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सड़कें है। हम सभी जानते हैं कि इनमें सुधार की आवश्यकता है। विधान की उपेक्षा करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्या है? बारह साल पहले लिए गए निर्णय पर एक अध्यादेश जारी किया गया है। प्रशासको ने संसदीय संकल्प के मामले में एक अधिनियम के लिए उपबंध नहीं बनाया। हमारे संसदीय इतिहास में यह एक काला धब्बा है कि सभा द्वारा पारित संकल्प को अध्यादेश के द्वारा सांविधिक प्रभाग दिया गया है। संसदीय इतिहास में पहले कभी यह सुना नहीं गया।

हम अनेक बार आपस में मिलें हैं, हमने कई बार मिलकर राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम् भी गाया है मगर प्रशासकों को हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार का समय नहीं मिला। इसका कारण था समय का अभाव। ये कोई नई बात नहीं है। प्रशासक, संविधान के आपात कालीन संबंधी उपबंध का

आश्रय क्यों लें? संसद की बैठक कई बार हुई है उस समय आपात स्थिति नहीं थी। यदि उस समय कोई राष्ट्रीय आपदा होती तो मैं समझ सकता था। आपात स्थिति से निपटने के लिए तो अध्यादेश की आवश्यकता हो सकती है। एक संसदीय संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए संविधान से इत्तर उपाय क्यों अपनाया जाना चाहिए?

हमारे संसदीय इतिहास के लिए यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम 1988 में पारित किए गए संसदीय संकल्प को एक अध्यादेश के द्वारा प्रभावी कर रहे हैं। ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है। यहां तक कि सभा में भी इसका उपहास किया है इसे एक रबर की मोहर बना दिया गया है। सभी जानते हैं कि यहां राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कें है। हम प्रतिदिन यात्रा करते हैं और यह जानते हैं कि इनके सुधार वे लिए धन की आवश्यकता है। वे सामान्य विधेयक प्रस्तुत क्यों नहीं करते? कोई भी इस पर आपत्ति नहीं करेगा किंतु ऐसा करने के बजाए कार्यपालिका विधायिका का प्रयोग अपने ढंग से कर रही है क्योंकि कार्यपालिका की लापरवाही और ढिलाई के कारण ही ऐसा हुआ है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप संकल्प पर बोल चुके हैं अब आप विधेयक पर आ जाइए। आपको जल्दी करनी होगी। संकल्प पर हम आपके मुद्दे सुन चुके हैं। अब कृपया विधेयक पर आइए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं, बड़े ही कड़े शब्दों में और पूरे जोर शोर से इसी प्रक्रिया विशेष निरनुमोदन की वकालत करता हूँ। इन शब्दों के साथ ही, मैं अपना पहला भाग समाप्त करता हूँ।

अब, इस विधेयक पर चर्चा एक गंभीर मुद्दा है। हमारी सड़कों की हालत कैसी है? प्रतिदिन, जब भी हम समाचार पत्र खोलते हैं तो हमें मोटरगाड़ियों की दुखद दुर्घटनाओं के मामले ही मिलते है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही नहीं बल्कि राज्य व जिलों की सड़कों पर भी कई बेकसूर लोग मारे जाते हैं। हमारी लापरवाही के कारण प्रति दिन मोटर दुर्घटनाओं में हजारों लोग मारे जाते हैं। सड़कों का रख-रखाव सही ढंग से नहीं किया गया है। सड़कें सुनियोजित नहीं हैं।

हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को ही लीजिए। यहां योजना हीन सड़कों के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं। भारत के मुख्य शहरों का यही हाल है। प्रतिदिन यहां करुणाजनक दुर्घटनाएं होती है-स्कूटर दुर्घटना, साईकिल दुर्घटना, कार, दुर्घटना, ट्रक दुर्घटना, लारी दुर्घटना और रेल-लारी टक्कर। आज यही हो रहा है। क्या हम सुबह, अपने समाचार-पत्र शांतिपूर्वक पढ़ सकते है? मैं यह प्रश्न माननीय सभापति महोदया से पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से वे भी समाचार-पत्र पढ़ती है। जब हम समाचार-पत्र खोलते है तो पता चलता है कि प्रतिदिन सैंकड़ों लोग मारे जाते है।

हम, इन सड़कों के रख-रखाव संबंधी प्रावधानों के लिए चर्चा कर रहे है। मगर यह होगा कैसे? इसके लिए कुछ कर शुरू किए जा रहे हैं। यही सरकार, पेट्रोल मूल्य में कमी करने के लिए राज्य सरकारों को बिक्री कर हटाने की सलाह दे रही है। उन्हें केवल यही रास्ता मिला है राज्य

सरकार को बिक्री कर हटाने की सलाह देना बहुत आसान है जबकि वह उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को और बढ़ा रहे हैं। वे राज्यों को बिक्री कर में कमी करने का सुझाव दे रहे हैं। कर का नियतन या इसका आबंटन उचित नहीं है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। इन सड़कों के रख-रखाव के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। इन सड़कों पर ध्यान देने वाला कोई नही हैं। पंचायत राज व्यवस्था के आरम्भ होने के बाद ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण पंचायतों या ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रह गई हैं। जिला सड़कों की देखभाल के लिए हमारे पास जिला पंचायतें हैं और ब्लॉक पंचायतें भी अपने अधीन सड़कों की देख-रेख करती है अब, यहां तीन-स्तरीय प्रणाली है मगर उनके पास पैसा नहीं है। नई सड़कों को बनाने या इन सड़कों की देख-रेख के लिए उन्हें नए संसाधन तलाशनें होंगें। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि इस त्रि-स्तरीय प्रणाली को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए कुछ प्रावधान किए जाएं। यह त्रि-स्तरीय प्रणाली जनता के प्रति उत्तरदायी है। ग्रामीण सड़कों में सुधार के लिए उन्हें निधियाँ जुटानी होंगी। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ग्रामीण सड़कें बहुत आवश्यक हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए मैं मानीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि उन्हें निधियां उपलब्ध कराने के लिए कुछ उपाय किए जाएं अन्यथा हमारे लोकतंत्र का विकेन्द्रीकरण अर्थहीन हो जाएगा और लोगों को स्थिति से निपटने में काफी समस्याएं आएंगी।

इस संविधि मे आबंटन का दिया गया सुझाव सही नहीं है। इसमें संशोधन करना होगा। ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत इन तीन पंचायतों को और अधिक निधियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

गोल्डन क्वाडिलेटरल एक्सप्रेस राजमार्ग के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि दक्षिणी राज्यों के साथ एक अन्याय या भेदभाव किया गया है। इससे केरल की प्रभावित नहीं है बल्कि तमिलनाडु और कनार्ट का एक भाग भी एससे प्रभावित है। तत्कालीन मंत्री ने यह किया था। उससे पहले ए. आई. ए. डी. एम. के. मंत्री इसके प्रभारी थे। उन्होंने सही सोचा कि इसे कन्याकुमारी तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इसे कन्याकुमारी त्रिवेन्द्रम और कोजीकोड को छुए बिना मुम्बई की और मोड़ दिया। ये सभी स्थान छूट गए।

सभापति महोदय: 'तटीय' क्षेत्र की छूट गए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: ये सभी क्षेत्र छोड़ दिए गए। इसका मतलब क्या है? जब हमने कहा कि स्वर्ण चतुर्भुज, गोल्डन क्वाडिलेफ्ट तो क्या इसका अर्थ यह है कि दक्षिण भारत इसका भाग नहीं है? क्या केरल इसका भाग नहीं है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी: क्या चेन्नई दक्षिण भारत में नहीं है?

सभापति महोदय: वे कह रहे है कि केरल दक्षिण भारत में नही है। वे यही कह रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कन्याकुमारी को छोड़ दिया गया, त्रिवेन्द्रम छोड़ दिया गया और कोचीन को भी छोड़ दिया गया है। वहां, मंगलौर है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। गोवा भी छोड़ दिया गया है। इन क्षेत्रों को जोड़े बिना स्वर्ण चतुर्भुज गोल्डन क्वाडिलेटरल का अर्थ क्या है? हम कह रहे है कि हम एक हैं और हम भारत के सभी महत्वपूर्ण स्थानों की जोड़ रहे हैं लेकिन आप इन सभी स्थानो को छोड़कर छलांग लगाकर सीधे मुंबई पहुँच रहे हैं।

मेरे ख्याल से हमारे वर्तमान मंत्री एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं। उनका इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ निहित नहीं है वे देखेंगे कि न्याय हो। तमिलनाडु के मंत्री जी का इसमे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होगा इसलिए उन्होनें इसे छोड़ दिया।

सभापति महोदय: नहीं, नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इन सभी पहलूओं पर विचार किए बिना ही तमिलनाडु के मंत्री ने इन्हे छोड़ दिया। मेरे ख्याल से वर्तमान मंत्री के ऐसे निहित स्वार्थ कभी नहीं होंगें। वे देखेगें कि सड़क, सही अर्थ में ही चतुर्भुज हो और यह दक्षिण के सभी महत्वपूर्ण स्थानो को जोड़े।

मैं आशा करता हूँ कि वे इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और दक्षिण भारत की जनता के साथ न्याय करेंगे। इन शब्दो के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): इस विधेयक का उद्देश्य केन्द्रीय सड़क अध्यादेश 2000 का प्रतिस्थापन है। मई 1988 में दोनों सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया था। मन्त्री महोदय इस विधेयक को 12 वर्ष बाद ला रहे हैं। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि 12 वर्ष बीतने के बाद भी मन्त्री महोदय इस विधेयक को लाए हैं। लगभग सभी सदस्यों ने यह कहा है कि राजमार्ग राष्ट्र के जीवन हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह कह रहा है कि हमें सकल घरेलू उत्पाद मे वृद्धि करनी चाहिए। क्या उपयुक्त बुनियादी सुविधाओं के बगैर यह सम्भव हो सकता है मुझे सरकार से यही पूछना है। हम इसे क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि गत 5 वर्षों से सकल घरेलू उत्पाद में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कभी यह एक प्रतिशत ज्यादा और कभी एक प्रतिशत कम हो जाता है। यह घटता-बढ़ता रहता है। हम सकल घरेलू उत्पाद में दूसरे देशों की तरह वृद्धि क्यों नहीं कर पाते है। विकासशील देश भी बुनियादी सुविधाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध करा रहे हैं। जहां तक बुनियादी सुविधाओं का प्रश्न है मेरे विचार से इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सड़क संबंधी बुनियादी सुविधाएं हैं। एयरलाइन्स, समुद्री बंदरगाह तथा संचार सभी महत्वपूर्ण हैं। इस सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है। हम प्रत्येक सत्र में, इस संकल्प को लागू करने की मांग करते रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक आने वाली सरकारों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए है।

सरकार पेट्रोल और डीजल से उपकर वसूल रही है। डीजल से आने वाला 50 प्रतिशत उपकर राज्य की सड़कों के लिए दिया जाता है। महोदय, 2,500 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। मुझे समाचारपत्रों के माध्यम से यह जानकारी हुई है कि ग्रामीण विकास मन्त्रालय ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार के अधीन एक निगम की स्थापना के पक्ष में है। यह विचार पूर्णत: गलत है। अब, हम विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। राज्य अधिक शक्तियों की मांग कर रहे हैं। केन्द्र सरकार दिशानिर्देश तैयार कर सकती है। अनेक कार्यक्रमों यथा जवाहर रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार ने दिशानिर्देश बनाकर उनको लागू करने का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। हम दिल्ली में बैठकर इन सब बातों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। केन्द्र सरकार दिशा-निर्देश बना सकती है तथा उन दिशा-निर्देशो के आधार पर राज्य सरकारों को किसी स्कीम को लागू करना चाहिए। केन्द्र सरकार इस स्कीम को सभी सदस्यों में परिचालित कर सकती है।

ग्यारहवें वित्त आयोग का यह विचार है कि राज्यों को धन देने में पहले ही विलम्ब हो गया है ग्यारहें वित्त आयोग का प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत किया जा सका है। यह आवश्यक है कि धन का संवितरण शीघ्रता से किया जाए। सरकार को 1.9.98 से धन मिलना शुरू हो गया। सरकार के पास निश्चय ही बहुत अधिक धन एकत्रित हो गया है। लेकिन धन के संवितरण की कोई योजना नहीं है। ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने एक पैसा भी नहीं दिया है। माननीय मन्त्री जी ने इस मन्त्रालय का कार्यभार अभी अभी ही संभाला है। उन्होंने इस कार्य के लिए राज्यों को 370 करोड़ आवंटित किया है। यह पहली किस्त है। धन को एकत्रित किया जाता है तथा भारत की समेकित निधि में रखा जाता है।

हमें इस देश में सड़कों की स्थिति का पता है। इस देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 15.7.737 कि. मी. है तथा इन सड़कों के लिए 1,35,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यों के राजमार्गों प्रमुख जिलों की सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों की कुल लम्बाई 33,00,000 कि.मी. है। केवल ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 26,50,000 कि.मी. है। यदि हम सभी सड़कों तथा संचार में सुधार कर लेते है तो राज्य तथा देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा जिससे देश में गरीबी कम होगी।

पहले ही बहुत अधिक देर हो गई है। सरकार ने 1998 से ही पेट्रोल और डीजल पर उपकर वसूलना शुरू कर दिया है। लेकिन सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ग्रामीण सड़कों, राज्यों की सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर रहा है। ग्यारहवे वित्त आयोग ने भी यह देखा है कि भारत सरकार संबंधित अभिकरणों को अनुदान देने में विलम्ब कर रही है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को बिना देर किए किया जाए।

महोदय, मैं संयुक्त मोर्चा सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री था जिसने 'गोल्डेन ट्रायंगल एक्सप्रेस हाइवे' परियोजना शुरू की थी। मैं प्रधान मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं कि वे इस परियोजना के लिए उत्सुक है। यह अपने तरह की पहली परियोजना है जिसे हमने अपने देश में शुरू किया

है। सरकार को इस परियोजना को कार्यान्वित करते समय ही आवश्यक उपाय करने चाहिए। अनेक सड़कें बड़े शहरों और कस्बों से होकर गुजरती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें हर स्थान पर बाई पास बनाने चाहिए। हमारे देश में हर स्थान पर बाई-पास सड़क बनाने की आवश्यकता है। अतः भारत सरकार को चाहिए कि इस परियोजना को कार्यान्वित करते समय देखे कि हर स्थान पर बाई पास सड़क बनाई जाए। इससे शहरों के विकास में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदया, श्री वर्कला राधाकृष्णन जी की तरह केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक, 2000 का मैं भी विरोध करता हूं। जैसा कि हम सबको विदित है, दिनांक 1-11-2000 को केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय की ओर से जारी हुआ और दिनांक 20-11-2000 से लोक सभा का सत्र होने वाला था।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदया, आपकी अनुमति से मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह ज्ञात था कि सभा 20 नवम्बर को समवेत होने जा रही थी तो वे कौन सी असाधारण परिस्थितियां थी जिनकी वजह से सरकार 1 नवम्बर को अध्यादेश जारी करने को बाध्य हुई?

सभापति महोदय: हम मंत्री जी से कहेंगे कि वे अन्त में उसका उत्तर दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने आपको बोले की अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाएं। आप सभा में इस तरह व्यवधान नहीं डाल सकते।

...(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: मैंने जब कल सभा में स्पष्टीकरण दिया, उस समय आप सभा में उपस्थित नहीं थे। *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: सरकार ने इस सभा का मजाक उड़ाया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप इस प्रकार से बोलेंगे तो यही सभा का मजाक उड़ाने की शुरूआत हो जाएगी। माननीय सदस्य जी बोल रहे हैं। आप उनके बोलते समय इस प्रकार व्यवधान नहीं डाल सकते हैं। आप अपने सहयोगी के बोलते समय बीच में व्यवधान कैसे डाल सकते है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदया, मैं श्री राधाकृष्णन जी की वेदना को समझता हूं। लिहाजा मैं उन्हीं की बात को कह रहा हूं कि 20 नवम्बर से सदन समवेत होने वाला है, यह बात सबको विदित था फिर भी राष्ट्रपत महोदय की ओर 1 नवम्बर, 2000 को इस अध्यादेश को जारी कराया गया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा के प्रतिकूल है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई आपात्कालीन स्थिति पैदा हो गई थी जिसके लिए सरकार को बहुत जल्दी थी और उसे राष्ट्रपति महोदय की ओर से जारी करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार की घटनाएं संसदीय जनतंत्र की सेहत के लिए बिलकुल ठीक नहीं है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं हैं। इसलिए वरकला राधाकृष्णन जी की भावनाओं के साथ मैं अपने आपको जोड़ता हूं।

सभापति महोदया, 57,737 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है खंडूड़ी साहब का इरादा है कि 10 वर्षों के लिए 1,35,000 करोड़ रुपए का इन्तजाम किया जाएगा।

जून 1998 से 1999 तक पेट्रोल और डीजल दोनों से अब तक शायद 6000 करोड़ रुपये की व्यवस्था हुई है निश्चित रूप से यह एक बड़ा काम है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में सड़कों की हालत खराब है यही वजह है कि 60 हजार लोग प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में मरते हैं। अगर हमारे देश की सड़कें ठीक होगी तो प्रतिवर्ष 5000 करोड़ रुपया ईंधन का बच सकता है। सड़कों की हालत वाकई बहुत खराब है। लेकिन आज सड़कों के रखरखाव के लिए, उनकी मरम्मत के लिए तथा और सड़कें बनाने के लिए आप देश का ईंधन महंगा कर रहे हैं। देश के ईंधन को महंगा करने से न तो कृषि पनपेगी और न ही उद्योग पनपेगा। मेरा कहना है कि यह स्थायी कर न होकर उपकर है। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

आप पैसे का जो प्रावधान कर रहे हैं उसमें एक रुपये प्रति लीटर आप पेट्रोल से लेंगे और एक रुपये प्रति लीटर डीजल से लेंगे तथा डीजल का 50 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों पर खर्च करेंगे। इसमें मुझे एतराज है। मेरा कहना है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मैं यह नहीं कहता कि आप राष्ट्रीय राजमार्गों को ठीक मत करीये लेकिन हिन्दुस्तान के आधे से ज्यादा गांव अभी तक इस तरह के हैं जहां बरसात के दिनों में गांव से आदमी को अकेले निकलना मुश्किल हो जाता है। एक हजार आबादी के गांव जो जोड़ने के लिए आपने जो एकमुश्त रुपये का प्रावधान किया है, वह 2500 करोड़ रुपये है।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पैसा पेट्रोल और डीजल से मिलेगा जिसमे हम सिर्फ डीजल का 50 प्रतिशत अंश ग्रामीण सड़कों पर खर्च कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। अभी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रामजीलाल सुमन]

दिल्ली का सवाल इस संसद में उठा था। उसका मूल कारण है कि बाहर गांव से लोग पलायन करके दिल्ली में आ गये हैं। वे लोग यहां रहने के लिए आये थे इसलिए उन्होंने यहां छोटा मोटा धंधा कर लिया। खण्डूरी साहब, अगर गांव में साधन उपलब्ध होंगे गांव की सड़कें ठीक होंगी, गांव में दूसरी सुविधाएं होंगी तो गावं से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है वह पलायन रुक जायेगा। यह तभी होगा जब आप वहीं वे सब सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे। वहां की सड़कें बेहतर बनायेंगे, वहां का उत्पादन बाजार में आये और वह बाजार में तभी आयेगा जब गांव की सड़कें बेहतर होंगी। इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद के बाद विधान सभा क्षेत्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैत्रिक गांव है, उससे है। वह आगरा जनपद का सबसे पिछड़ा इलाका है। तमाम गांव ऐसे हैं जहां आठ-दस किलोमीटर दूर तक न कोई सम्पर्क मार्ग है न कोई और सुविधाएं है। वहां लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है।

अपराह्न 2.59 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मुझे यही निवेदन करना है कि यह विधेयक कुल मिलाकर ठीक है लेकिन इस विधेयक में दौलत को खर्च करने की जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उन प्राथमिकताओं को बदलना होगा। रेल मंत्रालय से जब हम सम्पर्क करते है कि अमुक पुल है और वहां जनता का अधिभार है इसलिए यह पुल बनवा दीजिए, तो चाहे ममता बनर्जी जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों, वे एक ही बात कहते है कि 50 फीसदी रुपया भारत सरकार देती है और 50 फीसदी रुपया राज्य सरकार का पी. डब्ल्यू. डी. विभाग देता है। राज्य सरकार का हाल यह है कि राज्यों के पास अपने कर्मचारियों को तन्ख्वाह देने तक के लिए पैसा नहीं है। इसके अलावा तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे फाटक हैं, उदाहरण के तौर पर आगरा से 20 किलोमीटर दूर आगरा बाम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग, जो ग्वालियर तक है, मैं सैयांपुल पर इतनी भारी संख्या मे लोगों का आवागमन होता है लेकिन बराबर सम्पर्क करने के बावजूद राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिलता और यह ओवरब्रिज नहीं बन सका है।

अपराह्न 3.00 बजे

खंडूरी जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, राज्य सरकारें तो पहले से रोड टैक्स देती हैं, सड़कों की मरम्मत के लिए लेती हैं। हर राज्य सरकार वाहनों से रोड टैक्स लेती है लेकिन मुझे लगता है कि वह पैसा किसी और मद में खर्च कर दिया जाता होगा। राज्य सरकारों को सड़कों की मरम्मत के लिए, सड़कें बनवाने के लिए जिस दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, वह उसका निर्वाह नहीं करती। विधेयक कुल मिला कर अच्छा है लेकिन प्राथमिकताएं गांव होनी चाहिए। आप पैट्रोल, डीजल पर उपकर लगा कर दौलत वसूल कर रहे है लेकिन अगर आपने गांवों की सड़कों को ठीक कराने का काम नहीं किया तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग को खूबसूरत बनाने से इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। मुझे यही निवेदन करना था।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं क्योंकि यह अभीष्ट विधेयक है। 1988 में एक संकल्प पारित किया गया था। उसके बाद एक अध्यादेश आया। यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इरादे नेक हो तो संविधान के सारे उपाय भी किसी इरादे को कार्यरूप परिणत करने में समान रूप से उपयोगी होंगे। यहां इरादे नेक हैं इसलिए इस सभा में यह चाहे अध्यादेश के माध्यम से यह किया जाए या विधान के माध्यम से। यह दोनों तरह से अच्छा होगा तथा संविधान के अनुसार वैध होगा। इसलिए इस विधेयक का विरोध सिर्फ इसलिए करने का कोई प्रश्न नहीं है कि इस विधेयक को लाने से पहले कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया गया है।

मैं इस विधेयक पर कुछ अन्य सुझाव देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको ध्यान में रखेंगे। इस मंत्रालय का कार्यभार माननीय मेजर जनरल द्वारा देखा जा रहा है। इसलिए मै छोटे सुझाव देना चाहता हूं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): मंत्री महोदय भी जनरल है इसलिए आप कोई जनरल सुझाव न देकर विशेष प्रकार का सुझाव दें।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: ठीक है मन्त्री महोदय जनरल हैं इसलिए मेरे सुझाव विशेष प्रकार के होंगे।

मेरा पहला सुझाव खंड 3 के विषय में है। एक अधिसूचना द्वारा अनुसूची में यह सम्मिलित किया गया है कि केन्द्रीय सड़क निधि में यह धनराशि एक नियत दर पर रखी गई है। यहां मेरा सुझाव यह है कि यह मूल्य वृद्धि के अनुसार होना चाहिए ताकि निधि को अधिक सुलभ बनाया जा सके तथा सड़क के विकास के लिए अधिक निधि उपलब्ध हो सके चाहे यह राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो या ग्रामीण सड़कों की।

मेरा दूसरा सुझाव खण्ड 4 से संबंधित है। खण्ड 4 में यह कहा गया है कि एकत्रित किए गए धन को पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। पर अच्छा प्रस्ताव नहीं है। मेरी शंका है कि इसका प्रयोग कहीं अन्य किया जा सकता है। इसका प्रयोग राजस्व घाटे या वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, भले ही यह अस्थायी रूप से हो।

इसलिए मेरा सुझाव यह है कि यह भारत के समेकित निधि में जाने तथा तब सड़क कोष में आने के बजाय सीधे केन्द्रीय सड़क कोष में जमा किया जाए। मेरा विचार है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जहां तक इस कोष में संगृहीत संसाधनों के संवितरण का संबंध है उसमें सावधानी बरती जाए। पिछले 53 वर्षों के दौरान यह देखा गया है कि बेकार का कार्य हो रहा है केन्द्र से संसाधन पिछड़े और जरूरतमंद राज्यों की अपेक्षा विकसित राज्यों को अधिक दिए जा रहे है। इसलिए जहां तक केन्द्रीय सड़क कोष अंतरण का संबंध है उसके बारे में मेरा यह तुच्छ सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैं केवल निश्चित मुद्दे उठा रहा हूँ और सुझाव दे रहा हूं। मै उन्हें विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। कृपया मुझे दो-तीन मिनट और बोलने की अनुमति दें।

इसलिए, मुझे सहयोग दें। धनराशि उन राज्यों को दी जाए जहाँ रेल की असुविधाएं कम हैं तथा ऐसे राज्यों को अधिक राशि दी जाए जहाँ प्रति हजार वर्ग कि. मी. रेल मार्ग की लंबाई को ध्यान रखते हुए रेल सुविधा कम है। रेल के बजाय सड़क का विकास किया जाए।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि आज सड़कों की दशा केवल धनराशि की अनुपलब्धता के कारण नहीं बल्कि इंजीनियरी विभाग में व्याप्त प्रष्टाचार तथा इंजीनियरों, ठेकेदारों, राजनेताओं एक नौकरशाहों के बीच साठगांठ के कारण खराब है। इस साठगांठ की वजह से ही सड़कों की दशा खराब है। व्यय की निगरानी करते हुए केन्द्र सरकार इस पहलू पर भी ध्यान दें।

आप विश्व विरासत केन्द्र, कोणार्क मन्दिर के बारे में जानते है जो, संसार के सात आश्चर्यों में से एक है। लेकिन यह अच्छी सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। मैने इस संबंध में मंत्रालय से लिखित अनुरोध किया है। फुलनखारी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 5 को जोड़नेवाली सड़क पुरी जाने के लिए कोणार्क से गुजरती है, इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 से संपर्क होता है। अत: इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाए। ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार से भी प्राप्त हुआ है। यह लगभग, 100 कि. मी. लम्बी है। यह केवल मेरा ही नहीं बल्कि राज्य सरकार का भी अनुरोध है। यह सड़क देश के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण, प्राचीन स्मारक क्षेत्र से गुजरेगी। ऐसे क्षेत्रों में और अधिक पर्यटक आएंगे। मैं समझता हूँ कि मंत्रालय इस पर अवश्य ध्यान देगा तथा इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क घोषित करेगा।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और विधेयक समर्थन करता हूँ।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस विभाग का कार्यग्रहण करने के बाद मेजर जनरल द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

मैं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधत्व करता हूं जहां न तो रेल है न उपयुक्त सड़क और न ही वायुपट्टी। मैं मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों की बात कर रहा हूँ। अधिकांशत: ये राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं और ये सभी राष्ट्रीय राजमार्ग असम से गुजरते हैं। असम इन सभी राज्यों के लिए प्रवेश द्वार (गेटवे) है तथा इसे इन क्षेत्रों के सभी सड़क परिवहन के अधिकांश भार को वहन करना पड़ता है सिलचर बदरपुर-अगरतला (एनएच-53) को जोड़नेवाली सड़क 390 किलोमीटर लम्बी है - यहाँ रेल सुविधा हाल ही में शुरू हुई है- तथा बदरपुर-शिलौंग (एन एच 44) 200 किलोमीटर लम्बी है। सिलचर से आइजवाल तक एन एच-54, 180 किलोमीटर तक जाती है तथा सिलचर इम्फाल तक

एन एच-53 , 335 किलोमीटर तक जाती है। हल्फलौंग होते हुए सिलचर से गुवाहाटी के बीच की दूरी लगभग 475 किलोमीटर है- जिसे माननीय प्रधान मंत्री ने सौराष्ट्र से सिलचर तक जानेवाली महासड़क का नाम दिया है। यह एक ऐसी सड़क है जिसका विकास किया जाएगा। गुवाहटी से मार्गरीता को जानेवाला रास्ता 370 किलोमीटर लम्बा है।

कोहिमा होते हुए दीमापुर से मोरेह को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 को चार लेन वाले यातायात सड़क के रूप में बदलने की आवश्यकता है क्योंकि यह सड़क भारत से म्यांमार तक जाती है।

वोखा और मोकोक्युंग होते हुए कोहिमा से अमगूरी तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 61 को अधिक धनराशि की आवश्यकता है तथा इसे चार लेनवाले यातायात सड़क के रूप में बदलने की आवश्कता है।

तुएंगसैंग, तोबु, मॉन, वाकचिंग और नगिनिमोरा से होते हुए तुएंगसैंग जिले में किफायर से गुजरने वाली सीमा सड़क को चार लेनवाले यातयात सड़क के रूप में बदलने की आवश्यकता है क्योंकि यह भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एकमात्र सड़क है इस सड़क पर वाहनों का आवागमन अत्यधिक होता है। यह रक्षा प्रयोजनों तथा क्षेत्र के, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए विपुल प्राकृतिक संसाधन हैं, आर्थिक विकास को भी पूरा करेगा। इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाए जो सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक अंग होगा तथा जो उस राष्ट्रीय सुपर राजमार्ग से जुड़ेगा जिसे सिलचर से शुरू हाने वाली सड़क तथा पूर्वोत्तर राज्यो के दूसरे राजमार्गों को मिलाकर बनाने का प्रस्ताव है

इन सभी सड़कों की आवश्यकता है। केवल उतना ही नहीं है। पिछले पाँच छह वर्षों से केन्द्र सरकार से पूर्वोत्तर कांग्रेस मंच तथा गैर-कांग्रेस मंच से और हमारे बार-बार अनुरोध के बावजूद बहुत कम धनराशि दी गई है। नागालैंड अपने राज्य में चार लेन वाले यातायात सड़क की मांग कर रहा है। खंडूरी महोदय, केवल पाँच किलोमीटर रेल लाइन का विकास किया गया है। हाल ही में दीमापुर को वायुमार्ग से जोड़ा गया है। आप इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं। आप सेना में थे। महासड़क योजना की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी इसकी घोषणा की गई थी। हम आपके रवैये से परिचित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गुवाहटी-सिलचर-हफलांग सड़क जैसी कुछ सड़कें सीमा सड़क संगठन से ले ली है। उन्होंने इस सड़क का नौ-माह पहले अधिग्रहण किया परंतु कोई सुधार नहीं हुआ है।

एक सुन्दर सड़क बहुत की खराब सड़क के रूप में तब्दील हो गई है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है। हाल ही में, मैंने इसके बारे में समाचार-पत्र में भी देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही नाखुश हैं। वे चाहते कि इस परियोजना को शुरू किया जाए। यदि इसे शुरू किया जाएगा तो इसमे समय लगेगा। इस बीच इन सड़कों को विकास किया जाए।

मंत्री महोदय आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि सिल्चर-शिलांग सड़क क्षेत्र में सोनापुर के निकट भूस्खलन हुआ था। इसे एक महीने के लिए बंद कर दिया गया था। तीन चार दिनों तक यह लगातार बंद रहा। सीमा सड़क संगठन सड़कों के अच्छे रख-रखाव के लिए प्रसिद्ध है। वे

[श्री संतोष मोहन देव]

कुछ नहीं कर सके। मैं भी रक्षा राज्यमंत्री था। यह उस समय भी हुआ था। हम विशेषज्ञों को रुड़की से ले गए थे। उन्होंने कुछ उपाय सुझाए क्योंकि कुछ पहाड़ियाँ नीचे के पानी से तर-बतर हो जाती है यह एक संवेदनशील मामला है। आप नागालैंड के लोगों से शांति बनाए रखने के लिए कहते है। लेकिन नागालैंड के नौजवानों ने ये सभी प्रश्न उठाए है। वे पूछते है कि भारत सरकार उनके लिए क्या कर रही है। दीमापुर से मणिपुर तक चार लेनवाले सड़क की माँग असामान्य माँग नहीं है। आप करोड़ो रुपए वायुपट्टी के निर्माण, रेल संचार नेटवर्क बिछाने के लिए खर्च कर रहे हैं। इसलिए यह भी किया जाना चाहिए। यह मेरी विनम्र अपील है। मैं उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता जिन्हें दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है।

मैं सभा का ध्यान दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह ग्रामीण सड़क कोष से संबंधित है जिसे खर्च किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना की घोषणा की है। उसकी घोषणा की गई। मैं सोचता हूँ कि ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए धन देने के पीछे मूल विचार प्रधानमंत्री के विचार के इस पहलू का कार्यान्वयन करना है। यह बहुत की अच्छी बातें है। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपने किया क्या है? आपने अपने भाषण तथा उद्देश्यों और कारणों के कथन में आपने बताया है कि राज्य सरकार को राज्य राजमार्ग एवं ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए धनराशि दे दी गई है। किसी ने ये प्रश्न ठीक ही पूछा है। ग्राम पंचायतों की इसमें भूमिका क्या है? स्थानीय निकायों की उसमें भूमिका क्या है? नगर निगम की इसमें भूमिका क्या है? संसद सदस्य की इसमें भूमिका क्या है?

श्रीमती माग्रेट आल्वा ने मुझे बताया कि कर्नाटक में एक तालुका के लिए एक करोड़ रुपए दिए गए है तथा चयन का कार्य पूरा हो गया है। इसमें संसद सदस्य विधानसभा सदस्य प्रखण्ड पंचायत एवं अन्य लोग इसमें शामिल थे। परंतु राज्य सरकार की इच्छा के बिना वे इसे नहीं कर सकते हैं। आपको स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करना चाहिए। खंडूरी महोदय, कुछ दिन पहले, जब आप चौथे बेंच पर बैठते थे आप भी हमारी तरह जोर चिल्लाते थे। आपको यह समझना चाहिए। आजकल संसद सदस्य के बारे में निर्णय केवल सभा में भाषण देने से ही नहीं होता है। हमसे दवाइयाँ मांगी जाती हैं। हमें सड़क की मरम्मत के लिए कहा जाता है। हमसे विद्यालय आदि जाने के लिए कहा जाता है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए हमें धनराशि दी गई है। मैं नहीं जानता कि यह धनराशि बढ़ाई जा सकती है अथवा नहीं। यह बहुत कठिन है। परंतु हमारे पास गुंजाइश है। इस बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित एमपीएलएडीएस समिति में विचार-विमर्श किया जा रहा है। हम विचार कर रहे हैं कि क्या उस राशि का एक भाग हमें विकास के कार्यों के लिए दिया जा सकता है अथवा नहीं। हम कुछ नहीं चाहते है।

महोदय, हम केवल अपने क्षेत्र में उन सड़कों की पहचान करना चाहते हैं जिन्हें विकास के लिए अपनाया जा सके क्योंकि दिसपुर में बैठे अफसर यह तय नहीं कर पाते हैं कि हमारे क्षेत्र की आवश्यकताएं क्या हैं। इसलिए सरकार हमें ऐसा करने की अनुमति दे। साथ ही विधेयक के वर्तमान स्वरूप मे परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में निर्वाचित स्थानीय निकायों और अन्य जन प्रतिनिधियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक में सरकारी संशोधन लाएं ताकि निर्वाचित स्थानीय निकायों विधानसभा सदस्यों एक संसद सदस्यों को इसमे शामिल किया जा सके। ऐसा करना बहुत ही उपयोगी होगा।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिलचर बाइपास हमें देकर कृपा की। मैं उनसे मिला और उन्हें बताया कि प्रत्येक महीने प्राय: दो तीन दुर्घटनाएं होती है। टाउन सड़क मिजोरम, मणिपुर एवं दूसरे क्षेत्रों को जाती है। सेना के कई वाहन उस सड़क से गुजरते हैं तथा प्रत्येक महीने सेना और नागरिको के बीच संकट उत्पन्न हो जाता हे। दुर्घटनाएं कभी भी जानबूझकर नहीं घटती हैं वे सड़क पर भारी यातायात के कारण होती हैं। अनेक बार मुझे जाकर उन्के बीच मध्यस्थता करनी पड़ी। कभी-कभी सैन्य कर्मी भी बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, और ऐसा उपयुक्त भी है क्योंकि मिजोरम, मणिपुर आदि जाने के लिए उनके पास कोई दूसरी सड़क नहीं है। वे भी अच्छी बाइपास सड़क की माँग करते रहे हैं। तब मैने रक्षा मंत्री को लिखा रक्षामंत्री ने प्रधानमंत्री जी को, तब प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन सड़क परिवहन मंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी को लिखा उसके बाद यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने ऐसा किया है इस सड़क की अनुमति दे दी गई है। लेकिन हाल ही में, संसद में एक प्रश्न के जवाब में यह कहा गया कि इस सड़क का निर्माण पूरा होने में चार वर्ष लगेंगे। यह एक बहुत लंबी अवधि है। भूमि अर्जन प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा अब यह लगभग पूरी हो गई है इसलिए उस सड़क को यथाशीघ्र पूरा किया जाए।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों का ध्यान रखें क्योंकि हमारी संचार व्यवस्था मुख्यत: सड़कों पर आश्रित है। यदि गुवाहाटी–मागरिता सड़क और सिल्चर-शिलौंग सड़क बंद हो जाएगी तो हमे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

सिल्चर-अगरतला मार्ग को जल्दी पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिदिन परियोजना की लागत में वृद्धि होती जा रही है। हमे संचार की आवश्यकता आनन्द के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व को बनाए रखने के लिए है अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक अच्छा कानून है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को अपने प्रारंभिक दिनों में ही करें जबकि एक मन्त्री के रूप में वे नौसिखिया हैं। अन्यथा हर प्रकार का दबाव पड़ेगा। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर सकारात्मक निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे लम्बे भाषण देने के बजाए केवल कुछ सुझाव मन्त्री जी को दें क्योंकि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सड़क निधि को सांविधिक दर्जा देना है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) बिहार: मैं अपनी बात थोड़े समय मे समाप्त कर दूंगा। अध्यक्ष जी, केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक, 2000 के समर्थन में हम बोल रहे हैं। इस बिल में राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने, उनकी

देखभाल करने, ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा रेल और राजमार्ग से जुड़े पुल वगैरह के बनाने के लिए जो पैसा होगा, पैट्रोल और डीजल से जो पैसा आएगा, हम इसके प्रतिशत पर बात करेंगे तथा जो उसमें हमें देना है और जो उपयोग करना है। मैं दो-चार बिन्दुओं पर सलाह देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, जैसा पैरा 7 के भाग 2 में ग्रामीण सड़कों का विकास लिखा है, लेकिन यह बहुत वेग लगता है। ग्रामीण सड़कों का विकास कैसे होगा? हम जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार अगर राज्य सरकार को पैसा देगी तो उसमें पंचायत, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद इत्यादि की भागीदारी क्या होगी उन सड़कों के यचन की प्रक्रिया क्या होगी? वैसे केन्द्र सरकार से बहुत से पैसे राज्य सरकार को दिये जाते हैं जो प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर दिये जाते हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना वगैरह के पैसे भी केन्द्र सरकार देती है।

महोदय, संसद में कई बार चर्चा चल चुकी है कि उन पैसों का किस ढंग से खर्च, उपयोग या दुरूपयोग राज्य सरकारों के माध्यम से होता है। ऐसी स्थिति में जो पैसा ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए जाएगा, मंत्री जी को अपने भाषण में यह बात स्पष्ट करनी चाहिए। अगर यह पैसा राज्य सरकारों को देंगे तो राज्य सरकार में सांसदों की भूमिका क्या होगा?वैसे हम यह सलाह देंगे कि अगर उस पैसे का खर्च करना है तो आप ठीक से उसके लिए प्रबंध करिए, क्योंकि सब जगह गड़बड़ी होती है जो सांसद लैड का पैसा होता है, उसी में जोड़ दीजिए, सांसद अनुशंसा करके रोड बनवाते रहेंगे। इधर-उधर किसलिए पैसा देते हैं।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जैसे इन्होंने पैरा नम्बर दस में लिखा है-"राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटित निधि के अंश का प्रशासन और प्रबंध।" ये इसके जिम्मेदार अपने को कहते हैं, आप ये कैसी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। क्या आपकी एजेंसी राज्यों में है? आप जो राज्यों में पैसा देते हैं, वे उसे खर्च कराते हैं? आपकी कहीं भी एजेंसी नहीं है। जिस समय नीतिश कुमार जी इस विभाग के मंत्री थे, वे बिहार में समीक्षा के लिए गए थे। उस समय उन्हें लगा कि रोड में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उन्होंने अखबार में एक बयान दिया था कि अगर राज्य सरकार ने सही ढंग से काम नहीं कराया तो हम दूसरी एजेंसी से काम करवाएंगे। उस समय कोई व्यक्ति पटना उच्च न्यायालय में चला गया था तो उच्च न्यायालय ने मंत्री के बयान को सही पाया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर केन्द्र सरकार चाहे तो दूसरी एजेंसी से काम करवा सकती है। आपके यहां तो राज्य सरकार की एजेंसी है। इंजीनियर राज्य सरकार का होता है, आप पैसा राज्य सरकार को दे देते है। आप जरा राज्यों में जाकर वहां की सड़कों की स्थिति को देखें कि आपके पैसे की वहां क्या स्थिति है। वहां इस पैसे का कितना सही उपयोग और कितना दुरुपयोग होता है। हम खास कर एनएच रोड्स के संबंध में कहेंगे। केन्द्र सरकार को अपनी एजेंसी राज्य के पैमाने पर रखनी चाहिए, जिस एजेंसी के माध्यम से इस पैसे को खर्च कराया जा सके, क्योंकि आप उसकी कुछ निगरानी नहीं रख पाते हैं। आप मोनिटरिंग करने जाते हैं, वहां जो आफिसर गड़बड़ी करता है उसी को बुला कर आप बात कर लेते हैं। कागज पर जो लिखा होता है उसे पढ़ लेते हैं और उसी में देख कर अच्छे बुरे का पता लगा लेते हैं। आप जब तक ऊपर से नीचे तक वेरीफिकेशन करने के लिए, निगरानी के लिए अपनी एजेंसी नहीं रखेंगे, आपकी एजेंसी देख-भाल नहीं करेगी तो आप मोनिटरिंग करते रह जाएंगे और सारे पैसे का दुरुपयोग होता जाएगा।

महोदय, हम इन्हें एक और सलाह देना चाहेंगे कि ये जो चयन करते हैं, जैसे इनके यहां लिंक रोड़ का भी चयन होता है, मैं जानना चाहता हूं कि लिंक रोड के चयन की प्रक्रिया क्या है? हम समझते हैं कि जो एक राजमार्ग से दूसरे राजमार्ग को बीच का रास्ता जोड़ता है, उसे लिंक रोड बोलते होंगे। लिंक रोड के चयन में बड़ी गड़बड़ी होती है। राज्य सरकार से अनुशंसा लेकर उसका चयन करते हैं, सांसद की अनुशंसा लेकर चयन करते है या इनके मंत्री मंत्र से जान लेते है और सारी रोडों का चयन करते हैं - इसकी क्या प्रक्रिया है? इन्हें एक प्रक्रिया का निर्धारण करना चाहिए-चाहे राज्य सरकारों की अनुशंसा पर करें या सांसदों की अनुशंसा लेकर करें। जब तक ठीक से कोई प्रक्रिया नहीं बनाएंगे तब तक सही ढंग से काम नहीं होगा और बेईमानी की आशंका बनी रहेगी। आप इंजीनियर्स भी ठीक रखिए। हमें लगता है कि आपके विभाग में नक्शे दखिने वाले भी ठीक व्यक्ति नहीं है। जस समय राजनाथ सिंह जी मंत्री थे उस समय हमने तीन सड़कों की अनुशंसा की थी और तीनों सड़कों के लिए हमने लिखा था-मांझी ने बड़ोली, वाया महाराजगंज, छपरा से महमदपुर, वाया जलालपुर-बनियापुर और छपरा से महमदपुर, धाया मसरक। आपके यहां से एक सड़क का नोटिफिकेशन हुआ है और नोटिफिकेशन में यह हुआ है कि एक सड़क का आधा और दूसरे सड़क का आधा हिस्सा जोड़ कर एक सड़क बनाने की बात की गई है- ऐसा भी कहीं होता है। आप यातो हमारे कागज को मान लेते, अन्यथा नक्शा देखने वाला कोई अच्छा आदमी रखते। आप जो नक्शे के बारे में जानकारी नहीं रखता, उस आदमी को नक्शा देखने के लिए एयरकंडीशन्ड कमरे में बैठा रहे हैं, इसलिए गड़बड़ी होती है। मैनें आपको और राजनाथ सिंह जी को भी पत्र लिखा था। आपके यहां अभी तक फाइल नहीं भेजी गई, आप विभाग से फाइल मंगाइए और जो गड़बड़ी हुई है- दो रोड को एक रोड में जोड़ने का प्रयास हुआ है, उसे ठीक करवाइए। छपरा से महमदपुर, वाया जलालपुर-बनियापुर को जल्दी संशोधित करके हमें पत्र भिजवाइए, अन्यथा हम समझेंगे कि आपके विभाग में कोई सुनता नहीं है।... *(व्यवधान)* आप उसे ठीक करवा दीजिए।

महोदय, अंत में एक सुझाव और दूंगा। जैसे बहुत सी सड़कों को काफी पहले से एनएच में लिया गया है और उन सड़कों की रिपेयरिंग वगैरह के लिए पैसा दिया जाता रहा है, श्री नीतिश कुमार जी के समय में भी इन सड़कों को लिया गया था, लेकिन उस समय रिपेयरिंग के लिए आपके यहां से एक पैसा भी नहीं गया। हम यह जानना चाहते हैं उन सड़को को राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया या एनएच में ले लिया गया?

आपके यहां से पैसा नहीं जा रहा है तो उन सड़कों का क्या होगा? नेशनल हाइवे बनाकर आपने उनकी स्थिति को और खराब कर दिया है। इसलिए जिन सड़कों को आपने नेशनल हाइवे में ले लिया है तो यह अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका रखरखाव, सुरक्षा और व्यवस्था करें। आप इस पैसे को खर्च करने के लिए अपनी खुद की एजेंसी बनाइये ताकि इस पैसे का सही ढंग से उपयोग हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक 2000 जो सदन में आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उन बातों का भी समर्थन करता हूं जो आर्डिनेंस के द्वारा एक नवम्बर को अध्यादेश पारित किया गया है। सम्भवत: जिस सरकार का सदन में या

[श्री राजो सिंह]

विधानमंडल में बहुमत होता है वही अध्यादेश पास करती है और उसका भरोसा होता है कि उस अध्यादेश को जब वे बिल के रूप में लेकर जाएंगे तो सदन स्वीकृति प्रदान करेगा। आज सदन इस अध्यादेश को जो विधेयक के रूप में प्रस्तुत हुआ है मंजूरी देने की स्थिति में है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारा नम्बर अपनी पार्टी में तीसरा या चौथा दे दिया जाता है। लगता है कि हम लोग जनता से चुनकर नहीं आये है बल्कि आपकी जो जगह है वह इसका निर्णय करने की जगह है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जैसे सदस्य जो आगे पीछे नहीं करते हैं वैसे लोगों को भी स्थान मिलना चाहिए। आज आपने कई दिनों के बाद मुझे मौका दिया है।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत छोटा है और जो इसके प्रभारी मंत्री है वह आर्मी के बड़े अफसर रहे हैं और आर्मी में अगर एक मिनट का विलम्ब हो जाता है तो बड़ी से बड़ी घटना हो सकती है। उन बातों को सामने रखते हुए तथा जैसा माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा है, उसके अनुसार निर्णय करेंगे तो राष्ट्र का बड़ा कल्याण होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद है। केन्द्रीय सड़क निधि का प्रबंधन जिसकी धारा 9 में आपने राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़क और राज्य सड़कों को शामिल किया है। इन सड़कों पर भी आपकी निगाह होनी चाहिए।

आप गांव से आते हैं और पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आपको जानकारी है कि कितनी कठिनाई में लोग वहां रहते हैं। बिहार के मामले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अनुपात के हिसाब से जो बिहार का हिस्सा बनता है वह हिस्सा बिहार को मिलना चाहिए और जिन हाईवेज की आपने बिहार में स्वीकृति प्रदान की है आप उनकी व्यवस्था भी करें।

प्रभुनाथ सिंह जी ने ठीक बात कही कि सरकार उसकी देखभाल स्वयं करे। प्राय: देखा जाता है कि स्वीकृति मिल जाती है, एस्टिमेट बन जाता है लेकिन काम में काफी समय लग जाने के बाद उसका एस्टिमेट बढ़ जाता है।

सुबह हमारे मित्र ने एक प्रश्न उठाया थ कि एम. पी. लैड का रुपया बढ़ाना चाहिए। आप पैसा देते है, पैसा राज्यों में जाता है लेकिन संसद सदस्यों उन पैसों पर कोई देखरेख नहीं रख सकता। हम से सलाह नहीं ली जाती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूँ कि यदि यह सभा सहमत हो तो इस विधेयक पर बहस पूरा होने के बाद हम गैर सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य शुरू कर सकते हैं क्योंकि केवल दो या तीन माननीय सदस्य ही बोलने के लिए शेष है।

श्री रमेश चेन्निथला (मरेलीकारा): यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इसे स्थायी समिति के पास नहीं भेजा गया है। सभा को इस पर अधिक समय देना चाहिए। इसे सोमवार को भी लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: वास्तव में केवल एक घंटे का समय दिया गया था हमने अधिक समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है इसे सोमवार को लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा सहमत हो तो हम इस विधेयक को चार बजे तक पूरा कर सकते हैं तथा चार बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू कर सकते हैं।

श्री राजो सिंह, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: मैं कह रहा था कि एक नेशनल हाईवे आपने स्वीकृत की थी। वह जार्ज साहब का क्षेत्र है और नीतिश जी का डिस्ट्रिक्ट है। वहां से या तो आप सुरक्षित नहीं लौटेंगे या आपकी गाड़ी सुरक्षित लौट नहीं सकती। बिहार शरीफ से मोकामा जाजा है तो नेशनल हाईवे मुकामा से फरक्का वाली लेनी पड़ती है। ये मेरे निर्वाचन क्षेत्र को टच करती है लेकिन यह पूरा क्षेत्र रक्षा मंत्री का और जिला नीतिश जी का है। उसकी स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन वहां आज तक काम नहीं हुआ। राज्य सरकार ने कहा कि यह नेशनल हाईवे है इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। बरबीघा नेशनल हाईवे स्वीकृत हुई थी । बरबीघा से दुमका नेशनल हाईवे जो कलकत्ता जाती है, उसे मिलाने की कृपा करें। बिहार के संसद सदस्यों ने इस बारे में प्रधान मंत्री को मैमोरंडम भी दिया था। बरबीघा से सिकन्दरा, जमुई, देवघर, बाबा वैद्यनाथ, दुमका होते हुए झारखंड को बंगाल के नेशनल हाईवे से मिला दे। इससे बिहार, झारखंड और बंगाल तीनों का समन्वय हो जाएगा और यह एक महत्वपूर्ण सड़क हो जाएगी। खंडूरी साहब ऐसा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। वह हमारे पुराने मित्र हैं हम उनके प्रशंसक रहे हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। उन्हें अच्छा विभाग मिला है। हम अभी भी उनसे मित्रता कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। मेरा निवेदन है कि कभी इसी तरह से पिछली सीट वालों को भी अवसर दिया करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, यह सड़कों से संबंधित विधेयक आया है। देश में 26 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं, 4 लाख 78 हजार किलोमीटर जिला सड़कें हैं। 1 लाख 28 हजार किलोमीटर स्टेट सड़कें हैं और 58 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। इसमे इन्होंने तीन सड़कों का जिक्र किया-राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़क और राज्य सड़क।

लेकिन जो नोटिफाइड एरिया है, म्युनिसिपल ऐरिया है या शहरी एरिया है, वह क्यों छोड़ दिया गया? इसमें तीन सड़क आई है, यदि एक भी छूट गई तो कौन बनायेगा? हमें लगता है इसमें संशोधन करना पड़ेगा।

जो सड़क बनाई जाती है, उसकी मेनटिनेंस भी करनी पड़ती है। नेशनल हाइवे या स्टेट हाईवे गांव से निकलती है, वह घनी आबादी में से निकलती है लोग अपना घर, दरवाजा या दुकान खोलकर जगह ऊंची कर लेते हैं। सड़क नीचे रहने के कारण पानी आता है और वह जल्दी खराब हो जाती है। हमने देखा है कि हर जगह सड़क चौपट है।

अपराह्न 3.36 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

कलकत्ता में रोड कांफ्रेंस हुई। उसमें प्रावधान होना चाहिये था कि जहां नेशनल हाईवे या स्टेट हाइवे घनी आबादी में से निकले वहां पर नाला होना चाहिये या पानी की निकासी हो। अगर सड़क के बीच मे पानी भरा होता है तो सड़क बरबाद हो जाती है हम सुन रहे हैं कि ग्रामीण सड़क के लिए ढाई हजार करोड़ रुपया देंगे जो डीजल और पेट्रोल पर सैस लगाने से आ रहा है। हमने फिर यह सुना कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में से ढाई हजार करोड़ रुपया मिलेगा। इस प्रकार यह पांच हजार करोड़ रुपया हो जायेगा जो ग्रामीण सड़क पर खर्च किया जायेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जिसमें से ढाई हजार करोड़ रुपया खर्च किया जाना है। यह देश के साथ धोखा किया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से ढाई हजार करोड़ रुपया अलग से रहेगा और यह कह रहे हैं कि सैंट्रल रोड फंड में से डीजल और पेट्रोल पर लगाये गये सैस से जमा किया हुआ पैसा लगाया जायेगा अगर ऐसा किया जाता है तो मैं विशेषाधिकार हनन का मामला लगाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने एलान किया कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में से ग्रामीण सड़क पर ढाई हजार रुपया खर्च करेंगे और अभी कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल पर लगे सैस से जो रुपया आयेगा, उसमें से ढाई हजार करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा। एक मुर्गी किस तरह से दो जगह से खायेगी? यह सरकार छल कर रही है और धोखाधड़ी का काम कर रही है। इस प्रकार कैसे गांव का विकास होगा? एक तरफ सरकार बिल ला रही है, आर्डिनेंस लाने में आतुरता दिखा रही है। सदन के साथ इतना भारी धोखा किया जा रहा है। ढाई हजार करोड़ रुपया अलग से नहीं आयेगा वरन मैं फजीहत सरकार पर कर दूंगा। आप क्यों नाम बदलते रहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, यह भेद खुले कि.यह दो तरफा बात कैसे की जा रही है। मैं देख रहा था कि नेशनल हाइवेज की सूची बनी है। उसमें हाजीपुर-वैशाली-साहिबगंज-डुमरियागंज का नाम नही है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, भगवान महावीर का जन्म हुआ, 1995 में राज्य सरकार ने इस सड़क के लिये लिखा लेकिन न तो उसकी सूची अखबार में निकली और न सूची नोटिफेकेशन में देखने को मिली। यह कैसे हुआ और किस हिसाब से बदलता है? इस सब की क्या प्रक्रिया है, क्यों उपेक्षा भाव है, हम जनता से क्या बताएं कि हमारा स्तर ऐसा हो रहा है?

इस तरह की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सड़क है, जहां तीन हजार वर्ष पहले जनतंत्र का जन्म हुआ था, वहां भगवान बुद्ध आये थे। उसके बाद फाह्यान और हुएन सांग आये। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि दुनिया में जनतंत्र का जन्म यहीं हुआ। भगवान बुद्ध आये थे, उन्होंने कहा है-रूल ऑफ लॉ, कानून का राज यही चलता है। यहां नियम बनते है वहां की महत्वपूर्ण सड़क को छोड़ दिया। स्टेट गवर्नमैंट ने लिखा, हमने भी लिखा कि यह भेदभाव न किया जाए। संयोग से यह बड़ा विभाग है कई बार मंत्री इधर से उधर बदल गये। नीतिश कुमार आये, राजनाथ सिंह जी इधर से उधर लीयन पर चले गये, अब खंडूरी साहब आ गये हैं, वह हमारे घनिष्ठ आदमी हैं। श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी चले गये, वह ऊंघा रहे थे, उन्हे हटाकर जहाज वाले विभाग में भेज दिया। इसलिए मेन्टीनेन्स वाला मामला और जो नोटीफाइड एरिया, शहरी निकाय, म्युनिसिपल नगर निगम के अधीन वाली सड़क का जिक्र नहीं है। यह कैसे छूट गई। दिमाग वाले और काबिल लोग विधेयक बनाते हैं। इस तरह से देश में मेन इंफ्रास्ट्रक्चर वाली यह सड़क है यह 33 लाख किलोमीटर है। जिसमें 26 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क है लेकन गांव वाली सड़क का मामला अभी कैबिनेट में नहीं लाया गया है। स्टेट गवर्नमैंट से प्रस्ताव आ गया है, सारे लोग टकटकी लगाये हुए हैं कि कैसे क्या होगा। चार लाख 78 हजार किलोमीटर जिले की सड़कें है और स्टेट की एक लाख 28 हजार किलोमीटर सड़क है 58 हजार किलोमीटर गोल्डन चतुभुर्ज की सड़क है शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड कितने दिन में बनाइ थी। आप स्वर्ण चतुर्भुज वाली सड़क कितने दिन में बनायेंगे। हम भी आपका हिसाब देखेंगे। आपके पास वैज्ञानिक प्रणाली और टैक्नोलोजी है, सारी शक्तियां वहां लगी हुई हैं आप कितने दिन में बनायेगें, हम देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): मैं समाप्त कर रहा हूं। आपको सड़क प्राथमिकता देनी पड़ेगी। राज्य सरकार की हालत खराब है और एन. एच. की भी हालत खराब है। मुजफ्फरपुर से डुमरियागंज की तरफ जो सड़कें जाती है वह चौपट है। अभी हाल में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा जो एन. एच. है, वे चौपट हैं आपको उन पर चलने से लगेगा कि इनसे ज्यादा चौपट और कोई सड़कें नहीं हैं और ये एन. एच. में है हमें देखना होगा इन सड़कों में सुधार हो जाए। यदि सड़कों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी बात अत्यन्त संक्षेप में रखूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गढ़वी, आप बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बोलिये। हमने चार बजे तक की हाउस को एक्सटैंड किया है।

[अनुवाद]

श्री पी. एस. गढ़वी: महोदय, मैं बहुत अधिक समय नहीं लेने जा रहा हूं। मैं केवल कुछ सुझाव दूंगा।

[श्री पी.एस. गढ़वी]

महोदय, मैं केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह विधेयक लाने के लिए माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चार लेन वाली सड़क का निर्माण कर रहा है। सैम्खियाली से बछाऊ तक कार्य पूरा हो गया है। तथा बछाऊ से गांधीग्राम तक कार्य चल रहा है।

लिटिल रन पर एक नया पुल का कार्य पूरा हो गया है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर गांधी ग्राम से अर्थात कांडला पोर्ट से लखपत-नरायन सरोवर तक कार्य के शुरू किए जाने की आवश्यकता है। तटीय राजमार्ग का विकास राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता है।

हमारी सीमा की सुरक्षा तथा सुरक्षा के उद्देश्यों से सामखियाली से गाढुली तक की सड़क को शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि योजनाएं बनाते समय संबंधित क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाना चाहिए तथा उनके सुझावों पर अधिक गौर करना चाहिए। इसके अलावा तटीय राजमार्ग तथा सीमान्त सड़क के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए जो कि हमारी सुरक्षा के लिए अधिक सहायक हो सके।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बडोदरा और अहमदाबाद के बीच एक्सप्रैस मार्ग के निर्माण को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। शुरू में इसकी कीमत 44 करोड़ रुपये थी लेकिन उसके बाद में मुकदमे के कारण वह कीमत बढ़कर 400 करोड़ रुपये हो गई।

आगे, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार दूरसंचार विभाग से परामर्श करके यदि सड़कों के साथ-साथ दूरसंचार लाइन की सेवायें भी उपलब्ध कराए तो यह बहुत लाभप्रद होगी।

सड़क के निर्माण में विशेषत: ग्रामीण सड़कों के निर्माण में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सड़कों के निर्माण की देखरेख का कार्य विशेषज्ञों को दिया जाना चाहिए तथा उनके परामर्शदाताओं को चाहिए कि सड़क के निर्माण के समय उसका पर्यवेक्षण करे।

गांवों में कच्ची सड़क के स्थान पर हर मौसम में काम आने वाली सड़क के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि कच्ची सड़कें हर साल बह जाती हैं। जब भी आप गांवों में सड़क निर्माण का कार्य शुरू करें। ऐसी सड़कें बनायी जानी चाहिए जो हर मौसम में प्रयोग की जा सके।

महानगरों की भीड़ को समाप्त करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि 'हब एंड स्पोक' सड़क व्यवस्था को शुरू किया जाए एवं उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे एक और अनुरोध करना है। सड़क निर्माण की योजना जिला से ही आए। जब जिले में बैठे हुए व्यक्ति योजना भेज रहे हैं, तो उनमें बिना उनकी सलाह के परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। जिले में कैसी सड़क की आवश्यकता है यह बात वहां के व्यक्तियों को अधिक अच्छी तरह ज्ञात होती है। इसलिए उनसे तथा स्थानीय प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हमने पहले ही समय को चार बजे तक बढ़ा दिया है। माननीय मंत्री जी को उसके पहले ही पूरा करना है। वे 10 मिनट और लेंगे। हम गैर सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित समय को भी ले रहे है। अब मंत्री महोदय को बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: माननीय उपाध्यक्ष जी, सेन्ट्रल रोड फंड बिल पर जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, मैं उनका आभारी हूं। बहत सारे सदस्य यहां मौन धारण किये उपस्थित रहे, मैं उनका ज्यादा आभारी हूं।

लगभग 11 सदस्यों ने इस बिल में भाग लिया और कुछ मोटी-मोटी बातें उभार कर सामने आई हैं। समय-सीमा के अनुसार मैं उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा और बाकी सदस्यों ने जो बातें उठाई हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो व्यक्तिगत सुझाव दिये है, उनके सुझावों पर अलग से उनके साथ बैठकर में उनसे विचार-विमर्श करूंगा।

पहली बात आई है हमने ऑर्डिनेन्स क्यों इश्यू किया है। मैंने कल भी यह निवेदन किया था और दोबारा आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सैद्धांतिक रूप से ऑर्डिनेन्स इश्यू नहीं होने चाहिए।

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्य श्री वरकला राधाकृष्णन को ध्यान में रखते हुए यह बात कह रहा हूं जो कि हिन्दी नहीं समझ पाते हैं। मैं यह स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि हमने यह कार्य इसलिए किया ताकि राज्यों को धन दिया जा सके। यदि यह सांविधिक विधेयक नहीं होता, यह अध्यादेश नहीं होता तो हमें इस विधेयक के संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित होने तक प्रतीक्षा करना पड़ता।

यह कार्य करने के दिन है। मुख्य मंत्री यहां यह कहते हुए आ रहे हैं कि उन्हे बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए, इस तरीके से हम राज्यों को धन दे सकते हैं जिसका प्रयोग अब तक हम राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए करते रहे हैं।

इसलिए, हमने पहले ही नवम्बर के आरंभ में 325 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे ताकि वे इस धन का उपयोग कर सकें। हमारा यही कदम है यह विधेयक यहां पारित किया जाएगा तथा इसके बाद इसे राज्य सभा मे भेजा जाएगा। अत: इसमें समय लगेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम यह अध्यादेश लाये हैं ताकि हमारे पास जो धन है हम उन्हें दे सके जिससे कि इंजीनियर शीघ्रातिशीघ्र सड़कों की परम्मत कर सके।

यह धनराशि एक तिहाई है जो कि राज्यों को दी गई है। शेष दो तिहाई धनराशि विहित प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी। हमारे हिसाब से औचित्य यही है।

[हिन्दी]

और इसी वजह से हमने यह ऑर्डिनेन्स इश्यू किया था। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम इस मामले में आप हमारी नीयत पर शंका न करें।

उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात यह है कि *[अनुवाद]*

इसकी क्या अवधारणा है। *[हिन्दी]* यह जो सैस लिया जा रहा है और हम लोग इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। *[अनुवाद]* यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार और प्रधानमंत्री जी ने देश में सड़क का अच्छा नेटवर्क बनाने की शुरूआत पर अमल करना शुरू कर दिया है। इस समय हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य की सड़कें, जिला की सड़के तथा ग्रामीण सड़कें हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कन्याकुमारी को जोड़ने वाले स्वर्ण चतुर्भुज का क्या हुआ?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं।

माननीय प्रधानमंत्री और इस सरकार की यह दूरदृष्टि है कि हम देश में राजमार्ग तथा एक्सप्रेस राजमार्ग बनाना चाहते हैं तथा द्रुतगति की परिवहन सेवा शुरू करना चाहते हैं ताकि इस देश की जो पर्याप्त क्षमता है उसका उपयोग किया जा सके। ईश्वर ने हमें इतना अधिक संसाधन दिया है। हमारे पास कुशल श्रमशक्ति है हमारे देश में अनेक प्रकार के मौसम और जलवायु है। हम चाहते है कि इसका प्रयोग इस देश की बेहतरी के लिए हो। आधारभूत बुनियादी आवश्यकताओं में से एक सड़कें हैं इसलिए इस सरकार ने एक व्यापक योजना सोची है। बिना धन के यह व्यापक योजना किसी कार्य की नहीं रहेगी। इसलिए यह उपकर लगाया गया है। मोटे तौर पर यह योजना 5,952 कि.मी. के स्वर्ण चतुर्भुज के लिए है।

[हिन्दी] यह जो स्वर्ण चतुर्भुज बन रहा है, *[अनुवाद]* यह 5952 कि.मी. लम्बा है। मुझसे इसे तीन वर्ष के अन्दर 2003 तक पूरा करने के लिए कहा गया है। इस पर 27,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसकी लम्बाई 6,000 कि.मी. होगी जो कि अनेक बड़े शहरों को जोड़ेगी। सड़कें पहले से ही है। उनको विकसित किए जाने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो: वह कर एक प्रतिशत के एक समान दर से क्यों लगाया जा रहा है और मूल्यानुसार नहीं?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी: हम उसमें न जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कानूनगो, हम मंत्री महोदय को सुने ... *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी: इस भव्य योजना का यह एक अंग है। दक्षिणोत्तर एवं पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर दूसरे अंग है। दक्षिणोत्तर कौरिडोर लगभग 4000 कि॰ मी॰ लम्बा है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, राधाकृष्णन जी यह लम्बवत रूप से नीचे कन्याकुमारी तक जाता है। पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर नामक दूसरा अंग सिलचर से शुरू होकर...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज (इदुक्की): केरल से नहीं जाता है ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: फ्रांसिस जी, यदि आप स्पष्टीकरण चाहते है तो मंत्री महोदय को इसके लिए सहमत होना चाहिए। आप एक नए सदस्य हैं। आपको यह जानना चाहिए। आप यह सीखे।

...(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी: यदि उन्हें कोई शंका है तो मैं उनकी सभी शंकाओं को अपने कार्यालय में दूर कर दूंगा *...(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज (इदुक्की): हमें कोई शंका नहीं है। आपकी परियोजना है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त और कुछ कार्यवाही में शमिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश कुरूप, यदि वे शांत बैठते हैं तभी मैं आपको अनुमति दे सकता हूँ। अन्यथा दोनों व्यक्ति एक साथ नहीं बोल सकते हैं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): हमें बार-बार कहा गया है कि यह स्वर्णिम चतुभुर्जाकार योजना (गोल्डन क्वाडिरेंगुलर प्लान) ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी: वे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मुझे अपनी बात पूरा करने दें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें पूरा करने दे।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी: पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर और दक्षिणोतर कॉरिडोर नामक दो परियोजनाएं है। पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर सिल्चर से पोरबंदर तक जाता है। जहाँ तक पूर्वी तट का संबंध है हमें सहायक कार्य भी करवाने हैं। इन सभी तथ्यों पर ध्यान दिया जा रहा है।

मेरा निवेदन यह है कि इस समय हमारी योजना, 6000 किलोमीटर इस कॉरिडोर में सड़क निर्माण की है साथ ही दूसरे कॉरिडोर में 73,000 किलोमीटर लम्बी सड़क निर्माण करने की है। 13,000 किलोमीटर में से लगभग 6000 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है। यह पहला चरण है। यह अंतिम नहीं है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[मे. ज. (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी]

हम इसका निर्माण करना चाहते हैं और वस्तुत: हम अनेक कॉरिडरों एवं दूसरी सड़कों को जोड़ेंगे। अंतत:, लक्ष्य प्रमुख स्थानो, प्रमुख सड़कों एवं प्रमुख केन्द्रों को जोड़ने का है जहां परिवहन अधिक है उसे चार से छह लेनवाले सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना है। इसी अवधारणा को प्रधानमंत्री ने शुरू किया तथा हमने इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। महोदय, गांवों में सड़कों के लिए उपकर एकत्र किया जा रहा है और हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तथा राष्ट्र इसका साक्षी होगा...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, मंत्रीजी कृपया मेरी बात से सहमत हों।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप उनकी बात से सहमत हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी: नहीं।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, अपने मूल रूप में स्वर्णिम चतुर्भुजाकार योजना गोल्डन क्वाडिरंगुलर प्लान) में केरल शमिल था।

उपाध्यक्ष महोदय: वे आपसे सहमत नहीं है। चूंकि वे आपसे सहमत नहीं है इसलिए कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, आप जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं लेकिन जब तक वे आपसे सहमत नहीं हैं आप कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल करने के लिए नहीं कह सकता।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी: इस धन के उपयोग की अवधारणा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे उठाया गया है। मैं संक्षेप में इसे स्पष्ट करता हूँ। अवधारणा यह है कि धन का उपयोग केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों अथवा राज्य मार्गों के लिए किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि हमने जिला सड़कें ओर दूसरे सभी को छोड़ दिया है। मेरे निवेदन है कि आंबटन के प्रयोजन से इन सभी सड़कों को तीन श्रेणियो मे बाँटा गया है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है। दूसरा राज्य मार्ग है। तीसरा ग्रामीण सड़कें हैं। इस तरह से हमने धनराशि वितरित की है तथा इसके आधार पर राज्यों को निधि दी जाएगी। जहां तक केन्द्र सरकार की निगरानी वाले राज्यमार्गों का संबंध है राज्य की धनराशि राज्यों को जाएगी। प्रक्रिया यह है कि वे सड़कों का चयन कर निधि की आवश्यकता के लिए हमारे पास आएंगे हम इसका अनुमोदन कर देंगे और तब केवल उन अनुमोदित सड़कों पर वे कार्य करेंगे। इस प्रकार इन निधियों के दुरुपयोग अथवा अन्यत्र ले जाने की संभावना पर्याप्त रूप से कम हो जाएगी। जहां तक ग्रामीण सड़कों का संबंध है यह धनराशि ग्रामीण विकास मंत्रालय को दी जाएगी। वे एक प्रक्रिया-विधि का निर्माण कर रहे हैं ताकि वास्तव में सड़कों का निर्माण हो सके।

यह बात भी उठायी गई है कि इस संबंध में संसद सदस्य एवं निर्वाचित सदस्यों का विचार भी लिया जाए। हम इस पर विचार करेंगे तथा जो कुछ भी संभव है करेंगे। हम देखेंगे कि यह कैसे किया जाए तथा किस सीमा तक किया जा सकता है।

धन की उपलब्धता के संबंध में मेरा कहना है कि यह एकमात्र कोष नहीं है जो राज्यों को उनकी सड़कों के रखरखाव के लिए दी जाती है। उनका अपना संसाधन भी होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की योजनाएं है तथा केन्द्र भी अनेक प्रकार के ससाधन दे रहा है। केन्द्रीय सड़क कोष के अतिरिक्त भी दूसरे शीर्ष है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत अनेक प्रकार की योजनाएं है। वह धनराशि भी दी जाएगी और उसके एक हिस्से का भी उपयोग किया जा सकता है। इसलिए कुल राशि का उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के सबंध में श्री प्रियरंजन दासमुंशी एवं कुछ दूसरे सदस्यों ने यह कहा कि एक संगठन होना चाहिए जिसका पूरा पर्यवेक्षण हमारे द्वारा किया जाए। अभी ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग केवल निगरानी कर रहे हैं।

मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। हमारे यहां सम्पूर्ण संगठन यह इस प्रकार है-महानिदेशक (सड़क विकास) एक, मुख्य इंजीनियर 16, पर्यवेक्षक इंजीनियर 60, कार्यपालक इंजीनियर 87 और 42 सहायक कार्यपालक इंजीनियर, सहायक इंजीनियर।

पूरे देश का यह पूर्ण संगठन है। इसलिए हमारा कार्य है-निगरानी करना और पर्यवेक्षण करना। राष्ट्रीय राजमार्ग हो अथवा कोष का उपयोग, तथा जहां कहीं भी कुछ गलत हो रहा होता है। और वह हमारे ध्यान मे आता है तो हम इसकी छानबीन करते हैं। इस प्रकार यह जबावदेह है... *(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): मेरा केवल एक प्रश्न है तथा आपको केवल स्थिति स्पष्ट करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप सहमत है

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी: जी नहीं, मै सहमत नहीं हूँ।

श्री ई. अहमद: आप एक बड़ी राजनीतिक दल के मुख्य सचेतक रहे थे। आपने स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाडिरेंगुलर से केरल को क्यों निकाल दिया गया है? हम जानना चाहते हैं क्योंकि हम केरल से संसद सदस्य हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी: मैं उस पर लिखित जबाव दूंगा। केरल के बारे में क्या हो रहा है यह मैं आपको बताऊंगा।

महोदय, 11 सदस्यों ने इस विधेयक पर बोला है और मैने उनकी बातो को नोट कर लिया है समय की कमी के कारण मैं प्रत्येक सदस्यों को अलग-अलग सूचित कर दूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कितना समय लेंगे क्योंकि इस विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए समय 4 बजे तक बढ़ा दिया गया है? संभवत: यह कुछ और समय लेगा तथा प्रस्तावक को भी जबाव देना होगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी: मुझे केवल एक मिनट और चाहिए अब मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि विधेयक को सर्वसम्मपति से पारित करें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नही किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा) : महोदय, केन्द्रीय सड़क निधि की स्थापना के लिए सारे देश में एक कृपया प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल पर शुल्क लगाया गया है। इससे प्रति वर्ष लगभग 6000 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। इसमें से 3000 करोड़ रु॰ सड़क निर्माण के लिए उपलब्ध कराये गये है।

इस सम्बन्ध में, मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अतर्गत आबंटित धनराशि की तरह 3000 करोड़ रुपये में से प्रत्येक सदस्य को 3 करोड़ या 3.5 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं। जैसकि आप जानते है, ग्रामीण सड़कों पर राज्य सरकारें पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं।

ऐसे बहुत से गांव हैं जिन्हें सड़क से जोड़ा ही नही गया है। गांवों को बाजार याढों और मंडल-मुख्यालयों से जोड़ा जाना है। कुछ अन्तर मंडल सड़कें जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यदि मेरे सुझाव को लागू करना संभव न हो तो, कम से कम धनराशि का वह भाग सीधे डी. आर. डी. ए. को दिया जा सकता है ताकि स्थानीय विधायक, सांसद और पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि संबंधित जिलाधीश कार्य स्वीकृत करा सके। मंत्री महोदय कृपया यह बतायें कि इस निधि के अंतर्गत अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 तक कितनी धनराशि एकत्रित की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय: वह इन प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे चुके हैं। क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं?

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी: 50 प्रतिशत में से 30 प्रतिशत राज्य सड़कों के लिए आबंटित किया जाना था, जो संपूर्ण प्राप्त धनराशि का 15 प्रतिशत है। सड़कों के रखरखाव के लिए राज्य सरकार के अपने संसाधन, तरीके और माध्यम होते हैं।

राज्य सड़कें जो संसद सदस्यों के संबद्ध निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ती है, के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि आबंटित की जा सकती है। गांव अथवा ग्रामीण सड़कों को कच्ची नहीं, पक्की सड़कों का रूप देना होगा।

अपराह्न 4.00 बजे

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: महोदय, मैं ग्रामीण सड़को के बारे में स्पष्ट कहूंगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय मानदंड निर्धारित कर रहा है। माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये सभी मुद्दो पर उनके द्वारा विचार किया जायेगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वी वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी: ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए गुणवत्ता मानदंड निर्धारित किये जाने चाहिये ताकि उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति माना जा सके। लागत प्रभावी और रखरखाव से मुक्त अद्यतन सड़क निर्माण तकनीकों पर भी विचार किया जाना चाहिये। फ्लाई एश ताप विद्युत स्टेशनों का उप-उत्पादन है। जहां कहीं भी तर्क संगत हो, वहां एक विधान के माध्यम से इस फ्लाइ एश का उपयोग आवश्यक बनाया जाना चाहिये।

इन सुझावों और सभी माननीय सदस्यों की अनुमति के साथ, मैं अपना सांविधिक संकल्प वापिस लेता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने इसकी वापसी का विरोध दर्ज करते हुए एक नोटिस दिया है। इस प्रकार से किसी सांविधिक संकल्प को वापिस नहीं लिया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी ने इसे पेश किया था, आपने नहीं।

क्या माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को वापिस लिये जाने पर सभा सहमत है?

सभा की अनुमति से संकल्प वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा रेल क्रॉसिगों पर सुरक्षा में सुधार के लिए 1988 में पारित संसद के संकल्प द्वारा शासित विद्यमान केन्द्रीय सड़क निधि को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने और इन प्रयोजनों के लिए पेट्रोल, उच्च गति डीजल तेल के रूप में सामान्यत: ज्ञात मोटर स्पिरिट पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने और उससें संबंधित अन्य विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाये।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है;

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.04 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 29.11.2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि यह सभा 29.11.2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.05 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य-सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण-पर विचार करेंगे। श्री ई. अहमद अपनी बात जारी रखें।

माननीय सदस्यगण, सरकारी कार्य में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए जितना समय आबंटित है, उतना ही समय गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए दे दिया जायेगा।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): उपाध्यक्ष महोदय, 18 अगस्त, 2000 को अपना गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करते समय, मैं इस देश में आरक्षण और वर्तमान आरक्षण नीति के बारे में काफी विस्तार से बोला था। पिछली बार इन तथ्यों का उल्लेख करते समय, मैंने स्पष्ट रूप से उद्धृत की थी और 77वें संशोधन द्वारा निगमित अनुच्छेद 16 (4)क के संबंध में इस की व्याख्या और टिप्पणियां स्पष्ट रूप से उद्धृत की थी। आरक्षण की प्रतिशतता की अधिकतम सीमा सहित इसके विरुद्ध न्यायालय के किसी निर्णय मे कुछ भी होने के बावजूद मुसलमानो को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सहित, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए मैं इस महान सभा को अनुच्छेद 16(4) के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं, जो विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का आधार है।

महोदय, इस पर विचार करने से पहले मैं अनुच्छेद 16 (4) को उद्धृत करूंगा। इसमें कहा गया है;

"इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओ में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेंगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने उल्लेख किया है, इस अनुच्छेद के पूर्ण इतिहास से सभा निश्चित रूप से इस निष्कर्ष तक पहुंचेगी कि विभिन्न - समुदायों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए।'

[अनुवाद]

अभी भी मैं यह महसूस करता हूं कि वर्तमान अनुच्छेद 16 (4) के बनने इतिहास की आरंभिक प्रक्रिया का इस सभा में उल्लेख करना उचित है मौलिक अधिकारों संबंधी उप-समिति में ऐसा महसूस किया गया था। मौलिक अधिकारों संबंधी उप-समिति के प्रतिवेदन में "जन नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता" का प्रावधान करने वाले खंड (5) को 17 और 19 अप्रैल, 1947 को स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था। जब इस पर चर्चा हुई, तो मौलिक अधिकारों संबंधी उप-समिति द्वारा यथासंस्तुत खंड (5) सबसे महत्वपूर्ण खंड था और समिति द्वारा इस पर उचित रूप से विचार किया गया। उस समिति में सी. राजगोपालाचारी, के. एम. पानिक्कर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फ्रैंक एंथनी, के. एम. मुंशी जैसे ही कानून के कई जाने-माने ज्ञाता और विद्वान शामिल थे।

श्री सी. राजगोपालाचारी ने "वर्ग" के स्थान पर अल्पसंख्यकों का स्पष्ट रूप से प्रावधान करने का सुझाव दिया, जैसाकि अब किया गया है। श्री राजगोपालाचारी ने एक विशेष स्पष्टीकरण में समिति को यह बताया

कि "वर्ग" अथवा "अल्पसंख्यक" में से किन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। श्री के. एम. पानिक्कर, जिन्होंने सबसे पहले शब्दों मे परिवर्तन किया था, ने स्पष्ट किया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देने के अलावा हिन्दुओं में और भी कई ऐसे वर्ग हो सकते हैं जिन्हें पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उनके अनुसार, उन्हें भी आरक्षण दिया जाना चाहिए था।

इस सबंध में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सिर्फ 'वर्ग' शब्द के स्थान पर "अल्पसंख्यक और अन्य वर्ग" शब्दों का प्रयोग करने का सुझाव दिया। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यही सुझाव था। इसके अतिरिक्त सरदार उज्जल सिंह, जो उस समिति के सदस्य थे, ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व का कोई उल्लेख किये बिना ही "अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों" का सुझाव दिया। श्री फ्रैंक एंथनी ने कहा कि यह 'वर्ग और अल्पसंख्यक" होना चाहिए। उस बैठक में यह चर्चा की गई थी। सरदार वल्लभभाई पटेल ने यह टिप्पणी की कि "वर्ग" में "अल्पसंख्यक" शामिल है। अत:, संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत जहां कहीं भी 'वर्ग' शब्द का उल्लेख किया गया है। उसमें "अल्पसंख्यक" शामिल है। मैं इस सम्मानीय सभा को यही बताना चाहता था।

डा. बी. शिव राव द्वारा लिखित पुस्तक "दि फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशन" में जो कुछ उल्लिखित है, मैं वह भी इस सम्मानित सभा में उद्धृत करना चाहता हूं। जब यह मामला चर्चा हेतु उठाया गया, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। सलाहकार समिति की 22 अप्रैल, 1947 को राज्य सभा के कक्ष में प्रात: 10 बजे नई दिल्ली में दूसरे दिन फिर बैठक हुई। सरदार वल्लभभाई पटेल ने बैठक की अध्यक्षता की। जब चर्चा आरंभ हुई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल श्री राज गोपालाचारी जैसे समिति के अन्य माननीय सदस्यों ने कई टिप्पणियां की। सभा की जानकारी के लिए मुझे उस कांउसिल की कार्यवाही से शब्दश: उद्धृत करने की अनुमति दी जाये जैसाकि डा. बी. शिव राव द्वारा अपनी पुस्तक 'दि फ्रेमिंग आफ इंडिजाज कांस्टीट्यूशन' में बताया अथवा संकलित किया गया है। यह इस प्रकार है।

फ्रैंक एंथनी: मेरा सुझाव है कि इस खंड में यह संशोधन किया जाये कि "इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात राज्य को अल्पसंख्यकों या वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।"

उज्जल सिंह: 'अल्पसंख्यक' के स्थान पर 'वर्ग' होना चाहिए।

फ्रैंक एंथनी: 'वर्ग और अल्पसंख्यक' शब्द पर क्या आपत्ति है? 'वर्ग' का तात्पर्य अनुसूचित जातियों से होगा।

सी. राजगोपालाचारी: इसमें यह पर्याप्त रूप से बताया गया है; 'वे जातियों जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।'

फ्रैंक एंथनी: हम ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने में क्यों संकोच करें जिसे कानून और प्रथा प्रयोग की स्वीकृति प्राप्त है? हम इसे और अधिक अस्पष्ट कर सकते हैं।

सी. राजगोपालाचारी: जैसे हम यह नहीं कहते, 'नागरिक और व्यक्ति', यदि एक शब्द व्यापक है तो हम छोटे शब्द का लोप कर देते हैं।

फ्रैंक एंथनी: हम इसे 'अल्पसंख्यक सहित वर्ग' के रूप में रख सकते हैं।

सभापति (सरदार वल्लभभाई पटेल): 'अल्पसंख्यक' 'वर्ग' में शामिल है।

फ्रैंक एंथनी: मेरा यह संशोधन है। मैं 'वर्ग और अल्पसंख्यक' के पक्ष में प्रस्ताव करता हूं।

उज्जल सिंह: 'अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग'।

सभापति (सरदार वल्लभभाई पटेल): यह सरल अंग्रेजी है। 'वर्ग में 'अल्पसंख्यक' शामिल है। यह बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। यह दिन के उजाले की भांति बिल्कुल स्पष्ट है।"

"समिति सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंची है और हम भी ऐसा समझते हैं कि वर्ग में अल्पसंख्यक शामिल है। इस बात पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रावधान का पूरा आधार ही अल्पसंख्यक है आप समझते है कि राज्य में अल्पसंख्यक शामिल नहीं होगें?"

जब अनुच्छेद 16 (4) पर सलाहकार समिति चर्चा कर रही थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समिति से यही कहा था। सरदार वल्लभभाई पटेल का यह मत था कि वर्ग में अल्पसंख्यक शामिल होंगे। वह काफी गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि इस बात पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है और कि इस प्रावधान का समस्त आधार अल्पसंख्यक है। मैं एक बार फिर उद्धृत करता चाहता हूँ :

"**फ्रैंक एंथनी:** हम वर्तमान नेताओं पर संदेह नहीं कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि हमारे भावी नेता कौन होंगे।

सभापति: कोई भी नेता ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो यह कहे कि वर्ग में अल्पसंख्यक शामिल नहीं है।"

मैं तो केवल स्वयं सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा की गई टिपणियों से सभा को अवगत करा रहा हूँ।

उन्होंने कहा था कि वर्ग में अल्पसंख्यक शामिल होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सलाहकार समिति के सभापति थे, और जिन्होंने इसे प्रारूपण समिति के समक्ष अंतिम रूप से प्रस्तुत किया था, के अनुसार यही बात कही गई है मैं तो केवल इस सभा के प्रयोजनार्थ यह उद्धृत कर रहा हूँ। मैं उस उद्धरण पर जोर देता हूं और अपनी बात जारी रखता हूँ :

"**फ्रैंक एंथनी:** हम वर्तमान नेताओं पर संदेह नहीं कर रहे है। हम नहीं जानते कि हमारे भावी नेता कौन होंगे।

सभापति: कोई भी नेता ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो यह कहे कि वर्ग में अल्पसंख्यक शामिल नहीं है।

फ्रैंक एंथनी: हमने शब्दों का अन्यत्र प्रयोग किया है।

सभापति: कोई भी व्यक्ति यह कहेगा कि 'वर्ग' एक व्यापक शब्द है। व्यापक शब्द का प्रयोग करना बेहतर है।

सी. राज गोपालाचारी: मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सामान्य व्याख्या के अनुसार यदि आप अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग करते हैं तो यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या वर्ग अल्पसंख्यक है और वादयोग्य बन जायेगा। वर्ग की अल्पसंख्यक के रूप में व्याख्या की जायेगी। सामान्य शब्द 'वर्ग' के प्रयोग के बाद जिनका प्रतिनिधित्व कम है' वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है और राज्य की राय से इसे अंतत: निर्धारित किया जाता है। मेरे विचार से, इसका समाधान करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है।

के. एम. मुंशी: धारा 153 क में 'महामहिम की प्रजा के वर्ग' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'वर्ग शब्द की अल्पसंख्यक अथवा धार्मिक समुदाय के रूप में भी व्याख्या की गई है किसी ने कभी भी कोई ऐसी व्याख्या नहीं की है जिसका तात्पर्य अल्पसंख्यक न हो।"

श्री के. एम. मुंशी जी ने यह टिप्पणी की है। इसलिए अनुच्छेद 16 (4) केवल अल्पसंख्यको के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों और आरक्षण अर्थात मुसलमानों को पिछड़े वर्ग का समझे जाने के संबंध में है। अपने संकल्प में भी मैंने यही कहा था। मैं उद्धृत करता हूँ:

> "यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह ... सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, जिसमें मुस्लिम भी सम्मिलित हैं, के लिए उसकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध करने के लिए एक उपयुक्त विधान बनाये...।"

"सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन" निर्धारित किये जाने वाले महत्वपूर्ण मानदंड है जिसके लिए उनके अल्प प्रतिनिधित्व अथवा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, यदि कोई कहता है कि अनुच्छेद 16 (4) मुसलमानों को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के आड़े आता है तो मैं यह कहूंगा कि अनुच्छेद 16 (4) के बनने का आरम्भिक इतिहास हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा दिए गए निर्णय और विचार इस महत्वपूर्ण मामले पर बिल्कुल स्पष्ट हैं।

विभिन्न समुदायों को आरक्षण प्रदान करने में कोई हर्ज नहीं है और नहीं यह संविधान के विरुद्ध होगा।

इसलिए यदि कोई यह कहता है कि पहले ही काफी पिछड़े वर्ग हैं और अब मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है - मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग में मुसलमानों को शामिल किया है - तो मैं कहूंगा कि मैं यह स्वीकार करता हूँ कि केरल जैसे राज्यों में मुस्लिम, इझावास जैसे समस्त समुदाय को पिछड़ा वर्ग माना गया है।

क्योंकि वे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं और उनका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। एक समुदाय के रूप में उन्हें अधिकार है कि उन्हें नियुक्ति में आरक्षण दिया जाय। वस्तुत: मंडल आयोग ने भी अन्य पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण के प्रतिशत का उल्लेख किया था, मंडल आयोग की रिपोर्ट के अध्यन्नों के अनुसार-

> "केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा दी गई सूचना से यह पता चलता है कि कुल सरकारी कर्मचारियों में अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या 12.55 प्रतिशत है जबकि उनकी कुल जनसंख्या 52 प्रतिशत है। प्रथम श्रेणी के पदों में उनका प्रतिनिधित्व केवल 4.69 प्रतिशत है । यह देश की कुल जनसंख्या में उनके अनुपात के दसवें भाग से भी कम है।"

मंडल आयोग की टिप्पणी के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या 52 प्रतिशत है। लेकिन सरकारी सेवा में उनका प्रतिनिधित्व केवल 12.55 प्रतिशत है। मंडल आयोग में कुछ निर्णयों का भी उल्लेख किया है उनके अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत है। मैं उसे भी उद्धृत करता हूँ।

मंडल आयोग की रिपोर्ट के अंतिम अध्याय के पैरा 12.22 के अनुसार-

> हिन्दुओं और गैर-हिन्दुओं दोनों में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत है, तदनुसार उनके लिए 52 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाने चाहिए। किंतु यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय वे अनेक निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध जा सकता है जिनमें यह कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के अधीन आरक्षित पदों की कुल संख्या पचास प्रतिशत से कम रहनी चाहिए। इसके दृष्टिगत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रस्तावित आरक्षण ऐसे अंक पर स्थिर किया जाना था कि यदि उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 22.5 प्रतिशत पद जोड़े तो वह पचास प्रतिशत से कम रहे। इस कानूनी अड़चन के कारण आयोग 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश करने के लिए बाध्य है हालांकि उनकी जनसंख्या इस आकड़े से लगभग दुगुनी है।"

जब अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो उच्चतम न्यायालय उनके लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा कैसे निर्धारित कर सकता है? यह 1980 या 1990 की जनसंख्या नहीं है। इन कानूनी और अन्य दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2000 में भी उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जब उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो उच्चतम न्यायालय यह कैसे कह सकता है कि उनके लिए आरक्षण एक सीमा से अधिक न हो? न्यायालय इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। यह सही नहीं है। जब पिछड़े वर्गों की जनसंख्या अधिक हो तो आपको उनके लिए अधिक पद आरक्षित करने चाहिए। यदि उनकी संख्या कम हो तो उनके लिए कम पद आरक्षित किए जाने चाहिए। इसलिए मैंने अपने संकल्प में उल्लेख किया है,

> "... आरक्षण के प्रतिशत की अधिकतम सीमा सहित देश के किसी भी विधि न्यायालय के किसी निर्णय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी...।"

एक लोकतांत्रिक देश में, जहा पर अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों जैसे विभिन्न धर्मों और वर्गों के लोग रह रहे हैं। वहां पर उन्हें प्रशासन में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना अनिवार्य है।

जब तक सरकार ऐसा प्रयास नहीं करेगी तो वह अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक और अन्य नैतिक कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहेगी, इस संबध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस देश में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कितना है? मैं इस सभा को उन तथ्यों के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके बारे में देश को पहले से विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिल चुकी है।

प्रशासन और सरकारी सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, इस संबध में मैं सभा को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 1998 के निष्कर्षों के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि देश में मुसलमानों की जनसंख्या कुल जनसंख्या 12 प्रतिशत से अधिक है लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल 2.86 प्रतिशत है। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग और जनसंख्या के मामले में दूसरे सबसे बड़े समुदाय, मुस्लिम का भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रतिनिधित्व केवल 2.86 प्रतिशत है भारतीय पुलिस सेवा में उनका प्रतिनिधित्व 2 प्रतिशत है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: आप अपने रेजोल्यूशन पर कितनी देर बोलेंगे?

[अनुवाद]

श्री ई॰ अहमद: मैंने यह संकल्प पेश किया है, इसके अलावा मै दुर्भाग्यशाली समुदाय के पक्ष में बोल रही हूं। प्रथम श्रेणी के पदों में मुसलमानो का प्रतिनिधित्व 3.3 प्रतिशत है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुस्लिम कर्मचारियो की सख्या केवल 2.18 प्रतिशत है। मुस्लिम इंजीनियर कुल 2 प्रतिशत और डाक्टर 2.5 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कितना कम है।

मैं सभा को कुछ कार्य-निष्पादन सूचकों के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रो॰ दलीप साहनी द्वारा संकलित 'सोशल ग्रुप्स' के अनुसार देश में स्कूल जाने वाले कुल 63.19 प्रतिशत बच्चों की तुलना में प्राथमिक विद्यालयो में 16.81 प्रतिशत बच्चे जाते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में मुस्लिम छात्रों की संख्या 12.39 प्रतिशत है, और पांचवी कक्षा तक केवल 8.05 प्रतिशत मुस्लिम छात्र पहुंचते हैं। दसवीं कक्षा में जाने वाले कुल स्कूली छात्रों का प्रतिशत 18.25 है। कक्षा दसवीं में मुस्लिम छात्रों का नामांकन 16 प्रतिशत और सफलता दर 4 प्रतिशत है। इसी तरह स्नातक स्तर पर नामांकन 6.21 प्रतिशत और सफलता दर 3.20 प्रतिशत है।. इस देश में मुस्लिम समुदाय की वर्तमान दशा यह है, स्नातकोत्तर में नामांकन 9.11 प्रतिशत और सफलता दर 6.98 प्रतिशत है, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कुल दो प्रतिशत मुसलामानों को रोजगार मिलता है। गैर-सकारी की कम्पनियों में 8.16 प्रतिशत मुसलमान नियोजित है जिनमें से कार्यकारी श्रेणी में 1.5 प्रतिशत, लिपिक वर्ग में 8.28 प्रतिशत और कामगार श्रेणी में 7 प्रतिशत है। यह अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की वर्तमान दशा है। राज्य सरकारों के कर्मचारियों में भी मुसलमानों का प्रतिशत इस तरह का है। आय स्तर की दृष्टि से मुसलमानों में 10.90 प्रतिशत निर्धनतम और 41.40 प्रतिशत निर्धन हैं जबकि अन्य समुदायों में 28.43 प्रतिशत निर्धन है। गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे मुसलमानों की जनसंख्या 26.6 प्रतिशत है। और मुसलमानों की जनसंख्या में धनी वर्ग 3.87 प्रतिशत है।

अत: यह धनी लोगों का समुदाय नहीं है। यह गरीब लोगों का समुदाय है। सबसे निर्धनतम लोग मुस्लिम समुदाय में है। उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से वंचित रखा जाता है, उन्हें सरकारी सेवाओं और अन्य सेवाओ में प्रतिनिधत्व नहीं दिया जाता है। इस संबंध में मैं सभा को 1997 की घटना के बारे में बताना हूँ।

वर्ष 1997 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 449 निदेशकों मे केवल 21 निदेशक मुसलमान थे जो कि 4.2 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 13,900 वरिष्ठ अधिकारियों में मुसलमान केवल 321 थे। जो कि 2.32 प्रतिशत है न्यायिक अधिकारियों में मुसलमानों का प्रतिशत सात से भी कम है, इस देश के सर्वोच्च निकाय भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में कोई भी सदस्य मुसलमान नहीं है। बैंक के 60 कार्यकारी निदेशको में केवल 2 कार्यकारी अधिकारी मुसलमान है। यह स्थिति है। राष्ट्रीयकृत बैंको में 2.18 प्रतिशत कर्मचारी मुसलमान हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड के पांच सदस्यों में से कोई भी मुसमान नहीं है। यह देश का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है। इस संस्थान द्वारा सैकड़ों और लाखों रुपयों का ऋण दिया गया है किंतु इस समुदाय को इस संस्थान के निदेशक पद से भी वंचित रखा गया है।

इस समुदाय का कोई निदेशक नहीं है। पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों में इनकी संख्या 3 प्रतिशत से भी कम है, बैंकों द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण लेने वाले लोगों में मुसलमानों की संख्या 9.41 प्रतिशत है। उनके द्वारा ली गई ऋण राशि केवल 3.73 प्रतिशत है। मैं इन सब तथ्यों को सरकार को यह समझाने के लिए रख रहा हूँ कि मुसलमानों और अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा विशेष आरक्षण की मांग एक वैध मांग है। यदि उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो सरकारी सेवा में उन्हें कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा।

महोदय, सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है। उदाहरणार्थ, इस संबंध में मैं आपको पूर्व प्रधान मंत्री के विचारों से अवगत कराता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, आप पहले ही 26 मिनट ले चुके थे और अब आप 30 मिनट से बोल रहे हैं। कई अन्य सदस्य भी इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं तथा मंत्री जी भी उत्तर देंगे।

श्री ई. अहमद: महोदय, मैं पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूँगा।

[श्री ई. अहमद]

महोदय, मुसलमानों के लिए आरक्षण के बारे में अक्तूबर 1994 में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मंडल आयोग रिपोर्ट के समर्थक श्री वी. पी. सिंह ने कहा था :

"अब केवल यह प्रश्न उठता है कि क्या मुसलमानों के लिए कितना आरक्षण निर्धारित किया जाना चाहिए; और दूसरा, क्या सभी मुसलमानों को आरक्षण का हकदार होना चाहिए।

जहां तक पहले प्रस्ताव का संबंध है तो उसका उत्तर यह है कि यदि मंडल आयोग की रिपोर्ट का वास्तविक कार्यान्वयन समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करता है तब मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस आधार पर आपत्तियां उचित नहीं है। कि प्रत्येक सामाजिक वर्ग के लिए अलग कोटा प्रदान करना पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम एक विशाल सामाजिक वर्ग है जिसकी जनसंख्या 15 करोड़ से अधिक है, कुछ राज्यों में पिछड़े वर्गों में अति पिछड़े वर्गों को इस आधार पर अलग प्रतिनिधित्व दिया गया है कि उनकी संख्या काफी अधिक है और उनके लिए अलग से सुरक्षोपाय अपेक्षित है।"

[अनुवाद]

शैक्षणिक संस्थाओं में मुसलमानों द्वारा पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देने की दर के प्रस्ताव के संबंध, अब तक जो कुछ भी किया गया है उसमें अलग नए सिरे से दृढ़ निश्चय किए जाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यदि ऐसा किया जाता तो मुसलमान समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वग्र में आ जाएगा।"

यह विचार श्री वी. पी. सिंह ने देश के मुसलमानों को आरक्षण प्रदान करने के लिए बहस करते समय व्यक्त किए थे।

पुन: महोदय, एक बार स्वर्गीय राजीव गांधी, जो इस सभा के विपक्ष के नेता थे, ने इस संबध में अपनी बात कही थी। मैं सितम्बर 1990 को इस सभा में उनके द्वारा दिए गये भाषण के कुछ भाग पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा था :

"मै केवल इन अल्पाधिकार प्राप्त लोगों और इन जैसे अन्य कई लोगों ही की बात नहीं कर रहा हूँ, अपितु सभी धर्मों के पिछड़े लोगों की बात कर रहा हूं और यहीं सरकार द्वारा लाए जा रहे विधेयक से मेरा गहरा मतभेद है। हम जाति को ही पूर्ण आधार मान रहे है इतना ही नहीं, अल्पसंख्यकों का एक बड़ा भाग इसमें शामिल नहीं किया गया है जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए था। यदि हम मुसलमानों को ही लें तो भारतीय मुसलमानों का बहुत बड़ा भाग, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। यह बात लगभग सभी धर्मों और समूहों पर लागू होती है जिनमें ऐसे लोग हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उन्हें क्यों नहीं शामिल किया जाए? मैं राजा साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपनी जाति की परिभाषा को हिन्दू धर्म की ही अन्य जातियों के शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग या पिछड़े लोगों जो भी आप कहना चाहें को, करते हुए विस्तृत करें और फिर अन्य धर्मों जैसे मुसलमान, सिख, बौद्ध, पारसी और अन्य समुदायों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को इसमें शामिल करके इसका और विस्तार करें।"

यह विचार श्री राजीव गांधी, तत्कालीन विपक्ष के नेता, ने व्यक्त किए थे। वर्तमान सरकार जो सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान नेता के शब्दों का सम्मान करती है को व्यावहारिक रूप से इस पर अमल करना चाहिए। विपक्ष जो अब भी श्री राजीव गांधी के विचारों को मानता है को भी इसका कार्यान्वयन करना चाहिए।

मैं इस देश के दो अतिप्रमुख व्यक्तियों, जो समाज विज्ञानी है, का जिक्र करना चाहूँगा और सभा को बताना चाहूँगा कि मुसलमानों के लिए आरक्षण के संबंध में उनके क्या विचार थे। पहले हैं प्रोफेसर ए. एम. खुसरो जो अभी तक वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे। मुसलमानों के लिए आरक्षण पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था :

"मुसलमानों का पिछड़ापन और नौकरियों में उनके अत्यल्प प्रतिनिधित्व को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाता हाँलाकि आरक्षण के मामलों में कार्यक्षमता की समस्या आती है, परंतु मुसलमान समुदाय को विकास के क्षेत्र में आगे आने के लिए इस वैसाखी की विशेष आवश्यकता है"

इस सम्मेलन में देश के अन्य सामाजिक वैज्ञानिक प्रो. रजनी कोठारी ने भाषण दिया था। उन्होंने कहा था:-

"मुसलमान जो भारत की मिश्र संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है अत: उन्हें स्तर पर में बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए"

इसलिए, जनमत भी बदल रहा है यह तथ्य है कि इस देश के मुसलमान न केवल शैक्षिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं अपितु सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व निराशाजनक है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस मूलभूत सत्य को स्वीकार करे और शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय को आरक्षण प्रदान करें।

मुझे विश्वास है कि, भाजपा के मेरे मित्र इस बात से सहमत होंगे क्योंकि वे मुसलमानों को अपना अभिन्न अंग समझते है। तो, जब शरीर का एक अंग इतने अपमानजनक इतने पिछड़ेपन और इतने अभाव की स्थिति से गुजर रहा हो, तो मुझे विश्वास है, श्रीमती मेनका गांधी सामने आकर इस आरक्षण के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी। यह एक न्यायोचित मुद्दा है।

मैं एक मिनट लेकर इस देश की जनसंख्या के विभिन्न समुदायों का प्रतिशत बताऊंगा। अनुसूचित जाति 15.5 प्रतिशत है, और अनुसूचित जन जाति 7.5 प्रतिशत है। इस प्रकार भारत की संपूर्ण जनसंख्या में इनका प्रतिशत 22.26 है। जबकि मुसलमान 11.19 प्रतिशत, इसमें 2.16 सिख 1.67, बौद्ध 0.67 और जैन 0.47 प्रतिशत हैं। गैर-हिन्दुओं धार्मिक समुदाय का प्रतिशत संपूर्ण जनसंख्या का केवल 16.69 प्रतिशत है।

जब तक 16.69 प्रतिशत लोगों को उन्हें सरकार में प्रतिनिधित्व देने के उनके न्यायोचित अधिकार से वंचित किया जाता है, तो कानून के समक्ष समानता और सभी समुदाय के लोगों के साथ समान व्यवहार कैसे हो

सकता है? इसलिए, यह इस देश के संविधान के सिद्धांत के अनुरूप है, उस देश, जहां अनेकता में एकता है, जहां बहु-जातीय, बहु-भाषीय और विविध धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। इसलिए मैं सरकार से और साथ ही माननीय मंत्री से इस संकल्प को स्वीकार करके इस देश की संपूर्ण जनता को शुभ संदेश देने का निवेदन करता हूं। केवल शब्दों से कुछ नहीं होगा, कार्य से ही स्थिति में परिवर्तन होगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पुराने विद्वान सदस्य श्री ई. अहमद ने जो गैर-सरकारी संकल्प, मुसलमानों को आरक्षण देने के संबंध में रखा है, यह बहुत सैंसिटिव इश्यु है। यह आरक्षण विरोधी सरकार है। इनके सामने इतनी किताबें दिखा रहे थे। हमारी समझ में नहीं आता कि जो आरक्षण है उसे ये लोग खत्म करने में लगे हुए हैं, परंतु और आरक्षण को कह रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव किया है, हम उसका समर्थन करते है। उन्होंने संविधान, पुराना इतिहास, सारे कागजी सबूत, सारे अंक, प्रतिशत, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति आदि को दिखाया और पूरा विचार करके उन्होंने इसे रखा है। उनका मन नहीं था कि कोई इसका समर्थन करे, वह दो-तीन घंटे और बोलते, अगर हम नहीं टोकते। लेकिन उन्होंने इसे बड़े ही तर्कसंगत तरीके से यहां रखा है। अपने देश में जो मुस्लिम आबादी है, जो सोशियली बैकवर्ड है, जो संविधान बोलता है। एजूकेशनली, एकानोमिकली बैकवर्ड और आरक्षण का प्रथम सिद्धांत है कि जिनका सरकारी सेवाओं में एडीक्वेट रिप्रेजेन्टेशन नहीं है, इसलिए उन्हें आरक्षण न मिलने का कोई औचित्य नहीं है लेकिन हमें लगता है कि सरकार की तरफ से जबाव आयेगा चूंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लिखा है, इसलिए हमें ऐसा करने में कठिनाई हो रही है। इसलिए यह गैर सरकारी सकल्प लाये हैं। इसके मुताबिक इसके लिए संविधान सशोधन की आवश्यकता होगी। इसलिए इसमें संविधान सशोधन कीजिए और सोशियली, एजूकेशनली और इकोनोमिकली सभी दृष्टिकोण मे जो भी समूह पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं और जिनका सरकारी सवाओं मे एडीक्वेट रिप्रेजेन्टशन नहीं है, कही-कहीं इन्होंने शून्य कहा है, इसलिए इनका आरक्षण होना चाहिए। इसलिए हम इसका पूरा समर्थन करते है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रावधान है उसमें इनका गैर सरकारी सकल्प पारित हो जाए, लेकिन ये लोग इसे पारित नहीं होने देंगे। हम समझते है कि इन लोगों ने विचार किया हुआ है कि ये किसी हालत मे पारित न होने दें। लेकिन इन्हें इसका बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। दूसरी ओर य इस पर संविधान सशोधन लाय और संविधान संशोधन लाकर इस संवेदनशील मामले का निष्पादन करें। अभी संविधान मे जो प्रावधान है, उसमें सोशियली, एजूकेशनली बैकवर्ड लोग और आम तौर से मुसलमानों में, इस्लाम के सिद्धात के हिसाब से जाति व्यवस्था नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तान में हम देखते हैं कि मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था है। लेकिन उसमें जो वंचित वर्ग हैं उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट्स की श्रेणी में रखा जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें इस श्रेणी में नहीं रखा गया। जैसे नट है, नट हिन्दू भी होता है और मुसलमान भी होता है। लेकिन उसकी क्या स्थिति है वह सभी तरह से दबा हुआ है। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट्स मे उसका नाम नहीं है। जब संविधान संशोधन होगा, तब उन जातियों को जो हरेक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, जिनका समाज अध्ययन संस्थान ने अनुशंसा की है और राज्य सरकारों ने भी अनुशंसा की है, उन जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट्स में रखना चाहिए। जो मुस्लिम कम्युनिटी में दबे हुए लोग हैं उनमें पचासों जातियां है जैसे डफाली, कलाल और अंसारी आदि है, इन सब जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट्स में रखने की जरूरत थी। लेकिन नहीं रखा गया है। उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, जो ये नहीं ला रहे हैं।

फिर हिन्दुओं में भी जो नाई जाति है, मल्लाह जाति है, उनके लिए राज्य सरकारों ने अनुशंसा की है कि उनको भी शेड्यूल्ड कास्ट में रखना चाहिए। सरकार को इसमें क्या कठिनाई है? सरकार क्यों नहीं सुधार करती? जब नियम बन गया कि सामाजिक व्यवस्था में जांच पड़ताल करके देखा जाएगा कि किसको किस श्रेणी में रखा जाए। सैनी लोग जो मछुआरे का कारोबार देश में बड़ी संख्या में करते है, इसी प्रकार नमक बनाने का काम ननिया जाति के लोग करते हैं, उनकी बड़ी संख्या बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है ननिया जाति वैस्ट बंगाल में शैड्यूल्ड कास्ट में है लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में हैं इनके विभाग में यह सब लंबित है और इतने दिनों से हम सवाल कर रहे हैं। जवाब आता है कि संविधान संशोधन की जरूरत होगी और सुधार होगा लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए हो सकता है कि आरक्षण इश्यू पर आंदोलन होगा और आंदोलन होकर जब सरकार डगमगाने लगेगी तो लाचारी में ये करेंगे। क्यो नहीं पहले ही सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर जो संविधान के 15 (4) और 16 (4) अनुच्छेद में कहा गया है, उसके मुताबिक करें और माननीय सदस्य ई. अहमद साहब ने जो कहा है, उसका पारित करें और तदनुसार संविधान में संशोधन करें जिससे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के लोग है अथवा बुद्धिस्ट, जैन या जो भी सोशली और ऐजुकेशनल बैकवर्ड हैं, क्रिश्चियन्स में भी बहुत ज्यादा दबे हुए लोग हैं। उन सभी को संविधान में संशोधन करके प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे उनको आरक्षण मिले। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिनका ऐप्रोप्रियेट रिप्रेजेन्टेशन नहीं है, उनके लिए प्रावधान करना चाहिए और संविधान संशोधन होना चाहिए। हालांकि ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, संविधान की समीक्षा के लिए इन्होंने आयोग बैठाया है और देश भर में गरम अफवाह है कि यह सरकार चाहती है कि जो आरक्षण की प्रदत्त सुविधा है उसको खत्म किया जाए। लेकिन इनको हम खत्म नहीं करने देंगे चाहे जितनी कोशिश और हेराफेरी करना चाहें और फिर जो अभी तक अहमद जी ने अच्छा भाषण दिया और कोर्ट का फैसला भी सुनाया और अपने पक्ष का समर्थन किया है, हम भी इनके गैर सरकारी संकल्प का समर्थन करते हैं और प्रार्थना करते है कि इसको पारित किया जाए और तदनुसार संविधान में संशोधन करके संशोधन किया जाए, यही हमारा कहना है।

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): माननीय उपाध्यक्ष जी, जो गैर सरकारी संकल्प ई. अहमद जी ने सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के आरक्षण के लिए पेश किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजादी के 53 साल बीत जाने के बाद भी पिछड़े वर्गों की जो वास्तविक अवधारणा इस देश के संविधान में थी, जितने भी दबे, कुचले और पिछड़े लोग है, उनको सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर समान स्तर पर लाने के लिए अनुच्छेद 340 में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार दिया गया है कि समय-समय पर पिछड़े वर्गों की पहचान करके उनका स्तर बढ़ाने के लिए उनको विशेष अवसर प्रदान किया जाए जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ।

[श्री बालकृष्ण चौहान]

उपाध्यक्ष महोदय, उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने पूरे देश की राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया कि सभी राज्य सरकारें अपने प्रदेश में पिछड़े वर्गों की पहचान कर के नौकरियों और शैक्षिक सुविधा प्रदान करने के लिए आरक्षण का प्रावधान करे। उसके पश्चात् तमाम प्रदेशों में इस हेतु आयोगों की स्थापना हुई आन्ध्र प्रदेश में 1968 में मनोहर प्रसाद आयोग, बिहार में 1971 में मुंगेरी लाल आयोग और कर्नाटक में हवानूर आयोग 1972 मे बना। इस तरह से लगभग पूरे देश मे आयोग बने। महाराष्ट्र और केरल में भी आयोग बनाए गए। सभी आयोगों ने स्पष्ट रूप से यह चिन्हित किया है पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग है, उसमे कुछ वर्ग समुन्नत है और कुद अतिपिछड़े है। इसलिए अत्यधिक पिछड़े वर्गों की पहचान की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया मंडल कमीशन 1978 में बनया गया। उसमे अति पिछड़ा वर्गों की घोर उपेक्षा की गई है जबकि एल. के. नाईक ने बार-बार इस बात को उठाया कि पिछड़ा वर्गों में कुछ समुन्नत जाति के लोग है जो पूरे अतिपिछड़ा वर्गों का हिस्सा खा डालते हैं। इसलिए उन वर्गों को अलग करना चाहिए। सारे प्रदेश में अति पिछड़ा वर्गों का कोटा दिए जाने की सिफारिश की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो छेदी लाल साथी आयोग बना हुआ था, उसने स्पष्ट अनुशंसा की थी कि अतिपिछड़े वर्गों को चिन्हित किया जाए उन्हें 27 में से 15 का कोटा दिया जाए परन्तु यह काम नहीं हुआ। इसलिए जो 52 प्रतिशत की आबादी है उसमे 10 प्रतिशत लोग लाभन्वित हो रहे है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायाय ने अपने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में कहा था कि क्रमी`यर, समुन्त वगोड की पहचान होनी चाहिए। एल. के. नाईक ने मंडल कमीशन से स्पष्ट कहा था कि 27 प्रतिशत पिछड़े वर्गों के आरक्षण में से 15 प्रतिशत तक अति पिछडे वर्गों को कोटा तय करना चाहिए। पिछड़े वर्गों की कुल आबादी 52 प्रतिशित है और उसमे से 42 प्रतिशत अतिपिछड़ा वर्ग होता है। पिछड़ो की पूरी आबादी में यदि देखा जाए तो 82 से 85 प्रतिशत लोग अत्यन्त पिछड़े है जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, लेकिन 53 वर्षों के बाद भी आज तक 42 प्रतिशत जो अतिपिछड़े वर्ग की जातियां है आज तक आबादी के हिसाब से यदि देखे तो एक अरब में से 42 करोड़ की आबादी में देश में कोइरी, कहार, लोहार चौहान राजभट, मल्लाह आदि में असव हमें बताएं, यह सरकार बताए कि कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. और पी.सी.एस. अधिकारी बने है ओर भारत सरकार या प्रदेश सरकार की नौकरियों में है। 42 प्रतिशत जो अतिपिछड़ा वर्ग है। इसको देखते हुए यह कैसे माना जाए कि अतिपिछड़े वर्गों को उनका हिस्सा मिल रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री महोदय ओर केन्द्र सरकार से निवेदन तथा प्रार्थना है कि अतिपिछड़े वर्गों के साथ न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारें में लिखा गया है वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में भी लिखा हुआ है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को उनका हिस्सा मिला। आप कल्पना कीजिए कि यदि वे नहीं होते, तो दलितों का हिस्सा समुन्नत वर्गों के लोग खा जाते। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पिछड़े वर्गों और ओ.बी. सी में भी अतिपिछडे वर्ग को अलग किए जाने का निर्देश दिया गया। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हां ओ.बी.सी का आगे और वर्गीकरण किया जा सकता है, उपविभाजन किया जा सकता हैं हालांकि बालाजी बनाम मैसूर राज्य के केस में यह माना है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन 27 प्रतिशत जो कुल आरक्षण मिल रहा है उसमे से मेरा निवेदन है कि 15 प्रतिशत आरक्षण राज्यो मे अतिपिछड़ा वर्गों को देना निर्देशित करें और केन्द्रीय नौकरियों में उतना ही प्रतिशत दिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से पुन: निवेदन करूंगा कि अति पिछड़े वर्गों को अलग करके संविधान में उनके संबंध में जो व्यवस्था की गई है, उनको लागू करें।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बहरामपुर, उड़ीसा): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जब मैं श्री अहमद द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प पर बोले के लिए खड़ा हुआ हूँ तो, मुझे एक मानचित्रकार की महत्वाकांक्षा की याद आ रही है। एक मानचिकार यह सोच रहा था कि वह एक बड़ा मानचित्र बनाएगा-पृथ्वी जितना बड़ा-जिससे वह, सभी क्षेत्रा, सभी प्रदेशो ओर सभी पर्वतो कों ढ़क देना। परंतु उसके समने दो समस्याएँ उतपन्न हुई। समस्या यह थी कि इसे संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाना पड़ता। फिर, जो लोग इसे देखना चाहते उन्हें इस मानचित्र पर ही खड़ा होना पड़ता। यह दोनों की बात मानचित्रकार के लिए असंभव थी।

अब, मैं सोचता हूँ कि श्री अहमद मानचित्र की महत्वकांक्षा को इस सभा मे लेकर आए है। उन्होंने भारत के संविधान से विभिन्न उद्धरणों और विद्वानों द्वारा दी गयी उनकी परिभाषाओं को खुल कर उद्धत किया है जैसे वे किसी धर्मग्रन्थ से उद्धरण दे रहे हो। मैं यहां यह बताना चाहूगा कि जो भी चर्चा हुई थी, यह संविधान में पहले ही में सन्निहित है? संविधान के अनुच्छेद 16(4) में इस पर विस्तृत चर्चा की गई है किन लोगों को आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत रखा जाए। मैं यह निवेदन करूंगा कि अनुच्छेद 16 (4) पर विचार करते हुए, अनुच्छेद 366 के बारे में विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जिसमे इसका स्पष्ट संकेत है कि कौन से लोग है जिन्हें आरक्षण दिया जाएगा और जो अन्य पिछड़े वर्ग की श्रणी म आएँगे।

भारतीय समाज कई शताब्दियों तक जाति प्रथा के दुष्प्रभावो से पीड़ित रहा है। इससे देश में एक जटिल स्थिति पैदा हो गयी जिसके परिणामस्वरूप संविधान के निर्माताओं और राजनेताओं ने सामाजिक रूप से हाशिये पर रह रहे लोगों के कल्याण के लिए -जसे जीवन में ऊपर नहीं उठा पाए थे कुछ सुविधायें देना उचित समझा। इसका परिणाम यह हुआ कि, आरक्षण किये गये। परन्तु यह बात भी हमें ध्यान मे रखनी है कि क्या हमें आरक्षण सबधी मानदंडो पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हैं हमें सामाजिक स्तर ओर अन्य उन पहलुओं पर गौर करना चाहिए, जिनसे हम संचालित होत है।

आज समाजिक गतिशीलता बहुत अधिक है और भारत के आम लोगों के दैनिक जीवन पर लोकतंत्र का प्रभाव साफ दिखता है।

अपराह्न 4.59 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

जब यह देखा गया लोकतत्र में आम तोर पर लोगों का बढ़ावा दिया है ना मै उन लोगों बा स्वय को उपेक्षित अथवा हाशिए, पर रखा गया महसूस करते है से पूछना चाहता हूँ वे खुद समाज की उपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश क्यों नही करते?

मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे पिछड़ी जातियों और मुसलमानों की शिक्षा के बारे मे विचार करें। मैं यहाँ मंडल आयोक के विस्तार में नही जाना चाहता क्योंकि, व्यक्तिगत रूप से, मैं समझता हूं कि यह पल्मेमुख कदम है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, यह सभी के लिए उपलब्ध है। मुसलमान समुदाय में इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। मदरसा संस्कृति आर्थिक और सामाजिक व्यय से ज्यादा संचार दोनों दृष्टियों से पिछड़ेपन तथा शिक्षा के आाव ने भारत में मुसलमानो के लिए समस्या उत्पन्न की है।

अपराह्न 5.00 बजे

आज भी, मुसलमानों के कुछ समुदायों, प्रांरभिक जाति प्रथा विद्यमान है जैसाकि कई ईसाई समुदायों में भी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, बहरामपुर उड़ीसा मे, एक लाख के करीब ईसाई है, निमे से लगभग 30,000 से 40,000 अनुसूचित जाति के है और बाकी जनजातियो से है। आज भी, हाँलाँ ईसाई र्म जहां तक जाति का सबधं है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, परंतु मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रकार के चर्च है, एक अनुसूचित जाति के ईसाइयो के लिए और दूसरे अनुसूचित जनजाति के ईसाइयो के लिए। मैं माननीय सभापति महोदय से निवेदन करूंगा, महोदय, आप 1866 के अकाल कों याद करें, जिसने पूरे उड़ीसा को अपनी लपेट मे लिया था, और करीब तीन से चार लाख लोग उस अकाल मे मर गये थे। जिन लोगों को खाना नहीं मिलता था उन्हे ब्रिटिशो द्वारा आयोजित सामुदायिक भोज मे जाना पड़ता था। जिन लोगों ने इन सामुदायिक भोज से भोजन प्राप्त किया उन्हें 'चत्राखाना' -कहा जाता था - 'चत्रा' का अर्थ सामुदायिक रसोई होता है-और उन्हे हिन्दु समाज द्वारा फिर से अपनाया नहीं गया। यही अमारे हिन्दु सामाजिक ढांचे की स्वामियाँ है। इसके परिणामस्वरूप, भिन्न भिन्न जातियो के जिन लोगों ने इस सामुदायिक भोज में भोजन किया वे ईसाई बन गये।

[अनुवाद]

आज तक भी, वे लोग जिन्होंने लगभग 130 से 140 साल पहले ईसाइयों का स्वागत किया था वे अनुसूचित जाति समूहों से बने ईसाइयों से एक नहीं हो पायेंगे। इसलिए, हमारे समाज में यह विकट स्थितियों उत्पन्न हो रही हैं

महोदय, मुसलमानों में, मैं एक विशेष परिवार से परिचित हूँ जो 'शासन' में रहता था। 'शासन' अंग्राहर' में है जिसे राजा ने ब्राह्मणों को दिया था। उस गांव मे लगभग 150 घर है, जिनमें से एक घर मुसलमान हो गया किंतु वह अन्य क्षेत्रो में रहने वाले मुसलमानों में घुल-मिल नहीं पाया। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में काका केलकर की रिर्पोट से स्पष्ट है, कि मुसलमानों मैं आज भी चार वर्ग है, जो स्वयं को उसी नाम से पुकारा जाना पंसद करते है क्योंकि इसी कारण से उन्हे पहले विशेष सम्मान तथा विशेषाधिकार प्राप्त थे या वे जिस समाज मे रह रहे हैं उसी में खुश है। 500 वर्षो तक मुसलमानो ने इस देश पर शासन किया। शासक वर्ग के रूप मे उन्होने सर्वोत्तम जीवन व्यतीत किया और करते आए और स्वभाविक ही है कि उन्होनें अपने जीवन के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था की हो।

इस समय, मेरे विचार से उन्हे आरक्षण देना सही नहीं है क्योंकि इस समय उन्हें रियायते प्रदान करने से कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। अति-उत्साह के कारण हमारे समाज जिसका सुखवृद्ध निम्न ही है में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो का आरक्षण प्रदान किया है, और अन्य ओर आरक्षण देने से व्यवस्था भंग होगी।

श्री ई. अहमद ने केवल मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए अपना मुद्दा बार-बार उठाया है। उन्होनें, सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य लोगों को बारे में अधिक नहीं कहा है। अ० पि० जा० को ये चीजें उपलब्ध कराई गई है।

महोदय, क्या अब में अपनी बात समाप्त करूँ? महोदय, क्या आप चाहते है कि मैं अब समाप्त करूँ?...*(व्यवधान)*

मैं देख रहा हूँ कि आप यही चाहते हैं अत: मैं आपकी ईच्छाओं का आदर करते हुए, मैं अपनी बात तुरन्त समाप्त करता हूँ क्योंकि मेरे विचार से अध्यक्षपीठ मेरी बात सुनना नहीं चाहते। इस प्रकार मुझे कहना चाहिए कि बजाय यह कहने के...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ऐसा नहीं है। इसके बजाए बाद वाले प्वाइंट, पर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। ये अच्छे मुद्दे उठा हे है और अंत में मुझे इनका विरोध करना है...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू: धन्यवाद। मुझे समझता हूँ कि मैं न तो आपका विरोधी हूँ ओर न ही मित्र।

इसीलिए, मैं यहां यह कहना चाहता हूँ कि जब आप आरक्षण के बारे में सोच ही रहे है। तो इस समय इससे समाज में एक असंतुलन पैदा हो जाएगा।

जैसा कि आप देख ही चुके है, पिछले आठ से दस सालों से समाज मे एक तनाव पैदा हुआ है क्योंकि 50 से 53 सालों से एक निश्चित आरक्षण दिया गया है जिससे एक 'सख्त परत' उभरी है जिसे शिष्ट शब्दों मे हम 'क्रमी लेयर' कहते हैं

[श्री अनादि साहू]

क्रीमी लेयर के लोगों का मामला ही लीजिए। पहली पीढ़ी के लोग अच्छे थे, उनके विरूद्ध किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी पीढ़ी के लोगों को सहन किया गया और अब तीसरी पीढ़ी के लिए यहां असहिष्णुता है। वंचित लोगों में क्रीमी लोयर नहीं होगी। मेरे राज्य में, धोबी समुदाय है। वे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते है और आरक्षित वर्गों में उन्होनें सभी कार्यालये में पदों को प्राप्त किया हैं

अनुसूचित जनजाति का मामला लीजिए। यहां कई लोग है उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और सांसद श्री गमांग जनजातियों के एक विशेष समुदाय से आए है। उन्होंने, इस देश द्वारा किए गए अवसर का भरपूर उपयोग किया है। परिणामस्वरूप, हमने उन अन्य जातियों या समुदायो के मूल्य पर क्रीमी लेयर का सृजन किया जो कभी उभर नहीं सकी।

अब, जब हम किसी के लिए आरक्षण पर विचार कर रहे है तो हमे सुव्यवस्थित प्रकार से क्रीमी लेयर हटो की दिशा में सोचना होगा बजाए इसके कि अगले 50 सालो में क्रीमी लेयर को कम किया जाए। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ जब हम आरक्षण दें तो दूसरी ओर तीसरी पीढ़ी को तो सहन किया जा सकता है किंतु उस क्रीमी लेयर की चौंकी या पांचवी पीढ़ी को किसी भी प्रकार का आरक्षण नही दिया जाना चाहिए ताकि अगले 50 सालों के दौरान इस आरक्षण को कम किया जाए और जनता में सहिष्णुता लाई जाए क्योंकि यदि हम आरक्षण पर किसी भी कोण से विचार करें तो इसी दिशा में होना चाहिए। इसे अभी नहीं, बाद में भी उठाया जा सकता है क्योंकि हमें अब, अपनी पुरानी गल्तियों को सहन करना होगा किंतु सभी लोगों को आरक्षण देकर गलत को सही नहीं किया जा सकता।

कुछ लोगों को ये मजाक में कह रहा थ कि यदि आप चाहते है कि आरक्षण दया जाए तो ब्राह्मणो ओर क्षत्रियो को केवल दो प्रतिशत दीजिए ओर बाकी सामान्य वर्ग होने चाहिए। खैर, इस दिशा मे सोचा जा सकता है। यह मैंने मजाक में ही कहा था किंतु अभी में कहना चाहता हूँ कि धार्मिक आधार पर दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के आरक्षण से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। हमारे धैर्य की जो बहुत नाजुक है और यह डोर किसी भी बजह के छटनी नहीं चाहिए।

जैसाकि कि मैंने पहले कहा, मुख्य मापदण्ड या उद्देश्य जाति व्यवस्था और धार्मिक सोच या धार्मिक विचारों का तबादा उतारने का होना चाहिए। मैं नास्तिक हूँ। इसलिए मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि यदि हम सही प्रकार से धर्म व्यवस्था को समाप्त कर सकते है तो मेरे विचार से भारत उत्तम देश होगा। इसका शासन उत्तम ढंग से हो सकता है और यहां लोकतंत्र भलीभांति फलफूल सकता है।

यह कहा जा रहा था कि दलित मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह नई बात है। वीर मुहम्मद का शुक्र है कि मुसलमान समुदाय में सामाजिक पद्धति का निर्धारण किया गया और अरब कबीले की कार्य पद्धति को एक क्रांतिकारी रूप दिया गया। जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे ख्याल से विभिन्न धर्मो के करीब 340 देवता या गोत्र थे। पैगम्बर ने सभी को समंकित किया और उन्हें एक छत के नीचे लाए और एक क्रांतिकारी मंच प्रदान किया और समाज में महिलाओं को भी एक हैसियत प्रदान की। मुसलमान, समुदाय में जाति व्यवस्था के बारे में नहीं सोचा गया मगर जब दलित मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की जा रही है मेरे विचार म समुदाय को बिहार और केरल में कुछ आरक्षण प्रदान किया गया है।

मैं कहना चाहता हूँ कि केरल ने अपनी जनता को शत प्रतिशत साक्षरता प्रदान करी है ओर जनता को जाति या धर्म का विचार किए बिना रोजगार के अवसर प्रदान किए गए।

मैं माननीय श्री ई. अहमद से केरल का उदाहरण लेने का अनुरोध करूँगा। जब आप भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा कुछ समय में भारतीय पुलिस सेवा का सदस्य था या बैंक सेवा का विचार करते है तो वहां उदार किस्म की सामान्य शिक्षा की ही आवश्यकता होती है न कि 'मदरसा' किस्म की शिक्षा की।

ऐसी शिक्षा से वे पाठरी या मौलवी की बन सकेंगे। जिससे वे धार्मिक नेता बनेंगे किंतु वे जीवन मे स्पर्दात्मक कार्यो मे सफल नही हो सकते जहा उन्हे सामान्य शिक्षा समाज और विश्व के प्रति व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यदि उन लोगों को शिक्षा सही प्रकार से नहीं मिल पाएगी तो उनके लिए समतावादी समाज से प्रतिसपर्द्धा करना और इस देश के प्रति सर्वोत्तम योगदान करना संभव नहीं होगा।

महोदय, राज्य, देश, संविधान और समय-समय पर बनाई गई विधियों ने अवसर प्रदान किए हैं किंतु अवसरों का लाभ उन लोगों को प्राप्त करना चाहिए जो नेता हैं। मैं मुसलमान समुदाय के बारे में नहीं बोल रहा हूँ किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुसलमान समुदाय में शीर्ष स्तर को ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुसलमान समुदाय को एक नेतृत्व प्रदान कर सके ओर कह सके कि 'आप भिन्न प्रकार से आगे आएं, देश में जो सर्वोत्तम है उसमें स्पर्दा करे ओर इस समाज के सर्वोत्तम प्राप्य को प्राप्त करें।

महोदय, अनुच्छेद 16 (4) और उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय भाषण समाप्त करना चाहूँगा जिसे श्री ई. बहमद आंशिक से उद्धृत किया था। मैं कहना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि भारत के लिए आनुपातिक आरक्षण सही नहीं है। मैं उद्धृत करूँगा।

> "पर्याप्त प्रतिनिधितव का आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता। यह संभव नहीं है कि जनसंख्या के अनुपात के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाए"

और कई बाते है, जिनका उद्धरण मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ।

इन्हीं कुछ बातों के साथ, मैं संकल्प का विरोध करता हूँ और श्री ई. अहमद से इस संकल्प को वापस लेने का निवेदन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, ई. एहमद साहब एक विचित्र प्रस्ताव देश के सामने लाए है। 1947 मे देश आजाद हुआ। आज इतने समय के बाद भी वे सदन में आरक्षण की बात लेकर आए है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, मैं कही मुसलमानों का विरोधी नहीं

हूं। मैं मुसलमानों के मुशायरों, कव्वाली के कार्यक्रमों और शादी-ब्याहों में जयपुर में जाता रहता हूँ। वे लोग भी मेरी कद्र करते है और मैं भी उनकी कद्र करता हूं करता रहूंगा। मुस्लिम जाति का आरक्षण हो जाए तो यह थोड़ा सा अटपटा लगने वाली बात है। जो भी व्यक्ति क्लाफिाइड हें, वे सामने आ रहे है।

सभापति महोदय, आप बड़े विद्धान है, आप भी जानते है कि भरत मे दो मुसलमान राष्ट्रपति हुए है। भारत के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद भी रह चुके है जिनका चित्र संसद के केन्द्रीय कक्ष मे लगा हुआ ओर उनकों हम बहुत श्रद्धा से निहारते है। लोक सभा मे भी अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का पद हो, चाहे राज्य सभा में हो, हमने उनकों सम्मान दिया है और देते रहेंगे। यदि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आरक्षण मांगे तो फिर मैं भी कह सकता हूं कि मैं अकेला भार्गव लोक सभा मे चुन कर आया हूं इसलिए मुझे भी आरक्षण दिया जए, बोलने का आरक्षण दिया जाए, मंत्रिमंडल में दिया जाए। इसलिए मेरी ई. अहमद साब से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि इस पकार की मांग, 1947 मे जब देश आजाद हुआ, जिसकों भारवर्ष कहते है।

भारतवर्ष में इस प्रकार की मांग रखना उनके लिए उचित नहीं है वर्ना सभी जातियो यहां धम के आधार पर रिजर्वेशन मांगेगी। जाति कर्म के आध ार पर बनी है। कई बार खाती लोग निको हम बढ़ई कहते है, वे भी अपने आप को ब्राहमण कहते है। खाती जाति भी अपने आपको शर्मा कहती है। हमारे पूर्वजो ने चार वर्ण रखे थे- ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण है ताकि ये चारों वर्ण आपस मे झगड़ा न करें और एक होकर रहें।

दीपावली का त्यौहार बड़े उत्साह से सेठ लोग मानते है। रात को बारह बजे बिल्ली के लिए कटोरा रखते है कि वह दूध पी जाये और यदि कमरे में आ जाती है तो ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी घर मे आ गई, वे चद्दर बदलेंगे और बहीखाते बदलेंगे। इस त्यौहार की रचना वैश्यों के लिए की गई। अस्त्र-शस्त्र पहनकर रहे, अस्त्रों में धार लगी रहे, इस उद्देश्य के लिए दशहरे के त्यौहार की रचना की गई तथा ब्राहमण के लिए कलेवा होता था। पहले कलनी चलती थी, वह अब बंद हो गई है अब तो यह हो गया है कि बहन जितनी बड़ी राखी भाई के बांधेगी, चाहे वह उसके पेट तक आ जाये, वही प्यार माना जाता है। तो रक्षा-बंधन का त्यौहार ब्राहमण के लिए रखा गया। ये चारों वर्ण आपस मे न भिडे, एक होकर रहे, इसके लिए शूद्रों के लिए होली के त्यौहार की रचना की गई। होली के त्यौहार पर वे कहेंगे कि आइए जजमान, नीचे आएं, गुलाल लगवाइए। तब से ये चारो वर्ण हमारे देश मे चल रहे है।

इसलिए मैं ई. अहमद साहब से निवेदन करूंगा कि उन्होनें जो तर्क दिये है, उन्होनें सरदार पटेल साहब, राजगोपालाचारी जी तथा श्यामा प्रसाद जी का नाम भी दिया है हम लोगों को यह चाहिए कि हम बच्चों का पढ़ने के लिए भेजें और बच्चे पढ़ेंगें-लिखेगें और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो वे चुनाव लड़कर अपने आपसे यहां आ सकते है। मैं यहीं बताना चाहता हूं कि हमारा भारत वर्ष ऐसा प्रधान देश है और हमने सर्वदा मुसलमानों की कद्र की है। भारत सरकार की कोई भी पार्टी आई है, उन्होंने मुसलमानों की कद्र की है। हमने कभी भी मुसलमानो का निरादर नहीं किया है। इसलिए रिजर्वेशन आपने मांग लिया तो लगेगा कि वह छोटी जाति हो गई, कमजोर हो गई। हम तो हिन्दु और मुसलमान को बराबर का सगा भाई मानकर चलते हैं रिजर्वेशन से यदि लोक सभा में आ गये या विधान सभा मे आ गये तो इस रिजर्वेशन से एक प्रकार छोटापन नजर आता है वर्ना आज तो देश मे झगड़े हो रहे है। हर आदमी चाहता है कि उसे रिजर्वेशन दिया जाये। आज तो ब्राहमण भी कह रहे हैं कि वे अल्पमत में है, हिन्दू भी अल्पमत में आ रहे है। रिजर्वेशन तो उसे मिलता है जो कमजोर हो, जो पढ़ा-लिखा नहीं हो, जा धनवान नहीं हो, बराबर का नहीं हो।

हमारे संविधान निर्माताओं ने रिजर्वेशन दस वर्ष के लिए किया था, फिर इस बढ़ाकर दस वर्ष के लिए किया था, फिर से बढ़ाकर दस वर्ष के लिए और कर दिया। यह रिजर्वेशन का मामला बढ़ता ही जा रहा है। हमने यह कहा कि आर्थिक आधा पर जो जाति कमजोर है, उसे रिजर्वेशन एक बार दिया जाना चाहिए, बराबार नही दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि किसी एससी या एसटी के घर मे चार लड़के पैदा हुए है तो चारो को रिजर्वेशन दिया गया और वे चारों आईएएस बन जाये और दूसरी जाति के लोग नौकरी के लिए तरसते रहे। मैं समझता हूं कि यह सिंति अत्यंत गंभीर होगी कि एक तरफ तो एक जाति के लोग बेराजगार होकर बैठे रहे और दूसरी तरफ रिजर्वेशन वे आधार प दूसरी जाति के लोग आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए मेरा ई.अहमद साहब से निवेदन है कि वह इस प्रस्ताव को वापस लें।

इस देश में स्वतंत्र भारत में लोग मुसलमानों की कद्र कर रहे है और आगे भी कद्र करते रहेंगे। कोई सी पार्टी आये, हम मुसलमानो को बराबर का अपना भाई मानकर चलते है, इसलिए वह आगे भी इस प्रकार का प्रस्ताव नही लाएंगे, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। उन्होंनें बहुत मेनत करके, काफी सारे कुटेशंस देकर, आज डेढ़-दो घंटे अपने पक्ष में तर्क दिये हे और पिछले सत्र से वह इस पक्ष मे तर्क देते आ रहे है। उन्होंनें अपनी जाति के लिए वकालत की है, उन्होने इस संबंध मे काफी अध्ययन किया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूँ लेकिन मेरी उनसे यह प्रार्थना है कि वह इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाऐं। इसलिए चाहे तो यह मान लीजिए की मैं इसका विरोध कर रहा हूं लेकिन मैं विरोध भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं इसका समर्थन करने के लिए भी अपने आपकों असमर्थ पाता हूँ। मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि इस देश मे इस प्रकार का प्रस्ताव नही लाना चाहिए।

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री ई॰ अहमद ने मुसलमानों सहित सामाजिक और शैक्षिक स्वरूप से पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में नियुक्तियो और पदों में आरक्षण तथा शैक्षिक संस्थाओ में प्रवेश के लिए संकल्प लाने की मांग की हैं। उन्होंने प्रस्ताव किया है कि यह आरक्षण, आरक्षण प्रतिसतता की अधिकतम सीमा के विपरीत किसी न्यायालय के किसी निर्णय के बजाय उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होना चाहिए।

इस संदर्भ में मैं सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 16(4) के खंड (4) मे दिए गये उपबंधों की और आकर्षित करना चाहूंगी जो नागरिकों के पिछड़े वर्ग से संबंधित पदो पर नियुक्ति के लिए राज्य को

[श्री मेनका गांधी]

सक्षम बनाता है जिनका राज्य के विचार से राज्य के अंतर्गत होने वाली सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत सरकार, तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गऐ उपबंध के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है।

संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (4) के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिणिक रूप से पिछड़े नागरिकों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष उपबन्ध किए जाने के संबंध में राज्य को सामर्थ्य प्रदान किया गया है। कई राज्यों में इस अनुच्छेद के उपबंध के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण किया गया है।

जैसा कि मान्य सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार (मंडल आयोग का मामला) मामले में यह विनिर्णय दिया है कि अनुच्छेद (16) के खंड (4) में दी गई उल्लिखित आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बताया :

> "जबकि आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत का नियम है, यह आवश्यक है कि इस देश और लोगों में भारी विविधता की असाधारण स्थिति के देखते हुए इस पर विचार किए बिना नहीं रहा जा सकता। ऐसा हो सकता है कि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से अलग होने के कारण तथा उनकी स्थिति और प्रकृति भिन्न होने के कारण उन्हें अलग तरीके से देखे जाने की आवश्यकता है, इस संबंध में इस कड़े नियम में कुछ छूट दिया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्कता है तथा इसे एक विशेष मामला समझना चाहिए।"

उपर्युक्त मामले में, उच्चतम न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि:

> "खंड (4) में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात की गई है न कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। 'पर्याप्त प्रतिनिधित्व' को 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' नहीं पढ़ा जा सकता।"

दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग (मंडल आयोग) ने निम्नलिखित मानदंडो के आधार पर न केवल हिंदुओं में बल्कि गैर-हिन्दुओं में भी अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान की है :

(1) सभी अस्पृश्य लोग जिन्होंने हिन्दू धर्म की छोड़ कर अन्य धर्म अपना लिया, और

(11) ऐसा व्यवसायिक समुदाय जो अपने परंपरागत आनुवांशिक व्यवसाय के नाम से जाने जाते हैं। और जिनकी हिन्दू सजातियों का नाम हिंदू अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल है।

मंडल आयोग की सूची और राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सामान्य सूची को भारत सरकार के प्रशासनिक पदों तथा अन्य सेवाओं हेतु आरक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य सूची में शामिल कर लिया गया है। सामान्य सूची तथा राज्य सरकारों की सूची में मुस्लिम व्यक्तियों सहित अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रस्तावित आनुपातिक प्रतिनिधित्व निम्न कारणों से नहीं हो पाता:

(क) एक हमारे समाज में जाति अभी भी सर्वाधिक विघटनकारी तत्व है किसी भी व्यक्ति के सामाजिक स्तर, सामाजिक संबंध और राजनीतिक संबंध जैसे पहलुओं पर ध्यान दिए बिना, इस मामले को वैधानिक मान्यता प्रदान करना उपयुक्त नहीं होगा।

(ख)भारत के संविधान में, "कमजोर वर्गों" "पिछड़े वर्गों और "सामाजिक और शैक्षिणक रूप से पिछड़े वर्गों" को संरक्षण दिए जाने के संबंध मे विशेष उल्लेख किया गया है। हालांकि "जाति" का उल्लेख संविधान में इसलिए किया गया है। ताकि जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाई जा सके। जाति आधारित जनगणना से अन्य पिछड़े वर्गों को श्रेणीबद्ध किया जा सकेगा, जिससे कतिपय जातियों की अनदेखी हो सकती है इस प्रकार सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक पिछड़ेपन के पहलू की अनदेखी हो सकती है और यह संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) वर्तमान में जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का ही उल्लेख किया जाता है। यदि व्यक्तिक जाति के आधार पर जनगणना की जाती है तो, इससे जाति के आधार पर बहुत सी जनसंख्या विभाजित हो जाएगी। इससे 'जाति' की परिभाषा को स्पष्ट और पूर्वानुमानित किया जाएगा जिसकी जानकारी जनगणना करने वाले अधिकारियों और साथ ही उत्तर देने वाले लोगों दोनों को है। यह कार्य अत्यंत कठिन है क्योंकि जातियों में कई उपजातियाँ शामिल होती हैं, कई बार तो उप-उप जातियों तक शामिल होती हैं। जातियों की संख्या इतनी अधिक है कि सभी को शामिल करने से जनगणना का कार्य अत्यंत पेचीदा हो जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्यों पर कमजोर वर्ग के लोगों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देते हुए इन्हें प्रोत्साहित करने का दायित्व है और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से बचाने का भी दायित्व है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कमजोर वर्गों के छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनमें छात्रवृत्ति, परीक्षा पूर्व कोचिंग और छात्रावास की व्यवस्था शामिल है। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी सगठनों जैसे मौलाना आजाद शैक्षणिक फाऊंडेशन, अम्बेडकर फाऊंडेशन इत्यादि को भी सरकार सहायता दे रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए मौलाना आजाद एजूकेशनल फाऊंडेशन, विशेष रूप से संपूर्ण देश के 332 गैर-सरकारी संगठनों को जो अल्पसंख्यों के शैक्षणिक विकास के लक्ष्य से विभिन्न कार्यक्रम चलाती है तो 45.64 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। सच तो यह है, कि यह बहुत अच्छा फाऊंडेशन है। सभी 332 गैर सरकारी संगठन शत-प्रतिशत और अच्छा कार्य कर रहे हैं।

विगत दो वर्षों में कुछ वक्फ बोर्डों को आई. टी. आई पोलिटैकिनिक और विद्यालय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम सहित शीर्ष स्तर के निगमों की स्थापना अल्पसंख्यकों और

कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना की गई है।

मेरे मंत्रालय का यह विचार है कि पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान उन्हें अच्छी शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा देकर तथा आर्थिक रूप से लाभप्रद व्यवसाय प्रदान करके किया जा सकता है संकल्प में यथा प्रस्तावित जनसंख्या के अनुपात में सेवा और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करके कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का विकास करने से समाज का विघटन होगा और यह संविधान के अंतर्गत अपनाए गये सबके लिए समान अधिकार वाले एक धर्मनिरपेक्ष भारत की स्थापना के दर्शन के विरुद्ध होगा।

इससे पहले की मैं कोई अनुरोध करूंगा, मैं माननीय सदस्यों का इस चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं माननीय सदस्य डा० रघुवंश प्रसाद सिंह का अन्य पिछडे वर्गों की सूची मे पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शामिल करने तथा अनुसूचित जातियों के लोगों को अधिसूचित करने के लिए कहने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। इस कार्य को करने के लिए हमें एक कड़ी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। श्री बालकृष्ण चौहान ने सम्पन्न वर्ग की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला है। हमने उच्चतम न्यायलय के निर्देशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्ग को पहले की परिभाषित कर दिया है। श्री अनादि साहू ने मदरसों मे मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण और उदारीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जो काम मौलाना आजाद ऐजूकेशनल फाऊंडेशन और मंत्रालय के अन्य फाऊंडेशन कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास भी आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया के लिए विशेष योजनाएं है तथापि समुदाय के सुधार के लिए किए जाने वाले अधिक प्रयासों से इस प्रक्रिया में अधिक तेजी आएगी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि आरक्षण का लाभ केवल कुछेक परिवारों को नहीं मिलना चाहिए। इसे रोकने के लिए सपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) की अवधारणा शुरू की गई है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि बताये गये कारणों को देखते हुये हो सकता है कि श्री ई. अस्मद द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यो का संकल्प इस सम्मानीय सभा में पारित न हो।

श्री ई. अहमद: सभापति महोदय, मैने इस देश में विद्यमान वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुये नेक इरादे से यह संकल्प प्रस्तुत किया था। जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे देश में अनेक जातियां, धर्म और भाषाएं है जहां काफी अधिक जनता रोजगार तथा अन्य चीजों के अभाव के कारण कष्ट भोग रही है जब मैंने यह बताया कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, माननीय सदस्यों- मैं उनका बहत आभारी हूँ - ने यह सुझाव दिया कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए और उसे आधुनिक बनाया जाना चाहिए तथा और ज्यादा शिक्षा दी जानी चाहिए तथा अपने संकल्प में भी मैंने इस बारे में उल्लेख किया है। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारे कई बच्चों को वहां प्रवेश नहीं मिलता। केरल मे हमने एक उदाहरण पेश किया था। मुसलमानों ने एक नारा अपनाया है 'शिक्षित करो या बरबाद करो'।

अल्पसंख्यकों को कहां सुविधा मिलती है? हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। इसीलिए इस संकल्प पर बोलते समय श्री अनादि साहू ने भी संकल्प का उल्लेख किया था। जब यह संकल्प अस्वीकृत हो जायेगा या वापस ले लिया जायेगा, उसके साथ ही वह भाग भी अस्वीकृत हो जायेगा अथवा वापस ले लिया जायेगा।

माननीय मंत्री जी ने मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन्स् और अन्यों के कार्यों का उल्लेख किया था। मै। यह कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को लाने की बड़ी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए ये काफी कम है।

मेरे विद्वान मित्र, श्री अनादि साहू ने मुझे 'कार्टोग्राफर' बताया था। कार्टोग्रोफट, का अर्थ है 'ऐसा व्यक्ति जो कल्पना मात्र करता है।' 'कार्टोग्राफर' कौन है?

श्रीमती मेनका गांधी: 'कार्टोग्राफर' का अर्थ है 'ऐसा व्यक्ति जो नक्शा बनाता है' न कि 'ऐसा व्यक्ति जो कल्पना मात्र करता है'।

श्री ई. अहमद: मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र स्वयं 'कार्टोग्राफर' है क्योंकि वह मंडल आयोग की रिर्पोट की वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यह एक अवनति की ओर ले जाने वाला कदम था। लेकिन वास्तविकता यही है और सारे देश ने इसे स्वीकार किया है। इसे अब व्यवहार में लाया जा रहा है और इसे अब क्रियान्वित भी किया जा रहा हैं। लेकिन वह कहते है कि यह एक उल्टा कदम था। मैं 'कार्टोग्राफर' नहीं हूं क्योंकि मैं इसे और विशेष रूप से कोई काल्पनिक कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं वास्तविकता को ध्यान में ला रहा हूं; हम वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकते।

एक ओर तो हम यह कहते है कि हमें अल्पसंख्यकों के शैक्षिक मानदंडो में सुधार करना होगा और दूसरी ओर मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए हमारे पास शैक्षणिक सुविधाएं नहीं हे। मैने अपने पिछले भाषण में अन्य अल्प संख्यकों का उल्लेख किया था। मैने विशेष रूप से मुसलमानों के बारे में बताया था क्योंकि मुस्लिम समुदाय न केवल इस देश का अपितु विश्व में भी दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है।

भारत को इस बात का गर्व है कि यह मुस्लिम आबादी वाला दूसरा बड़ा देश है। यह श्रेय हमारे पड़ोसी देशों को भी नहीं जाता - बंगलादेश तीसरे अथवा चौथे स्थान पर है; पाकिस्तान चौथे अथवा पांचवें स्थान पर है। इंडोनेशिया के बाद मुस्लिम आबादी वाला दूसरा बड़ा देश भारत है। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर यह कह रहे हैं कि भारत मुस्लिम आबादी वाला दूसरा बड़ा देश है। मैंने इस देश के लिए भी बहस की है। भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में मैनें संयुक्त राष्ट्र संघ में लगातार छः बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन हमारे देश में ही क्या हो रहा है?

[श्री ई. अहमद]

हमारा उचित प्रतिनिधित्व भी नहीं है। 'हमारा' से तात्पर्य है 'मुस्लिम'; मैं सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहा हूँ।

उन्हें सुविधायें प्राप्त नहीं है उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। मैने विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव बरते जाने के बारे में भी बताया है।

मैं यह संकल्प क्यों लाया हूं? मैं केवल सरकार से यह आग्रह करने के लिए यह संकल्प लाया हूँ कि वह एक उपयुक्त विधान लाये। उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी की है लेकिन मैं नहीं समझता कि उसकी टिप्पणी किसी भी मायने में परम मान्य है। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की सीमा निर्धारित कर दी है, जबकि मंडल आयोग ने 1980 में आरक्षण के प्रयोजनार्थ 52 प्रतिशत जनता की पहचान की है। उनकी जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद न्यायालय ने 50 प्रतिशत से अनधिक आरक्षण की सीमा निर्धारित की है। 22.5 प्रतिशत आरक्षण अ.जा./अ.ज.जा. के लिए है और शेष 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए है। मैं इस सम्माननीय सभा में यह संकल्प लाया हूँ क्योंकि संसद ही संविधान में संशोधन करने वाला एकमात्र सक्षम प्राधिकरण है।

मैंने कठिनाइयों का भी उल्लेख किया था और मैंने अनुच्छेद 16 (4) के बनने के आरंभिक इतिहास के बारे में भी बताया है लेकिन इसकी दूसरे रूप मे व्याख्या की गई है। न्यायमूर्ति कनिया और न्यायमूर्ति पतनजली शास्त्री जी ने इसकी जो व्याख्या की थी, वर्तमान न्यायाधीश उससे भिन्न व्याख्या कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसमें बार-बार परिवर्तन हो सकता है।

मुझे एक बात से बहुत निराशा हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह बहुत कुछ कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने कुछ धनराशि अलग रखी है। मेरे विचार से यह काफी कम है। नि:संदेह मंत्री महोदय उतनी धनराशि खर्च कर रहे होंगे जितनी कि मंत्रालय को आबंटित की गई है, लेकिन सरकार की ओर से कम से कम यह आश्वासन तो दिया जाना चाहिए कि वह देश की आबादी के दूसरे सबसे बड़े खंड का ध्यान रखेगी।

पिछले 50 वर्षों से यह अल्पसंख्यक समुदाय सभी सरकारों को समर्थन देता रहा है। वे इस देश का अभिन्न अंग बन गये हैं; वे इस देश की मुख्यधारा में मिल गये हैं। वे कहीं ओर नहीं देख रहे हैं। यह देश हमारा है। हम यही पैदा हुये, हम यही रह रहे हैं और हम अल्पसंख्यक यही मर जायेंगे। लेकिन उस अल्पसंख्यक समुदाय को, उस वर्ग के लोगों को कम से कम कुछ आश्वासन तो दिया ही जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस संकल्प को 'धर्मनिरपेक्ष विरोधी' मानता है तो मैं न केवल इसका विरोध करता हूँ बल्कि यह भी कहूंगा कि उनके इरादे नेक नहीं थे। जब हमने इस सरकार को बताया कि अल्पसंख्यक ऐसा चाहते हैं, तो क्या यह धर्मनिरपेक्ष विरोधी है? जब हम सरकार से यह कहते हैं तो हम इसे अपना अधिकार मानते हैं। हमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यह अल्पसंख्यकों का जायज सवैंधानिक अधिकार है। उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उनके मतों पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

अपने मित्र श्री अनादि साहू की तरह मुझे भी उनकी समस्याओं के बारे में काफी कुछ पता चला है। यदि ब्राह्मणों को दो प्रतिशत आरक्षण दे दिया जाये तो वह बहुत प्रसन्न हो जायेंगे। मैं यहां एक लघु कथा सुनाना चाहूंगा। एक आदमी अपनी भूख से अधिक खाता है और अपने मित्र को अपनी जरूरत से ज्यादा खाने की आदत के कारण हुई समस्या के बारे में बताता है।

इस पर उनके मित्र ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने गले में अंगुली डालें ताकि वे उल्टी कर सकें। और बेहतर महसूस करें। उसके बाद उनके प्रथम मित्र ने कहा है "यदि मेरे गले के अंदर अंगुली डालने की कोई गुंजाइश होती तो मैं एक और केला खाता।" अभी यही स्थिति है। लोगों को एक वर्ग प्रत्येक अवसर का फायदा उठा रहा है। तथा उन्होंने सभी पदों पर कब्जा कर लिया है। इस पर भी श्री अनादि साहू का कहना है कि यदि ब्राह्मणों को 2 प्रतिशत आरक्षण और दे दिया जाए तो उन्हें प्रसन्नता होगी।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर उड़ीसा): महोदय, मेरे कथन का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। यह ऐसा नहीं था।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): मैं कहता हूँ कि हमें वास्तविकता समझनी चाहिए। यहाँ वास्तविक स्थिति क्या है? पिछली चार लोक सभा से मेरे निकट मित्र श्री गिरधारी लाल भार्गव ने जिक्र किया है कि वे मेरे संकल्प के विरुद्ध नहीं है क्योंकि उनका मन उन्हें विरोध करने की अनुमति नहीं देता है। वे इसका समर्थन भी नहीं कर रहे है। संभवत: वे उस पर भी सही हो। वे इसका विरोध नहीं कर सकते है क्योंकि हमारा एकीकरण अत्यधिक मजबूत है यह केवल विवाहों, उत्सवों, रिवाजों एवं दूसरे प्रथागत रिवाजों तक ही सीमित नहीं है। हम सब एक है। परंतु जब आप बहुसंख्यक समुदाय के सदस्य के रूप में कॉलेज जाते है, तो आपको दाखिला मिल जाता है; जब आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको वे पद मिल जाते हैं, तथा आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है तथा मुस्लिम होने के कारण मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। वास्तविक स्थिति यह है।

जब आप मुझे अपना भाई मानते हैं तो आप मुझे असली भाई माने समनाम भाई नहीं। जब आप मुझे भाई मानते हैं तो आप बड़े भाई हो जाते है और में आपका छोटा भाई हो जाता हूँ। इसलिए मुझे आपसे अपना अधिकार माँगने का पूरा अधिकार है यथार्थत: मैने यहां किया है। माननीय मंत्री महोदय को शैक्षिक एवं सामजिक रूप पिछड़े वर्गों के जिसमें मुस्लिम एवं दूसरे अल्पसंख्यक भी शामिल है, कुछ आश्वासन देना चाहिए। जहाँ कहीं भी संभव हो उनकी शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय सद्भाव दर्शाएंगे ताकि मैं अपना संकल्प वापस ले सकूं। संकल्प वापस लेने के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है। मंत्री महोदय की राजनीति में अपनी पहचान है तथा वे वहां सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वे इन बातों पर विचार कर सकती हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता को गहराई से समझती हूँ। अंतिम विश्लेषण में, मैं समझती हूँ कि मुस्लिमों में पिछड़े वर्गों सहित पिछड़े वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान पर हमें ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यदि इसका अर्थ धन राशि बढ़ाने से है तो मुझे विश्वास है कि इसके लिए इस मामले पर विचार किया जा सकता है जब से मैं इस मंत्रालय की मंत्री बनी हूँ मैंने बहुत प्रयास किया है तथा हमने फाउन्डेशन द्वारा सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की धनराशि लगभग दुगनी कर दी है। जिन 332 संसाधनों की स्थापना की गई है उनमें से 200 संस्थानों की स्थापना मेरे कार्यकाल के दौरान की गई है। हमारी कोशिश

यह है कि जल्दी से जल्दी माइनोरिटीज को इसमें डालना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से अपना संकल्प वापस लेने की अपील करती हूँ।

श्री ई. अहमद: माननीय सभापति महोदय मेरी आधी माँग अर्थात् शिक्षा संबंधी माँग पर विचार कर लिया गया है केवल सेवाओं से संबंधित माँग अब बाकी है। फिर भी माननीय मंत्री महोदय के प्रति सद्भाव के रूप में मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

सभापति महोदय: क्या सभा माननीय सदस्य द्वारा रखे गए संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराह्न 5.39 बजे

(दो) गन्ना उत्पादकों की समस्याएं

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि गन्ने की आपूर्ति के एक सप्ताह के अंदर गन्ना के उपजकर्त्ताओं को चीनी मिलों द्वारा उचित कीमत पर भुगतान सुनिश्चित करे और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा गन्ना उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख राज्यों में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुन: खोलने के लिए तुरन्त कदम उठाये।"

सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे किसानों और चीनी मिलों के संबंध में इस संकल्प पर बोलने का मौका मिला है। मैं जिस इलाके से आता हूं, वह गन्ना उत्पादकों का क्षेत्र है मेरे जिले में 9 चीनी हैं जिनमें से चार बंद पड़ी हुई हैं पांच चल रही हैं और उसमें भी दो दम तोड़ने की स्थिति में हैं किसानों का करोड़ों रुपया चीनी मिलों पर बकाया है इनमें से कुछ चीनी मिलें सरकार की है और कुछ चीनी मिलें मिलें व्यक्तिगत औद्योगिक घरानों की हैं।

आज किसानों के उस दर्द और पीड़ा को लेकर मैं यहां खड़ा हूं। जहां किसानों के खेत में गन्ना साल भर रहता है और जब गन्ने के काटने का समय आता है और चीनी मिलों के चलने का समय आता है तो उसकी वही स्थिति हो जाती है जैसे कि परिवार में किसी के पुत्री है और उसकी पुत्री की उम्र शादी की हो गई है तो उसके पूरे परिवार में बेचैनी रहती है कि उसकी लड़की की शादी हो जाए। जैसे भी हो लड़की की शादी कर दें और चैन से रहें। वही स्थिति गन्ना किसानों की भी होती है। साल भर खेत में गन्ना पड़ा रहने के बाद गन्ना काटने का समय आता है और गन्ना काटकर किसान उसे मिलों में देता है, लेकिन मिलों में देने के बाद उसे पैसा नहीं मिलता है, मिलों से उसे चालान नहीं मिलता है। मिलों के द्वारा किसानों का उत्पीड़न होता है जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उन्हें लेकर उन इलाकों में आंदोलन हो रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर इस मसले को उठाने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका और सदन का आभारी हूं।

सभापति महोदय, मैं बिहार से आता हूं। 15 नवम्बर को बिहार का बंटवारा हो गया हैं बिहार में आय के जितने स्रोत थे, चाहे वे उद्योग हो, चाहे खाने हों, चाहें जंगल से मिलने वाली सम्पत्ति हो, ये सारी चीजें आज झारखंड प्रदेश मे चली गई हैं 1930 के दशक में अंग्रेजों के समय में जब चीनी मिलें लगाई गई तो बिहार में सबसे अधिक चीनी मिलें लगाई गई। जब हिंदुस्तान में चीनी मिलें लगनें लगीं तो टन लोगों ने सर्वे किया और पाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जमीन सबसे उपजाऊ है और सबसे अधिक चीनी मिलों की स्थापना इन्हीं दो प्रदेशों में हुई। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उद्योग का केन्द्र रहा। सबसे अधिक चीनी मिलों की वहां व्यवस्था रही। बिहार पूरे देश का दूसरा प्रदेश था, जहां चीनी मिलें थी। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक चीनी का उत्पादन बिहार में होता था। लेकिन आज बिहार की क्या स्थिति हो गई है आज बिहार पूरे देश में चीनी उत्पादन के मामले में आठवें या नौवें स्थान पर चला गया है। उस समय 28 चीनी मिलें स्थापित की गई थी, लेकिन उन 28 में से आज 18 चीनी मिले बंद हैं।

सभापति महोदय, उत्तर बिहार में कृषि को छोड़कर और कुछ नहीं है और कृषि के आधार पर ज उद्योग लगाये जा सकते थे उसमें एक चीनी उद्योग था। लेकिन उन 28 चीनी मिलों मे से आज 18 चीनी मिलें बंद हो गई हैं इनमें 15 चीनी मिलें तो बिहार सरकार के शुगर निगम की हैं, इन चीनी मिलों को बिहार सरकार ने इसलिए अपने हाथ में लिया था, कि ये चीनी मिलें किसानों के पैसे का भुगतान नहीं कर सकती थी। उनके प्राइवेट मालिक किसानों और मजदूरों का भुगतान नहीं कर सकते थे। इसलिए इन्हें बिहार सरकार ने लिया और 15 चीनी मिलें पिछले तीन वर्षों से बन्द पड़ी है। केन्द्र सरकार की भी वहां तीन चीनी मिलें हैं। केन्द्र सरकर से मेरा मतलब है बी आई सी, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन जो मुन्धा ग्रुप का था, किसी जमाने में इस मामले को इसी सदन में श्री फिरोज गांधी ने उठाया था। मन्धावली कमीशन और जस्टिस छागला की कमेटी बनी थी, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन बन गा। इन तीन चीनी मिलों में दो हमारे क्षेत्र में है -चकिया और चमपटिया। ये मेरे क्षेत्र चम्पारण में हैं और एक चीनी मिल श्री राजीव प्रताव रूडी के क्षेत्र में आती है। ये चीनी मिलें बंद पड़ी है। ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का जो विभाग है वह भारत सरकार की टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के अधीन आता है अभी मैंने एक दिन देखा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री का बयान आ रहा था कि बी. आई. सी. को भारत सरकार उनकी मिलों को चलाने के लिए 216 करोड़ रुपये की अनुदान देने जा रही है। मैने सोचा कि शायद चीनी मिलों का भी उद्धार होगा। हमारे यहां जो तीन चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। वे चलेंगी। लेकिन जब मैंने डीटेल में न्यूज पेपर पढ़ा तो पाया कि केवल टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए था।

बी. आई. सी को जो टैक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, उसको चलाने के लिए सारी व्यवस्था की गई न कि बिहार की तीन चीनी मिलों को चलाने के लिए। आज भारत सरकार के मंत्री, माननीय शांता कुमार जी यहां बैठे हैं हम लोगों ने बिहार के लिए विशेष पैकेज दो दिन पहले नीतिश जी के नेतृत्व में प्रधान मंत्री जी से मांग है उसमें चीनी उद्योग के सम्बन्ध में विशेष पैकेज मांगा गया है। आपके पास चीनी विकास कोष की कितनी राशि है यह मैं अभी देख रहा था। राज्य सभा की बहस में एक माननीय सदस्य श्री बागरोडिया ने कहा कि 'चीनी विकास के करीब-करीब 11000 करोड़ रुपये हैं किन्तु बैंक मिलों को पैसे देने से इंकार कर रहे है। बैंक गारंटी मांगते हैं जो उनको मिलती नहीं है इसलिए किसानों को भुगतान कैसे

[डा. मदन प्रसाद जायसवाल]

करें।' उन्होंने कहा कि 'सुनने में आया है कि ...' इसके आगे की बात मैं नहीं बता सकता। लेकिन यह राशि करीब-करीब 1100 करोड़ रुपये के आस पास हैं मंत्री जी से मैनें पूछा तो उन्होंने कहा कि 900 करोड़ या 1100 करोड़ रुपये के आस-पास है। मेरा विशेष आग्रह है कि इन चीनी मिलों को चलाने के लिए, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों को चलाने के लिए सरकार विशेष ध्यान दे। मेरा संकल्प उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर हैं लेकिन आप देखें कि 1998-99 में 54 चीनी मिलें बंद पड़ी थी। उसमे पंजाब में 1, उत्तर प्रदेश में 10, मध्य प्रदेश में 2, गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 10, बिहार में 17, असम में 1, उड़ीसा में 1, नागालैण्ड में 1, आंध्र प्रदेश में 5, कर्नाटक में 2 और केरल मे 1 मिल बंद थीं फिर 1999-2000 में उसकी संख्या बढ़कर 68 हो गई, जिसमें बिहार की 18 चीनी मिलें हो गई, उत्तर प्रदेश की 15, और महाराष्ट्र की 10 थी। महाराष्ट्र के लिए मैं विशेषकर इसलिए कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ही एक ऐसा प्रदेश है जहां कोआपरेटिव में सबसे अधिक चीनी मिलें चल रही हैं। बिहार में एक भी का आपरेटिव की चीनी मिल नहीं है।

सभापति महोदय: बनबनखी में एक लगी थी।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल: जी हां। आज स्थिति यह बन गई कि कोई नई चीनी मिल हम लोगों तक नहीं आई है। अभी हाल में एक चीनी मिल का उद्घाटन सहारनपुर में हुआ। आश्चर्य इस बात का है कि वह लेटेस्ट टैक्नोलॉजी ने बनी है और अपने बाईलर से 10 मैगावाट बिजली भी पैदा करती है। उसको अपनी चीनी मिल के लिए केवल पांच मैगावाट बिजली चाहिए और 5 मैगावाट वह उत्तर प्रदेश में बिजली निगम को दे रही है इसलिए चीनी मिलों के उद्धार के लिए जो इतनी बड़ी राशि उपलब्ध है, इस प्रकार की चीनी मिलों का जो सरकार की चीनी मिलें हैं, उनको सरकार सहायता दे। सरकार तो डिसइनवैस्टमेंट कर रही है और मैं जानता हूं कि उनकी मजबूरी क्या है। सरकार को सरकार चलानी चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए। और उद्योग नहीं चलाना चाहिए। मैं जानता हूं कि जो सरकार की व्यवस्थाएं होती है, उसमें कितनी रैडटेपिज्म होती है, बाबूशाही होती है और कैसे अधिकारियों की व्यवस्था होती है। लेकिन सरकार के पास राशि उपलब्ध है इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो छोटी-छोटी चीनी मिलें बंद ही पड़ी हुई हैं, उनके लिए भारत सरकार इस पैकेज में राशि दे। बहुत सी चीनी मिलें हैं जो केवल 9000 क्विंटल प्रतिदिन पेराई की क्षमता रखती हैं। जब तक उनकी कैपेसिटी 25000 क्विंटल तक नहीं बढ़ाई जाएगी उनका उद्धार नहीं होगा। हमारे यहा एक प्राइवेट चीनी मिल चल रही है जिसकी कैपेसिटी 80000 क्विंटल प्रतिदिन पेराई करने की है और वह लगभग 1 लाख क्विंटल कैपेसिटी तक जाने वाली है।

सभापति महोदय, जो 10 हजार मीट्रिक टन की कैपेसिटी की चीनी मिल है, उसकी कैपेसिटी में यदि बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी, तो चीनी मिलें सर्वाइव नहीं करेंगी। कोई भी चीनी मिल आज यदि चलानी है, तो 2 हजार 5 सौ मीट्रिक टन क्षमता से नीचे नहीं होनी चाहिए। यदि इस क्षमता से नीचे होगी, तो वह चल नहीं सकेगी। जो 1930-40 के दशक में चीनी मिलें बनी हुई है वे आज सारी की सारी बेकार पड़ी हुई है। सरकार को चाहिए कि उन चीनी मिलों को नई व्यवस्था के अधीन चलाया जाए। उनके री-कंस्ट्रक्शन का मामला हो या कोई और मामला हो, उनको चलाने के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए और उन्हें सरकारी पद्धति के अन्तर्गत नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के सुपुर्द कर दिया जाए और उनके साथ यह एग्रीमेंट होना चाहिए कि वे उन चीनी मिलों को चलाएंगे, स्क्रैप में नहीं बेचेंगे।

सभापति महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में एक-दो चीनी मिलों को लोगों ने ले लिया और उनको कबाड़ में बेचना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां भी ये चीनी मिलें है वहां ये किसानों की सुविधा के लिए बनी थी और इलाके के उद्धार के लिए बनी थी, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि इन चीनी मिलों को लोगों ने खरीद कर स्क्रैप मे बेचना शुरू कर दिया और नयी चीनी मिलें नहीं लगाई। यदि इस प्रकार से होगा, तो यह बहुत दुखदाई बात होगी। इन मिलों को जिन्हें भी दिया जाए, उनके साथ अनुबन्ध होना चाहिए कि इनकी क्षमता को 25 हजार क्विंटल मीट्रिक टन से ऊपर बढ़ाया जाएगा।, उससे कम की चीनी मिलें नहीं लगे और जो उद्योगपति इनको लेने के लिए तैयार हो, उन्हें पूरी सुविधाएं दी जाएं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जो 40 और 60 प्रतिशत चीनी की लेवी को पहले का रेश्यों था उन्होंने उसको 30 और 70 प्रतिशत कर दिया। यानी 30 प्रतिशत चीनी लेवी में जाएगी और 70 प्रतिशत खुले बाजार में बेची जाएगी । यह बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं, उन्हे नई चीनी मिल लगाने जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए। उन्हें पांच-सात साल के लिए परचेज टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि सभी प्रकार के टैक्सो से छूट दी जानी चाहिए। कम से कम उसे पांच-सात साल का इस तरह का पैकेज दिया जाए और उसकी व्यवस्था की जाए। जब तक मंत्री जी ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक इन चीनी मिलों चलना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, किसानों की जो राशि बकाया पड़ी है वह भी बहुत अधिक है। इतनी बड़ी राशि किसानों की चीनी मिलों पर बकाया है और उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1999-2000 के 707 करोड़ रुपए, 1998-99 के 664 करोड़ रुपए और 1997-98 के 591 करोड़ रुपये बकाया है। मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं मंत्री जी से कहता हूं कि शुगर एक्ट भारत सरकार का है। गन्ने की कीमत भारत सरकार तय करती है, चीनी की लेवी की कीमत भारत सरकार तय करती है, जब ये सारी बातें भारत सरकार तय करती है, लेकिन जब किसानों के गन्ने के भुगतान का मामला आता है तब भारत सरकार कह देती है कि प्रदेश की इकाइयां और प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 1966 के शुगर एक्ट में प्रावधान है कि यदि किसानों का गन्ना लिया जाता है और 15 दिन से अधिक समय हो जाता है, तो सरकार सूद सहित उसका भुगतान करेगी। एक्ट मे प्रावधान है, लेकिन सूद तो छोड़ो किसानों को उनके गन्ने का बरसो तक मूलधन ही नहीं मिलता, फिर सूद धन की बात कौन करेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां किसानों की तड़प, उनके दुख-दर्द को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार यदि लेवी की चीनी लेती है, गन्ने का दाम तय करती है तो उसे उसी एक्ट के तहत गन्ने के भुगतान का जिम्मा भी लेना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा न कर के गन्ने के भुगतान

को प्रदेश सरकारों पर डाल देती है। हालांकि मैं इस बात को जानता हूं कि भारत सरकार के खाद्य मंत्री महोदय की ओर से प्रदेश सरकारों के मुख्य मंत्रियो को पत्र लिखा गया है जिसमे आग्रह किया गया है कि किसानों के गन्ने के बकाया का भुगतान तुरन्त किया जाए और यह भी कि दीवाली से पहले भुगतान कर दिया जाए।

मैं नहीं जानता कि उस पत्र का क्या रिजल्ट आया? किसानों की बकाया राशि का भुगतान हुआ या नहीं या वह अभी भी बकाया पड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसका भी उत्तर दें। आज जिन शहरों में, कस्बों में जो चीनी मिलें बनी है, जब मैं अपने इलाके जाता हूं तो वहां बी.आई.सी की एक चीनी मिल है जिसका नाम चनपमिया है। मैं सबसे अधिक वोटों से वहीं से जीता हूं। वहां के लोगों की तड़प यही है कि जायसवाल साहब, किसी तरह से यह चीनी मिल चलवा दीजिए। वह चीनी मिल बी. आई. सी. की है और अब वह बी.आई.एफ.आर. में चली गयी है। बी.आई.एफ.आर. में जाने के बाद वहां के लोगों ने इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट मे केस कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट मे जब केस चला तो उसने घोषणा कर दी कि इस चीनी मिल को बेच दिया जाये। उसके जो दाम तय किए गये, वे बड़े आश्चर्यजनक हैं। उस सड़े-गले कारखाने का स्क्रैप छोड़कर और कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो दाम तय किये, उस पर किसी आदमी ने टेंडर नहीं भरा। टेंडर डालने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर थी लेकिन उस समय तक जो मिनिमम प्राइस की डिमांड थी, उस बेसिस पर किसी ने टेंडर नहीं भरा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बकाया राशि का भुगातान और उन चीनी मिलों के लिए विशेष व्यवस्था की जाये।

आज पूरे देश में 493 चीनी मिलें है, जिसमें 68 चीनी मिलें 1999-2000 से बंद पड़ी हैं। भारत सरकार ने जिस तरह से बी.आई.सी. को एक विशेष पैकेज दिया ताकि उसकी टेक्सआइल मिलें चलें, मेरा आग्रह है कि यह भी टेक्टाइल मिननिस्ट्री के अंडर आता है, इनके लिए भी पैकेज देकर, इन चीनी मिलों में पैसा लगाकर, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाये क्योंकि इसमे ईधन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जो शुगर मिल का बगास निकला है, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे भारत सरकार को काफी आय और अन्य चीजों की व्यवस्था हो जाती है। उसी बगास से किसानों को भी राहत मिल जाती है क्योंकि जो अच्छे बॉयलर आ रहे है, वे उतने ही ईंधन से 10 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे है। इके अलावा जो बगास बच रहा है, वह कागज बनाने की फैक्टरी में काम आ रही है। इसी तरह जो मोलायसेस है।, वह राज्य सरकारों की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया बना गया है। मोलायसेस से आज डिस्टलरियां चल रही है तथा जितनी शराब की व्यवस्था चल रही है, वे सारी उसी के कारण हो रही है। इस बात को लेकर में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे इस संकल्प में जो सारे विषय आये हैं जैसे किसानों को उनके भुगतान का, उनकी व्यवस्था करने आदि सभी का वह जवाब दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि गन्ने की आपूर्ति के एक सप्ताह के अन्दर गन्ना के उपजकत्ताओं को चीनी मिलों द्वारा उचित कीमत पर भुगतान सुनिश्चित करे और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा गन्ना उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख राज्यों में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुन: खोलने के लिए तुरन्त कदम उठाए।"

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, श्री जायसवाल द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, निश्चय की अत्यंत सामयिक है और चीनी मिलों के बारे में जहां यह बिगड़ी स्थिति प्रदर्शित करता है वही गन्ना किसानों की दयनीय दशा की ओर भी संकेत करता है हम गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा कर चुके हैं और यह भी चर्चा कर चुके हैं कि गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया मिल-मालिकों या चीनी मिल मालिकों पर बकाया है। सरकार के बार-बार प्रयत्न करने पर भी उनका भुगतान नहीं हो रहा है। उसका परिणाम विपरीत जा रहा हैं इससे गन्ना किसान निराश है और गन्ने की बोआई नहीं हो रही है। नया क्षेत्रफल जुड़ नहीं रहा है और जो पुराना क्षेत्रफल है, वह भी कम होता जा रहा है। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे पास चीनी का भरपूर स्टॉक है लेकिन धीरे-धीरे उसके बारे में भी हमको कहना पड़ेगा कि हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है और कल हमने जो आयात बंद किया है, फिर से आयात करने की ओर बाध्य न होना पड़े। यह एक ऐसी नीति है जिससे बचना आवश्यक है। इसलिए चीनी उद्योग के बारे में समग्र रूप से विचार करने की जरूरत है।

मैं माननीय जटिया साहब से चर्चा कर रहा था कि चीनी उद्योग केवल किसानों तक ही संबंधित नहीं है बल्कि उसमें मजदूर भी जुडे हुए हैं।

सायं 6.00 बजे

जितनी चीनी मिलें बंद हुई हैं, इससे मजदूरों के हाथ का काम छिना है, उनकी आजीविका भी छिन गई है, हजारों की तादाद में मजदूर आज बेकार है। जायसवाल जी ने बिहार की 28 मिलों के बारे में चर्चा की, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र की मिलों के बारे में चर्चा की। मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की मिलें है मध्य प्रदेश में, जटिया जी के क्षेत्र और मेरे क्षेत्र में भी है। एक-दो मिले बंद हो गई है और एक-दो बंद होने के कगार पर है। सरकार द्वारा जो मिलें चल रही थी, वे भी बंद होने के कगार पर हैं, जो निजी तौर पर चल रही थीं, वे भी बंद होने के कगार पर है, जो सरकार से कर्ज लेकर, अंशदान से चलाई जा रही थी, उन पर भी आज गन्ना किसानों का करोड़ो रूपया बकाया है और वे भी बंद होने के कगार पर है। इसलिए इस सारे उद्याग पर एक बार समग्र दृष्टि से चिंतन और विचार करने की आवश्यकता हैं आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई? आप स्वयं जानते है कि हमारे यहां गन्ना विकास परिषदें बनीं हम भी उसमें जन-प्रतिनिधि के नाते भागीदार होते थे, विधायक भागीदार होता था, गन्ना उत्पादक भागीदार होता था। धीरे-धीरे उन गन्ना परिषदों पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का एकाधिकार हो गया और जन-प्रतिनिधि एक तरफ होते चले गए। इस प्रकार की स्थिति बनी की शायद उनसे परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ी गन्ना विकास केन्द्र बने, जैसे अलग-अलग उपज के लिए केन्द्र बनते है वे भी धीरे-धीरे बंद होत चले गए। गन्ने के विकास की दृष्टि से नित नया क्षेत्रफल लेना था, आवश्यकता होने पर जो नया बीज देना था, वह नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि पहले जो गन्ना डेढ़ वर्ष में होता था, उसकी अवधि कम करके पन्द्रह महीने, बारह महीने,

[डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय]

दस महीने और नौ महीने की गई और गन्ना नौ महीने की अवधि में पकने लगा। वैज्ञानिकों ने यह करके दिखाया। लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रश्रय मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। यह बात सही है कि गन्ना मिलों का प्रबंध ठीक से हो। यह सब कुप्रबंध के कारण हुआ, सरकार की दखलअंदाजी ज्यादा होने के कारण हुआ अन्यथा यह बात सही है कि गन्ना मिलों का प्रबंध ठीक से हो। यह सब कुप्रबंध के कारण हुआ, सरकार की दखलअंदाजी ज्यादा होने के कारण हुआ अन्यथा यह बात सही है कि उसके अंदर आज जो मेलैसेस निकलता है, उसे बेच कर करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है, उससे जो बगास निकलती है, उससे बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन कुछ मिलें बहुत पुरानी हैं जैसे कुछ सन् 1925-26 में लगीं, कुछ 1930 में लगीं, कुछ 1940 में लगीं लेकिन कुछ चीनी मिलें ऐसी हैं जो लेटैस्ट हैं और यदि उन पर थोड़ा-बहुत पैसा लगा दिया जाए तो उनका उत्पादन ठीक हो सकता है, उनकां चलाया जा सकता है। लेकिन शायद राज्य सरकार इस बारें में चिंतित नहीं है। कहीं न कहीं गन्ना विकास निधि का उपयोग करना होगा। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि गन्ना विकास निधि, शुगरकेन डैवलपमैंट फंड का उपयोग हो सकता है और ऐसी मिलों को बचाया जा सकता है।

कुछ दिन पहले टैक्सटाइल मिलों को बचाने के लिए चर्चा हुई और उन पर योजना बनी ठीक उसी प्रकार चीनी मिलों के बारे में योजना बन सकती है ताकि हम आने वाले खतरों से सचेत होकर कुछ काम कर सकें। मैं मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा था। मध्य प्रदेश में अनेक मिलें धीरे-धीरे बंद होती चली गई। अब दो-तीन चल रही है, वे भी बंद हो जाएंगी। आखिर एक संकट खड़ा हुआ है। गन्ने की खेती कम हो गई। इस बार बहुत ज्यादा सूखा हुआ और सारा सोयाबीन-खत्म हो गया। किसान इधर से भी पीड़ित है और उधर से भी पीड़ित है। इसलिए इस विषय पर ठीक से प्रयत्न करने और देखने की आवश्यकता है।

मैं दक्षिण भारत गया था। वहां कुछ ऐसी चीनी मिलें है जिनके दो-दो प्लांट साथ हैं। 4-5 महीने एक प्लांट चलता है, 4-5 महीने दूसरा प्लांट चलता है और बीच में उसकी सफाई होती है। उस क्षेत्र में एक मंडिया की फैक्ट्री और एक दूसरी फैक्ट्री मैंने देखी थी। वह लगातार चलती रहती हैं क्या हम ऐसा कोई उपक्रम नहीं कर सकते? यह कहा जाता था कि महाराष्ट्र में शुगर का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, कुछ क्षेत्रों की शुगर बहुत अच्छी मानी जाती थी। देश की राजनीति में महाराष्ट्र की शुगर लॉबी प्रभावी थी। धीरे-धीरे महाराष्ट्र की चीनी मिलें भी खत्म होती जा रही है, वहां भी चीनी का उत्पादन कम होता जा रहा है। इसके साथ-साथ गुड़ का उत्पादन भी कम हो रहा है और उसके भाव बढ़ते जा रहे हैं। कल तक जो गुड़ की मंडियां भरी रहती थी, आज उन पर भी असर पड़ रहा है क्योंकि जब गन्ने की पैदावार कम हो रही है, गन्ने का उत्पादन नहीं है, किसान ने गन्ना बोना बंद कर दिया है तो उसके ऊपर असर पड़ना स्वाभाविक है । मैं चाहूंगा कि इसमें जो कार्यवाही की जा सकती है, सरकार निश्चित रूप से वह करे। गन्ने का भुगतान जो बकाया है, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हो, वह किया जाए। मध्य प्रदेश में भी चार मिलों का करोड़ों रुपया जटिया जी के क्षेत्र में बकाया है। हम राज्य सरकार से कहते हैं तो वह कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसी तरह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन मजदूरों का बकाया है, वह बकाया भी दिलवाया जाये।

अब तो मजदूरों की वालेण्टरी रिटायरमेंट स्कीम में छंटनी हो रही है। शुगर मिल के अन्दर उनको कह रहे है कि आप घर जाकर बैठिये। वालेण्टरी रिटायरमेंट स्कीम के अन्दर उनको पैसा कब मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस प्रकार स्थिति होगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए उसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता हैं मैं शुगरकेन एक्ट के विसतार में नहीं जाना चाहता, शुगरकेन एक्ट में तो बहुत सारे प्रावधान थे और शुगर इंडस्ट्री को व्यापक स्वरूप देने के लिए 15 मील के एरिया में बड़ा प्रतिबंधित किया गया था, अब तो वह किलोमीटर हो गया है। तब यह था कि 15 मील के एरिया में कोई दूसरी फैक्टरी नहीं होगी, कोई गुड़ नहीं बना सकेगा, कोई निजी फैक्टरी नहीं लगा सकेगा। इस तरह से शुगर इंडस्ट्री को डवलप करने के लिए बहुत जगह प्रतिबन्ध थे। आज कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उसके बाद भी तब किसानों को सारे साधन मुहैया कराये गये, ट्रक उपलब्ध कराये गये, बीज उपलब्ध कराये गये। आज न तो किसान को बीज मिलता है, न किसी प्रकार की सहायता मिलती है, यहां तक कि उसका जो बकाया पैसा है, वह पैसा भी उसको नहीं दिया जा रहा है, इसलिए चीनी उद्योग को बचाने की दृष्टि से सरकार समग्र रूप से विचार करे और इस विकास निधि का ठीक से उपयोग हो और चीनी मिलें चलें। इस बारे में प्रयत्न कर जो चलने योग्य मिलें है, उनकी निश्चित रूप से सहायता करें, किसानों का पेमेण्ड हो और उसके साथ-साथ मजदूरों का पेमेण्ट हो। साथ ही साथ चीनी उद्योग जो आज संकट में है, उसे संकट से बचाकर हमें भविष्य में ऐसी आवश्यकता न पड़े कि हम फिर से आयात की ओर दृष्टि डालें और आयात पर निर्भर हो। अगर आयात किया जाये तो हम सरकार से मांग करें कि इसमें किसी न किसी प्रकार की कोई ड्यूटी लगा दी जाये, नहीं तो यहां और संकट खड़ा हो जायेगा।

इन सारे संकट से बचने के लिए सरकार विचार करें और समग्र रूप से व्यापक सुझाव देकर चीनी उद्योग के बारे में कोई उपाय लेकर आयें। मैं इस रूप में इस संकल्प का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : माननीय सभापति महोदय, वस्तुतः वर्ष 1985-87 में तमिलनाडु में विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जब चीनी मिल की स्थापना की जानी थी, उस समय लोगों में बहुत जोश था। किसानों ने महसूस किया कि उन्हें पुरखों के जमाने से उगाए जा रहे धान एवं अन्य फसलों की अपेक्षा इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। उस समय स्थानी लोगों ने बहुत ही सस्ती दर पर अपनी भूमि देकर उनकी सहायता इस आशा से की कि इस मिल की स्थापना से उन्हें सहायता मिलेगी।

सायं 6.06 बजे

[डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

उन्हें यह भी विश्वास था कि उन्हें चीनी मिल में अपने आप रोजगार मिल जाएगा। इसी प्रकार जब उनके पास सड़क, दूर संचार, विद्युत जल एवं जैसी अन्य आधारभूत सुविधाएं नहीं थी तो स्थानीय लोगों ने उनकी सहायता की। स्थानीय राजनेता भी यथाशीघ्र मिल स्थापना में उनकी सहायता कर रहे थे। इसी तरह से केन्द्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार और तमिलनाडु की अनन्नाद्रुमक सरकार उन्हें वित्तीय सहायता भी दे रही थी। निजी मिल मालिकों के पास कई अन्य मिलें भी थी। उस क्षेत्र में उनके

पास अनुभव था। राष्ट्रीयकृत बैंक भी उनकी सहायता कर रहे थे। राज्य सरकार उन्हें अनुदान दे रही थी क्योंकि वह उद्योग ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा था जो आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा था। बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क में भी 22 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की छूट दी गई। लोग आशावान थे कि मिल की स्थापना से उनका जीवन पूर्णत: बदल जाएगा यह सत्य है कि ऐसा हुआ परंतु केवल तीन अथवा चार वर्ष की अल्प अवधि के लिए।

वे शेयर खरीदने के लिए किसानों के हस्ताक्षर ले रहे थे। किसानों को खुद भी यह नहीं मालूम था कि किस प्रयोजन से उनके हस्ताक्षर लिए जा रहे है। परंतु बाजार में शेयर खरीदने के प्रयोजन से उनकी राशि काटी जा रही थी। तीन वर्ष तक इस मिल को बहुत लाभ हुआ परंतु इसे उनके लेखाओं मे नहीं दर्शाया गया। लेखा में यह दिखाया गया कि यह घाटे में चल रही है। इसलिए गरीब किसानों को जिन्होंने बिना अपनी जानकारी के शेयर खरीदे, कोई लाभांश नहीं दिया गया।

इसी के साथ-साथ निजी क्षेत्र के लोग किसानों को यह बता रहे थे कि सरकारी लेवी उनके लाभ के अंतर को कम कर रही है यदि मुक्त बाजार होता तो वे किसानों के अधिक धन देते। परंतु ऐसी स्थिति नहीं थी। निश्चित लेवी सरकार को दी जाती थी और शेष माल खुले बाजार में बेचा जाता था। तीन वर्ष की अवधि के भीतर उन्ह पूरा धन वापस मिल गया और उन्होंने उड़ीसा में दूसरी मिल खरीद ली उनका लाभ बहुत ज्यादा था।

इसी प्रकार स्थानीय क्षेत्र में खेती का पैटर्न भी बदल गया। प्राय: सभी लोगों ने धान की खेती को छोडकर गन्ने की खेती को अपना किया। सर्वत्र नलकूप लगाकर तथा नई नहर निकालकर भू जल का उपयोग किया गया। समाज में कृषि पैटर्न में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। ग्रामीण यह सोचकर धन उधार ले रहे थे कि बड़ी मात्रा में धन मिलने पर वे इसे चुका देंगे। उन लोगों ने सोचा कि वे न केवल उधार चुका देंगे बल्कि विलासतापूर्व जीवन बिताएंगे, नए घर बनाएंगे नए वाहन खरीदेंगे तथा अपनी लड़कियों की शादी कर देंगे। इस तरह से उस अवधि के दौरान सामाजिक ढांचा ही बदल गया।

लेकिन कुछ अवधि के बाद परिस्थितियाँ उलट गयी जब उनका लाभ इस स्तर पर आ गया कि वे इसे अपने लेखा-बही में छिपा नहीं सकते थे। वे किसानों की जानकारी के बिना शेयरों की पुनर्खरीद करने लगे। वे उनकी जानकारी के बिना हस्ताक्षर ले रहे थे तथा शेयर वापस प्राप्त कर लिए। किसानों को मिल में शेयर होने से लाभ का नुकसान हो रहा था।

रोजगार के अवसर भी काफी कम हो गए। मिल और अधिक यंत्रीकृत हो रहा था। गन्ने से भरा हुआ ट्रक आता है, मापन ब्रिज के पास उठाकर ले जाया जाता है, उनके अपने कम्प्यूटर द्वारा इसे तौला जाता है, मिल में जाता है तथा चीनी में परिवर्तित हो जाता है। अंतत: चीनी के बोरे मिल के बाहर आते है। क्या ठीक से कार्य हो रहा है यह देखने के लिए कम्प्यूटरों पर निगरानी को छोड़कर कोई मानवीय पहलू नहीं है। इस प्रकार की भारी क्षमता वाले बड़े मिल में कम्प्यूटर की जानकारी रखनेवाले केवल 20 कर्मचारी नियुक्त थे।

शेष कार्य के लिए और कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं थी।

रस निकालने के बाद गन्ने का जो उपशिष्ट पदार्थ आ रहा था वह भी बिजली के उत्पादन में प्रयोग किया जा रहा था। मिल के मालिक इस अवशिष्ट पदार्थ का भी उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहे थे तथा किसानों को इससे भी वंचित रखा गया। इसमे भी किसानों को नुकसान हो रहा था। वे बैंक से धन ले रहे थे जब बिक्री से प्राप्त धन इन किसानों के खातो में जाता था तो बैंक उनकी धनराशि काट लेते थे।

यह धनराशि भी उन्हें छह अथवा नौ महीने बाद दी जाती थी। इन गरीब लोगों की दुर्दशा देखिए जो यह आशा कर रहे थे कि उन्हें बहुत बड़ी धनराशि मिलेगी जिसमें कि वे न केवल साहूकारों से उधार लिए गए धन की अदायगी कर सकेंगे बल्कि जीवन की दूसरी विलासतापूर्ण वस्तुओं का आनन्द भी उठाएंगे। जब वे अपना धन नौ महीने अथवा इससे भी अधिक समय तक नहीं प्राप्त कर रहे थे तब उधार पर ब्याज भी बढ़ रहा था।

इस प्रकार से गन्ने की खेती पर निर्भर स्थानीय किसानों को अधिक हानि हुई। वे कुछ नहीं कर सके। उन्होंने मिल के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया।

यह बड़ा आंदोलन भी उनके अपने तरीके से किया था। यह विभाजित था। किसान समूहों मे बंटे हुए थे इसलिए वे कम से कम 15 दिन अथवा एक महीने तक एक जुट नहीं रह सके। अंतिम परिणाम यह हुआ कि वे उपयुक्त समय पर धन प्राप्त नहीं कर सके तथा अपना कर्ज नहीं चुका सके। वे नई संस्कृति अथवा नया जीवन जारी नहीं रख सकें। उन्हें गरीब से ग्रस्त जीवन में वापस लौटना पड़ा। वे उस धन को भी वापस नहीं कर सके जिसे उन्होंने अपनी पुत्रियों के लिए उधार लिया था। यह आर्थिक रूप से पिछड़े विशेषकर मेरे निर्वाचन-क्षेत्र की दशा है।

अब निजीकरण का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। वे कहते है कि मूल्य बढ़ना चाहिए तथा लाभ भी बढ़ना चाहिए। जब यह पहले से विद्यमान सहकारी मिलों के बजाय उनके हाथों में दिया गया तब हमारा यह विचार था।

जब निजी क्षेत्र का प्रवेश हो गया है तो हमने यह सोचा कि स्वभावत: अच्छा प्रबन्धन होगा तथा कृषकों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह अत्यन्त कम अवधि थी। परिणामत: सारा कार्य अस्त व्यस्त तरीके से हुआ। उसके बाद क्या हुआ? गरीब लोगों को धन भी नहीं मिल सका।

मैं इस संकल्प का समर्थन कर रहा हूं यद्यपि इसमें तमिलनाडु राज्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी स्थिति भी अन्य गन्ना उत्पादक राज्यों की तरह है इसलिए ये बातें तमिलनाडु पर भी लागू होती है। अब, वे कह रहे हैं कि वे मिले बन्द करने जा रहे हैं। तब क्या होगा? वे यह बता रहे है कि सरकार को नीति उनके विरुद्ध है क्योंकि पाकिस्तान तथा अन्य देशों से आयात किया जा रहा है। वे विश्व बाजार से प्रतियोगिता करने की स्थिति में नहीं हैं। अब वे यही तर्क दे रहे हैं। निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है?

हमारी सुरक्षा कौन कर सकता है, क्या कृषक एवं वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया है? उनकी जीवन शैली बदल गई है,

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

उनकी संस्कृति बदल गई है, उनकी मानसिकता बदल गयी है। अब उनकी क्या स्थिति है? वे किस प्रकार जीवित रहेंगे तथा उनके हितों एवं उनकी भूमि की रक्षा कौन करेगा? अब वे पुन: धान की फसल नहीं लगा सकते क्योंकि फसलों का पैटर्न बदल गया है उसके लिए हमें उतना पानी भी मिल पायेगा। भू जल का स्तर गिर रहा है वेगई बांध तथा पेरियार बांध पर विवाद है। इसलिए नहरों में पानी नहीं आ रहा है तथा समुद्र जल स्तर घट रहा है क्योंकि वन नहीं लगाए जा रहे है। जंगल के सभी पेड़ काट दिए गए। इसलिए जिलों में लगातार सूखा पड़ रहा है हमारे क्षेत्र की यह दयनीय स्थिति है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर नियंत्रण रखें। इसका निजीकरण होने के बावजूद वे यह खेती करते रहे हैं, उस विषय मे हमें किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निजी क्षेत्र में भी कुछ अनुशासन होने चाहिए। उनके अन्दर यह भावना होनी चाहिए कि वे गरीब लोगों के लिए कार्य कर रहे है जो कि उनके ऊपर पर निर्भर है, जैसा कि केन्द्र सरकार और राज्यो की सरकारें सोचती है। निजी क्षेत्र को भी इस प्रकार सोचना चाहिए केवल तभी हम बेहतर निजीकरण कर पायंगे और ऐसी ही स्थिति में कृषकों का उन पर विश्वास भी बनेगा।

मैं यह बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु में गरीबों के साथ कैसे धोखा किया जा रहा है। मध्यम वर्ग तथा अन्य वर्ग के लोगों के पास थोड़ा बहुत धन था जिसे उन्होंने हित-लाभ निधि में जमा कर दिया। उन्हें बताया गया कि उन्हें 23-24 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। अत: सारा धन हित-लाभ निधि में लगा दिया गया। इसके बाद वे इसे एक वर्ष के बाद बन्द करके गायब हो गये। अब कोई कानून या सरकार उनका समर्थन नहीं कर रही है। पश्चिम से कमाए गए उनके धन को कैसे वापस लिया जाए? समाज कहां गया? जनता ने सरकार को शक्ति दी है क्योंकि उसने सोचा था कि उन्हें मार्ग निर्देशन मिलेगा तथा कानून उन्हें रास्ता दिखाएगा। यह स्थिति है।

इस स्थिति में मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण संकल्प है। निजीकरण हमारी शक्तियां धीरे-धीरे कम हो जाएंगी। लेकिन उस के साथ ही हमें इसके लिए कोई और तरीका निकालना चाहिए कि निजी कम्पनियों तथा मिलों को कैसे नियंत्रित रखा जाए क्योंकि लोग उन पर निर्भर रहते है।

अब भी उनका सरकार पर, जनता के प्रतिनिधियों पर, सरकारी कर्मचारियों पर तथा सरकारी तरीकों पर 20-30 प्रतिशत विश्वास रह गया है यद्यपि उनका 70 प्रतिशत विश्वास इन पर से उठ गया है। इसलिए इस पर प्रशासन तथा नौकरशाहों को यह सुनिश्चित करने के लिए विचार करना चाहिए कि निजीकरण को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है तथा मिलों को भी किस प्रकार अच्छे तरीके से चलाया जा सकता हैं हमारा इन पूरा नियंत्रण नहीं है। उचित समय पर नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम गरीबों की सहायता कर सके। केवल तभी वे पूरा विश्वास रखेंगे। गरीब लोगों का विश्वास निजी क्षेत्र पर है। अत: सरकार का दृष्टिकोण इसी प्रकार का होना चाहिए।

अब, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उपभोक्ता वस्तुओं की तरफ दिलाता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि चीनी का मूल्य नियंत्रित किया जाना चाहिए। उस पर उचित लेवी लगाई जानी चाहिए। उसके बाद वे यह कह सकते है कि इस प्रकार मूल्य निर्धारित किया गया है। तभी बाजार मूल्य को नियत किया जा सकता है तथा किसानों को सुरक्षित किया जा सकता हैं

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा आपको, यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, डा. मदन प्रसाद जायसवाल जो गैर सरकारी संकल्प लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं । यह गैर सरकारी संकल्प बड़ा ही सामयिक है, केवल सामयिक ही नहीं है। बल्कि यह जनहित और किसानों के हित में है, इसलिए मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देता हूं।

महोदय, किसानो की पीड़ा अनंत है जहां अनाज और तिलहन के किसानों का दाम नहीं मिल रहे हैं वहीं गन्ने के किसानों को भी दाम नहीं मिलता। सरकार रेट तय करती है, लेकिन उन्हें दाम नहीं मिलता है। मुझे तकलीफ और आश्चर्य होता है, कि सरकारें दावा करती हैं और अपनी उपलब्धि बताती हैं कि हमने गन्ना किसानों का भुगतान करवा दिया है लेकिन कितना करवा दिया, कुछ करवा दिया या कुछ बाकी है, यह पता नहीं। इतना भारी संकट गन्ने के किसानों पर है। किसान जिस चीज का उत्पादन करता है उसे उसका भुगतान तुरंत नकद होना चाहिए। ये कहते है कि साल दो साल में भुगतान करवा देंगे। सरकार के लोग बोलते हैं कि हमने भुगतान करवा दिया है। किसानों की बहुत दुखद स्थिति है। माननीय सदस्य ने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर भुगतान होना चाहिए। केन एक्ट में विभिन्न राज्यों में 14 दिन के अंदर भुगतान करने का प्रावधान है और 14 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें सूद के साथ भुगतान करना है। अब यहां सवाल उठता है कि उनका भुगतान नहीं हुआ, आप सूद के साथ भुगतान करिए। सरकार बोलती है कि मूल मिल नहीं रहा है और यह सूद खोज रहे है, इसलिए यह लागू नहीं हो रहा है। यह कानून में है लेकिन लागू नहीं हो रहा है, जो लागू होना चाहिए। हर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए ताकि उनको नकदी भुगतान हो जाए और अगर देर हो तो सूद सहित भुगतान हो। यदि सूद सहित भुगतान की प्रक्रिया लागू हो जाए तो उन्हें मिलने में विलम्ब नहीं होगा, लेकिन कानून में रहते हुए भी सूद की प्रक्रिया लागू नहीं होती। इसलिए यह सरकार के लिए चुनौती है। यह कानून में है, लेकिन किसानों के पक्ष में यह कानून है इसलिए लागू नही होता।

माननीय सदस्य बता रहे थे कि किसानों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बाकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्य, जहां गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है, वहां के लिए उन्होंने कहा था। इसकी उन्हें बहुत चिन्ता है। उन्होंने गैर सरकारी संकल्प में किसानों के प्रति चिन्ता जताई है उनका कहना है कि किसानों के बकाया का भुगतान हो किसानों के गन्ने की कीमत का सात दिन के अंदर भुगतान हो। यह तो बहुत अच्छी बात है। 14 दिन वाला लागू नहीं हो रहा है, अगर सात दिन वाला लागू हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी और सूद सहित भुगतान हो, अन्यथा किसान संकट में है। किसान अनाज की खेती करता है, लेकिन उसे आधे दामों पर बेचना पड़ता है। उससे मार खाकर वह गन्ने की खेती करता है, उसका भी भुगतान नहीं होता, यह बात बिलकुल साफ है - तो वह कहां जाए।

किसान क्या बोये, उसे हर प्रकार से तकलीफ का सामना करना पड़ता है। "बेल के मारन बबूल तक, बबूल के मारन बेल तक"। यह लोकभाषा में कहावत है कि किसान कहां जाए? अनाज की खेती करे, कोकोनेट की खेती करे, तिलहन की खेती करे, दलहन की खेती करे, गेहूं की चावल की, मक्का की या फिर गन्ने की खेती करे। किसी न किसी हालत में उसे संकट में पड़ना है, यह उसकी स्थिति हो गयी है। पशुपालन में भी दूध का इम्पोर्ट हो जाता है, पाउडर वगैरह के द्वारा।

सभापति महोदय, बंद चीनी मिलों को चालू कराने की भी उन्होंने चिंता की है। लेकिन राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार इस प्रश्न को एक दूसरे पर टाल देती है इस तरह से किसान मारा जाता है। केन्द्र सरकार अपनी जवाबदेही राज्य सरकारों पर फेंक देती है और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी केन्द्र पर फेंक देती है। जहां कहीं भी चीनी मिलें बंद हैं वहां का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है।

सभापति महोदय, बिहार में कुल 64 चीनी मिलें बंद है और बिहार में 19 चीनी मिलें बंद हैं। लौरिया, सुगौली, मोतीपुर, हथुआ, सिवान, न्यू विसपन, गोरौल, लोहट, रैयाम, सकरी, समस्तीपुर, बिहटा, गुरारू, वारसलीगंज, बनमनखी, चनपटिया, बाराचिकिया, मेंढौरा, पंचरूखी- ये 19 चीनी मिलें बिहार में बंद हैं। बिहार की स्थिति जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। चीनी मिलों की स्थापना बिहार और महाराष्ट्र में एक साथ हुई। जब 1930-32 में देश में कुल चीनी का उत्पादन 9 लाख टन होता था तो बिहार में चीनी का उत्पादन 3 लाख टन था। अब देश में 164 लाख टन से ज्यादा चीनी पैदा हो रही है लेकिन बिहार में वही 3 लाख टन चीनी पैदा हो रही है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब देश में कुल 9 लाख टन चीनी पैदा होती थी तो बिहार में उसका तिहाई भाग 3 लाख टन चीनी पैदा होती थी। कारण साफ है क्योंकि 19 चीनी मिलें बंद हैं और जो चालू भी है उनकी भी क्रशिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। वहां के किसान तबाही के कगार पर हैं। इसलिए केन्द्र सरकार अगर मुस्तैदी से सहायता नहीं करेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

केन्द्र सरकार की ओर से दो चीनी मिलों मोतीपुर और गोरौल के संबंध में शुगर टैक्नोलॉजी मिशन भेजा गया था। उनके एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट भी दी थी, वह रिपोर्ट राज्य सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि इन्हें चालू किया जा सकता हैं। इसमें मोतीपुर को शुगर मिल के रूप में और गोरौल को खांडसारी और गुड़ के रूप में वायबल माना गया था और कहा गया था कि यह किसानों के लिए भी लाभकारी होगा।

सभी चीनी मिलें सरकार के अधीन हैं। दो-तीन चीनी मिलें ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अधीन हैं ये सभी चीनी मिलें बंद हैं। सरकारी स्तर पर इसको चालू करने के प्रयत्न हुए। नयी चीनी मिल में तो 50-60 करोड़ रुपये की पूंजी लगेगी तो इनका आधुनिकीकरण करने में 25-30 करोड़ लगेगा। लेकिन अब पूंजी की समस्या है। कैसे होगा? वहां को राज्य सरकार ने कैबिनेट का फैसला करके तीन पुराने चीनी मिलों के मालिकों को चीनी मिलें वापस कर दीं।

यह फैसला हुआ और 19 में से 16 मिलें बंट गई। 16 चीनी मिलों के सम्बन्ध में सरकार ने फैसला किया कि आई.एफ.सी.आई. जो भारत सरकार का संस्थान है, वह इसके बीच में आकर मूल्यकांक करे और विज्ञापन देकर प्राइवेट वाले इसे चलाएं यानी यह किसी तरह चलें। वह किसी हालत में चलनी चाहिए चाहे प्राइवेट पार्टी हो, चाहें ज्यौंट वैंचर हो, चाहे लीज पर हो, चाहे सरकारी स्तर पर हो। वह पैसा देकर उनकी मदद करे और उसे चालू किया जाए। यह किसानों का संकट है हरेक चीनी मिलों में मजदूरों का बकाया है। बिहार में किसानों का 22 करोड़ रुपया बकाया था। इसमें से कुछ मिल गया है लेकिन कुछ अभी भी सरकारी स्तर पर बाकी है। करीब 9-10 करोड़ रुपये अभी बाकी हैं। 13 करोड़ रुपए मिले थे। 22 करोड़ रुपये सरकार ने दे दिए। 9 करोड़ रुपए प्राविडेंट फंड वालों ने काट लिए। किसान के दिए पैसे प्राविडैंट फंड में मजदूरों के लिए कट गए। इस वजह से 9 करोड़ रुपए किसानों के बाकी रह गए हैं। केन्द्र सरकार इसके लिए दबाब डाले। राज्य सरकार को चाहिए किसानों का 9 करोड़ रुपया जो बकाया है, उसका भुगतान कर दें। केन्द्र सरकार अपनी जवाबदेही को नहीं टाले।

जैसा माननीय जायसवाल जी ने कहा कि बंटवारे के बाद बिहार को केवल खेती पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहां उद्योग के नाम पर चीनी मिलें हैं। वे जब तक चालू नहीं होंगी तब तक बिहार सरवाइव नहीं करेगा। वहां इतना भारी संकट है। आप राज्य सरकार, आई. एफ. सी. आई. सब को बुला कर प्राइवेटाइजेशन करने के लिए इसका इवैल्यूएशन जल्दी करें। कहीं ऐसा न हो कि फिर अखबार में विज्ञापन निकले और कोई नहीं आए। इसे कोई नहीं ले रहा है, इस बात को ध्यान में रख कर प्रयत्न करिए। प्राइवेट वाले इसे लेकर चालू कर सकते हैं। इसमें कर संबंधी छूट और दूसरी सहूलियते देने की बात हो सकती है। किसी भी हिसाब से केन्द्र सरकार मदद देकर प्रयत्न करे चाहे पैसे देकर या कानून का सहारा लेकर या आई.एफ.सी.आई. और अन्य एजेंसियों द्वारा इस काम को करवाया जाए। किसी न किसी हालत में इस काम को किया जाए क्योंकि राज्य सरकार इसका संचालन कराने में अभी अक्षम है। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है।

सभापति महोदय : समय हो रहा है। आप इसे कन्क्लूड करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं अपना भाषण अगली बार जारी रख सकता हूं।

सभापति महोदय: आप अपना बाकी भाषण अगली बार करें।

[अनुवाद]

अब यह सभा सोमवार 4 दिसम्बर 2000 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सांय 6.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 4 दिसम्बर 2000/13 अग्रहायण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार, 1 दिसम्बर,2000/10 अग्रहायण,1922 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
59	22	1015	2015
168	9	श्री एम.वी.एस.मूर्ति	श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति
213	21	इस संबंध में	(ग)और (घ) इस संबंध में
283	4	(घ) से (ड.)	(घ) और(ड.)